स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

एनएचपीसी
NHPC

41वीं वार्षिक रिपोर्ट
2016-17

निगम का दृष्टिकोण

सक्षम, उत्तरदायी और नवीन मूल्यों के माध्यम से स्वच्छ विद्युत का सतत विकास करने वाला विश्वस्तरीय अग्रणी संगठन बनना ।

निगम का लक्ष्य

* विद्युत के विकास में अंतरराष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्टता प्राप्त करना।
* दक्ष एवं सक्षम संविदा प्रबंधन, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल नवोन्मेषी अनुसंधान एवं विकास और सामाजिक-आर्थिक ज़िम्मेदारी निभाते हुए परियोजनाओं का निष्पादन और प्रचालन करना।
* अपनी पूरी क्षमता का लाभ लेने के लिए मानव पूंजी को विकसित, संपोषित एवं सशक्त करना।
* सशक्त निगम की पहचान के लिए कारपोरेट अभिशासन की सर्वोत्तम पद्धति और मूल्य आधारित प्रबंधन व्यवस्था को अपनाना और कार्मिकों, उपभोक्ता, पर्यावरण और समाज के सरोकारों के प्रति सचेत रहना।
* अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अंगीकार करना और प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना।

मुंबई में 2 जून 2017 को आयोजित विश्लेषक बैठक के दौरान उपस्थित अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एवं तत्कालीन निदेशक (तकनीकी) श्री बलराज जोशी, निदेशक (परियोजनाएं) श्री रतीश कुमार, निदेशक (वित्त) श्री महेश कुमार मित्तल व एनएचपीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण

विषय सूची

एनएचपीसी

निदेशक मंडल 2

संदर्भ सूचना 3

महत्वपूर्ण वित्तीय डाटा का डाइजेस्ट (5 वर्ष) 4

अध्यक्षीय वक्तव्य 7

निदेशकों की प्रोफाइल 11

निदेशकों की रिपोर्ट 17

कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट 32

कारपोरेट अभिशासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र 55

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट 57

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी आमेलन और विदेश मुद्रा अर्जन तथा व्यय 72

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट 74

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट 82

वार्षिक रिटर्न का उद्धरण 89

लाभांश वितरण नीति 100

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट 103

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 107

वित्तीय विवरण 114

समेकित

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 230

वित्तीय विवरण 234

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन का उत्तर 357

निदेशक मंडल

27 सितंबर 2017 को

श्री बलराज जोशी
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

श्री रतीश कुमार
निदेशक (परियोजनाएं)

श्री निखिल कुमार जैन
निदेशक (कार्मिक)

श्री महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)

श्रीमती अर्चना अग्रवाल
सरकारी नामित निदेशक

श्रीमती कृष्णा त्यागी
सरकारी नामित निदेशक

सीए सत्य प्रकाश मंगल
स्वतंत्र निदेशक

प्रो. अरुण कुमार
स्वतंत्र निदेशक

प्रो. कनिका टी. भाल
स्वतंत्र निदेशक

श्री विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

संदर्भ सूचना

पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालय

एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद
हरियाणा-121003
टेलीफोन : +91 129 2588500, +91 129 2588110
फैक्स : +91 129 2277941
वेबसाइट : www.nhpcindia.com
सीआईएन : L40101HR1975GOI32564

कंपनी सचिव

श्री विजय गुप्ता

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एस.एन.धवन एंड कंपनी (अब मैसर्स एस.एन.धवन एंड कंपनी, एलएलपी के नाम से ज्ञात)
सनदी लेखाकार,
410, अंसल भवन,
16, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली - 110001

मैसर्स गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस
सनदी लेखाकार,
142/3, त्रिकूटा नगर,
जम्मू - 180012,
जम्मू एवं कश्मीर

मैसर्स रे एंड रे
सनदी लेखाकार,
वेबल भवन, ग्राउंड फ्लोर,
ब्लाक ईपी और जीपी, साल्ट लेक, सेक्टर-5
कोलकाता - 700091

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स एच. तारा एंड कंपनी
ए-1-बी/49-बी, पश्चिम विहार,
नई दिल्ली-110063

मैसर्स वी.पी.गुप्ता एंड कंपनी
बी-25, सेक्टर-23, नोएडा-201301,
उत्तर प्रदेश

मैसर्स एस के आर ॲण्ड असोशीएट्स
डी-9/177, गोविंद मार्ग, चित्रकूट स्कीम,
अजमेर रोड, जयपुर-302021

मैसर्स जुगल के. पुरी एण्ड एसोसिएटस
के-19(भूमि तल), साउथ एक्सटेंशन पार्ट- II,
नई दिल्ली - 110049

मैसर्स एन.के.जैन एण्ड एसोसिएटस
2डी, ओसीएस अपार्टमेंट, मयूर विहार, फेज- I,
दिल्ली-110091

मैसर्स एस.पी. भट्टाचार्य एंड कंपनी
ए-202, केवी वसुंधरा, वीआईपी रोड,
कोलकाता - 700052

मैसर्स मुसिब एंड कंपनी
ए-1/364, जनकपुरी,
नई दिल्ली - 110058

सचिवालयीन लेखापरीक्षक

मैसर्स पी.पी.अग्रवाल एण्ड कंपनी
सी-5/64, ईस्ट ऑफ कैलाश,
नई दिल्ली - 110065

आंतरिक लेखापरीक्षक

श्री विजय कुमार, कार्यपालक निदेशक (वित्त)

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
बैंक ऑफ इंडिया
एक्सिस बैंक
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
एचडीएफसी बैंक
इंडसइंड बैंक
बैंक ऑफ बडौदा
डॅश बैंक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
कोटक महिन्द्रा बैंक
आरबीएल बैंक

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

इक्विटी शेयरों तथा कर मुक्त बॉण्ड हेतु :
मैसर्स कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड,
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट 31-32, गाचीबाउली,
फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, ननाकरमगुडा,
हैदराबाद- 500 032
दूरभाष नं.: +91 40 67161500, 67162222
ई-मेल : einward.ris@karvy.com
वेबसाइट : www.karvycomputershare.com

अन्य बांड हेतु:
मैसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्रा.) लिमिटेड.
बी-25/1, प्रथम तल
ओखला फेज - II
नई दिल्ली - 110020
दूरभाष सं. 011-26387320
ई-मेल : info@rcmcdelhi.com

मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी

श्री अनुज कपूर, प्रमुख (वित्त)

प्रतिभूतियां सूचीबद्ध होना

शेयर और कर मुक्त बांड :
बीएसई लिमिटेड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

निजी स्थापन पर जारी अन्य बांड (थोक ऋण बाजार खंड के अंतर्गत):
'वी' सीरीज़ बाण्ड - बीएसई लिमिटेड
अन्य सभी बाण्ड - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

डिपोसिट्री

नेशनल सिक्योरिटीज डिपोसिट्री लिमिटेड
सेन्ट्रल डिपोसिट्री सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड

डिबेंचर ट्रस्टी

7.70 प्रतिशत ओ सीरीज़ बाण्ड	**एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लि.** दूसरा तल, रेड फोर्ट कैपिटल पार्सवनाथ टावर, भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्किट, नई दिल्ली - 100001 टेलीफोन : +91 11 47396656 ई-मेल : debenturetrustee@axistrustee.com
9 प्रतिशत पी सीरीज़, 9.25 प्रतिशत क्यू सीरीज़, कर मुक्त बाण्ड एनएचपीसी 2013 (सीरीज़ 1ए, 1बी, 2ए, 2बी, 3ए और 3बी) और 8.49 प्रतिशत एस1, 8.54 प्रतिशत एस2 सीरीज़, 8.50 टी सीरीज़ बाण्ड और 6.84 वी सीरीज़ बाण्ड	**आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.** एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17, आर, कमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट, मुंबई - 400001 टेलीफोन : +91 22 40807000 ई-मेल : itsl@idbitrustee.com
8.70 प्रतिशत आर1, 8.85 प्रतिशत आर 2 और 8.78 प्रतिशत आर3 सीरीज़, 8.24 यू सीरीज़, 8.17 यू 1 सीरीज़ बाण्ड	**एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि.** एपीजे हाउस, 6ठां तल, 3, दिनशा वाचा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-400020 टेलीफोन: +91 22 43025553 ई-मेल : helpdesk@sbicaptrustee.com

महत्वपूर्ण वित्तीय डाटा का डाइजेस्ट (एकल लेखा)

(करोड़ रूपए में)

	वित्तीय	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
क	ऊर्जा की बिक्री	7,139.46	7,265.71	6,736.64	5,335.11	5,049.13
ख	अन्य प्रचालन आय और संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों से राजस्व	131.71	87.29	65.61	201.93	257.51
ग	अन्य आय(असाधारण मदों सहित)	1,458.67	992.07	861.33	1,456.95	1,232.79
घ	**कुल आय (ए)+(बी)+(सी)**	**8,729.84**	**8,345.07**	**7,663.58**	**6,993.99**	**6,539.43**
ङ	उत्पादन एवं अन्य व्यय	1,932.69	2,125.94	1,604.49	2,119.10	1,095.22
च	कर्मचारी लाभ व्यय	1,574.92	1,158.36	1,149.23	1,058.67	887.41
छ	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	1,388.40	1,359.07	1,425.87	1,210.76	969.29
ज	वित्त लागत	1,073.22	1,072.10	1,179.77	1,022.40	385.38
झ	**कर और दर विनियमित आय से पूर्व लाभ**	**2,760.61**	**2,629.60**	**2,304.22**	**1,583.06**	**3,202.13**
ञ	दर विनियमित आय/व्यय	713.99	550.90	521.95	-	-
ट	**कर पूर्व लाभ (आई)+(जे)**	**3,474.60**	**3,180.50**	**2,826.17**	**1,583.06**	**3,202.13**
ठ	आयकर व्यय	679.01	750.61	701.70	604.27	853.91
ड	**कर उपरान्त लाभ (के)-(एल)**	**2,795.59**	**2,429.89**	**2,124.47**	**978.79**	**2,348.22**
ढ	**अन्य व्यापक आय**	**7.67**	**3.24**	**-**	**-**	**-**
ण	**कुल व्यापक आय (एम) + (एन)**	**2,803.26**	**2,433.13**	**2,124.47**	**978.79**	**2,348.22**
त	प्राधिकृत शेयर पूंजी	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
थ	इक्विटी चुकता शेयर पूंजी	10,259.32	11,070.67	11,070.67	11,070.67	12,300.74
द	आरक्षित एवं अधिशेष/अन्य इक्विटी	16,682.81	18,690.48	17,215.72	14,996.98	15,539.76
ध	दीर्घावधि/गैर-वर्तमान ऋण	17,245.64	18,181.08	18,171.03	18,580.52	17,417.52
न	अन्य दीर्घावधि देयताएं और दीर्घावधि प्रावधान	1,985.03	1,829.95	2,224.12	2,420.51	2,427.61
प	विलंबित कर देयताएं	938.49	861.93	810.44	766.67	460.69
फ	निवल मूर्त तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	20,977.21	21,303.90	22,695.16	24,079.54	18,039.96
ब	चालू पूंजीगत कार्य	17,350.13	16,578.71	16,054.72	14,657.13	19,709.04
भ	निवेश (गैर-वर्तमान)	2,100.32	1,683.01	1,977.75	2,227.02	2,400.61
म	अन्य दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम और अन्य गैर चालू आस्तियां	3,424.21	3,645.30	1,978.10	1,986.06	2,183.11
य	नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	2,904.32	2,181.28	1,630.39	-	-
कक	कार्यशील पूंजी	355.10	5,241.91	5,155.86	4,885.60	5,813.60
कख	**सकल पूंजी नियोजित (फ)+(ब)+(भ) +(म) + (य)+ (कक)**	**47,111.29**	**50,634.11**	**49,491.98**	**47,835.35**	**48,146.32**
कग	**निवल मूल्य (थ)+(द)**	**26,942.13**	**29,761.15**	**28,286.39**	**26,067.65**	**27,840.50**
कघ	**अदा किया गया लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित)**	**2,524.13**	**1,461.33**	**553.55**	**738.04**	**861.05**

	अनुपात	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ((ज)+(ट)/(कख)	9.65%	8.40%	8.09%	5.45%	7.45%
	निवल मूल्य पर प्रतिफल (ड)/(कग)	10.38%	8.16%	7.51%	3.75%	8.43%
	ऊर्जा की निवल बिक्री पर निवल लाभ (ड)/(क)	39.16%	33.44%	31.54%	18.35%	46.51%
	प्रति शेयर बही मूल्य	26.26	26.88	25.55	23.55	22.63
	प्रति शेयर अर्जन	2.53	2.19	1.92	0.82	1.91
	प्रति शेयर लाभांश (अंतरिम + वर्ष हेतु प्रस्तावित)	1.80	1.50	0.60	0.30	0.60
	ऋण तथा इक्विटी अनुपात	0.70	0.67	0.64	0.71	0.67
	वर्तमान अनुपात	1.07	2.10	2.08	1.80	1.91

	प्रचालन कार्य-निष्पादन	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
	उत्पादन (एमयू)	23,275.00	23,683.00	22,038.00	18,386.00	18,923.00
	क्षमता (मेगावाट में)	5,171.20	5,041.20	4,961.20	4,831.20	4,186.20
	संयंत्र उपलब्धता कारक (%)	83.41	81.60	77.30	77.70	85.30
	जनशक्ति (सं.)	8,009.00	8654.00	9211.00	9838.00	10410.00

टिप्पणी 1 : वित्तीय वर्ष 2014-15 तक आंकड़े आईजीएएपी के अनरूप है और वित्तीय वर्ष 2015-16 से आंकड़े भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप है।

टिप्पणी 2 : क्रम सं. ''कघ'' पर लाभांश वर्ष के दौरान अदा किया गया वास्तविक लाभांश है।

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद से 14 सितंबर, 2017 को राजभाषा कार्यान्वयन में सराहनीय कार्य करने के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए तत्कालीन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (परियोजनाएं) श्री रतीश कुमार। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर एवं माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रीजीजू उपस्थित थे।

मंडी, हिमाचल प्रदेश में 18 अक्तूबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एनएचपीसी के पार्बती- III पावर स्टेशन (520 मेगावाट) को राष्ट्र को समर्पित करते हुए।

एनएचपीसी लिमिटेड

अध्यक्षीय वक्तव्य

अध्यक्षीय वक्तव्य

प्रिय शेयरधारको,

निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी की 41वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता करना मेरे लिए बड़े सम्मान व सौभाग्य की बात है। मैं इस विशेष अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस बैठक में आपकी उपस्थिति और आपकी कंपनी की सफलता के लिए आवश्यक आपके निरंतर सहयोग व सद्भाव के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों (समेकित वित्तीय विवरणों सहित) और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पहले ही आपको भेजी जा चुकी हैं। आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा हुआ मान लेता हूं।

पिछले वित्त वर्ष में हमारी कंपनी का निष्पादन हमारे उद्योग जगत में अवसरों और उसके सामने आ रही चुनौतियों को दर्शाता है। दुनिया भर के व्यवसायों पर जलवायु परिवर्तन का अभूतपूर्व प्रभाव से रोमांचक और नए व्यावहारिक अवसर सृजित हो रहे हैं।

आर्थिक मोर्चों पर देश और आपकी कंपनी के लिए वर्ष 2016-17 महत्वपूर्ण रहा है। वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने स्टॉक एक्सचेंज फ्रेमवर्क के जरिए ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के माध्यम से कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 11.45% विनिवेश किया है। आपकी कंपनी ने मार्च, 2017 में कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 7.33% अर्थात् 81,13,47,977 इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद भी की है।

जलविद्युत क्षेत्र में संभावनाएं

हमारा देश विशाल जलविद्युत क्षमता से संपन्न है, जिसके अधिकांश हिस्से का अभी दोहन किया जाना शेष है। लगभग 1,00,000 मेगावाट की विशाल क्षमता जिसका अभी तक दोहन नहीं किया गया है, को ध्यान में रखते हुए जलविद्युत का भविष्य बहुत ही आशाजनक है। इसके अतिरिक्त सरकार ने वर्ष 2030 तक देश की 40% गैर-जीवाश्म स्रोत्रों से बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है। यह आपकी कंपनी को आगे बढ़ने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

भारत सरकार देश में जलविद्युत विकास में तेजी लाने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है। जलविद्युत विकास निधि को स्थापित करने की भी योजना है, जिससे बढ़ती लागत का सामना कर रही रूकी हुई जलविद्युत परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी आएगी। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि नवीकरणीय श्रेणी के अंतर्गत सभी जलविद्युत यूनिटों को लाने जैसे कुछ सुधार होंगे जिससे जलविद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय परियोजनाओं के सभी प्रोत्साहन प्राप्त होने लगेंगे।

अब मैं पिछले वर्ष के दौरान कंपनी के निष्पादन को संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

कंपनी के निष्पादन से संबंधित मुख्य बातें

वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी ने पावर स्टेशनों का कुशलतापूर्वक संचालन, परियोजनाओं का कार्यान्वयन और प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढ़ांचा व प्रतिभा में निवेश करते हुए मिशन संचालित रणनीतियों का कार्यान्वयन करना जारी रखा है जोकि आपकी कंपनी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

पिछले वर्ष के दौरान आपकी कंपनी का कुल विद्युत उत्पादन 23.275 मिलियन यूनिट था। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी के निष्पादन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं : -

- गत वर्ष कंपनी का लाभ 2433.13 करोड़ था जोकि इस वर्ष बढ़ कर 2803.26 करोड़ रूपए हो गया है।

- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से किए गए समझौता ज्ञापन के तहत ''बहुत अच्छा'' के लिए 81.12% निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 83.41% संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) प्राप्त किया गया है।
- बिक्री उपलब्धि 7,676.27 करोड़ रूपए रही है।
- तीस्ता लो डैम-IV परियोजना (40 मे.वा. x 4) जोकि पश्चिम बंगाल में स्थित है, की यूनिट-III और यूनिट-IV (40 मे.वा. प्रत्येक) को कमीशन करके आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संस्थापित क्षमता में 80 मेगावाट की बढ़ोत्तरी की है।
- जैसलमेर, राजस्थान में 50 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना को कमीशन किया गया।
- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार समग्र निष्पादन के लिए आपकी कंपनी ने ''बहुत अच्छा'' रेंटिंग प्राप्त किया है।

लाभांश

आपकी कंपनी के प्रबंधन ने शेयरधारकों को अधिकतम रिटर्न देने के लिए सदैव अतिरिक्त कदम उठाए हैं। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष 2016-17 के लिए 1.80 रूपए प्रति इक्विटी शेयर (लाभांश कर छोड़कर) के लाभांश की सिफारिश की है। इस लाभांश राशि में जनवरी में भुगतान किए गए 1.70 रूपए प्रति इक्विटी शेयर का आंतरिम लाभांश भी शामिल है। यदि यह अनुमोदित हो जाता है, तो कुल लाभांश का भुगतान 1984.61 करोड़ रूपए किया जाएगा जो कर पश्चात लाभ का 71% है।

कारपोरेट अभिशासन

आपकी कंपनी प्रचलित विनियामक फ्रेमवर्क में विभिन्न हित धारकों के स्थायी मूल्य सृजन के लिए सभी लागू विधि का अनुपालन करते हुए नैतिक और उत्तरदायी तरीके से कारोबार का प्रबंधन करती है। कंपनी कारपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में प्रचालित उत्कृष्ट पद्धतियों को अपनाने में भी विश्वास रखती है। सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) की कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों का व्यापक रूप से अनुपालन किया गया है। एसोचैम ने आपकी कंपनी को द्वितीय कारपोरेट अभिशासन उत्कृष्ठता पुरस्कार, 2015-16 के अंतर्गत सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। कारपोरेट अभिशासन पर एक अलग खण्ड निदेशकों की रिपोर्ट का एक भाग है।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता

उत्तरदायी कारपोरेट सिटीजन होने के नाते आपकी कंपनी अपने प्रचालनों और गतिविधियों से प्रभावित हुए लोगों और अपने शेयरधारकों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी मुद्दों का समुचित निपटान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा शिक्षा, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी व अनुसंधान, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत अभियान आदि के क्षेत्र में कई गतिविधियां आयोजित की थीं। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता पर 75.82 करोड़ रूपए की राशि खर्च की गई है और वर्ष 2017-18 के दौरान सीएसआर व एसडी गतिविधियों के लिए 59.52 करोड़ रूपए की राशि खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कंपनी की वृद्धि के लिए पहल

आपकी कंपनी देश की दोहन न की गई जलविद्युत क्षमता का उपयोग और इसका दोहन करने में प्रमुख भूमिका निभाने में सक्षम है। बदलते कारोबारी महौल में किसी भी कारोबार के विकास और उसमें स्थिरता बनाए रखने के लिए विविधीकरण महत्वपूर्ण है। साथ ही, अपनी प्रचालन सीमा को विस्तारित करने के लिए आपकी कंपनी थर्मल, सौर, पवन, पम्प स्टोरेज स्कीमों (पीएसपी) जैसे अन्य ऊर्जा क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों को भी तलाश रही है।

वर्तमान में, 3130 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की तीन परियोजनाएं नामतः किशनगंगा जलविद्युत परियोजना, पार्बती-II जलविद्युत परियोजना और सुबानसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा 4,995 मेगावाट की नियोजित क्षमता की पांच भावी जलविद्युत परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रियाधीन है।

मुझे यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि पार्बती जलविद्युत परियोजना चरण-II की यूनिट-I को जुलाई, 2017 में पार्ट लोड पर सफलतापूर्वक सिंक्रोनाइज किया गया है। आशा है कि यह परियोजना दिसंबर, 2018 तक कमीशन होगी। किशनगंगा जलविद्युत परियोजना (330 मेगावाट) की पहली यूनिट चालू वर्ष के दौरान कमीशन होने की संभावना है। सुबानसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना में निर्माण संबंधी गतिविधियों को पुनः शुरू करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

आपकी कंपनी संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 32 मेगावाट की एक सौर ऊर्जा परियोजना और जम्मू व कश्मीर में तीन जलविद्युत परियोजनाओं नामतः पकल दुल, कीरू व क्वार (2164 मेगावाट) व मणिपुर में 66 मेगावाट की लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के विकास की प्रक्रिया में लगी हुई है। इसके अलावा, संयुक्त उद्यम के माध्यम से भूटान में चमखारचू-I परियोजना (770 मेगावाट) के विकास के लिए चर्चा चल रही है।

आभार

मैं सौभाग्यशाली हूं कि एनएचपीसी के प्रयासों में आपके निरंतर समर्थन और दृढ़ विश्वास रखने के लिए आपको धन्यवाद देने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है।

मैं, राष्ट्र की सेवा में एनएचपीसी को सहयोग देने के लिए केंद्र सरकार, विद्युत मंत्रालय, राज्य सरकारों, संबंधित प्राधिकारिकों और संघ सरकार व राज्य सरकार की एजेंसियों का आभार व्यक्त करता हूं।

मैं बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ-साथ उन सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वर्ष के दौरान अपना बहुमूल्य योगदान एवं सहयोग दिया है।

एक समर्पित और प्रतिभाशाली कार्यबल एनएचपीसी का आधार स्तंभ है। शेयरधारकों के लिए धन सृजन करने और कंपनी का उज्ज्वल भविष्य बनाए रखने के लिए मैं सभी कार्मिकों को धन्यवाद देता हूं।

मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी हमें आपका इसी तरह से लगातार सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा।

जय हिंद!

भवदीय,

(बलराज जोशी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 07449990

दिनांक : 27.09.2017
स्थान : फरीदाबाद

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मंडी, हिमाचल प्रदेश में 18 अक्तूबर 2016 को एनएचपीसी के पार्बती- III पावर स्टेशन (520 मेगावाट) को राष्ट्र को समर्पित करने के पश्चात।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल 2017 को एनएचपीसी और एनटीपीसी द्वारा औद्योगिक भागीदारों के रूप में स्थापित किए जा रहे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, बिलासपुर के शिलान्यास के पश्चात ।

एनएचपीसी लिमिटेड

निदेशकों की प्रोफाइल

निदेशकों की प्रोफाइल

11 अगस्त 2017 को

श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं) और अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डीआईएन 06852735

श्री रतीश कुमार (56 वर्ष) जी.बी.पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर (उत्तराखंड) से इलेक्ट्रीकल अभियांत्रिकी में बी.टेक हैं। श्री रतीश कुमार ने अपना पेशेवर करियर अक्तूबर, 1982 में एनएचपीसी लिमिटेड में बैरास्यूल परियोजना में एक प्रशिक्षु अभियंता के रूप में प्रारंभ किया।

श्री रतीश कुमार के पास एनएचपीसी में 34 वर्ष से अधिक का अनुभव है जहां वे उत्तरदायित्व, नैतिकता तथा समर्पण की अत्यधिक समझ के साथ पेशेवर क्रम में ऊपरी सोपान पर पहुंचे। निदेशक (परियोजनाएं) के अपने वर्तमान कार्य में श्री रतीश कुमार सभी एनएचपीसी परियोजनाओं के प्रभारी हैं जो निर्माणाधीन तथा निर्माण-पूर्व चरणों में हैं। इसमें हाइड्रो के साथ ही सौर एवं पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं भी शामिल हैं। वह कंपनी द्वारा लिए जा रहे संयुक्त उद्यमों तथा परामर्शी कार्यों हेतु भी उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख कार्य अर्थात संविदाएं (ई एण्ड एम), परियोजना निगरानी और समर्थन समूह, लागत अभियांत्रिकी, व्यापार विकास और डिजाइन (ई एण्ड एम) भी उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

एनएचपीसी बोर्ड में शामिल होने से पूर्व श्री रतीश कुमार ने विभिन्न क्षमताओं में एनएचपीसी में कार्य किया जिसमें कार्यपालक निदेशक (डिजाइन-ई एण्ड एम) भी शामिल है। उनके प्रमुख योगदानों में सलाल विद्युत स्टेशन चरण-II का निर्माण तथा स्थापन, एनएचपीसी की प्रमुख परियोजनाओं को चालू किया जाना, धौलीगंगा और उड़ी-2 विद्युत स्टेशनों को बहाल करना, टीएलडीपी-IV को पहले चालू किया जाना, वर्ष 2016 में किशनगंगा जल विद्युत परियोजना के बांध का निर्माण शामिल है। इसके अतिरिक्त आगे, परियोजनाओं यथा पार्बती-II, पार्बती-III, सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना, तीस्ता-V, सेवा-II, चमेरा-III, धौलीगंगा आदि परियोजनाएं आदि के ई एण्ड एम पैकेज की डिजाइन एवं अभियांत्रिकी और जल विद्युत संयंत्रों का ओ एण्ड एम शामिल हैं। वे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के साथ भी संबद्ध थे जिसमें म्यानमार में तमांथी और शेवजे, भूटान में कूरी-गोंगरी, चमखारचू तथा मंगडेचू की डीपीआर तैयार करना शामिल है। श्री रतीश कुमार 24.03.2014 से 08.02.2016 तक नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में एक नामित निदेशक रहे हैं।

श्री रतीश कुमार की जल विद्युत संयंत्रों के निर्माण तथा स्थापन, ई एण्ड एम उपकरणों के डिजाइन तथा अभियांत्रिकी, विद्युत संभाव्यता तथा ईष्टतम अध्ययनों, विन्यास अभियांत्रिकी, सीईए से टीईसी प्राप्त करने के लिए परियोजना मूल्यांकन तथा लागत लाभ विश्लेषण सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर उत्कृष्ट पकड़ है। वह कई राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशनों, जीआईएस 2013, बस डक्ट 2013 और ट्रांसफार्मर 2013 संबंधी सीबीआईपी मैनुअल में एक विशेषज्ञ सदस्य भी हैं।

श्री रतीश कुमार ने 6 जनवरी, 2016 से एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया। श्री रतीश कुमार 1 अगस्त, 2017 से कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार भी ग्रहण किए हुए हैं।

श्री बलराज जोशी, निदेशक (तकनीकी)

डीआईएन 07449990

श्री बलराज जोशी (57 वर्ष) गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, कराड, महाराष्ट्र से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री धारक हैं। वे जल विद्युत विकास और आयोजना में प्रतिष्ठित नार्वेजियन टेकनीकल इन्स्टीट्यूट, ट्रंडीहम, नार्वे से नौराड छात्रवृत्ति के अंतर्गत स्नातकोत्तर अर्हता धारक हैं। श्री जोशी ने एनएचपीसी में अक्तूबर, 1982 में सलाल परियोजना (जम्मू एवं कश्मीर) में परिवीक्षार्थी कार्यपालक (अभियांत्रिकी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था।

34 वर्ष से अधिक के अपने प्रतिष्ठित करियर के दौरान श्री जोशी ने नई ऊंचाइयों को छुआ और कई परियोजनाओं नामतः सलाल, दुलहस्ती, कुरीचु परियोजना (भूटान), तीस्ता-V, तीस्ता लो डैम-III तथा IV, पार्बती-III, चूटक, चमेरा-III, पार्बती-II आदि में कार्य करते हुए एनएचपीसी के विकास में योगदान दिया और एनएचपीसी के कार्यपालक निदेशक (डिजाइन एवं अभियांत्रिकी) के पद तक पहुंचे। वह कई परियोजनाओं हेतु एनएचपीसी के परामर्शी कार्यों से भी जुड़े रहे हैं जैसे म्यानमार में 1200 मेगावाट तमांथी और 880 मेगावाट शेवेजे, भूटान में 720 मेगावाट मंगडेचू और मैसर्स पश्चिम बंगाल विकास निगम की बाकरेश्वर तापीय विद्युत परियोजना आदि। उन्होंने किशनगंगा परियोजना हेतु हेग में मध्यस्थम कार्यवाही की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में एनएचपीसी का प्रतिनिधित्व भी किया। प्रतिबद्धता के एक असाधारण प्रदर्शन में श्री जोशी ने धौलीगंगा पावर स्टेशन के बाढ़ के पश्चात बंद हो जाने के बाद इसे पुनः चालू करने के अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया।

श्री बलराज जोशी ने 01 अप्रैल, 2016 से एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

निदेशकों की प्रोफाइल

श्री निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक)

डीआईएन संख्या : 05332456

श्री निखिल कुमार जैन (54 वर्ष) आईआईटी रूड़की से औद्योगिक इंजीनियरिंग मे स्नातक डिग्री तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्रीधारक हैं।

एनएचपीसी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री जैन एअर इंडिया लिमिटेड में निदेशक (कार्मिक) के पद पर कार्यरत थे। श्री जैन का सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में लगभग तीन दशक से अधिक का व्यापक तथा प्रचुर अनुभव है। उन्होंने भारतीय रेलवे में वर्ष 1988 में भारतीय रेल कार्मिक सेवा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने रेलवे में विभिन्न स्तरों पर कार्य किया है तथा वह आईआरसीटीसी में समूह महाप्रबंधक (मानव संसाधन) और रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक (संयुक्त सचिव) के पद पर भी रहे हैं।

श्री निखिल कुमार जैन ने 7 फरवरी, 2017 को एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त)

डीआईएन संख्या : 02889021

श्री महेश कुमार मित्तल (56 वर्ष) की एक विशिष्ट अकादमिक पृष्ठभूमि रही है। उन्होंने एम.कॉम (स्वर्ण पदक विजेता) और वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर (प्रीवियस) की डिग्री प्राप्त की है। वे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाऊंटेंट ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रटरीज़ ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य हैं।

श्री मित्तल के पास वित्त, लेखा, कराधान और विनियामक मामलों के क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का समृध्द अनुभव है। एनएचपीसी बोर्ड में शामिल होने से पूर्व श्री मित्तल भारतीय डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में महाप्रबंधक (वित्त) के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक (वित्त), हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड में निदेशक (वित) और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में मुख्य लेखाधिकारी तथा कंपनी सचिव के रूप में भी कार्य किया है।

श्री मित्तल ने 1 मार्च, 2017 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

श्रीमती अर्चना अग्रवाल, सरकारी नामित निदेशक

डीआईएन संख्या : 02105906

श्रीमती अर्चना अग्रवाल (50 वर्ष) संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय को 6 मार्च, 2016 से एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में एक नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्रीमती अग्रवाल 1990 बैच की उत्तर प्रदेश काडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वह राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री, वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री और इतिहास, लोक प्रशासन तथा राजनीति शास्त्र में स्नातक डिग्री धारक हैं। इसके अतिरिक्त वह कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में लोक प्रशासन तथा प्रबंधन के विविध क्षेत्रों में भलीभांति प्रशिक्षित हैं।

आईएएस अधिकारी के रूप में 27 वर्षों के अपने प्रतिष्ठित करियर के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- प्रधान सचिव - जीएडी तथा डेयरी विकास
- सचिव - अवसंरचनात्मक ढांचा और निवेश, उद्योग, कराधान, समन्वय
- आयुक्त - परिवहन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा और औषधि, दूध आयुक्त
- प्रबंध निदेशक - पिकअप, उद्योग बंधु, पीसीडीएफ
- परियोजना समन्वयक - विविधीकृत कृषि सपोर्ट परियोजना (विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित)
- विशेष सचिव - औद्योगिक विकास तथा शिक्षा विभाग
- उपाध्यक्ष - वाराणसी विकास प्राधिकरण, फैजाबाद - अयोध्या विकास प्राधिकरण
- जिलाधीश - सुल्तानपुर, फैजाबाद
- मुख्य विकास अधिकारी - फैजाबाद, आगरा, मैनपुरी

निदेशकों की प्रोफाइल

श्रीमती कृष्णा त्यागी, सरकारी नामित निदेशक

डीआईएन संख्या : 07230978

श्रीमती कृष्णा त्यागी (55 वर्ष) बर्मिंघम विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंग्डम से लोक नीति पर मुख्य रूप से केन्द्रित लोक सेवा में एमबीए डिग्रीधारक और दिल्ली विश्वविद्यालय से साहित्य में स्नातकोत्तर हैं। श्रीमती त्यागी ने अपना करियर 17 दिसम्बर, 1987 को भारतीय सिविल लेखा सेवा में एक परिवीक्षार्थी के रूप में प्रारम्भ किया और उनके पास लेखापरीक्षा, वित्त, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर, कार्मिक प्रबंधन में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। भारतीय सिविल लेखा सेवा की अधिकारी होने के नाते वित्तीय प्रबंधन उनका मजबूत क्षेत्र है। श्रीमती त्यागी के पास नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय, मानव संसाधन और विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास तथा अन्य मंत्रालयों में भी वरिष्ठ स्तर पर कार्य करने का विविध अनुभव है। श्रीमती त्यागी फरवरी, 2017 से संयुक्त लेखा महानियंत्रक (लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली), ''सामरिक आयोजना'', ''नीति और समन्वय'', परामर्श, ''प्रलेखन, संप्रेषण और परिवर्तन प्रबंधन'' और ''प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण'' का अतिरिक्त प्रभार भी धारित किए हुए हैं। श्रीमती त्यागी आंतरिक लेखापरीक्षक संस्थान (आईआईए) की सक्रिय सदस्य भी हैं।

वर्तमान में वह विद्युत मंत्रालय, दिल्ली में संयुक्त सचिव के समतुल्य स्तर पर मुख्य नियंत्रक (लेखा) के रूप में कार्य कर रही हैं।
श्रीमती कृष्णा त्यागी ने 8 जुलाई, 2015 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

सीए सत्य प्रकाश मंगल, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन: 01052952

सीए सत्य प्रकाश मंगल (57 वर्ष) प्रैक्टिस कर रहे चार्टेड अकाउंटेंट और मैसर्स सत्य प्रकाश मंगल एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंटस, नई दिल्ली के संस्थापक भागीदार हैं। उनके पास कराधान तथा लेखापरीक्षा में व्यापक अनुभव है। उनकी विशेषज्ञता वित्तीय अभियांत्रिकी तथा वित्तीय पुनर्संरचना तथा परियोजना के पुनरूध्दार हेतु ईष्टतम मार्ग निर्धारित करने में है। वह भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज एसोसिएशन, हैदराबाद के आजीवन सदस्य भी हैं।

श्री सत्य प्रकाश मंगल ने पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का एक उपक्रम) और यूको बैंक (भारत सरकार का एक उपक्रम) में निदेशक के रूप में कार्य किया है। वह बैंकिंग उद्योग हेतु ''एएएस-आस (आशा)'' (**अग्रिम चेतावनी प्रणाली**) परियोजना पर कार्य कर रहे हैं जो एनपीए को रोकने हेतु निवारात्मक उपाय मुहैया करवाती है।

इसके अतिरिक्त, उनके पास आश्वासन तथा अनुपालन, सेबी अनुपालन और जोखिम प्रबंधन का व्यापक ज्ञान है। उन्होंने प्रबंधन लेखापरीक्षा के पाठयक्रम को पूर्ण किया है जिसमें वित्त, मानव संसाधन, विपणन, सूचना प्रणालियों तथा प्रौद्योगिकी और जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रबंधन लेखापरीक्षा शामिल होती है। उनके पास कारपोरेट अभिशासन और सीएसआर (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के श्रेष्ठ व्यवहारों संबंधी मार्गदर्शन की योग्यताएं हैं। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स से कारपोरेट अभिशासन पर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में भी अध्ययनरत है।

श्री सत्य प्रकाश मंगल, वृक्ष वंदना (एक ऐसी परियोजना जो 100,000 वृक्षों के पौधरोपण तथा उनकी देख-रेख के माध्यम से मथुरा जिले (उत्तर प्रदेश) के गोवर्धन क्षेत्र में हरित क्रांति तथा पर्यावरण के बचाव के उद्देश्य से चलाई जा रही है) के परियोजना समन्वयक हैं। उन्हें पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कृष्ण सर्किट की राष्ट्रीय समिति (स्वदेश दर्शन) के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। वह **गोवर्धन (मथुरा) और काशी (वाराणसी) के एकीकृत पारिस्थितिकीय विकास** में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री मंगल **'भारतीय आरोग्य फाउंडेशन'** (जो भारत के 43000 से अधिक जनजातीय तथा पिछड़े गांवों में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम चला रहा है) के संस्थापक न्यासी, **'महाराजा अग्रसेन नेचुरोपैथी एवं योग साधना अनुसंधान ट्रस्ट'** (बालाजी निरोग धाम दिल्ली) के न्यासी भी हैं। **जीवना** के सचिव के रूप में वह **'व्यवहार खेल सिद्धांत तथा मानव मूल्यों संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला'** के आयोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वर्तमान में वह एनएचडीसी लिमिटेड, रौनक ईपीसी इंटरनेशनल लिमिटेड, एसपीएमसी ग्लोबल एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एडविंग्स रेल एण्ड इफ्रा सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश मंगल ने 26 नवम्बर, 2015 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

निदेशकों की प्रोफाइल

प्रोफेसर अरूण कुमार, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन : 07346292

प्रो. अरूण कुमार (58 वर्ष) आईआईटी, रूड़की से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक, आईआईएससी बंगलुरू से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर और आईआईटी रूड़की से जल विद्युत विकास में पी.एचडी धारक हैं। उन्होंने एनटीएच, ट्रंडेहम (नार्वे) से जल विद्युत विकास में डिप्लोमा अध्ययन किया है। जल विद्युत तथा नदियों और झीलों के पर्यावरणीय प्रबंधन के क्षेत्र में उनका योगदान भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर सुविख्यात है।

प्रो. कुमार के पास जल विद्युत विकास और नदियों तथा झीलों के पर्यावरणीय प्रबंधन के क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने वर्ष 2009-11 के दौरान जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर विशेष रिपोर्ट संबंधी कार्य समूह III के लिए समन्वय अग्रणी रचनाकार के रूप में कार्य किया था। अपने प्रतिष्ठित करियर के दौरान प्रो. कुमार को अपने उत्कृष्ट कार्यों हेतु कई पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त हुए हैं जैसे कि वर्ष 1991 में केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड द्वारा कैश योर आइडिया पुरस्कार, 2001 में आईआईआरडीएसएस, नई दिल्ली से सूर्य पुरस्कार और इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) उत्तराखंड राज्य केन्द्र से एमिनेंट इंजीनियर्स पुरस्कार 2015 मुख्य हैं।

प्रो. कुमार वर्तमान में एएचईसी, आईआईटी रूड़की में प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं और एमएनआरई चेयर प्रोफेसर (नवीकरणीय ऊर्जा) धारित किए हुए हैं। वे 1998 से 2011 तक वैकल्पिक जलीय ऊर्जा केन्द्र (एएचईसी), आईआईटी रूड़की के प्रमुख रहे थे।

प्रो. कुमार ने 26 नवम्बर, 2015 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

प्रो. कनिका टी.भाल, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन: 06944916

प्रो. कनिका टी. भाल (52 वर्ष) आईआईटी, दिल्ली में प्रबंधन अध्ययन विभाग की मोदी चेयर प्रोफेसर हैं। आईआईटी, कानपुर से पी.एचडी धारक और स्लोअन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एक विजिटिंग फेलो के साथ ही वह व्यवहार विज्ञान और विशेष रूप से नेतृत्व की विशेषज्ञ हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों तथा सम्मेलनों में उनके कई लेख प्रकाशित हुए हैं और वे कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों के संपादक मंडल में भी शामिल हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से वित्त पोषित (फोरधम यूनिवर्सिटी तथा वहारटन बिजनेस स्कूल) परियोजनाओं हेतु प्रायोजित अनुसंधान कार्य किया है। विभिन्न संगठनों जैसे कि भारत के 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग, भारत के प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग, डीआरडीओ, यूपीएससी, डीजीएस एण्ड डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एनआईसीडी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के लिए परामर्शदाता होने के अतिरिक्त उन्हें सरकारी समितियों में एक विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया जाता है और वे एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, अमेरिका, सोसाइटी फॉर इंडस्ट्रियल आर्गनाइजेशन एण्ड साइकोलॉजी तथा ग्लोबल इन्स्टीट्यूट ऑफ फ्लेक्सीबल सिस्टम्स मैनेजमेंट की सदस्या भी हैं।

उन्हें हेडलाइन्स टुडे द्वारा 2013 में प्रबंधन में श्रेष्ठ प्रोफेसर, आईईएस ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन, भोपाल द्वारा 2009 में प्रबंधन शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य हेतु डा. हरी सिंह गौड़ पुरस्कार, आईआईटी, दिल्ली द्वारा शिक्षण में उत्कृष्टता पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। प्रो.भाल को शवाने इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दक्षिण अफ्रीका द्वारा माननीय प्रोफेसर का सम्मान प्रदान किया गया। मई, 2017 में उन्होंने शवाने इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दक्षिण अफ्रीका में नीति-शास्त्र, व्यापार और समाज पर प्रतिष्ठित उप कुलपति का व्याख्यान दिया था। उन्हें अगस्त से दिसम्बर 2017 तक साइमन फ्रेसर यूनिवर्सिटी, कनाडा में आईसीसीआर चेयर प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त किया गया था।

प्रो. भाल ने 26 नवम्बर, 2015 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

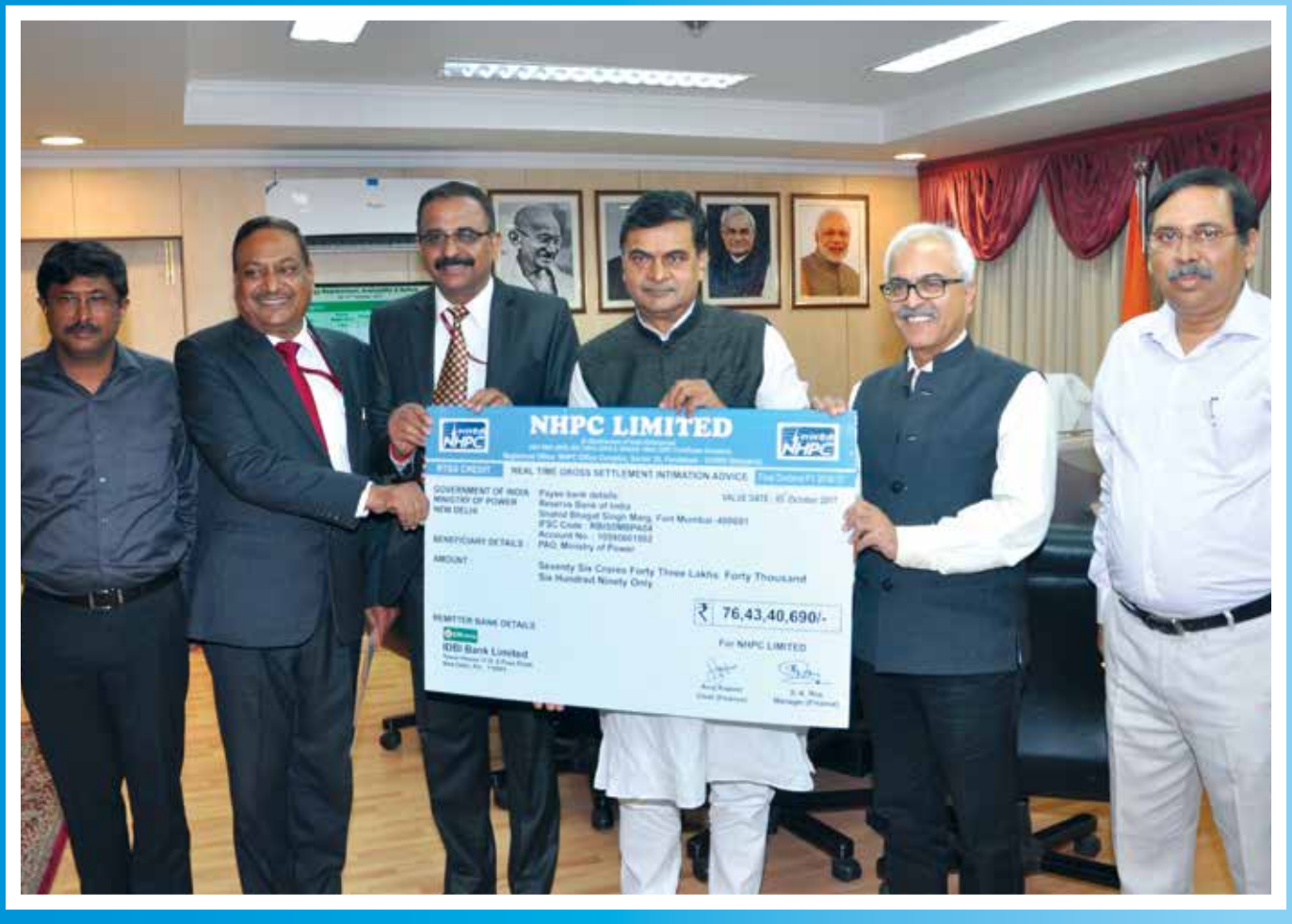

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री बलराज जोशी 12 अक्तूबर 2017 को श्री आर. के. सिंह, माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विद्युत एवं नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, भारत सरकार को 76.43 करोड़ रूपए लाभांश भुगतान बैंक एड्वाइस सौंपते हुए।
इस अवसर पर उपस्थित : श्री अजय कुमार भल्ला, सचिव (विद्युत), भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं), श्री एन. के. जैन, निदेशक (कार्मिक) और श्री डी. चक्रवर्ती, महाप्रबंधक (वित्त)।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में माननीय तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विद्युत, कोयला, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा तथा खान श्री पीयूष गोयल से 31 अगस्त 2017 को एनटीपीसी राजभाषा शील्ड और प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एवं तत्कालीन निदेशक (तकनीकी) श्री बलराज जोशी तथा निदेशक (कार्मिक) श्री निखिल कुमार जैन। विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों/ कार्यालयों के बीच उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में एनएचपीसी लिमिटेड को 2016-17 के लिए प्रथम पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

एनएचपीसी लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपका निदेशक मंडल कंपनी के व्यापार तथा प्रचालनों पर 41वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, सचिवालयीन लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा को सहर्ष प्रस्तुत करते हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 आपकी कंपनी हेतु उपलब्धियों का एक और वर्ष था। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने जैसलमेर, राजस्थान में 50 मेगावाट के अपने पहले पवन विद्युत संयंत्र को और टीएलडीपी-IV पावर स्टेशन (4 x 40 मेगावाट की 40 मेगावाट प्रत्येक की 2 यूनिटों को चालू करके अपनी क्षमता में 130 मेगावाट की वृद्धि की है। 31 मार्च, 2017 के अनुसार आपकी कंपनी की कुल स्थापित क्षमता बढ़कर 6691 मेगावाट हो गई है (अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों सहित)।

वर्ष 2016-17 हेतु मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

- कुल राजस्व तथा प्रचालनों से राजस्व (निवल) क्रमश: 8729.84 करोड़ रूपये और 7271.17 करोड़ रूपये था। कुल व्यापक आय, निवल कर पश्चात लाभ (पीएटी) और अन्य व्यापक आय क्रमश: 2803.26 करोड़ रूपये, 2795.59 करोड़ रूपये और 7.67 करोड़ रूपये थी।
- पावर स्टेशनों में 23275 एमयू का उत्पादन प्राप्त किया है जिसमें पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर से 18.2 एमयू का उत्पादन और चूटक तथा निम्मो बाजगो पावर स्टेशनों से 326.8 एमयू का मानद उत्पादन शामिल हैं।
- कंपनी ने 2616.60 करोड़ रूपये की कुल राशि से 32.25 रूपये प्रति शेयर के मूल्य पर 81.13 करोड़ इक्विटी शेयरों की पुन: खरीद की है।
- वित्तीय वर्ष के दौरान 83.41 प्रतिशत के समग्र संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) को प्राप्त किया गया था जो 81.6 प्रतिशत के पिछले वर्ष के पीएएफ से अधिक है।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी के समग्र कार्य-निष्पादन को ''बहुत अच्छा'' की श्रेणी में रखा गया है।
- वित्तीय वर्ष 20156-17 के दौरान लाभांश, लाभांश कर, आय कर और संपत्ति कर के माध्यम से भारत सरकार के राजकोष में 3116.08 करोड़ रूपये का नकदी योगदान दिया गया था।
- 31 मार्च, 2017 को कंपनी का बाजार पूंजीकरण 31881.12 करोड़ रूपये है।
- अरूणाचल प्रदेश में निर्माणाधीन तवांग जल विद्युत परियोजना चरण-1 (600 मेगावाट) तथा चरण-II (800 मेगावाट) हेतु बिहार, उत्तराखंड, असम तथा मिजोरम सरकार के साथ विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- सिक्किम में निर्माणाधीन तीस्ता-IV जल विद्युत परियोजना (520 मेगावाट) हेतु बिहार तथा ओडीशा सरकार के साथ विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर।
- जनवरी, 2017 में 1882.02 करोड़ रूपये (1.70 रूपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से) के अब तक के सबसे अधिक अंतरिम लाभांश का भुगतान। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु 0.10 रूपये प्रति इक्विटी शेयर के एक अंतिम लाभांश की सिफारिश की गई है जो शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

पुरस्कार और सम्मान

- डन एंड ब्रेडस्ट्रीट पीएसयू पुरस्कार 2016 में 'श्रेष्ठ मिनीरत्न'।
- भारतीय वाणिज्य संघ द्वारा लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के साथ मिलकर आयोजित छठे पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कारों में वर्ष 2015 हेतु कारपोरेट अभिशासन के लिए 'मिनी रत्न और अन्य श्रेणी' में तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए 'पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार'।
- दूसरे इंडिया हाइड्रो अवार्ड, 2016 में एनर्शिया फाउंडेशन एण्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन एसोसिएशन के तत्वावधान में हाइड्रो पावर फोरम ऑफ इंडिया द्वारा 'श्रेष्ठ जल विद्युत उद्यम पुरस्कार'।
- निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) द्वारा 'कौशल युक्त भारत मिशन' के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विशेष रूप से निर्माण बिरादरी के लिए एक आकर्षक कार्य परिवेश बनाने के लिए अत्यधिक प्रतिबद्धता तथा कर्मशक्ति को दर्शाने हेतु पुरस्कृत।
- आठवें इंडिया प्राइड अवार्डस 2016-17 में सीएसआर/पर्यावरण बचाव तथा संरक्षण में उत्कृष्टता।
- एसोचेम द्वारा आयोजित दूसरे निगमित अभिशासन उत्कृष्टता पुरस्कार 2015-16 में सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी श्रेणी में दूसरा स्थान।
- 11वें वाटर डाइजिस्ट वाटर अवार्ड, वाटर टाइटनस 2016-17 में 'विद्युत उत्पादन में श्रेष्ठ जल प्रबंधन'।
- तीसरे इंडिया रिस्क मैनेजमेंट अवार्ड में 'श्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन व्यवहारों' हेतु पुरस्कृत।
- 'विद्युत उत्पादन - नवीकरणीय' श्रेणी के अंतर्गत डन एण्ड ब्रेडस्ट्रीट इंफ्रा अवार्डस 2016 में विजेता।
- वर्ष 2015-16 हेतु 'क' क्षेत्र में अवस्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मध्य राजभाषा कार्यान्वयन में सराहनीय कार्य हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार।
- भारतीय लागत लेखाकार संस्थान द्वारा लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता हेतु 13वें राष्ट्रीय पुरस्कार - 2015 में सार्वजनिक - विनिर्माण (बड़े) की श्रेणी के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार।
- इन्स्टीट्यूट ऑफ डाइरेक्टर्स द्वारा 'गोल्डन पीकॉक बिज़नेस एक्सीलेंस एवार्ड 2016'।

1. वित्तीय निष्पादन

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों को **तालिका 1** में सार रूप में दर्शाया गया है।

तालिका 1 : वित्तीय विशिष्टताएं

(रूपये करोड में)

विवरण	2016-17	2015-16*
प्रचालनों से राजस्व	7,271.17	7,353.00
मूल्यह्रास, ब्याज, दर विनियमित आय और कर-पूर्व लाभ	5,222.23	5,060.77
मूल्यह्रास	1,388.40	1,359.07
मूल्यह्रास के उपरान्त परन्तु दर विनियमित आय, ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ	3,833.83	3,701.70
ब्याज एवं वित्त प्रभार	1,073.22	1,072.10
मूल्यह्रास और ब्याज के उपरान्त परन्तु दर विनियमित आय और कर से पूर्व लाभ	2,760.61	2,629.60
दर विनियमित आय	713.99	550.90
कर	679.01	750.61
मूल्यह्रास, ब्याज, दर विनियमित आय और कर-उपरान्त लाभ	2,795.59	2,429.89
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	7.67	3.24
कुल व्यापक आय (टीसीआई)	**2,803.26**	**2,433.13**
पिछले वर्षों के लाभ एवं हानि लेखे के विवरण का अधिशेष (अन्य व्यापक आय)	3,147.66	2,531.56
बांड विमोचन आरक्षित से पश्च लिखित राशि	109.42	109.43
सीएसआर निधि से पश्च लिखित राशि	-	13.33
लाभांश पर कर - पश्च लिखित	-	24.08
अन्य व्यापक आय में संचलन	-	(9.40)
उप जोड़	**6,060.34**	**5,102.13**
घटाएं : विनियोजन		
बांड विमोचन आरक्षित को अंतरण	394.49	185.74
लाभांश और कारपोरेट लाभांश कर (सीडीटी)	2,996.35	1,758.82
आर एण्ड डी निधि को अंतरण	12.20	9.91
अन्य व्यापक आय सहित प्रतिधारित अर्जन का अंतिम शेष	**2,657.30**	**3,147.66**

* वित्तीय वर्ष 2015-16 के आंकड़ों को भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप बनाने के लिए उन्हें पुनः निर्धारित किया गया है।

1.1 राजस्व

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 8345.07 करोड रूपये के प्रति 8729.84 करोड़ रूपये के राजस्व सृजन द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुल आय में 4.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

1.2 व्यय

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुलन व्यय 5715.47 करोड़ रूपये था जबकि वित्तीय वर्ष 2015-16 में इसकी तुलना में कुल व्यय 5969.23 करोड़ रूपये था। कर्मचारी लाभ व्यय, उत्पादन तथा अन्य व्यय, वित्त लागत और मूल्यह्रास कुल व्यय का क्रमशः 26 प्रतिशत, 33 प्रतिशत, 18 प्रतिशत तथा 23 प्रतिशत थे जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष ये कुल व्यय का 20 प्रतिशत, 37 प्रतिशत, 19 प्रतिशत तथा 24 प्रतिशत थे। प्रतिशता के तौर पर कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुल आय का 68 प्रतिशत था जो पिछले वर्ष के समान है।

1.3 लाभ

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 2803.26 करोड़ रूपये का कर पश्चात लाभ (कुल व्यापक आय) अर्जित की है जबकि इसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान यह 2533.13 करोड़ रूपये था (इंड एएस के अनुसार पुनः बताया गया)।

1.4 शेयर पूंजी

31 मार्च, 2017 के अनुसार कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 10259.32 करोड़ रूपये थी जबकि पिछले वर्ष यह 11070.67 करोड़ रूपये थी। प्रदत्त पूंजी में कमी इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद के कारण थी।

1.5 निवल मूल्य

आपकी कंपनी का निवल मूल्य 31 मार्च, 2017 को 26942.13 करोड़ रूपये था जबकि इसकी तुलना में यह पिछले वर्ष 29761.15 करोड़ रूपये था। 31 मार्च, 2017 को निवल मूल्य में वृद्धि शेयरों की पुनः खरीद और अंतरिम लाभांश के भुगतान के कारण थी।

1.6 कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा बिक्री का प्रस्ताव

भारत के राष्ट्रपति ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए अप्रैल, 2016 के दौरान एनएचपीसी की 11.36 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी का निवेश करते हुए अपनी धारिता कम की थी और बिक्री हेतु प्रस्ताव (ओएफएस) तरीके के माध्यम से 2719.55 करोड़ रूपये जुटाए थे। इसके अतिरिक्त, कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 0.568 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 6,28,81,397 शेयरों की पेशकश नवम्बर, 2016 में पात्र कर्मचारियों को की गई थी। इन शेयरों की पेशकश 20.66 रूपये प्रति इक्विटी शेयर पर की गई थी (21.75 रूपये के ओएफएस मूल्य पर 5 प्रतिशत की छूट के साथ)। कर्मचारियों को उक्त बिक्री हेतु प्रस्ताव के पश्चात भारत सरकार ने कंपनी की धारिता कम होकर 74.51 प्रतिशत रह गई थी।

1.7 शेयरों की पुनः खरीद

आपकी कंपनी ने 7 फरवरी, 2017 को हुई निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में 32.25 रूपये प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य पर कंपनी के शेयरधारकों से 10 रूपये प्रत्येक के 81,13,47,977

पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद भी की है। शेयरधारकों को अदा किया गया पुनः खरीद मूल्य 2616.60 करोड़ रूपये था। पुनः खरीद का कार्य 27 मार्च, 2017 को पूर्ण हुआ। पुनः खरीद के पश्चात प्रदत्त पूंजी को कम करके 10259.32 करोड़ रूपये किया गया था जिसमें 10/- रूपये प्रत्येक के 10,25,93,20,519 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

2. लाभांश

आपकी कंपनी ने जनवरी, 2017 में 1.70 रूपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया था। उक्त के अतिरिक्त, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2016-17 हेतु 0.10 रूपये प्रति इक्विटी शेयर के एक अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। तदनुसार, वर्ष हेतु कुल लाभांश प्रति इक्विटी शेयर 1.80 रूपये होता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु 0.10 रूपये के अंतिम लाभांश के अनुमोदन पर कुल लाभांश भुगतान 1984.61 करोड़ रूपये होगा (404.03 करोड़ रूपये के लाभांश वितरण कर सहित 2388.64 करोड़ रूपये) जो कर पश्चात लाभ का 71 प्रतिशत होता है जबकि पिछले वर्ष में कर पश्चात लाभ के 68 प्रतिशत को दर्शाने वाले 1660.60 करोड़ रूपये का लाभांश भुगतान किया गया था।

3. प्रचालनात्मक निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी की एकल स्थापित क्षमता टीएलडीपी-IV जल विद्युत परियोजना (4 x 40 मेगावाट) की 40 मेगावाट प्रत्येक की शेष दो यूनिटों (19 अगस्त, 2016 से वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन) और जैसलमेर, राजस्थान में 50 मेगावाट की पवन विद्युत परियोजना (30 सितम्बर, 2016 से वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन) के चालू किए जाने से बढ़कर **5171 मेगावाट** हो गई है। वर्तमान में आपकी कंपनी की संचित स्थापित क्षमता 6691 मेगावाट है (एनएचपीसी की अनुषंगी कंपनी एनएचडीसी लिमेटेड के 1520 मेगावाट के दो पावर स्टेशनों सहित)।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 23,275 मिलियन यूनिट (एमयू) का उत्पादन किया। वर्ष 2016-17 के दौरान संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) 83.41 प्रतिशत था। पावर स्टेशन-वार उत्पादन और संयंत्र उपलब्धता कारक **तालिका 2** में दिया गया है।

तालिका 2 : वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान विद्युत स्टेशन वार उत्पादन और संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ)

विद्युत स्टेशन का नाम	उत्पादन लक्ष्य* (एमयू)	वास्तविक उत्पादन (एमयू)	पीएएफ लक्ष्य* (%)	वास्तविक पीएएफ (%)
पॉण्डेज विद्युत स्टेशन **				
बैरा स्यूल (180 मेगावाट)	650	669	92.54	93.30
लोकतक (105 मेगावाट)	530	741	93.54	96.91
चमेरा- I (540 मेगावाट)	2,270	2,224	96.54	98.02
रंगित (60 मेगावाट)	340	347	95.54	97.84
चमेरा-II (300 मेगावाट)	1,460	1,444	95.54	98.67
धौलीगंगा (280 मेगावाट)	1,110	956	89.54	82.58
दुलहस्ती (390 मेगावाट)	2,147	2,280	95.24	95.26
तीस्ता-V (510 मेगावाट)	2,593	2,773	92.54	95.09
सेवा-II (120 मेगावाट)	470	471	96.54	98.13
चमेरा-III (231 मेगावाट)	1,015	917	91.54	80.14
टीएलडीपी-III (132 मेगावाट)	565	554	89.54	89.51
टीएलडीपी-IV[1] (132 मेगावाट)	500	603	89.54	92.15
उप जोड़ क	**13,650**	**13,979**	**93.55**	**93.43**
रन ऑफ द रिवर विद्युत स्टेशन और सीमित संयंत्र				
सलाल (690 मेगावाट)	3,280	3,423	65.00	70.45
टनकपुर (94.2 मेगावाट)	450	430	55.00	66.20
उड़ी (480 मेगावाट)	2,940	2,803	74.00	79.10
चूटक[2] (44 मेगावाट)	195	220	50.00	57.35
निम्मो बाजगो[2] (45 मेगावाट)	220	246	65.00	81.41
उड़ी-II (240 मेगावाट)	1,362	1,473	74.00	81.75
पार्बती-III (520 मेगावाट)	665	682	50.00	53.49
किशनगंगा (330 मेगावाट)	238	-	80.00	-
उप जोड़ ख	**9,350**	**9,277**	**64.00**	**69.29**
कुल क+ख (जल विद्युत)	**23,000**	**23,256**	**81.12**	**83.41**
पवन विद्युत परियोजना[3]	0	18	-	-
कुल	**23,000**	**23,275**	**81.12**	**83.41**

*दर्शाए गए लक्ष्य एमओयू के अनुसार 'बहुत अच्छा' रेटिंग हेतु है।

** वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु पीएएफएमओयू लक्ष्य 'बहुत अच्छे' लक्ष्यों और पॉंडेज विद्युत स्टेशनों से संबंधित हैं अर्थात रन ऑफ द रिवर विद्युत स्टेशनों तथा सीमित संयंत्रों को छोड़कर।

वर्ष 2016-17 हेतु वास्तविक उपलब्धि निम्नानुसार है :

पिछले वर्ष की तुलना में संयंत्र उपलब्धता कारक में वृद्धि, रन ऑफ द रिवर पावर स्टेशनों तथा सीमित संयंत्रों को छोड़कर	वित्तीय वर्ष 2015-16 - वास्तविक	वित्तीय वर्ष 2016-17 - वास्तविक	पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक वृद्धि
	92.85%	93.43%	0.62%

टिप्पणी :

1. टीएलडीपी-IV जल विद्युत परियोजना की यूनिट-3 तथा 4 (4 x 40 मेगावाट) को क्रमशः 3 जुलाई, 2016 तथा 11 अगस्त, 2016 को चालू किया गया था और 17 जुलाई, 2016 तथा 19 अगस्त 2016 से इनके वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत होने की घोषणा की गई थी।
2. उत्पादन में चुटक पावर स्टेशन (176.2एमयू) और निम्मो बाजगो पावर स्टेशन (150.6एमयू) का मानद उत्पादन शामिल है।
3. पवन विद्युत परियोजना को 30 सितम्बर, 2016 से वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित किया गया था।

तदनुसार, आपकी कंपनी ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार ''बहुत अच्छा'' लक्ष्य प्राप्त किया था । आपके निदेशक प्रसन्नतापूर्वक यह सूचित करते हैं कि कंपनी ने ग्रिड आवृति में दक्ष प्रचालन और परिवर्तन पर समय से प्रतिउत्तर देने के चलते 150 करोड़ रूपये (लगभग) के निवल विपथन प्रभारों को भी प्राप्त किया है।

बैरास्यूल पावर स्टेशन (180 मेगावाट), जिसे वर्ष 1981 में चालू किया गया था, ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में अपने वाणिज्यिक प्रचालन के 35 वर्ष पूरे कर लिए हैं । इसके जीवनकाल में विस्तार हेतु इसकी पुनरूध्दार तथा आधुनिकीकरण हेतु प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसे 2018 से 2021 तक किया जाएगा। विद्युत स्टेशन हेतु इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई एण्ड एम) पैकेज मैसर्स बीएचईएल को दिया गया है। इसी प्रकार, लोकतक विद्युत स्टेशन (105 मेगावाट) वित्तीय वर्ष 2018-19 में अपनी वाणिज्यिक प्रचालन के 35 वर्षों को पूरा करेगा। इसके जीवनकाल में विस्तार हेतु इसके नवीकरण तथा आधुनिकीकरण हेतु प्रस्ताव निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और वर्तमान में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा परीक्षण/पुनरीक्षा के अधीन है।

4. वाणिज्यिक निष्पादन

4.1 बिक्री तथा वसूली

वर्ष के दौरान प्रचालनों से आपकी कंपनी की बिक्री 7191.53 करोड़ रूपये थी। हमें यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपकी कंपनी वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 7676.27 करोड़ रूपये की राशि को वसूल पाने में समर्थ हुई है जिसमें अधिभार का एकत्रीकरण और पिछले वर्षों की बकाया राशि का परिसमापन शामिल है।

31 मार्च, 2017 के अनुसार 60 दिवस से अधिक हेतु लम्बित बकाया देय 959.95 करोड़ रूपये के थे। उपर्युक्त में से 566.44 करोड़ रूपये विद्युत विकास विभाग (पीडीडी), जम्मू एवं कश्मीर और 256.74 करोड़ रूपये बीएसईएसयमुना पावर लिमिटेड से संबंधित हैं। आपकी कंपनी ने बकाया देयों की वसूली के लिए सभी प्रयास किए हैं जिसमें चूककर्ता लाभग्राहियों को विद्युत आपूर्ति का विनियमन शामिल है। भारत सरकार की उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के कार्यान्वयन में भी लाभग्राहियों द्वारा बकाया देयों के परिसमापन को सुकर बनाया है।

4.2 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष टैरिफ याचिका

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमन, 2014 के अंतर्गत टैरिफ के निर्धारण हेतु 2014-19 की अवधि के लिए 19 पावर स्टेशनों के संबंध में टैरिफ याचिकाएं दायर की गई हैं। 14 पावर स्टेशनों हेतु टैरिफ आदेश केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा जारी किए जा चुके हैं। शेष 5 नए पावर स्टेशनों हेतु अंतरिम टैरिफ अनुमेय किया गया है। इन नए पावर स्टेशनों हेतु अंतिम टैरिफ सीईआरसी द्वारा भारत सरकार से विधिवत अनुमोदित संशोधित लागत अनुमान प्रस्तुत करने के पश्चात जारी किया जाएगा।

4.3 विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर करना

निम्नलिखित पावर स्टेशनों के संबंध में पीपीए निम्नलिखित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/वितरण कंपनियों के साथ वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 35 वर्ष हेतु नवीकृत किए गए हैं -

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/ वितरण कंपनी का नाम	पावर स्टेशन का नाम
1	जम्मू एवं कश्मीर	दुलहस्ती, चमेरा-I, चमेरा-II, टनकपुर, सलाल, उड़ी और सेवा-II
2	उत्तर प्रदेश	चमेरा-II, टनकपुर, सलाल, उड़ी, चमेरा-I और सेवा-II
3	चण्डीगढ	सलाल, उड़ी, टनकपुर, चमेरा-I, सेवा-II, चमेरा-III, उड़ी-II और पार्बती-III
4	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड - दिल्ली	बैरास्यूल, टनकपुर, चमेरा-I, उड़ी-I, सेवा-II और चमेरा-III
5.	असम	लोकतक
6	बिहार	तीस्ता-V और रंगित
7.	झारखंड	तीस्ता-V और रंगित
8	ओडिशा	तीस्ता-V

5. चालू परियोजनाओं की स्थिति

आपकी कंपनी वर्तमान में तीन जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में रत है। इन चालू परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :

5.1 किशनगंगा जल विद्युत परियोजना 330 मेगावाट (3 x 110 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर

किशनगंगा जल विद्युत परियोजना जम्मू एवं कश्मीर के बांदीपुर जिले में किशनकंगा नदी पर एक रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है। परियोजना अपने चालू होने पर एक 90 प्रतिशत निर्भर योग्य वर्ष में 1713 एमयू ऊर्जा का उत्पादन करेगी। परियोजना के बांध कार्य तथा हेड रेस टनल (एचआरटी) लगभग पूर्ण है। इलेक्ट्रो-यांत्रिकी कार्य पूर्णता के अग्रिम चरण में हैं। परियोजना का कार्य 9 जुलाई, 2016 से कश्मीर घाटी में कानून एवं व्यवस्था की समस्या के चलते बाधित हुआ है। पावर हाउस

क्षेत्र में कार्य को जनवरी, 2017 से बहाल किया गया है। सभी मोर्चों पर शेष कार्य की प्रगति परियोजना को चालू किए जाने हेतु तेजी से की जा रही है। परियोजना की पहली यूनिट नवम्बर, 2017 और शेष 2 यूनिट जनवरी, 2018 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा है।

5.2 पार्बती-II जल विद्युत परियोजना 800 मेगावाट (4 x 200 मेगावाट) हिमाचल प्रदेश :

पार्बती-II जल विद्युत परियोजना पार्बती नदी पर एक रन-ऑफ-द-रीवर योजना है। बांध, इनटेक ढांचा, गाद हटाने के चेम्बर, प्रेशर शॉफ्ट, सर्ज शॉफ्ट, विद्युत गृह और जीवा नाला कार्यों जैसे प्रमुख सिविल कार्य पूरे हो चुके हैं। जल संचलन प्रणाली में 31.52 किलोमीटर लम्बी हेड रेस टनल (एचआरटी) शामिल है जिसमें मई, 2017 तक 27.4 किलोमीटर का उत्खनन और 24.6 किलोमीटर लम्बाई की कंक्रीट लाइनिंग पूरी हो चुकी है। अक्तूबर, 2015 में टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) द्वारा एचआरटी के उत्खनन की बहाली के पश्चात से 31 मई, 2017 तक 648 मीटर टनल का उत्खनन किया जा चुका है। विद्युत गृह के ई एण्ड एम कार्यों की भी प्रगति संतोषजनक है। 4 उत्पादक यूनिटों में से 3 यूनिटों में कार्य पूरा हो गया है। यूनिट-4 में स्टेटर तथा रोटर को नीचे लगा दिया गया है और अंतिम कार्य प्रगति पर है।

पार्बती-II जल विद्युत परियोजना की पहली तथा दूसरी यूनिट को क्रमशः 31 मार्च, 2017 तथा 09 अप्रैल, 2017 को जीवा नाला के जल का उपयोग करके सफलतापूर्वक स्पन किया गया था। पार्बती-II जल विद्युत परियोजना की पहली यूनिट को 29 जुलाई, 2017 को आंशिक भार पर सफलतापूर्वक समक्रमित किया गया है। बांध के सभी रेडियल गेट का स्थापन पूरा कर लिया गया है और इन्हें शीघ्र ही चालू किया जाएगा। जिगरई, मनीहार, पंचा और हुरला नालों के भी अपवर्तन कार्यों की प्रगति संतोषजनक है।

टीबीएम द्वारा शेष एचआरटी का उत्खनन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। परियोजना को अब दिसम्बर, 2018 में प्रारंभ किए जाने की प्रत्याशा है।

5.3 सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना 2000 मेगावाट (8 x 250 मेगावाट), असम/अरूणाचल प्रदेश :

परियोजना पर वर्तमान में कार्य राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), कोलकाता के निदेशों के कारण अवरूध्द हैं। कंपनी परियोजना में निर्माण क्रियाकलापों को शीघ्र प्रारंभ करने हेतु केन्द्र सरकार तथा असम राज्य सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। एनजीटी, कोलकाता से स्थगन को जल्द हटाए जाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। परियोजना को कार्य पुनः प्रारंभ होने की तिथि से 4 वर्ष के भीतर पूरा किए जाने की प्रत्याशा है।

6. नई परियोजनाएं

तालिका 3. स्वीकृति/अनुमोदन चरण में होने वाली परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

क्रम संख्या	परियोजना	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
क.	एकल आधार पर		
(क)	**जल विद्युत परियोजनाएं**		
i	कोटली भेल I-ए	उत्तराखंड	195
ii	तीस्ता-IV	सिक्किम	520
iii	दिबांग	अरूणाचल प्रदेश	2,880[1]
iv	तवांग-I		600[2]
v	तवांग-II		800[2]
	उप-जोड़ (क)		**4,995**
(ख)	**पवन विद्युत परियोजनाएं**		
i	पवन विद्युत परियोजना, पलकाड	केरल	72
ii	पवन विद्युत परियोजना	आंध्र प्रदेश	12.5[3]
	उप-जोड़ (ख)		**84.5**
(ग)	**सौर परियोजनाएं**		
i	सौर परियोजना	तामिलनाडू	50
	उप-जोड़ (ग)		**50**
	कुल क (क+ख+ग)		**5,129.5**
ख.	अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से		
(क)	**जल विद्युत परियोजनाएं**		
i	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (मणिपुर सरकार के साथ संयुक्त उद्यम) द्वारा लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना	मणिपुर	66
	उप-जोड़ (क)		**66**
(ख)	**सौर परियोजनाएं**		
i	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (यूपीएनईडीए के साथ संयुक्त उद्यम) द्वारा सौर विद्युत परियोजना	उत्तर प्रदेश	32[4]
	उप-जोड़ (ख)		**32**

क्रम संख्या	परियोजना	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
(ग)	**तापीय परियोजनाएं**		
1.	पीरपैती तापीय विद्युत परियोजना (बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड और पीरपंती बिजली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम - संयुक्त उद्यम का गठन अभी किया जाना है)	बिहार (एनएचपीसी की प्रतिभागिता हेतु अनुमोदन प्रतीक्षित है)	1,320
	उप-जोड़ (ग)		**1,320**
	कुल ख (क+ख+ग)		**1,418**
ग.	**संयुक्त उद्यम के माध्यम से**		
(क)	**जल विद्युत परियोजनाएं**		
i	कीरू (जेकेएसपीडीसी और पीटीसी के साथ संयुक्त उद्यम)	जम्मू एवं कश्मीर	624[5]
ii	कवार (जेकेएसपीडीसी और पीटीसी के साथ संयुक्त उद्यम)		540[5]
iii	भूटान में चमखरचू-1 (ड्रुक ग्रीन पावर कारपोरेशन लिमिटेड, भूटान के साथ संयुक्त उद्यम)	-	770
	उप-जोड़ (क)		**1,934**
	कुल ग (क)		**1,934**
	सकल योग (क+ख+ग)		**8,481.5**

1. परियोजना को प्रारंभ में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 3000 मेगावाट के लिए सहमति प्रदान की गई थी। बाद में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति के समय परियोजना की प्रस्तावित ऊंचाई में कंमी के कारण इसकी स्थापित क्षमता को कम करके 2880 मेगावाट किया गया था। वन स्वीकृति (चरण-1) और पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। वन स्वीकृति (चरण-2) को प्राप्त करने के लिए वन स्वीकृति (चरण-1) के अंतर्गत शर्तों का अनुपालन प्रक्रियाधीन है। परियोजना की स्वीकृति के लिए बैठक मई, 2017 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में आयोजित की गई थी।
2. तवांग-I तथा II जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सीईए द्वारा पर्यावरण स्वीकृति तथा सहमति प्रदान की गई है। तवांग-2 जल विद्युत परियोजना के लिए वन स्वीकृति (चरण-1) प्रदान की गई है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत शर्तों का अनुपालन इन परियोजनाओं हेतु प्रक्रियाधीन है।
3. आंध्र प्रदेश नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम (एनआरईडीसीएपी) ने प्रांरभ में 16 मेगावाट परियोजना हेतु अनुमोदन प्रदान किया था। तथापि, कनेक्टिविटी मुदों के कारण 12.5 मेगावाट के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था।
4. 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना हेतु भूमि के प्रति यूपीएनईडीए ने परासन गांव में बीएसयूएल को 63.491 हेक्टेयर भूमि अंतरित की थी। अब एक 32 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन प्रस्तावित है।
5. कीरू और कवार जल विद्युत परियोजना की डीपीआर का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इससे पहले कीरू और कवार परियोजनाओं हेतु क्षमता क्रमश: 600 तथा 520 मेगावाट के रूप में परिकल्पित की गई थी।

7. विविधीकरण

आपकी कंपनी ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों यथा पवन, सौर तथा तापीय की परियोजनाओं को लेकर अपने क्रियाकलापों के विविधीकरण के माध्यम से क्षमतावर्धन हेतु प्रयास कर रही है। ऐसी परियोजनाओं के स्थापन हेतु कंपनी के क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

7.1 पवन विद्युत परियोजनाएं

आपकी कंपनी ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 50 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना को 30 सितम्बर, 2016 को चालू किया गया है।

केरल राज्य के पलकाड जिले में अगाली स्थान पर एक 72 मेगावाट (±10 प्रतिशत) क्षमता वाली पवन विद्युत परियोजना को निष्पादित करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है। विद्युत क्रय समझौता (पीपीए) पर हस्ताक्षर और भूमि का आवंटन प्रक्रियाधीन है। केरल सरकार ने विद्यमान निकासी सुविधा के अनुसार प्रारंभ में 8 मेगावाट क्षमता को निष्पादित करने का अनुरोध किया है। ईपीसी बिड प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

आपकी कंपनी को आंध्र प्रदेश नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम (नोडल एजेंसी) से आंध्र प्रदेश में 12.5 मेगावाट पवन विद्युत संयंत्र हेतु सिद्धांतत: अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया है। परियोजना हेतु पीपीए पर हस्ताक्षर किया जाना प्रक्रियाधीन है। ईपीसी बिडिंग प्रकिया को प्रारंभ किया गया है।

7.2 सौर विद्युत परियोजनाएं

आपकी कंपनी तमिलनाडु के डेंडीगुल/थेनी जिले में एक 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना के स्थापन की प्रक्रिया में है। 9 माह के पूर्णता समय के साथ ईपीसी संविदाकार को कार्य सौंपे जाने का पत्र जारी किया गया है। परियोजना के मार्च, 2018 में पूरी होने की प्रत्याशा है।

आपकी कंपनी अपने कारपोरेट कार्यालय सहित इसकी विभिन्न परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों में सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करने की भी प्रक्रिया में है। 360 केडब्ल्यूपी की संचित क्षमता वाले संयंत्रों को पहले ही चालू किया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त, 605 केडब्ल्यूपी की कुल क्षमता वाले संयंत्र निष्पादन के अधीन हैं और 974 केडब्लयूपी निविदा दिए जाने के विभिन्न चरणों में हैं ।

7.3 तपीय विद्युत परियोजना

बिहार के भागलपुर जिले में 1320 मेगावाट (2 x 660 मेगावाट) पीरपैती तापीय विद्युत परियोजना के विकास हेंतु बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के 74 प्रतिशत इक्विटी शेयरों की खरीद द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन हेतु निवेश अनुमोदन प्रक्रियाधीन है। एमओयू के विस्तार और एनएचपीसी से ऋण लिए बिना इक्विटी वित्त-पोषण हेतु बिहार सरकार से अनुमोदन भी प्रक्रियाधीन है।

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में दोइचा-पचामी-देवानगंज-हरसिंघा कोयला ब्लाक अन्य राज्यों के साथ परियोजना को आवंटित किया गया था। तथापि, प्रचालनात्मक कठिनाइयों के चलते राज्यों/सीपीएसयू को सात कोयला ब्लाकों के पृथक आवंटन हेतु कोयला मंत्रालय द्वारा आवेदन आंमत्रित किए गए थे और ये प्रक्रियाधीन है।

7.4 पम्पड स्टोरेज स्कीम

भारत सरकार ने आने वाले वर्षो में सौर तथा पवन विद्युत से परिवर्तनशील तथा अनिरंतर विद्युत के बड़े क्षमतावर्धनों की परिकल्पना की है। तदनुसार, संतुलनकारी संयंत्रों के रूप में पम्पड भण्डारण संभाव्यता का तेजी से विकास अधिक ग्रिड अनुशासन, भार संतुलन तथा बड़े नवीकरणीय प्रसार को सुकर बनाने को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। हाल के समय में सरकार प्रणाली में ऑफ-पीक ऊर्जा को समाहित करने और प्रणाली स्थिरता में सहायता के लिए पीक विद्युत मुहैया करवाने के उनके निहित लाभों के कारण पम्पड भण्डारण संयंत्रों के विकास पर अधिक बल दे रही है।

एनएचपीसी महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओड़िशा आदि जैसे संभाव्यता प्रचुर राज्यों में पम्पड भण्डारण योजनाओं के विकास हेतु अवसरों का सक्रिय रूप से दोहन कर रहा है। आपकी कंपनी ने महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में कुछ परियोजनाओं की पहचान की है और डीपीआर तैयार करने तथा आगे पम्पड भण्डारण परियोजनाओं के विकास हेतु संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श कर रही है।

8. अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट कंपनियों का ब्यौरा

31 मार्च, 2017 के अनुसार आपकी कंपनी की निम्नलिखित अनुषंगी कंपनियां/एसोसिएट/संयुक्त उद्यम कंपनियां है :

कंपनी का नाम	संयुक्त उद्यम भागीदारों का ब्यौरा	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी का कार्य-निष्पादन
		अनुषंगी कंपनियां
एनएचडीसी लिमिटेड (एनएचडीसी)	एनएचपीसी (51 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश सरकार (49 प्रतिशत)	एनएचडीसी लिमिटेड के मध्य प्रदेश में दो प्रचालनशील पावर स्टेशन है अर्थात इंदिरा सागर (1000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर (520 मेगावाट)। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इंदिरा सागर पावर स्टेशन तथा ओमकारेश्वर पावर स्टेशन से उत्पादन क्रमशः 3,320.79 एमयू तथा 1,427.71 एमयू था। एनएचडीसी मध्य प्रदेश राज्य में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में विविधीकरण के माध्यम से अपनी क्षमता वर्धन की संभावनाओं को भी तलाश रही है।
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)	एनएचपीसी (74 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश सरकार (26 प्रतिशत)	एलडीएचसीएल वर्तमान में मणिपुर के लमेंगलोंग जिले में लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना (66 मेगावाट) का कार्यान्वयन कर रही है। परियोजना के निष्पादन हेतु सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। परियोजना के टर्न-की निष्पादन हेतु बोलियां कंपनी द्वारा आमंत्रित की गई थी। चूंकि निम्नतम बोली अनुमानित लागत से काफी अधिक थी, एलडीएचसीएल बोर्ड ने पुनः निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया। परियोजना को अब दो ईपीसी पैकेजों अर्थात एक सिविल तथा हाइड्रो-मैकेनिकल और दूसरा इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्यों हेतु, के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने की योजना है। दोनों ईपीसी पैकेजों हेतु निविदा दिया जाना प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, मणिपुर सरकार ने कम्पनी को थोबल बहुउद्देश्य योजना के जल विद्युत घटक (7.5 मेगावाट) को भी कंपनी को आंवटित किया है। एनएचपीसी बोर्ड ने इस परियोजना के इक्विटी अंशदान हेतु सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान कर दिया है। परियोजना वर्तमान में अन्वेषण चरण के अधीन है।
बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	एनएचपीसी (99.99 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश न्यू एण्ड रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (यूपीएनईडीए)	बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले कीकालपी तहसील के परासन गांव में एक 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे सौंपी जाने वाली अन्य कोई परम्परागत या अपरामपरागत विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अधिनिगमित किया गया था। परियोजना हेतु यूपीएनईडीए द्वारा पहले निर्दिष्ट की गई भूमि को वापिस ले लिया गया था जो ईपीसी संविदा हेतु बोलियों को निरस्त किए जाने में परिणत हुआ। बाद में, यूपीएनईडीए ने 21 मार्च, 2017 को बीएसयूएल को परासन गांव में 63.491 हैक्टेयर भूमि अंतरित की थी। अब स्थल पर एक 32 मेगावाट सौर संयंत्र को कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है। 32 मेगावाट सौर क्रिस्टलाइन फोटोवोल्टिक ग्रिड से कनेक्टिड विद्युत संयंत्र तथा संबद्ध 132 केवी विद्युत निकासी उपकरण के विकास और इसके 10 वर्षों के व्यापक प्रचालन और रखरखाव हेतु ईपीसी संविदा को दिए जाने के लिए नई बिडे आमंत्रित की गई है।

कंपनी का नाम	संयुक्त उद्यम भागीदारों का ब्यौरा	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी का कार्य-निष्पादन
		एसोसिएट/संयुक्त उद्यम कंपनी
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल)	एनएचपीसी (49 प्रतिशत), जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (49 प्रतिशत) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड (2 प्रतिशत)	जम्मू एवं कश्मीर में 3 परियोजनाएं अर्थात पाकलडुल जल विद्युत परियोजना (100 मेगावाट), कीरूजल विद्युत परियोजना (624 मेगावाट) और कवार जल विद्युत परियोजना (540 मेगावाट) को सीवीपीपीपीएल द्वारा विकसित किया जा रहा है। प्रमुख घटकों यथा अपवर्तन टनल, एचआरटी-टीबीएम, बांध, विद्युत गृह, एचएम तथा ईएम के पैकेजों के माध्यम से पाकलडुल जल विद्युत परियोजना के निष्पादन हेतु निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं। कीरूतथा कवार जल विद्युत परियोजनाओं हेतु सभी सांविधिक स्वीकृतियां भी उपलब्ध हैं। कीरूजल विद्युत परियोजना के सिविल कार्यों हेतु निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। कंपनी ने कीरूजल विद्युत परियोजना हेतु आधारभूत ढांचा विकास कार्यों अर्थात परियोजना सड़कों, पुल, भवन आदि का भी निर्माण प्रारंभ किया है। तथापि, प्रमुख निर्माण क्रियाकलापों को अभी प्रारंभ किया जाना है। कवार जल विद्युत परियोजना हेतु सिविल, हाइड्रो-मैकेनिकल और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल के 3 पैकेजों के लिए निविदा दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और दामोदर घाटी निगम, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (प्रत्येक की शेयरधारिता 20 प्रतिशत है)	एनएचपीटीएल को देश में शार्ट सर्किट परीक्षण सुविधा हेतु एक ऑनलाइन हाई पावर टेस्ट प्रयोगशाला को स्थापित करने के लिए स्थापित किया गया था। कम्पनी उच्च वोल्टेज ट्रांसफोर्मर (एचवीटीआर) और मध्यम वोल्टेज ट्रांसफार्मर (एमवीटीआर) के लिए मध्य प्रदेश राज्य में बीना मे प्रयोगशालाओ का निर्माण कर रही है। ट्रांसफार्मरों के शॉर्टसर्किट परीक्षण हेतु चरण-1 के अंतर्गत इसकी प्रयोगशाला का वोल्टेज ट्रांसफार्मर खंड 400 केवी के साथ 1 जुलाई, 2017 से बीना, मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक र से प्रचालनशील है।

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड और टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज का एक संयुक्त उद्यम) को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 31 मार्च, 2017 से समाप्त तथा भंग कर दिया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रत्येक अनुषंगी, एसोसिएटस तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट समेकित वित्तीय विवरण के अनुबंध के रूप में मुहैया करवाई गई है और इसलिए संक्षिप्तता के मद्देनजर उसे दोहराया नहीं गया है।

अनुषंगी कंपनियों के संबंध में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 के अनुसार उक्त दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने में इच्छुक होने वाला कोई शेयरधारक कम्पनी सचिव, एनएचपीसी लिमिटेड को लिख सकता है। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट अर्थात **www.nhpcindia.com** पर भी उपलब्ध है।

9. डीपीआर तैयार किए जाने के अधीन परियोजनाएं

निम्नलिखित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण प्रारंभ किया गया है :

क्र.स.	परियोजना	स्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	बरसर जल विद्युत परियोजना, जम्मू एवं कश्मीर	800
2	धौलीगंगा इंटरमीडिएट जल विद्युत परियोजना, उत्तराखंड	210
3	गौरीगंगा-।।।ए जल विद्युत परियोजना, उत्तराखंड	150
	कुल	**1,160**

9.1 बरसर जल विद्युत परियोजना, जम्मू एवं कश्मीर:

बरसर जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी की एक प्रमुख सहायिका मरूसुदर नदी पर जम्मू एवं कश्मीर के किशतवाड़ जिले में अवस्थित एक भण्डार परियोजना है। परियोजना की आयोजना 800 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ बनाई गई है। परियोजना में मुहैया करवाए गए भण्डारण का उपयोग कम प्रवाह वाले माह के दौरान अतिरिक्त विद्युत उत्पादन तथा डाउनस्ट्रीम में नियंत्रित प्रवाह को छोड़ने के लिए किए जाने की मंशा है। परियोजना की डीपीआर 6 जनवरी, 2017 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को प्रस्तुत की गई है और परीक्षण के अधीन है।.

9.2 धौलीगंगा इंटरमीडिएट जल विद्युत परियोजना, उत्तराखंड:

धौलीगंगा इंटरमीडिएट जल विद्युत परियाजना धौलीगंगा नदी पर उत्तराखंड के पिथौड़ागढ़ जिले में अवस्थित है। परियोजना की आयोजना पहले 225 मेगावाट की एक स्थापित क्षमता के साथ बनाई गई थी। जून, 2013 माह में अचानक आई बाढ़ और बांध क्षेत्र में बड़ी मात्रा में नदी द्वारा लाई जाने वाली सामग्री के जमा होने के चलते बांध स्थल में परिवर्तन के कारण परियोजना की क्षमता को अब कम करके 210 मेगावाट किया गया है। डीपीआर को तैयार किए जाने हेतु परियोजना में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण क्रियाकलाप प्रगति पर हैं।.

9.3 गोरीगंगा-3ए जल विद्युत परियोजना, उत्तराखंड:

गोरीगंगा 3ए जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के पिथौड़ागढ़ जिले में गोरीगंगा नदी पर अवस्थित है। परियोजना की आयोजना पहले 120 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ बनाई गई थी। तथापि, केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा अनुमोदित जल श्रृंखला के अनुसार परियोजना की स्थापित क्षमता को बढ़ाकर 150 मेगावाट किया गया था। प्रमुख सर्वेक्षण तथा अन्वेषण क्रियाकलाप पहले ही पूरे किए जा चुके हैं और डीपीआर तैयार किए जाने के अधीन है।

10. ग्रामीण सड़क परियोजना

आपकी कंपनी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बिहार के 6 जिलों नामतः वैशाली, मुजफ्फपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारन, सेओहर और पश्चिमी चम्पारन में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के

लिए में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के साथ वर्ष 2004 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

योजना के अंतर्गत एनएचपीसी को 758 सड़कों हेतु 1,725.65 करोड़ रूपए की लागत पर निष्पादन का कार्य सौंपा गया था। 31 मार्च, 2017 तक 3076 किलोमीटर लम्बाई वाली 752 सड़कें पूरी हो चुकी है। शेष 6 सड़कों (5 सड़के वैशाली में और 1 श्योहर में) का निर्माण प्रगतिधीन है।

त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार सभी 758 सड़कों के निर्माण के पूरा होने के पश्चात 5 वर्षों तक इनका रख-रखाव भी किया जाना है। पहले पूर्ण 758 सड़कों में से 2395 किलोमीटर सड़क लम्बाई कवर करने वाली 570 सड़कों हेतु 5 वर्षों की रख-रखाव की अवधि भी पूर्ण हो गई है। 681 किलोमीटर की सड़क लम्बाई वाली 182 सड़कें रख-रखाव अवधि के अधीन है।

11. परामर्शी सेवाएं

आपकी कंपनी देश के भीतर तथा देश से बाहर जल विद्युत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे नदी घाटी अध्ययन, सर्वेक्षण कार्य, डिजाइन एवं इंजीनियरी, जलविज्ञान अध्ययन, संविदा और निर्माण प्रबंधन आदि में परामर्शी सेवाओं की पेशकश करती हैं।

आपकी कंपनी के प्रमुख परामर्शी ग्राहकों में कार्यों में सरकारी एजेंसियां (केन्द्र और राज्य की), सीपीएसयू और पड़ोसी देशों की सरकारें शामिल हैं।

12. नई परियोजनाओं का वित्त-पोषण

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शुल्क निर्धारण के प्रयोजन के लिए परियोजनाओं के वित्त पोषण में ऋण और इक्विटी का अनुपात 70:30 का होना चाहिए।

आपके निदेशकों का मानना है कि आपकी कंपनी की उपलब्ध आंतरिक प्राप्तियां नई/चालू परियोजनाओं के इक्विटी घटक को वित्त-पोषित करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी मजबूत घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग को देखते हुए अपेक्षित ऋण जुटाने में बेहतर स्थिति में है।

13. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

आपकी कंपनी का एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार आधारभूत ढांचा है।

एनएचपीसी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के ईष्टतम तथा सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के प्रबंधन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी तथा साइबर सुरक्षा नीति विद्यमान है। इसके विभिन्न स्थल अब एमपीएलएस-वीपीएन/वीसैट-केयू बैण्ड/ब्रॉड बैण्ड प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके मल्टी मोड, विफलता रहित सप्रेषण के माध्यम से कारपोरेट कार्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। एनएचपीसी ने वर्तमान में अपने प्रमुख सर्वरों को नई दिल्ली में मैसर्स राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केन्द्र सेवा समाहर्ता (एनआईसीएसआई) और फरीदाबाद में मैसर्स बीएसएनएल के टियर-3 डाटा सेंटरों में सह-स्थापित किया है। कोलकाता में एनएचपीसी कार्यालय में आपदा रिकवरी (डीआर) स्थल भी कार्य कर रहा है।

सभी प्रमुख व्यापार कार्य यथा वित्त, मानव संसाधन, खरीद तथा संविदाएं, माल-सूची, परियोजना प्रबंधन, विद्युत संयंत्र प्रचालन तथा अनुरक्षण, ऊर्जा बिक्री और लेखांकन, गुणवत्ता आश्वासन आदि को नवीनतम उपकरण तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आईएफएस-ईआरपी प्रणाली में कार्यान्वित किया गया है।

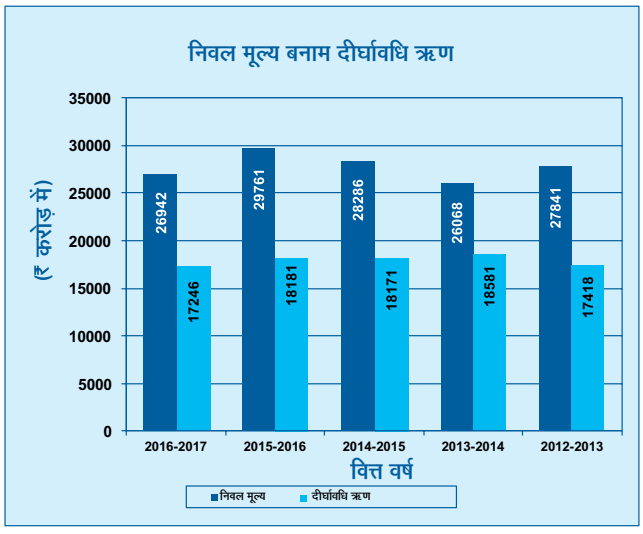

ई-अवशिष्ट का निपटान एक पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जा रहा है। एनएचपीसी सीईआरटी-हाइड्रो हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रही है जिसमें यह घटक सदस्य संगठनों को साइबर सुरक्षा संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में मार्गदर्शन देता है तथा निगरानी का कार्य करता है।

14. प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

आपकी कंपनी मानती है कि कोई संगठन सतत आधार पर अपने वृद्धि तथा विस्तार का सुनिश्चय केवल तब ही कर सकता है यदि उसके मानव संसाधन परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हों, सार्थक समाधान मुहैया करवाएं, प्रतिस्पर्धी चुनौतियों से निपटें और वृद्धि के प्रत्येक अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं। केवल एक ठोस प्रशिक्षण तथा विकास हस्तक्षेप के माध्यम से ही हम समर्थ मानव संसाधन उत्पन्न कर सकते हैं जो संगठन को एक सतत तरीके से वृद्धि के पथ पर ला सके।

संदर्भित अवधि के दौरान आपकी कंपनी ने संगठन की वृद्धि हेतु उनके मूल्यवान योगदान के प्रति कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि करने के लिए कई प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आपकी कंपनी ने एएससीआई हैदराबाद, आईआईएम, आईआईटी- रूड़की, आईएसएम-धनबाद, अल्स्टोम, बीएचईएल आदि के साथ मिलकर कर्मचारियों की व्यवहारात्मक, प्रबंधकीय तथा कार्यात्मक दक्षता को विकसित करने के लिए बहु-विधा कार्यक्रमों का आयोजन किया है। उक्त कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए गए हैं जिनमें व्यवहार दक्षता तथा नेतृत्व विकास, क्रियात्मक दक्षता, स्वास्थ्य और जीवनशैली प्रबंधन शामिल है।

15. औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान सभी परियोजना/विद्युत स्टेशनों/यूनिटों पर औद्योगिक संबंध शान्ति एवं सौहार्द्रपूर्ण बने रहे।

16. पुनर्स्थापन और पुनर्वास

परियोजना प्रभावित परिवारों हेतु पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एण्ड आर) योजना आगामी एनएचपीसी परियोजनाओं हेतु ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013'' के अनुसार मौजूद है।

17. सतर्कता क्रियाकलाप

एनएचपीसी में प्रणालियों, पद्धतियों और प्रक्रियाओं का उददेश्य संगठन को एक पारदर्शी निकाय बनाना है।

आपकी कंपनी के सतर्कता प्रभाग को आईएसओ 9001:2008 प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है। सभी पद्धतियां प्रलेखित हैं और सतर्कता शिकायतों तथा अनुशासनात्मक मामलों की निगरानी हेतु प्रणालियां मौजूद हैं ताकि विलम्ब से बचा जा सके।

पारदर्शी खरीद प्रणाली के एक भाग के रूप में और विद्युत मंत्रालय तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आपकी कंपनी ने समूची कंपनी में ई-खरीद समाधान का विकल्प चुना है। 2 लाख रूपये मूल्य से अधिक की आपूर्ति/कार्यों/संविदाओं के मामलों हेतु खरीद प्रक्रिया को ई-खरीद के माध्यम

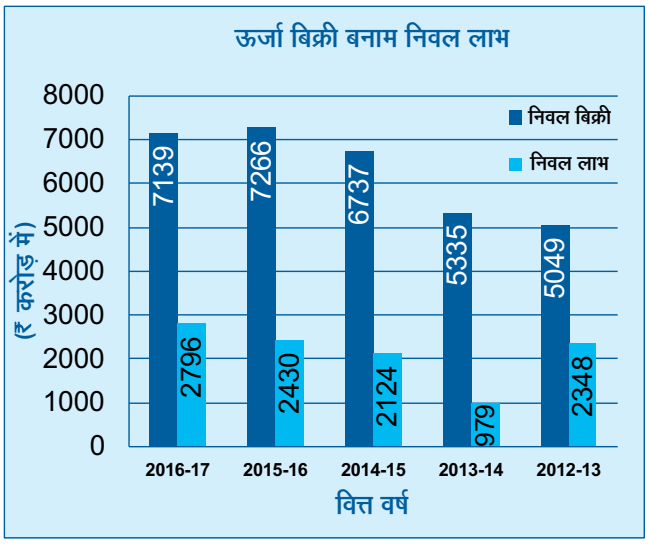

से किया जा रहा है । आपकी कंपनी ने इलेक्ट्रो-मैकेनिकल/हाइड्रो-मैकेनिकल संविदाओं, सौर, पवन परियोजनाओं के कार्यों और 5 करोड़ से अधिक के अनुमानित मूल्य की वस्तुएं जो तत्काल प्रकृति की नहीं हैं, हेतु ई-रिवर्स बोली भी कार्यान्वित की हैं।

सीवीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में क्रमशः 100 लाख रूपये, 7 लाख रूपये तथा 15 लाख रूपये मूल्य की या इससे अधिक मूल्य की वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद के लिए सत्यनिष्ठा समझौते का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है।

सतर्कता विभाग द्वारा नियमित तथा औचक निरीक्षण किए जाते है। परियोजना सतर्कता अधिकारियों द्वारा चिन्हित कार्रवाई योग्य बिंदुओं को समय-समय पर परियोजना प्रमुख को सूचित किया जाता है। समय-समय पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के मुख्य तकनीकी परीक्षक (सीटीई) द्वारा कार्यों का गहन परीक्षण भी किया जाता है।

निवारात्मक सतर्कता के एक भाग के रूप में निरीक्षण/गहन परीक्षण पर आधारित परिपत्रों तथा दिशा-निर्देशों को नियमित रूप से जारी किया जा रहा है। विद्यमान कार्य प्रणाली में जागरूकता, पारदर्शिता और नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह और विभिन्न सतर्कता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

18. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

कम्पनी के पास इसके वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं। वर्ष के दौरान ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया है और डिजाइन या प्रचालन में कोई सूचित की जाने वाली भौतिक कमी नहीं पाई गई थी।

19. जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने हेतु मार्ग-दर्शन के लिए एक जोखिम रजिस्टर विकसित करने सहित जोखिम प्रबंधन के प्रति एक ढांचाबद्ध तथा अनुशासित एप्रोच स्थापित करती है। नीति में जुलाई, 2015 में संशोधन किया गया था, कुल 54 प्रमुख जोखिमों की पहचान उनके प्रशमन उपायों सहित की गई है और उन्हें जोखिम रजिस्टर में दर्ज किया गया है। स्वतंत्र तथा क्रियात्मक निदेशक शामिल होने वाली जोखिम प्रबंधन समिति कंपनी द्वारा माने गए सभी जोखिमों की निगरानी करती है। प्रत्येक जोखिम हेतु जोखिम समन्वयकों की पहचान की गई है जो कंपनी के व्यापार पर किसी गम्भीर प्रभाव से बचने के लिए जोखिमों के प्रबंधन हेतु समय पर कार्यवाई करने के लिए उत्तरदायी हैं। जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन कारपोरेट अभिशासन पर वृद्धित फोकस और विद्युत स्टेशनो/परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन के दौरान जोखिमों के प्रबंधन में परिणत हुआ है। कंपनी ने विभिन्न स्थानों पर आवधिक अनुपालन लेखापरीक्षा द्वारा विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं संबंधी अनुपालन में भी सुधार किया है।

20. सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से खरीद

सूक्ष्म तथा लघु उद्यम (एमएसई) हेतु लोक खरीद नीति आदेश, 2012 के अनुपालन में इसके अंतर्गत, सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद की जाने वाली मदों सहित वार्षिक खरीद योजना को एमएसई के लाभ हेतु एनएचपीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। नीति के समन्वय तथा क्रियान्वयन हेतु आपकी कंपनी की ओर से नोडल अधिकारी को नामित किया गया है।

एनएचपीसी में लोक खरीद नीति के अंतर्गत निविदा शुल्क, धरोहर जमा राशि, सुरक्षा जमा में छूट, खरीद प्राथमिकता, एमएसई को विलंबित भुगतान पर ब्याज जैसे लाभों का विस्तार एमएसई को भी किया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान एनएचपीसी ने कुल वार्षिक खरीद मूल्य के 34.69 प्रतिशत की वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद एमएसई से की जबकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित बाध्यकारी लक्ष्य 20 प्रतिशत का है। कुल वार्षिक खरीद मूल्य में ऐसी मदें/उपकरण/सेवाएं शामिल नहीं थी जो या तो मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) के स्वामित्व वाले थी और/अथवा जिन्हें एमएसई द्वारा विनिर्मित नहीं किया जा रहा था/मुहैया नहीं करवाया जा रहा था।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर एनएचपीसी के विभिन्न विद्युत स्टेशनों/परियोजनाओं/यूनिटों में कुल 08 विक्रेता विकास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है ताकि सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को प्रोत्साहन दिया जा सकें।

21. राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 और संगत नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया।

एनएचपीसी ने वर्ष 2016-17 के दौरान राजभाषा के प्रोत्साहन के संबंध में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें हिंदी पखवाड़ा, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, हिंदी प्रतियोगिताएं, हिंदी 'पुस्तक पठन

सप्ताह', हिंदी कवि सम्मेलन आदि शामिल है। हिंदी कार्यशालाओं तथा विभागीय कम्प्यूटर कार्यशालाओं का कारपोरेट कार्यालय में नियमित रूप से से आयोजन किया गया था। हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 'राजभाषा ज्योति' और 'नगर सौरभ' नामक राजभाषा पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया गया था।

संसदीय राजभाषा समिति ने 17 जून, 2016 और 20 जून, 2016 को क्रमशः टीएलडीपी-IV (दार्जलिंग, पश्चिम बंगाल) और रंगित (गंगटोक, सिक्किम) पावर स्टेशन का राजभाषा निरीक्षण किया और कार्यालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में किए गए प्रयासों की सराहना की। इसके अतिरिक्त, विद्युत स्टेशनों/परियोजनाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कारपोरेट कार्यालय के विभिन्न विभागों में राजभाषा निरीक्षण कंपनी के वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा किए गए थे।

आपके निदेशक यह सूचित करके प्रसन्न हैं कि कंपनी को सातवीं बार राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' प्रदान किया गया है। यह राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला उच्चतम पुरस्कार है।

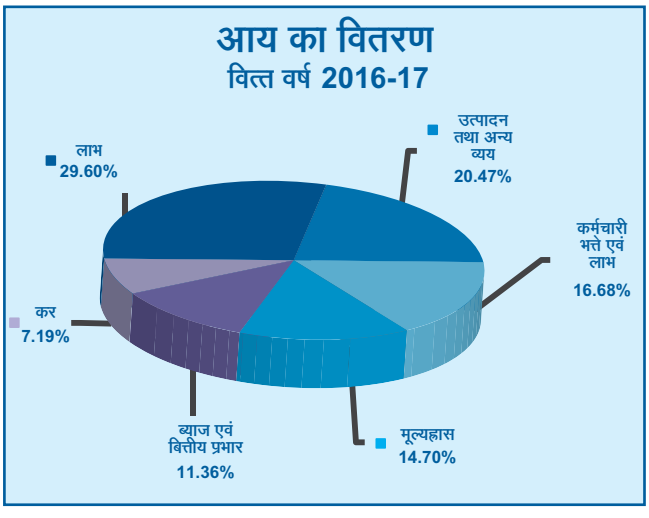

22. खेल कूद तथा अन्य क्रियाकलाप

एनएचपीसी खेलकूद नीति को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस नीति को उद्देश्य खेल संबंधी क्रियाकलापों /मुद्दों जैसे कि सामान्य प्रशासन, खिलाड़ियों की भर्ती, खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, खेल सामग्री के प्रावधान आदि को नियंत्रित करना है।

एनएचपीसी से टीमों ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान विद्युत खेलकूद नियंत्रण बोर्ड, विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न अन्य अंतर सीपीएसयू खेल प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। 19वीं अंतर सीपीएसयू टेबल टेनिस प्रतियोगिता का 12 से 15 फरवरी, 2017 तक आपकी कंपनी द्वारा अपने चमेरा-I पावर स्टेशन, हिमाचल प्रदेश में सफलतापूर्वक आयोजन भी किया गया था।

आपकी कंपनी ने जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों मे स्कूल, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिताओं का समन्वय भी किया था।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने अपने क्रियाकलापों को दर्शाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी प्रतिभागिता की थी।

23. सूचना का अधिकार

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में एनएचपीसी ने विभिन्न दस्तावेजों/रिकार्डों को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अपनी वेबसाइट www.nhpcindia.com पर रखा है। एनएचपीसी ने सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कारपोरेट कार्यालय में अपीलीय अधिकारी, पारदर्शिता अधिकारी, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और विद्युत स्टेशनों/परियोजनाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों/यूनिटों में सहायक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ) नामित किए हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान, आरटीआई के अंतर्गत 541(185 ऑनलाइन) आवेदन और 71(30 ऑनलाइन) प्रथम अपीले प्राप्त हुई थी, जिसमें से क्रमशः 538 (99.45 प्रतिशन) आवेदनों और 71 प्रथम अपीलों (100 प्रतिशत) का उत्तर दिया गया/निपटान किया गया था। इसके अतिरिक्त, आवेदकों द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष दस द्वितीय अपीलें दायर की गई थी जिनका भी निपटान कर दिया गया था।

24. निवेशक शिक्षा और बचाव निधि (आईईपीएफ) ब्यौरे

निवेशक शिक्षा और बचाव निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के पास पड़े हुए अदा न किए गए तथा अदावाकृत राशियों का ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट पर http://nhpcindia.com/NewWebsite/Default.aspx ?id=278&lg=eng लिंक पर उपलब्ध है और इसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाला गया है। अदावाकृत/अदा न की गई राशि को निवेशक शिक्षा तथा बचाव निधि को अंतरण के संबंध में जानकारी कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दी गई है।

25. सम्बन्धित पक्षों की संविदाएं तथा व्यवस्थाएं

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने अपने किसी संबंधित पक्ष के साथ कोई भौतिक संव्यवहार नहीं किया है। कंपनी के प्रमुख संबंधित पक्ष संव्यवहार इसकी सहायक कंपनियों तथा एसोसिएट के साथ परामर्शी सेवाएं मुहैया करवाने, सम्पत्तियों को पट्टे पर देने तथा जनशक्ति सेवाएं मुहैया करवाने के लिए होते हैं। संबंधित पक्षों के साथ की गई सभी संविदाएं/व्यवस्थाएं/संव्यवहार परस्पर सहमति आधार पर थे जो कंपनी के हितों को बढ़ावा देने के लिए थे। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अंतर्गत यथापेक्षित संबंधित पक्ष संव्यवहार का फार्म एओसी-2 में प्रकटीकरण किया जाना लागू नहीं होता है।

आपके निदेशक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 8 की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हैं जो इंड एएस-24 के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटीकरणों को निर्धारित करता है।

26. सतर्कता तंत्र

आपकी कंपनी ने अनैतिक/अनुचित आचरण के मामलों को प्रबंधन की जानकारी में लाने हेतु निदेशकों, कर्मचारियों, वेंडरों तथा संविदाकारों को उचित अवसर मुहैया करवाने के लिए सतर्कता तंत्र के एक भाग के रूप में एक व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई है। इस नीति के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 22 के प्रावधानों के अनुरूप है।

नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और नीति के अंतर्गत पंजीकृत शिकायतों से निपटने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान नीति के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। व्हिसल ब्लोअर नीति के संबंध में लेखापरीक्षा समिति पर पहुंच हेतु किसी व्यक्ति को इन्कार नहीं किया गया है।

27. कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निवारण

कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध और प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप महिला कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान हेतु कंपनी के विभिन्न स्थलों पर 'आंतरिक शिकायत समितियों' का गठन किया गया है। कंपनी के कारपोरेट कार्यालय में समिति के अध्यक्षता एक वरिष्ठ महिला अधिकारी करती हैं और इसमें एक सदस्य के रूप में किसी एनजीओ से एक प्रतिनिधि शामिल होता है। आपकी कंपनी ने 'एनएचपीसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमावली' के अंतर्गत इसे कदाचार के रूप में शामिल करते हुए महिलाओं के यौन उत्पीड़न को प्रतिबंधित भी किया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कपंनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

28. डिबेंचर ट्रस्टी

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 की आवश्यकताओं के अनुपालन में कंपनी द्वारा समय-समय पर जारी बॉण्डों की विभिन्न श्रृंखला हेतु इसके द्वारा नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी का ब्यौरा इस रिपोर्ट में अन्यत्र कहीं दिया गया है।

29. सांविधिक और अन्य जानकारी

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और सीपीएसई हेतु निगमित शासन संबंधी डीपीई के दिशा-निर्देश के अनुसार प्रस्तुत किया जाने हेतु अपेक्षित सूचना इस रिपोर्ट के निम्नानुसार संलग्न है :

विवरण	अनुबंध
कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट	I
कारपोरेट अभिशासन की शर्तो के अनुपालन के संबंध में प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव से प्रमाण-पत्र	II
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	III
ऊर्जा संरक्षण, तकनोलॉजी आमेलन और विदेश मुद्रा अर्जन तथा व्यय	IV
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	V
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट	VI
वार्षिक रिर्टन का उद्धरण	VII
लाभांश वितरण नीति	VIII

30. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

30.1 सचिवालयीन लेखापरीक्षा

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कंपनी की सचिवालयीन लेखापरीक्षा के संचालन हेतु मैसर्स पी.पी.अग्रवाल एंड कंपनी, कंपनी सचिव, दिल्ली को नियुक्त किया है। सचिवालयन लेखापरीक्षा की रिपोर्ट **अनुबंध-IX** में दी गई है। सचिवालयीन लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कुल अहर्ताएं/टिप्पणियां व्यक्त की हैं। अर्हताएं/टिप्पणियों तथा उन पर सरकार का उत्तर निम्नवत है:

क्रम सं.	अर्हता/अभिमत	प्रबंधन का उत्तर
1.	निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1), सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) और कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1.4 के अनुरूप नहीं है क्योंकि कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या मौजूद नहीं है।	कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 34, जिसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के साथ पढ़ा जाता है, के अनुसार कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में मामले का प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय के साथ नियमित रूप से अनुवर्तन किया जा रहा है।

30.2 सांविधिक लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी के निम्नलिखित संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया है :

1. मैसर्स एस.एन. धवन एंड कंपनी, एलएलपी, नई दिल्ली
2. मैसर्स रे एण्ड रे कोलकाता और
3. मैसर्स गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस, जम्मू

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट बिना किसी अर्हता के है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों और साथ में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को **अनुबंध-10** में दिया गया है। कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों और साथ में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को **अनुबंध-11** में दिया गया है।

30.3 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एण्ड एजी) द्वारा लेखे की समीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुपान में वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एण्ड एजी) की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन का उत्तर **अनुबंध-12** में दिया गया है।

30.4 लागत लेखा-परीक्षा

कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखापरीक्षा) नियमावली, 2014 की आवश्यकता के अनुसार आपकी कंपनी के सभी विद्युत स्टेशनों द्वारा लागत लेखाकन रिकार्डों को रखा जा रहा है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु विद्युत स्टेशनों के लागत लेखांकन रिकार्डों की लेखापरीक्षा के संचालन हेतु लागत लेखाकारों की निम्नलिखित फर्मों को नियुक्त किया गया था :

फर्म का नाम	विद्युत स्टेशन का नाम
मैसर्स एच.तारा एण्ड कंपनी, नई दिल्ली (लीड लेखापरीक्षक)	दुलहस्ती और सेवा-II
मैसर्स वी.पी. गुप्ता एण्ड कंपनी, नोएडा	चमेरा -I, टनकपुर और धौलीगंगा
मैसर्स एस.के.आर एण्ड एसोसिएटस, जयपुर	सलाल, चुटक और निम्मो बाजगो
मैसर्स जुगल के पुरी एण्ड एसोसिएटस, नई दिल्ली	बैरास्यूल, चमेरा-II और चमेरा-III
मैसर्स एन.के.जैन एण्ड एसोसिएटस, नई दिल्ली	उड़ी-I, उड़ी-II तथा पार्बती-III
मैसर्स एस.पी. भट्टाचार्य एण्ड कंपनी, कोलाकाता	रंगित, तीस्ता - V और टीएलडीपी-III
मैसर्स मुसिब एण्ड कंपनी, नई दिल्ली	लोकतक, टीएलडीपी-IV और पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु एक्सबीआरएल प्रारूप में समेकित लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट का निर्धारित अवधि के भीतर 9 सितम्बर, 2016 को केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट को निर्धारित समय अवधि के भीतर दायर किया जाएगा।

31. दिए गए ऋण तथा गारंटी, किए गए निवेश और मुहैया करवाई गई सुरक्षा के ब्यौर

दिए गए ऋण तथा गारंटी, किए गए निवेश और मुहैया करवाई गई सुरक्षा के ब्यौरे एकल वित्तीय विवरण में दिए गए हैं (कृपया एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 6 और 16 देखें)।

इसके अतिरिक्त, आधारभूत ढांचा सुविधाएं मुहैया करवाने के व्यापार में नियोजित कम्पनियों पर दिए गए ऋण, गारंटी या सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 लागू नहीं होती है (सिवाय उप धारा (1) के)।

32. कर्मचारियों का ब्यौरा

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है। अतः ऐसे विवरणों को निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

33. बोर्ड तथा बोर्ड की समितियां

आपकी कंपनी की लेखापरीक्षा समिति हित धारक संबंध समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीय विकास संबंधी समिति और अन्य बोर्ड स्तरीय समितियां हैं। इन समितियों की संरचना और साथ में बोर्ड तथा इसकी समितियों की बैठकों में संख्या का ब्यौरा कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का भाग है।

34. निदेशकों तथा बोर्ड का निष्पादन मूल्यांकन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों में छूट दी है/संशोधन किया है। उक्त अधिसूचना के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति को निदेशकों की नियुक्ति हेतु मानदण्ड, उनकी पारिश्रमिक नीति और कुछ मामलों में उनके निष्पादन का मूल्यांकन करना अपेक्षित नहीं है अर्थात जब निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

कंपनी के बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियां और स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन के मूल्यांकन संबंधी नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु कंपनी के बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया को वित्ती वर्ष 2016-17 के दौरान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।

जहां तक केएमपी और कंपनी के अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक का संबंध है, उनके वेतन ढांचे, भत्ते और अन्य लाभ संगत डीपीई दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन का वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के संगत दिशा-निर्देशों के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी के 'कार्य-निष्पादन मूल्यांकन-रिकार्डिंग तथा अभिरक्षा' नियमों के अनुसार किया जा रहा है।

35. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार निदेशक एतदद्वारा निम्न की पुष्टि करते हैं :

क) वार्षिक लेखों की तैयारी में प्रयोज्य लेखांकन मानदंड का अनुसरण किया गया है और तत्संबंधी महत्वपूर्ण विचलन के बारे में उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं, जो इतने युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं, कि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित झलक प्रस्तुत करते हैं;

ग) निदेशकों ने पूरी क्षमता एवं सत्यनिष्ठा से परिसंपत्तियों के संरक्षण और जाल-साजी के निवारण तथा उसका पता लगाने और अन्य अनियमितताओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकार्ड के रखरखाव के लिए उचित उपाय किए हैं;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे को एक अनवरत संबंध के आधार पर तैयार किया है;

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रों को स्थापित किया है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रक पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे; और

(च) कंपनी के निदेशकों ने सभी लागू विधियों के प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों को विकसित किया है और ये प्रणालियां पर्याप्त थी तथा प्रभावी रूप से सकार्य कर रही हैं।

36. लाभांश वितरण नीति

आपकी कंपनी ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक लाभांश वितरण नीति बनाई है जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

37. सामान्य

निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई प्रकटीकरण अथवा सूचना अपेक्षित नहीं हैं क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई संव्यवहार नहीं किए गए थे:

1. लाभांश, मतदान या अन्यथा के संबंध में विभेदी अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरों के मुद्दे।
2. किसी योजना के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को शेयर जारी करना (स्वीट इक्विटी शेयरों सहित)।

3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कंपनी के किसी क्रियात्मक निदेशक को इसकी किसी अनुषंगी से प्राप्त पारिश्रमिक या कमीशन।
4. नियामकों अथवा अदालतों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश जो कम्पनी की चालू अवधारणा स्थिति तथा भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करे।
5. वित्त वर्ष के अंत के पश्चात से इस रिपोर्ट की तिथि तक ऐसा कोई भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धता का होना जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।
6. अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत कवर किए गए जमा से संबंधित ब्यौरे, सिवाय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुबंध में दिए गए स्पष्टीकरण की सीमा तक।

38. कंपनी की विभिन्न नीतियों हेतु वेबसाइट लिंक

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 आदि के अनुसार कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.nhpcindia.com पर प्रदर्शित की जानी हेतु अपेक्षित सूचना के लिए वेबसाइट लिंक निम्नानुसार है:

विवरण	वेबसाइट लिंक
संबंधित पक्ष संव्यवहार संबंधी नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Related-Party-Transaction.pdf
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/CSR_Policy_Final.pdf
भौतिक अनुषंगी कंपनियों संबंधी नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Material-Subsidiary.pdf
व्हिसल ब्लोअर नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/wbp.pdf
निदेशकों हेतु परिचयात्मक कार्यक्रम	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/FP-InDirectors2016-17.pdf
लाभांश वितरण नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Dividend-Policy-21062017.pdf

39. निदेशक मंडल

39.1 क्रियात्मक निदेशक

श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं) को 1 अगस्त, 2017 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है जो 31 अगस्त, 2017 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद से श्री के.एम.सिंह की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप था।.

श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त) ने 1 मार्च 2017 को अपर निदेशक के रूप में बोर्ड मे कार्यभार ग्रहण किया जो 28 फरवरी, 2017 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर तत्कालीन निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकरी (सीएफओ) श्री जयन्त कुमार की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप था। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने अपनी 17 अप्रैल, 2017 को हुई बैठक में श्री मित्तल को कंपनी के सीएफओ के रूप से नियुक्त किया।

श्री निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक) ने 7 फरवरी, 2017 को अपर निदेशक के रूप में बोर्ड मे कार्यभार ग्रहण किया जो 31 जनवरी, 2017 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर तत्कालीन निदेशक (कार्मिक) श्री आर.एस.मीना की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप था।.

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में मुहैया करवाया गया है।

39.2 स्वतंत्र निदेशक

श्री फारूख खान, स्वतंत्र निदेशक ने संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के प्रशासक के रूप में अपनी नियुक्ति के चलते 17 अगस्त, 2016 से कंपनी के निदेशक पद से त्याग-पत्र दे दिया था। तदनुसार, दिनांक 5 सितम्बर, 2016 की पिछली एजीएम के नोटिस का शुद्धि-पत्र समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाकर एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति से संबंधित मद को वापिस लिए जाने हेतु सूचना दी गई थी।

31 मार्च, 2017 को सभी स्वतंत्र निदेशकों ने यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियमन, 2015 के विनियम 16(1)(ख) में निर्धारित किए अनुसार स्वतंत्रता के मानदण्ड को पूरा करते हैं।

बोर्ड श्री के.एम.सिंह, श्री जयन्त कुमार, श्री आर.एस.मीना और श्री फारूख खान द्वारा निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए मूल्यवान योगदानों तथा परामर्श हेतु अत्यधिक सराहना को रिकार्ड करता है।

40. आभारोक्ति

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल भारत सरकार, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राज्य सरकारों और उनके मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सहयोग तथा मार्ग-दर्शन के प्रति आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों, बैंकरों, वित्तीय संस्थानों और देनदारों द्वारा कंपनी में व्यक्त किए गए उनके विश्वास के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता है।

बोर्ड हमारे मूल्यवान उपभोक्ताओं, राज्य विद्युत बोर्डो तथा वितरण कंपनियों और हमारे परामर्शी कार्यों के अन्य मूल्यवान ग्राहकों के प्रति भी अपना विशेष आभार व्यक्त करता है।

हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवालयीन लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों से भी प्राप्त रचनात्मक सुझावों के प्रति आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक मंडल सभी कर्मचारियों की अत्यधिक सराहना करते हैं जिनके उत्कृष्ट पेशेवर रवैये, प्रतिबद्धता और पहल ने संगठन की वृद्धि तथा सफलता को संभव बनाया है और इसकी वृद्धि को जारी रखे हुए हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(रतीश कुमार)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06852735

दिनांक : 11 अगस्त, 2017
स्थान : फरीदाबाद

फ़रीदाबाद में 27 सितंबर 2017 को आयोजित एनएचपीसी की 41वीं वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री बलराज जोशी (मध्य में) एवं स्वतंत्र निदेशकों सहित एनएचपीसी बोर्ड के सदस्य व एनएचपीसी के वरिष्ठ अधिकारीगण।

कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट

अनुबंध - I

1. कारपोरेट अभिशासन संहिता पर कंपनी का विचार :

एनएचपीसी ने कारपोरेट अभिशासन के एक ऐसे ढांचे को स्थापित किया है जो शासन की गुणवत्ता, पारदर्शिता, प्रकटीकरण, शेयरधारकों की सम्पत्ति में अधिकतम वृद्धि और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता पर बल देता है। यह सभी हितधारकों के लिए मूल्य में अधिकतम वृध्दि करने में सहायता करता है और सभी घटकों के मध्य भरोसे तथा विश्वास के एक परिवेश को तैयार करता है।

एनएचपीसी में प्रबंधन अपनी प्रतिबद्धता को एक विवेकसम्मत, उचित तथा पारदर्शी तरीके से करने के लिए सभी संभव कदम उठा रहा है।

वर्ष के दौरान, एनएचपीसी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन के अतिरिक्त, भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) हेतु कारपोरेट अभिशासन पर जारी दिशा निर्देशों का भी पालन किया है।

2. निदेशक मंडल

(i) **निदेशकों की संरचना और श्रेणी :** एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा के प्रावधानों के तहत एक सरकारी कंपनी है।

कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार बोर्ड के सदस्यों की संख्या 4 निदेशकों से कम तथा 15 से अधिक नहीं होगी, परंतु, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या किसी भी स्थिति में बोर्ड की वास्तविक संख्या के आधे से कम नहीं होनी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी मोटे तौर पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 का अनुपालन कर रही थी सिवाय विनियम 17(1) के अर्थात बोर्ड की संख्या का कम से कम 50 प्रतिशत स्वतंत्र निदेशकों का होना चाहिए । यह गैर-अनुपालन मुख्यतः भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण था।

31 मार्च, 2017 के अनुसार कुल 10 निदेशक थे जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित 5 कार्यकारी निदेशक, 2 सरकारी नामित निदेशक और 3 स्वतंत्र निदेशक शामिल थे।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुपालन में निदेशक मंडल ने श्री निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक) और श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त) को क्रमशः 7 फरवरी, 2017 और 1 मार्च, 2017 से कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया । अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर श्री आर.एस.मीना, तत्कालीन निदेशक (कार्मिक) और श्री जयन्त कुमार, तत्कालीन निदेशक (वित्त) क्रमशः 31 जनवरी, 2017 और 28 फरवरी, 2017 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

श्री फारूख खान, तत्कालीन स्वतंत्र निदेशक 17 अगस्त, 2016 से बोर्ड से अपने त्याग-पत्र दिए जाने के चलते कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

वर्ष के दौरान नियुक्त अथवा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों के ब्यौरे निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं।

31 मार्च, 2017 को निदेशक मंडल की संरचना नीचे **तालिका-1** में दी गई है :

तालिका 1 : 31 मार्च, 2017 को निदेशक मंडल की संरचना

विवरण	अपेक्षित बोर्ड ढांचा	31.03.2017 को वास्तविक संख्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1
कार्यकारी निदेशक	4	4
सरकारी नामित निदेशक	2	2
स्वतंत्र निदेशक	7	3
कुल	**14**	**10**

निदेशकों के नाम, वर्ष के दौरान बोर्ड बैठकों में उनकी उपस्थिति, पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उनकी उपस्थिति, शेयरों की संख्या, वर्ष 2016-17 के दौरान उनके द्वारा धारित अन्य निदेशक पदों तथा बोर्ड समिति सदस्यताओं की संख्या **तालिका 2** में दी गई है।

तालिका-2:

निदेशक का नाम (सर्व श्री/ श्रीमती)	वर्ष के दौरान आयोजित और भाग ली गई बोर्ड बैठकें	पिछली एजीएम में उपस्थिति (22 सितम्बर, 2016 को हुई)	निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों के ब्यौरे	समिति सदस्यता तथा समिति अध्यक्षता के ब्यौरे*
कार्यकारी निदेशक					
के.एम.सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	10/10	हां	कोई नही	क) एनएचडीसी लिमिटेड ख) लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	कोई नही
आर. एस. मीना, निदेशक (कार्मिक)[1]	8/8	हां	लागू नहीं[1]	लागू नहीं	लागू नहीं
जयंत कुमार, निदेशक (वित्त)[2]	10/10	हां	लागू नहीं[2]	लागू नहीं	लागू नहीं
रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं)	9/10	हां	15986	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	कोई नहीं
बलराज जोशी, निदेशक (तकनीकी)	9/10	हां	11891	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लमिटेड	कोई नहीं
निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक)[3]	2/2	लागू नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त)[4]	0/0	लागू नहीं	कोई नहीं	क) पीटीसी इंडिया लिमिटेड ख) चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	कोई नहीं
सरकारी नामित निदेशक					
कृष्णा त्यागी, मुख्य लेखा नियंत्रक, विद्युत मंत्रालय	10/10	हां	कोई नहीं	कोई नहीं	सदस्य - लेखापरीक्षा समिति, एनएचपीसी लिमिटेड
अर्चना अग्रवाल, संयुक्त सचित (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय	8/10	नहीं	कोई नहीं	एसजेवीएन लिमिटेड	कोई नहीं
स्वतंत्र निदेशक					
सत्य प्रकाश मंगल	8/10	हां	1500	क) एडविंग्स रेल एंड इन्फ्रा सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड ख) एसपीएमसी ग्लोबल एडवाइजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड ग) रौनक ईपीसी इंटरनेशनल लिमिटेड घ) एनएचडीसी लिमिटेड	क) सदस्य - लेखापरीक्षा समिति, रौनक ईपीसी इंटरनेशनल लिमिटेड ख) सदस्य - हितधारक संबंध समिति, एनएचपीसी लिमिटेड ग) अध्यक्ष - लेखापरीक्षा समिति, एनएचपीसी लिमिटेड घ) अध्यक्ष - लेखापरीक्षा समिति, एनएचडीसी लिमिटेड
कनिका टी. भाल	9/10	हां	कोई नहीं	कोई नहीं	क) सदस्य - लेखापरीक्षा समिति, एनएचपीसी लिमिटेड ख) अध्यक्ष - हितधारक समन्वय समिति, एनएचपीसी लिमिटेड
अरूण कुमार	8/10	नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
फारूख खान[5]	3/4	लागू नहीं	कोई नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* लेखापरीक्षा समिति और हितधारक समन्वय समिति की अध्यक्षता/सदस्यता को लिया गया है।

1. श्री आर.एस. मीना 31 जनवरी, 2017 से निदेशक नहीं रहे और उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि को उनके पास कंपनी के 26680 शेयर थे।
2. श्री जयन्त कुमार 28 फरवरी, 2017 से निदेशक नहीं रहे और उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि को उनके पास कंपनी का कोई शेयर नहीं था।
3. श्री निखिल कुमार जैन ने 7 फरवरी, 2017 को श्री आर.एस.मीना के स्थान पर बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।
4. श्री महेश कुमार मित्तल ने 1 मार्च, 2017 को श्री जयन्त कुमार के स्थान पर बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।
5. श्री फारूख खान 17 अगस्त, 2016 से निदेशक नहीं रहे।

टिप्पणी:

क) कंपनी का कोई निदेशक एक समय में दस (10) से अधिक कंपनियों में निदेशक नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक का पद धारित की हुई सभी कंपनियों में दस (10) से अधिक समितियों का सदस्य या पांच (5) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है।

ख) कंपनी के निदेशकों का आपस में किसी प्रकार का परस्पर संबंध नहीं है।

ग) कोई भी निदेशक तीन से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है।

घ) कंपनी ने अद्यतन तिथि तक कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की है।

(ii) **आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या, जिस तिथि को वह आयोजित की गई :**

वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मंडल की 10 बैठकें हुई। बोर्ड की दो बैठकों के बीच अधिकतम 120 दिन से अधिक का अंतराल नहीं रहा। वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का ब्योरा नीचे तालिका-3 में दिया गया है।

तालिका-3 : वर्ष 2016-17 के दौरान हुई बोर्ड की बैठकें

क्र. सं.	बोर्ड बैठक संख्या	तारीख	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	393	26 अप्रैल, 2016	11	11
2.	394	28 मई, 2016	11	10
3.	395	22 जुलाई, 2016	11	9
4.	396	12 अगस्त, 2016	11	11
5.	397	14 अक्तूबर, 2016	10	9
6.	398	18 नवम्बर, 2016	10	9
7.	399	22 दिसम्बर, 2016	10	8
8.	400	12 जनवरी, 2017	10	9
9.	401	7 फरवरी, 2017	10	10
10.	402	28, फरवरी, 2017	10	8

(iii) **निदेशकों की आयु सीमा और कार्य अवधि:** कार्यकारी निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि अथवा उम्मीदवार की सेवानिवृत्ति की तारीख तक या भारत सरकार के आगामी आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, तक के लिए होती है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले, सरकार द्वारा नामित निदेशक नामित करने वाले प्राधिकारी के विवेकाधिकार के अनुसार अथवा विद्युत मंत्रालय के अधिकारी रहने तक बोर्ड में बने रहते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा सामान्यत: 3 वर्ष तक के लिए की जाती है।

(iv) **निदेशकों का जीवन-वृत :** क्रमानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों और वार्षिक आम बैठक में पुन: नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे अपर निदेशकों का संक्षिप्त जीवन-वृत वार्षिक आम बैठक को बुलाने वाले नोटिस के साथ संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी निदेशकों की संक्षिप्त रूप-रेखा इस वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र कहीं पर दी गई है।

(v) **बोर्ड बैठकें, समिति बैठकें और प्रक्रियाविधि :**

(क) **निर्णय लेने की प्रक्रिया:** कंपनी ने समस्त कारपोरेट मामलों के व्यावसायीकरण की संवीक्षा के साथ निदेशक मंडल के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट तैयार किया है। इन दिशा-निर्देशों से बोर्ड तथा इसकी समिति की बैठकों में निर्णय करने की प्रक्रिया को विवेकपूर्ण एवं सक्षमतापूर्ण ढंग से सुव्यवस्थित करने में सहायता मिलती है।

(ख) **बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कार्यवृत्त मदों का निर्धारण और चयन :**

- बोर्ड/समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन लेने के उपरांत संगत नोटिस जारी करने के बाद बोर्ड/निदेशकों की समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। विस्तृत कार्य सूची नोट, प्रबंधन रिपोर्ट, और अन्य व्याख्यात्मक विवरण बैठक से पूर्व सभी सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, विवेकसम्मत एवं संकेन्द्रित निर्णय किए जा सकें। जब किसी तात्कालिक मुद्दे का समाधान करना हो, तो संक्षिप्त नोटिस पर बैठक बुलाई जाती है अथवा एजेंडा नोटस पटल पर रखे जाते हे या परिचालन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।
- किसी दस्तावेज को उसकी असाधारण परिस्थितियों अथवा गोपनीयता बनाए रखने के चलते कार्यसूची नोट के साथ संलग्न करना व्यावहारिक न हो, तो ऐसे कागजात बैठक में पटल पर प्रस्तुत किए जाते हैं।
- कार्य सूची दस्तावेज अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद परिचालित किए जाते हैं।
- बैठकों का आयोजन फरीदाबाद अथवा नई दिल्ली स्थित कंपनी के कार्यालयों में किया जाता है।
- जब और जैसी आवश्यकता हों, वित्त, कार्य प्रणाली, मानव संसाधन इत्यादि से संबंधित मामलों पर प्रस्तुतिकरणों को बोर्ड/समिति की बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है।
- बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की समस्त सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। बोर्ड/समिति के सदस्यों को यह अधिकार है कि वह किसी ऐसे मुद्दे की अनुशंसा कर सकता है जो वह कार्यसूची में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण समझता हो। आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड/समिति द्वारा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को बैठक में बुलाया जा सकता है ताकि विचारित मुद्दों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ग) **बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना :** प्रत्येक बोर्ड/समिति बैठक की कार्यवाहियों के प्रारूप कार्यवृत्त को बैठक समाप्ति के 15 दिवस के भीतर उनकी टिप्पणियों हेतु सभी सदस्यों को परिचालित किया जाता है। निदेशक प्रारूप कार्यवृत्त के परिचालन की तिथि से 7 दिवस के भीतर अपनी टिप्पणियों को सप्रेषित करते हैं। निदेशकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों की एक तुलनात्मक शीट को विचार तथा अनुमोदन हेतु अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/संबंधित समिति के अध्यक्ष के समक्ष रखा जाता है। प्रत्येक बोर्ड/समिति बैठक की कार्यवाहियों को बैठक समाप्ति के 30 दिवस के पश्चात कार्यवृत्त पुस्तिका में उचित रूप से दर्ज किया जाता है।

(घ) **अनुवर्तन तंत्र :** निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर बोर्ड/समिति में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे सूचना हेतु संबंधित बोर्ड/समिति के समक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह अनुवर्तनों पर एक प्रभावी रिपोर्टिंग तथा निर्णयों की समीक्षा में सहायता करता है।

(ङ) **विधि का अनुपालन आदि :** हमारा यह प्रयास होता है कि कंपनी विधि, सेबी विनियम और दिशानिर्देशों और विभिन्न विधियों के अंतर्गत अन्य सांविधिक आवश्यकताओं के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। निदेशक मंडल समय-समय पर उसके समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली विधि अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है। विधियों के अनुपालन प्रबंधन को और सुदृढ़ करने के लिए विधि विभाग और कंपनी सचिवालय से अधिकारियों के एक दल ने अनुपालन लेखापरीक्षा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों का दौरा किया। अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट और साथ में उस पर प्राप्त उत्तरों को नियमित रूप से बोर्ड के समक्ष भी प्रस्तुत किया जा रहा है।

आम तौर पर निदेशक मंडल के समक्ष विचार हेतु निम्नलिखित कार्यसूची मदों को प्रस्तुत किया जाता है :

- वार्षिक संचालन योजनाएं, बजट तथा तत्संबंधी कोई अद्यतन जानकारी।
- पूंजीगत बजट और तत्संबंधी अद्यतन जानकारी।
- कंपनी के तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
- बोर्ड की अनुषंगी कंपनियों की बैठकों के कार्यवृत।
- अनुषंगी कंपनियों द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण कारोबार और समझौतों का विवरण।
- विभिन्न स्थलों/यूनिटों पर घातक और गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई सामग्री उत्सर्जन या प्रदूषण संबंधी समस्याएं।
- वस्तुगत रूप से महत्वपूर्ण होने वाले कारण बताओं, मांग, अभियोजन तथा शास्ति नोटिस।
- प्रमुख निवेश, अनुषंगी इकाइयों, संयुक्त उद्यमों और कार्यनीतिक भागीदारों का गठन।
- नामांकन आधार पर प्रदान किए गए खरीद/निर्माण/अनुबंधों के संदर्भ में तिमाही जानकारी।
- विभिन्न विधियों के अनुपालन पर त्रैमासिक रिपोर्ट।
- निदेशकों द्वारा उनके हितों का प्रकटीकरण।
- बड़े पूंजी निवेश प्रस्ताव अथवा बड़ी संविदाओं को प्रदान किया जाना।
- बोर्ड द्वारा वांछित मामलों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट।
- माध्यस्थम मामलों की स्थिति।
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा व्यवहारों में परिवर्तन और तत्संबंधी कारण।
- बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली अन्य कोई सूचना या तो सूचनार्थ अथवा लागू विधियों की आवश्यकतानुसार अनुमोदन हेतु।

(vi) **आचार संहिता :**

बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु व्यापार चालन तथा नीति शास्त्र संहिता का अनुपालन वर्ष 2016-17 के दौरान सभी संबंधितों द्वारा किया गया था।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 तथा कारपोरेट अभिशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के अंतर्गत यथापेक्षित घोषणा

बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु आचार संहिता तथा नीति-शास्त्र के अनुपालन करने की पुष्टि की है।

(के. एम. सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या: 02223301

दिनांक : 8 जून, 2017
स्थान : फरीदाबाद

(vii) **धोखाधड़ी निवारण नीति :**

धोखाधड़ी का पता लगाने तथा उसे रोकने, पता लगने वाले या संदेह होने वाली किसी धोखाधड़ी को सूचित करने और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों के उचित निपटान हेतु एक प्रणाली मुहैया करवाने के उद्देश्य से आपकी कंपनी द्वारा एक धोखाधड़ी निवारण नीति बनाई गई है। इस नीति के अंतर्गत प्रत्येक स्थल अर्थात परियोजनाएं/पावर स्टेशन/क्षेत्र/सम्पर्क कार्यालयों में मानव संसाधन प्रभारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

(viii) **बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण :**

कंपनी की अपनी बोर्ड के सदस्यों हेतु एक प्रशिक्षण नीति है जिसका उद्देश्य नेतृत्व क्षमताओं का विकास, ज्ञान, कौशल तथा अनुभवों को सांझा करने के लिए एक मंच मुहैया करवाना है। नीति कारपोरेट अभिशासन, व्यापार नीतिशास्त्र तथा आचार की मॉडल संहिता, जो अन्य निदेशकों पर लागू है, तथा अन्य संगत मुद्दों के संबंध में प्रशिक्षण मुहैया करवाने का प्रावधान करती है। नीति बोर्ड स्तरीय पदाधिकारियों को कंपनी के व्यापार की जोखिम प्रोफाइल सहित कंपनी के व्यापार मॉडल में अपने ज्ञान को अद्यतन करने का एक अवसर मुहैया करवाती है तथा उनके उत्तरदायित्वों को एक प्रभावी ढंग से निर्वहन किए जाने को सुनिश्चित करती है।

जब कभी भी कोई निदेशक बोर्ड में नियुक्त किया जाता है तो उसे कंपनी के क्रियाकलापों के संबंध में औपचारिक प्रारंभिक ज्ञान तथा अभिमुखीकरण आवश्यक दस्तावेजों/ब्राउशरों, रिपोर्ट तथा आंतरिक नीतियों के माध्यम से मुहैया करवाया जाता है, जो उनकी कंपनी की प्रक्रियाविधियों, व्यवहारों तथा जोखिम प्रोफाइल से परिचित होने में सहायता करता है।

स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए परिचय कार्यक्रमों के ब्यौरे कंपनी की वेबसाइट पर http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/FP-Indirectors2016-17.pdf लिंक पर उपलब्ध है।

(ix) **एनएचपीसी लिमिटेड की प्रतिभूतियों में आंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए संहिता :** भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिषेध) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं के अनुपालन में एनएचपीसी लिमिटेड ने एनएचपीसी लिमिटेड की प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने हेतु भीतरी व्यक्तियों द्वारा व्यापार के नियंत्रण, प्रबोधन तथा सूचित करने और उचित प्रकटीकरण व्यवहारों हेतु संहिता के लिए एक आचार संहिता निरूपित तथा क्रियान्वित की है। इस संहिता के अंतर्गत बोर्ड के समक्ष मूल्य संवेदी सूचना रखे जाने के समय नामित व्यक्तियों हेतु व्यापार विंडो बन्द रहती है।

3. निदेशक मंडल की समितियां

बोर्ड ने व्यापार के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए बाध्यकारी तथा गैर-बाध्यकारी समितियों का गठन किया है। बोर्ड द्वारा निम्नांकित स्थाई समितियों का गठन किया गया है :

बाध्यकारी समितियां

1. लेखापरीक्षा समिति
2. हितधारक संबंध समिति
3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
4. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति
5. जोखिम प्रबंधन समिति

गैर-बाध्यकारी समितियां

6. एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन और आबंटन पश्चात गतिविधियों से संबंधित निदेशक समिति
7. प्रबंधन नियंत्रण संबंधी समिति
8. निदेशकों की समिति - अपीलीय प्राधिकरण

उक्त समितियों में से प्रत्येक समिति के सदस्यों, आयोजित बैठकों, संदर्भ की शर्तों आदि के ब्यौरे निम्नानुसार है:

3.1 लेखा-परीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति की संरचना, गणपूर्ति, संदर्भ की शर्तें आदि कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

31 मार्च, 2017 के अनुसार लेखा-परीक्षा समिति का संघटन इस प्रकार था :

i)	श्री सत्य प्रकाश मंगल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	प्रो. अरूण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	प्रो. कनिका टी. भाल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iv)	श्रीमती कृष्णा त्यागी	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य

बैठकें और उपस्थिति :

समिति की बैठक वर्ष में 6 बार अर्थात 25 अप्रैल, 2016; 28 मई, 2016; 12 अगस्त, 2016; 17 नवम्बर, 2016; 31 जनवरी, 2017 और 06 फरवरी, 2017 को हुई। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों के भाग लेने संबंधी ब्योरा नीचे **तालिका-4** में दिया गया है।

तालिका-4 : लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

क्र.स.	2016-17 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री सत्य प्रकाश मंगल	6	6
2.	श्री फारूख खान *	3	3
3.	श्री रतीश कुमार **	3	3
4.	प्रो. कनिका टी. भाल	4	3
5.	प्रो. अरुण कुमार	3	2
6.	श्रीमती कृष्णा त्यागी	3	2

* श्री फारूख खान 17 अगस्त, 2016 से बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।

** श्री रतीश कुमार 14 अक्तूबर, 2016 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रमुख, सांविधिक लेखापरीक्षकों और लागत लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया गया था। समिति को आवश्यक आदान मुहैया करवाने की अपेक्षा होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को षी आमंत्रित किया गया था।

श्री सत्य प्रकाश मंगल, स्वतंत्र निदेशक ने वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान आयोजित सभी बैठकों की अध्यक्षता की थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों के मध्य समयांतराल 120 दिवस से अधिक का नही था। निदेशक (वित्त), निदेशक (परियोजनाएं) और आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रमुख वर्ष के दौरान आयोजित लगभग सभी लेखापरीक्षा समिति बैठकों में आमंत्रिति के रूप में उपस्थित थे। कम्पनी सचिव ने समिति के सचिव के रूप में कार्य किया। लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष कम्पनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

संदर्भ की शर्तें :

कम्पनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट शासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा की संदर्भ की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण और उसकी वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त, और विश्वसनीय है।
2. लेखा-परीक्षा शुल्क निर्धारित करने की सिफारिश बोर्ड को भेजना।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान की मंजूरी देना।
4. वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, विशेषकर निम्नांकित के संदर्भ में प्रबंधन के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना :
   - क) बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में सम्मिलित करने के लिए अपेक्षित मामले;
   - ख) लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों, और उनके लिए कारण;
   - ग) प्रबंधन द्वारा अपने विवेक के आधार पर लगाए गए अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां;
   - घ) लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के कारण वित्तीय विवरण में किए गए महत्त्वपूर्ण समायोजन;
   - ङ) वित्तीय विवरण से संबंधित सूचीकरण और अन्य वैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन;
   - च) संबंधित पक्ष लेन-देन से संबद्ध कोई प्रकटीकरण; और
   - छ) प्रारूप लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत।
5. तिमाही वित्तीय विवरण को मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना।
6. सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य-निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन के साथ मिलकर समीक्षा करना।
7. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के ढांचे सहित, उसमें कर्मचारियों की संख्या, और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग ढांचे की कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्तता की समीक्षा।
8. किसी महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष और तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श।

9. ऐसे मामलों में, जहां किसी धोखेबाज़ी या अनियमितता अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की महत्त्वपूर्ण विफलता का संदेह हो और विभागीय/लेखापरीक्षकों/एजेंसियों की जांच के बाद निष्कर्ष सामने आए हों, तो उनकी समीक्षा करना और मामले की जानकारी बोर्ड को देना।

10. कंपनी की लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा के स्वरूप और क्षेत्र के बारे में बातचीत करना तथा लेखापरीक्षा पूरी हो जाने पर फिर से उनके साथ बातचीत करना ताकि किसी महत्त्वपूर्ण सरोकार का पता लगाया जा सके।

11. जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांशों की अदायगी न किए जाने के मामले में) और ऋणदाताओं को भुगतान में कोई बड़ी चूक होने के कारणों का पता लगाना।

12. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कार्यकरण की समीक्षा करना।

13. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा में की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बारे में की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

14. लोक उद्यमों से सम्बद्ध संसदीय समिति की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

15. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार के लिए एक मुक्त आयाम प्रदान करना।

16. कम्पनी में सम्बन्धित पक्ष के सभी प्रकार के कारोबार को मंजूरी देना अथवा बाद में उसमें कोई संशोधन करना।

17. स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ मिलकर लेखा परीक्षा प्रयासों में समन्वय की समीक्षा करना ताकि विषयों के कवरेज की पूर्णता सुनिश्चित की जा सके, व्यर्थ के प्रयासों में कमी लायी जा सके, और सभी लेखा परीक्षा संसाधनों का प्रभावकारी इस्तेमाल किया जा सके।

18. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ मिलकर निम्नांकित विषयों पर विचार करना और उनकी समीक्षा करना :

    - कम्पयूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रणों और सुरक्षा सहित, आतंरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और
    - स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक की सिफारिशों और निष्कर्षों तथा उन पर प्रबंधन द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करना।

19 निम्नांकित विषयों पर प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ विचार करना और उनकी समीक्षा करना:

    - पिछली लेखा परीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान सामने आए महत्वपूर्ण निष्कर्ष, और
    - अपेक्षित जानकारी तक पहुंच या तत्सम्बन्धी गतिविधियों के क्षेत्र पर किसी प्रकार के प्रतिबंधों सहित, लेखा परीक्षा कार्य के दौरान सामने आयी किसी प्रकार की कठिनाइयां।

20 लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता तथा कार्य-निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा और निगरानी।

21 अंतर कारपोरेट ऋणों तथा निवेश की जाँच।

22 कंपनी की वचनबध्दता अथवा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां-कहीं यह आवश्यक हो।

23 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

24 प्रबंधन के साथ किसी इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइटस इश्यू, अधिमानी इश्यू आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/अनुप्रयोग के विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/सूचना में बताए गए के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग की गई निधियों के विवरण और किसी पब्लिक अथवा राइट इश्यू की प्राप्तियों के उपयोग का प्रबोधन करने वाली प्रबोधक एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।

25 बोर्ड को कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक की सिफारिश करना।

26 निम्नलिखित की समीक्षा :

    i) प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थितियों तथा प्रचालनों के परिणामों का विश्लेषण।

    ii) प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण में कमियों के पत्र; सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किए गए।

    iii) आंतरिक नियंत्रण कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

27 मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की समीक्षा तथा उसे हटाना।

28. कम्पनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ की शर्तो में यथा उल्लिखित अन्य कोई कार्य करना।

3.2 हितधारक संबंध समिति

वर्ष के दौरान हितधारक संबंध समिति के सदस्य श्री जयन्त कुमार अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गए। उनकी सेवानिवृत्ति से पूर्व हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित शामिल थे :

i)	प्रो. कनिका टी.भाल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	श्री सत्य प्रकाश मंगल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	श्री जयन्त कुमार	निदेशक (वित्त)	सदस्य

* समिति की एक बैठक 12 जनवरी, 2017 को हुई जिसमें सभी सदस्य मौजूद थे। बाद में एनएचपीसी के निदेशक मंडल ने 17 अप्रैल, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन किया तथा निम्नलिखित निदेशक इसके सदस्य बनाए गए :

i)	प्रो. कनिका टी.भाल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	श्री सत्य प्रकाश मंगल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

संदर्भ की शर्तें

1. हितधारक संबंध समिति कम्पनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार तथा उनका समाधान करेगी जिसमें शेयरों के अंतरण, तुलन-पत्र प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने से संबंधित शिकायतें शामिल होंगी।
2. कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण समझौते और डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार यथा अपेक्षित अन्य कोई कार्य करना।

अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम :

श्री विजय गुप्ता, कम्पनी सचिव, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 6 के संदर्भ में समिति के अनुपालन अधिकारी हैं।

शेयरधारकों/ बाण्डधारकों से प्राप्त शिकायतें :

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरधारकों/बाण्डधारकों की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई की सिवाय विवादों अथवा कानूनी बाधाओं से बाधित मामलों के। वर्ष के दौरान प्राप्त तथा निपटान की गई शिकायतों का ब्यौरा तालिका-5 में दिया गया है।

तालिका-5 : शेयरधारकों/ बाण्डधारकों की शिकायतें

विवरण	1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभिक शेष	31,मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायत	31, मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निपटारा की गई शिकायतें	31, मार्च 2017 को लंबित शिकायतें
शेयरधारकों की शिकायतें				
रिफंड ऑर्डर प्राप्त न होना	शून्य	98	98	शून्य
लाभांश वारंट प्राप्त न होना	शून्य	2960	2960	शून्य
सेबी शिकायतें	शून्य	40	39	1
स्टॉक एक्सचेंज शिकायतें	शून्य	14	14	शून्य
उपभोक्ता मंच/अदालती मामले	2	1	शून्य	3
वकील के नोटिस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**2**	**3113**	**3111**	**4***
बाण्डधारकों की शिकायतें				
रिफंड ऑर्डर प्राप्त न होना	0	1	1	0
टीडीएस प्रमाण-पत्र प्राप्त न होना	0	1	1	0
इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट प्राप्त न होना	0	1	1	0
ब्याज वारंट प्राप्त न होना	0	67	67	0
बाण्ड/प्रतिभूतियों का प्राप्त न होना	0	96	96	0
कुल	**0**	**166**	**166**	**0**

* 31 मार्च, 2017 को लंबित शेयरधारकों की शिकायतें सेबी शिकायतों और उपभोक्ता मंच के समक्ष लंबित मामलों/अदालती मुकद्दमों से संबंधित है।

सेबी शिकायत समाधान प्रणाली (स्कोर्स) - सूचीबद्ध कंपनियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज करने हेतु सेबी की ऑनलाइन पोर्टल

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ''स्कोर्स'' नामक एक वेब आधारित शिकायत समाधान प्रणाली प्रारंभ ही है, जिसके माध्यम से कोई शेयरधारक किसी कंपनी के विरूद्ध अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति देख सकता है। जैसे ही कोई शिकायत दर्ज होती है, उसे भविष्य के संदर्भ तथा ट्रैकिंग हेतु एक अनूठी पंजीकरण संख्या आवंटित की जाती है। संबंधित निकाय (मध्यस्थ या सूचीबद्ध कंपनी) इलेक्ट्रानिक रूप से कृत कार्रवाई रिपोर्ट को अपलोड करता है। संबंधित निकाय और शिकायतकर्ता एक-दूसरे को ऑनलाइन से स्पष्टीकरण मांग सकते है और/अथवा स्पष्टीकरण मुहैया करवा सकते है। सेबी शिकायत के पर्याप्त समाधान हेतु संतुष्ट होने पर उसका निपटान कर देती है।

कोई निवेशक जो स्कोर्स से परिचित नहीं है अथवा जिसकी स्कोर्स पर पहुंच नहीं है, वह अपनी शिकायत भौतिक रूप में दर्ज करवा सकता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान स्कोर्स के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की गई और रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट से यथा प्राप्त इन शिकायतों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) स्कोर्स के माध्यम से सेबी को प्रस्तुत की गई हैं।

शेयर अंतरण हेतु लंबित मामलों की संख्या:

31 मार्च, 2017 को शेयर अंतरण हेतु कोई अनुरोध लंबित नहीं था।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, सभी शेयर अंतरणों का अनुपालन स्टाक एक्सचेंजों द्वारा विहित समय के भीतर पूरा किया गया था; और एक प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित इस आश्य के प्रमाण-पत्रों को स्टाक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया है।

3.3 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

एनएचपीसी एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के चलते, निदेशकों की नियुक्तियां, उनके कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तथापि, कारपोरेट शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों, (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, एक पारिश्रमिक समिति का गठन वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील वेतन पूल और कार्यपालकों तथा गैर-यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के मध्य विहित सीमाओं को भीतर वितरण हेतु नीति का निर्णय लेने के लिए किया गया था। 31 मार्च, 2017 के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

i)	प्रो. कनिका टी. भाल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	श्रीमती कृष्णा त्यागी	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य
iii)	प्रो. अरुण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

निदेशक (वित्त) और निदेशक (कार्मिक) समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रिती हैं।

बैठकें और उपस्थिति :

वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें - 5 जून, 2016, 14 अक्तूबर, 2016 और 12 जनवरी, 2017 को हुईं। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे **तालिका-6** में दिया गया है।

तालिका-6 : नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकें

क्र. स.	2016-17 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1.	प्रो. कनिका टी. भाल	3	3
2.	श्रीमती कृष्णा त्यागी	3	3
3.	प्रो. अरूण कुमार	3	3

समिति की संदर्भ की शर्तें

1. किसी निदेशक के सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता के निर्धारण हेतु मानदंड निरूपित करना।
2. वार्षिक बोनस/कार्य निष्पादन सम्बन्धी वेतन (पीआरपी) के वितरण और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों सहित बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों में वितरण सम्बन्धी नीति की अनुशंसा करना।
3. स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के मूल्यांकन हेतु मानदंड का निरूपण।
4. बोर्ड की विविधता पर एक नीति बनाना।
5 निर्धारित मानदंड के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किए जा सकने वाले व्यक्तियों की पहचान करना और बोर्ड से उनकी नियुक्ति तथा पदमुक्त करने की अनुशंसा करना।
6 अन्य भत्ते और परिलब्धियों पर विचार करना और उन्हें निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए भेजना।

7. कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण समझौते/सेबी (एलओडीआर) और डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशा-निर्देशों के प्रवाधानों के अनुसार यथापेक्षित अन्य कोई कार्य करना।

स्वतंत्र निदेशकों सहित बोर्ड सदस्यों के निष्पादन मूल्यांकन मानदण्ड :

क. प्रत्येक निदेशक को बोर्ड, स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल की समितियों के मूल्यांकन हेतु विभिन्न मानदण्डों पर रेटिंग देनी होती है तथा उक्त को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

ख. रेटिंग को कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु 5 के स्केल पर निम्नानुसार दिया जाना होता है :

रेटिंग स्केल

स्केल	कार्य-निष्पादन
5	बहुत अच्छा
4	अच्छा
3	संतोषजनक
2	सुधार की आवश्यकता
1	अस्वीकार्य

ग. नामांकन और पारिश्रमिक समिति सील बंद लिफाफे में मूल्यांकन फार्म प्राप्त करेगी और परिणामों का सार बनाएगी। नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष स्पष्टीकरण या व्याख्या की अपेक्षा होने पर किसी पृथक निदेशक के साथ विचार-विमर्श कर सकते हैं।

घ. नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष प्राप्त मूल्यांकन रेटिंग के आधार पर नामांकन और पारिश्रमिक समिति के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। समिति परिणाम की समीक्षा करेगी और अपनी सिफारिश को बोर्ड के विचार हेतु प्रस्तुत करेगी।

ङ बोर्ड नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों की समीक्षा करेगा और आवश्यक निदेश जारी करेगा।

3.4 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति

31 मार्च, 2017 के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल है:

i)	प्रो. अरुण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)	सदस्य
iii)	श्री बलराज जोशी	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

बैठकें और उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की चार बैठक - 18 जुलाई, 2016, 29 अगस्त, 2016, 6 जनवरी, 2017 और 21 मार्च, 2017 को हुईं। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे **तालिका 7** में दिए गए है।

तालिका-7 : कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति की बैठके:

क्र.स.	2016-17 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1.	प्रो. अरुण कुमार	4	4
2.	श्री जयंत कुमार *	3	3
3.	श्री बलराज जोशी	4	4
4.	श्री महेश कुमार मित्तल **	1	1

* श्री जयन्त कुमार 28 फरवरी, 2017 से निदेशक नहीं रहे।

** श्री महेश कुमार मित्तल को 8 मार्च, 2017 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

3.5 जोखिम प्रबंधन समिति

31 मार्च, 2017 के अनुसार जोखिम प्रबधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

i)	प्रो. अरुण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	प्रो. कनिका टी. भाल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	श्री सत्य प्रकाश मंगल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iv)	श्री बलराज जोशी	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
v)	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)	पदेन सदस्य

बैठकें तथा उपस्थिति :

समिति ने वर्ष के दौरान 22 जुलाई, 2016 और 17 दिसम्बर, 2016 को दो बैठके की थी। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे तालिका 8 में दिए गए हैं।

तालिका 8 - जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें

क्र.स.	2016-17 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	प्रो. अरुण कुमार	2	2
2	प्रो. कनिका टी. भाल	2	2
3	श्री सत्य प्रकाश मंगल	2	2
4	श्री बलराज जोशी	2	2
5	श्री रतीश कुमार *	0	0

*श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं) को 22 दिसम्बर, 2017 से समिति के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

संदर्भ की शर्तें :

1. प्रचालनात्मक, रणनीतिक और बाहरी परिवेश जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन तथा प्रशमन से संबंधित उत्तरदायित्वों की निगरानी द्वारा कारपोरेट शासन में बोर्ड की सहायता करना।
2. कंपनी की जोखिम नीतियों/योजनाओं तथा संबंधित व्यवहारों को बनाना, उनकी समीक्षा तथा निगरानी करना।
3. किसी लोक दस्तावेज अथवा प्रकटीकरण में जोखिम प्रकटीकरण विवरण का अनुमोदन तथा समीक्षा।
4. कम्पनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण समझौते/ सेबी(एलओडीआर) और डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशा-निर्देशों द्वारा यथापेक्षित अन्य किसी कार्य को करना।

3.6 एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन-परवर्ती गतिविधियों संबंधी निदेशकों की समिति

31 मार्च, 2017 के अनुसार समिति में निम्नांकित सदस्य थे ।

i)	श्री बलराज जोशी	निदेशक (तकनीकी)	पदेन सदस्य और अध्यक्ष
ii)	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)	पदेन सदस्य
iii)	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य

बैठकें और उपस्थिति

वर्ष के दौरान समिति की 11 बैठकें हुई। एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन-परवर्ती गतिविधियों संबंधी निदेशकों की समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे तालिका-9 में दिया गया है।

तालिका-9 : एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन-परवर्ती गतिविधियों संबंधी निदेशकों की समिति की बैठकें

क्र.स.	2016-17 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री आर एस मीना *	10	10
2	श्री बलराज जोशी **	11	10
3	श्री जयंत कुमार $	10	7
4	श्री निखिल कुमार जैन $ $	1	1
5	श्री महेश कुमार मित्तल #	1	1

* श्री आर.एस.मीना 31 जनवरी, 2017 से निदेशक नहीं रहे।

** श्री बलराज जोशी को 26 अप्रैल, 2016 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

$ श्री जयन्त कुमार 28 फरवरी, 2017 से निदेशक नहीं रहे।

$ $ श्री एन.के.जैन को निदेशक (कार्मिक) के होने के चलते 28 फरवरी, 2017 से समिति के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

\# श्री एम.के.मित्तल, निदेशक (वित्त) होने के चलते 1 मार्च, 2017 से समिति के पदेन सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुए।

समिति के संदर्भ की शर्तें :

1. प्रतिभूतियों से संबंधित प्रमाण पत्र जारी करना;
2. प्रतिभूतियों का अंतरण और ट्रांसमिशन;
3. प्रतिभूतियों का री-मेटीरियलाइजेशन;
4. प्रतिभूतियों से संबंधित डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करना; और
5. एनएचपीसी प्रतिभूतियों का समेकन/पृथक्करण।

3.7 प्रबंधन नियंत्रण संबंधी समिति

31 मार्च, 2017 को प्रबंधन नियंत्रण संबंधी समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे :

i)	श्री सत्य प्रकाश मंगल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	प्रो. अरुण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)	पदेन सदस्य
iv)	श्री बलराज जोशी	निदेशक (तकनीकी)	पदेन सदस्य
v)	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य

बैठकें और उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की पांच बैठके 18 जुलाई, 2016, 12 अगस्त, 2016, 17 नवम्बर, 2016, 30 जनवरी, 2017 और 3 मार्च, 2017 को हुई। एनएचपीसी की प्रबंधन नियंत्रण संबंधी समिति की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे **तालिका 10** में दिए गए है।

तालिका-10 : प्रबंधन नियंत्रण संबंधी समिति की बैठकें :

क्र.स.	2016-17 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री सत्य प्रकाश मंगल	5	5
2	प्रो. अरुण कुमार	5	5
3	श्री फारूख खान *	2	1
4	श्री बलराज जोशी **#	5	4
5	श्री जयंत कुमार #	2	2
6	श्री रतीश कुमार #	3	3
7	श्री महेश कुमार मित्तल $	1	1

* श्री फारूख खान 17 अगस्त, 2016 से बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।

** 26 अप्रैल, 2016 से सदस्य

\# 14 अक्तूबर, 2016 से पदेन क्षमता के रूप में समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त।

$ श्री एम.के.मित्तल ने श्री जयन्त कुमार, तत्कालीन निदेशक (वित्त) की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप 1 मार्च, 2017 से समिति में शामिल हुए।

संदर्भ की शर्तें :

समिति आंतरिक प्रबोधन की एक पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली स्थापित करेगी। समिति अन्य बातों के साथ-साथ प्रबंधन नियंत्रण प्रणालियों, परियोजना क्रियान्वयन और निर्माण में महत्वपूर्ण विपथन, प्रचालन और अनुरक्षण बजटों, संविदाकारों के दावों आदि की समीक्षा करेगी।

3.8 निदेशकों की समिति - अपीलीय प्राधिकरण :

31 मार्च, 2017 को समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे :

i)	श्री अरुण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
ii)	प्रो. कनिका टी. भाल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	श्री निखिल कुमार जैन *	निदेशक (कार्मिक)	पदेन सदस्य

* श्री निखिल कुमार जैन को निदेशक (कार्मिक) होने के चलते उन्हें 28 फरवरी, 2017 से समिति के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

बैठकें और उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक 12 अगस्त, 2016 को हुई। निदेशकों की समिति - अपीलीय प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे **तालिका 11** में दिए गए है।

तालिका 11 : निदेशकों की समिति - अपीलीय प्राधिकरण की बैठक

क्र.स.	2016-17 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री आर.एस. मीना *	1	1
2	श्री फारूख खान **	1	1
3	प्रो. कनिका टी. भाल	1	1

* श्री आर. एस. मीना 31 जनवरी, 2017 से निदेशक नहीं रहे।

** श्री फारूख खान 17 अगस्त, 2016 से निदेशक नहीं रहे।

संदर्भ की शर्तें :

समिति सीडीए नियमों के अनुसार इसके समक्ष प्रस्तुत मामलों हेतु एक अपीलीय अधिकरण के रूप में कार्य करेगी।

3.9 कार्यात्मक प्राधिकरण

उक्त स्थायी समितियों के अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने 7 फरवरी, 2017 को योजित अपनी 401वीं बैठक में शेयरों की पुनः खरीद से संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए एक समिति गठित की जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

i)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	पदेन सदस्य
ii)	निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य
iii)	निदेशक (परियोजनाएं)	पदेन सदस्य

शेयरों की पुनः खरीद 27.03.2017 को पूर्ण हुई थी। तदुनसार, कार्यात्मक प्राधिकरण को भंग कर दिया गया था।

बैठकें तथा उपस्थिति :

अपनी कार्यकाल के दौरान समिति ने 8 फरवरी, 2017, 23 मार्च, 2017 और 28 मार्च, 2017 को 3 बैठकें की थी। सदस्यों द्वारा भाग ली गई कार्यात्मक प्राधिकरण समिति की बैठकों का ब्यौरा **तालिका-12** में दिया गया है।

तालिका 12 : कार्यात्मक प्राधिकरण

क्रम संख्या	वर्ष 2016-17 के दौरान समिति के सदस्य		सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	भाग ली गई बैठकें
1	श्री के.एम. सिंह	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	3	3
2	श्री जयन्त कुमार *	निदेशक (तकनीकी)	1	1
3	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)	3	3
4	श्री महेश कुमार मित्तल **	निदेशक (वित्त)	2	2

* श्री जयन्त कुमार 28 फरवरी, 2017 से बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।

** श्री एम.के. मित्तल, निदेशक (वित्त) होने के चलते 1 मार्च, 2017 से अपनी पदेन क्षमता में समिति में शामिल हुए।

4. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV, जिसे लोक उद्यम विभाग के दिनांक 20 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16(4)/2012-जीएम के साथ पढ़ा जाता है, और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015, की आवश्यकताओं के अनुपालन में स्वतंत्र निदेशकों की एक पृथक बैठक वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान 26 अप्रैल, 2016 तथा 28 मार्च, 2017 को क्रमशः श्री फारूख खान और श्री अरुण कुमार की अध्यक्षता में हुई थी।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कार्यकारी निदेशकों को देय पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कारपोरेट अभिशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी नामित निदेशकों को कंपनी से कोई पारिश्रमिक या बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 और लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विहित सीमा के भीतर स्वंतत्र निदेशकों को देय बैठक शुल्क निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत है।

तदनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुरुप निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार बोर्ड अथवा बोर्ड की समितियों की प्रत्येक बैठक हेतु 20,000/-रूपए के बैठक शुल्क का भुगतान स्वतंत्र निदेशकों को किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी द्वारा कार्यकारी निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक को **तालिका 13** में दिया गया है।

तालिका 13 : वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक

(राशि रूपए में)

निदेशक का नाम	पदनाम	वेतन	लाभ*	वर्ष 2014-15 हेतु कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी)**	जोड़
श्री के.एम. सिंह	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	25,62,744	8,30,798	3,10,918	37,04,460
श्री बलराज जोशी	निदेशक (तकनीकी)	24,83,442	15,01,705	3,92,448	43,77,595
श्री आर.एस. मीना	पूर्व-निदेशक (कार्मिक)	27,01,804	46,53,646	12,49,480	86,04,930
श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)	3,71,485	78,355	0	4,49,840
श्री जयंत कुमार	पूर्व-निदेशक (वित्त)	21,94,801	48,68,442	5,01,832	75,65,075
श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)	2,32,174	44,809	0	2,76,983
श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)	28,52,142	5,35,328	5,18,190	39,05,660

* लाभों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश नकदीकरण, पट्टा किराया, कर्मचारी भविष्य निधि (समान अंशदान), सामाजिक सुरक्षा योजना (समान अंशदान), पेंशन अंशदायी निधि (समान अंशदान) और परिसंपत्तियों का अनुलाभ मूल्य, अग्रिम, वाहन, आवास, वाहन की वसूली और आवास किराया वसूली शामिल है।

** वर्ष 2015-16 हेतु कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 में या उसके पश्चात डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है।

टिप्पणी :

1. उक्त में दर्शाया गया वेतन निदेशकों के संबंधित कार्यकाल से संबंधित है। तथापि, वर्ष 2014-15 हेतु निष्पादन संबंधी वेतन को वर्ष 2014-15 के दौरान उनके द्वारा धारित संबंधित पद के अनुसार प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है।
2. वर्ष के दौरान श्री जे.के. शर्मा, पूर्व निदेशक (परियोजनाएं) और डी.पी. भार्गव, पूर्व निदेशक (तकनीकी) को पिछले वर्षों से संबंधित उनके देयों हेतु क्रमशः 9,69,354 रूपये तथा 39,76,837 रूपये का भुगतान किया गया था।

कंपनी ने वर्ष 2016-17 के दौरान किसी स्टाक विकल्प को नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त, क्रियात्मक निदेशकों/निदेशकों की सेवा शर्तें भारत सरकार द्वारा जारी निबंधन एवं शर्तों से शासित होती है।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के प्रति किए गए भुगतान के ब्यौरे **तालिका 14** में दिए गए है।

तालिका 14 - वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के प्रति किए गए भुगतान के ब्यौरे

(राशि रूपए में)

स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क *		कुल
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
श्री सत्य प्रकाश मंगल	1,60,000	3,00,000	4,60,000
प्रो. कनिका टी. भाल	1,80,000	2,20,000	4,00,000
श्री अरुण कुमार	1,60,000	3,40,000	5,00,000
श्री फारूख खान	60,000	1,00,000	1,60,000

* बैठक शुल्क के अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों को बैठकों में भाग लेने के लिए भोजन व्यवस्था/निवास तथा यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति भी की जा रही है।

टिप्पणी:

ऊपर उल्लेख किए गए के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों के प्रति कंपनी का कोई मौद्रिक संबंध या संव्यवहार नहीं था।

गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने का मानदण्ड कंपनी की वेबसाइट http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/TnC-Apptmt-%20Independent-Directors.pdf पर उपलब्ध है।

6. अनुषंगी कम्पनिया

(i) **एनएचडीसी लिमिटेड :** एनएचडीसी लिमिटेड, को एनएचपीसी लिमिटेड तथा मध्य प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में प्रमोट किया गया था जिसमें इनकी इक्विटी शेयरधारिता क्रमशः 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत हैं।

एनएचडीसी लिमिटेड भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 24 और कारपोरेट शासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड की एक भौतिक गैर-सूचीबद्ध भारतीय अनुषंगी कंपनी है। श्री सत्य प्रकाश मंगल, एनएचपीसी के स्वतंत्र निदेशक एनएचडीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल में शामिल है।

(ii) **लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड:** लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) का अधिनिगमन 23 अक्टूबर, 2009 को हुआ था। यह कंपनी एनएचपीसी लि. और मणिपुर सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में प्रोन्नत की गई, जिसमें दोनों की शेयर भागीदारी क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत थी।

कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 24 अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड की एक गैर-सूचीबद्ध भारतीय अनुषंगी कंपनी है। एलडीएचसीएल के बोर्ड की बैठक के कार्यवृत को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

(iii) **बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड:** बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड को एनएचपीसी लिमिटेड और यूपीएनईडीए (उत्तर प्रदेश नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी) के मध्य संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में परासन गांव (तहसील-कालपी) में एक 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रमोट किया गया था। कंपनी को 2 फरवरी, 2015 को अधिनिगमित किया गया था। प्रमोटर समझौते के अनुसार कम्पनी की कुल शेयर पूंजी में एनएचपीसी की इक्विटी प्रतिभागिता 74 प्रतिशत से कम नहीं होगी और यूपीएनईडीए की 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 24 अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड की एक गैर-सूचीबद्ध भारतीय अनुषंगी कंपनी है।

अनुषंगी कंपनियों के संबंध में और ब्यौरे निदेशकों की रिपोर्ट में उपलब्ध हैं।

वर्ष के दौरान इन अनुषंगी कंपनियों के बोर्ड की बैठक के कार्यवृत को समय-समय पर जानकारी हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। एनएचपीसी के बोर्ड को आवधिक अंतरालों पर अनुषंगी कंपनियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण संव्यवहारों तथा समझौतों से अवगत कराया गया था।

7. आम बैठकें :

वार्षिक आम बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की तारीखें, समय और स्थानों तथा पारित विशेष प्रस्तावों का ब्योरा **तालिका-15** में दिया गया है।

तालिका-15 : वार्षिक आम बैठकें

वित्त वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	पारित विशेष प्रस्ताव
2015-16	22.09.2016	पूर्वाह्न 11:00 बजे	एमसीएफ सभागार, फरीदाबाद, हरियाणा	निजी निवेश के माध्यम से 4500 करोड़ रूपये तक की कुल राशि के प्रतिभूत/अप्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बॉण्ड जारी करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत करना।
2014-15	23.09.2015	पूर्वाह्न 10:30 बजे	एमसीएफ सभागार, फरीदाबाद, हरियाणा	निजी निवेश के माध्यम से 2500 करोड़ रूपये तक की कुल राशि के प्रतिभूत/अप्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बॉण्ड जारी करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत करना।
2013-14	26.09.2014	अपराह्न 3:00 बजे	एमसीएफ सभागार, फरीदाबाद, हरियाणा	-

वर्ष 2016-17 के दौरान डाक मत-पत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया था। वित्तीय वर्ष 20167-18 के दौरान डाक मत-पत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

8. प्रकटीकरण :

(i) **संबंधित पक्ष कारोबार:**

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने अपने किसी भी संबंधित पक्ष के साथ कोई भौतिक संव्यवहार नहीं किया है। बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित संबंधित पक्ष संव्यवहार संबंधी नीति को कंपनी की वेबसाइट पर http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Related_Party-Transaction.pdf लिंक पर देखा जा सकता है।

(ii) **भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 और कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं :** कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) तक विनियमों सहित सेबी द्वारा विहित विनियमों तथा दिशा-निर्देशों की सभी सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है सिवाय इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 2(आई) में उल्लेख किए अनुसार। कंपनी ने लोक उद्यम विभाग(डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) हेतु कारपोरेट शासन संबंधी दिशा-निर्देशों की सभी आवश्यकताओं का भी पालन किया है, सिवाय इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 2(आई) में उल्लेख किए अनुसार के, जहाँ बोर्ड की कम से कम आधी संख्या स्वतंत्र निदेशकों की होने की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले या सरकार द्वारा जारी किसी दिशा-निर्देश के लिए कंपनी पर स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा अन्य किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कोई दंड/जुर्माना नहीं लगाया गया है।

तथापि, कम्पनी को सूचीकरण समझौते के खंड 49(2)(क)(1) की आवश्यकता - 10 अप्रैल, 2015 को बीएसई लिमिटेड द्वारा महिला निदेशक की नियुक्ति के संबंध में गैर-अनुपालन हेतु 50,000/- रूपये के जुर्माने हेतु एक नोटिस प्राप्त हुआ है। कम्पनी ने एक्सचेंज से इस आधार पर उक्त जुर्माने में छूट देने का अनुरोध किया है कि एनएचपीसी एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसयू) है, और अतः निदेशकों की नियुक्ति कम्पनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। श्रीमती कृष्णा त्यागी को 8 जुलाई, 2015 से बोर्ड में नियुक्त किया गया था।

आवधिक परिणाम तथा अन्य सूचनाएं नियमित तौर पर एनएचपीसी लि. की आधिकारिक वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर प्रकाशित की जाती हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के अनुसार गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं को स्वीकार करने संबंधी सूचना **अनुबंध-क** में प्रदान की गई है।

वित्त वर्ष 2016-17 और पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रपति का कोई निदेश जारी नहीं किया गया था।

लेखांकन व्यवहार : प्रबंधन के मतानुसार, वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सभी लागू लेखांकन मानकों का पालन किया जा रहा है। तथापि, जहां अनुपालन पूर्णतः संभव नहीं था उसे लेखे की टिप्पणियों में दर्शाया गया है जो वित्तीय विवरणों का भाग है।

(iii) **व्हिसल ब्लोअर नीति :** एनएचपीसी की अनैतिक/अनुचित आचरणों को सूचित करने तथा उक्त की जाँच करने तथा उन्हें ठीक करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने हेतु एक सुपरिभाषित तथा स्थापित व्हिसल ब्लोअर नीति है। वर्ष 2016-17 के दौरान किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति पर पहुंच से इंकार नहीं किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त, धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ियों को सूचित करने हेतु कम्पनी द्वारा एक धोखाधड़ी निवारण नीति बनाई गई है जिसमें कर्मचारी और साथ ही साथ एनएचपीसी के साथ व्यापार कर रहे विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों, परामर्शदाताओं, सेवाप्रदाताओं अथवा अन्य किसी पक्ष के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। धोखाधड़ी रोकने हेतु तंत्र को भी इस नीति में शामिल किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई शिकायत नहीं की गई है।

(iv) **लेखा बहियों में डेबिट की गई व्यय की मदें जो व्यापार के प्रयोजन हेतु नही थी :**

कोई नही

(v) **किए गए व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति के थे तथा जिन्हें निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन हेतु किया गया**

कोई नही

(vi) **कुल व्यय के प्रतिशत के रू प में प्रशासनिक तथा कार्यालय व्ययों की तुलना में वित्तीय व्यय के ब्यौरे और इसमें वृद्धि के कारण :**

(आंकड़े प्रतिशत में)

विवरण	2016-17	2015-16	टिप्पणियां
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय *	14.59	18.98	प्रशासनिक व्ययों में अंतर हेतु मुख्य कारण वित्तीय वर्ष 2016-17 में परियोजना व्यय में 318 करोड़ रूपये की कमी है।
वित्तीय व्ययों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय *	81.16	101.18	

* प्रशासनिक व्ययों में कार्यालय व्यय शामिल हैं।

(vii) 31 मार्च, 2017 को एनएचपीसी का कोई वस्तु-मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम तथा हेजिंग क्रियाकलाप नहीं थे, सिवाय, वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 33 के माध्यम से प्रकट किए गए अनुसार।

(viii) **भौतिक अनुषंगी कंपनियों के निर्धारण हेतु नीति वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Material-Subsidiary.pdf

(ix) **संबंधित पक्ष संव्यवहारों से संबंधित नीति वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Related-Party-Transaction.pdf

9. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17(8) के अनुसार श्री के.एम.सिह, तत्कालीन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त) द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित एक अनुपालन प्रमाण-पत्र को 30 मई, 2017 को आयोजित बोर्ड की बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और यह **अनुबंध-ख** के रूप में निगमित अभिशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

10. संचार के साधन

कम्पनी के आवधिक वित्तीय परिणामों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में घोषित किया जाता है। ये परिणाम राष्ट्रीय एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कम्पनी आवधिक परिणाम/रिकॉर्ड प्रत्येक शेयरधारक को नहीं भेजती बल्कि ये परिणाम कम्पनी के वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर प्रदर्शित किए जाते हैं। कम्पनी ने महत्वपूर्ण कारपोरेट निर्णयों और कार्यकलापों पर अधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की और उन्हें कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला।

कम्पनी द्वारा प्रकाशित लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का ब्योरा **तालिका-16** में दिया गया है।

तालिका-16 : लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम :

समाचार पत्र	निम्नांकित तारीखों को समाप्त हुई अवधि के परिणामों के प्रकाशन की तारीख			
	30.06.2016	30.09.2016	31.12.2016	31.03.2017
फाइनेंसियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) - सभी संस्करण	-	19.11.2016	-	-
द टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी) - दिल्ली/ गुड़गांव	-	19.11.2016	-	31.05.2017
नवभारत टाइम्स (हिंदी) - दिल्ली/ एनसीआर	-	19.11.2016	-	-
हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) - दिल्ली	-	19.11.2016	-	-
मिंट (अंग्रेजी), दिल्ली	-	19.11.2016	-	-
जनसत्ता (हिंदी), दिल्ली	13.08.2016	-	08.02.2017	-
इकोनोमिक टाइम्स (अंग्रेजी), दिल्ली	-	19.11.2016	-	-
इकोनोमिक टाइम्स (अंग्रेजी), सभी संस्करण	-	-	-	31.05.2017
इकोनोमिक टाइम्स (हिंदी), दिल्ली	-	-	-	31.05.2017
द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) - सभी संस्करण	12.08.2016/ 13.08.2016	-	08.02.2017	-
हिंदु बिजनेस लाइन (अंग्रेजी) - सभी संस्करण	-	19.11.2016	-	-
द पायनियर (अंग्रेजी)- दिल्ली	-	19.11.2016	-	-
दैनिक भास्कर (हिंदी) - दिल्ली	-	19.11.2016	-	-

संस्थागत निवेशकों अथवा विश्लेषकों को नियमित रूप से प्रस्तुतीकरण दिए गए और वे कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

11. शेयरधारकों हेतु सूचना

(i) वार्षिक आम बैठक

दिनांक : 27 सितम्बर, 2017

समय : प्रातः 11:00 बजे

स्थान : जल तरंग सभागार, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा - 121003

(ii) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय कलैंडर

विवरण	तारीख
लेखांकन अवधि	1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018
पहली तीन तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम।	बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही के अंत से 45 दिवस के भीतर आयोजित की जाएगी। बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की सूचना बैठक समाप्ति के 15 मिनट में स्टॉक एक्सचेंज को दी जाएगी।
चौथी तिमाही के परिणाम/31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम	बोर्ड की बैठक 30 मई, 2018 को या उससे पहले आयोजित की जाएगी। बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की सूचना बैठक समाप्ति से निर्धारित समय में स्टॉक एक्सचेंज को दी जाएगी।
एजीएम (वार्षिक आम बैठक)-2018	सितम्बर, 2018 (परिवर्तनशील)

(iii) बही का बंद किया जाना

सदस्यों के रजिस्टर एवं कम्पनी की शेयर अंतरण बुक को दिनांक 15 सितम्बर, 2017 से 27 सितम्बर, 2017 तक (दोनों दिवसों को शामिल करते हुए) बंद रखा जायेगा।

(iv) लाभांश का भुगतान

कंपनी ने जनवरी, 2017 में 1.70 रूपये के प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु 0.10 रूपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। तदनुसार, वर्ष हेतु कुल लाभांश 1.80 रूपये प्रति इक्विटी शेयर होता है, यदि अंतिम लाभांश को आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो।

भौतिक शेयरों के संबंध में, अंतिम लाभांश का भुगतान उन सदस्यों या उनके अधिदेशितों को किया जाएगा, जिनके नाम 14 सितम्बर, 2017 को या उससे पूर्व कंपनी या मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आर एवं टीए) के साथ दर्ज सभी वैध शेयर

अंतरण अनुरोधों को प्रभावी करने के पश्चात कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे। डीमैटीरियलाइज्ड शेयरों के संदर्भ में अंतिम लाभांश का भुगतान शेयरों के उन ''लाभार्थी स्वामियों'' को किया जाएगा, जिनके नाम 14 सितम्बर, 2017 को कारोबार बंद होते समय नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की लाभार्थी स्वामित्व संबंधी विवरण में दर्ज होंगे।

(v) लाभांश इतिहास

वित्तीय वर्ष	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (करोड़ रू. में)	वार्षिक आम बैठक की तिथि जिसमें लाभांश घोषित किया गया	लाभांश भुगतान की तिथि
2009-10	676.54	22.09.2010	01.10.2010
2010-11	738.04	19.09.2011	28.09.2011
2011-12	861.05	17.09.2012	26.09.2012
2012-13	738.04	16.09.2013	25.09.2013
2013-14	332.13	26.09.2014	07.10.2014
2014-15	664.27 (221.43 करोड़ रू. के अंतरिम लाभांश सहित)	23.09.2015	12.02.2015 और 03.10.2015
2015-16	1660.60 (1018.50 करोड़ रू. के अंतरिम लाभांश सहित)	22.09.2016	02.03.2016 और 03.10.2016
2016-17	1882.02 अंतरिम लाभांश	लागू नहीं	27.01.2017

(vi) स्टॉक एक्सचेंजों का सूचीकरण

एनएचपीसी के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है :

बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड
पता : फिरोजी जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400001 **स्क्रिप कोड :** 533098 **ISIN :** INE848E01016	**पता :** एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लाक, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई - 400051 **स्क्रिप कोड :** NHPCEQ **ISIN :** INE848E01016

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक सूचीकरण का भुगतान शुल्क नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड दोनों को 30 अप्रैल, 2017 से पूर्व किया जा चुका है।

(vii) बाजार मूल्य डाटा और सूचकांक की तुलना में निष्पादन :

बीएसई सेंसेक्स और एनएचपीसी शेयर मूल्य :

सेंसेक्स			
महीना	उच्च	निम्न	बंद
अप्रैल-2016	26100.54	24523.20	25606.62
मई-2016	26837.20	25057.93	26667.96
जून-2016	27105.41	25911.33	26999.72
जुलाई-2016	28240.20	27034.14	28051.86
अगस्त-2016	28532.25	27627.97	28452.17
सितम्बर-2016	29077.28	27716.78	27865.96
अक्तूबर-2016	28477.65	27488.30	27930.21
नवम्बर-2016	28029.80	25717.93	26652.81
दिसम्बर-2016	26803.76	25753.74	26626.46
जनवरी-2017	27980.39	26447.06	27655.96
फरवरी-2017	29065.31	27590.10	28743.32
मार्च-2017	29824.62	28716.21	29620.50

बीएसई में एनएचपीसी शेयर मूल्य			
महीना	उच्च (रू.)	निम्न (रू.)	बंद (रू.)
अप्रैल-2016	24.25	20.60	20.65
मई-2016	23.85	20.45	23.25
जून-2016	25.60	23.00	25.15
जुलाई-2016	26.20	24.75	25.25
अगस्त-2016	28.20	23.95	28.05
सितम्बर-2016	28.20	24.10	25.05
अक्तूबर-2016	27.00	24.70	26.80
नवम्बर-2016	28.35	24.00	28.00
दिसम्बर-2016	28.35	25.60	26.55
जनवरी-2017	30.60	26.35	28.95
फरवरी-2017	31.75	28.75	30.40
मार्च-2017	32.20	29.55	32.05

एनएसई निफ्टी और एनएचपीसी शेयर मूल्य

निफ्टी			
महीना	उच्च	निम्न	बंद
अप्रैल-2016	7992.00	7516.85	7849.80
मई-2016	8213.60	7678.35	8160.10
जून-2016	8308.15	7927.05	8287.75
जुलाई-2016	8674.70	8287.55	8638.50
अगस्त-2016	8819.20	8518.15	8786.20
सितम्बर-2016	8968.70	8555.20	8611.15
अक्तूबर-2016	8806.95	8506.15	8625.70
नवम्बर-2016	8669.60	7916.40	8224.50
दिसम्बर-2016	8274.95	7893.80	8185.80
जनवरी-2017	8672.70	8133.80	8561.30
फरवरी-2017	8982.15	8537.50	8879.60
मार्च-2017	9218.40	8860.10	9173.75

एनएसई में एनएचपीसी शेयर मूल्य			
महीना	उच्च (रू.)	निम्न (रू.)	बंद (रू.)
अप्रैल-2016	24.25	20.65	20.65
मई-2016	23.95	20.45	23.30
जून-2016	25.65	22.95	25.20
जुलाई-2016	26.30	24.80	25.30
अगस्त-2016	28.30	23.90	28.15
सितम्बर-2016	28.20	24.15	25.00
अक्तूबर-2016	27.15	24.70	26.75
नवम्बर-2016	28.35	24.00	28.05
दिसम्बर-2016	28.40	25.65	26.45
जनवरी-2017	30.80	26.25	28.95
फरवरी-2017	31.70	28.75	30.50
मार्च-2017	32.35	29.50	32.20

(viii) रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट

मैसर्स कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड,
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट 31-32,
गाचीबाउली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट,
ननाकरमगुडा, हैदराबाद- 500 032
दूरभाष नं.: 040 67162222
टोल फ्री नं. : 1800 345 4001
फैक्स नं. : 040 23420814
ई-मेल : einward.ris@karvy.com

(ix) शेयर अंतरण प्रणाली

शेयर अंतरण प्रणाली में अंतरिती से अंतरण विलेख के साथ शेयरों की प्राप्ति, उसका प्रमाणीकरण, अन्तरण के ज्ञापन को तैयार करना आदि जैसे क्रियाकलाप शामिल हैं। शेयर अंतरणों को एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन तथा आवंटन-पश्च क्रियाकलापों हेतु निदेशकों की समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है/पुष्टि प्रदान की जाती है। शेयर अंतरण क्रियाकलापों को कंपनी के शेयर अंतरण एजेंट मैसर्स कावब कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 40 के अनुपालन में प्रैक्टिस कर रहे कम्पनी सचिव की कम्पनी द्वारा शेयर अंतरण औपचारिकताओं के उचित अनुपालन की पुष्टि करने वाले छमाही आधार के प्रमाण-पत्र को वित्तीय वर्ष की छमाही की समाप्ति के एक माह के भीतर कंपनी के शेयर अंतरण एजेंट के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया है।

(x) अदा न की गई/अदावाकृत राशियों को निवेशक शिक्षा तथा बचाव निधि (आईईपीएफ) में अंतरित करना

निवेशक शिक्षा और बचाव निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के पास पड़े हुए अदा न किए गए तथा अदावाकृत राशियों का ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट पर http://nhpcindia.com/NewWebsite/Default.aspx ?id=278&lg=eng& लिंक पर उपलब्ध है और इसे कारपोरेट कार्यमंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाला गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान अगस्त, 2009 से अदावाकृत आईपीओ आवेदन राशि के संबंध में आईईपीएफ को 1,16,64,290 रूपये की राशि अंतरित की गई है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वित्तीय वर्ष 2009-10 से संबंधित अदा न किए गए तथा अदावाकृत लाभांश राशि और ऐसे सभी शेयर जिनके संबंध में पिछले 7 लगातार वर्ष या उससे अधिक हेतु लाभांश का दावा नहीं किया गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी द्वारा आईईपीएफ को अंतरण किए जाने हेतु देय हैं। आईईपीएफ से संबंधित किसी जानकारी हेतु शेयरधारक/लाभदायक स्वामी श्री सरोज कुमार राय, प्रबंधक (वित्त) और नोडल अधिकारी से एनएचपीसी कार्यालय परिसर, चौथा तल, ज्योति सदन, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा - 121003 पर संपर्क कर सकते हैं। सदस्यों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने लाभांश वारंटों को भुना लें अथवा अपना दावा आरटीए को प्रस्तुत करें ताकि ऐसे अंतरण से बचा जा सके।

(xi) शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च, 2017 को शेयरधारकों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा और धारण के आकार के अनुसार धारित शेयर नीचे दिए गए हैं :

आकार के अनुसार

(क) 31 मार्च, 2017 को आकार तथा धारिता के प्रतिशत के अनुसार शेयरधारिता का वितरण:

श्रेणी (राशि रू पए में)	शेयर धारकों की संख्या	शेयर धारकों का प्रतिशत *	कुल शेयर	शेयरों का प्रतिशत *
1-5,000	5,09,377	62.93	10,83,34,814	1.06
5,001-10,000	2,13,872	26.42	16,00,16,445	1.56
10,001-20,000	47,603	5.88	7,10,52,117	0.69
20,001-30,000	14,802	1.83	3,77,77,619	0.37
30,001-40,000	6,054	0.75	2,16,46,950	0.21
40,001-50,000	4,950	0.61	2,33,99,345	0.23
50,001-1,00,000	7,624	0.94	5,58,15,027	0.54
1,00,001 और उससे ज्यादा	5,203	0.64	9,78,12,78,202	95.34
कुल	**8,09,485**	**100**	**10,25,93,20,519**	**100**

* प्रतिशत को 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया।

ख) 31 मार्च, 2017 को स्वामित्व के आधार पर शेयर धारण पैटर्न :

श्रेणी	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		परिवर्तन (प्रतिशत*) वृध्दि/कमी
	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत *	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत	
भारत सरकार	7,64,34,06,901	74.50	9,51,62,09,722	85.96	(11.46)
विदेशी संस्थागत निवेशक	5,14,54,839	0.50	17,01,09,933	1.54	(1.04)
भारतीय जनता और एचयूएफ	59,97,03,033	5.84	68,89,22,519	6.22	(0.38)
बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां और एनबीएफसी	1,03,09,64,999	10.05	48,11,55,791	4.34	5.71
कार्पोरेट निकाय	49,81,55,823	4.85	6,94,81,348	0.63	4.22
म्युचल फंड्स	11,44,48,829	1.12	62,04,586	0.05	1.07
एनआरआई और प्रवासी विदेशी निकाय	1,29,86,500	0.13	1,51,45,824	0.14	(0.01)
अन्य					
क्लिअरिंग सदस्य, ट्रस्ट, विदेशी पोर्टफोलिया निवेशक और विदेशी नागरिक	30,81,99,595	3.01	12,34,38,773	1.12	1.89
कुल	**10,25,93,20,519**	**100**	**11,07,06,68,496**	**100**	**-**

* प्रतिशत को 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया

(ग) **31 मार्च, 2017 को प्रमुख शेयरधारक**

31 मार्च, 2017 को कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक मूल्य के शेयर रखने वालों का विवरण इस प्रकार है :

शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	प्रदत्त पूंजी का प्रतिशत	श्रेणी
भारत के राष्ट्रपति	7,64,34,06,901	74.50	केन्द्र सरकार
भारतीय जीवन बीमा निगम	90,61,83,502	8.83	बीमा कंपनी
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	26,05,42,051	2.54	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसई)
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड	18,40,11,865	1.79	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसई)

घ) **31 मार्च, 2017 के अनुसार 10 शीर्ष शेयरधारक :**

31 मार्च, 2017 को एनएचपीसी लिमिटेड के 10 शीर्ष शेयरधारक निम्नानुसार है:

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
1.	भारत के राष्ट्रपति	7,64,34,06,901	74.50
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	90,61,83,502	8.83
3.	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	26,05,42,051	2.54
4.	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड	18,40,11,865	1.79
5.	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड	4,18,08,989	0.41
6.	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - एचडीएफसी प्रूडेन्स फंड	3,50,07,776	0.34
7.	वैनगार्ड इमरजिंग मार्केटस स्टॉक इंडेक्स फंड, ए सीरीज ऑफ वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड	3,43,75,723	0.34
8.	यूको बैंक	3,31,54,836	0.32
9.	वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	2,64,95,193	0.26
10.	गोल्डमैन सैच (सिंगापुर) पीटीई	1,70,77,751	0.17
	कुल	**9,18,20,64,587**	**89.50**

*प्रतिशत को 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया ।

(xii) **शेयर एवं लिक्विडिटी का डीमैटीरियलाइजेशन**

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डीमैटीरियलाइजेशन सेगमेंट में हैं और दोनों जमाकर्ताओं अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के पास टेडिंग के लिए उपलब्ध हैं।

कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी के संबंध में जमाकताओं के पास डीमैटीरियलाइजेशन रूप में उपलब्ध कुल जारी पूंजी, सूचीबद्ध पूंजी तथा धारित पूंजी के समाधान के लिए शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट कार्यकारी कंपनी सचिव से इस वर्ष की प्रत्येक तिमाही हेतु प्राप्त की गई थी और उसे निर्धारित समय में स्टॉक एक्सचेंजों को उपलब्ध कराया गया।

31 मार्च, 2017 के अनुसार डीमैटिरियलाइज्ड और भौतिक रू प में धारित शेयरों की संख्या

	शेयरों की कुल संख्या	इक्विटी का प्रतिशत
एनएसडीएल के साथ डीमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर	10,04,50,05,904	97.91
सीडीएसएल के साथ डीमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर	21,41,60,398	2.09
भौतिक रूप	1,54,217	0.00
कुल	**10,25,93,20,519**	**100**

जमाकर्ताओं के नाम और पते निम्नानुसार हैं :

1. **नेशनल सिक्योरिटी डिपॉस्ट्री लिमिटेड**
   ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, 4 व 5 वॉ तल,
   कमला मिल्स कम्पाउन्ड, सेनापति बापट मार्ग,
   लोअर परेल, मुंबई-400013

2. **सेन्ट्रल डिपॉस्ट्री सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड**
   फिरोज जीजेभॉय टावर्स,
   17वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट मुंबई - 400 001

(xiii) डीमैट उचिन्त खाता

31 मार्च, 2017 को इक्विटी शेयरों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के पश्चात उचिन्त खाते में खोले तथा रखे गए शेयरों के ब्यौरे तालिका 17 में दिए गए हैं

तालिका 17 : उचिन्त खाते में शेयर

विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
वर्ष के प्रारंभ में उचिन्त खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	353	1,33,800
शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान उचिन्त खाते से शेयरों के अंतरण हेतु कंपनी से संपर्क किया	8	3,243
शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर वर्ष के दौरान उचिन्त खाते से अंतरित किए गए	8	3,243
वर्ष के अंत में उचिन्त खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	345	1,30,557

टिप्पणी : इन शेयरों पर मत देने का अधिकार तब तक अवरूध्द रहेगा जब तक कि उनके वास्तविक स्वामियों द्वारा उनके लिए दावा नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त, इन शेयरों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप आईईपीएफ में ट्रांसमिट किया जाएगा।

(xiv) बकाया जीडीआर्स/एडीआर्स/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रमेंट्स, कंवर्जन तिथि तथा इक्विटी पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव :

एनएचपीसी ने ऐसे जीडीआर्स/एडीआर्स/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रमेंट्स जारी नहीं किए हैं, जिनके इक्विटी पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(xv) एनएचपीसी संयत्रों की अवस्थिति

बैरास्यूल	एनएचपीसी लि., सुरंगनी, जिला-चंबा, हिमाचल प्रदेश-176 317
लोकतक	एनएचपीसी लि., डाकघर-लोकतक, कोमकेरेप, मणिपुर-795 124
सलाल	एनएचपीसी लि., डाकघर ज्योतिपुरम, वाया रियासी, जम्मू एवं कश्मीर-182 312
टनकपुर	एनएचपीसी लि., डाकघर टीपीएस कैम्पस, बनबसा, जिला चम्बावत, उत्तराखंड- 262 310
चमेरा-I	एनएचपीसी लि., खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176 325
उड़ी-I	एनएचपीसी लि., जिंगल, डाकघर-मोहरा, जिला बारामूला, जम्मू एवं कश्मीर -193 122
रंगित	एनएचपीसी लि., डाकघर-रंगित, दक्षिण सिक्किम-737 111
चमेरा-II	एनएचपीसी लि., करियां, जिला-चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176 310
धौलीगंगा-I	एनएचपीसी लि., पोस्ट बॉक्स सं. 1, तपोवन, धारचुला, जिला-पिथौरागढ़, उत्तराखंड-262 545
दुलहस्ती	एनएचपीसी लि., चेनाब नगर, सेक्टर- II, किश्तवाड़, जम्मू-कश्मीर-182 206
तीस्ता-V	एनएचपीसी लि., डाकघर-सिंगताम, पूर्वी सिक्किम- 737 134
सेवा-II	एनएचपीसी लि., माश्का, ज़िला कठुआ, (जम्मू-कश्मीर)
चमेरा-III	एनएचपीसी लि., ग्राम धारवाला, डाकघर-9, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176311
चूटक	एनएचपीसी लि., पीओ-मिंजी, जिला कारगिल (लद्दाख), जम्मू एवं कश्मीर-194103
तीस्ता लो डैम परियोजना-III	एनएचपीसी लि., रम्बी बाजार, डाकघर-रियांग, जिला-दार्जलिंग (पश्चिम बंगाल)-734321
निम्मो बाजगो	एनएचपीसी लिमिटेड, अलची, जिला - लेह (लद्दाख), जम्मू एवं कश्मीर, पिन - 194101
उड़ी-II	एनएचपीसी कार्यालय सह आवासीय परिसर, नोपुरा, उड़ी, जिला - बारामुला, (जम्मू एवं कश्मीर), पिन 193122
पार्बती-III	एनएचपीसी लिमिटेड, गांव बहाली, डाकघर लारजी, जिला कुल्लु (हिमाचल प्रदेश), पिन 175122
टीएलडीपी-IV	एनएचपीसी लि., कलीझोरा, कलीझोरा बजार, जिला-दार्जलिंग (पश्चिम बंगाल)-734320
जैसलमेर पवन विद्युत परियोजना	एनएचपीसी लिमिटेड, गांव लखमाना, जिला जैसलमेर, राजस्थान

(xvi) कारपोरेट अभिशासन में हरित पहलें

''हरित पहल'' के अनुरूप पिछले 3 वर्षों से कंपनी ने वार्षिक आम बैठक के नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट की उन सदस्यों को इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी प्रभावी की है जिनकी ई-मेल आईडी संबंधित डिपोजिट्री भागीदारों के पास पंजीकृत है और डिपोजिट्री यथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिट्री लिमिटेड/सेंट्रल डिपोजिट्री सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड से डाउनलोड की जा सकती है। कंपनी अधिनियम, 2013 और संबंधित नियम तथा साथ ही साथ सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का विनियम 36 सदस्यों को इलेक्ट्रोनिक रूप में वित्तीय विवरणों तथा वार्षिक रिपोर्ट के प्रसार की अनुमति देता है।

(xvii) पत्राचार के लिए पता :

श्री विजय गुप्ता, अनुपालन अधिकारी,
पांचवां तल, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33,
फरीदाबाद (हरियाणा) - 121 003
ई-मेल : companysecretary@nhpc.nic.in

संप्रेषण हेतु टेलीफोन नम्बर तथा ई-मेल संदर्भ नीचे दिया गया है :

	टेलीफोन नम्बर	**फैक्स नम्बर**
पंजीकृत कार्यालय :-	0129-2588110	0129-2277941
निवेशक संबंध प्रकोष्ठ :-	0129-2250437	-
ई-मेल आईडी	investorcellnhpc@gmail.com	
श्री अनुज कपूर, मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी	0129-2270603	-
ई-मेल आईडी	anujkapoor@nhpc.nic.in	

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के दिनांक 22.01.2007 के परिपत्र के अनुसार निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए पूर्णतः समर्पित ई-मेल आईडी: companysecretary@nhpc.nic.in है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

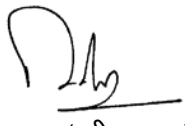

(रतीश कुमार)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06852735

दिनांक : 11 अगस्त, 2017
स्थान : फरीदाबाद

अनुबंध-क

गैर अधिदेशात्मक अपेक्षाएं : पूर्व पृष्ठों पर दी गई अधिदेशित अपेक्षा के अलावा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 की गैर अधिदेशित आवश्यकताओं के साथ अनुपालन की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

1) **बोर्ड :** कंपनी की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जा रही है। कम्पनी के बोर्ड में कुल मिलाकर 9 वर्ष से अधिक की अवधि हेतु कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है।
2) **शेयर धारकों के अधिकार :** पिछले छह माह में हुई प्रमुख घटनाओं के सार सहित वित्तीय निष्पादन की अर्द्ध-वार्षिकी घोषणा प्रत्येक शेयर धारकों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं भेजी गई। तथापि, आवधिक वित्तीय परिणाम कम्पनी की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते है। आवधिक वित्तीय परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों मे प्रकाशित किए जाते है जैसा कि इस रिपोर्ट में ''संचार के साधन'' के अंतर्गत उल्लेख किया गया है।
3) **लेखा परीक्षा अर्हता :** कंपनी का प्रयास सदा ही गैर-अर्हक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का रहा है।
4) **अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पृथक पद :** कम्पनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 34 के अनुपालन में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है।
5) **आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग :** श्री विजय कुमार, कार्यकारी निदेशक (वित्त) कम्पनी के आंतरिक लेखापरीक्षक है। कंपनी के संगठन ढांचे के अनुसार श्री विजय कुमार कंपनी के निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट कर रहे हैं।

अनुबंध - ख

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17(18) के अनुपालन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणन

सेवा में,
निदेशक मंडल,
एनएचपीसी लिमिटेड,
फरीदाबाद

क. हमने दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुई अवधि के लिए वित्तीय विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हम अपने पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणित करते हैं कि :

(i) इन विवरणों में भौतिक दृष्टि से कोई असत्य जानकारी नहीं है या किसी भौतिक तथ्य को छिपाया नहीं गया है अथवा कोई भ्रमित करने वाली सामग्री शामिल नहीं की गई है।

(ii) इन विवरणों से कंपनी के कार्यों का सत्य एवं न्यायोचित, दोनों ही तरह के स्वरूप का पता चलता है और ये मौजूदा लेखा मानकों, प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

ख. हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी ने कोई ऐसा कारोबार नहीं किया, जो कपटपूर्ण, गैरकानूनी हो अथवा कंपनी की आचार संहिता के विपरीत हो।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को कायम करने और बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और यह भी कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की सक्षमता का मूल्यांकन किया है और हमने इन आंतरिक नियंत्रणों के संचालन में पायी गई खामियों, यदि कोई हो, जिसका हमें पता चला हो, तथा ऐसी खामियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए कदमों या प्रस्तावित उपायों की जानकारी लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समिति को दी है।

घ. हमने लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समिति को निम्नांकित जानकारी दी है :

(i) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण बदलाव।

(ii) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन, जिनकी जानकारी वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियों में भी दी गई है; और

(iii) धोखाधड़ी के महत्त्वपूर्ण मामले जो हमारे सामने आये हों और उनमे प्रबंधन या कोई ऐसा कर्मचारी शामिल रहा हो जिसकी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही हो।

हस्ता/-
(महेश कुमार मित्तल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 02889021
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30 मई, 2017

हस्ता/-
(के.एम. सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 02223301

अनुबंध - II

कारपोरेट अभिशासन प्रमाणपत्र

सेवा में
सदस्यगण
एनएचपीसी लिमिटेड

हमने **एनएचपीसी लिमिटेड** द्वारा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (''सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015'') और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों हेतु कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों में विहित किए अनुसार की है।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उक्त खंड तथा दिशानिर्देशों में यथा विहित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं उसके कार्यन्वयन के तरीकों तक ही सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न तो लेखा-परीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति।

हमारे मतानुसार तथा हमारी श्रेष्ठ जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 और लोक उद्यम विभाग संबंधी दिशा-निर्देशों में विहित किए अनुसार किया है, ***सिवाय बोर्ड की संख्या का कम से कम आधा स्वतंत्र निदेशकों के होने की शर्त के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 17(1)(ख) और कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1.4 के।***

हमारा यह भी मानना है कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की किसी भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही ऐसी सक्षमता या प्रभावकारिता का, जिसके साथ प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों का संचालन किया जाता है।

कृते **पी.पी. अग्रवाल एण्ड कंपनी**
कंपनी सचिव
यू.सी.सं. एस2012डीई174200
हस्ता./-
प्रमोद पी. अग्रवाल
प्रोप्राइटर
एफसीएस सं. 4955
सीओपी सं. 10566

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06 जुलाई, 2017

एनएचपीसी और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के बीच वर्ष 2017-18 के लिए नई दिल्ली में
20 जून 2017 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद दस्तावेजों के साथ विद्युत मंत्रालय व एनएचपीसी के वरिष्ठ अधिकारीगण।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

अनुबंध -III

1. उद्योग ढांचा और विकास

विद्युत किसी देश की आधारभूत ढांचा आवश्यकता के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, जो आर्थिक वृद्धि तथा लोगों के कुशलक्षेम को प्रभावित करती है। भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात से विद्युत क्षेत्र में व्यापक वृद्धि देखी है। 31.3.2017 के अनुसार भारत में सभी पावर स्टेशनों की कुल स्थापित क्षमता 326848.53 मेगावाट है जिसमें तापीय, जल, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा परमाणु विद्युत का योगदान क्रमशः 218329.88 मेगावाट, 44478.42 मेगावाट, 57260.23 मेगावाट और 6780 मेगावाट है।[1]

जल विद्युत ऊर्जा के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्रकारों में से एक है। हमारा देश व्यापक जल द्युत संभाव्यता से भरा हुआ है और उपयोग योग्य संभाव्यता के तौर पर विश्व में इसका पांचवा स्थान है। देश में विद्युत की बढ़ती हुई आवश्यकता और जल विद्युत की तकनीकी उत्कृष्टता को देखते हुए भारत में जल विद्युत उत्पादन काफी संभाव्यता वाला दिखता है और आपकी कंपनी की भूमिका महत्वपूर्ण प्रतीत होती है।

आपकी कंपनी एक मिनीरत्न अनुसूची ''क'' उद्यम है जिसकी प्राधिकृत शेयरपूंजी 15,000 करोड़ रूपये और निवेश आधार 52,300 करोड़ रूपये से अधिक का है। एनएचपीसी ने देश में जल विद्युत के उत्पादन हेतु विद्युत संयंत्रों को विकसित किया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी ने 23275 एमयू विद्युत का उत्पादन किया (जिसमें चुटक तथा निम्मो बाजगो पावर स्टेशनों से 326.8 एमयू तथा पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर से 18.2 एमयू का मानद उत्पादन शामिल था)।

(i) भारत में जल विद्युत संभाव्यता :

देश की जल विद्युत संभाव्यता के पुनःआंकलन अध्ययन को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 1987 में पूरा किया गया था। अध्ययन के अनुसार स्थापित क्षमता के रूप में जल विद्युत संभाव्यता 1,48,701 मेगावाट होने का अनुमान है जिसमें से 1,45,320 मेगावाट संभाव्यता में 25 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता वाले योजनाएं शामिल हैं।

(ii) सीईआरसी विनियम :

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत टैरिफ के निर्धारण और विद्युत के प्रेषण के लिए समय-समय पर विभिन्न विनियम जारी करता है। सीईआरसी ने सीईआरसी (निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 के अंतर्गत आपकी कंपनी के विद्युत स्टेशनों हेतु परियोजना-वार टैरिफ का निर्धारण किया है।

आपके निदेशक यह सूचित करते हुए प्रसन्न हैं कि कंपनी ने 2014-19 की अवधि हेतु सभी 19 जल विद्युत स्टेशनों हेतु टैरिफ याचिका प्रस्तुत कर दी है जिसमें से 14 पावर स्टेशनों हेतु टैरिफ आदेश दिए जा चुके हैं और शेष 5 नए पावर स्टेशनों अर्थात सेवा-II, चमेरा-III, पार्बती-III, टीएलडीपी -III तथा टीएलडीपी-IV हेतु अंतरिम टैरिफ आदेश जारी किए जा चके हैं। इन नए पावर स्टेशनो हेतु अंतिम टैरिफ भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) प्रस्तुत करने के पश्चात ही जारी किए जाएंगे। सीईआरसी ने बैरास्यूल पावर स्टेशन (3 x 60 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण से संबंधित आदेश भी जारी किए हैं।

सीईआरसी हाल ही में यह अधिसूचित किया है कि उत्पादक कंपनियों को अतिरक्त पूंजीगत व्यय की अंतरिम समायोजन हेतु आवेदन दिए जाने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे आवेदन केवल टैरिफ अवधि के अंत में ही दिए जाने चाहिए। तथापि, उत्पादक कंपनी आंतरिक समायोजन हेतु सीईआरसी से केवल उन्हीं मामलों में संपर्क कर सकती है जहां अंतर वार्षिक निर्धारित प्रभारों के 30 प्रतिशत से अधिक का है।

(iii) सामरिक विविधीकरण

एनएचपीसी जल विद्युत उत्पादन में भारत की अग्रणी कंपनी है जिसकी देश की कुल स्थापित जल विद्युत क्षमता में 15 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। आपकी कंपनी अपने प्रचालनों में नवीकरणीय ऊर्जा तथा तापीय के विकास को भी शामिल किए जाने के प्रारंभिक चरण में है। वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी ने जैसलमेर, राजस्थान में अपनी पहली 50 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना चालू की। उक्त के अतिरिक्त, एनएचपीसी तमिलनाडु के डिंडीगुल/थेनी जिले में एक 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

एनएचपीसी ने पहले ही केरल राज्य के पलकाड जिले में अगाली स्थल पर एक 72 मेगावाट (±10 प्रतिशत) की क्षमता वाली पवन विद्युत परियोजना के विकास हेतु केरल सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश में 12.5 मेगावाट पवन विद्युत संयंत्र के लिए सिद्धांततः अनुमोदन भी प्राप्त हुआ है।

2. क्षमता, कमजोरी, अवसर, खतरा (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण

(i) क्षमताएं :

- **जल विद्युत परियोनाओं के क्रियान्वयन में विशेषज्ञता में स्थापित ट्रैक रिकार्ड :**

  आपकी कंपनी के पास जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में एक प्रचुर अनुभव तथा विशेषज्ञता है। इसके पास सक्षम एवं प्रतिबद्ध कर्मियों का दल है। इसके अधिकारियों को उद्योग में व्यापक अनुभव है जिसमें जल विद्युत परियोजनाओं की अवधारणा, निर्माण, चालू किए जाने तथा प्रचालन में क्षमताएं और विशेषज्ञता शामिल है। उनके कौशल, उद्योग संबंधी ज्ञान और प्रचालन-अनुभव से कम्पनी को प्रतिस्पर्धा में काफी आगे रहने में मदद मिलती है।

- **आंतरिक डिजाइन और अभियांत्रिकी सहित अवधारणा से चालू किए जाने की क्षमताएं :**

  एनएचपीसी का एक पूर्णतः तैयार डिजाइन प्रभाग है जो इसकी परियोजनाओं की डिजाइन तथा अभियांत्रिकी कार्यों हेतु समर्पित है। आंतरिक डिजाइन दल जल विद्युत क्षेत्र में व्यापक अनुभव के साथ परामर्शी कार्यों में सहयोग मुहैया करवाकर इसे अन्य जल विद्युत कंपनियों की तुलना में एक लाभकारी स्थिति में रखता है। इसकी अभियांत्रिकी क्षमताएं परियोजनाओं की अवधारणाओं से चालू किए जाने के चरण तक है।

- **निर्माण और प्रचालन में व्यापक अनुभव :**

  कई वर्षों में आपकी कंपनी ने सुदूर/अगम्य क्षेत्रों तथा भू-तकनीकी रूप से संवेदनशील हिमालयीन क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन में व्यापक अनुभव प्राप्त कर लिया है। इसकी लगभग सभी परियोजनाएं सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं

[1] स्रोत : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

जहां संभार तंत्र आपूर्ति, जलवायु तथा प्रौद्योगिकीय बाधाएं जैसी विभिन्न चुनौतियां आती हैं। एनएचपीसी के पास दक्ष, कुशल तथा अनुभवी व्यावसायिकों का एक मजबूत दल है जो ऐसी बाधाओं को दूर करके सभी प्रकार तथा आकार की जल विद्युत परियोजनाएं निष्पादित करने में समर्थ है। आपकी कंपनी ने 22 पावर स्टेशनों को सफलतापूर्वक विकसित तथा कार्यान्वित करने में सफलता प्राप्त की है जिसमें से 2 इसकी सहायक कंपनी अर्थात एनएचडीसी लिमिटेड के माध्यम से किए गए हैं।

- **मजबूत वित्तीय स्थिति**

  एनएचपीसी एक मिनी रत्न अनुसूची ''क'' सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है जिसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 15000 करोड़ रूपये और निवेश आधार 52300 करोड़ रूपये से अधिक का है। स्टेंडर्ड एण्ड पुअर (एस एण्ड पी) ने इसे बीबीबी-/स्थिर की रेटिंग दी है तथा मूडीस ने इसे बीएए3 की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग दी है (जो दोनों भारत की सप्रभु रेटिंग के समतुल्य है) और इंडिया रेटिंग्स एण्ड रिसिर्च प्राइवेट लिमिटेड (एक फिच समूह कंपनी) ने इसे घरेलू ऋणों हेतु इंड एएए/स्थिर रेटिंग दी है। आपकी कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति इसे पूंजी प्रधान बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन हेतु पर्याप्त रूप से दक्ष बनाती है।

- **दृढ़ प्रचालन निष्पादन**

  वर्तमान मे आपकी कंपनी के 22 पावर स्टेशन हैं जिनकी प्रचालनशील कुल स्थापित क्षमता 6691 मेगावाट की है (एनएचपीसी लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी एनएचडीसी लिमिटेट के 1520 मेगावाट के दो विद्युत स्टेशनों सहित) । वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी ने जैसलमेर, राजस्थान में 50 मेगावाट के अपने पहले पवन विद्युत संयंत्र और टीएलडीपी-4 विद्युत स्टेशन (4 x 40 मेगावाट) की 40 मेगावाट प्रत्येक के 2 यूनिटों को चालू करके अपनी क्षमता में 130 मेगावाट की वृद्धि की है। इस प्रकार एनएचपीसी पावर स्टेशनों के अपने बेड़े के साथ भारत में जल विद्युत क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी है।

(ii) कमजोरियां

- **समय तथा लागत आधिक्य**

  अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में अवस्थित हैं जहां भूस्खलन, पहाड़ी का ढाल ढहने, सड़कें अवरूद्ध हो जाने आदि जैसी विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। ये आपदाएं निर्माण कार्यक्रम में गंभीर अवरोध उत्पन्न करती हैं। व्यापक सर्वेक्षण तथा जांच के बावजूद हेड रेस टनल जैसी लंबी टनल में भू-वैज्ञानिक अनिश्चितताएं उत्पन्न होती हैं। आपकी कंपनी ने अपने व्यापक अनुभव तथा विशेषज्ञता और उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ विगत में ऐसे कई आश्चर्यों से निपटने में सफलता पाई है। तथापि, ऐसे आश्चर्यों का अक्सर सामने आना समय तथा लागत आधिक्य में परिणत होता है।

- **कुछ संविदाकारों पर निर्भरता**

  जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में जनशक्ति, मशीनरी और बड़ी मात्रा में धनराशि के निवेश की आवश्यकता होती है। भारत में ऐसे बहुत कम संविदाकार हैं जो सतत रूप से विशेषकर ऐसे सुदूर तथा कठिन स्थलों पर कार्य कर सकते हैं जहाँ पहुंच एक प्रमुख मुद्दा है। इस क्षेत्र में निष्पादन में समर्थ होने वाले संविदाकारों की सीमित संख्या से हमारी कुछ संविदाकारों पर निर्भरता बढ़ जाती है।

- **बदलता हुआ व्यापार परिदृश्य**

  वर्तमान युग में बाजार परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। इस तेजी से बदलते हुए व्यापार परिदृश्य से निपटना एक चुनौती प्रस्तुत करता है।

- **उच्च प्रारंभिक लागत/टैरिफ**

  जल विद्युत परियोजनाओं के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि अपेक्षित होती है और ये पूंजी प्रधान होती हैं जिनमें भारी प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है जो उच्चतर प्रारंभिक टैरिफ में परिणत होता है। इसके अतिरिक्त, नकदी प्रवाह और प्रचालनों के परिणाम सीईआरसी टैरिफ विनियमों में परिवर्तन के अधीन है।

- **सौर ऊर्जा में विविधीकरण**

  कंपनी के पास सौर ऊर्जा में सीमित अनुभव है और इसे मैदानी क्षेत्रों में व्यापक भूमि की आवश्यकता है, जिसका अधिग्रहण कठिन है।

(iii) अवसर :

- **दोहन न की गई जल विद्युत संभाव्यता**

  खराब होते जलीय-तापीय मिश्रण, अधिकतम मांग में वृद्धि और आवृत्ति में अंतरों ने नीति निर्माताओं का ध्यान जल विद्युत के विकास के प्रति आकर्षित करने के लिए बाध्य किया है। भारत की दोहन न की गई व्यापक जल विद्युत संभाव्यता, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जल विद्युत विकास हेतु अवसर मुहैया करवाती है। आपकी कंपनी के पास आने वाले वर्षों में अपनी क्षमता में दोहन न की गई जल विद्युत संभाव्यता को जोड़ने का एक अवसर है।

- **जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने की एनएचपीसी की सतत क्षमता**

  पिछले कुछ वर्षों में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा दर्शायी गई शक्ति, जहां अन्य सभी कंपनियां आमतौर पर विफल हो रही हैं, जल विद्युत क्षेत्र में आशा की एक किरण जगाती है। परिणामस्वरूप जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में एनएचपीसी की क्षमता भविष्य में इसकी वृद्धि हेतु एक नया स्थान बना रही है।

- **ग्रिड संतुलन आवश्यकता**

  भारत सरकार की व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा विकास हेतु वर्तमान पहल विशेष रूप से सौर विद्युत, जल विद्युत का बड़े पैमाने पर विकास ग्रिड संतुलन/स्थिरता हेतु अपेक्षित होगा। वर्तमान परिदृश्य आपकी कंपनी द्वारा भारत में जल विद्युत के विकास हेतु अवसर उत्पन्न करेगा।

- **विविधीकरण**

  आपकी कंपनी विद्युत उत्पादन के अन्य क्षेत्रों नामतः तापीय, पवन, सौर आदि में विविधीकरण हेतु नए अवसरों को भी तलाश रही है। भारत सरकार ने 5 वर्ष के समय में 175000 मेगावाट के क्षमतावर्द्धन का लक्ष्य निर्धारित किया है। नवीकरणीय ऊर्जा और पम्पड भण्डारण योजनाओं में विकास हेतु अपार अवसर मौजूद हैं।

(iv) खतरे :

- **जटिल तथा समय लगने वाली स्वीकृति प्रक्रिया**

  पर्यावरण स्वीकृति, वन संबंधी स्वीकृति और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी (जहां-कहीं लागू हो) प्राप्त करने हेतु कड़े मानदंडों तथा जटिल प्रक्रियाविधियों की वजह से परियोजनाओं हेतु स्वीकृति

प्राप्त करने में विलंब होता है जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रमों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। जलविद्युत परियोजना से जुड़े आधारभूत ढांचे संबंधी कार्यों तथा जलमग्न होने वाले क्षेत्र सहित परियोजना के विभिन्न घटकों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बड़ी जटिल है और इसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता है। भारत में संविधान के अनुसार, जल राज्य का विषय है, नदियां के अंतर-राज्य नदी विवाद में उलझे होने के कारण कई जल विद्युत परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पातीं या उन्हें छोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार, सीमावर्ती क्षेत्रों की कुछ परियोजनाएं/विद्युत स्टेशन अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मतभेद के मुद्दे बनती है।

- **कानून एवं व्यवस्था**

  संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों और सुदूर स्थलों में अवस्थित एनएचपीसी की कुछ परियोजनाएं/विद्युत स्टेशन कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं का सामना भी करते है। इससे इन स्थानों पर तैनात अधिकारियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है।

- **जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध**

  भारत में जल विद्युत परियोजनाओं को कुछ दबाव डालने वाले समूहों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। इसने जल विद्युत विकासकर्ताओं के मध्य यह आशंका उत्पन्न कर दी है कि इसके चलते इनकी कुछ परियोजनाएं अवरूध्द हो जाएंगी।

- **पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास मुद्दे**

  मुआवजा पैकेज पर मतभेद के चलते किसी परियोजना के बांध के जलमग्न क्षेत्र संबंधी कारणों से पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में विलंब होता है।

- **पीएसयू के प्रवेश को बाधित करने वाली राज्य की जल विद्युत नीतियां**

  कई राज्यों की जल विद्युत नीतियां डेवलपरों को जल विद्युत परियोजना के आवंटन हेतु एकमुश्त प्रीमियम के भुगतान, अपेक्षित नि:शुल्क विद्युत के अलावा नि:शुल्क विद्युत आदि का प्रावधान करती है। सीपीएसयू को जल विद्युत परियोजनाएं प्राप्त करने में कठिनाई होती है क्योंकि वे भारत सरकार के मानदण्डों का पालन करते हैं।

- **विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) करने में कठिनाइयां**

  नई जलविद्युत परियोजनाओं का टैरिफ उच्च प्रारंभिक निवेश और स्थल विशिष्ट होने के चलते अपेक्षाकृत अधिक होता है। लाभग्राहियों में लम्बे/मध्यम अवधि के पीपीए का विकल्प चुनने के बजाए ऊर्जा एक्सचेंज अथवा ई-खरीद के माध्यम से अल्पावधि आधार पर अपनी अतिरिक्त विद्युत आवश्यकता की खरीद करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार, विद्युत व्यापार के वर्तमान दिवस के परिदृश्य में उच्चतर टैरिफ वाली परियोजनाओं से ऊर्जा की बिक्री कर पाना कठिन है। उक्त कारणों के चलते आपकी कंपनी को नई परियोजनाओं से दीर्घावधि पीपीए के माध्यम से विद्युत की बिक्री में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

3. जोखिम और चिंताएं

आपकी कंपनी की एक सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीति है जो कंपनी के जोखिम प्रबंधन हेतु समग्र ढांचा मुहैया करवाती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के अनुरूप एक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है। जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका बोर्ड की प्रमुख जोखिमों के प्रबंधन में सहायता करना और साथ ही साथ वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए संगठन के प्रचालनों के साथ सामरिक उद्देश्यों का संरेखण करने की भी है। जोखिम प्रबंधन समिति आगे यह सुनिश्चित करती है कि चिन्हित जोखिमों के प्रबंधन के लिए उचित प्रणालियां मौजूद हों ताकि संगठन की परिसंपत्तियों का उचित रूप से बचाव किया जा सके।

उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति की सहायता जोखिम आकलन समिति द्वारा की जाती है जिसमें मुख्य जोखिम अधिकारी और प्रमुख विभागों/क्षेत्रों के अन्य प्रमुख शामिल होते हैं जिनका दर्जा कार्यकारी निदेशक के स्तर का होता है। जोखिम आकलन समिति मुख्य जोखिमों की पहचान करने, प्रशमन उपायों को सुझाने, जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी/पर्यवेक्षण करने के कार्य को करती है। विभाग/क्षेत्र/परियोजना/विद्युत स्टेशन के प्रमुख चिन्हित जोखिमों तथा उसके प्रशमन उपायों पर जोखिम आकलन समिति द्वारा जारी किए गए निदेशों का कार्यान्वयन तथा समीक्षा करते हैं।

कंपनी द्वारा सामना किए जा रहे कुछ जोखिम, उनका प्रभाव और प्रशमन हेतु अपनायी गई तदनुरूपी रणनीतियों पर तालिका 1 में चर्चा की गई है।

तालिका 1 - प्रमुख जोखिम, उनका प्रभाव और तदनुरू पी रणनीतियां

जोखिम विवरण	प्रशमन उपाय
अनिश्चित भू-वैज्ञानिक स्थितियां परियोजना प्रारंभ करने में विलंब, टनलिंग कार्य में बाधा तथा कठिन कार्यशील स्थितियां जैसी घटनाओं के कारण उत्पन्न होने वाले समय तथा लागत आधिक्य में परिणत हो सकती है।	• परियोजना की व्यवहार्यता के आकलन के दौरान प्रत्याशित भू-वैज्ञानिक चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए अन्वेषण चरण के दौरान दक्ष कार्मिक/परामर्शदाताओं द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण/अध्ययन किए जा रहे हैं। • प्रतिकूल भू-वैज्ञानिक घटनाओं के कारणों का पता लगाने और उनके समाधान के लिए व्यापक विश्लेषण किया जा रहा है।
संबंधित मंत्रालयों/विभागों से पर्याप्त और समय पर स्वीकृतियों/अनुमोदनों के अभाव के कारण निर्माण प्रारम्भ होने में विलंब होना।	• राज्य सरकार के विभिन्न विभाग जैसे कि पर्यावरण और वन, जो अधिकांश विलंब करते हैं, उन्हें परियोजना से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में सुग्राहीकृत किया जा रहा है।
लाभग्राहियों से बकाया देय की वसूली न होना।	• आगामी विद्युत आपूर्ति समझौतों में उचित शास्ति खंड शामिल किए जा रहे हैं।

जोखिम विवरण	प्रशमन उपाय
परियोजनाओं की लम्बी प्रतीक्षा अवधि और निम्न प्रतिफल के कारण परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए निवेश का अभाव।	• अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से निम्न लागत पर दीर्घावधि वित्त की उपलब्धता हेतु प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें निर्यात क्रेडिट एजेंसियां (ईसीए) और विश्व बैंक जैसे ऋण वृद्धि तंत्रों का उपयोग करके आंशिक जोखिम तथा आंशिक ऋण गारंटी द्वारा ऋण दिलवाना शामिल है।
निम्नलिखित के चलते बीच में ही परियोजनाओं को त्याग दिया जाना : (i) सरकारी विनियमों में परिवर्तन (ii) सरकारी नीतियों में परिवर्तन (iii) सरकारी निदेशों में परिवर्तन	• संबंध प्रबंधन समिति के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों/मंत्रालयों के साथ सक्रिय सम्पर्क रखा जा रहा है।
परियोजना के विभिन्न हिस्सों जैसे कि बांध, विद्युत गृह, स्विच यार्ड आदि के लिए विभिन्न स्थानों पर भूमि अधिग्रहण में विलंब।	• भूमि अधिग्रहण हेतु संबंध प्रबंधन समिति के माध्यम से भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार के विभागों के साथ सक्रिय संपर्क रखना। • एनएचपीसी तथा राज्य सरकारों की पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति के प्रभावी कार्यान्वयन का सुनिश्चय किया जाता है।
राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अप्रत्याशित विनियामक परिवर्तनों के कारण समय तथा लागत आधिक्य।	• नियामक परिवर्तनों से पूर्व विचार-विमर्श सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के साथ सक्रिय संपर्क रखना।
टैरिफ याचिका हेतु सीईआरसी दिशा-निर्देशों के पालन न किए जाने के वित्तीय प्रभाग हो सकते हैं।	• वाणिज्यिक टीम यह सुनिश्चित कर रही है कि टैरिफ याचिकाओं को सीईआरसी दिशा-निर्देशों के अनुसार दायर किया जाए। • विभिन्न स्तरो पर टैरिफ की आंतरिक रूप से समीक्षा की जाती है ताकि उनके सीईआरसी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने का सुनिश्चय किया जा सके।

4. परिदृश्य

आपकी कंपनी ने विद्युत तथा वृद्धि की वार्षिक मांग को पूरा करने के लिए अपने क्षमतावर्धन हेतु कुछ अत्यधिक प्रभावी कदम उठाए हैं। इसने आयोजना तथा अन्वेषण में सुधार हेतु इलेक्ट्रीकल तथा सिविल अभियांत्रिकी के क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाया है जो निर्माण में विलंब तथा गाद की समस्याओं को कम करेगी।

आपकी कंपनी की एकल स्थापित क्षमता 5171 मेगावाट की है और यह विविधीकरण के माध्यम से विस्तार की आकांक्षा रखती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान एनएचपीसी ने जैसलमेर, राजस्थान में अपनी पहली 50 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना चालू की है। उक्त के अतिरिक्त, एनएचपीसी तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश राज्य में क्रमश सौर और पवन विद्युत परियोजना स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

5. खंड -वार अथवा उत्पाद-वार कार्य-निष्पादन

विद्युत उत्पादन कम्पनी का प्रमुख व्यापार है। अन्य प्रचालन अर्थात संविदाएं, परियोजना प्रबंधन और परामर्श 'प्रचालनशील रिपार्टिंग' संबंधी भारतीय लेखांकन मानक-108 के अनुसार एक सूचना योग्य खंड नहीं बनते हैं। कम्पनी का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी विद्युत स्टेशन देश के भीतर अवस्थित हैं।

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी का एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जिसके प्रमुख कोई वरिष्ठ अधिकारी होता है। बोर्ड ने श्री विजय कुमार, कार्यपालक निदेशक (वित्त) को कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया हैं। विभाग में आवधिक रूप से तथा प्रबंधन द्वारा आवश्यकता अनुसार विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए दक्ष तथा अनुभवी कार्यबल मौजूद है।

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नियमित लेखापरीक्षा, प्रणाली समीक्षा के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्ता तथा प्रभावोत्पादकता की समीक्षा तथा मूल्यांकन करता है और शक्तियों के प्रत्यायोजन, आंतरिक नीतियों तथा कंपनी की प्रक्रियाविधियों के अनुपालन हेतु आश्वासन मुहैया करवाता है। पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय प्रबंधन द्वारा जारी विभिन्न संहिताओं, मैनुअलों तथा प्रक्रियाविधियों के रूप में हैं जो सभी संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को कवर करते हैं। लेखापरीक्षा अभिमतों का सार और की गई कार्रवाई रिपोर्टों को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों का उचित अनुपालन किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुपालन में मैसर्स अरोड़ा एण्ड चौधरी एसोसिएटस को वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कंपनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के कार्यान्वयन के संबंध में स्वतंत्र आश्वासन मुहैया करवाने के लिए नियुक्त किया गया था। फर्म में अपनी रिपोर्ट में कंपनी ने विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता को स्वीकार किया है।

7. वित्तीय विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

(i) प्रचालनों के परिणाम

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि हेतु वित्तीय विवरण इंड एस के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय कंपनी ने 1 अप्रैल, 2015 (भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि) के अनुसार प्रारंभिक इंड एस तुलन-पत्र भी तैयार किया है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि हेतु पिछली अवधि के वित्तीय विवरण को भी इंड एस प्रावधानों के अनुसार पुनः बनाया गया है ताकि दोनों को तुलना योग्य बनाया जा सके।

वित्त वर्ष 2016 की तुलना में वित्त वर्ष 2017 के लिए कम्पनी के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों पर एक विस्तृत वित्तीय चर्चा और विश्लेषण **तालिका 2** में दिया गया है।

आय

तालिका 2 : आय

(करोड़ रूपये में)

	वित्तीय वर्ष 2017	वित्तीय वर्ष 2016
उत्पादन की गई विद्युत यूनिटें (मिलियन यूनिट में)	23275	23683
आय		
ऊर्जा की सकल बिक्री	7,262.69	7,348.05
घटाएं : प्रचालन के पट्टे के रूप में मान्यता प्रदान की गई बिक्री	522.59	347.94
घटाएं : वित्त पट्टे के रूप में मान्यता प्रदान की गई बिक्री	206.35	213.20
घटाएं : प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता प्रदान की गई बिक्री	123.23	82.34
ऊर्जा की बिक्री	6,410.52	6,704.57
जोड़े : वित्त पट्टे से आय	206.35	213.20
जोड़े : प्रचालन पट्टे से आय	522.59	347.94
जोड़े : संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व	52.07	34.22
जोड़े : अन्य प्रचालनशील आय	79.64	53.07
प्रचालनों से राजस्व	7,271.17	7,353.00
जोड़े : अन्य आय	1,458.67	992.07
कुल	**8,729.84**	**8,345.07**

अन्य प्रचालनशील आय में लाभग्राहियों से ब्याज शामिल होता है। वित्त-वर्ष 2017 में कुल आय में वित्त वर्ष 2016 के 8345.07 करोड़ रूपये से 4.61 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह 8729.84 करोड़ रूपये हो गई है, जो मुख्यतः विलंब भुगतान अधिभार में वृद्धि, लाभग्राही राज्यों से ब्याज में वृद्धि, कुछ विद्युत स्टेशनों हेतु 2014-2019 की अवधि के संबंध में टैरिफ को अंतिम रूप दिए जाने, प्रोत्साहनों में वृद्धि, अनुषंगी कंपनियों से लाभांश आय में वृद्धि और प्रचालन पट्टा आय में वृद्धि जिसे आंशिक रूप से सावधि जमाओं के ब्याज में कमी से समायोजित किया गया था।

टैरिफ

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) विभिन्न विद्युत स्टेशनों के विद्युत टैरिफ का निर्धारण अलग-अलग करता है। आयोग ने 21 फरवरी, 2014 को अधिसूचना संख्या एल-1/144/2013/सीईआरसी जारी की है जो 2014-19 की अवधि के लिए टैरिफ से संबंधित है और इसमें समय-समय पर संशोधन जारी किए जाते है।

टैरिफ अवधि 2014-19 हेतु अधिसूचित विनियमों के अनुपालन में, प्रभार का निर्धारण वार्षिक निश्चित शुल्क (एएफसी) के आधार पर किया जाता है जिसमें इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), मूल्य ह्रास, ऋण पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन एवं रख-रखाव के खर्च को शामिल किया जाता है। इक्विटी पर लाभ (आरओई) में प्रभावी दर पर आयकर को जोड़ा जाता है ताकि आयकर की राशि को भी हिसाब में लिया जा सके। क्षमता शुल्क की वसूली विद्युत उत्पादन हेतु मशीनों के वास्तविक उपयोग पर निर्भर करती है। क्षमता का निर्धारण वार्षिक संयंत्र उपलब्धता मानदंड घटक (नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट एवेलेबिलिटी फैक्टर - एनएपीएएफ) को ध्यान में रख कर किया जाता है जो प्रत्येक विद्युत गृह की प्रकृति के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

एनएपीएएफ से अधिक संयंत्र उपलब्धता कारक प्राप्त करने और साथ ही साथ संयंत्र के डिजाइन ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा उत्पादन हेतु भी प्रोत्साहन प्राप्त किए जाते है।

ऊर्जा की बिक्री

विद्युत को बल्क उपभोक्ताओं को बेचा जाता है जिसमें मुख्यतः राज्य सरकारों/निजी वितरण कम्पनियों के स्वामित्व वाली विद्युत उपयोगिताएं शामिल होती हैं और ऐसा दीर्घावधि विद्युत क्रय समझौतों के अनुपालन में किया जाता है। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) की 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ अधिसूचना को दिनांक 21 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं.एल-1/144/2012/सीईआरसी के माध्यम से अधिसूचित की गई थी। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ का अनुमोदन लम्बित होने के चलते 2009-14 की अवधि हेतु कुछ विद्युत स्टेशनों के संबंध में सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार बिक्री को अनंतिम रूप से मान्यता दी गई है और ऐसा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014 के अनुरूप विद्युत स्टेशनों की पूंजी लागत को दुरूस्त करने के प्रति प्रावधान को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

उक्त विनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ टैरिफ याचिका दायर करने के उद्देश्य से इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), जो टैरिफ का एक घटक है, को संबधित वित्त वर्ष की प्रभावी कर दर का उपयोग करते हुए सकल रूप दिया जाना होता है। बिक्री को मान्यता प्राप्त करने के प्रयोजन से वित्त वर्ष 2016-17 हेतु प्रभावी कर दर का उपयोग करते हुए आरओई को सकल रूप प्रदान किया गया है।

बिक्री में ग्रिड अनुशासन लाने के लिए सीईआरसी विनियम में विहित आवृत्ति से संबद्ध दरों पर अनुसूची (देय अथवा प्राप्य) के संबंध में उत्पादन में विपथन हेतु प्रभार, विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर (एफईआरवी) के कारण प्रतिपूर्ति और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित विद्युत स्टेशनों के संबंध में जल उपकर के कारण प्रतिपूर्ति भी शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2017 में, एनएचपीसी ने अपनी संस्थापित क्षमता यानी 5171 मेगावाट से 23275 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया जबकि वित्त वर्ष 2016 में कम्पनी ने 5041 मेगावाट की संस्थापित क्षमा से 23683 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया था। तदनुसार, उत्पादित यूनिटों की संख्या में 1.72 प्रतिशत की कमी का पता चलता है। वित्तीय वर्ष 2017 में औसत बिक्री मूल्य (पिछले साल की बिक्री के घटकों और गृह राज्य को निशुल्क विद्युत को समायोजित करने के पश्चात) बिक्री की गई 19,763 मिलियन यूनिटों हेतु 3.56 रूपये प्रति यूनिट रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2016 में यह बिक्री की गई 19,999 मिलियन यूनिटों हेतु 3.56 रूपये प्रति यूनिट था।

ऊर्जा की बिक्री वित्तीय वर्ष 2016 में 7265.71 करोड़ रूपये से 1.74 प्रतिशत कम होकर वित्तीय वर्ष 2017 में 7139.46 करोड़ हो गई जो मुख्यतः विद्युत स्टेशनों से कम उत्पादन के कारण हुआ। कंपनी का संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) वित्तीय वर्ष 2016 में 81.60 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017 में 82.68 प्रतिशत था।

ऊर्जा की समायोजित बिक्री

ऊर्जा की बिक्री से होने वाली आमदनी में पिछले वर्षों से संबंधित वह बिक्री भी शामिल रहती है जिसे चालू वर्ष में हिसाब में लिया गया है और उन पांच विद्युत स्टेशनों के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री शामिल नहीं है जिनकी बिक्री को अब भारतीय लेखांकन मानक प्रावधानों के अनुरूप प्रचालन/वित्तीय पट्टा माना गया है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार विदेशी ऋणों और उनके लिए ब्याज के भुगतान और ऋण पुनर्भुगतान पर विदेशी मुद्रा की दर में उतार-चढ़ाव से होने वाले परिवर्तनों को भी पावर हाऊस/विद्युत इकाइयों के हिसाब में लिया जाता है और लाभार्थियों से उसकी वसूली की जाती है या उन्हें वसूली गयी राशि की वापसी की जाती है। आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार तुलनपत्र जारी करने की तारीख में विदेशी मुद्रा ऋणों पर हुए विनिमय दर में बदलाव की वजह से होने वाले परिवर्तन को लाभ-हानि विवरणी लेखे में समायोजित करने की बजाय लेखे में आस्थगित देयता/परिसंपत्ति के रूप में दिखाया जाता है और बाद में उपभोक्ताओं से उसकी वसूली/या उसका पुनर्भुगतान करके हिसाब में ले लिया जाता है।

वर्ष दर वर्ष तुलना की दृष्टि से विगत वर्षों की बिक्री के प्रभाव को ऊर्जा की बिक्री में शामिल नहीं किया गया है ताकि समायोजित ऊर्जा बिक्री के स्तर पर पहुंचा जा सके।

इस प्रकार के समायोजन के पश्चात ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व **तालिका 3** में दिया गया है :

तालिका 3 : समायोजन के पश्चात ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व

(करोड़ रुपयों में)

	वित्त वर्ष 2017	वित्त वर्ष 2016
ऊर्जा की बिक्री	6,410.52	6,704.57
जोड़े : वित्त पट्टे से आय	206.35	213.20
जोड़े : प्रचालन पट्टे से आय	522.59	347.94
निवल बिक्री (पट्टा आय सहित)	7,139.46	7,265.71
घटाएं : पिछले वर्ष की बिक्री	105.87	140.01
ऊर्जा की समायोजित बिक्री	7,033.59	7,125.70

संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्श कार्यों से राजस्व

इस शीर्ष के अंतर्गत राजस्व में निर्माण संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी संविदाओं से संबंधित कार्य से राजस्व शामिल होता है। इन कार्यों में मुख्यतः तीस्ता ऊर्जा, भूटान साही सरकार की मंगडेचू परियोजना, कुरी गोंगरी भूटान, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस, लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड, ग्रामीण सड़क और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के संबंध में परामर्शी कार्य शामिल हैं। संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य से आय में 52.16 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह वित्तीय वर्ष 2016 में 34.22 करोड़ रूपये से वित्तीय वर्ष 2017 में 52.07 करोड़ रूपये हो गई है जो वित्तीय वर्ष 2017 में वृद्धित क्रियाकलापों के कारण है।

अन्य आय

वित्त वर्ष 2017 में एनएचपीसी की अन्य आय 1,458.67 करोड़ थी अर्थात वित्तीय वर्ष 2016 में 992.07 करोड़ रूपए की तुलना में 47.03 प्रतिशत की वृद्धि। अन्य आय के मुख्य घटक तथा उन पर चर्चा **तालिका 4** में दर्शाई गई है :

तालिका 4 : अन्य आय

(करोड़ रुपयों में)

अन्य आय	वित्त वर्ष 2017	वित्त वर्ष 2016
प्रतिभूतीकृत पावर बांडों/दीर्घावधि अग्रिमों/ अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण पर ब्याज	43.63	58.57
सावधि जमा राशियों पर ब्याज	418.62	523.90
लाभांश (मुख्यतः एक अनुषंगी कंपनी एनएचडीसी से)	207.49	120.93
विलंब भुगतान अधिभार	526.75	24.07
व्यापार बाधा के कारण हानि की बीमा कंपनी से वसूली	111.80	89.99
पश्च लेखन की आवश्यकता न होनी वाली देयताएं/प्रावधान	44.87	41.53
अन्य विविध आय	105.51	133.08
कुल	**1,458.67**	**992.07**

सावधि जमा पर ब्याज वित्त वर्ष 2016 में 523.90 करोड़ रूपये की तुलना में कम होकर वित्त वर्ष 2017 में 418.62 करोड़ रूपये रह गया है जो शेयरों की पुनः खरीद के वित्त-पोषण हेतु वर्ष के दौरान निवेश की गई अधिशेष नकदी में कमी और अदा किए गए उच्चतर अंतरिम लाभांश के कारण हुआ।

वित्त वर्ष 2017 में मुख्यतः सहायक कंपनी (एनएचडीसी लिमिटेड) में निवेश से 207.49 करोड़ रूपये का लाभांश प्राप्त किया गया जबकि 2016 में उसे इससे 120.93 करोड़ रूपये मिले थे।

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान एक लाभग्राही से विलंब भुगतान अधिभार के बकाया के रूप में 440.32 करोड़ रूपये प्राप्त हुए थे।

व्यय

तालिका 5 : व्यय

(करोड़ रूपये में)

व्यय	वित्त वर्ष 2017	वित्त वर्ष 2016
उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	1,184.29	1,354.83
जल उपकर	748.40	771.11
कर्मचारी लाभ व्यय	1,574.92	1,158.36
वित्त लागत	1,073.22	1,072.10
मूल्यहास एवं परिशोधन	1,388.40	1,359.07
कुल व्यय	**5,969.23**	**5,715.47**

कुल व्यय में 4.44 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह वित्तीय वर्ष 2016 में 5715.47 करोड़ रूपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017 में 5969.23 करोड़

रूपये हो गया था जो मुख्यतः कर्मचारी लाभ व्यय में 416.56 करोड़ रूपये, मूल्यह्रास तथा परिशोधन में 29.33 करोड़ रूपये की वृद्धि के चलते था जिसे आंशिक रूप से उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्ययों में 170.54 करोड़ रूपये की कमी, जल उपकर में 22.71 करोड़ रूपये की कमी के चलते हुआ था। कुल आय के प्रतिशत के तौर पर हमारा कुल व्यय वित्त वर्ष 2016 में 68.49 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017 में 68.38 प्रतिशत था।

उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय (जल उपकर के अतिरिक्त)

उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय में मुख्यतः भवनों तथा संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत तथा रख-रखाव, सुरक्षा व्यय, बीमा व्यय, विद्युत प्रभार, सीएसआर, अन्य प्रशासनिक व्यय, प्रावधान आदि शामिल होते हैं। ये व्यय वित्त वर्ष 2017 में कुल व्यय का लगभग 19.84 प्रतिशत थे जबकि वित्तीय वर्ष 2016 में यह संख्या 23.70 प्रतिशत थी। वास्तविक रूप में ये व्यय वित्त वर्ष 2016 में 1354.83 करोड़ रूपये से लगभग 12.59 प्रतिशत कम होकर वित्त वर्ष 2017 में 1184.29 करोड़ रूपये हो गए हैं। उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्ययों में 170.54 करोड़ रूपये की कमी मुख्यतः कोटली भेल 1ए तथा बुरसर परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच में किए गए अद्यतन व्यय को पहली बार प्रभारित करने, विद्युत स्टेशनों में मशीनरी तथा अन्य वस्तुओं की मरम्मत तथा रखरखाव के व्यय, सुरक्षा व्यय, बीमा व्यय, लाभग्राही राज्यों को ब्याज और सीएसआर क्रियाकलापों पर व्यय आदि में वृद्धि के कारण हुई है जिसे दरों तथा करों, विद्युत व्ययों में कमी से समायोजित किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2016 में उच्चतर थे।

बिक्री योग्य ऊर्जा के प्रति यूनिट व्यय के रूप में यह वित्तीय वर्ष 2016 में 0.68 रूपये से कम होकर वित्तीय वर्ष 2017 में 0.60 रूपये हो गया है।

जल उपकर

जल उपकर वित्त वर्ष 2016 में 771.11 करोड़ रूपये से कम होकर वित्त वर्ष 2017 में 748.40 करोड़ रूपये हो गया है जो मुख्यतः निम्मो बाजगो, दुलहस्ती, सलाल, सेवा-।। तथा उड़ी-। विद्युत स्टेशनों में कम विद्युत उत्पादन के कारण है।

कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ व्ययों में वेतन तथा मजदूरी, भत्ते, प्रोत्साहन, भविष्य निधि में योगदान, कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षता योजना में अंशदान और अन्य कर्मचारी कल्याण निधियों से संबंधित व्यय शामिल हैं। ये व्यय वित्तीय वर्ष 2016 में 20.27 प्रतिशत के प्रति वित्तीय वर्ष 2017 में हमारे कुल व्यय का 26.38 प्रतिशत होते हैं। वास्तविक रूप में कर्मचारी लागत वित्तीय वर्ष 2017 में 416.56 करोड़ रूपये से बढ़ी है जो तीसरी वेतन संशोधन समिति के आधार पर वेतन तथा भत्तों और उपदान में प्रत्याशित बढ़ोत्तरी के प्रावधान, कारपोरेट कार्यालय प्रबंधन व्ययों के आवंटन हेतु पद्धति में परिवर्तन और वर्ष के दौरान तीस्ता, लो डैम-IV विद्युत स्टेशन(टीएलडीपी-IV) और जैसलमेर में पवन विद्युत परियोजना (डब्ल्यूपीपीजे) के पूंजीकरण के कारण इस प्रावधान में वृद्धि हुई है।

31 मार्च, 2017 को एनएचपीसी की वेतन पंजी में 8,009 कर्मचारी थे जबकि 31 मार्च, 2016 को इनकी संख्या 8,654 थी। इनमें से वित्त वर्ष 2017 और वित्त वर्ष 2016 में क्रमशः 4,681 और 4,981 कर्मचारी प्रचालन एवं रखरखाव क्षेत्रों में कार्यरत थे। कर्मचारी हित पर व्यय जो वित्त वर्ष 2016 में 1,158.36 करोड़ रूपये था, वित्त वर्ष 2017 में 35.96 प्रतिशत बढ़कर 1,574.92 करोड़ रूपये हो गया था।

कुल आय के प्रतिशत के रूप में, कर्मचारी हित व्यय वित्त वर्ष 2016 में 13.88 प्रतिशत था, जो वित्त वर्ष 2017 में बढ़कर 18.04 प्रतिशत हो गया।

मूल्यह्रास और परिशोधन

कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, मूल्यह्रास को स्ट्रेट लाइन पद्धति से हिसाब में लिया जाता है जो परिसंपत्तियों की लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक होता है, इसके लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की 21.02.2014 की अधिसूचना के तहत निर्धारित दरों और विधि का अनुसरण किया जाता है, परंतु इसमें अपवाद वाली कुछ ऐसी मदें भी शामिल नहीं हैं जिन पर मूल्यह्रास परिसंपत्तियों की लागत के 95 प्रतिशत तक और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार मूल्यांकित दरों से लिया जाता है।

मूल्यह्रास लागत वित्तीय वर्ष 2016 में 1359.07 करोड़ रूपये से 2.16 प्रतिशत बढ़कर 1388.40 करोड़ रूपये हो गई। मूल्यह्रास व्यय में वृद्धि मुख्यतः तीस्ता लो डैम-IV के पूरे वर्ष चालू रहने और वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान जैसलमेर में पवन विद्युत परियोजना के चालू होने तथा विद्युत स्टेशनों पर अतिरिक्त पूंजीकरण के चलते है जो आंशिक रूप से सीईआरसी विनियमों के अनुसार विद्युत स्टेशन के 12 वर्ष पूर्ण होने पर पद्धति के उपयोग से चमेरा-II विद्युत स्टेशन के संबंध में कमी द्वारा आंशिक रूप से समायोजित हुआ है।

कुल आय के प्रतिशत के रूप में मूल्यह्रास वित्तीय वर्ष 2016 में 16.29 प्रतिशत से कम होकर वित्त वर्ष 2017 में 15.90 प्रतिशत रह गया है।

वित्तीय-प्रभार

''वित्तीय प्रभारों'' में मुख्य रूप से बांडों तथा आवधिक ऋणों पर ब्याज खर्चे शामिल हैं। लेखा बहियों में कंपनी के ऋणों को रूपये में दर्शाया जाता है, इसमें विदेशी मुद्रा के उधार भी शामिल हैं, जो मुख्य रूप से जापानी येन और कनेडियाई डालर में हैं। इसके अलावा एनएचपीसी को विदेशी बाजार से लिए जाने वाले ऋणों के लिए गारंटी शुल्क के तौर पर कुछ राशि खर्च करनी पड़ती है।

वित्त-पोषण लागतें वित्तीय वर्ष 2016 में 1072.10 करोड़ रूपये से 0.10 प्रतिशत बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017 में 1073.22 करोड़ रूपये हो गई थी। वित्त पोषण लागतों में वृद्धि वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान तीस्ता लो डैम-IV पावर स्टेशन (टीएलडीपी-IV) के पूरे वर्ष चालू रहने के चलते है जिसे आंशिक रूप से ऋणों की चुकौती के कारण सावधि ऋणों पर ब्याज में कमी और ब्याज की उच्चतर दर वाले ऋणों को ब्याज की निम्नतर दर में बदलने के चलते है।

विनियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन (विनियामक आय)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी ''दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन'' संबंधी मार्गदर्शी नोट और साथ ही साथ भारतीय लेखांकन मानक 114-विनियामक विलंबित लेखे के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ''विनियामक परिसंपत्तियां'' को सृजित किया गया है और तदनरूपी "विनियामक आय" के रूप में 713.99 करोड़

रूपये को मान्यता दी गई है जबकि इसके प्रति वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सुबानसिरी लोअर परियोजना पर ऋण लागत तथा प्रशासनिक एवं अन्य व्यय 516.70 करोड़ रूपये, 1.1.2017 से देय वेतन संशोधन के प्रति किए गए प्रावधान हेतु 199.78 करोड़ रूपये और मौद्रिक मदों हेतु विनिमय अंतरों के प्रति (2.49 करोड़ रूपये) है जिन्हें संगत लेखांकन मानक के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया गया है। दर नियंत्रित आय को वित्तीय वर्ष 2016-17 में नीचे उल्लिखित तीन कारकों के चलते लेखा बहियों में मान्यता प्रदान की गई है :

(i) सुबानसिरी लोअर परियोजना पर किए गए व्यय के प्रति नियामक विलंबित लेखा शेष का सृजन

सुबानसिरी लोअर में 16 दिसम्बर, 2011 से बाधित कार्य अभी पुनः प्रारंभ होना है। वित्त वर्ष 2016-17 हेतु इस परियोजना के संबंध में ऋण लागत तथा प्रशासनिक और किए गए अन्य व्यय/अर्जित आय के पूंजीकरण न होने के कारण आय तथा व्यय के शीर्षों पर प्रभाव को तालिका 6 में दिया गया है :

तालिका 6

(करोड़ रूपये में)

क्रम सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2016-17
i)	अन्य आय	26.99
ए	**कुल आय**	**26.99**
i)	उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	78.68
ii)	कर्मचारी लाभ	92.74
iii)	वित्त लागत	365.32
iv)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	6.96
v)	**पूर्वावधि मदे (निवल)**	**543.70**
बी	**कुल व्यय**	**(543.70)**
सी	**कर पूर्व लाभ (ए-बी)**	**(516.71)**

(ii) सीपीएसयू के वेतन संशोधन हेतु तीसरे पीआरसी की सिफारिशों के कारण मान्य किए गए व्यय के संबंध में विनियामक विलंबित लेखा शीर्षों का सृजन

विद्युत स्टेशनों के संबंध में 1.1.2017 से वेतन संशोधन के कारण उत्पन्न होने वाली व्यय की मदों के संबंध में दर नियंत्रित आय का सृजन भारतीय लेखांकन मानक 114 के अनुसार अनुमेय सीमा तथा साथ में दर नियंत्रित क्रियाकलापों के संबंध में आईसीएआई के परामर्शी नोट और सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2014-19 के अनुसार किया गया है।

तदनुसार कंपनी ने वेतन संशोधन से संबंधित व्ययों के प्रति 199.78 करोड़ रूपये की विनियामक परिसंपत्तियों का सृजन नीचे तालिका 7 में दिए अनुसार किया है :

तालिका 7

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17
1.	लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से बुक किए गए व्यय के प्रति	199.78
	कुल	**199.78**

(iii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में विनियामक विलंबित लेखा शेष

लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किए गए की सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन/निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर और जो आगे सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार आगे की अवधि में लभार्थियों से वसूली योग्य है अथवा उन्हें देय है, उन्हें 1.4.2016 से ठविनियामक विलंबित लेखा शेषड के रूप में मान्यता दी जा रही है। इन शेषों को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिससे ये परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) के पश्चात लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय हों।

तदनुसार, कंपनी ने भविष्य की अवधियों में लाभार्थियों को देय 2.50 करोड़ रूपये की विनियामक परिसंपत्तियों का सृजन किया है।

कर-पूर्व लाभ (दर विनियमित आय सहित)

ऊपर दिए गए कारणों के चलते हमारा कर पूर्व लाभ वित्तीय वर्ष 2016 में 3180.50 करोड़ रूपये से 9.25 प्रतिशत बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017 में 3474.60 करोड़ रूपये हो गया है।

कर व्यय

वित्तीय वर्ष 2017 में हमने कर व्ययों हेतु 679.01 करोड़ रूपये मुहैया करवाए थे जबकि वित्तीय वर्ष 2016 में यह राशि 750.61 करोड़ रूपये थी। वित्तीय वर्ष 2017 में कर व्ययों में कमी वर्तमान वर्ष के करों में 38.41 करोड़ रूपये की कमी तथा 93.32 करोड़ रूपये द्वारा पहले के वर्ष के कर समायोजनों में कमी के चलते है जो आंशिक रूप से विलंबित कर में 60.13 करोड़ रूपये की वृद्धि से समायोजित हुई है।

अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) जिसमें निर्धारित लाभ योजना का पुनः मापन और इक्विटी तथा ऋण लिखत में उचित मूल्य लाभ/हानि शामिल है, वित्तीय वर्ष 2017 में 7.67 करोड़ थी अर्थात वित्तीय वर्ष 2016 के 3.24 करोड़ रूपये की तुलना में 136.73 प्रतिशत की वृद्धि।

कुल व्यापक आय (टीसीआई)

कुल व्यापक आय (टीसीआई) अर्थात ओसीआई सहित कुल लाभ वित्तीय वर्ष 2017 में 2803.26 करोड़ रूपये था जो वित्तीय वर्ष 2016 में 2433.13 करोड़ रूपये के प्रति 15.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(2) नकदी तथा पूंजी संसाधन

नकदी

नकदी के आंतरिक तथा बाहरी दोनों स्रोतों का उपयोग कार्यशील पूंजी आवश्यकता और पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। सामान्यतः दीर्घावधि ऋण बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण अथवा भारतीय रूपये या विदेशी मुद्रा में बॉण्ड जारी करके जुटाए जाते हैं। 31 मार्च, 2017 तथा 2016 को नकदी तथा बैंक शेष क्रमशः 59.89 करोड़ रूपये और 1194.39 करोड़ रूपये थे, जिसमें से 31 मार्च, 2017 तथा 2016 को क्रमशः 7.74 करोड़ रूपये और 32.48 करोड़ रूपये कम्पनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों हेतु धारित थे, जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं थे।

नकदी प्रवाह

तालिका 8 नकदी प्रवाह

(करोड़ रूपये में)

	वित्त वर्ष 2016	वित्त वर्ष 2015
प्रचालन गतिविधियों से निवल नक़दी अन्तर-प्रवाह/(बाह्य-प्रवाह)	8,145.34	4,900.02
निवेश गतिविधियों से निवल नक़दी प्रवाह/(बाह्य-प्रवाह)	(1,430.10)	(799.35)
वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नक़दी प्रवाह/(बाह्य-प्रवाह)	(7,849.74)	(3,091.97)

प्रचालनों से निवल नकदी

वित्तीय वर्ष 2017 में प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी 8145.34 करोड़ रूपये और कर पूर्व तथा अपवादजनक मदों के पश्चात लाभ 2760.61 करोड़ रूपये था। प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी को मुख्यतः 1388.40 करोड़ रूपये के मूल्यह्रास, 1073.22 करोड़ रूपये के ब्याज व्यय, विनियामक विलंबित लेखा शेष के प्रति व्यय के चलते 341.71 करोड़ रूपये, प्रावधानों के प्रति 119.68 करोड़ रूपये, टैरिफ समायोजन के चलते 94.83 करोड़ रूपये, एफईआरबी के चलते बिक्री समायोजनों के प्रति 51.81 करोड़ रूपये, मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण विलंबित राजस्व हेतु 60.68 करोड़ रूपये, पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों/देयताओं के कारण 44.92 करोड़ रूपये, लाभांश आय के कारण 207.49 करोड़ रूपये, विनिमय दर अंतर के प्रति 4.05 करोड़ रूपये, जमा/निवेश तथा अन्य गैर-प्रचालनशील मदों पर अर्जित ब्याज के प्रति 512.72 करोड़ रूपये जैसी गैर-नकदी मदों के समायोजन के पश्चात निकाला गया है। प्रचालन परिसंपत्तियों तथा देयाताओं में परिवर्तन का नकदी अंतरवाह पर 3911.19 करोड़ रूपये का प्रभाव हुआ है जो माल-सूची, व्यापार प्राप्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, ऋण तथा अग्रिम और अन्य देयों में परिवर्तन के निवल प्रभाव के कारण था।

प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी वित्तीय वर्ष 2016 में 4900.02 करोड़ रूपये थी। वित्त वर्ष 2016 में हमारा कर पूर्व और अपवादजनक मदों के पश्चात निवल लाभ 2629.60 करोड़ रूपये था। प्रचालन क्रियाकलापों से हमारी निवल नकदी को मुख्यतः 1359.07 करोड़ रूपये के मूल्यह्रास, 1072.10 करोड़ रूपये के ब्याज व्यय, प्रावधानों के प्रति 390.94 करोड़ रूपये, विनियामक विलंबित लेखा शेष के प्रति व्यय के चलते 147.04 करोड़ रूपये, टैरिफ समायोजन के चलते 109.78 करोड़ रूपये, एफईआरबी के चलते बिक्री समायोजनों के प्रति 64.65 करोड़ रूपये, मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण विलंबित राजस्व हेतु 50.17 करोड़ रूपये, पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों/देयताओं के कारण 41.53 करोड़ रूपये, लाभांश आय के कारण 120.93 करोड़ रूपये, विनिमय दर अंतर के प्रति 1.14 करोड़ रूपये, जमा/निवेश तथा अन्य गैर-प्रचालनशील मदों पर अर्जित ब्याज के प्रति 603.77 करोड़ रूपये जैसी गैर-नकदी मदों के समायोजन के पश्चात निकाला गया है। प्रचालन परिसंपत्तियों तथा देयाताओं में परिवर्तन का नकदी अंतरवाह पर 619.81 करोड़ रूपये का प्रभाव हुआ है जो माल-सूची, व्यापार प्राप्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, ऋण तथा अग्रिम और अन्य देयों में परिवर्तन के निवल प्रभाव के कारण था।

निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी

वित्तीय वर्ष 2017 में निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त हमारी निवल नकदी 1430.10 करोड़ रूपये थी। यह मुख्यतः अचल परिसंपत्तियों पर 1496.41 करोड़ रूपये के व्यय, विनियामक विलंबित लेखा शेष के प्रति 365.72 करोड़ रूपये और निवेश/बॉण्ड के प्रति 365.37 करोड़ रूपये के व्यय को दर्शाती है जिसे आंशिक रूप से जमा/निवेश पर 566.25 करोड़ रूपये की ब्याज आय और लाभांश आय के प्रति 207.49 करोड़ रूपये की राशि से समायोजित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2016 में निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त हमारी निवल नकदी 799.35 करोड़ रूपये थी। यह मुख्यतः अचल परिसंपत्तियों पर 2061.40 करोड़ रूपये के व्यय, विनियामक विलंबित लेखा शेष के प्रति 147.04 करोड़ रूपये और निवेश/बॉण्ड के प्रति 651.01 करोड़ रूपये के व्यय को दर्शाती है जिसे आंशिक रूप से जमा/निवेश पर 637.15 करोड़ रूपये की ब्याज आय और लाभांश आय के प्रति 120.93 करोड़ रूपये की राशि से समायोजित किया गया था।

वित्त पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी

वित्तीय वर्ष 2017 में वित्त-पोषण क्रियाकलापों पर हमारा निवल नकदी बाहिर प्रवाह 7849.74 करोड़ रूपये था। हमने नए घरेलू सावधि ऋणों से 2502 करोड़ रूपये जुटाए और 3338.37 करोड़ रूपये के बॉण्ड तथा ऋणों की चुकौती की गई थी। इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद पर हमारा नकदी बाहिर प्रवाह 2625.93 करोड़ रूपये था। ऋण सर्विसिंग से संबंधित राशि 1391.09 करोड़ रूपये थी। वित्तीय वर्ष 2017 में वित्तीय वर्ष 2016 के लिए अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित) तथा वित्तीय वर्ष 2017 हेतु अंतरिम लाभांश (लाभांश कर सहित) की भुगतान की गई राशि क्रमशः 731.19 करोड़ रूपये तथा 2265.16 करोड़ रूपये थी।

वित्तीय वर्ष 2016 में वित्त-पोषण क्रियाकलापों पर हमारा निवल नकदी बाहिर प्रवाह 3091.97 करोड़ रूपये था। हमने नए घरेलू सावधि ऋणों से 1774.92 करोड़ रूपये जुटाए और 1671.09 करोड़ रूपये के बॉण्ड तथा ऋणों की चुकौती की गई थी। ऋण सर्विसिंग से संबंधित राशि 1461.06 करोड़ रूपये थी। वित्तीय वर्ष 2016 में वित्तीय वर्ष 2015 के लिए अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित) तथा वित्तीय वर्ष 2016 हेतु अंतरिम लाभांश (लाभांश कर सहित) की भुगतान की गई राशि क्रमशः 508.90 करोड़ रूपये तथा 1225.84 करोड़ रूपये थी।

(3) तुलन-पत्र मदे

तुलन-पत्र की मुख्य बातें

आस्तियां

तालिका 9 : आस्तियां

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च को	
	2017	2016
गैर-वर्तमान आस्तियां		
निवल स्थिर आस्तियां	38,327.34	37,882.61
गैर-वर्तमान निवेश	2,100.32	1,683.01
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	360.96	342.60
अन्य वित्तीय आस्तियां	1,863.83	1,909.47
गैर-वर्तमान कर आस्तियां	73.68	65.78
अन्य गैर-वर्तमान आस्तियां	1,125.74	1,327.45
चालू आस्तियां		
चालू निवेश	-	1.13
मालसूची	91.64	84.00
प्राप्य व्यापार	1,492.90	1,554.44
नकदी और बैंक शेष	1,533.14	5,876.75
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	26.88	58.33

विवरण	31 मार्च को	
	2017	2016
अन्य वित्तीय आस्तियां	1,858.25	2,150.32
चालू कर आस्तियां	55.93	-
अन्य चालू आस्तियां	492.17	279.55
कुल आस्तियां	**49,402.78**	**53,215.44**
नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	2,904.32	2,181.28
कुल आस्तियां और नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	**52,307.10**	**55,396.72**

वित्तीय स्थिति

निवल मूल्य

वित्त वर्ष 2017 के अंत में कंपनी के निवल मूल्य में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 9.47 प्रतिशत की कमी हुई और यह 29,761.15 करोड़ रूपये से कम होकर 26,942.13 करोड़ रूपये के स्तर पर पहुच गया। इसका मुख्य कारण शेयरों की पुनः खरीद और वर्ष के दौरान उच्चतर अंतिम लाभांश का भुगतान था।

निवल अचल परिसंपत्तियां

हमारी स्थिर आस्तियों में भूमि, बांध, सुरंगें और भवन जिसमें विद्युत घर भवन, निर्माण उपकरण, संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण, कम्प्यूटर तथा स्थूल परिसंपत्तियां आदि शामिल हैं। मूल्यह्रास के बाद एनएचपीसी की स्थिर आस्तियां जिन्हें निवल स्थिर आस्तियां कहा जाता है, 31 मार्च, 2017 को 38,327.34 करोड़ रूपये और 31 मार्च 2016 को 37,882.61 करोड़ रूपये थी।

निवेश (चालू और चालू से इतर)

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और इन्हें लागत आधार पर वहन किया जाता है जिसमें अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों, सरकारी प्रतिभूतियों और बॉण्ड में इक्विटी निवेश शामिल होता है। दीर्घावधि निवेश की वर्तमान परिवक्वता को वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत पृथक रूप से दर्शाया जाता है। 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 को एनएचपीसी का निवेश क्रमशः 2,100.32 करोड़ रूपये और 1,684.14 करोड़ रूपये था।

निवेश में वृद्धि इक्विटी में निवेश के उचित मूल्य में वृद्धि और हमारी संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश में वृद्धि का निवल प्रभाव है।

ऋण (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान)

ऋण में हमारे कर्मचारियों का अरूणाचल प्रदेश सरकार को प्रदान किए गए ऋण शामिल हैं। 31 मार्च, 2017 तथा 31 मार्च, 2016 के अनुसार ऋण क्रमशः 387.84 करोड़ रूपये और 400.92 करोड़ रूपये थे अर्थात पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इसमें 3.26 प्रतिशत की कमी हुई है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान)

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां 31 मार्च, 2017 को 3722.08 करोड़ रूपये थी जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 4059.79 करोड़ रूपये थी अर्थात पिछले वित्त वर्ष के आकड़ों से 8.32 प्रतिशत की कमी। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में प्राप्य पट्टा किराया, अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण पर प्रोदभूत ब्याज, बैंक जमा पर प्रोदभूत ब्याज आय, विभिन्न एजेंसियों से प्राप्य दावा , अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य, बिल न किए गए राजस्व से प्राप्य शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2017 में वित्तीय वर्ष 2016 के आंकड़ों की तुलना में 8.32 प्रतिशत की कमी मुख्यतः प्राप्य पट्टा किराया, बैंक जमा पर प्रोदभूत ब्याज आय और अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य में कमी के चलते है।

कर परिसंपत्तियां (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान)

31 मार्च, 2017 तथा 2016 के अनुसार कर परिसंपत्तियां क्रमशः 129.61 करोड़ रूपये तथा 65.78 करोड़ रूपये थी अर्थात पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों से 97.04 प्रतिशत की वृद्धि। कर परिसपंत्तियों में अग्रिम आयकर और स्त्रोत पर कटौती किया गया कर शामिल है।

अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां

अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में मुख्यतः विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढाव परिसंपत्तियां तथा पूंजीगत अग्रिम शामिल हैं। 31 मार्च, 2017 तथा 2016 के अनुसार हमारी अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां क्रमशः 1125.74 करोड़ रूपये तथा 1327.45 करोड़ रूपये थी। वित्तीय वर्ष 2016 के आंकड़ों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017 में 15.20 प्रतिशत की कमी मुख्यतः पूंजीगत अग्रिम में कमी और विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियों में कमी के कारण है।

माल-सूची

माल-सूचियों का मूल्यांकन सम-लागत पर अथवा उनके वसूली योग्य कुल मूल्य, में से जो भी कम हो, उस के आधार पर किया जाता है। 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 को किये गये मूल्यांकन में माल-सूचियों का मूल्य क्रमशः 91.64 करोड़ रूपये और 84.00 करोड़ रूपये आंका गया था।

प्राप्य व्यापार

इसके अंतर्गत मुख्यतः विद्युत की बिक्री से संबंधित प्राप्त होने वाली राशियां शामिल हैं। इसमें बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य शामिल नहीं है। 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 को प्राप्य व्यापार (संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान का निवल) 1492.90 करोड़ रूपये और 1554.44 करोड़ रूपये थे। वित्तीय वर्ष 2016 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017 में व्यापार प्राप्य में 3.96 प्रतिशत की कमी हुई है जो बकाया देयों की वसूली के चलते है।

नकद और बैंक जमा राशि

एनएचपीसी की नकदी और बैंक जमा राशि के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं : कंपनी के चालू खाते में तुलन पत्र जारी करने की तारीख को रोकड़ अधिशेष और अल्पावधि जमा राशियां; तथा ग्रामीण सड़कों के विकास की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना की स्थापना से संबंधित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की निर्माण लागत के रूप में सरकारी संस्थाओं से प्राप्त अग्रिमों में से खर्च नहीं हो सकी अतिशेष राशि।

31 मार्च, 2017 तथा 31 मार्च, 2016 को कंपनी के पास नकद और बैंक जमा राशि के रूप में क्रमशः 59.89 करोड़ रूपये और 1,194.39 करोड़ रूपये थे। वित्त वर्ष 2017 में इसमें 1134.50 करोड़ रूपये की कमी निवेश और वित्त-पोषण क्रियाकलापों में क्रमशः 1430.10 करोड़ रूपए और 7849.74 करोड़ रूपए के निवल परिणाम के कारण हुई है जिसे प्रचालन क्रियाकलापों के कारण 8145.34 करोड़ रूपए के नकदी अंतरवाह से समायोजित किया गया है।

नकदी तथा नकदी तुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष 31 मार्च, 2017 तथा 31 मार्च, 2016 को क्रमशः 1473.25 करोड़ रूपए और 4682.36 करोड़ रूपये थे। 3209.11 करोड़ रूपये की कमी मुख्यतः उच्चतर अंतरिम लाभांश के भुगतान तथा शेयरों की पुनः खरीद के कारण थी।

हमारे नकदी तथा बैंक शेष में 250.22 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 251.52 करोड़ रूपये) शामिल है, जो ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए रखी गई थी जिन्हें कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किया जा रहा है और इसमें 14.26 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 10.06 करोड़ रूपये) का अदा न किया गया लाभांश शामिल है जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं था।

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत अग्रिम के अतिरिक्त जमा तथा अग्रिम, पूर्व प्रदत्त व्यय और विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां शामिल है। 31 मार्च, 2017 तथा 31 मार्च, 2016 को एनएचपीसी की अन्य वर्तमान आस्तियां क्रमशः 492.17 करोड़ रूपये और 279.55 करोड़ रूपये की थी, यानी वित्त वर्ष 2016 की तुलना में वित्त वर्ष 2017 में इन परिसंपत्तियों में 76.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

विनियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी ठदर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकनड संबंधी मार्गदर्शी नोट और साथ ही साथ भारतीय लेखांकन मानक 114-विनियामक विलंबित लेखे के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ''विनियामक परिसंपत्तियां'' को सृजित किया गया है और तदनुरूपी ''विनियामक आय'' के रूप में 516.71 करोड़ रूपये को मान्यता दी गई है जो वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान सुबानसिरी लोअर परियोजना पर ऋण लागत तथा प्रशासनिक एवं अन्य व्यय के प्रति है जिन्हें संगत लेखांकन मानक के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया गया है।

सीपीएसयू के एक वेतन संशोधन हेतु तीसरे पीआरसी की सिफारिशों के कारण मान्य किए गए व्यय के संबंध में 199.78 करोड़ रूपये विनियामक विलंबित लेखा शीर्षों का सृजन किया गया है जिसे लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से और 9.05 करोड़ रूपये को अन्य व्यापक आय के माध्यम से संगत लेखांकन मानक के अनुसार बुक किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों संबंधी विनिमय अंतरों के संबंध में (-) 2.50 करोड़ रूपये हेतु विनियामक विलंबित लेखाशीर्षों का सृजन किया गया है जिन्हें संगत लेखांकन मानक के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया गया है।

तदनुसार, 31.3.2017 को "विनियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष" 2904.32 करोड़ रूपये होते हैं जबकि इसकी तुलना में 31.3.2016 को ये 2181.28 करोड़ रूपये थे।

देयताएं एवं प्रावधान

तालिका 10 : देयताएं एवं प्रावधान

(करोड़ रूपये में)

	31 मार्च को	
	2017	2016
चालू देयताओं से इतर देयताएं		
दीर्घावधि उधार	17,245.64	18,181.08
अन्य वित्तीय देयताएं	25.63	37.62
दीर्घावधि प्रावधान	486.93	408.20
आस्थगित कर देयताएं	938.49	861.93
अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	1,472.47	1,384.13
चालू देयताएं		
अल्पावधि उधार	302.50	0
देय व्यापार	147.08	122.14
अन्य वित्तीय देयताएं	2,500.99	2,599.93
अन्य वर्तमान देयताएं	755.29	670.84
अल्पावधि प्रावधान	1,489.95	1,263.04
वर्तमान कर देयताएं	0	106.66
कुल देयताएं और प्रावधान	**25,364.97**	**25,635.57**

दीर्घावधि उधार

दीर्घावधि उधार के अंतर्गत वित्त वर्ष 2017 में क्रमशः 8493.28 करोड़ रूपये, 4478.81 करोड़ रूपये और 4273.55 करोड़ रूपये के बांड, सुरक्षित सावधि ऋण और असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण शामिल हैं जबकि वित्त वर्ष 2016 में ये क्रमशः 7410.97 करोड़ रूपये, 6474.90 करोड़ रूपये और 4,925.21 करोड़ रूपये के रहे थे।

सुरक्षित ऋणों में घरेलू बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उधार के साथ-साथ पूंजी बाजार में कार्पोरेट बॉन्ड से प्राप्त राशियां भी शामिल हैं जो कंपनी की आस्तियों के तहत सुरक्षित हैं।

दीर्घावधि ऋण में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 5.15 प्रतिशत की कमी मुख्यतः ऋण की चुकौती तथा पुनर्भुगतान के कारण थी जिसे यू.यू1 तथा वी सीरीज़ के बॉण्डों को जारी करके वर्तमान परिपक्वताओं में वृद्धि के माध्यम से समायोजित किया गया था।

अन्य वित्तीय देयताएं (वर्तमान और गैर-वर्तमान)

31 मार्च, 2017 को अन्य वित्तीय देयताएं 2526.62 करोड़ रूपये थी जबकि पिछली तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में यह 2637.55 करोड़ रूपये थी अर्थात पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों पर 4.21 प्रतिशत की कमी।

अन्य वित्तीय देयताओं में कमी पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता, सावधि ऋणों, जमा/प्रतिधारण राशि में कमी के निवल प्रभाव के चलते है जिसे आंशिक रूप से ऋणों पर प्रोदभूत किन्तु देय न होने वाले ब्याज तथा बॉण्डों की वर्तमान परिपक्वता राशि में वृद्धि द्वारा समायोजित किया गया है।

प्रावधान (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान)

प्रावधानों में निष्पादन संबंधी वेतन, अधिवर्षिता/पेंशन निधि, कर्मचारी लाभ के प्रति प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन), वेतन संशोधन हेतु प्रावधान, प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान तथा अन्य प्रावधान आदि के लिए किए गए प्रावधान शामिल है। कुल प्रावधान 31 मार्च, 2017 को 1976.88 करोड़ रूपये के थे जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्त वर्ष हेतु यह 1671.24 करोड़ रूपये के थे।

विलंबित कर देयताएं

विलंबित कर देयताएं 31 मार्च, 2017 को 938.49 करोड़ रूपये थी जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 861.93 करोड़ रूपये की थी।

अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

अन्य गैर-वर्तमान देयताएं 31 मार्च, 2017 को 1472.47 करोड़ रूपये थी जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 1384.13 करोड़ रूपये की थी। अन्य गैर-वर्तमान देयताओं में अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम) और सरकार से सहायता अनुदान शामिल हैं।

अल्पावधि ऋण

31 मार्च, 2017 के अनुसार अल्पावधि ऋण 302.50 करोड़ रूपये हैं। अल्पावधि ऋणों में बैंक से ऋण के प्रति एफडीआर के रूप में अल्पावधि निवेश शामिल है।

देय व्यापार

31 मार्च, 2017 को देय व्यापार 147.08 करोड़ रूपये है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष हेतु यह 122.14 करोड़ रूपये थे अर्थात पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 20.42 प्रतिशत की वृद्धि।

अन्य वर्तमान देयताएं

अन्य वर्तमान देयताएं 31 मार्च, 2017 को 755.29 करोड़ रूपये थी जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्त वर्ष में यह 670.84 करोड़ रूपये थी अर्थात पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 12.59 प्रतिशत की वृद्धि।

वर्तमान कर देयताएं

वर्तमान कर देयताएं 31 मार्च, 2017 को शून्य करोड़ रूपये हैं जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष हेतु यह 106.66 करोड़ रूपये थी।

(4) तुलन-पत्र से इतर मद

आकस्मिक देनदारियां

निम्नलिखित तालिका 11 में वित्त वर्ष 2016 और 2017 के लिए एनएचपीसी की आकस्मिक देनदारियां दिखायी गयी हैं :

तालिका 11 : आकस्मिक देनदारियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2017	वित्तीय वर्ष 2016
कंपनी के विरूध्द दावे जो ऋण नहीं माने गये हैं		
पूंजीगत कार्य	7,848.60	8,459.20
भूमि मुआवजे के मामले	19.36	28.18
विवादित आयकर और अन्य मदें	957.94	838.29
कुल	**8,825.90**	**9,325.67**

आकस्मिक देयताओं में 31 मार्च, 2016 को 9325.67 करोड़ रूपये से 5.36 प्रतिशत की कमी होकर यह 31 मार्च, 2017 को 8825.90 करोड़ रूपये हो गई थी जो मुख्यतः पूंजीगत कार्यों से संबंधित आकस्मिक देयताओं में कमी के कारण है जिसे आंशिक रूप से विवादित कर मांगों तथा अन्य मदों से संबंधित आकस्मिक देयताओं में वृद्धि द्वारा समायोजित किया गया है।

(5) सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों की व्यावसायिक और वित्तीय समीक्षा

एनएचपीसी की सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

एनएचडीसी लिमिटेड

एनएचडीसी लिमिटेड का कंपनी के रूप में पंजीकरण 01.08.2000 को एनएचपीसी के संयुक्त उपक्रम के रूप में किया गया था। 3,000 हजार करोड़ रूपये की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी वाली इस कंपनी में एनएचपीसी लिमिटेड की 51.08 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश सरकार की 48.92 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। एनएचडीसी ने इंदिरा सागर विद्युत परियोजना (1,000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर विद्युत परियोजना (520 मेगावाट) का निर्माण किया है। 31 मार्च, 2017 तथा 31 मार्च, 2016 को कंपनी की कुल आय क्रमशः 1559.64 करोड़ रूपये और 1216.76 करोड़ रूपये थी। 31 मार्च, 2017 तथा 31 मार्च, 2016 को कंपनी का कर पश्चात लाभ क्रमशः 931.28 करोड़ रूपये और 638.87 करोड़ रूपये था। वर्तमान में कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 1962.58 करोड़ रूपए है जिसमें एनएचपीसी का योगदान 1002.42 करोड़ रूपए है।

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 23.10.2009 को एनएचपीसी लिमिटेड (74 प्रतिशत हिस्सापूंजी) और मणिपुर सरकार (26 प्रतिशत हिस्सा पूंजी) के संयुक्त उद्यम के रूप में 230 करोड़ रूपये की अधिकृत शेयर पूंजी से की गयी थी। वर्तमान में कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 117.69 करोड़ रूपए है जिसमें एनएचपीसी का योगदान 87.09 करोड़ रूपए है।

बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड

बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड को 2.2.2016 को एनएचपीसी लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में अधिनिगमित किया गया था जिसमें एनएचपीसी का अंश 74 प्रतिशत से कम नहीं था। कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 10.00 करोड़ रूपये है। वर्तमान में कम्पनी की शेयर पूंजी 1.00 करोड़ रूपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 1.00 करोड़ रूपये (99.99 प्रतिशत) है।

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी के रूप में गठन 13.06.2011 को 1500 करोड़ रूपये की शेयर पूंजी से एनएचपीसी लिमिटेड (49.78 प्रतिशत शेयर पूंजी), जेकेएसपीडीसी (49.98 प्रतिशत शेयर पूंजी) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड (0.04 प्रतिशत शेयर पूंजी) ने मिलकर किया था। इसका उद्देश्य चिनाब नदी बेसिन में 2164 मेगावाट क्षमता की पाकल दुल, किरुऔर कवार जल-विद्युत परियोजनाओं को पूरा करना था। वर्तमान में कंपनी की प्रदत्त शेयरपूंजी 924.08 करोड़ रूपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 460.00 करोड़ रूपये है।

नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)

एनएचपीटीएलपीएल की स्थापना 22.05.2009 को एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पावर ग्रिड) और दामोधर घाटी निगम (डीवीसी) के संयुक्त उद्यम के रूप में की गयी थी। वित्त वर्ष 2016 के दौरान केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान प्रतिष्ठान भी इस संयुक्त उद्यम में शामिल हो गया है जिससे

इक्विटी भागीदारी प्रत्येक संयुक्त उद्यम भागीदार हेतु 25 प्रतिशत हो गई है। कंपनी की स्थापना का उद्देश्य देश में शॉर्ट-सर्किट परीक्षण सुविधा वाली एक ऑन-लाइन हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी की स्थापना करना है तथा इसकी प्राधिकृत पूंजी 153 करोड़ रूपए है। 31 मार्च, 2017 के अनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 152.00 करोड़ रूपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 30.40 करोड़ रूपये है।

एनएचपीसी लिमिटेड, इसकी सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण :

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक 110 - 'समेकित वित्तीय विवरण' और भारतीय लेखांकन मानक 28 - 'एसोसिएट तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश' के अनुसार तैयार किये गये हैं और इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल है।

परिणामों का संक्षिप्त सार समेकित आधार पर तालिका 12 में दिया गया है :

तालिका 12 : समेकित आधार पर परिणामों का सार

(करोड़ रूपये में)

ब्यौरा	वित्त वर्ष 2016	वित्त वर्ष 2015
कुल आमदनी (अपवादात्मक मदों को छोड़कर)	10,126.91	9,446.43
कर पूर्व लाभ	4,533.44	3,916.17
कर पश्चात लाभ (अल्पसंख्यक हित को समायोजित करने के पश्चात)	3,029.42	2,601.73

8. मानव संसाधन और औद्योगिक संबंध मोर्चे पर उल्लेखनीय विकास

आपकी कंपनी अपने व्यापार की सफलता के लिए मानव पूंजी के महत्व को समझती है। कंपनी का प्रयास अग्रणी संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों से देश में श्रेष्ठ प्रतिभा को प्राप्त करने का होता है। यह प्रतिभा के विकास तथा उसे बनाए रखने के संबंध में कार्य कर रही है। समूचे संगठन में कार्य बदलाव और अंतर-स्थल स्थानांतरण में करियर के योजित विकास को सुकर बनाया है और कर्मचारियों की सोच को व्यापक किया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण, शांतिपूर्ण और मित्रतापूर्ण बने रहे। कर्मचारियों की प्रतिभागिता को कर्मचारियों के साथ जानकारी साझा करके, उनका समर्थन, सुझाव और सहयोग मांगकर सुनिश्चित किया जा रहा है। कंपनी अपनी मानव संसाधन रणनीतियों को संगठनात्मक रणनीतियों के अनुरूप बनाने को जारी रखे हुए है।

(1) कर्मचारियों का प्रशिक्षण

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है ताकि उनके व्यवहार एवं प्रबंधकीय कौशलों और कोर दक्षताओं में सुधार हो सके। ये कार्यक्रम कर्मचारियों को प्रचालन, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, वित्त, अभियांत्रिकी, आदि के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं से अवगत रखने में सहायता करते है। कंपनी ने उत्तराखंड में टनकपुर विद्युत स्टेशन, हिमाचल प्रदेश में चमेरा-1 विद्युत स्टेशन, जम्मू एवं कश्मीर में सलाल और उड़ी-1 विद्युत स्टेशन में कुल 4 प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए है।

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण तथा विकासात्मक कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिष्ठित प्रबंधन एवं अभियांत्रिकी संस्थानों के माध्यम से करवाती है। उक्त के अतिरिक्त, एनएचपीसी नियमित रूप से अपने कार्यपालकों को उच्चतर योग्यताएं तथा विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए भी प्रायोजित कर रही है जिससे उनकी उत्पादकता तथा दक्षता में सुधार हो।

(2) कर्मचारी संख्या

31 मार्च, 2017 के अनुसार कंपनी की कर्मचारी संख्या 8009 (3834 कार्यपालक, 193 पर्यवेक्षक और 3982 कामगार) थी।

(3) महिला कर्मचारियों हेतु कल्याण उपाय

31.03.2017 को एनएचपीसी में महिला कर्मचारियों की संख्या और उनका प्रतिशत तालिका 13 में दिया गया है :

तालिका 13 : महिला कर्मचारियों का ब्यौरा

31.03.2017 को कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	समग्र स्टाफ संख्या का प्रतिशत
8009	818	10.21

महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाये गए कदम :

- महिला कर्मचारियों को महिला सशक्तीकरण और महिलाओं से संबंधित अन्य मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनार में भाग लेने के लिए नियमित रूप से नामित किया जाता है।
- कारपोरेट कार्यालय में शिशु गृह सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।
- महिला कर्मचारियों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायतों/परिवादों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।
- 18 वर्ष तक के 2 बच्चों (निशक्त बच्चे के मामले में 22 वर्ष) की देखभाल अथवा परीक्षा, बीमारी आदि जैसी उनकी किसी आवश्यकता को देखने के लिए महिला कर्मचारियों को ''चाइल्ड केयर लीव'' यानी बच्चों की देखरेख के लिए अवकाश प्रदान किया जाता है।
- नियमानुसार मातृत्व अवकाश की व्यवस्था है।
- चिकित्सा नियमों के तहत माता-पिता/सास-ससुर को अपने आश्रितों में शामिल करने की घोषणा करने का विकल्प दिया गया है।
- कारपोरेट कार्यालय में महिला कर्मचारियों को उपस्थित के समय में छूट दी गई है।
- चयन बोर्ड/समिति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है।
- कारपोरेट कार्यालय में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं फोरम (डब्ल्यूआईपीएस) प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

आपकी कंपनी सुदूर क्षेत्रों में अवस्थित अपनी विभिन्न परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के प्रति सजग है। कंपनी उन सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए बजट आवंटित करती है, जहां इसकी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के आसपास अनु.ज/अनु.जन.जा./अ.पि.व समुदायों की आबादी अधिक है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सीधे भर्ती में अनु.ज/अनु.जन.जा./अ.पि.व के लिए आरक्षण और रियायतें प्रदान की जाती हैं। अनु.ज/अनु.जन.जा. कर्मचारियों की पदोन्नतियों पर विचार करते समय भी मानदंडों में रियायतें दी जाती हैं। एनएचपीसी अनु.ज/अनु.जन.जा. कर्मचारियों के साथ समय-समय पर बैठकों का भी आयोजन करती है। अनु.ज/अनु.जन.जा./अ.पि.व श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के कल्याण के लिए अलग-अलग संपर्क अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में अनु.ज/अनु.जन.जा./अ.पि.व प्रकोष्ठ बनाए गए हैं।

अनु.ज/अनु.जन.जा./अ.पि.व कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व को **तालिका 14** में दिया गया है :

तालिका 14 : अनु.ज/अनु.जन.जा./अ.पि.व कर्मचारियों का ब्यौरा

31.03.2017 को कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रतिनिधित्व					
	अनु.जा	%	अनु.जन.जा.	%	अ.पि.व	%
8009	1120	13.98	481	6.00	1013	12.65

(5) निःशक्त कर्मचारियों का कल्याण

निःशक्त कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व **तालिका 15** में दिया गया है।

तालिका 15 : निशक्त कर्मचारियों का ब्यौरा

31.03.2017 को कर्मचारियों की कुल संख्या	शारीरिक निःशक्त कर्मचारी			शारीरिक निःशक्त कर्मचारी का प्रतिशत	
	दृ.बा.	श्र.बा.	अ.वि.	कुल	%
8009	11	0	119	130	1.62

दृ.बा. : दृष्टि बाधित, श्र.बा. : श्रवण बाधित, अ.वि. : अस्थि विकलांग।

निःशक्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शारीरिक दृष्टि से बाधित कर्मचारियों को सीधे भर्ती और पदोन्नतियों में आरक्षण और रियायतें प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, निःशक्त कर्मचारियों के लिए निम्नांकित कल्याण कार्यक्रम भी शुरूकिए गए हैं :

- निशक्त कर्मचारियों तथा साथ ही ऐसे कर्मचारी जो किसी आश्रित बच्चे की देखभाल कर रहे हैं उन्हें चक्रीय स्थानांतरण से छूट प्राप्त है और स्थानांतरण/पदोन्नति के समय उन्हें तैनाती के स्थान की प्राथमिकता दी जाती है।
- शारीरिक विकलांग हुए व्यक्तियों (जो सेवा काल में हुए हो) को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
- दृष्टि बाधित और अस्थि विकलांग कर्मचारियों को मासिक वाहन भत्ता अदा किया जाता है।
- श्रवण बाधित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कान की मशीन खरीदने पर उसकी कीमत का भुगतान कर दिया जाता है।
- कर्मचारियों/उनके आश्रितों को कृत्रिम अंगों की लागत की प्रतिपूर्ति तथा उक्त के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है
- शारीरिक/मानसिक रूप से मंद बच्चों के संबंध में आश्रित मानते समय आयु की सीमा मान्य नहीं होती है।

9. पर्यावरण बचाव एवं सरंक्षण, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा बचत

(1) पर्यावरण बचाव और संरक्षण

आपकी कंपनी एक ऐसे परिवेश को बनाने के लिए सभी प्रयास करती है जहां आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण को लम्बे समय में भी बनाए रखा जा सके। एनएचपीसी परियोजना हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) को अन्वेषण चरण के दौरान पर्यावरण पर सम्भाव्य प्रभावों की पहचान करने के लिए किया जाता है। ईआईए अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं (ईएमपी)को परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों के प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रस्तावित तथा क्रियान्वित प्रतिपूरक वनीकरण, कैचमेंट क्षेत्र उपचार, जैव विविधता संरक्षण, हरित पट्टी विकास, मतस्यिकी प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास सहित डंपिंग और खदान स्थलों के पुनरूद्धार आदि जैसे उपायों को अपना कर किया जाता है।

कंपनी परियोजना के निर्माण के दौरान क्रियान्वित प्रबंधन योजनाओं की प्रभावोत्पादकता के मूल्यांकन के लिए निर्माण पश्च पर्यावरण तथा सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययनों का भी आयोजन करती है। **"पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन प्रभाग"** नामक एक नए प्रभाग का गठन पर्यावरण, सामाजिक तथा विविधता पहलुओं की देख-रेख के लिए किया गया है। प्रभाग की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है :

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप कारपोरेट पर्यावरण नीति बनाना।
- पर्यावरण स्वीकृति, वन स्वीकृति और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनुपालन और परियोजनाओं की वन्यजीव स्वीकृति से संबंधित सभी मुद्दों को लेना तथा उनकी निगरानी करना।
- परियोजनाओं की सामाजिक विविधता पर ध्यान देना तथा उनका प्रबंधन।
- आर एवं आर नीति तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम से संबंधित सभी मुद्दों पर ध्यान देना।
- सभी भूमि संबंधित रिकार्डों/दस्तावेजों हेतु एक रिपोजिट्री के रूप में कार्य करना।

(ii) कारपोरेट पर्यावरण नीति (सीईपी)

आपकी कंपनी की एक "कारपोरेट पर्यावरण नीति (सीईपी)" है जिसका उद्देश्य ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर-परंपरागत स्त्रोतों के सतत विकास हेतु पर्यावरणीय तथा सामाजिक चिंताओं पर ध्यान देना है। सीईपी की मुख्य विशेषताएं पर्यावरणीय विचारों को परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन तथा प्रचालन में एकीकृत करना, निर्माण-पश्च प्रभाव आंकलन अध्ययनों को करना और सांविधिक बाध्यताओं से परे अनूठी स्वैच्छिक पहलू को लेना है।

कारपोरेट पर्यावरण नीति के अंतर्गत अनुपालन : आपकी कंपनी की 16 परियोजनाओं/पावर स्टेशनों में पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं तथा स्वैच्छिक पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु की गई है। कई एनएचपीसी परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों पर स्वैच्छिक प्रयासों के अंतर्गत अवशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण हेतु कई उपाय किए गए हैं। मार्च, 2016 तथा सितम्बर, 2016 को समाप्त अवधि हेतु विभिन्न परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों के लिए अर्ध वार्षिक प्रगति रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा इसके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत की गई थी। इन रिपोर्टों का कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था।

(iii) नवीकरणीय ऊर्जा घटनाक्रम

आपकी कंपनी सौर तथा पवन विद्युत परियोजनाओं जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को तलाशने के लिए अपने क्रियाकलापों का विविधीकरण कर रही है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।

(iv) विदेशी मुद्रा बचत :

आपकी कंपनी भारत सरकार की **''मेक इन इंडिया''** नीति को बढ़ावा देने के लिए बोली प्रक्रिया में स्थानीय फर्मों की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास कर रही है। यह मोटे तौर पर भारतीय उद्योग की वृद्धि के साथ विदेशी मुद्रा बचत में सहायता करेगा। बोली की शर्तों में एमएसई की प्रतिभागिता के लिए कुछ लाभों के प्रावधान को शामिल किया गया है।

(v) तकनोलॉजी आत्मसात किया जाना :

तकनोलॉजी आत्मसात किए जाने के संबंध में जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध में दी गई है।

10. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी अपने क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में कार्य-निष्पादन की सूचना तथा प्रकटीकरण में पारदर्शिता के प्रत्याशित मानकों के साथ उच्च स्तरीय संगठनात्मक सत्यनिष्ठा तथा नैतिकतापूर्ण व्यवहार को बनाए रखते हुए एक सामाजिक रूप से उत्तरदायी तरीके से व्यापार का संचालन कर रही है। आपकी कंपनी की सीएसआर पहलों का उद्देश्य इसके प्रचालनों तथा कार्यकलापों से सीधे प्रभावित होने वाले सहित अपने हितधारकों की सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय चिंताओं पर ध्यान देना है।

आपकी कंपनी की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 जिसे कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाता है और भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायी तथा धारणीयता संबंधी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप एक सुपरिभाषित सीएसआर तथा धारणीयता संबंधी नीति है।

आपकी कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/CSR_Policy_Final.pdf

पर उपलब्ध है।कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार पिछले 3वित्तीय वर्षों हेतु औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत का व्यय सीएसआर क्रियाकलापों पर किया जाना होता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु 44.23 करोड़ रूपये की अपेक्षित राशि के प्रति कंपनी ने 75.82 करोड़ रूपये का व्यय किया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा लिए गए सीएसआर और धारणीय विकास संबंधी क्रियाकलाप निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध में दिए गए हैं।

11. सचेतक वक्तव्य

इस रिपोर्ट में निहित विचार और आशाजनक वक्तव्य युक्तिसंगत मान्यताओं पर आधारित हैं और कुछ जोखिमों तथा अनिश्चितताओं की वजह से वास्तविक परिणाम ऊपर बतायी गयी बातों से भिन्न हो सकते हैं।

पाठकों को इस रिपोर्ट तथा कंपनी की आवधिक रिपोर्टों में दी जाने वाली अन्य सूचनाओं की भी सावधानी से समीक्षा करने का अनुरोध किया जाता है। कंपनी भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के परिणामस्वरूप या किसी और वजह से प्राप्त हुई नई सूचनाओं के आधार पर सार्वजनिक रूप से इन आशाजनक वक्तव्यों को अद्यतन करने या इन में संशोधन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती।

वित्तीय आंकड़े कंपनी के लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(रतीश कुमार)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06852735

दिनांक : 11 अगस्त, 2017
स्थान : फरीदाबाद

अनुबंग - IV

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अंतर्गत कम्पनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पढ़ा जाने वाला अपेक्षित प्रकटीकरण

क. ऊर्जा का संरक्षण

(i) **ऊर्जा संरक्षण हेतु किए गए उपाय**

- **ऊर्जा जांच :**

  ऊर्जा के संरक्षण के पुनः आकलन हेतु पूर्व में 17 विद्युत स्टेशनों की ऊर्जा लेखापरीक्षा की गई है। लेखापरीक्षा की सिफारिशों के आधार पर, 8.22 एमयू प्रतिवर्ष की ऊर्जा बचत प्राप्त की गई है और निकट भविष्य में 6.04 एमयू प्रति वर्ष के शेष को प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा है।

- कारपोरेट कार्यालय, फरीदाबाद में फेज़-II कार्यालय भवन का निर्माण ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के अनुसार किया है। इस भवन को हरित भवन अवधारणा के अंतर्गत ग्रीहा (एकीकृत प्रवास आकलन हेतु हरित रेटिंग) द्वारा 4 स्टार (अनंतिम) रेटिंग दी गई है।

- कारपोरेट कार्यालय में विद्यमान प्रकाश फिटिंग को एक चरणबद्ध तरीके से ऊर्जा दक्ष एलईडी प्रकाश फिटिंग से प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

(ii) **कम्पनी द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों के उपयोग हेतु उठाए गए कदम**

- कार्यालय भवन की ऊर्जा आवश्यकता के एक भाग को पूरा करने के लिए फेज़-II भवन (नीर शक्ति सदन) की छत पर एक 70 केडब्ल्यूपी ग्रिड समक्रमित सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है।

- फेज़-I कार्यालय भवन (ज्योति सदन) और कैंटीन भवन की छत पर एक 150 केडब्यूपी ग्रिड समक्रमित सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना की जा रही है।

- एनएचपीसी आवासीय परिसरों की भवनों की छत पर एक 500 केडब्ल्यूपी ग्रिड समक्रमित सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना की जा रही है।

उक्त के अतिरिक्त, कंपनी के विभिन्न कार्यालयों तथा आवासीय परिसरों पर सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।

(iii) **ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजीगत निवेश**

कोई नहीं।

(ख) प्रौद्योगिकी आत्मसात करना

(i) **तकनोलॉजी आत्मसात किए जाने की ओर किए गए प्रयास**

- आपकी कंपनी ने तीस्ता-IV जल विद्युत परियोजना के अवसादीय अध्ययन हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के प्रयास किए हैं।

- आपकी कंपनी सुदूर प्रचालित वाहन के माध्यम से लम्बी सुरंग के जल के भीतर निरीक्षण हेतु संभाव्यताओं को भी तलाश रही है।

(ii) **प्राप्त किए गए लाभ जैसे कि उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन**

- चूंकि प्रौद्योगिकी आत्मसात किए जाने के प्रति प्रयास प्रारंभिक चरणों में है, लाभ अध्ययनों के पूर्ण होने तथा वास्तविक क्रियान्वयन के पश्चात प्राप्त होने की संभावना है।

3- वर्तमान वर्ष और गत तीन वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे

क्रम सं.	आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे	आयात का वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया गया है	यदि पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया गया है, तो उन क्षेत्रों के नाम जहां आत्मसात नहीं किया गया है और
1.	मार्च, 2015 माह के दौरान ऑनलाइन डिस्चार्ज मापन हेतु सुबानसिरी नदी में क्यू-आई रडार का स्थापन	2014-15	जी, हां ।	लागू नहीं

4- अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय :-

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय 4.91 करोड़ रूपए है, जिसमें स्थापना व्ययों के प्रति वहन की गई 4.43 करोड़ रूपए की राशि शामिल है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु
1.*	**सीआईएफ के आधार पर परिगणित आयात का मूल्य :**		
	i) पूंजीगत सामान	26.43	4.33
	ii) हिस्से पुर्जे	-	-
2.*	**विदेशी मुद्रा में व्यय**		
	i) ब्याज	26.27	28.92
	ii) अन्य विविध मामले	76.05	140.76
3.*	**प्रचालन इकाइयों में काम में लाए गए हिस्से-पुर्जों और घटकों का मूल्य**		
	i) आयातित	-	0.63
	ii) स्वदेशी	19.44	37.35
4.*	**विदेशी मुद्रा में आय**		
	i) अन्य	-	2.62

* वास्तविक आधार

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(रतीश कुमार)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06852735

दिनांक : 11 अगस्त, 2017
स्थान : फरीदाबाद

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अनुबंध - V

खण्ड क: कम्पनी के बारे में सामान्य जानकारी

1. **कम्पनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)**

   L40101HR1975GOI032564

2. **कम्पनी का नाम**

   एनएचपीसी लिमिटेड

3. **पंजीकृत पता**

   एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 (भारत)

4. **वेबसाइट**

   www.nhpcindia.com

5. **ईमेल आईडी**

   brr@nhpc.nic.in

6. **रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष**

   2016-17

7. **क्षेत्र, जिनमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड बार)**

समूह	वर्ग	उप-वर्ग	विवरण
351	3510	35101	जल विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन
* राष्टीय; औद्योगिक वर्गीकरण के अन्तर्गत वर्गीकरण के अनुसार, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली			

8. **तीन महत्वपूर्ण उत्पाद/सेवाएं, जिनका कम्पनी उत्पादन करती है/प्रदान करती है (तुलन-पत्र के अनुसार)**

   (i) ऊर्जा (जल विद्युत और पवन विद्युत)

   (ii) परामर्शी सेवाएं

9. **उन स्थानों की कुल संख्या, जहां कम्पनी व्यवसायिक कार्यकलाप करती है**

   9.1 अन्तरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या (5 प्रमुख स्थानों का ब्यौरा दें)

   एनएचपीसी की भूटान में व्यापार मौजूदगी है जहां यह नामांकन आधार पर मंगडेचू जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण (एमएचपीए) को मंगडेचू जल विद्युत परियोजना (720 मेगावाट) की अभियांत्रिकी तथा डिजाइन हेतु परामर्शी सेवाएं मुहैया करवा रही है। भूटान में चमखरचू-1 जल विद्युत परियोजना (770 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को जल विद्युत एवं विद्युत प्रणाली विभाग, भूटान की शाही सरकार हेतु एक परामर्शी कार्य के रूप में तैयार किया गया था। भूटान की शाही सरकार और भारत सरकार के मध्य 22.4.2014 को हस्ताक्षरित एक अंत: सरकारी समझौते के अनुसार परियोजना को एनएचपीसी और ड्रक ग्रीनपावर कारपोरेशन लिमिटेड (डीजीपीसी) (भूटान सरकार का पीएसयू) के मध्य एक संयुक्त उद्यम के रूप में समान शेयरधारिता के साथ निष्पादित किया जाना है। संयुक्त उद्यम के गठन हेतु विचार-विमर्श जारी हैं।

   9.2 राष्ट्रीय स्थलों की संख्या

   हमारे समूचे देश में 7 राज्यों में 20 पावर स्टेशन और 3 निर्माण परियोजनाएं हैं।

राज्य	स्थल	
	प्रचालनाधीन	निर्माणाधीन
जम्मू एवं कश्मीर	बारामूला(2), कठुआ, कारगिल, लेह, रियासी, किश्तवाड़	बांदीपुरा
हिमाचल प्रदेश	चम्बा (4) और कुल्लू	मण्डी
उत्तराखण्ड	चम्पावत और पिथौरागढ़	
पश्चिम बंगाल	दार्जलिंग (2)	-
अरूणाचल प्रदेश		लोअर सुबानसिरी/ धीमाजी (असम)
सिक्किम	पूर्वी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम	
मणिपुर	बिशनपुर	
राजस्थान	जैसलमेर	-

10. **कम्पनी द्वारा सेवित बाजार- स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय**

    निम्न वर्णित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राष्ट्रीय लाभग्रहियों डिस्मामों को बिजली बेची जाती है ।

जम्मू एवं कश्मीर	राजस्थान	सिक्किम
हिमाचल प्रदेश	उत्तर प्रदेश	मणिपुर
पंजाब	बिहार	मिजोरम
चण्डीगढ़	ओड़ीशा	त्रिपुरा
उत्तराखण्ड	पश्चिम बंगाल	नागालैण्ड
हरियाणा	असम	झारखण्ड
दिल्ली	अरूणाचल प्रदेश	

खण्ड ख : कम्पनी का वित्तीय ब्यौरा

1. **प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपये में)**

   10259.32 करोड़ रूपये (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार)

2. **कुल कारोबार (भारतीय रुपये में)**

   7271.17 करोड़ रूपये (वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान)

3. **कर पश्चात कुल लाभ (भारतीय रुपये में)**

   2795.59 करोड़ रूपये (वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान)

4. **कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रू प में (प्रतिशत) कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुल व्यय**

   कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर एनएचपीसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान किया गया कुल व्यय 75.82 करोड़ रूपये है जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 3.43 प्रतिशत है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार)।

5. उन कार्यकलापों की सूची, जिनमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया है।

- शिक्षा और कौशल विकास
- स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता
- ग्रामीण विकास
- पर्यावरण
- महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक
- स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ विद्यालय अभियान
- क्षमता निर्माण, खेलकूद, कला और संस्कृति तथा अन्य पहलें

खण्ड ग : अन्य ब्यौरा

1. क्या कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी/कम्पनियां है ?

जी हां, वर्तमान में एनएचपीसी लिमिटेड की तीन सहायक कम्पनियां हैं, नामतः

(i) एचएचडीसी लिमिटेड
(ii) लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड
(iii) बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड

2. क्या सहायक कम्पनी/कम्पनियां मूल कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती हैं ? यदि हां, तो ऐसी सहायक कम्पनी(यों) की संख्या बतायें ?

जी नहीं, सहायक कम्पनियां मूल कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग नहीं लेती हैं।

3. क्या कोई अन्य निकाय/निकायों (उदाहरणार्थ, आपूर्तिकर्त्ताओं, वितरकों आदि) के साथ कम्पनी व्यवसाय करती है, कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेते हैं ? यदि हां, तो ऐसे निकाय/निकायों की संख्या बताएं ?[30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक;]

कोई भी निकाय, जो कम्पनी के साथ व्यवसाय करते हैं, कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग नहीं लेते हैं ।

खण्ड घ : व्यावसायिक उत्तरदायित्व सूचना

1. व्यावसायिक उत्तरदायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा

1-1 व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा

- डीआईएन नम्बर : 02889021
- नाम : श्री महेश कुमार मित्तल
- पदनाम : निदेशक (वित्त)

1-2 व्यावसायिक उत्तरदायित्व प्रमुख का ब्यौरा

- डीआईएन नम्बर : लागू नहीं
- नाम : श्री ए.के.मिश्रा
- पदनाम : कार्यपालक निदेशक (योजना)
- दूरभाष : 0129-2271425
- ईमेलआइडी : arunkmishra@nhpc.nic.in

2. सिद्धान्तवार (एनवीजी के अनुसार) व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति/नीतियां

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपके पास ..... के लिए नीति/नीतियां हैं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2	क्या संबंधित हित धारकों के साथ परामर्श करके नीतियां बनाई जाती हैं ?	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होते हैं ? यदि हां, तो स्पष्ट करें ? (नीतियां आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस 18001 जैसे अन्तरराष्ट्रीय मानकों की भावना के अनुरूप के अलावा, एमवीजी दिशानिर्देशों पर आधारित होती है)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
4	क्या बोर्ड द्वारा यह नीति अनुमोदित की गई है ? यदि हां, तो क्या एमडी/ओनर/सीईओ/उपयुक्त निदेशक मण्डल द्वारा हस्ताक्षरित की गई है	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5	क्या कम्पनी के पास नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड/निदेशकों/अधिकारियों की एक निर्दिष्ट समिति होती है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6	ऑन-लाइन देखने के लिए नीति हेतु लिंक दर्शाएं ?*	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां
7	क्या नीति को सम्बद्ध आन्तरिक और बाह्य हितधारकों को संप्रेषित किया जाता है ?	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां
8	क्या कम्पनी के पास नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए आन्तरिक ढांचा है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9	क्या कम्पनी के पास नीति/नीतियों से सम्बद्ध हितधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए नीति/नीतियों से सम्बद्ध कोई शिकायत निवारण तन्त्र है ?	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां
10	क्या कम्पनी ने आन्तरिक/बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्याकरण का स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन करवाया है ?	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

*सीएसआर और संधारणीय विकास नीति : www.nhpcindia.com/csr-policy.htmपर उपलब्ध है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति : www.nhpcindia.com/r-and-r-initiative.htmपर उपलब्ध है। धोखाधड़ी नीति, कार्पोरेट शासन अनुपालन तथा व्यावसायिक लेनदेन प्रतिबंध संबंधी नीति www.nhpcindia.com/corporate-governance.htm : पर उपलब्ध है। सत्यनिष्ठा समझौता: http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/ip_ip_program.pdf पर उपलब्ध है। व्यवसाय आचरण संहिता तथा आचार, व्हिसल ब्लोवर नीति, सत्यनिष्ठा करार, समचित प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र और एनएचपीसी आचार, अनुशासन तथा अपील नियमावली कम्पनी के इंटरनेट पर उपलब्ध है।

2क यदि किसी सिद्धान्त पर क्रम संख्या 1 का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया स्पष्ट करें कि ऐसा क्यों है

क्र. सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	कम्पनी ने सिद्धान्तों को नहीं समझा है	लागू नहीं								
2	ऐसा कोई भी चरण नहीं है, जहां कम्पनी स्वयं को विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों पर नीतियां बनाने तथा उनके कार्यान्वयन की स्थिति में पाती हो ।									
3	कम्पनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या जनशक्ति के संसाधन नहीं है।									
4	अगले 6 महीने के भीतर ऐसा करने की योजना है									
5	अगले 1 महीने में भीतर ऐसा करने की योजना है									
6	कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

3. व्यावसायिक उत्तरदायित्व से सम्बद्ध शासन

- **निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कितने अन्तराल के बाद कम्पनी के व्यावसायिक कार्य निष्पादन का आकलन करना होता है ।**

  कम्पनी के व्यावसायिक कार्य-निष्पादन का आकलन वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रतिवर्ष किया जायेगा ।

- **क्या कम्पनी व्यावसायिक उत्तरदायित्व या प्रतिधारणीय रिपोर्ट प्रकाशित करती है ? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है । यह कितने समय बाद प्रकाशित की जाती है ?**

  यह पांचवी व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट है । पिछले वर्ष की भांति आगे से यह प्रतिवर्ष प्रकाशित की जायेगी और वार्षिक प्रतिवेदन का भाग होगी। इस रिपोर्ट को www.nhpcindia.com/NHPC-annual-reports.htm पर देखा जा सकता है।

खण्ड ड : सिद्धान्त-वार कार्यनिष्पादन

सिद्धान्त 1

1. क्या आचार, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कम्पनी को ही कवर करती हैं ? हां/नहीं, क्या इसे समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू किया जाता है ?

कम्पनी कार्पोरेट शासन को अच्छे प्रबंधन का अटूट हिस्सा मानती है । कम्पनी का व्यावसायिक आचरण क्या आचार संहिता है जो इसके बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर लागू होती है । इसके अलावा, कम्पनी के पास या संदिग्ध धोखाधड़ी को रोकने के लिए धोखाधड़ी संबंधी नीति है, व्हिसल ब्लोवर नीति भी अनाई गई है । इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने 1 करोड़ या इससे अधिक के मूल्य के सभी प्रापण कार्यों, 7 लाख रूपए या उससे अधिक के मूल्य की वस्तुओं के प्रापण और 15 लाख या इससे अधिक मूल्य की सेवाओं के प्रापण के लिए सत्यनिष्ठा नीति कार्यान्वित की है । इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी के पास अनैतिक व्यवहार की स्थिति में बोलीदाताओं (अर्थात् समूह, संयुक्त उद्यम, आपूर्तिकर्त्ता/ठेकेदार) के साथ व्यावसायिक लेन-देन बन्द करने के लिए नीति तथा प्रक्रिया भी है।

2. विगत वित्तीय वर्ष में हित धारकों से कितनी शिकायतें मिली तथा प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया ?

हमें वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कार्पोरेट शासन मानकों तथा व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में कुछ हितधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

शेयरधारकों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं :

विवरण	01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2016-17 के दौरान समाधान की गई	31 मार्च, 2017 को लंबित
रिफंड आर्डर प्राप्त न होना	0	98	98	0
लाभांश वारंट प्राप्त न होना	0	2960	2960	0
सेबी शिकायतें	0	40	39	1
स्टॉक एक्सचेंज शिकायते	0	14	14	0
उपभोक्ता फोरम/ अदालती मामले	2	1	0	3
कुल	**2**	**3113**	**3111**	**4**

कंपनी को वित्तीय वर्ष 2016-17 में अपनी व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

* कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के संबंध में धोखाधड़ी नीति और बोलीदाताओं के साथ व्यापार कारोबार प्रतिबंधित करने संबंधी नीति के अंतर्गत धोखाधड़ी का एक मामला पाया है जिसका ब्यौरा निम्नवत है :

1- मैसर्स एसकेपी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद को 3 जून, 2016 से एनएचपीसी लिमिटेड के साथ व्यापार करोबार हेतु 3 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

बाण्डधारकों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं :

विवरण	01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2016-17 के दौरान समाधान की गई	31 मार्च, 2017 को लंबित
रिफंड आर्डर प्राप्त न होना	0	1	1	0
टीडीएस प्रमाण-पत्र प्राप्त न होना	0	1	1	0
इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट प्राप्त न होना	0	1	1	0
ब्याज वारंट प्राप्त न होना	0	67	67	0
बॉण्ड/ प्रतिभूति प्राप्त न होना	0	96	96	0
कुल	**0**	**166**	**166**	**0**

सिद्धान्त 2

1. **अपने तीन उत्पादों या सेवाओं को बताएं जिनके डिजाइन से सामाजिक या पर्यावरणीय चिन्ताएं, खतरे और/अवसर पैदा हुए हैं ।**

   जलविद्युत उत्पादन ।

2. **ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद के प्रति यूनिट (ऊर्जा, जल, कच्ची सामग्री इत्यादि) संसाधन उपयोग के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा दें ।**

   जल के गैर उपभोग उपयोग द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन होता है इसलिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है । जल विद्युत नवी करणीय ऊर्जा का स्रोत है ।

3. **क्या कम्पनी के पास सतत स्रोत (वहन सहित) की प्रक्रिया है ? यदि हां, तो आपके आदानों का कितना प्रतिशत सतत रू प से स्रोत किया गया ? लगभग 50 या इसके आस-पास के शब्दों में ब्यौरा भी प्रस्तुत करें ।**

   कम्पनी अपने विक्रेताओं के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने पर बल देती है और उन्हें अपनी वृद्धि की गाथा में शामिल करती है । कम्पनी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण निष्पादन में शामिल करती है । कम्पनी जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण निष्पादन के लिए एजेंसियों का चयन करने हेतु अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) का अनुपालन करती है । तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों की आईसीबी प्रक्रियाओं, सीवीसी दिशानिर्देशों तथा सुरक्षित कार्य दशाओं, श्रम कानूनों के कार्यान्वयन पर्यावरणीय नीतियों इत्यादि जैसे विभिन्न अन्य विक्रेता व्यवहारों की तरह जांच की जाती है । कम्पनी के अधिकारी पारदर्शी तरीके से सभी एजेंसियों/एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ नियमित आधार पर परामर्श करते हैं ।

   तथापि, कम्पनी द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे विभिन्न प्रकार की सामग्री के लिए इन आपूर्तिकर्ताओं से लिए गए कुल आदानों के प्रतिशत का पता लगाना कठिन है ।

4. **क्या कम्पनी ने अपने कार्यस्थल के आस-पास समुदायों सहित स्थानीय तथा लघु उत्पादकों से माल और सेवाओं की अधि प्राप्ति के लिए कोई कदम उठाए हैं ? यदि हां, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?**

   जल विद्युत उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में ऐसे जल का उपयोग होता है जो पीने योग्य न हो। तथापि वाहन किराये पर लेने, सामग्री की हैंडलिंग, हाउसकीपिंग, अपशिष्ट हैंडलिंग तथा बागवानी के लिए परियोजना के आस-पास स्थानीय लोगों के साथ अनुबंध किए गए हैं । इन अनुबंधों से परियोजना स्थल के आस-पास उद्यम विकास हुआ है और स्थानीय जनता के लिए अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं ।

5. **क्या कम्पनी के पास उत्पादों और अपशिष्ट के पुर्नचक्रण का तन्त्र उपलब्ध है ? यदि हां, तो उत्पादों तथा अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का प्रतिशत कितना है (अलग-अलग <5, 5-10% >10%**

   जल विद्युत उत्पादन से कोई अपशिष्ट नहीं निकलता है और उपभोग वाले पानी द्वारा उत्पादित जलविद्युत संयंत्रों का उत्पाद बिजली है । इसके अलावा, परियोजनाओं हेतु सुरक्षित तथा टिकाऊ ढांचों के लिए सुदृढ़ और ईष्टतम डिजाइन से संबंधित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जा रहा है ।

सिद्धान्त 3

1. **कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं ।**
2. **कृपया अस्थाई/संविदात्मक/नैमित्तिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं ।**
3. **कृपया स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या बतायें ।**
4. **कृपया स्थाई नि:शक्त कर्मचारियों की संख्या बतायें ।**
5. **क्या आपके पास प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ है ?**
6. **स्थाई कर्मचारी का कितना प्रतिशत आपके इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं ?**
7. **कृपया यह बतायें कि वित्तीय वर्ष में बाल मजदूरी, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित कितनी शिकायतें कीं और वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितनी शिकायतें लंबित थीं ?**

8. निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को विगत वर्ष में सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया ?

1	कर्मचारियों की कुल संख्या	8009 (31.03.2017 के अनुसार)
2	अस्थाई/संविदात्मक/नैमित्तिक आधार पर लिए गये कर्मचारियों की कुल संख्या	एनएचपीसी प्रत्यक्ष रूप से संविदा पर कर्मचारियों को नियोजित नहीं करता है ।
3	स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या	818 (31.03.2017 के अनुसार)
4	कुल निःशक्त कर्मचारियों की संख्या	130 (31.03.2017 के अनुसार)
5	कर्मचारी संघ	कार्पोरेट से किसी एसोसिएशन या संघ को औपचारिक रूप में मान्यता नहीं दी गई है।
6	कर्मचारी संघ में स्थाई कर्मचारियों की सदस्यता का प्रतिशत	लागू नहीं
7.	वर्ष 2016-17 में बाल मजदूरी, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम से संबंधित शिकायतों तथा 2016-17 के अन्त तक लम्बित शिकायतों की संख्या	इस श्रेणी में कोई भी शिकायत न तो प्राप्त हुई और न लम्बित है ।
	2016-17 में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा 2016-17 के अन्त लम्बित शिकायतों की संख्या	दर्ज शिकायत : 0
		लम्बित शिकायत : 0
	2016-17 में विभेदकारी रोजगार से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा 2016-17 के अन्त लम्बित शिकायतों की संख्या	इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और कोई शिकायत लम्बित नहीं है
8.	उन कर्मचारियों का प्रतिशत जिन्हें सुरक्षा तथा कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया (संबंधित प्रत्येक श्रेणी में कुल प्रतिशत के रूप में) (2016-17)	
	स्थाई कर्मचारी	51.44%
	स्थाई महिला कर्मचारी	54.40%
	अस्थाई /संविदात्मक/नैमित्तिक	लागू नहीं
	निःशक्त कर्मचारी	46.26%

सिद्धान्त 4

1. क्या कम्पनी ने अपने आन्तरिक और बाह्य हितधारकों का चित्रण किया है ? हां/नहीं ।

हां, हमने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हितधारकों सहित बाह्य हितधारकों का चित्रण तथा पहचान की है । हमारे हितधारकों में कर्मचारी, ग्राहक, स्थानीय, समुदाय, आपूर्तिकर्त्ता एवं संविदाकार, निवेशक और शेयर होल्डर, सरकार तथा विनियामक और समकक्ष व्यक्ति तथा उद्योग पारिस्थितिकी प्रणाली शामिल हैं ।

2. उपरोक्त में से क्या कम्पनी ने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हित धारकों की पहचान की है ?

हमारे वंचित तथा सुभेद्य हितधारकों में निःशक्त कर्मचारी, लड़कियां/महिलाएं अजा/अजजा समुदाय और ग्रामीण/परियोजनाओं के आस-पास परियोजना विस्थापित समुदाय शामिल हैं।

3. क्या कम्पनी ने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हित धारकों से सम्पर्क करने के लिए कोई विशेष पहल की है ? यदि हां, तो लगभग 50 या इसके आस-पास के शब्दों में इसका ब्यौरा दें ?

- निःशक्त कर्मचारी कम्पनी का प्रयास एनएचपीसी को ऐसा कार्यस्थल बनाने का प्रयास है जो निःशक्त कर्मचारियों और विशेष आवश्यकता वाले कर्मचारायें के अनुकूल हो । इसका उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से बनाई गई प्रतियोगिताओं, मंचों तथा प्रशिक्षा के अध्ययन से उनमें आत्म विश्वास जगाना है ।
- बालिका/महिला और अजा/अजजा समुदाय : कम्पनी परियोजनाओं के स्थल के आस-पास के क्षेत्रों में शिक्षा के लिए अजा/अजजा और छात्राओं को छात्रवृत्ति देती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कार्यक्रम चलाती है।

सिद्धान्त 5

1. क्या मानवाधिकारों पर कम्पनी की नीति केवल कम्पनी पर ही लागू होती है या यह नीति समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्त्ताओं/संविदाकारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है ?

कम्पनी एसए 8000 मानकों की सभी अपेक्षाओं के अनुरूप सामाजिक और नैतिक रूप से जिम्मेवार तरीके से व्यवसाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं । वर्तमान में "एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियम" केवल कर्मचारियों पर लागू होते हैं, हालांकि हम अपने हित धारकों से आशा करते हैं कि वे उसमें विनिर्दिष्ट मानकों का पालन करेंगे तथा उन्हें बनाए रखेंगे । ''एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियम" किसी कर्मचारी के अधिकार या विशेषाधिकार के तत्समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा या उसके अधीन बनाए गए नियम से, या सेवा की शर्तों और निबंधनों द्वारा या ऐसे व्यक्ति या कम्पनी के बीच हुए किसी समझौते से संरक्षण के लिए है ।

2. गत वित्तीय वर्ष में हित धारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से निवारण किया गया ?

कर्मचारी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार हैं :

01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2016-17 के दौरान समाधान	31.03.2017 को अंतिम शेष
01	15	15	01

विद्युत मंत्रालय के साथ संयोजित "केन्द्रीयकृत लोक शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली" के अनुसार लोक शिकायत की संख्या इस प्रकार है :

01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2016-17 के दौरान समाधान	31.03.2017 को अंतिम शेष
10	108	106	12

सिद्धान्त 6

1. क्या सिद्धान्त 6 से संबंधित नीति कम्पनी पर ही लागू होती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्त्ताओं/संविदाकारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है ?

एनएचपीसी के पास समन्वित प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र है जो अपने कार्पोरेट कार्यालय तथा परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के लिए गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य और प्रबंधन प्रणाली को कवर करता है ।

2. क्या कम्पनी के पास जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान वृद्धि आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए कार्यनीतियां/पहलें हैं ? हां/नहीं, यदि हां, तो कृपया वैबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।

जी हां, कम्पनी जल विद्युत उत्पादन का कार्य करती है, जोकि स्वच्छ बिजली है तथा विद्युत उत्पादन के अन्य पारम्परिक पद्धतियों की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों को कम करती है। यह जहां कहीं ऊर्जा की कमी हो तथा अधिकतम मांग को पूरा करना उसके लिए देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी बढ़ाती है ।

इसके अलावा, एनएचपीसी समन्वित प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) प्रमाणीकृत कम्पनी है, जो अन्तरराष्ट्रीय मानकों आईएसको 9001:2008 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) आईएसओ 14001:2004(पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) तथा ओएचएसएएस 18001:2007 (व्यवसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा आकलन श्रंखला) की आवश्यकताओं को पूरा करती है । आईएमएस प्रमाणीकरण पर्यावरण अनुकूल तरीके के विकास हेतु किये जाने वाले प्रयासों के लिए सचमुच में अन्तरराष्ट्रीय स्वीकार्यता को परिलक्षित करता है । एनएचपीसी ने अपनी स्वयं की कारपोरेट पर्यावरण नीति भी बनाई है जिसका ऊर्जा के परम्परागत तथा गैर-परम्परागत स्रोतों के सतत विकास हेतु पर्यावरणीय तथा चिन्ताओं पर ध्यान देना है।

पर्यावरण प्रबंध के क्षेत्र में एनएचपीसी के लिए ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल है:

(i) जल ग्रहण क्षेत्र सुधार (सीएटी)
(ii) प्रतिपूरक वन रोपण/स्वैच्छिक वन रोपण
(iii) हरित पट्टी विकास व लैंडस्केपिंग
(iv) जलाशय रिम शोधन
(v) मक डम्पिंग और खान स्थलों को जीर्णोध्दार करना
(vi) जैव विविधता संरक्षण
(vii) मत्स्य संरक्षण और प्रबंधन
(viii) निर्माण उपरान्त प्रभाव मूल्यांकन

इन प्रमुख क्षेत्रों का ब्यौरा www.nhpcindia.com/key-areas.htm पर उपलब्ध है।

3. क्या कम्पनी संभावित पर्यावरणीय खतरों की पहचान और उनका आकलन करती है ? हां/नहीं।

जी हां, एनएचपीसी जलविद्युत के सतत् उत्पादन के प्रति प्रतिबद्ध है । पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन पर्यावरण पर संभावित प्रभाव (सकारात्मक और नकारात्मक) की पहचान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय किया जाता है । पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के निष्कर्षों पर आधारित, पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का प्रस्ताव किया जाता है और प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए परियोजना निर्माण के दौरान उन्हें कार्यान्वित किया जाता है।

4. क्या कम्पनी के पास स्वच्छ विकास तन्त्र से सम्बद्ध कोई परियोजना है ? यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालना रिपोर्ट दाखिल की गई है ?

जी, हां। मार्च, 2009 के दौरान जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कनवेंशन (यूएनएफसीसीसी) की स्वच्छ विकास तन्त्र कार्यकारी बोर्ड द्वारा एसीएम0002 पद्धति : नवीकरणीय स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली उत्पादन हेतु समेकित प्रक्रियाविधि के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित निम्मो बाजगो और चुटक नामक दो जल विद्युत परियोजनाएं पंजीकृत की गई हैं। अभी तक ये परियोजनाएं नार्दर्न ग्रिड से जोड़ी नहीं गई है, जैसा कि मूल रूप से प्रस्ताव था, और क्षेत्र में स्थानीय रूप से बिजली की आपूर्ति कर रही है। इस परिवर्तन के कारण परियोजनाएं एसीएम0002 के लागू होने की शर्तों का पालन नहीं करती और इस प्रकार यूएनएफसीसीसी के विद्यमान पंजीकरणों के अंतर्गत कोई सीईआर उत्पन्न नहीं करेगी। वर्तमान में लागू पद्धति के लिए पृथक ग्रिडों में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन के संबंध में पंजीकरण-पश्च परिवर्तनों हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। एनएचपीसी सीडीएम के अंतर्गत जैसलमेर, राजस्थान में 50 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना को भी पंजीकृत करने की प्रक्रिया में है।

5. क्या कम्पनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के संबंध में कोई अन्य पहलें की हैं । हां/नहीं, यदि हां, तो कृपया वैब पेज आदि लिए हाइपरलिंक दें।

जलविद्युत उत्पादन अपने आप में एक नवीकरणीय ऊर्जा पहल है । किन्तु, कम्पनी ने पवन और सौर ऊर्जा के संबंध में अतिरिक्त पहलें की हैं। राजस्थान में एक 50 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना को चालू किया गया है। सौर ऊर्जा परियोजना निविदा दिए जाने के चरण में है।

6. सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर कम्पनी द्वारा उत्सर्जन/निकले अपशिष्ट को वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट किया जा रहा है ?

जी हां, जलविद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन के दौरान ठोस अपशिष्ट, तरल बहिस्राव या गैसों का उत्सर्जन नहीं हुआ, इसके अलावा, जलविद्युत उत्पादन के समय पानी में कोई प्रदूषण नहीं हुआ । तथापि, विद्युत उत्पादन के बाद, नदी जल की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के आकलन के लिए नदी जल की गुणवत्ता का निरन्तर विश्लेषण सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर होने के लिए किया जा रहा है।

7. सीपीसीबी/एसपीसीबी से वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने कारण बताओ/कानूनी नोटिस प्राप्त हुए, जो लम्बित हैं (अर्थात् जिनका संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किया गया)

वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर ऐसे कोई नोटिस लम्बित नहीं थे। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना, तीस्ता-IV और दिबांग के संबंध में तीन अपीलें एनजीटी के समक्ष लम्बित हैं।

सिद्धान्त 7

1. क्या आपकी कम्पनी किसी व्यापार, मंडल या एसोसिएशन की सदस्य है ? यदि हां, तो उनका नाम बताएं जो आपके साथ व्यवसाय करते हैं।

एनएचपीसी लोक उद्यम के स्थाई सम्मेलन (स्कोप) का सदस्य है। स्कोप का मूल उद्देश्य "सरकारी क्षेत्र के व्यक्तिगत और सामूहिक योगदान के बारे में जनता की बेहतर समझदारी" को बढ़ाना है।

2. क्या आपने उन्नति या जनता की बेहतरी की वकालत की है/उपरोक्त एसोसिएशनों के माध्यम से लाबिंग की है ? हां/नहीं, यदि हां, तो विस्तृत क्षेत्रों को स्पष्ट करें (ड्राप बाक्सः शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यावसायिक सिद्धान्त, अन्य)

हम जनता की बेहतरी के लिए शासन व प्रशासन का दृढ़ता से समर्थन करते हैं।

सिद्धान्त 8

1. क्या कम्पनी के पास सिद्धान्त 8 से सम्बद्ध नीति को आगे बढ़ाने में कोई कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं ? यदि हां, तो इसका ब्यौरा दें।

जी, हाँ।एनएचपीसी स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, पर्यावरणीय धारणीयता, महिला सशक्तिकरण आदि के क्षेत्रों में अपने ढांचाबद्ध सीएसआर प्रयासों तथा परियोजनाओं के माध्यम से सतत रूप से अपने निकटवर्ती समुदायों तथा व्यापक तौर पर समाज के धारणीय विकास हेतु प्रयासरत है और इसके द्वारा ऐसा विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरूणाचल प्रदेश, असम तथा मणिपुर जैसे राज्यों के सुदूर क्षेत्रों में किया जा रहा है।

ये कार्यक्रम स्वास्थ्य देख-रेख, शिक्षा, पर्यावरणीय प्रबंधन और सीमांत तथा वंचित तबकों/समुदायों के सशक्तिकरण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हैं।

2. क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं आन्तरिक दल/अपने प्रतिस्थान/बाह्य गैर सरकारी संगठन/सरकारी संस्थाओं/या अन्य संगठनों के माध्यम से चलाये जाते हैं ?

कम्पनी की अधिकांश सीएसआर परियोजनाएं आंतरिक दलों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है और कुछ कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों/सरकारी संस्थाओं की भागीदारी से कार्यान्वित किए जाते है।

3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव आकलन किया है ?

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सुबानसिरी लोअर परियोजना में प्रमुख सीएसआर क्रियाकलाप किए गए हैं। सीएसआर पहलों के प्रभाव आकलन हेतु सुबानसिरी लोअर परियोजना और ओमीयो कुमार दास इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज एण्ड डेवलपमेंट (ओकेडीआईएससीडी), गुवाहाटी, असम के मध्य वित्त वर्ष 2017-18 से तीन वर्षों हेतु सुबानसिरी लोअर परियोजना की सभी सीएसआर परियोजनाओं के मूल्यांकन/प्रभाव आकलन हेतु एक समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मूल्यांकन/प्रभाव आकलन को प्रत्येक वित्त-वर्ष पूरा होने पर किया जाएगा और प्रथम मूल्यांकन/प्रभाव आकलन रिपोर्ट नवम्बर, 2017 के अंत तक प्राप्त होगी।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपके कम्पनी का प्रत्यक्ष अंशदान कितना है - धनराशि भारतीय रुपये में और शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा ?

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर व्यय की गई कुल राशि 7581.87 लाख रूपए थी। ब्यौरा निम्नवत है -

परियोजना	वर्ष 2016-17 के लिए धनराशि (लाख रूपए में)
शिक्षा और कौशल विकास	5036.39
स्वास्थ्य देखरेख	1530.55
ग्रामीण विकास	551.45
पर्यावरण और धारणीयता	60.29
महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक	18.37
स्वच्छ भारत/स्वच्छ विद्यालय अभियान	253.09
सीएसआर क्षमता निर्माण, खेलकूद, कला एवं संस्कृति और अन्य पहलें	131.73
कुल व्यय	**7581.87**

वर्ष के दौरान ली गई विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :

1. शिक्षा और कौशल विकास

क) एनएसक्यूएफ (नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क) के अनुरूप कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

ख) बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) और तकदाह, दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) में इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना के प्रति योगदान।

ग) कोलापटुकर, दुलांगमुख (अरूणाचल प्रदेश) में विवेकानन्द केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण।

घ) देश के विभिन्न भागों में आईटीआई/स्कूलों का सुधार/उन्नयन।

ङ) स्कूल भवनों तथा प्रयोगशालाओं का निर्माण और उन्नयन तथा स्कूलों में आधारभूत ढांचा मुहैया करवाना।

च) उच्चतर शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

2. स्वास्थ्य देख-रेख

क) असम में गांवों में आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए चिकित्सा सुविधाओं, दक्ष चिकित्सकों और चिकित्सा अटेंडेंट से युम्त चल चिकित्सा यूनिटों का नियोजन।

ख) परियोजनाओं/पावर स्टेशन के आस-पास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में चिकित्सा शिविरों, मोतियाबिंद सर्जरी शिविरों और टीकाकरण कार्यक्रमों का आयोजन तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों/व्यक्तियों को निःशुल्क दवाओं का वितरण।

ग) दिव्यांग व्यक्तियों को इमदाद तथा सहायक उपकरण मुहैया करवाना।

घ) सरकारी अस्पतालों, प्रसूति केन्द्रों के उन्नयन के माध्यम से समुदायों की समग्र स्वास्थ्य स्थितियों के सुधार हेतु सहायता प्रदान करना।

ङ) सरकारी अस्पतालों को एम्बूलेंस, चिकित्सा उपकरण और अन्य आधारभूत ढांचा सुविधाएं मुहैया करवाना।

3. ग्रामीण विकास

क) क्षेत्र के विद्युतीकरण, सामुदायिक केन्द्र, जलापूर्ति लाइनों, नालों, सड़कों/पथों, सिंचाई नहरों आदि जैसी आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के विस्तार हेतु ग्रामीण विकास

ख) आरसीसी पुल/लकड़ी के पुल, दाह संस्कार शेड, वर्षा आश्रय आदि के निर्माण क्रियाकलाप।

ग) अलची गांव (लेह) में बस्तियों का विद्युतीकरण

घ) कृषि/मधुमक्खी पालन का विकास, ग्रामवासियों हेतु पॉली ग्रीन हाउस, आर्गेनिक खेती।

ङ) कृषि उत्पादों को रखने तथा सुरक्षित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण।

च) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अन्य आधारभूत ढांचा और सामुदायिक विकास।

4. पर्यावरण और धारणीयता

क) जैव-विविधता पार्क तथा हर्बल पार्कों का विकास।

ख) सौर स्ट्रीट लाइटों को लगाना। ऊर्जा संरक्षण हेतु एलईडी लाइट मुहैया करवाना।

ग) स्थानीय फलों के परिरक्षण हेतु खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना।

घ) सिंचाई प्रयोजन हेतु नहरों का पुनरूद्धार।

5. महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक

क) विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम जैसे कि सिलाई, बुनाई, खेलकूल तथा कला में प्रशिक्षण का आयोजन महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु किया गया था।

6. स्वच्छ भारत/स्वच्छ विद्यालय अभियान

क) बोरवेल के साथ सुरक्षित पेयजल सुविधाएं, सार्वजनिक क्षेत्रों में फिल्टरेशन, सामुदायिक केन्द्र आदि।

ख) आरओ संयंत्र के साथ सामुदायिक पेयजल सुविधा।

ग) बाजार/सार्वजनिक स्थानों में आधारभूत सुविधाएं/स्वच्छता सुविधाएं

घ) विद्यालयों/सार्वजनिक स्थानों में शौचालयों का निर्माण/स्थापन

ङ) जलापूर्ति लाइनों का निर्माण/स्थापन तथा गांवों में स्वच्छता।

च) विद्यालयों हेतु जलापूर्ति प्रणाली।

7. खेल-कूद, कला और संस्कृति/अन्य पहलें

क) प्रमुख हितधारकों के साथ बैठक/प्रभाव आकलन/आधार रेखा सर्वेक्षण

ख) ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण

ग) स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा।

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है ? कृपया 50 शब्दों या इसके आसपास उत्तर दें ।

जी, हां। एनएचपीसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि हमारी सामुदायिक पहलों को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया जाये। सामुदायिक विकास पहलों को करने से पूर्व पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में और इनके आस-पास स्थानीय आवश्यकताओं का उचित आकलन कम्पनी के अनुभवी आन्तरिक दल द्वारा किया जाता है। क्रियान्वयन के दौरान उचित अंतराल पर प्रबोधन और मेंटरिंग की जाती है। हमारी पहलों के संबंध में और आगे जानकारी भावी योजना प्रयोजनो हेतु लाभग्राहियों तथा मीडिया स्रोतों के माध्यम से भी एकत्रित की जाती हैं।

सिद्धान्त 9

1. वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लम्बित है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कोई ग्राहक/उपभोक्ता शिकायत दायर नहीं की गई थी। वित्तीय वर्ष 2015-16 दौरान दायर कोई भी मामला लम्बित नहीं है।

2. क्या कम्पनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अधिदेशित के अलावा, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है ? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणियां (अतिरिक्त जानकारी)

लागू नहीं।

3. क्या गत पांच वर्षों के दौरान किसी हित धारक ने अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के संबंध में कम्पनी के विरूद्ध कोई मामला दायर किया है और वित्तीय वर्ष के अन्त तक लम्बित है ?

किसी हितधारक ने ऐसा कोई मामला दायर नहीं किया है।

4. क्या आपकी कम्पनी कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता सन्तुष्टि प्रवृत्तियों का अध्ययन कराया था ?

एनएचपीसी हमारे लाभग्राहियों से नियमित फीडबैक ले रहा है जो हमारी अपने ग्राहकों की एक बेहतर तथा अधिक प्रभावी ढंग से सेवा करने में सहायता करता है। हमने अपने लाभग्राहियों से 96.30 प्रतिशत फीडबैक प्राप्त किया है और अधिकांश फीडबैक या तो "बहुत अच्छा" अथवा "उत्कृष्ट" है। हम क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) के माध्यम से लाभग्राही राज्यों के साथ भी जुड़े हुए हैं। यह हितधारकों की परस्पर चर्चा और बाकी मुद्दों के समाधान हेतु एक आम मंच है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(रतीश कुमार)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06852735

दिनांक : 11 अगस्त, 2017
स्थान : फरीदाबाद

अनुबंध VI

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कम्पनी की सीएसआर नीति के संक्षिप्त रूपरेखा जिसमें ली जाने वाली परियोजनाओं या कार्यक्रमों का सिंहावलोकन और सीएसआर नीति तथा परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के वेब लिंक का संदर्भ शामिल हो।

प्रस्तावना :

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची 7 तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सीएसआर संबंधी आम परिपत्रों के साथ पढ़े जाने वाली कम्पनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता संबंधी दिशा-निर्देशों अनुरूप एक सीएसआर तथा धारणीयता नीति निरूपित की है।

नीति की मुख्य विशेषताएं

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निर्दिष्ट एक राशि, जो वर्तमान में पिछले तत्काल तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित किए गए औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत है, वर्ष के दौरान सीएसआर एवं धारणीय विकास कार्यों हेतु वार्षिक बजट के रूप में रखी गई है और इसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- एनएचपीसी की परियोजनाओं के आस-पास स्थानीय क्षेत्रों को बजट राशि के कम से कम 80 प्रतिशत को आवंटित करके प्राथमिकता दी जाएगी। तथापि, आवश्यकताओं के आधार पर और राष्ट्रीय योजनाओं तथा अभियान के संबंध में भारत सरकार के निदेशों के अनुसार अन्य स्थानों का चुनाव किया जा सकता है, जिसमें समाज/पर्यावरण के वृहतर लाभ हेतु सीएसआर बजट के 20 प्रतिशत से अधिक की राशि का व्यय किया जा सकता है।
- सीएसआर प्रयासों में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-7 के अनुसार शिक्षा तथा व्यवसायिक कौशलों को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय उन्नयन आदि हेतु कार्यक्रम शामिल हैं। अनुसूची-7 के अनुरूप न होने वाले किसी भी क्रियाकलाप पर व्यय को सीएसआर तथा धारणीयता योजनाएं/क्रियाकलापों के रूप में लेखांकित नहीं किया जाता है।
- सीएसआर और धारणीयता योजनाओं का चयन यह सुनिश्चित करता है कि अधिकतम लाभ समाज के गरीब/पिछड़े तथा जरूरतमंद तबकों तक पहुंचे और पर्यावरण की गणुवत्ता में सुधार हेतु भी योगदान दे।
- आपकी कम्पनी संसाधनों के ईष्टतम उपयोग, सामाजिक-आर्थिक या पर्यावरणीय प्रभाव को अधिकतम करने के लिए विशेषज्ञता तथा क्षमताओं के परस्पर संतुलन हेतु मेगा परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन तथा निगरानी में अन्य सीपीएसई के साथमिलकर कार्य करने के लिए तैयार है।

सीएसआर के अंतर्गत कवर किए गए कार्यक्रम :

एनएचपीसी के पावर स्टेशन/परियोजनाएं समूचे भारत में भिन्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अवस्थित हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की पहचान और निरूपण किसी स्थल विशेष की अपेक्षा की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है। इस आश्य से, क्रियाकलापों के व्यापक क्षेत्र की पहचान की गई है जिसे पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में तथा उसके आस-पास काफी हद तक प्रारंभ किया गया है। इन क्रियाकलापों को नीचे दिया गया है :

1- शिक्षा, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान :-

शिक्षा और कौशल विकास प्रदान करने, विशेषकर समाज के गरीब तथा वंचित तबकों को, के मामलो में आपकी कंपनी अग्रणी है। विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के आस-पास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु एनसीक्यूएफ (नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क) के अनुरूप होने वाले विभिन्न कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। एनएचपीसी ने बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) और तकदाह, दार्जलिंग (पश्चिम बंगाल) में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना के प्रति योगदान दिया है। एनएचपीसी ने कोलापटुकर, दोलांगमुख (अरूणाचल प्रदेश) में विवेकानन्द केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण भी किया है। एनएचपीसी देश के विभिन्न भागों में आईटीआई/स्कूलों के सुधार/उनमें उन्नयन में भी योगदान दे रही है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)/व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार कार्यक्रम/उत्कृष्टता योजना केन्द्र (सीओई) के माध्यम से कुल 13 आईटीआई को अपनाया गया है (जम्मू एवं कश्मीर में 7, उत्तराखंड में 4 और अरूणाचल प्रदेश में 2)। इसके अलावा, एनएचपीसी परियोजना/पावर स्टेशन/टाउनशिप के आस-पास के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों और बालिकाओं की एक बड़ी संख्या को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी स्कूलों के आधारभूत ढांचे में सुधार हेतु सपोर्ट भी मुहैया करवा रही है।

अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में आपकी कंपनी ने 200 परिवारों को आजीविका मुहैया करवाने के लिए खुमानी, सेब तथा टमाटरों के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए लद्दाख में अल्ची और खलसती गांवों में दो खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किए हैं।

2- स्वास्थ्य :-

स्वास्थ्य एक प्रमुख मुद्दा है जिसे आपकी कंपनी अत्यधिक गंभीरतापूर्वक लेती है। आपकी कंपनी ने असम में चिकित्सा सुविधाओं, दक्ष चिकित्सकों तथा चिकित्सा परिचरों से लैस 20 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) मुहैया करवाई हैं। ये एमएमयू गांवों में आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपकी कंपनी ने परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के समीपवर्ती क्षेत्रों में कई चिकित्सा शिविर, मोतियाबिंद सर्जरी शिविर और टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों/व्यक्तियों को निःशुल्क दवा वितरित की है। आपकी कंपनी निशक्त लोगों को इमदाद तथा सहायक उपकरणों का वितरण भी कर रही है। आपकी कंपनी सरकारी अस्पतालों को एम्बूलेन्स, चिकित्सा उपकरण, डीजी सेट और अन्य आधारभूत ढांचा सपोर्ट मुहैया करवा रही है और वर्ष भर स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

3- ग्रामीण विकास :-

एनएचपीसी द्वारा समुदाय की आवश्यकता के अनुसार क्षेत्र विद्युतीकरण, सामुदायिक केन्द्र, जलापूर्ति लाइने, नाले, सड़कें/पथ आदि जैसी मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास कार्य प्रारम्भ किए गए थे। आपकी कंपनी ने आरसीसी पुलों/लकड़ी के पुल, दाहसंस्कार शेड, वर्षा आश्रय आदि के निर्माण क्रियाकलापों को लिया है। आपकी कंपनी कृषि/मधुमक्खी पालन, जैविक खेती तथा खेती के अन्य उन्नत तरीकों के विकास हेतु किसानों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है।

4- पर्यावरण और संधारणीयता :-

आपकी कंपनी पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति तथा जीव जन्तु के बचाव, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, वायु, जल तथा मिटटी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण और संधारणीयता हेतु कई क्रियाकलाप किए गए हैं जिसमें जैव विविधता पार्को। का विकास, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, सिंचाई नहरों का पुनर्स्थापन, पौधरोपण, सौर स्ट्रीट लाइटों का स्थापन आदि शामिल हैं।

5- महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिक :-

आपकी कंपनी ने महिलाओं के सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों हेतु सुविधाओं के सृजन के लिए बनाए गए विभिन्न सीएसआर क्रियाकलापों के प्रति योगदान दिया है। आपकी कंपनी ने महिलाओं में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता की है।

6- स्वच्छ भारत अभियान/स्वच्छ विद्यालय अभियान :-

आपकी कंपनी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बड़ी संख्या में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता क्रियाकलाप प्रारंभ किए गए है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में सुरक्षित पेय जल सुविधाएं, आरओ प्लांट के साथ सामुदायिक पेय जल सुविधा, बाजर/सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं/स्वच्छता सुविधाएं, ग्राम स्वच्छता अभियान, गांवों में जलापूर्ति लाइनों का निर्माण/स्थापन तथा साफ-सफाई, स्कूल/सार्वजनिक स्थानों में शौचालयों का निर्माण, स्कूलों हेतु जलापूर्ति प्रणाली आदि शामिल है।

7- सीएसआर क्षमता निर्माण और अन्य क्रियाकलाप :-

आपकी कंपनी "कबड्डी" और "कुश्ती" जैसे ग्रामीण तथा परंपरागत खेलों, स्थानीय मेलों के आयोजन द्वारा शिल्प, टूर्नामेंटों की प्रायोजिकता और प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से इनका संवर्धन कर रही है। आपकी कंपनी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, हितधारकों के साथ बैठकों के आयोजन द्वारा स्थानीय जनता में सामाजिक जागरूकता भी उत्पन्न कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण खेलकूदों/कला तथा संस्कृति को बढ़ावा युवा क्लबों को आधारभूत ढांचा सपोर्ट मुहैया करवाकर तथा ग्रामीण क्लबों एवं एसोसिएशनों को खेलकूद के किट तथा उपकरण मुहैया करवाकर दिया जा रहा है।

आपकी कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/csr_Policy_Final.pdf

2- सीएसआर समिति की संरचना :

सीएसआर तथा धारणीयता क्रियाकलापों हेतु प्रबंधन ढांचा निम्नानुसार है :

विभिन्न सीएसआर तथा संधारणीयता पहलों के बजट आवंटन, प्रगति की समीक्षा और मार्गदर्शन हेतु एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली बोर्ड स्तरीय समिति गठित की गई है।

31 मार्च, 2017 के अनुसार "सीएसआर तथा संधारणीयता संबंधी निदेशकों की समिति" की संरचना निम्नानुसार है :

1.	प्रो. अरूण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री बलराज जोशी	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

3. गत तीन वर्षों हेतु कंपनी का औसत निवल लाभ :-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार सीएसआर बजट की गणना के प्रयोजन हेतु पिछले 3 वित्त वर्षों के लिए निवल लाभ के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	वित्त वर्ष	निवल लाभ (करोड़ में)	औसत निवल लाभ (करोड़ में)
1	2013-14	886.13	2,211.74
2	2014-15	2,708.12	
3	2015-16	3,040.97	

4. विहित सीएसआर व्यय :

44.23 करोड़ रूपये (पिछले तीन वर्षों हेतु औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत)

5. वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय के ब्यौरे :-

क. वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय की जाने वाली कुल राशि :

7,581.87 लाख रूपये

ख. व्यय न की गई राशि, यदि कोई हो :

शून्य

ग. तरीका जिसके द्वारा वित्त वर्ष के दौरान राशि व्यय की जानी है को विस्तारपूर्वक नीचे दिया गया है :

क्रम सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा क्रियाकलाप	क्षेत्र	स्थल	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम-वार (लाख रू पये में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि (लाख रू पये में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (लाख रू पये में)	राशि का व्यय किया जाना - सीधे अथवा क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1.	बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। तकदाह, दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण। कोलापटुकर, दोलांगमुख (अरूणाचल प्रदेश) में विवेकानंद केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण। बेरोजगार युवाओं हेतु रोजगार अभिमुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। आईटीआई में विकासात्मक/उन्नयन क्रियाकलाप छात्रों को छात्रवृत्ति स्कूल भवनों तथा प्रयोगशालाओं का निर्माण और उन्नयन स्कूलों को आधारभूत ढांचा मुहैया करवाना कौशल विकास प्रशिक्षणों/कार्यक्रमों का आयोजन।	शिक्षा और कौशल विकास	हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर, पश्चिम बंगाल में तकदाह, अरूणाचल प्रदेश में दोलांगमुख के अलावा अन्य सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर के जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपुरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौड़ागढ, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जिलिंग और जलपाईगुडी, जिला धीमाजी (असम), अरूणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, तापुमपारे और ईस्ट सियांग।	5,722.97	5,036.39	5,036.39	सीधे

क्रम सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा क्रियाकलाप	क्षेत्र	स्थल	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम-वार (लाख रू पये में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि (लाख रू पये में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (लाख रू पये में)	राशि का व्यय किया जाना - सीधे अथवा क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2.	मोबाइल चिकित्सा यूनिटों का नियोजन। चिकित्सा शिविरों, नेत्र जांच शिविरों, मोतियाबिंद सर्जरी शिविरों का आयोजन, टीकाकरण कार्यक्रम। ''एलीमको'' की भागीदारी में दिव्यांगजनों को इमदाद और सहायक उपकरणों का वितरण सरकारी अस्पतालों, प्रसूती केन्द्रों का उन्नयन सरकारी अस्पतालों को एम्बूलेन्स, चिकित्सा उपकरण तथा अन्य आधारभूत ढांचागत सुविधाएं मुहैया करवाना।	स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपुरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौड़ागढ, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला धीमाजी (असम), अरूणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, तापुमपारे और ईस्ट सियांग।	1,248.05	1,530.55	1,530.55	सीधे
3.	पथमार्ग, आरसीसी पुलों, कंक्रीट मार्गों का निर्माण अलची गांव में टोलों का विद्युतीकरण कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण सामुदायिक भवनों का निर्माण और नवीकरण दाह संस्कार शेडों का निर्माण नालों, वर्षा आश्रयों तथा प्रतीक्षा शेडों का निर्माण ग्रामवासियों हेतु कृषि/मधुमक्खी पालन हरित गृहों का विकास गांवों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था बड़ी इलायची की जैविक खेती/ बड़ी इलायची के बीजों का वितरण/कृषि तथ आजीविका सृजन के पुनरूद्धान के अन्य तरीके स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अन्य आधारभूत ढांचागत तथा सामुदायिक विकास क्रियाकलाप।	ग्रामीण विकास	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपुरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौड़ागढ, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला धीमाजी (असम), अरूणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, तापुमपारे और ईस्ट सियांग।	1,520.10	551.45	551.45	सीधे
4.	जैव विविधता पार्क और हर्बल पार्क्रों का विकास स्थानीय फलों के परिरक्षण हेतु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना सिंचाई प्रयोजन हेतु नहरों का पुनर्स्थापन सोलर स्ट्रीट लाइट का स्थापन ऊर्जा संरक्षण हेतु एलईडी लाइटों को मुहैया करवाना।	पर्यावरण और संधारणीयता	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपुरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौड़ागढ, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला धीमाजी (असम), अरूणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, तापुमपारे और ईस्ट सियांग, जिला फरीदाबाद (हरियाणा)।	159.00	60.29	60.29	सीधे

क्रम सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा क्रियाकलाप	क्षेत्र	स्थल	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम-वार (लाख रू पये में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि (लाख रू पये में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (लाख रू पये में)	राशि का व्यय किया जाना - सीधे अथवा क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
5.	महिला सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों हेतु वृद्धावस्था गृह।	महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिक	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपुरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौड़ागढ, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला धीमाजी (असम), अरूणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, तापुमपारे और ईस्ट सियांग।	12.95	18.37	18.37	सीधे
6.	बोरवेल से सुरक्षित पेयजल सुविधा, सार्वजनिक क्षेत्रों, सामुदायिक केन्द्रों आदि मे फिल्टरेशन, आरओ प्लांट के साथ सामुदायिक पेय जल सुविधा, बाजर/सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं/स्वच्छता सुविधाएं, ग्राम स्वच्छता अभियान, स्कूल/सार्वजनिक स्थानों में शौचालयों का निर्माण, गांवों में जलापूर्ति लाइनों का निर्माण/स्थापन तथा साफ-सफाई, स्कूलों हेतु जलापूर्ति प्रणाली।	स्वच्छ भारत अभियान/ स्वच्छ विद्यालय अभियान	जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख) और कारगिल, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), उत्तराखंड में जिला - पिथौड़ागढ और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, असम में जिला धीमाजी, लखीमपुर, सोनितपुर, नलबाड़ी, दरांग, नगांव, जोरहाट, बारपेटा, कचार, सिवसागर, कामरूप-ग्रामीण, अरूणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, लोअर दिबांग, पापुमपारे और वेस्ट सियांग।	2,077.98	253.09	253.09	सीधे
7.	हितधारकों के साथ बैठकें/ प्रभाव आकलन/ आधाररेखा सर्वेक्षण ग्रामीण खेलों के संवर्धन हेतु प्रशिक्षण स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना।	सीएसआर क्षमता निर्माण, खेलकूद, कला और संस्कृति और अन्य पहलें	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपुरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौड़ागढ, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला धीमाजी (असम), अरूणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, तापुमपारे और ईस्ट सियांग, जिला फरीदाबाद (हरियाणा)।	201.85	131.73	131.73	सीधे
	कुल			**10,943.00**	**7,581.87**	**7,581.87**	

6. कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों या उसके किसी तत्संबंधी भाग हेतु औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत का व्यय कर पाने में विफल होने पर कम्पनी को उस राशि को व्यय न किए जाने के कारण अपने बोर्ड रिपोर्ट में बताना चाहिए :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार पिछले 3 वित्त वर्षों हेतु औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत की राशि **44.23 करोड़** रूपये होती है। कम्पनी ने उक्त प्रावधान के प्रति वर्ष के दौरान **75.82 करोड़** रूपये व्यय किए हैं।

इस प्रकार, सीएसआर क्रियाकलापों पर व्यय पिछले तीन वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ का **3.43** प्रतिशत होता है। अतः कम्पनी ने वित्त वर्ष 2016-17 हेतु बजट आवंटन का पूर्ण उपयोग किया है।

7. सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व कथन कि सीएसआर नीति का क्रियान्वयन तथा प्रबोधन कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर उद्देश्यों के अनुरूप में है।

प्रमाणित किया जाता है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन तथा निगरानी हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों तथा नीति के अनुपालन में है।

हस्ता./-
(के.एम. सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक,
एनएचपीसी लिमिटेड
डीआईएन : 02223301

हस्ता./-
(अरूण कुमार)
स्वतंत्र निदेशक और अध्यक्ष
कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास संबंधी निदेशकों की समिति
डीआईएन : 07346292

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एवं तत्कालीन निदेशक (तकनीकी) श्री बलराज जोशी, निदेशक (कार्मिक) श्री एन.के. जैन अन्य एनएचपीसी कार्मिकों के साथ एनएचपीसी आवासीय परिसर, फरीदाबाद में एनएचपीसी द्वारा 21 जून 2017 को तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित सामुदायिक योग सत्र में भाग लेते हुए।

अनुबंध - VII

फार्म संख्या एमजीटी-9

वार्षिक रिटर्न का सार
31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के अनुसार

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कम्पनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुपालन में)

1. पंजीकरण तथा अन्य ब्यौरे

सीआईएन	L40101HR1975GOI0332564
पंजीकरण तिथि	07 नवम्बर, 1975
कम्पनी का नाम	एनएचपीसी लिमिटेड
कम्पनी की श्रेणी/उप श्रेणी	सार्वजनिक कंपनी/सरकारी कम्पनी, शेयरों द्वारा सीमित
पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क ब्यौरे	एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा - 121003 टेलीफोन नं. 0129-2588110/2588500 फैक्स नं. 0129-2277941
क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	जी, हाँ
रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरे	कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट 31-32, गाचीबाउली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, ननाकरमगुडा, हैदराबाद- 500 032 दूरभाष नं.: 040-67162222 टोल फ्री नं. : 1800 345 4001 फैक्स नं. : 040-23420814

2. कम्पनी के प्रमुख व्यापार क्रियाकलाप

कम्पनी के कुल टर्न-ओवर के 10 प्रतिशत अथवा अधिक का योगदान देने वाले सभी व्यापार क्रियाकलापों को नीचे दिया गया है -

क्रम सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा वितरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड *	कम्पनी के कुल टर्न-ओवर का प्रतिशत #
1	ऊर्जा (जल विद्युत) जल विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन	35101	99.28 प्रतिशत

* राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन, सांख्यकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अंतर्गत वर्गीकरण के अनुसार

सकल टर्न-ओवर के आधार पर

3. अनुषंगी, एसोसिएट तथा संयुक्त उद्यम कम्पनियों के ब्यौरे

क्रम सं.	कम्पनी का नाम और पता	सीआईएन	अनुषंगी/ एसोसिएट/ संयुक्त उद्यम	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1.	एनएचडीसी लिमिटेड, एनएचडीसी परिसर, निकट होटल लेक व्यू अशोक, श्यामला हिल्स, भोपाल - 462013, मध्य प्रदेश	U31200MP2000GOI014337	अनुषंगी	51.08%	2(87)
2.	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड, लोकतक पावर स्टेशन, एनएचपीसी लिमिटेड, पो.ऑ. लोकतक, कोम कीरप-795114, मणिपुर	U40101MN2009GOI008249	अनुषंगी	74%	2(87)
3.	बुन्देलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड, टीसी-43/5, विभूतिखंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010, उत्तर प्रदेश	U40300UP2015GOI068632	अनुषंगी	99.99%	2(87)

क्रम सं.	कम्पनी का नाम और पता	सीआईएन	अनुषंगी/ एसोसिएट/ संयुक्त उद्यम	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
4.	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जेकेपीसीसी काम्पलेक्स, रेल हेड काम्पलेक्स, पनामा चौक, जम्मू - 180006 (जम्मू एवं कश्मीर)	U40105JK2011PTC003321	एसोसिएट	49.78%	2(6)
5.	नैशनल हाई पावर टैस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड, एनटीपीसी भवन, कोर 7, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इन्स्टीयूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003	U73100DL2009PTC190541	एसोसिएट	20.00%	2(6)

4. शेयरधारण पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रू प में इक्विटी शेयर पूंजी ब्यौरा)

1) श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2016 के अनुसार)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2017 के अनुसार)				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्ति/एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) केन्द्र सरकार	9,51,62,09,722	0	9,51,62,09,722	85.96	7,64,34,06,901	0	7,64,34,06,901	74.50	(11.46)
ग) राज्य सरकारें	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) कारपोरेट निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङ) बैंक/ एफआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप जोड़ (क) (1)	**9,51,62,09,722**	**0**	**9,51,62,09,722**	**85.96**	**7,64,34,06,901**	**0**	**7,64,34,06,901**	**74.50**	**(11.46)**
(2) विदेशी									
क) एनआरआई -व्यक्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) अन्य - व्यक्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) कारपोरेट निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) बैंक/एफआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङ) अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप जोड़ (क)(2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) =(क)(1)+(क)(2)	**9,51,62,09,722**	**0**	**9,51,62,09,722**	**85.96**	**7,64,34,06,901**	**0**	**7,64,34,06,901**	**74.50**	**(11.46)**
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्यूचुअल फंड/ यूटीआई	62,04,586	0	62,04,586	0.06	11,44,48,829	0	11,44,48,829	1.12	1.06
ख) बैंक/ एफआई	9,13,85,576	0	9,13,85,576	0.82	7,91,13,321	0	7,91,13,321	0.77	(0.05)
ग) केन्द्र सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
घ) राज्य सरकारें	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
ङ) वेंचर पूंजी निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2016 के अनुसार)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2017 के अनुसार)				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
च) बीमा कंपनियां	38,93,80,953	0	38,93,80,953	3.52	95,11,72,168	0	95,11,72,168	9.27	5.75
छ) एफआईआई	28,70,76,272	0	28,70,76,272	2.59	35,39,32,824	0	35,39,32,824	3.45	0.86
ज) विदेशी वेंचर पूंजी निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
झ) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
उप जोड़ (ख)(1)	**77,40,47,387**	**0**	**77,40,47,387**	**6.99**	**1,49,86,67,142**	**0**	**1,49,86,67,142**	**14.61**	**7.62**
2. गैर-संस्थान									
क) कारपोरेट निकाय	6,94,81,348	0	6,94,81,348	0.63	49,81,55,823	0	49,81,55,823	4.85	4.22
ख) व्यक्ति									
(1) 1 लाख रुपये तक की नामिनिक शेयर पूंजी धारित किए हुए शेयरधारक व्यक्ति	53,02,14,478	1,52,582	53,03,67,060	4.79	46,72,05,811	1,46,642	46,73,52,453	4.56	(0.23)
(2) 1 लाख रुपये से अधिक की नामिनिक शेयर पूंजी धारित किए हुए शेयरधारक व्यक्ति	15,85,55,459	0	15,85,55,459	1.43	13,23,50,580	0	13,23,50,580	1.29	(0.14)
ग) अन्य									
(1) क्लीयरिंग सदस्य	35,85,542	0	35,85,542	0.03	28,30,858	0	28,30,858	0.03	0.00
(2) अप्रवासी भारतीय	1,51,38,074	7,575	1,51,45,649	0.14	1,05,74,691	7,575	1,05,82,266	0.10	(0.04)
(3) अप्रवासी भारतीय - स्वदेश न लौटने वाले	0	0	0	0.00	24,04,059	0	24,04,059	0.02	0.02
(4) विदेशी नागरिक	1,500	0	1,500	0.00	1,500	0	1,500	0.00	0.00
(5) विदेशी कारपोरेट निकाय	175	0	175	0.00	175	0	175	0.00	0.00
(6) ट्रस्ट	28,85,392	0	28,85,392	0.03	28,89,252	0	28,89,252	0.03	0.00
(7) गैर बैंककारी वित्तीय संस्थान	3,89,262	0	3,89,262	0.00	6,79,510	0	6,79,510	0.01	0.01
(8) पात्र विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
उप जोड़ (ख)(2)	**78,02,51,230**	**1,60,157**	**78,04,11,387**	**7.05**	**1,11,70,92,259**	**1,54,217**	**1,11,72,46,476**	**10.89**	**3.84**
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख) (1)+(ख)(2)	**1,55,42,98,617**	**1,60,157**	**1,55,44,58,774**	**14.04**	**2,61,57,59,401**	**1,54,217**	**2,61,59,13,618**	**25.50**	**11.46**
ग. जीडीआर तथा एडीआर हेतु अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सकल जोड़ (क+ख+ग)	**11,07,05,08,339**	**1,60,157**	**11,07,06,68,496**	**100**	**10,25,91,66,302**	**1,54,217**	**10,25,93,20,519**	**100**	**0**

(2) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2016 के अनुसार)			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2017 के अनुसार)			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में प्रतिशत परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों का रेहन रखे गए/ऋणग्रस्त किए गए शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों का रेहन रखे गए/ऋणग्रस्त किए गए शेयरों का प्रतिशत	
1	भारत के राष्ट्रपति	9,51,62,09,722	85.96	0.00	7,64,34,06,901	74.50	0.00	(11.46)
	कुल	**9,51,62,09,722**	**85.96**	**0.00**	**7,64,34,06,901**	**74.50**	**0.00**	**(11.46)**

(3) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्रम सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01.04.2016 के अनुसार)		वर्ष के दौरान कारोबार			वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता (01.04.2016 से	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	तिथि	वृद्धि/ कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	वर्ष के प्रारंभ में	9,51,62,09,722	85.96				9,51,62,09,722	85.96
2.	वर्ष के दौरान वृद्धि/ कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए प्रमोटरों की शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि/ कमी (जैसे कि आवंटन/ अंतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)			28.04.2016	(1,25,76,27,941)	बिक्री हेतु प्रस्ताव	8,25,85,81,781	74.60
				21.11.2016	(1,02,96,420)	बिक्री हेतु प्रस्ताव - कर्मचारी	8,24,82,85,361	74.51
				27.03.2017	(60,48,78,460)	शेयरों की पुन: खरीद	7,64,34,06,901	74.50
3.	वर्ष के दौरान वृद्धि/ कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते	7,64,34,06,901	74.50				7,64,34,06,901	74.50

(4) 10 शीर्ष शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न (निदेशक, प्रमोटर और जीडीआर तथा एडीआर के धारकों के अतिरिक्त)

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता (01.04.2016 से 31.03.2017)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम *				
	वर्ष के प्रारंभ में	34,46,34,628	3.11	34,46,34,628	3.11
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	58,67,20,920	5.30	93,13,55,548	8.41
	वर्ष के दौरान बेचे गए	2,51,72,046	0.23	90,61,83,502	8.18
	वर्ष के अंत में	90,61,83,502	8.83	90,61,83,502	8.83
2.	यूको बैंक *				
	वर्ष के प्रारंभ में	3,31,54,836	0.30	3,31,54,836	0.30
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	0	0.00	3,31,54,836	0.30
	वर्ष के दौरान बेचे गए	0	0.00	3,31,54,836	0.30
	वर्ष के अंत में	3,31,54,836	0.32	3,31,54,836	0.32
3.	वैनगार्ड इमरजिंग मार्केटस स्टाक इंडेक्स फंड, वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड की ए सीरीज *				
	वर्ष के प्रारंभ में	2,18,78,724	0.20	2,18,78,724	0.20
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	1,93,17,608	0.17	4,11,96,332	0.37
	वर्ष के दौरान बेचे गए	68,20,609	0.06	3,43,75,723	0.31
	वर्ष के अंत में	3,43,75,723	0.34	3,43,75,723	0.34
4.	विस्डम ट्री इंडिया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इंक @				
	वर्ष के प्रारंभ में	1,50,34,795	0.14	1,50,34,795	0.14
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	14,70,721	0.01	1,65,05,516	0.15
	वर्ष के दौरान बेचे गए	40,07,900	0.04	1,24,97,616	0.11
	वर्ष के अंत में	1,24,97,616	0.12	1,24,97,616	0.12

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता (01.04.2016 से 31.03.2017)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
5.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक @				
	वर्ष के प्रारंभ में	1,39,07,798	0.13	1,39,07,798	0.13
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	0	0.00	1,39,07,798	0.13
	वर्ष के दौरान बेचे गए	0	0.00	1,39,07,798	0.13
	वर्ष के अंत में	1,39,07,798	0.14	1,39,07,798	0.14
6.	कारपोरेशन बैंक @				
	वर्ष के प्रारंभ में	1,38,42,251	0.13	1,38,42,251	0.13
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	0	0.00	1,38,42,251	0.13
	वर्ष के दौरान बेचे गए	1,60,000	0.01	1,36,82,251	0.12
	वर्ष के अंत में	1,36,82,251	0.13	1,36,82,251	0.13
7.	वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टाक इंडेक्स फंड *				
	वर्ष के प्रारंभ में	1,60,08,277	0.14	1,60,08,277	0.14
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	1,59,71,885	0.14	3,19,80,162	0.28
	वर्ष के दौरान बेचे गए	54,84,969	0.05	2,64,95,193	0.23
	वर्ष के अंत में	2,64,95,193	0.26	2,64,95,193	0.26
8.	गोल्डमैन सैच (सिंगापुर) पीटीई *				
	वर्ष के प्रारंभ में	3,54,27,088	0.32	3,54,27,088	0.32
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	2,26,59,392	0.20	5,80,86,480	0.52
	वर्ष के दौरान बेचे गए	4,10,08,729	0.37	1,70,77,751	0.15
	वर्ष के अंत में	1,70,77,751	0.17	1,70,77,751	0.17
9.	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - एचडीएफसी प्रूडेन्स फंड #				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0	0	0
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	3,74,50,894	0.34	3,74,50,894	0.34
	वर्ष के दौरान बेचे गए	24,43,118	0.02	3,50,07,776	0.32
	वर्ष के अंत में	3,50,07,776	0.34	3,50,07,776	0.34
10.	पेंशन रिजर्वस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड - पजेना इन्वेस्ट मैनेजमेंट एलएलसी *				
	वर्ष के प्रारंभ में	1,48,81,775	0.13	1,48,81,775	0.13
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	16,02,422	0.01	1,64,84,197	0.14
	वर्ष के दौरान बेचे गए	0	0.00	1,64,84,197	0.14
	वर्ष के अंत में	1,64,84,197	0.16	1,64,84,197	0.16
11.	मोर्गन स्टान्ले एशिया सिंगापुर पीटीई @				
	वर्ष के प्रारंभ में	1,26,38,305	0.11	1,26,38,305	0.11
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	68,94,483	0.06	1,95,32,788	0.17
	वर्ष के दौरान बेचे गए	1,95,32,788	0.17	0	0
	वर्ष के अंत में	0	0	0	0
12.	रूरल इलेक्ट्रिफीकेशन कारपोरेशन लिमिटेड #				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0	0	0
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	26,05,43,476	2.35	26,05,43,476	2.35
	वर्ष के दौरान बेचे गए	7,65,31,611	0.69	18,40,11,865	1.66
	वर्ष के अंत में	18,40,11,865	1.79	18,40,11,865	1.79

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता (01.04.2016 से 31.03.2017)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
13.	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड #				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0	0	0
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	26,05,42,051	2.35	26,05,42,051	2.35
	वर्ष के दौरान बेचे गए	0	0.00	26,05,42,051	2.35
	वर्ष के अंत में	26,05,42,051	2.54	26,05,42,051	2.54
14.	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड #				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0	0	0
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	4,47,26,750	0.40	4,47,26,750	0.40
	वर्ष के दौरान बेचे गए	29,17,761	0.03	4,18,08,989	0.37
	वर्ष के अंत में	4,18,08,989	0.41	4,18,08,989	0.41

* 1.4.2016 तथा 31.3.2017 को शीर्ष 10 शेयरधारकों को दर्शाता है।

@ केवल 1.4.2016 को शीर्ष 10 शेयरधारकों को दर्शाता है।

केवल 31.3.2017 को शीर्ष 10 शेयरधारकों को दर्शाता है।

टिप्पणी :

1. कंपनी के शेयरों का कारोबार दैनिक आधार पर किया जाता है अतः शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि/कमी को नहीं दर्शाया गया है।
2. शेयरधारिता को शेयरधारकों की स्थायी लेखा संख्या (पैन) के आधार पर समेकित किया गया है।
3. वर्ष के प्रारंभ में प्रतिशत, वर्ष के दौरान की गई खरीद और वर्ष के दौरान की गई बिक्री के प्रतिशत की गणना पुनः खरीद से पूर्व कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या अर्थात 11,07,06,68,496 पर आधारित है। वर्ष के अंत में प्रतिशत की गणना 31 मार्च, 2017 को कंपनी के इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद की संख्या अर्थात 10,25,93,20,519 पर आधारित है।

(5) निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की शेयरधारिता

क्रम सं.	नाम	शेयरधारिता		तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/ कमी	कारण	वर्ष (01.04.2016 से 31.03.2017) के दौरान	
		वर्ष के प्रारंभ (01.04.2016)/ वर्ष के अंत (31.03.2017) को शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
क.	निदेशक							
1.	श्री के.एम.सिंह अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			शून्य	लागू नहीं
2.	श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं)	18,200	नगण्य	01.04.2016	-	-	18,200	नगण्य
				21.11.2016	9,680 -बिक्री हेतु प्रस्ताव	खरीद	27,880	नगण्य
				28.11.2016	(10,200)	बिक्री	17,680	नगण्य
				30.11.2016	(480)	बिक्री	17,200	नगण्य
				27.03.2017	(1,214) - पुनः खरीद	बिक्री	15,986	नगण्य
		15,986	नगण्य	31.03.2017	-	-	15,986	नगण्य

क्रम सं.	नाम	शेयरधारिता		तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/ कमी	कारण	वर्ष (01.04.2016 से 31.03.2017) के दौरान	
		वर्ष के प्रारंभ (01.04.2016)/ वर्ष के अंत (31.03.2017) को शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
3.	श्री बलराज जोशी, निदेशक (तकनीकी)	5,425	नगण्य	01.04.2016	-	-	5,425	नगण्य
				22.11.2016	9,680 - बिक्री हेतु प्रस्ताव	खरीद	15,105	नगण्य
				27.03.2017	(3,214) - पुनः खरीद	बिक्री	11,891	नगण्य
		11,891	नगण्य	31.03.2017	-	-	11,891	नगण्य
4.	श्री निखिल कुमार जैन, निदेशक (तकनीकी) (07.02.2017 को निदेशक बने)	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			शून्य	लागू नहीं
5.	श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त) (01.03.2017 को निदेशक और 17.04.2017 को सीएफओ बने)	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			शून्य	लागू नहीं
6.	श्री आर.एस.मीना, निदेशक (कार्मिक) (31.01.2017 से निदेशक के पद पर नहीं रहे)	42,000	नगण्य	01.04.2016	-	-	42,000	नगण्य
				21.11.2016	9,680 - बिक्री हेतु प्रस्ताव	खरीद	51,680	नगण्य
				25.11.2016	(25,000)	बिक्री	26,680	नगण्य
		26,680	नगण्य	31.01.2017	-	-	26,680	नगण्य
7.	श्री जयंत कुमार, निदेशक (वित्त) (28.02.2017 को निदेशक और सीएफओ नहीं रहे)	शून्य	लागू नहीं	01.04.2016	-	-	शून्य	लागू नहीं
				21.11.2016	9,680 - बक्री हेतु प्रस्ताव	खरीद	9,680	नगण्य
				25.11.2016	(9,680)	बिक्री	शून्य	लागू नहीं
		शून्य	लागू नहीं	28.02.2017	-	-	शून्य	लागू नहीं
8.	श्री सत्य प्रकाश मंगल, स्वतंत्र निदेशक	1,500	नगण्य	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			1,500	नगण्य
9.	प्रो. अरूण कुमार, स्वतंत्र निदेशक	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			शून्य	लागू नहीं
10.	प्रो. कनिका टी. भाल, स्वतंत्र निदेशक	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			शून्य	लागू नहीं
11.	श्री फारूख खान, स्वतंत्र निदेशक (17.08.2016 से निदेशक के पद पर नहीं रहे)	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			शून्य	लागू नहीं
12.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल, सरकारी नामित निदेशक	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			शून्य	लागू नहीं
13.	श्रीमती कृष्णा त्यागी, सरकारी नामित निदेशक	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			शून्य	लागू नहीं

क्रम सं.	नाम	शेयरधारिता		तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/ कमी	कारण	वर्ष (01.04.2016 से 31.03.2017) के दौरान	
		वर्ष के प्रारंभ (01.04.2016)/ वर्ष के अंत (31.03.2017) को शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
ख	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक							
1.	श्री विजय गुप्ता, कंपनी सचिव	14,500	नगण्य	01.04.2016	-	-	14,500	नगण्य
				23.09.2016	(1,500)	बिक्री	13,000	नगण्य
				28.10.2016	(4,500)	बिक्री	8,500	नगण्य
				21.11.2016	9,670 - बिक्री हेतु प्रस्ताव	खरीद	18,170	नगण्य
				28.11.2016	(1,000)	बिक्री	17,170	नगण्य
				30.11.2016	(1,500)	बिक्री	15,670	नगण्य
				27.03.2017	(4,439) - पुनः खरीद	बिक्री	11,231	नगण्य
		11,231	नगण्य	31.03.2017	-	-	11,231	नगण्य

(5) ऋणग्रस्तता

बकाया/प्रोद्भूत किन्तु भुगतान हेतु देय नहीं ब्याज के साथ कम्पनी की ऋणग्रस्तता

(करोड़ रूपए में)

विवरण	जमा के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण **	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता (01.04.2016)				
1) मूलधन राशि	15,437.27	4,705.16	0.00	20,142.43
2) देय किन्तु अदा न किया गया ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
3) प्रोदभूत किन्तु देय नहीं ब्याज	351.60	25.63	0.00	377.23
कुल (1+2+3)	**15,788.87**	**4,730.79**	**0.00**	**20,519.66**
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
वर्धन	2,135.00	1,591.50	0.00	3,726.50
कमी *	3,124.31	1,149.38	0.00	4,273.69
निवल परिवर्तन	**(989.31)**	**442.12**	**0.00**	**(547.19)**
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता (31.03.2017)				
1) मूलधन राशि	14,447.96	5,147.28	0.00	19,595.24
2) देय किन्तु अदा न किया गया ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
3) प्रोदभूत किन्तु देय नहीं ब्याज	392.98	35.58	0.00	428.56
कुल (1+2+3)	**14,840.94**	**5,182.86**	**0.00**	**20,023.80**

* अप्रतिभूत ऋण में कमी में विदेशी ऋण पर 13,32,34,701/- रूपये का ईआरवी लाभ शामिल हैं।

** अप्रतिभूत ऋणों में विदेशी ऋण, अल्पावधि ऋण और अधीनस्थ ऋण शामिल हैं।

(6) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों को पारिश्रमिक

(राशि रूपये में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के ब्यौरे	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम							कुल राशि
		श्री के.एम.सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं)	श्री बलराज जोशी, निदेशक (तकनीकी)	श्री निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक) (07.02.2017 को निदेशक बने)	श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ (01.03.2017 को निदेशक बने)	श्री आर.एस. मीना, निदेशक (कार्मिक) (31.01.2017 से निदेशक नहीं रहे)	श्री जयन्त कुमार, निदेशक (वित्त) और सीएफओ (28.02.2017 से निदेशक नहीं रहे)	
1.	सकल वेतन								
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन *	28,73,662	33,70,332	28,75,890	3,71,485	2,32,174	66,41,489	49,56,821	2,13,21,853
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	4,13,070	1,20,158	4,81,331	4,821	2,700	5,92,599	6,66,241	22,80,920
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	स्टाक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य **	4,17,728	4,15,170	10,20,374	73,534	42,109	13,70,842	19,42,013	52,81,770
	कुल (क)	**37,04,460**	**39,05,660**	**43,77,595**	**4,49,840**	**2,76,983**	**86,04,930**	**75,65,075**	**2,88,84,543**
	अधिनियम के अनुसार सीमा	एक सरकारी कंपनी होने के नाते लागू नहीं (कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना)							

* आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अंतर्गत वेतन में संबंधित अवधि के दौरान निदेशकों द्वारा धारित पद के अनुसार वर्ष 2014-15 हेतु अदा किया गया निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) शामिल था।

** अन्यों में पट्टा किराया, उपदान, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ईपीएफ, सामाजिक सुरक्षा योजना और पेंशन निधि (समान योगदान) आदि शामिल है जिसे मद संख्या (1) में शामिल नहीं किया गया था।

टिप्पणी :

1. वर्ष के दौरान श्री डी.पी. भार्गव, पूर्व निदेशक (तकनीकी) को पिछले वर्ष से संबंधित उनके देयों हेतु 39,76,837 रूपये का भुगतान किया गया था। इसी प्रकार, श्री जे.के.शर्मा, पूर्व निदेशक (परियोजनाएं) को पिछले वर्ष से संबंधित उनके देयों 9,69,354 रूपये का भुगतान किया गया था।

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

(राशि रूपये में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के ब्यौरे	निदेशक का नाम				कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशक	श्री सत्य प्रकाश मंगल	प्रो. अरूण कुमार	प्रो. कनिका टी. भाल	श्री फारूख खान (17.08.2016 से निदेशक नहीं रहे)	
	बोर्ड/ समिति बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क	4,60,000	5,00,000	4,00,000	1,60,000	15,20,000
	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (1)	**4,60,000**	**5,00,000**	**4,00,000**	**1,60,000**	**15,20,000**
2.	नामित निदेशक	श्रीमती कृष्णा त्यागी	श्रीमती अर्चना अग्रवाल			
	बोर्ड/ समिति बैठको में भाग लेने हेतु शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (2)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
	कुल (ख)=(1+2)	**4,60,000**	**5,00,000**	**4,00,000**	**1,60,000**	**15,20,000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक*					**3,04,04,543**
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा	एक सरकारी कंपनी होने के नाते लागू नहीं (कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना)				

टिप्पणी :

(1) निदेशकों को पारिश्रमिक की राशि वर्ष 2016-17 के दौरान वास्तविक भुगतानों पर आधारित है चाहे यह किसी भी वर्ष से संबंधित हो।

* प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा अन्य निदेशकों का कुल पारिश्रमिक (क तथा ख का जोड़)

(ग) प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक

(राशि रूपये में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के ब्यौरे	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक			
		सीईओ *	कंपनी सचिव	सीएफओ *	कुल
1.	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	30,78,851	-	30,78,851
	(ख) आयकर अधिनियम की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	-	2,19,655	-	2,19,655
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ	-	शून्य	-	-
2.	स्टाक विकल्प	-	शून्य	-	-
3.	स्वीट इक्विटी	-	शून्य	-	-
4.	कमीशन	-	शून्य	-	-
5.	अन्य **	-	4,35,800	-	4,35,800
	कुल (क)	**-**	**37,34,306**	**-**	**37,34,306**

* सीईओ तथा सीएफओ के पद क्रमशः कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) द्वारा धारित हैं।

** अन्यों में पट्टा किराया, उपदान, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ईपीएफ तथा सामाजिक सुरक्षा योजना और पेंशन निधि (समान अंशदान) आदि शामिल है जिन्हें बिन्दु संख्या (1) में शामिल नहीं किया गया था।

(7) शास्ति/दण्ड/अपराधों को क्षमा करना

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	शास्ति/दण्ड/लगाए गए क्षम्य शुल्क के ब्यौरे	प्राधिकारी (आरडी/ एएनसीएलटी / अदालत)	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दीजिए)
क. कंपनी					
शास्ति	कोई नहीं				
दंड					
क्षमा करना					
क. निदेशक					
शास्ति	कोई नहीं				
दंड					
क्षमा करना					
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
शास्ति	कोई नहीं				
दंड					
क्षमा करना					

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

(रतीश कुमार)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06852735

तारीख : 11 अगस्त, 2017
स्थान : फरीदाबाद

अनुबंध - VIII

लाभांश वितरण नीति

1.0 पृष्ठभूमि :

सेबी ने अपनी दिनांक 8.7.2016 की अधिसूचना के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 में विनियम 43क शामिल किया है जिसमें निम्नलिखित अपेक्षित है :

1. बाजार पूंजीकरण के आधार पर सूचीबद्ध शीर्ष 500 निकाय (प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को गणना किए अनुसार) एक लाभांश वितरण नीति बनाएंगे जिसे उनकी वार्षिक रिपोर्ट तथा उनकी वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
2. लाभांश वितरण नीति में निम्नलिखित मानदण्ड होंगे -
   - क. ऐसी परिस्थितियां जिनके अंतर्गत सूचीबद्ध निकायों के शेयरधारक लाभांश की प्रत्याशा कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते;
   - ख. लाभांश की घोषणा करते समय विचार किए जाने वाले वित्तीय मानदण्ड;
   - ग. आंतरिक तथा बाहरी कारक जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा;
   - घ. प्रतिधारित आय के उपयोग के संबंध में नीति; और
   - ङ शेयरों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अपनाए जाने वाले मानदण्ड;

उक्त मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए कंपनी की लाभांश वितरण नीति बनाई गई है।

2.0
इस नीति को एनएचपीसी लाभांश वितरण नीति ("नीति") कहा जाएगा।

3.0
यह नीति बोर्ड द्वारा इसे अंगीकृत किए जाने की तिथि अर्थात 30.5.2017 से प्रभावी होगी।

4.0 नीति की रूपरेखा :

नीति ढांचे का आधार मुख्यतः कंपनी अधिनियम के प्रावधानों, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी "केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पूंजीगत पुनर्संरचना" संबंधी दिशा-निर्देशों, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 और लाभांश के भुगतान के संबंध में लागू सीमा तक अन्य दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। नीति कंपनी के स्वामियों की अपने लाभों के एक हिस्से को बांटने हेतु कंपनी की मंशा को दर्शाती है।

5.0 महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियां :

- **लाभांश :** कंपनी के लाभ का वह हिस्सा जिसे व्यापार में बनाए नहीं रखा जाता और शेयरधारकों के मध्य उनके द्वारा धारित शेयरों की प्रदत्त राशि के अनुपात में वितरित किया जाता है। साधारण शब्दों में यह निवेश पर प्रतिफल है जो शेयरधारक कंपनी के निवल लाभों से प्राप्त करते हैं।
- **निवल मूल्य :** प्रदत्त शेयरपूंजी और लाभ से सृजित सभी आरक्षितों तथा प्रतिभूति प्रीमियम राशि का संचित मूल्य।
- **कर पश्चात लाभ (पीएटी) :** सभी कराधान संबंधित व्ययों की कटौती के पश्चात व्यापार द्वारा अर्जित निवल राशि।
- **प्रतिधारित लाभ :** व्यापार द्वारा सृजित वह लाभ जिसे लाभांश के रूप में शेयरधारकों को वितरित नहीं किया जाता है परन्तु या तो व्यापार में उसका पुनः निवेश किया जाता है अथवा उसे विशिष्ट उद्देश्यों हेतु आरक्षित के रूप में रखा जाता है (जैसे कि किसी ऋण के भुगतान अथवा पूंजीगत परिसंपत्ति की खरीद हेतु)।
- **लाभांश भुगतान अनुपात :** शेयरधारकों को लाभांश के रूप में में अदा की गई व्यापार आय का प्रतिशत। यह इसे दर्शाता है कि फर्म की आय लाभांश भुगतान में कितनी सहायता करती है। यह प्रतिशत जितना कम होगा लाभांश भुगतान उतना ही सुरक्षित होगा। लाभांश पर डीआईपीएएम के दिशा-निर्देशों पर विचार करते हुए एनएचपीसी को कंपनी के निवल मूल्य के 5 प्रतिशत के लाभांश का भुगतान करना होता है और तदनुसार लाभांश भुगतान अनुपात निवल लाभ (पीएटी) के लगभग 60 से 80 प्रतिशत के मध्य रहेगा।
- **लाभांश प्राप्ति :** एक वित्तीय अनुपात जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने शेयर मूल्य के संबंध में प्रत्येक वर्ष लाभांश के रूप में कितना भुगतान करती है।
- **मूल्य अर्जन (पीई) अनुपात :** यह दर्शाता है कि बाजार इसकी वर्तमान आय के आधार पर किसी स्टाक हेतु कितना भुगतान करने का इच्छुक है।
- **मूल्य से बही (पीबी) अनुपात :** इस अनुपात का उपयोग किसी स्टाक के बाजार मूल्य की उसके बही मूल्य से तुलना करने के लिए किया जाता है।
- **बाजार पूंजीकरण : इसका अर्थ बाजार मूल्य तथा कुल बकाया शेयरों के आधार पर कंपनी का कुल मूल्यांकन है।**

6.0 नीति निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :

- अधिमानी शेयरों पर लाभांश, यदि कंपनी द्वारा जारी किए गए हों तो;
- नकदी रूप में न होने वाले लाभांश का वितरण अर्थात लागू नियमों के अधीन पूर्णतः या आंशिक रूप से अदा किए गए बोनस शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों को जारी करके;
- इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद के माध्यम से लाभांश के भुगतान के विकल्प के रूप में नकदी का वितरण।

7.0 नीति का उद्देश्य :

लाभांश नीति को निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है :

- **कंपनी का आधारभूत मूल्य :** लाभांश वितरण नीति का कंपनी के मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। नीति का उद्देश्य प्रतिधारित अर्जन की आवश्यकता पर उचित विचार करते हुए धारणीय लाभांश भुगतान अनुपात को सुनिश्चित करते हुए कंपनी के आधारभूत मूल्य में वृद्धि करना है।

- **वृद्धि योजना :** लाभांश वितरण नीति एक वित्त-पोषण निर्णय है और यह नकदी बाहिर प्रवाहों में वृद्धि तथा लाभप्रद परियोजनाओं के वित्त-पोषण हेतु नकदी की उपलब्धता में कमी में भी परिणत होती है। यदि पर्याप्त निधियां उपलब्ध न हों तो फर्म को बाहरी वित्त-पोषण पर निर्भर करना पड़ता है। अतः लाभांश नीति को इस तरीके से विकसित किए जाने की आवश्यकता है कि संभावित परियोजनाओं को ऋण तथा प्रतिधारित आय के उचित मिश्रण के माध्यम से वित्त-पोषित किया जा सके।
- **प्रतिफल की स्थिर दर :** प्रतिफल की दर में उतार-चढ़ाव शेयरों के बाजार मूल्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। अतः लाभांश नीति का उद्देश्य भविष्य में सतत लाभांश भुगतान प्रवृत्ति को सुनिश्चित करना होता है जब तक कि कंपनी किसी आंतरिक या बाहरी कारकों के चलते लाभांश घोषित करने में असमर्थ न हो।

8.0 परिस्थितियां जिनके अतर्गत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की प्रत्याशा कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते :

कंपनी की लाभांश वितरण नीति को निदेशक मंडल द्वारा अपनाया जाता है और यह कंपनी के निवल लाभ तथा लाभांश के रूप में वितरित किए जाने वाले कंपनी के लाभ के मध्य संतुलन को नियंत्रित करती है। लाभांश कंपनी के निवल लाभ का एक हिस्सा है जिसे विद्यमान लागू विधियो तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार शेयरधारको के मध्य वितरित किया जाता है। लाभांश को बोर्ड की सिफारिश के आधार पर शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है। बोर्ड सदस्यों को अदा किए जाने वाले लाभांश की सिफारिश संगत विधि तथा अन्य कारकों को ध्यान मे रखते हुए करता है। बोर्ड अंतरिम लाभांश की भी घोषणा कर सकता है।

बोर्ड द्वारा लाभांश हेतु सिफारिश किए जाने से पूर्व विचार किए जाने वाले कारक भविष्य की पूंजीगत व्यय योजनाएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, वैकल्पिक स्रोतों से निधियों को जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह स्थिति और लाभांश पर कर सहित लागू कर हैं, परन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, और यह इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अधीन है। लाभांश भुगतान का निर्णय लेते समय इन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

9.0 लाभांश की घोषणा करते समय विचार किए जाने वाले वित्तीय मानदण्ड:

27.5.2016 को डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) की पूंजीगत पुनर्संरचना संबंधी डीआईपीएएम दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्येक सीपीएसई अपने कर पश्चात लाभ के न्यूनतम 30 प्रतिशत या निवल मूल्य के 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के लाभांश का भुगतान करेगा जो विद्यमान विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अनुमेय अधिकतम लाभांश के अधीन होगा। फिर भी सीपीएसई से उसके गठन संबंधी अधिनियम के अंतर्गत अनुमेय अधिकतम लाभांश का भुगतान किए जाने की प्रत्याशा की जाती है जब तक कि अदा किए जाने हेतु प्रस्तावित निम्नतर निवेश औचित्यपूर्ण न हो तथा ऐसा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के स्तर पर मामला-दर-मामला आधार पर निम्नलिखित पहलुओं के विश्लेषण के पश्चात किया जाना चाहिए।

(1) सीपीएसई का निवल मूल्य और ऋण लेने की इसकी क्षमता;

(2) दीर्घावधि ऋण;

(3) पूंजीगत व्यय/व्यापार विस्तार आवश्यकताएं;

(4) पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के अनुरूप आगे लाभ हेतु लाभ का प्रतिधारण; और

(5) नकदी और नकदी शेष।

9.1 लाभांश नीति :

वित्तीय वर्ष हेतु लाभांश का निर्णय निदेशक मंडल द्वारा विभिन्न सांविधिक आवश्यकताओं, कंपनी के वित्तीय निष्पादन और नीति में बताए गए अन्य आंतरिक तथा बाहरी कारकों पर विचार करते हुए किया जाएगा। तथापि, मोटे तौर पर एनएचपीसी द्वारा लाभांश भुगतान उक्त डीआईपीएएम दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा अर्थात कर पश्चात लाभ का 30 प्रतिशत या निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

9.2 लाभांश भुगतान हेतु तरीका और समय-सीमाएं :

(क) अंतरिम लाभांश :

1. अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, की घोषणा निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। सामान्यतः अंतरिम लाभांश की घोषणा संगत वित्तीय वर्ष की तीसरी/चौथी तिमाही में की जाती है।
2. यदि अंतरिम लाभांश की घोषणा की गई है तो उसका भुगतान लागू नियमों के अनुसार रिकार्ड तिथि को लाभांश प्राप्त करने के लिए पात्र होने वाले शेयरधारकों को घोषणा की तिथि से तीस दिवस के भीतर किया जाना चाहिए।

(ख) अंतिम लाभांश :

1. अंतिम लाभांश हेतु सिफारिश, यदि कोई हो, निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी और यह कंपनी की वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगी।
2. लाभांश का भुगतान लागू नियमों के अनुसार रिकार्ड तिथि/बही समापन अवधि को लाभांश प्राप्त करने के लिए पात्र होने वाले शेयरधारकों को घोषणा की तिथि से तीस दिवस के भीतर किया जाना चाहिए।
3. अंतिम लाभांश घोषित न किए जाने के मामले में वर्ष के दौरान अदा किए गए अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, को वार्षिक आम बैठक में अंतिम लाभांश माना जाएगा।

10.0 लाभांश की घोषणा हेतु विचार किए जाने वाले आंतरिक तथा बाहरी कारक :

आंतरिक कारकों में पूंजीगत व्यय योजना और कंपनी को उपलब्ध मुक्त नकदी शामिल है। बाहरी कारकों में अर्थव्यवस्था की स्थिति, कंपनी पर लागू नियामक मानदण्ड तथा भारत सरकार या अन्य सांविधिक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश शामिल हैं। इन कारकों पर लाभांश की मात्रा का निर्णय करते समय विचार किया जाएगा।

11.0 प्रतिधारित आय के उपयोग का तरीका :

प्रतिधारित आय का उपयोग शेयरधारक की निधि को अधिकतम करने के लिए कंपनी की वृद्धि संभाव्यता हेतु मुख्यतः किया जाता है। कंपनी को प्रतिधारित आय के उपयोग हेतु निम्नलिखित कारकों पर विचार करना चाहिए :

1- कंपनी की अल्पावधि तथा दीर्घावधि योजनाएं

2- विविधीकरण अवसर

3- बोनस, पुनः खरीद आदि के संबंध में सरकारी दिशा-निर्देश

4- अन्य कोई मानदण्ड जिसे निदेशक मंडल उचित समझे।

12.0 शेयरों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अपनाए जाने वाले मानदण्ड :

लाभांश के भुगतान (घोषणा) का निर्णय कंपनी की वार्षिक आम बैठक में निदेशक मंडल/शेयरधारकों द्वारा लिया जाता है। इस निर्णय के अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) के प्रति शेयर पर लाभांश की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। चूंकि कंपनी के पास समान मताधिकार के साथ इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है, कंपनी के सभी सदस्य प्रतिशेयर लाभांश की समान राशि हेतु पात्र हैं।

13.0 अन्य प्रावधान :

नीति को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है और निदेशक मंडल के पास नीति में परिवर्तन करने का अधिकार है। नीति की समीक्षा प्रत्येक तीन वर्ष में अथवा समय-समय पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित अवधि में की जाएगी।

यदि देश के कानूनों में परिवर्तन के कारण इस नीति का कोई पृथक खंड ऐसे परिवर्तन का विरोधाभासी होता है, तो नीति को उस भाग पर लागू किया जाएगा जो लागू कानून से विरोधाभासी न हो।

इस प्रकार घोषित लाभांश की मात्रा किसी शेयरधारक को 0.50 रूपये से कम होने के मामले में शेयरधारक को 1/- रूपये का न्यूनतम लाभांश मिलेगा। इसके अतिरिक्त, लाभांश का भुगतान कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम तथा प्रारूप संशोधन नियमावली, 2014 के अनुसार लाभांश की राशि को पूर्णांक में परिवर्तित किए जाने के अधीन है।

14.0 शेयरधारकों को लाभांश वितरण नीति के संबंध में सूचित करना :

लाभांश वितरण नीति को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराया जाए और कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाए।

231 मेगावाट चमेरा-III पावर स्टेशन (हिमाचल प्रदेश) - बांध

अनुबंध - IX

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1)और कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुपालन में)

सेवा में,

सदस्यगण,

एनएचपीसी लिमिटेड,

मैंने **एनएचपीसी लिमिटेड** (जिसे एतदपश्चात "कंपनी" या ''एनएचपीसी'' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कारपोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवालयीन लेखापरीक्षा की है। सचिवालयीन लेखापरीक्षा को इस प्रकार से किया गया था कि उसने मुझे कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उस पर अपना मत व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया था।

सचिवालयीन लेखापरीक्षा के दौरान बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्ड़ों के मेरे सत्यापन और कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर मैं एतदद्वारा यह सूचित करता हूं कि मेरे मतानुसार कम्पनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका और एतदपश्चात सूचित करने के तरीके को नीचे दिया गया है :

मैनें एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्ड़ों का परीक्षण निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार किया है :

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
3. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियम;
4. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियम;
5. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशा-निर्देश -
   (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011;
   (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992;
   (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी का इश्यू तथा प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2009 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है);
   (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टाक खरीद योजना) दिशा-निर्देश, 1999 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है);
   (ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यू और ऋण प्रतिभूतियों की सूची) विनियम, 2008;
   (च) कम्पनी अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ कारोबार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (किसी इश्यू के रजिस्टर और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993;
   (छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीबद्ध करना) विनियम, 2009 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है);
   (ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 1998;
   (झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015
6. **मैं आगे सूचित करता हूं कि,** कंपनी में विद्यमान अनुपालन प्रणाली और उसके अनुपालन में संगत दस्तावेजों तथा रिकार्ड़ों की जांच के अनुपालन में परीक्षण जांच आधार पर कंपनी में विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों का पालन किया है जो प्रबंधन के अनुसार कंपनी पर विशिष्ट रूप से लागू होने वाली विधि हैं।

मैंने निम्नलिखित के लागू खंडों के साथ अनुपालन की भी जांच की है :

1. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और आम बैठकों (एसएस-2) के संबंध में सचिवालयीन मानक।
2. लोक उद्यम विभाग द्वारा अपने दिनांक 14 मई, 2010 के का.ज्ञा.संख्या 18(8)/2005-जीएम के माध्यम से जारी कारपोरेट अधिशासन दिशा-निर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने सामान्यतः ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमनों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है जो निम्नलिखित अभिमत के अधीन है :

निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) और कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1.4 के अनुपालन में नहीं है क्योंकि कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या मौजूद नहीं है।

कंपनी ने यह स्पष्ट किया है कि एक सरकारी कंपनी होने के चलते स्वतंत्र निदेशकों का नामांकन/नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और कंपनी ने

पहले ही विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के नामांकन हेतु अनुरोध किया है।

मैं आगे सूचित करता हूं कि, इससे पहले ऊपर उल्लिखित कारणों के मद्देनजर कम्पनी के निदेशक मंडल को कार्यपालक निदेशक, अकार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ गठित नहीं किया गया हैं। तथापि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था।

सामान्यतः सभी निदेशकों को बोर्ड बैठक तथा समिति बैठकों के कार्यक्रम का पर्याप्त नोटिस दिया जाता है। कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम 7 दिवस पहले भेजे जाते है और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर अतिरिक्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता हेतु एक तंत्र विद्यमान है।

बैठक के विधिवत रिकार्ड किए गए तथा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित कार्यवृत्त के अनुसार बोर्ड/समिति बैठकों के निर्णय सभी मामलों में एकमत से थे और कार्यवृत्त में कहीं परस्पर विरोधी मत नहीं थे।

मैं आगे सूचित करता हूं कि कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की समीक्षा और कंपनी के कंपनी सचिव द्वारा जारी तथा निदेशक मंडल द्वारा अपनी बैठकों में रिकार्ड पर लिए गए विधिक अनुपालन के प्रमाण-पत्रों के आधार पर, मेरा यह मत है कि लागू विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशा-निर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार तथा प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, मुझे यह सूचित किया गया है कि कंपनी ने विभिन्न सांविधिक/नियामक प्राधिकारियों द्वारा लगाई गई मांगों, दावों, शास्तियों आदि हेतु नोटिस का प्रतिउत्तर दिया है और लेखापरीक्षा अवधि के दौरान जहां-कहीं आवश्यक हो सुधारात्मक उपायों हेतु कार्रवाई प्रारंभ की है।

मैं आगे सूचित करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने 10/- रूपये प्रत्येक वाले 81,13,47,977 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद की है जो इसकी इक्विटी शेयर पूंजी का 7.33 प्रतिशत होता है और ऐसा अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और सेबी (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया है।

कृते पी.पी. अग्रवाल एण्ड कंपनी
कंपनी सचिव
यू.सी. सं. एस2012डीई174200

हस्ता./-
प्रमोद पी. अग्रवाल
प्रोप्राइटर
सीपी सं. 10566

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 23 जून, 2017

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो ''**अनुबंध-क**'' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

अनुबंध-क

सेवा में,

सदस्यगण

एनएचपीसी लिमिटेड

मेरी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1- सचिवालयीन रिकार्ड का रख-रखाव कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयीन रिकार्डों पर अपना मत व्यक्त करना है।

2- मैंने सचिवालयीन रिकार्डों की विषय-वस्तु की सत्यता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखापरीक्षा व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवालयीन रिकार्डों में सही तथ्यों को प्रदर्शित किया जा सके। मैं मानता हूं कि मेरे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों ने मेरे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया है।

3- मैंने लेखापरीक्षित तथा अनुमोदित वित्तीय विवरणों के आधार पर वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा बहियों की सटीकता तथा उचितता पर निर्भर किया है।

4- जहां-कहीं अपेक्षित हो मैनें विधियों, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

5- कारपोरेट तथा अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। मेरी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाविधियों के सत्यापन तक सीमित थी।

6- सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भविष्य की अर्थक्षमता का आश्वासन है और न ही उस प्रभाव अथवा प्रभावोत्पादकता की जिसके साथ प्रबंधन ने कम्पनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते पी.पी. अग्रवाल एण्ड कंपनी
कंपनी सचिव
यू.सी. सं. एस2012डीई174200
हस्ता./-
प्रमोद पी. अग्रवाल
प्रोप्राइटर
सीपी सं. 10566

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 जून, 2017

कनाडा के ओंटारियो में 4-12 अगस्त 2017 तक आयोजित 7 वें वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स 2017 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सुश्री अरुणाचलम नलिनी, उप प्रबंधक (वित्त), एनएचपीसी लिमिटेड को कनाडा से उनकी वापसी पर 17 अगस्त 2017 को सम्मानित करते एनएचपीसी के वरिष्ठ अधिकारीगण।

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक व तत्कालीन निदेशक (तकनीकी) श्री बलराज जोशी 15 फरवरी 2017 को चमेरा पावर स्टेशन-I, खैरी, हिमाचल प्रदेश में आयोजित 19वीं अंतर सीपीएसयू टेबल टेनिस टूर्नामेंट में विजेता टीम को ट्राफी प्रदान करते हुए।

एनएचपीसी लिमिटेड

वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अनुबंध - X

सेवा में सदस्यगण, एनएचपीसी लिमिटेड

एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने **एनएचपीसी लिमिटेड** (''कंपनी'') के संलग्न एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2017 के अनुसार तुलन-पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सार तथा अन्य विवरणात्मक जानकारी शामिल है (जिन्हें एतद्पश्चात ''एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण'' कहा गया है), की लेखापरीक्षा की है।

एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 133 में विहित भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय लेखांकन मानक) जिसे इसके अंतर्गत जारी संगत नियमों के साथ पढ़ा जाता है, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तनों की वास्तविक तथा उचित स्थिति को दर्शाने वाले एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रख-रखाव; उचित लेखांकन नीति के चयन तथा उपयोग; तर्कसंगत तथा विवेकसम्मत होने वाले निर्णयों तथा अनुमानों का उपयोग; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण भी शामिल है जो लेखांकन मानकों की सटीकता तथा पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, ऐसे एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुतिकरण हेतु संगत थे जो एक सही तथा वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करें और जो किसी भौतिक गलत बयानी से मुक्त हों चाहे धोखाधड़ी के कारण हों अथवा चूक के।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन तथा लेखापरीक्षा मानकों और अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने वाले मामलों को ध्यान में लिया है।

हमने एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन संबंधी मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिकतापूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और अपनी लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त है।

लेखापरीक्षा में परीक्षण के तौर पर एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल होता है। चयन की गई प्रक्रियाविधि लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन शामिल होता है, चाहे धोखाधड़ीवश हुआ हो या त्रुटिवश। उन जोखिम आंकलनों को करने में लेखापरीक्षक, परिस्थितियों में उचित होने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों को बनाने के लिए एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके उचित प्रस्तुतिकरण के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन, तथा साथ ही साथ एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारी एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा मत हेतु एक आधार मुहैया कराता है।

मत

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण अधिनियम में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2017 को भारतीय लेखांकन मानक सहित कंपनी की स्थिति (वित्तीय स्थिति), उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तनों का एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

बल दिये जाने वाले मामले

हम एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

क्रम सं.	मामला	प्रबंधन का उत्तर
(क)	एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 2.2 का पैरा 2 जो परियोजनाओं पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के लिए किए गए व्यय के संबंध में है, उसके लिए या तो परिणाम के संबंध में अनिश्चितता अथवा विभिन्न प्राधिकारियों के साथ स्वीकृति लम्बित होने के चलते अग्रेनीत किए जाने के कारण प्रावधान किया गया है।	(क) प्रबंधन के मतानुसार जिन परियोजनाओं पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण व्यय किया जा रहा है वे अभी सक्रिय हैं और तदनुसार, उन पर किए गए व्यय को अग्रेनीत किया जा रहा है तथापि, जहां-कहीं आवश्यक समझा गया हो बहियों में प्रावधान किया गया है।
(ख)	एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 22 का पैरा 1 जो बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों से व्यक्तिगत वेतन समायोजन (फिटमेंट लाभ) को रोकने के क्रियान्वयन के विरूद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थगन का वर्णन करता है।	(ख) एनएचपीसी अधिकारी एसोसिएशन ने वैयक्तिक वेतन समायोजन वसूली को रोकने के क्रियान्वयन के विरूद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया है। माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के मद्देनजर कर्मचारियों को वेतन के साथ वैयक्तिक वेतन समायोजन का भुगतान जारी है।
(ग)	एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34 पैरा 1, जो कंपनी द्वारा/इसके विरुध्द संविदाकारों तथा अन्य के प्रति/के द्वारा दायर दावों/अधिनिर्णय कार्यवाहियों तथा कानूनी मुकदमों के परिणाम के संबंध में अनिश्चितता का वर्णन करती है। कुछ मामलों में अधिनिर्णय का निर्णय कंपनी के विपरीत हुआ है/निचली अदालतों में कंपनी हार गई है और मामले को उच्चतर अदालतों में उठा रही है। प्रबंधन कंपनी के विरूध्द निर्णयों के संबंध में किसी संभावित बाह्य प्रवाह की परिकल्पना नही करता है सिवाए लेखा बहियों में पहले प्रावधान किए गए के।	(ग) उक्त पैरा में इस प्रकटीकरण को भारतीय लेखांकन मानक-37 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां) के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया है।
(घ)	एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 का पैरा 13 विभिन्न शेष के संबंध में है जो मिलान/पुष्टि तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है।	(घ) टिप्पणी के माध्यम से प्रकटीकरण तथ्यों का एक विवरण है।
(ङ)	एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 का पैरा 28 कोटलीभेल-1ए परियोजना के संबंध में है जिसका भविष्य भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अधिनिर्णय हेतु लम्बित है।	(ङ) टिप्पणी के माध्यम से प्रकटीकरण तथ्यों का एक विवरण है।

इन मामलों के संबंध में हमारा मत अर्हक नहीं है।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं की सूचना

1. केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) की शर्तो के अनुसार जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016, (''आदेश'') की अपेक्षा के अनुसार, हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 के अनुसार लागू होने तक की सीमा हेतु उसमें विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण ''अनुबंध-क'' में संलग्न किया है।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (5) के अनुसार परीक्षण किए जाने वाले क्षेत्रों को दर्शाने के लिए निदेश जारी किए हैं, जिनका अनुपालन ''अनुबंध-ख'' में दिया गया है।
3. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) के प्रावधानों के अंतर्गत हम सूचित करते है कि :
   क. हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किये, जो हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे;
   ख. हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखापरीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है;
   ग. इस रिपोर्ट से संबधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटियों में परिवर्तन का विवरण लेखा-बहियों के अनुरूप है;
   घ. हमारे मतानुसार, उक्त वर्णित एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 तथा इसके अंतर्गत जारी किए जाने वाले तत्संबंधी नियमों, जिन्हें इनके साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का पालन करते हैं;

ङ. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार निदेशकों की अपात्रता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में "अनुबंध-ग" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें; और

छ. कपंनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11, जिसे कपंनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियमावली, 2017 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारे मतानुसार और हमें दी गई श्रेष्ठ जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार :

1. कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति पर लम्बित याचिकाओं के प्रभाव को प्रकट किया है - देखें एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34 का पैरा 1;
2. कम्पनी की कोई व्युत्पन्न संविदाओं सहित ऐसी कोई दीर्घावधि संविदाएं नहीं हैं जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वानुमान वाली हानियां हों;
3. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि को अंतरित किया जाना अपेक्षित था।
4. कंपनी ने अपने एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में टिप्पणी 34 के पैरा 17 में 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के दौरान निर्दिष्ट बैंक नोट की धारिता तथा साथ ही साथ व्यवहार हेतु अपेक्षित प्रकटीकरण मुहैया करवाई है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया और प्रबंधन के प्रस्तुतिकरण के आधार पर हम सूचित करते हैं कि प्रकटीकरण कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों के अनुरूप है

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी	**कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045	फर्म पंजीकरण सं. 001728एन	फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(एस. के. खट्टर)	**(वासु गुप्ता)**	**(बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 084993	सदस्यता सं. 537545	सदस्यता सं. 051028

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2017

94.2 मेगावाट टनकपुर पावर स्टेशन (उत्तराखण्ड) - बैराज

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में ''अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं की सूचना'' शीर्ष के अंतर्गत उल्लिखित अनुबंध क

1. अचल परिसंपत्तियों के संदर्भ में :

(क) कम्पनी ने सामान्यतः उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें मात्रात्मक ब्यौरे तथा संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की अवस्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाए गए हैं।

क्रम सं.	मामला	प्रबंधन का उत्तर
1 (ख)	हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, सिवाय कुछ यूनिटों में भूमि के मामले में, का भौतिक सत्यापन प्रबंधन/बाहरी एजेंसियों द्वारा किया गया है। हमारे मतानुसार कंपनी के आकार और परिसंपत्तियों के स्वरूप को देखते हुए इस सत्यापन की आवधिकता तर्कसंगत है। हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन में लेखा बहियों की तुलना में कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई थी।	भूमि का भौतिक सत्यापन, जहां-कहीं लंबित हो, उसे वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किया जाएगा।
1 (ग)	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा हमारे कंपनी के रिकार्डों के परीक्षण के आधार पर अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर धारित हैं, सिवाय निम्नलिखित के :	कंपनी के पक्ष में लंबित होने वाले स्वामित्व विलेखों का संबंधित प्राधिकारियों के साथ अनुवर्तन किया जा रहा है।

मामलों की कुल संख्या	परिसंपत्ति का प्रकार	31.3.2017 के अनुसार सकल ब्लाक	31.3.2017 के अनुसार निवल ब्लाक	टिप्पणी
10	फ्रीहोल्ड भूमि	9.96 करोड़ रूपये	9.96 करोड़ रूपये	158.31 हेक्टेयर भूमि
10	पट्टाधारी भूमि	310.04 करोड़ रूपये	270.83 करोड़ रूपये	627.25 हेक्टेयर भूमि

2. वर्ष के दौरान प्रबंधन/बाहरी एजेंसियों द्वारा माल-सूची का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार ऐसे प्रमाणीकरण की आवृत्ति तर्कसंगत है। बही रिकार्डों की तुलना में ऐसी माल-सूची के भौतिक सत्यापन पर पाई गई कमियां भौतिक नहीं थी और उक्त के साथ लेखाबही में उचित व्यवहार किया गया है।

3. कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर होने वाली कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व भागीदारियों अथवा अन्य पक्षों को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किया है। अतः आदेश के खंड (3)(iii)(क),(ख) तथा (ग) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

4. हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी, और प्रतिभूति के संबंध में अधिनियम की धारा 185 तथा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

5. कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 अथवा अन्य किसी संगत प्रावधान, और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अर्थ के भीतर जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। 27 मई, 2017 को हुई कंपनी की एसीबी की बैठक के अनुपालन में दिनांक 29 मई, 2017 के पत्र संख्या एनएच/सीएस/433 के माध्यम से कारपोरेट कार्य मंत्रालय को एक अभ्यावेदन भेजकर कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 29.06.2016 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 639(ई) के लागू होने के संबंध में स्पष्टीकरण/छूट की जानकारी देने का अनुरोध किया गया है। प्रबंधन का यह मत है कि वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं के प्रावधान हेतु संविदा के निष्पादन के लिए सुरक्षा जमा को प्रतिधारण राशि के रूप में रखा जाता है और तदनुसार इसे कंपनी (जमा की स्वीकृति) संशोधन नियामवली, 2016 के संशोधित खण्ड(ग) के नियम 2 के उपनियम (1) के अनुसार मानद जमा न माना जाए। प्रबंधन ने बताया है कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय का मत उक्त के विपरीत होने पर वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु छूट प्रदान की जाए और उसके द्वारा तत्पश्चात अनुपालन का आश्वासन दिया गया है।

6. कंपनी ने अधिनियम की धारा 148(1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत लेखे तथा रिकार्डों को बनाया तथा अनुरक्षित किया है। तथापि, हमने इनकी सटीकता या पूर्णता के निर्धारण हेतु इन लेखों तथा रिकार्डों का विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

7. क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कम्पनी के रिकार्डों के आधार पर अविवादित सांविधिक देयों, जिसमें भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य-योजित कर उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय शामिल है, जिनके संबंध में लेखाबहियों में कटौती की गई/प्रोदभूत राशियां है, उन्हें सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करवाया जा रहा है। हमें यह सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी पर लागू नहीं होती है। हमे दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2017 को उक्त वर्णित सांविधिक देयों के संबंध में कोई राशि देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं है, सिवाय निम्नलिखित के :

सांविधि का नाम	राशि (करोड़ रू पये में)	विप्रेषण की निर्धारित तिथि	टिप्पणी
सेवा कर	0.40 (ब्याज सहित)	12.09.2014	शून्य
प्रवेश कर	0.14	त्वरित	उच्चतम न्यायालय निर्णय के मद्देनजर प्रावधान किया गया

(ख) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों के अनुसार किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए आय कर, बिक्री कर/वैट, सीमा शुल्क, सेवा कर, संपत्ति कर और उपभोग कर के देयों की राशि निम्नानुसार है :-

सांविधि का नाम	देयों की प्रकृति	राशि (करोड़ रूपये में)	जिस वर्ष से संबंधित है	फोरम जहां मामला लंबित है
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	1.27	2010-11	सीआईटी (ए), फरीदाबाद
		0.92	2011-12	सीआईटी (ए), फरीदाबाद
		7.15	2014-15	सीआईटी (ए), फरीदाबाद
बिक्री कर अधिनियम/वैट अधिनियम	बिक्री कर/वैट	266.77	1994-95	जम्मू एवं कश्मीर बिक्री कर अपीलीय अधिकरण
		5.26	2005-06 से 2009-10	सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, कुल्लू
		19.42	2004-05 से 2012-13	एसीएसटी पश्चिम बंगाल बिक्री कर विभाग
वित्त अधिनियम, 1996	सेवा कर	14.12	2010-11	सीबीईसी
		25.16	2012-13	सीटैट, कोलकाता
सीमा शुल्क अधिनियम, 1963	सीमा शुल्क	0.26	1986-87	कोलकाता उच्च न्यायालय
जम्मू एवं कश्मीर शहरी अचल संपत्ति कर अधिनियम, 1962	संपत्ति कर	0.19	1991-97, 1997-2002, 1989-2004, 1995-2004	बिक्री कर अधिकरण, जम्मू
उत्तराखंड राज्य सरकार	जल उपकर	34.73	2015-16	नैनीताल उच्च न्यायालय
उत्तराखंड राज्य सरकार	हरित ऊर्जा उपकर	20.17	2015-16	नैनीताल उच्च न्यायालय
पश्चिम बंगाल राज्य वस्तु उपभोग तथा उपयोग कर अधिनियम, 2001	उपभोग कर	0.06	2003-04, 2004-05, 2005-06	कोलकाता उच्च न्यायालय

8. लेखापरीक्षा के दौरान अपनायी गई प्रक्रिया और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या ऋण-पत्र धारकों को देयों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।
9. हमारे मत और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण उपकरणों तथा सावधि ऋण के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया है जिनके लिए उन्हें जुटाया गया था।
10. हमारी लेखा प्रक्रियाविधियों के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ, इसके अधिकारियों/कर्मचारियों सहित किसी व्यक्ति द्वारा किसी धोखाधड़ी को वर्ष के दौरान पाया अथवा सूचित नहीं किया गया है।
11. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के माध्यम से दी गई छूट के मद्देनजर प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की अनुसूची v के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
12. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
13. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों के परीक्षण के आधार पर संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार अधिनियम की धारा 177 तथा 188 के प्रावधानों के अनुपालन में है, जहां लागू हों, और ऐसे संव्यवहारों के विवरण को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है, जो लागू लेखांकन मानक द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार है।
14. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूर्णतः या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमानी आवंटन या निजी स्थापन नहीं किया है। अतः आदेश के खंड 3(xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
15. हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने इससे संबंधित निवेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी संव्यवहार नहीं किया है। अतः आदेश के खंड 3(xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
16. कपंनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के अंतर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045
(एस. के. खट्टर)
भागीदार
सदस्यता सं. 084993

कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 001728एन
(वासु गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 537545

कृते रे एण्ड रे
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(बरून कुमार घोष)
भागीदार
सदस्यता सं. 051028

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2017

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के शीर्ष "अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं" के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुबंध-ख

क्रम सं.	निदेश	उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास फ्रीहोल्ड तथा पट्टाधारी भूमि पर क्रमशः स्पष्ट स्वामित्व/पट्टा विलेख है ? यदि नहीं तो ऐसी फ्रीहोल्ड तथा पट्टाधारी भूमि का क्षेत्रफल बताइए जिसके लिए स्वामित्व/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	सभी फ्रीहोल्ड और पट्टाधारी भूमियों के स्पष्ट स्वामित्व/पट्टा विलेख मौजूद हैं सिवाय क्रमशः 158.31 और 627.25 हेक्टेयर के।
2.	क्या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की छूट/पश्च लेखन के कोई मामले हैं। यदि हां तो तत्संबंधी कारण और शामिल राशि बताएं।	ऐसा एक मामला है जहां वसूली योग्य 34,650/- रूपये की राशि का पश्च लेखन किया गया है।
3.	क्या तृतीय पक्षों के साथ पड़ी हुई माल-सूची और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रिकार्ड रखा गया है।	हमारे मतानुसार, कंपनी तृतीय पक्षों के साथ पड़ी हुई माल-सूची का उचित रिकार्ड रख रही है। सूचित किए अनुसार कंपनी को सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045
(एस. के. खट्टर)
भागीदार
सदस्यता सं. 084993

कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 001728एन
(वासु गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 537545

कृते रे एण्ड रे
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(बरून कुमार घोष)
भागीदार
सदस्यता सं. 051028

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2017

45 मेगावाट निम्मो बाजगो पावर स्टेशन (जम्मू व कश्मीर) - बांध

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के शीर्ष "अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं " के अंतर्गत पैराग्राफ 3(च) में संदर्भित अनुबंध-ग

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड(1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट

हमने **एनएचपीसी लिमिटेड** ("कंपनी ") की 31 मार्च, 2017 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है जो इसके व्यापार के व्यवस्थित तथा दक्ष चालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीति के साथ अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी तथा चूक को रोकना तथा पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता तथा पूर्णता और अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से प्रस्तुत करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों पर एक मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट ("परामर्शी नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार की है और इसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित माना गया है, जो दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों तथा परामर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिकतापूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन को प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया तथा बनाए रखा गया था और क्या ऐसा नियंत्रण सभी भौतिक संबंध में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहा था।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाविधियां निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की एक समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई भौतिक कमजोरी विद्यमान है, और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना शामिल है। चयन की गई प्रक्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी से हुई हो अथवा त्रुटि से, के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु आधार मुहैया करवाने के लिए पर्याप्त तथा उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और भारतीय लेखांकन मानकों (भारतीय लेखांकन मानक) सहित सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में एक तर्कसंगत आश्वासन मुहैया करवाने के लिए बनाया गया है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां तथा प्रक्रियाविधियां शामिल होती हैं जो कि (1) ऐसे रिकार्ड के अनुरक्षण से संबंधित होती हैं जिनमें तर्कसंगत रूप से ब्यौरे के साथ, सटीकता तथा उचित रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहार तथा स्थिति को दर्शाया गया हो; (2) इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन देती हो कि दर्ज किए गए संव्यवहार सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक हैं और कंपनी की प्राप्तियां तथा व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप ही किए गए हैं; और (3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव होने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत खरीद, उपयोग अथवा निपटान का समय से पता लगाने तथा रोकने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन मुहैया कराती हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाओं में, नियंत्रणों से ऊपर सांठ-गांठ या अनुचित प्रबधन की संभाव्यता, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानी हो सकना तथा जिसका पता नही भी चल सकता, शामिल है। साथ ही भविष्य की अवधियों हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थितियों में बदलाव, के चलते अपर्याप्त हो सकती है, अथवा नीतियों या प्रक्रियाविधियों के साथ अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

मत

हमारे मतानुसार कंपनी के पास सभी भौतिक पहलुओं के संबंध में एक पर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और यह वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च, 2017 को प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी, जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदण्ड पर आधारित है।

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी	**कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045	फर्म पंजीकरण सं. 001728एन	फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(एस. के. खट्टर)	**(वासु गुप्ता)**	**(बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 084993	सदस्यता सं. 537545	सदस्यता सं. 051028

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2017

31 मार्च, 2017 के अनुसार तुलन-पत्र

(करोड़ रूपए में)

		विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
		परिसंपत्तियां				
(1)		**गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां**				
	क)	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	2.1	20,038.58	20,482.47	20,242.95
	ख)	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	2.2	17,350.13	16,578.71	16,054.72
	ग)	निवेश संपत्ति	2.3	4.49	4.49	4.49
	घ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	2.4	934.14	816.94	783.52
	ङ)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**				
		i) निवेश	3.1	2,100.32	1,683.01	2,094.45
		ii) ऋण	3.2	360.96	342.60	337.67
		iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	3.3	1,863.83	1,909.47	1,900.72
	च)	गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	12.1	73.68	65.78	73.82
	छ)	अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	4	1,125.74	1,327.45	1,288.55
(2)		**वर्तमान परिसंपत्तियां**				
	क)	माल-सूची	5	91.64	84.00	82.73
	ख)	वित्तीय परिसंपत्तियां				
		i) निवेश	6	-	1.13	257.57
		ii) प्राप्य व्यापार	7	1,492.90	1,554.44	2,064.16
		iii) नकदी और नकदी तुल्य	8	59.89	1,194.39	185.69
		iv) नकदी तथा नकदी तुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	9	1,473.25	4,682.36	5,236.42
		v) ऋण	10	26.88	58.33	80.83
		vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	1,858.25	2,150.32	2,017.55
	ग)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	12.2	55.93	-	-
	घ)	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	492.17	279.55	187.52
		कुल परिसंपत्तिया		**49,402.78**	**53,215.44**	**52,893.36**
(3)		नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	14	2,904.32	2,181.28	1,630.38
		कुल परिसंपत्तियां और नियामक लेखा डेबिट शेष		**52,307.10**	**55,396.72**	**54,523.74**
		इक्विटी तथा देयताएं				
(1)		**इक्विटी**				
	क)	इक्विटी शेयर पूंजी	15.1	10,259.32	11,070.67	11,070.67
	ख)	अन्य इक्विटी	15.2	16,682.81	18,690.48	18,001.49
(2)		**देयताएं**				
		गैर-वर्तमान देयताएं				
	क)	**वित्तीय देयताएं**				
		i) ऋण	16.1	17,245.64	18,181.08	18,171.04
		ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.2	25.63	37.62	73.93
	ख)	प्रावधान	17	486.93	408.20	876.86
	ग)	विलंबित कर देयताएं (निवल)	18	938.49	861.93	819.88
	घ)	अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	19	1,472.47	1,384.13	1,225.55

31 मार्च, 2017 के अनुसार तुलन-पत्र (जारी...)

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
(3)	**वर्तमान देयताएं**				
क)	**वित्तीय देयताएं**				
	i) ऋण	20.1	302.50	-	-
	ii) देय व्यापार	20.2			
	सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय		4.28	1.23	0.06
	सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय		142.80	120.91	152.85
	iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20.3	2,500.99	2,599.93	2,407.46
ख)	अन्य वर्तमान देयताएं	21	755.29	670.84	624.94
ग)	प्रावधान	22	1,489.95	1,263.04	1,036.25
घ)	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23	-	106.66	62.76
	कुल इक्विटी तथा देयताएं		**52,307.10**	**55,396.72**	**54,523.74**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1			
	वर्ष के दौरान निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) जो प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का हिस्सा हो	32			
	वित्तीय लिखत तथा जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटीकरण	33			
	लेखे की अन्य विवरणात्मक टिप्पणियां	34			
	इंड एएस को पहली बार अपनाए जाने संबंधी प्रकटीकरण	35			
	टिप्पण 1 से 35 लेखे का अभिन्न भाग है				

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता	**महेश कुमार मित्तल**	**के.एम. सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 02889021	डीआईएन : 02223301

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी	**कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045	फर्म पंजीकरण सं. 001728एन	फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(एस. के. खट्टर)	**(वासु गुप्ता)**	**(बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 084993	सदस्यता सं. 537545	सदस्यता सं. 51028

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा विवरण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
आय			
i) सतत प्रचालनों से राजस्व	24	7,271.17	7,353.00
ii) अन्य आय	25	1,458.67	992.07
कुल आय		**8,729.84**	**8,345.07**
व्यय			
i) उत्पादन तथा अन्य व्यय	26	1,932.69	2,125.94
ii) कर्मचारी लाभ व्यय	27	1,574.92	1,158.36
iii) वित्त लागत	28	1,073.22	1,072.10
iv) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	29	1,388.40	1,359.07
कुल व्यय		**5,969.23**	**5,715.47**
असाधारण मदों, दर नियंत्रित क्रियाकलापों और कर से पूर्व लाभ		2,760.61	2,629.60
असाधारण मदें			
कर पूर्व लाभ		2,760.61	2,629.60
कर व्यय	30		
i) वर्तमान कर		706.56	744.97
ii) आय कर हेतु समायोजन		(116.99)	(23.67)
iii) विलंबित कर		89.44	29.31
कुल कर व्यय		**679.01**	**750.61**
वर्ष हेतु नियामक विलंबित लेखा शीर्ष में निवल संचलन से पूर्व लाभ		**2,081.60**	**1,878.99**
नियामक विलंब लेखा शेष में संचलन	31	713.99	550.90
नियामक विलंबित लेखे पर कर का प्रभाव			
नियामक विलंब लेखा शेष में संचलन (कर का निवल)		713.99	550.90
वर्ष हेतु लाभ और नियामक विलंब लेखा शेष में निवल संचलन		**2,795.59**	**2,429.89**
(क) सतत प्रचालनों से वर्ष हेतु लाभ	27	**2,795.59**	**2,429.89**
(ख) अन्य व्यापक आय			
(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि को पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
(क) निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनः मापन		(64.84)	36.85
घटाएं - निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर आय कर		(22.44)	12.75
घटाएं - नियामक विलंबित लेखे पर विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन		7.73	
नियामक विलंबित लेखे में संचलन शेष - निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनः मापन		9.05	
घटाएं - नियामक विलंबित लेखे पर कर का प्रभाव		-	
उप जोड़ (क)		**(41.08)**	**24.10**
(ख) इक्विटी लिखत में निवेश		34.79	(20.78)
घटाएं - इक्विटी लिखत में निवेश पर आय कर		-	-
उप जोड़ (ख)		**34.79**	**(20.78)**
कुल (i) = (क)+(ख)		**(6.29)**	**3.32**
(ii) मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि को पुनः वर्गीकृत किया जाएगा			
ऋण लिखत पर निवेश		15.78	(0.09)
घटाएं - ऋण लिखत में निवेश पर आय कर		1.82	(0.01)
कुल (ii)		**13.96**	**(0.08)**
अन्य व्यापक आय (ख) = (i+ii)		**7.67**	**3.24**
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय (क+ख)		**2,803.26**	**2,433.13**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा विवरण (जारी)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
नियामक विलंबित लेखा शीर्ष में संचलन से पूर्व प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, 10 रू पये प्रत्येक का अंकित मूल्य)			
मूल तथा तनुकृत		1.88	1.70
नियामक विलंबित लेखा शीर्ष में संचलन के पश्चात प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, 10 रू पये प्रत्येक का अंकित मूल्य)			
मूल तथा तनुकृत		2.53	2.19
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
वर्ष के दौरान निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) जो प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का हिस्सा हो	32		
वित्तीय लिखत तथा जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटीकरण	33		
लेखे की अन्य विवरणात्मक टिप्पणियां	34		
इंड एएस को पहली बार अपनाए जाने संबंधी प्रकटीकरण	35		
टिप्पण 1 से 35 लेखे का अभिन्न भाग है			

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता	**महेश कुमार मित्तल**	**के.एम. सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 02889021	डीआईएन : 02223301

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी	**कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045	फर्म पंजीकरण सं. 001728एन	फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(एस. के. खट्टर)	**(वासु गुप्ता)**	**(बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 084993	सदस्यता सं. 537545	सदस्यता सं. 51028

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	
क.	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन सहित वर्ष हेतु कर पूर्व लाभ		3,474.60		3,180.50
	घटाएं : नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन		713.99		550.90
	कर पूर्व लाभ		**2,760.61**		**2,629.60**
	जोड़े :				
	मूल्यह्रास	1,388.40		1,359.07	
	वित्त लागत (ईएसी का निवल)	1,073.22		1,072.10	
	प्रावधान (निवल हानि)	119.68		390.94	
	नियामक विलंबित लेखा शेष के प्रति व्यय (वित्त तथा मूल्यह्रास का निवल)	341.71		147.04	
	टैरिफ समायोजन (हानि)	94.83		109.78	
	एफईआरई के कारण बिक्री समायोजन	51.81		64.65	
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/पश्च लेखित दावे	2.16		2.20	
			3,071.81		3,145.78
			5,832.42		**5,775.38**
	घटाएं :				
	पश्च लेखित मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	60.68		50.17	
	प्रावधान (निवल लाभ)	44.92		41.53	
	निवेश की बिक्री पर निवल लाभ/हानि	6.54		13.17	
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि की वसूली	0.46		0.51	
	लाभांश आय	207.49		120.93	
	ब्याज आय	512.72		603.77	
	विनिमय दर अंतर	4.05		(1.14)	
	अन्य समायोजन	1.69		(3.14)	
			838.55		825.80
	प्रचालनशील परिसंपत्तियों तथा देयताओं के समायोजन से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों का नकदी प्रवाह		**4,993.87**		**4,949.58**
	प्रचालनशील परिसपंत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन				
	माल-सूची	(8.05)		(1.35)	
	प्राप्य व्यापार	54.85		381.88	
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	3,352.49		511.71	
	अन्य वित्तीय देयताएं एवं प्रावधान	512.25		(272.43)	
			3,911.54		619.81
	कर पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		**8,905.41**		**5,569.39**
	घटाएं : कर		760.07		669.37
	प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**8,145.34**		**4,900.02**
ख.	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (वर्ष हेतु प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का भाग होने वाले निर्माण पर आरोप्य व्यय सहित) - निवल		(1,496.41)		(2,061.40)

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
	नियामक विलंबित लेखा शेष में परिवर्तन	(341.71)	(147.04)
	निवेश/बॉण्ड हेतु वसूली/ (भुगतान)	(365.72)	651.01
	लाभांश आय	207.49	120.93
	ब्याज आय	566.25	637.15
	निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	**(1,430.10)**	**(799.35)**
ग.	**वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**		
	इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद (प्रीमियम भुगतान सहित)	(2,625.93)	-
	लाभांश और अदा किए गए लाभांश पर कर	(2,996.35)	(1,734.74)
	ऋण	2,502.00	1,774.92
	ऋण की चुकौती	(3,338.37)	(1,671.09)
	ब्याज तथा वित्त प्रभार	(1,391.09)	(1,461.06)
	वित्त-पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	**(7,849.74)**	**(3,091.97)**
घ.	**नकदी तथा नकदी तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)**	**(1,134.50)**	**1,008.70**
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी तुल्य	1,194.39	185.69
	वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य	59.89	1,194.39

नकदी प्रवाह के विवरण की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1 नकदी तथा नकदी तुल्य में हस्तगत नकदी, हस्तगत चेक/ड्राफ्ट तथा बैंक शेष शामिल है जिसमें तीन माह से कम के मूल परिपक्वता वाले अल्पावधि जमा को भी शामिल किया गया है। तुलन पत्र की टिप्पणी 8 के अनुसार नकदी तथा नकदी तुल्य का ब्यौरा निम्नवत है :

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
नकदी तथा नकदी-तुल्य	59.89	1,194.39

नकदी तथा नकदी तुल्य में 7.74 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 32.48 करोड़ रूपये) शामिल है जो अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों हेतु धारित हैं।

2. वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह में ब्याज तथा वित्त प्रभार में अवधि के दौरान निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) के कारण अवधि के दौरान पूंजीकृत 386.80 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 465.74 करोड़ रूपये) की ऋण लागत और अवधि के दौरान सृजित नियामक विलंब लेखे हेतु 365.32 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 396.22 करोड़ रूपये) की राशि शामिल है।

3. 31.3.2017 को लिए न गए ऋण की राशि - 66.28 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 433.28 करोड़ रूपये) का अधीनस्थ ऋण

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता	**महेश कुमार मित्तल**	**के.एम. सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 02889021	डीआईएन : 02223301

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी	**कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045	फर्म पंजीकरण सं. 001728एन	फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(एस. के. खट्टर)	**(वासु गुप्ता)**	**(बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 084993	सदस्यता सं. 537545	सदस्यता सं. 51028

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2017

31 मार्च, 2017 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ रू पए में)
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार	15.1	11,070.67
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		(811.35)
31 मार्च, 2017 के अनुसार	15.1	10,259.32

ख. अन्य इक्विटी

राशि (करोड़ रू पए में)

इक्विटी धारकों को आरोप्य	आरक्षित और अधिशेष								अन्य व्यापक आय		
	पूंजी मोचन आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉण्ड मोचन आरक्षित	स्व-बीमा निधि	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि	अनुसंधान एवं विकास निधि	सामान्य आरक्षित	अधिशेष/ प्रतिधारित अर्जन	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी लिखत	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखत	कुल
1 अप्रैल, 2016 को शेष	1,230.07	2,868.74	1,324.20	-	-	31.70	10,088.11	3,061.65	65.29	20.72	18,690.48
वर्ष हेतु लाभ	-	-	-	-	-	-	-	2,795.59	-	-	2,795.59
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	(41.08)	34.79	13.96	7.67
कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	2,754.51	34.79	13.96	2,803.26
प्रतिभूति प्रीमियम से अंतरित	811.35	(811.35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शेयरों की पुन: खरीद हेतु उपयोग	-	(1,805.25)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,805.25)
पुन: खरीद हेतु उपयोग	-	(9.33)	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.33)
व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
प्रतिधारित आय को अंतरित	-	-	(109.42)	-	-	-	-	109.42	-	-	-
प्रतिधारित अर्जन को अंतरण	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(2,524.13)	-	-	(2,524.13)
कारपोरेट लाभांश कर (सीडीटी)	-	-	-	-	-	-	-	(472.22)	-	-	(472.22)
बॉण्ड मोचन आरक्षित को अंतरण	-	-	394.49	-	-	-	-	(394.49)	-	-	-
स्व-बीमा निधि को अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुसंधान और विकास निधि को अंतरण	-	-	-	-	-	12.20	-	(12.20)	-	-	-
31 मार्च, 2017 को कुल	**2,041.42**	**242.81**	**1,609.27**	**-**	**-**	**43.90**	**10,088.11**	**2,522.54**	**100.08**	**34.68**	**16,682.81**

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से
महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 02889021

के.एम. सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02223301

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045

(एस. के. खट्टर)
भागीदार
सदस्यता सं. 084993

कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 001728एन

(वासु गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 537545

कृते रे एण्ड रे
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 301072ई

(बरुन कुमार घोष)
भागीदार
सदस्यता सं. 51028

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2017

31 मार्च, 2016 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ रू पए में)
1 अप्रैल, 2015 के अनुसार	15.1	11,070.67
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
31 मार्च, 2016 के अनुसार	15.1	11,070.67

ख. अन्य इक्विटी

राशि (करोड़ रू पए में)

इक्विटी धारकों को आरोप्य	आरक्षित और अधिशेष								अन्य व्यापक आय		
	पूंजी मोचन आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉण्ड मोचन आरक्षित	स्व-बीमा निधि	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि	अनुसंधान एवं विकास निधि	सामान्य आरक्षित	अधिशेष/ प्रतिधारित अर्जन	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी लिखत	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखत	कुल
1 अप्रैल, 2015 को शेष	1,230.07	2,868.74	1,247.89	835.94	13.33	21.79	9,252.17	2,415.29	86.07	30.20	18,001.49
वर्ष हेतु लाभ	-	-	-	-	-	-	-	2,429.89	-		2,429.89
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	24.10	(20.78)	(0.08)	3.24
कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	2,453.99	(20.78)	(0.08)	2,433.13
ओसीआई के माध्यम से इक्विटी लिखत पर प्राप्त लाभ का पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.40)	(9.40)
प्रतिधारित आय को अंतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बॉण्ड मोचन आरक्षित से पश्च लेखित राशि	-	-	(109.43)	-	-	-	-	109.43	-	-	-
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से पश्चलेखित राशि	-	-	-	-	(13.33)	-	-	13.33	-	-	-
लाभांश पर कर - पश्चातलेखित	-	-	-	-	-	-	-	24.08	-	-	24.08
स्व-बीमा निधि से प्रयुक्त राशि	-	-	-	(835.94)	-	-	835.94	-	-	-	-
प्रतिधारित अर्जन से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभांश (वित्तीय वर्ष 2014-15)	-	-	-	-	-	-	-	(442.83)	-	-	(442.83)
कारपोरेट लाभांश कर (सीडीटी) (वित्तीय वर्ष 2014-15)	-	-	-	-	-	-	-	(90.15)	-	-	(90.15)
लाभांश (अंतरिम 2015-16)	-	-	-	-	-	-	-	(1,018.50)	-	-	(1,018.50)
कारपोरेट लाभांश कर (सीडीटी) (अंतरिम 2015-16)	-	-	-	-	-	-	-	(207.34)	-	-	(207.34)
बॉण्ड मोचन आरक्षित को अंतरण	-	-	185.74	-	-	-	-	(185.74)	-	-	-
अनुसंधान और विकास निधि को अंतरण	-	-	-	-	-	9.91	-	(9.91)	-	-	-
31 मार्च, 2016 को कुल	**1,230.07**	**2,868.74**	**1,324.20**	**-**	**-**	**31.70**	**10,088.11**	**3,061.65**	**65.29**	**20.72**	**18,690.48**

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से
महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 02889021

के.एम. सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02223301

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 001728एन

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045

कृते रे एण्ड रे
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 301072ई

(वासु गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 537545

(एस. के. खट्टर)
भागीदार
सदस्यता सं. 084993

(बरून कुमार घोष)
भागीदार
सदस्यता सं. 51028

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2017

टिप्पणी संख्या - 1 : कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(I) रिपोर्टिंग निकाय

एनएचपीसी लिमिटेड (''कंपनी'') भारत में अधिवासित तथा शेयरों द्वारा सीमित एक कंपनी है। कंपनी के शेयर नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया तथा बीएसई लिमिटेड में सार्वजनिक रूप से खरीदे-बेचे जाते हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता एनएचीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा - 121003 है। कंपनी मुख्त: विद्युत उत्पादन और विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं को बल्क विद्युत की बिक्री में रत है। अन्य व्यापार में परामर्श मुहैया करवाना तथा परियोजना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण शामिल है।

(II) तैयार करने के आधार

(क) अनुपालन का कथन

इन वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133, [कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016] और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों, तथा लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विहित किए गए अनुसार भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुरूप लेखांकन के प्रोदभवन आधार पर तैयार किया गया है। ये कंपनी के पहले इंड एएस वित्तीय विवरण है और इंड एएस 101 ''भारतीय लेखांकन मानकों में पहली बार अपनाया जाना'' को लागू किया गया है।

31 मार्च, 2016 तक तथा इसके सहित सभी अवधियों हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों को भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी), कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत विहित लेखांकन मानकों, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित तथा लागू होने की सीमा तक) कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया है।

टिप्पणी 35 यह स्पष्ट करती है कि पूववर्ती जीएएपी से इंड एएस में परिवर्तन ने किस प्रकार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाहों को प्रभावित किया है।

(ख) मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परिपार्टी के अंतर्गत लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर तैयार किया गया है सिवाय निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं हेतु जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है :

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं को उचित मूल्य पर मापा गया है।
- निर्धारत कर्मचारी लाभ योजनाओं की योजनागत परिसंपत्तियां।

उचित मूल्यों के मापन हेतु प्रयुक्त पद्धतियों पर टिप्पणी 33 में चर्चा की गई है।

(ग) कार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय राष्ट्रीय रूपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किया गया है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। समूची वित्तीय सूचना को भारतीय राष्ट्रीय रूपये में प्रस्तुत किया है और निकटतम करोड़ रूपये (2 दशमलव तक) तक इसे पूर्णांकित किया गया है।

(घ) अनुमानों तथा प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन द्वारा ऐसे निर्णय, अनुमान तथा मान्यताओं को लेना अपेक्षित होता है जो लेखांकन नीति के अनुप्रयोग और तुलन-पत्र तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्यय तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं सहित संबंधित प्रकटीकरणों के सूचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हों। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में तर्कसंगत तथा विवेकसम्मत माने गए अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान तथा आधारभूत मान्यताओं की समीक्षा एक चालू आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिनमें अनुमानों को संशोधित किया जाए।

वित्तीय विवरणों की समझ में वृद्धि करने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमानों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता तथा महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में जानकारी जिसका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, उसे निम्नलिखित टिप्पणियों में शामिल किया गया है :

महत्वपूर्ण निर्णय तथा अनुमान

क) यह निर्धारित करना कि क्या किसी व्यवस्था में कोई पट्टा शामिल है

परिशिष्ट-ग, भारतीय लेखांकन मानक 17 ''यह निर्धारित करना कि क्या किसी व्यवस्था में कोई पट्टा शामिल है'' में इसका एक आकलन अपेक्षित होता है कि :

- व्यवस्था की पूर्ति किसी विशिष्ट परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के उपयोग पर निर्भर है; और
- व्यवस्था में परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, किसी व्यवस्था में परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार संप्रेषित होता है और यदि तथ्य तथा परिस्थितियां यह इंगित करें कि इसका अंदेशा है कि खरीददार के अतिरिक्त कोई एक या अधिक पक्ष उत्पादन अथवा व्यवस्था की अवधि के दौरान परिसंपत्ति द्वारा उत्पादित या उत्पन्न किसी अन्य उपयोगिता की एक नगण्य मात्रा से अधिक ले जाएंगे, और खरीददार द्वारा उत्पादन हेतु भुगतान किया जाने वाला मूल्य न तो उत्पादन के प्रति यूनिट पर संविदात्मक रूप से निर्धारित है और न ही उत्पादन की डिलीवरी के समय उत्पादन के प्रति यूनिट वर्तमान बाजार मूल्य के समान है।

कंपनी लाभग्राहियों के साथ विद्युत क्रय समझौते करती है। विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) किसी एकल लाभग्राही के साथ सन्निहित पट्टे की प्रकृति के होते हैं जहां न्यूनतम पट्टा अवधि संयंत्र के आर्थिक जीवनकाल के एक प्रमुख हिस्से हेतु होती है तथा न्यूनतम पट्टा भुगतान राशि संयंत्र के समूचे

उचित मूल्य को व्यापक रूप से कवर करने के लिए वित्त पट्टे के रूप में मानी जाती है। अन्य सन्निहित पट्टों को प्रचालन पट्टे माना जाता है।

वित्त पट्टे की प्रकृति वाले सन्निहित पट्टे में संयंत्र में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता दी जाती है। न्यूनतम पट्टा भुगतान की पहचान शेष संविदा राशियों में से निहित पट्टा भुगतान को पृथक करके की जाती है। प्रत्येक पट्टा रसीद को प्राप्य तथा वित्त पट्टा आय के मध्य आवंटित किया जाता है ताकि प्राप्य बकाया पट्टे पर प्रतिफल की एक स्थिर दर प्राप्त की जा सके।

प्रचालन पट्टों अथवा निहित प्रचालन पट्टों के मामले में प्रचालन पट्टे से पट्टा आय को पट्टा अवधि पर एक सीधी रेखा आधार पर राजस्व में मान्यता दी जाती है। संबंधित पट्टा परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन-पत्र में शामिल किया जाता है।

ख) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण का उपयोगी जीवनकाल

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण का उपयोगी जीवनकाल कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अप्रचलन के प्रभाव, मांग, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य आर्थिक कारक (जैसे कि उद्योग की स्थिरता तथा ज्ञात प्रौद्योगिकीय खोजें) और परिसंपत्ति से प्रत्याशित भविष्य के नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित रख-रखाव व्यय के स्तर शामिल होते हैं।

विद्युत के उत्पादन हेतु प्रयुक्त परिसपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के भाग-ख में यथा उल्लिखित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है सिवाय निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी और कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरणों हेतु जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II के अनुरूप हैं।

ग) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य की प्राप्ति योग्य राशि

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य की प्राप्ति योग्य राशि अनुमानों तथा मान्यताओं पर आधारित होती है, विशेष रूप से विद्युत संयंत्रों से संबद्ध प्रत्याशित बाजार परिदृश्य तथा भविष्य के नकदी प्रवाहों के मामले में। इन मान्यताओं में किसी परिवर्तन का प्राप्ति योग्य राशि के मापन में भौतिक प्रभाव होगा जो क्षति में परिणत होगा।

घ) सेवानिवृत्ति पश्च लाभ योजनाएं

कर्मचारी लाभ बाध्यताओं को बीमांकित मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु तथा छोड़ देने की दर और साथ ही साथ छूट दरों में भविष्य के घटनाक्रम, वेतन वृद्धि की दर, मुद्रा स्फीति दर और योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित दर संबंधी मान्यताएं शामिल हैं। कंपनी यह मानती है कि इसकी बाध्यताओं के मापन हेतु प्रयुक्त मान्यताएं उचित तथा प्रलेखित हैं। तथापि, इन मान्यताओं में किसी परिवर्तन का परिणामी गणनाओं पर प्रभाव हो सकता है।

ङ) राजस्व

कंपनी विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को भारतीय लेखांकन मानक 18 के सिद्धांतों के अनुसार सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर दर्ज करती है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां टैरिफ दरों को अभी अनुमोदित किया जाना है, लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों पर विचार करते हुए अनंतिम दरो को अपनाया जाता है।

च) प्रावधान तथा आकस्मिकताएं

प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं की मान्यता में किए गए आकलनों को भारतीय लेखांकन मानक 37 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों'' के अनुसार किया गया है। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन आर्थिक संसाधनों के संभाव्य प्रवाह के संबंध में प्रबंधन द्वारा लिए गए श्रेष्ठ निर्णय के आधार पर किया गया है। ऐसे अनुमानन अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बदल सकते हैं।

छ) दर विनियमित परिसंपत्तियों की प्राप्ति योग्य राशि

कंपनी के प्रचालन क्रियाकलाप सेवा की लागत विनियमों के अधीन है जिसके द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु प्रभारित टैरिफ ब्याज लागत, मूल्यह्रास, एक निर्धारित प्रतिफल सहित प्रचालन तथा अनुरक्षण जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होते हैं। आईसीएआई द्वारा जारी दर नियंत्रित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट (पिछला जीएएपी) और भारतीय लेखांकन मानक 114 ''नियामक विलंबित लेखे'' किसी निकाय को दर आधार में, स्व-निर्मित (मूर्त) अचल परिसंपत्तियों या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में, ऐसी राशियां शामिल करने की अनुमति देते हैं जिन्हें अन्यता भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती। कंपनी अनुमान लगाती है कि वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई नियामक विलंबित लेखे की मदें वर्तमान सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2014-19 के अनुसार हैं। तथापि, वर्तमान टैरिफ अवधि से परे सीईआरसी टैरिफ विनियमों में परिवर्तन ऐसे शेष की वसूल किए जाने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।

ज) प्राप्य व्यापार की क्षति

प्राप्य व्यापार हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्य मूल्य में क्षति अथवा प्राप्य व्यापारों की वसूली में विलंब के चलते राशि के समय मूल्य में हानि की परिकल्पना नहीं करती है, सिवाय पहले से प्रावधान किए गए की सीमा तक।

झ) संयुक्त उद्यमों में निवेश

निवेश लागत पर किया गया है और कंपनी के आकलन के अनुसार ऐसे निवेशों में क्षति का कोई संकेत नहीं है। मान्यता में किसी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि के मापन पर भौतिक प्रभाव हो सकता है।

ञ) प्राप्य बीमा दावा

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को क्षति के संबंध में बीमा दावे की प्राप्य राशि बीमा पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अनुमानों तथा मान्यताओं पर आधारित है।

(III) **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां -** समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार नीचे दिए गए अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सतत तरीके से लागू किया गया है।

1.0 संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई)

क) 31 मार्च, 2015 तक संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को तुलन-पत्र में भारतीय जीएएपी के अनुसार लिया गया है। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015 को) को मानद लागत के रूप में इन राशियों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 101 ''भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना'' द्वारा प्रदान की गई छूट को लेने का विकल्प चुना है।

ख) पीपीई की किसी मद को तब एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है यदि यह संभावना हो कि मद के साथ संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकेगा।

ग) पीपीई को प्रारंभ में जहां-कहीं अपेक्षित हो समाप्त किए जाने की लागत अथवा बाहरी लागत सहित अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर लिया जाता है। लागत में वह राशि शामिल होती है जो सीधे परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण पर आरोप्य हो। ऐसे मामलों में जहां संविदाकार के साथ बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, परन्तु परिसंपत्ति पूर्ण है तथा उपयोग हेतु उपलब्ध है, पूंजीकरण अनुमानित आधार पर आवश्यक समायोजनों के अधीन किया जाता है, जिसमें माध्यस्थम/अदालती मामलों के निपटान से उत्पन्न होने वाले भी शामिल हैं।

घ) विद्युत स्टेशन के मूल रूप से अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की पूर्णता पर पीपीई के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण पर किए गए व्यय जो विद्यमान परिसंपत्ति के वृद्धित जीवन और/अथवा दक्षता में परिणत होते हों, उन्हें संबंधित परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा जाता है। विद्यमान परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के रूप में अधिगृहीत पीपीई को पूंजीकृत किया जाता है और सक्रिय उपयोग से हटाई गई इसकी तदनुरूपी प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों को विमान्य किया जाता है।

ङ) प्रारंभिक मान्यता के पश्चात संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को संचित मूल्यह्रास/परिशोधन तथा संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, घटा लागत पर वहन किया जाता है।

च) कब्जे में होने वाली भूमि से संबंधित मुआवजे (निर्णय की तिथि तक अदालत द्वारा दिए गए वृद्धित मुआवजे पर ब्याज सहित), पुनर्वास और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं संबंधी व्यय सहित अन्य व्ययों के प्रति अनंतिम रूप से किए गए भुगतान/सृजित देयताओं को भूमि की लागत माना जाता है।

छ) कंपनी का नियंत्रण होने वाली परिसंपत्तियां, भले ही कंपनी का स्वामित्व न होने वाली भूमि पर सृजित की गई हों, संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अंतर्गत शामिल की जाती हैं।

ज) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के मान्यता मानदंड को पूरा करने वाले अतिरिक्त उपकरण तथा सेवा उपकरण को पूंजीकृत किया जाता है।

झ) मान्यता मानदण्ड को पूरा करने वाले कलपुर्जे (संयंत्र तथा मशीनरी के साथ अथवा बाद में खरीदे गए) को पूंजीकृत किया जाता है। उन कलपुर्जों की वहन राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया है, को विमान्य किया जाता है जब उनके उपयोग अथवा निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हों। माल-सूची का भाग होने वाले अन्य कलपुर्जों को ''भंडार तथा कलपुर्जे'' माना जाता है।

ञ) यदि प्रतिस्थापित पुर्जे की लागत या पहले का निरीक्षण उपलब्ध नहीं है तो समान नए पुर्जे की अनुमानित लागत/निरीक्षण को विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण घटक की लागत के एक संकेत के रूप में लिया जाता है, जब मद को अधिगृहीत किया गया हो या उसका निरीक्षण किया गया हो।

ट) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद को निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान से भविष्य का कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर विमान्य किया जाता है। परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाली किसी लाभ या हानि (जिसकी गणना परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्तियों तथा वहन राशि के मध्य अंतर के रूप में की जाती है) को परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

2.0 प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

क) 31 मार्च, 2015 तक प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य को तुलन-पत्र में भारतीय जीएएपी के अनुसार लिया गया था। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015 को) को मानद लागत के रूप में इन राशियों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 101 ''भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना'' द्वारा प्रदान की गई छूट को लेने का विकल्प चुना है।

ख) निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (परियोजना सहित) पर किए गए व्यय को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत लागत पर किया जाता है। ऐसी लागत में आयात शुल्क तथा अप्रतिदेय करों सहित परिसंपत्तियों का खरीद मूल्य (व्यापार छूट तथा अन्य छूट की कटौती के पश्चात), परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच क्रियाकलापों के संबंध में व्यय, स्थल तैयार किए जाने की लागत, प्रारंभिक डिलीवरी तथा हैण्डलिंग प्रभार, स्थापन तथा असेम्बली लागतें आदि शामिल होती हैं।

ग) लागतों में कर्मचारी लाभ, पेशेवर शुल्क, आम जन सुविधाओं के रख-रखाव तथा उन्नयन पर किया गया व्यय, परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, निर्माण के दौरान ब्याज तथा परिसंपत्ति को स्थल पर लाने तथा प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से प्रचालन करने हेतु समर्थ बनाने के लिए सीधे आरोप्य अन्य लागतों को ''निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी)'' के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा बाद में परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।

घ) सुविधाओं के सृजन पर किया गया पूंजीगत व्यय, जिन पर कंपनी का नियंत्रण नहीं है, परन्तु जिनका सृजन परियोजना के निर्माण हेतु सिद्धांततः आवश्यक है, उन्हें ''निर्माण को आरोप्य व्यय'' के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा ''प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य'' के अंतर्गत वहन किया जाता है और बाद में भारतीय लेखांकन मानक 16-''संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण'' में ''आरोप्यता'' और ''मापन की इकाई'' को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है। परियोजना की पूर्णता के पश्चात किया गया ऐसी प्रकृति का व्यय लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया जाता है।

3.0 निवेश संपत्ति

31 मार्च, 2015 तक निवेश संपत्ति को तुलन-पत्र में भारतीय जीएएपी के अनुसार लिया गया था। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015 को) को मानद लागत के रूप में इन राशियों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 101 ''भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना'' द्वारा प्रदान की गई छूट को लेने का विकल्प चुना है।

निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में संव्यवहार लागत सहित लागत तक मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, निवेश संपत्तियों को लागत पर घटा संचित मूल्यह्रास तथा संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, पर वहन किया जाता है।

निवेश संपत्तियों को निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान अथवा उपयोग से स्थायी रूप से हटा लिए जाने तथा उनके निपटान पर भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर विमान्य किया जाता है। परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्तियों तथा वहन राशि के मध्य अंतर को विमान्य किए जाने की अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

निवेश संपत्ति से अथवा उसे अंतरण केवल तब ही किया जाता है जब उपयोग में कोई परिवर्तन हो।

4.0 अमूर्त परिसंपत्तियां

क) 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसंपत्तियों को तुलन-पत्र में भारतीय जीएएपी के अनुसार लिया गया था। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015 को) को मानद लागत के रूप में इन राशियों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 101 ''भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना'' द्वारा प्रदान की गई छूट को लेने का विकल्प चुना है।

ख) अलग से अधिगृहीत की गई अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात अमूर्त परंसपत्तियों को किसी संचित परिशोधन तथा संचित हानियों से घटाई गई लागत पर वहन किया जाता है।

ग) राज्य सरकार से उपयोग हेतु ली गई भूमि (स्वामित्व के अंतरण के बिना) और राहत तथा पुनर्वास संबंधी व्यय तथा भू-वंचितों हेतु वैकल्पिक सुविधाओं के अथवा जलमग्न होने वाली विद्यमान सुविधाओं के एवज में सृजन तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के प्रयोजन हेतु भूमि के अधिग्रहण के लिए एक विशिष्ट पूर्व शर्त है, उन्हें उपयोग हेतु भूमि अधिकार के रूप में लेखांकित किया जाता है।

घ) आंतरिक उपयोग हेतु खरीदा गया सॉफ्टवेयर (संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग न होने वाला) अधिग्रहण की लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षति हानि, यदि कोई हो, पर बताया जाता है।

ङ) निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान से भविष्य में आर्थिक लाभ की प्रत्याशा न होने वाली अमूर्त परिसंपत्ति की किसी मद को विमान्य किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानियों को निवल निपटान प्राप्तियों तथा परिसंपत्ति की वहन राशि के मध्य अंतर के रूप में मापा जाता है और उसे परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

5.0 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

क) विदेशी मुद्रा में संव्यवहारक प्रारंभ में मान्यता हेतु पहले अर्हक होने वाली संव्यवहार की तिथि पर वित्तीय मुद्रा स्पॉट दर पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों को उस तिथि को विद्यमान क्रियात्मक मुद्रा विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

ख) 1 अप्रैल, 2004 से पूर्व किए गए संव्यवहार से उत्पन्न होने वाली अचल परिसंपत्तियों/प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के संबंध में विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य की वहन लागत पर समायोजित किया जाता है।

ग) 31 मार्च, 2016 से पूर्व विदेशी मुद्रा ऋण के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर जो सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार आगे की अवधियों में लाभार्थियों से प्राप्य अथवा उन्हें देय हैं, उन्हें ''विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव प्राप्य/देय लेखा'' के रूप में मान्यता दी जाती है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिससे इन्हें वसूल/अदा किया जाना है।

घ) 1.4.2016 को अथवा उसके पश्चात की गई विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों के निपटान/परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली विनिमय अंतरों को लाभार्थियों से प्राप्य अथवा उन्हें देय होने की सीमा तक निर्माण अवधि के दौरान ''नियामक विलंबित लेखा शेष'' के रूप में मान्यता दी जाती है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष में इन्हें लाभार्थियों से वसूल अथवा उन्हें अदा किया जाना है।

ङ) किसी विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के रूप में मापी गई गैर-मौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

6.0 विनियामक विलंबित लेखे

क) जहां परियोजना के निर्माण की अवधि के दौरान व्यय किए गए खर्चे की किसी मद को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अर्थात भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार संगत पीपीई के लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं होती, परन्तु फिर भी इसे सीईआरसी द्वारा भविष्य में टैरिफ के माध्यम से लाभार्थियों से वसूल किए जाने की अनुमति होती है, उक्त की वसूली के अधिकार को ''नियामक विलंबित लेखा शेष'' के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख) सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार आगे की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय होने की सीमा तक लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किए गए व्यय/आय को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार ''विनियामक विलंबित लेखा शीर्ष'' के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग) इन विनियामक विलंबित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिसमें ये लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय हैं।

घ) विनियामक विलंबित लेखा शेषों का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि निहित क्रियाकलाप मान्यता मानदण्ड को पूरा करते हों और यह संभावना हो कि ऐसे शेषों से संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ निकाय को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदण्ड पूरे नही होते हैं तो विनियामक विलंबित लेखा शेषों को विमान्य किया जाता है।

ङ) विनियामक विलंबित लेखा शेषों की प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर क्षति हेतु जांच की जाती है।

7.0 उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी मापन तिथि को बाजार प्रतिभागियों के मध्य एक व्यवस्थित लेन-देन में किसी परिसंपत्ति की बिक्री करने पर मिलेगा या किसी देयता के अंतरण पर अदा किया जाएगा। सामान्यतः प्रारंभिक मान्यता पर लेन-देन मूल्य उचित मूल्य का श्रेष्ठ उदाहरण होता है।

तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि लेन-देन मूल्य उचित मूल्य को प्रदर्शित नहीं करता, यह अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो परिस्थितियों में समुचित हों तथा जिसके लिए उचित मूल्य के मापन हेतु पर्याप्त डाटा उपलब्ध हो, जो संगत मापन योग्य आदानों के उपयोग को अधिकतम कर सके तथा मापन योग्य न होने वाले आदानों के उपयोग को न्यूनतम कर सके।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं जिसके लिए उचित मूल्य का मापन अथवा प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में किया गया है, उन्हें उचित मूल्य तंत्र के भीतर श्रेणीबद्ध किया गया है। यह श्रेणीकरण आदान के उस निम्नतम स्तर पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है-

- स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर-समायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तर आदान वह है जो उचित मूल्य मापन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखे जाने पर महत्वपूर्ण है।
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तर आदान जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है, मापा नही जा सकता।

  वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं जिन्हें आवृत्ति आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की जाती है, उनके लिए कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या अंतरण प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण के पुनः आकलन द्वारा क्रम में स्तरों के मध्य उत्पन्न हुए हैं अथवा नहीं।

8.0 अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों में निवेश को लागत पर वहन किया जाता है।

9.0 अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ-साथ नकदी, किसी अन्य निकाय की इक्विटी लिखत अथवा नकदी या अन्य कोई वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने की संविदात्मक बाध्यता अथवा वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता का आदान-प्रदान ऐसी स्थितियों के अंतर्गत् किया जाना शामिल होता है जो संभाव्य रूप से कंपनी के पक्ष में होती है। वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब ही मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है।

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकदी तथा नकदी तुल्य, बैंक शेष, कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों में निवेश के अतिरिक्त अन्य कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, प्राप्य व्यापार, कर्मचारियों/संविदाकारों को अग्रिम, सुरक्षा जमा, प्राप्य दावे आदि शामिल होते हैं।

क) वर्गीकरण

कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है -

- परिशोधित लागत पर,
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर, और

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है :

क) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु निकाय का व्यापार मॉडल और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताएं।

उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों हेतु लाभ तथा हानियां या तो लाभ एवं हानि के विवरण अथवा अन्य व्यापक आय में दर्ज की जाएंगी। ऋण लिखत में निवेश हेतु यह उस व्यापार मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश धारित है। इक्विटी लिखत में निवेश हेतु यह इस पर निर्भर करेगा कि क्या कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश हेतु लेखे को प्रारंभिक मान्यता के समय कोई वापिस न लिया जा सकने वाला चयन किया है।

ख) प्रारंभिक मान्यता और मापन

प्राप्य व्यापार के सिवाय सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की जाती है, साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज न किए जाने के मामले में वित्तीय परिसंपत्ति की खरीद पर आरोप्य होने वाली लेन-देन लागत पर मान्यता दी जाती है।

कंपनी अपने लेन-देन मूल्य पर प्राप्य व्यापारों को मापती है, यदि प्राप्य व्यापारों ने कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं हो तो।

ग) उत्तरवर्ती मापन

परिशोधित लागत पर ऋण लिखत

किसी ''ऋण लिखत''क को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों स्थितियां पूरी होती हों :

1) परिसंपत्ति एक ऐसे व्यापार मॉडल के मध्य भारित है जिसका उददेश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के एकत्रीकरण हेतु परिसंपत्तियों को धारित करना है, और

2) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं जो केवल बकाया मूलधन पर मूलधन तथा ब्याज का भुगतान (एसपीपीआई) हो।

प्रारंभिक मापन के पश्चात, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता हो। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआरईआर परिशोधन को लाभ तथा हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षति से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर ऋण लिखत

किसी ''ऋण लिखत'' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित में से दोनों मानदण्ड पूरे होते हों :

1) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के एकत्रीकरण तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों से प्राप्त होता हो, और

2) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई को प्रदर्शित करता हो।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत का मापन उनकी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्रदान की जाती है। तथापि, कंपनी ब्याज आय, क्षति हानियों, वापिसी और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता देती है। परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर ओसीआई में पहले मान्यता प्रदान किए गए संचित लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ तथा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को एफआईआर पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया जाता है।

इक्विटी निवेश

अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के अतिरिक्त निकायों में सभी इक्विटी निवेश को उचित मूल्य पर मापा जाता है। व्यापार हेतु धारित इक्विटी लिखत, यदि कोई हो, को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य भी इक्विटी लिखत हेतु, कंपनी उक्त को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत करती है। कंपनी लिखत-दर-लिखत आधार पर ऐसा चयन करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और इसे वापिस नहीं लिया जा सकता है।

इक्विटी लिखत में एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। लाभ एवं हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ तथा हानियों में आगे कोई पुनःवर्गीकरण नहीं होता है। तथापि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचित लाभ या हानि को अंतरित कर सकता है। ऐसे निवेश से लाभांश को लाभ एवं हानि विवरण में अन्य आय के रूप में तब मान्यता प्रदान की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी लिखत, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किए गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा गया हो।

घ) विमान्य किया जाना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब विमान्य किया जाता है जब :

1) कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के अपने अधिकार को अंतरित कर दिया है, अथवा

2) वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकारों को बनाए रखता है, परन्तु एक अथवा अधिक प्राप्तिकर्ताओं को नकदी प्रवाह के भुगतान की संविदात्मक बाध्यता ले लेता है।

जहां निकाय ने किसी परिसंपत्ति को अंतरित किया है, कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अंतरित कर दिया है या नहीं। ऐसे मामलों में वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है। जहां कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अंतरित नहीं किया है, वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य नहीं किया जाता है।

जहां कंपनी ने किसी वित्तीय परिसंपत्ति को न तो अंतरित किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अंतरित किया है, कंपनी द्वारा वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण न रखे जाने पर उस वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है। जहां कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण रखा है, परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में सतत भागीदारी की सीमा तक मान्यता प्रदान किया जाना जारी रहता है।

ङ) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हानि के मापन तथा मान्यता हेतु प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करती है -

1) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण लिखत हैं, और जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

2) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण लिखत हैं, और जिन्हें एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

3) भारतीय लेखांकन मानक 11, निर्माण संविदाएं के अंतर्गत संविदा परिसंपत्तियां

4) भारतीय लेखांकन मानक 17, पट्टे के अंतर्गत प्राप्य पट्टे

5) भारतीय लेखांकन मानक 18, राजस्व के अंतर्गत प्राप्य व्यापार

कंपनी भारतीय लेखांकन मानक 11, भारतीय लेखांकन मानक 17 और भारतीय लेखांकन मानक 18 के स्कोप के भीतर होने वाले संव्यवहारों से परिणत होने वाली संविदा परिसंपत्तियों, प्राप्य पट्टों तथा प्राप्य व्यापारों के संबंध में क्षति हानि अनुमेय की मान्यता हेतु इंड एएस 109 ''वित्तीय लिखत'' के अंतर्गत अनुमेय ''सरलीकृत पद्धति'' का पालन करती है, जिसमें प्रत्याशित जीवनकाल हानियों को प्राप्य की प्रारंभिक मान्यता से माना जाना अपेक्षित है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबध में क्षति हानि की मान्यता हेतु कंपनी यह आकलन करती है कि क्या प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। यदि ऋण जोखिम में अधिक वृद्धि नहीं हुई है, तो 12 माह के ईसीएल का उपयोग क्षति हानि मुहैया करवाने के लिए किया जाता है। तथापि, यदि ऋण जोखिम में अत्यधिक वृद्धि हुई है तो जीवन पर्यन्त ईसीएल का उपयोग किया जाता है। ऋण जोखिम तथा क्षति हानि में वृद्धि के आकलन हेतु कंपनी लिखत-दर-लिखत आधार पर ऋण जोखिम विशेषताओं का आकलन करती है। बाद की अवधि में यदि लिखत की

ऋण गुणवत्ता में ऐसा सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता दिए जाने से ऋण जोखिम में कोई अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है, तो निकाय 12 माह के ईसीएल के आधार पर क्षति हानि अनुमेय किए जाने को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु निकाय वापिस कार्रवाई करता है। अवधि हेतु प्रत्याशित ऋण हानि (या वापिसी) की राशि को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय/आय के रूप मे मान्यता प्रदान की जाती है।

10.0 माल-सूची

माल-सूची में मुख्यतः संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के रख-रखाव हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले भण्डार तथा कलपुर्जे शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत पर अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी), जो भी कम हो, किया जाता है। लागत का निर्धारण धारित लागत सूत्र का उपयोग करके किया जाता है और एनआरवी व्यापार के सामान्य चालन के दौरान अनुमानित बिक्री मूल्य, घटा बिक्री हेतु आवश्यक अनुमानित लागते हैं।

निवल वसूली योग्य मूल्य पर मालसूची को कम लिखे जाने और माल-सूची की सभी हानियों की राशि को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें ऐसा कम लिखा जाना या हानि उत्पन्न हुई हो। निवल वसूली योग्य मूल्य में वृद्धि से उत्पन्न होने वाली माल-सूची के कम लिखे गए मूल्य की वापिसी से उत्पन्न होने वाली किसी राशि को माल-सूची की राशि में से कमी के रूप में मान्यता देते हुए ऐसी वापिसी होने वाली अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

11.0 लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को अदा किए गए लाभांश तथा अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जब उन्हें क्रमशः कंपनी शेयरधारकों तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाए।

12.0 वित्तीय देयताएं

कंपनी की वित्तीय देयताएं किसी अन्य निकाय को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति देने अथवा कंपनी के लिए संभाव्य रूप से प्रतिकूल होने वाली शर्तों के अंतर्गत किसी अन्य निकाय के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के आदान-प्रदान की संविदात्मक बाध्यता है।

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण तथा उधार, व्यापार तथा अन्य देय शामिल हैं ।

क) वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता तथा मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा तथा लेन-देन लागतों पर देयताओं को उचित मूल्य घटा ऐसी संव्यवहार लागतों पर मान्यता दी जाती है जो सीधे आरोप्य हों तथा जिन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता हो। वित्तीय देयताओं को वर्गीकृत किया जाता है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। प्राप्तियों (संव्यवहार लागतों का निवल) और प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के मध्य किसी अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में अथवा किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में मान्यता प्रदान की जाती है यदि ऐसा अन्य कोई मानक इस प्रकार से ब्याज की प्रभावी दर का उपयोग करते हुए ऋणों की अवधि पर समावेशन की अनुमति देता हो।

ऋणों को वर्तमान देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह हेतु दायित्व के निपटान को निलंबित करने का कोई बिना शर्त अधिकार न हो।

ख) उत्तरवर्ती मापन

प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, वित्तीय देयताओं को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ तथा हानियों को किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में लाभ तथा हानि क विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है, यदि कोई अन्य मानक ऐसे समावेशन की अनुमति देता हो, जब देयताओं को विमान्य किया जाता है और साथ ही साथ ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया चलाई जाती है।

परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआरईआर परिशोधन को लाभ तथा हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ग) विमान्य करना

किसी वित्तीय देयता को तब विमान्य किया जाता है जब देयता के अंतर्गत बाध्यता का निर्वाहन अथवा निरस्तीरण या समाप्ति होती है। जब किसी विद्यमान वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से व्यापक भिन्न शर्तों पर किसी अन्य से प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा विद्यमान देयता की शर्तें व्यापक रूप से संशोधित की जाती हैं, ऐसे किसी विनिमय या संशोधन को मूल देयता का विमान्यकरण तथा नई देयता को मान्यता प्रदान किया जाना माना जाता है। संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

घ) वित्तीय लिखत का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का समायोजन किया जाता है और निवल राशि को तुलन-पत्र में सूचित किया जाता है यदि मान्यता प्रदान की गई राशियों के निपटान हेतु वर्तमान में लागू किया जा सकने वाला कोई विधिक अधिकार हो तथा निवल आधार पर निपटान की कोई मंशा परिसपंत्तियों को वसूल करने तथा साथ ही साथ देयताओं के निपटान की हो।

13.0 सरकारी अनुदान

क) ब्याज की बाजार दर से कम पर प्राप्त होने वाले सरकारी ऋण के लाभों को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है। ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है तथा मापा जाता है तथा सरकारी अनुदान को ऋण की प्रारंभिक मान्यता प्राप्त राशि तथा प्राप्त की गई प्राप्तियों के मध्य अंतर के रूप में मापा जाता है। बाद में ऋण को वित्तीय देयताओं पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है और सरकारी अनुदान को प्रारंभ में विलंबित आय तथा बाद में परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर एक व्यवस्थित आधार पर लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) पावर स्टेशनों की परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सरकार से प्राप्त मौद्रिक अनुदानों को विलंबित आय के रूप में मान्यता दी जाती है और इन्हें संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाता है।

14.0 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी की किसी विगत गतिविधि के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान विधिक या रचनात्मक बाध्यता हो और यह संभाव्य हो कि आर्थिक लाभ निहित होने वाले संसाधनों का बाहिर प्रवाह बाध्यताओं के निपटान हेतु अपेक्षित होगा और बाध्यता की राशि से एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है। ऐसे प्रावधानों का निर्धारण तुलन-पत्र तिथि को बाध्यता के निपटान हेतु अपेक्षित राशि के प्रबंधन के अनुमान के आधार पर किया जाता है। जब किसी तृतीय पक्ष से प्रावधान के निपटान हेतु अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभ वसूल किया जाना प्रत्याशित हो, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है यदि यह पूर्णतः निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति को प्राप्त किया जाएगा और प्राप्ति की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके। किसी प्रतिपूर्ति के निवल होने वाले प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में अथवा किसी अन्य मानक द्वारा ऐसे समावेशन की अनुमति होने पर परिसंपत्ति के वहन मूल्य में प्रस्तुत किया जाएगा।

ख) यदि राशि का समय मूल्य प्रभाव पूर्ण है, तो प्रावधानों का निर्धारण एक वर्तमान कर-पूर्व दर का उपयोग करते हुए प्रत्याशित भविष्य के नकदी प्रवाहों पर छूट देकर किया जाता है जो देयता के प्रति विशिष्ट होने वाले जोखिमों को प्रदर्शित करता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है तो समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

ग) आकस्मिक देयताएं ऐसी संभावित बाध्यताएं हैं जो पूर्व के किसी क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न होती हो और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नही है। जहां यह संभावना न हो कि आर्थिक लाभ का बाहिर प्रवाह अपेक्षित होगा, अथवा राशि का विश्वसनीयतापूर्ण ढंग से अनुमान न लगाया जा सके, बाध्यता को एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बाहिर प्रवाह की संभावना सुदूर हो। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

घ) आकस्मिक परिसंपत्तियां ऐसी संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पूर्व के किसी क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न होती हो और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नही है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में तब प्रकट किया जाता है जब आवधिक लाभों का अंतरवाह प्रबंधन के निर्णय के अनुसार संभाव्य है। उनका सतत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए आकलन किया जाता है कि इन घटना क्रमों को वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रदर्शित किया जाए।

15.0 राजस्व मान्यता और अन्य आय

क) राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिमों तथा पारितोषिक को क्रेता को अंतरित कर दिया गया हो, मूल्य की वसूली संभाव्य है, संबद्ध लागतों का विश्वसनीपूर्ण ढंग से अनुमान लगाया जा सकता है, कोई सतत प्रबंधन भागीदारी नहीं है और राजस्व की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है। विद्युत की बिक्री से राजस्व को प्राप्त या प्राप्य मूल्य के उचित माप पर मापा जाता है।

ख) विद्युत की बिक्री से राजस्व (सिवाय इन पावर स्टेशनों के जिन्हें वित्त/प्रचालन पट्टा माना गया है) को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार लेखांकित किया जाता है। ऐसे पावर स्टेशनों के मामले में जहा टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को कंपनी द्वारा उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए पैरामीटरो तथा पद्धति के आधार पर निकाली गई अनंतिम दरों पर मान्यता दी जाती है। उपभोक्ताओं को आवधिक तथा नियमित आधार पर बिल दिया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को विद्युत की बिक्री से राजस्व में उपभोक्ताओं को डिलीवर की गई किन्तु अभी बिल न भेजी गई बिक्री (बिल न किया गया राजस्व) हेतु एक प्रोदभवन शामिल होता है। लाभग्राहियों को जल्द भुगतान किए जाने के प्रोत्साहन के रूप में दी गई छूट की राजस्व की मात्रा में से कटौती की जाती है। विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा अंतर से धन वापिसी/प्रतिदाय और आयकर के प्रति प्राप्ति को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

ग) 31 मार्च, 2009 तक मान्यता प्रदान की गई विलंबित कर मदों के प्रति वसूली को वसूल किए जाने पर मूर्तरूप दिया जाता है।

घ) प्रोत्साहन/वि-प्रोत्साहन को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम के अनुसार मान्यता प्रदान की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशनों के मामले में जहां टैरिफ अधिसूचित नहीं किए गए हैं, प्रोत्साहन/वि-प्रोत्साहन को उक्त की स्वीकृति की संभावना के आकलन पर अनंतिम रूप से मान्यता प्रदान की जाती है।

ङ) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न होने वाले समायोजन, यद्यपि भौतिक न हो, उन्हें संबंधित अंतिम रूप दिए जाने के वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

च) 31 मार्च, 2009 तक विलंबित आय के रूप में माने गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी) को बिक्री में सीधी रेखा आधार पर परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 12 वर्ष की अवधि के पश्चात समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च, के बाद शेष उपयोगी जीवनकाल पर शामिल किया गया है, इसमें परियोजना के उपयोगी जीवनकाल को 35 वर्ष माना गया है।

छ) परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्य के संबंध में राजस्व को पूर्णता पद्धति के प्रतिशत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। पूर्णता के प्रतिशत का निर्धारण "रिपोर्टिंग तिथि तक वहन की गई लागत" के "संबंधित परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं तथा परामर्शी कार्य को पूरा करने के लिए अनुमानित लागत" के साथ अनुपात के रूप में निर्धारित की जाती है।

ज) लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब उक्त को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।

झ) उपभोक्ताओं से प्राप्य ब्याज/अधिभार तथा संविदाकारों को अग्रिम पर परिसमाप्त क्षतियां/ब्याज को तब मान्यता दी जाती है जब मापन तथा एकत्रीकरण के संबंध में कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद न हो।

ञ) परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए सभी ऋण लिखत हेतु ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो अनुमानित भविष्य के नकदी भुगतान या प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवनकाल के प्रति वित्तीय परिसंपत्ति के सकल वहन मूल्य को सटीक रूप से छूट देता है। प्रभावी ब्याज दर की गणना किए जाने के समय, कंपनी वित्तीय लिखत की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए पूर्व भुगतान, विस्तार, आमंत्रण तथा ऐसे अन्य विकल्प) पर विचार करते हुए प्रत्याशित

नकदी प्रवाह का अनुमान लगाती है पर प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को नहीं लेती। ब्याज आय को लाभ एवं हानि विवरण में अन्य आय में शामिल किया जाता है।

16.0 कर्मचारी लाभ

1) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ बाध्यताओं का मापन एक छूट रहित आधार पर किया जाता है और इनका व्यय या किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में तब शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक ऐसे समावेशन को अनुमेय करे क्योंकि संबंधित सेवा मुहैया करवाई जाती है।

अल्पावधि निष्पादन से संबंधित नकदी बोनस के अंतर्गत अदा किए जाने हेतु प्रत्याशित राशि के दायित्व को तब माना जाता है यदि कंपनी के कर्मचारी द्वारा पूर्व में प्रदान की गई सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने की वर्तमान में कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता हो और बाध्यता का अनुमान विश्वसनीय ढंग से लगाया जा सके।

2) निर्धारित अंशदान योजनाएं

कोई निर्धारित अंशदान योजना एक ऐसी रोजगार पश्च लाभ योजना है जिसके अंतर्गत कोई निकाय पृथक न्यासों में निर्धारित अंशदान का भुगतान करता है और उसकी आगे राशियों के भुगतान हेतु कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता नहीं होती। निर्धारित अशंदान योजनाओं को अंशदानों हेतु देयताओं को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति के वहन मूल्य में शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान ऐसे समावेशन को अनुमेय करता हो तो। किसी निर्धारित अशंदान योजना को अंशदान जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के अंत के पश्चात 12 माह से अधिक के लिए देय हैं, उन्हें छूट देकर उनके वर्तमान मूल्य पर लाया जाता है।

पेंशन लाभ तथा सामाजिक सुरक्षा योजना को अंशदान मुहैया करवाने के लिए कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस) को निर्धारित अंशदान योजना के रूप में लेखांकित किया जाता है।

3) निर्धारित लाभ योजनाएं

निर्धारित लाभ योजना किसी निर्धारित अंशदान योजना के अतिरिक्त कोई रोजगार पश्च लाभ योजना है। कंपनी की उपदान योजना, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस), भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और कर्मचारियों की अधिवर्षिता पर स्मृति चिन्ह निर्धारित लाभ योजनाओं की प्रकृति के हैं।

उपदान, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना और भविष्य निधि योजना के संबंध में तुलन-पत्र में मान्यता प्रदान की गई देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य घटा योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य है।

निर्धारित लाभ बाध्यता की गणना वार्षिक रूप से बीमांकक द्वारा प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है।

निर्धारित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संबंधित बाध्यता के संबंध में निकट आ रही अवधियों के लिए लगभग समान अवधि वाले सरकारी बॉण्ड के बाजार मूल्यों के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बाहिर प्रवाहों को छूट देकर किया जाता है।

निवल ब्याज लागत की गणना निर्धारित लाभ बाध्यता के निवल शेष और योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लगाकर की जाती है। इस लागत को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल किया जाता है अथवा किसी अन्य मानक के ऐसे समावेशन को अनुमेय करने पर किसी परिसंपत्ति के वहन मूल्य में शामिल किया जाता है।

अनुभव समायोजन तथा बीमांकित मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापन लाभ तथा हानियों को उनके घटित होने वाली अवधि में सीधे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में तथा तुलन-पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है।

4) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

कंपनी अवकाश नकदीकरण योजना के अंतर्गत लाभ में अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ शामिल होते हैं।

दीर्घावधिक कर्मचारी लाभों के संबंध में कंपनी की निवल बाध्यता भविष्य के लाभों की वह राशि है जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान तथा पूर्व की अवधि में अपनी सेवा के एवज में अर्जित किया है। लाभ को इसका वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और किसी संबंधित परिसंपत्ति के उचित मूल्य की कटौती की जाती है। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों के विद्यमान बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है जिनकी परिपक्वता तिथि कंपनी की बाध्यता की अवधि के निकट होती हैं। गणना प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है। योजना और बीमांकित लाभों या हानियों में अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक उनके उत्पन्न होने की अवधि में ऐसे समावेश को अनुमेय करते हों।

5) सेवांत लाभ

अनुग्रह राशि भुगतान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं में नोटिस वेतन के रूप में सीमांत लाभों पर किए गए व्यय को ऐसे व्यय को किए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया जाता है।

17.0 ऋण लागतें

अर्हक मूर्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन पर सीधे आरोप्य होने वाली ऋण लागतें जो आवश्यक रूप से अपने वांचित उपयोग या बिक्री हेतु एक महत्वपूर्ण समयावधि में तैयार होती हैं, उन्हें परिसंपत्ति की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी ऋण लागतों का व्यय उनके उत्पन्न होने की अवधि में किया जाता है। ऋण लागत में ब्याज तथा अन्य लागतें शामिल होती हैं जिन्हें कोई निकाय निधियों के ऋण के संबंध में व्यय करता है। ऋण लागत में ऋण लागतों के समायोजन के तौर पर मानी गई सीमा तक विनिमय अंतर शामिल होते हैं।

ऋण लागतों का पूंजीकरण तब समाप्त हो जाता है जब अर्हक मूर्त परिसंपत्तियों को उनके वांछित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए आवश्यक होने वाले सभी क्रियाकलाप व्यापक रूप से पूरे हो जाते हैं।

18.0 मूल्यह्रास तथा परिशोधन

क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई) से वर्ष के दौरान वर्धन/कटौतियों पर मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर उस तिथि से/तक के लिए प्रभारित किया जाता है जिसको परिसंपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध थी।

ख) कंपनी की प्रचालन यूनिटों की संपत्ति/संयंत्र तथा उपकरण पर मूल्यह्रास सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु अधिसूचित दरों तथा पद्धति का पालन करते हुए सीधी रेखा पद्धति पर लाभ तथा हानि के विवरण को प्रभारित किया जाता है सिवाय निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी और कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरणों हेतु।

ग) (1) कंपनी की प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (सिवाय पुराने तथा प्रयुक्त के) पर मूल्यह्रास लागत के 90 प्रतिशत की सीमा से सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु अधिसूचित दरो को अपनाते हुए प्रभारित किया जाता है सिवाय निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी और कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरणों हेतु।

(2) प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त, पीपीई के पुरानी तथा प्रयुक्त वस्तुओं पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक सीधी रेखा पद्धति पर परिसंपत्ति के तकनीकी आकलन के आधार पर निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर किया जाता है।

घ) पीपीई की निम्नलिखित मदों के संबंध में मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में दिए गए जीवन तथा अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है :

(1) निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी

(2) कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरण

ङ) अस्थायी संस्थापन को एक रूपया डब्ल्यूडीवी के रूप में रखते हुए खरीद/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

च) 5,000/- रूपये या उससे कम परन्तु 750/- रूपये से अधिक की होने वाली मूर्त परिसंपत्तियों को 1/- रूपये डब्ल्यूडीवी के साथ उपयोग हेतु उपलब्ध कराए गए वर्ष के दौरान पूर्णतःमूल्यह्रासित किया जाता है।

छ) निम्न मूल्य वाली मदें जो परिसंपत्ति की प्रकृति की होती हैं (अचल परिसंपत्तियों के अतिरिक्त) और जिनका मूल्य 750/- रूपये तक होता है, उन्हें पूंजीकृत नहीं किया जाता और उपयोग के वर्ष में राजस्व को प्रभारित किया जाता है।

ज) प्रचालन यूनिटों के मामले में पट्टाधारी भूमि को पट्टे की अवधि अथवा 35 वर्ष, जो भी कम हो, में सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के माध्यम से अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों को अपनाते हुए परिशोधित किया जाता है।

झ) प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त अन्य यूनिटों के मामले में पट्टाधारी भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

ञ) पट्टाधारी भूमि पर सृजित मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास उपयोग हेतु ऐसी परिसंपत्ति के उपलब्ध रहने की तिथि से संबंधित भूमि की शेष उपलब्ध पट्टा अवधि की मूल लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक अथवा ऐसा ऐसी परिसंपत्तियों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमनों द्वारा अधिसूचित लागू मूल्यह्रास दरों तथा पद्धति, जो भी अधिक हो, पर किया जाता है।

ट) भूमि - उपयोग के अधिकार का परिशोधन टैरिफ निर्धारण हेतु अधिसूचित सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 30 वर्ष की अवधि पर किया जाता है।

ठ) "अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में मान्यता प्रदान की गई सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति पर उपयोग के विधिक अधिकार की अवधि या 3 वित्तीय वर्ष, जो भी पहले हो, पर इसके अधिग्रहण के वर्ष से प्रारंभ करके किया जाता है।

ड) जहां विनिमय बदलाव, मूल्य समायोजन, माध्यस्थम/अदालती मामलों के निपटान, शुल्कों में परिवर्तन या समान कारकों से वर्ष के दौरान दीर्घावधि देयताओं में वृद्धि/कमी के कारण मूल्यह्रास वाली परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई परिवर्तन हुआ है, वहां ऐसी परिसपंतियों के अपरिशोधित शेष का मूल्यह्रास संदर्शी तौर पर ऐसी परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल में सीईआरसी टैरिफ विनियमनों द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दर तथा पद्धतियों पर किया जाएगा।

ढ) जहां किसी परिसंपत्ति का जीवनकाल/दक्षता में नवीकरण या आधुनिकीकरण के कारण वृद्धि होती है, उस पर किए गए व्यय को इसकी अपरिशोधित मूल्यह्रासित राशि के साथ संदर्शी रूप से तकनीकी आकलन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवनकाल पर प्रभारित किया जाता है।

ण) संयंत्र तथा मशीनरी के साथ या बाद में खरीद किए गए कलपुर्जे जिन्हें पूंजीकृत किया जाता है तथा ऐसी मद की वहन राशि में जोड़ा जाता है, उनका मूल्यह्रास संबंधित संयंत्र तथा मशीनरी के शेष उपयोगी जीवनकाल में सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों पर किया जाता है।

19.0 माल-सूची के अतिरिक्त गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

क. कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसका आकलन करती है कि क्या इसका कोई संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है, अथवा जब किसी परिसंपत्ति हेतु वार्षिक क्षति परीक्षण अपेक्षित होता है, कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पादन यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य घटा निपटान की लागतें तथा उपयोग में इसके मूल्य से अधिक होगी। वसूली योग्य राशि का निर्धारण एक पृथक परिसंपत्ति हेतु किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति से ऐसे नकदी प्रवाह न उत्पन्न हों जो मुख्यतः कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों से व्यापक रूप से स्वतंत्र है। जब किसी परिसंत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उससे उसकी वसूली योग्य राशि तक पश्चलेखित किया जाता है। परिणामी क्षति हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख. उपयोग में मूल्य के आकलन हेतु अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाहों को छूट देकर एक कर पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य तक लाया जाता है जो राशि के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलनों और परिसंपत्ति के विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करता है। निपटान की लागत घटा उचित मूल्य के निर्धारण में हाल के बाजार संव्यवहारों पर ध्यान दिया जाता है। यदि ऐसे किसी संव्यवहार की पहचान न की जा सके, तो एक उचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से व्यापार किए जाने वाली कंपनियों के उद्धृत शेयर मूल्य अथवा अन्य उपलब्ध उचित मूल्य सूचकांकों से पुष्ट किया जाता है।

ग. परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच पर व्यय के मामले में यदि ऐसी किसी परियोजना को सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के अंतर्गत परित्याग करने का निर्णय लिया जाता है ता उस पर किए गए व्यय को निर्णय लिए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया जाता है।

घ. सर्वेक्षण तथा जांच के अंतर्गत होने वाली कोई परियोजना समुचित प्राधिकारी के आदेश/अदालती आदेश की निषेधाज्ञा के चलते स्थगित रहे पर ऐसी परियोजनाओं पर आदेश/अदालत की निषेधाज्ञा की तिथि से किए गए किसी भी व्यय को ऐसे आदेश की तिथि से ऐसे आदेश/निषेधाज्ञा द्वारा परियोजना को स्थगित रखे जाने की अवधि तक लेखाबहियों में मुहैया करवाया जाएगा। तथापि, इस प्रकार किए गए प्रावधान को उक्त आदेश/निषेधाज्ञा के वापिस लिए जाने तक प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

ङ. पूर्व की अवधियों में मान्यता दी गई क्षति हानियों का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ऐसे किसी संकेत हेतु किया जाएगा कि हानि कम हो गई है अथवा अब मौजूद नहीं है। यदि वसूली योग्य राशि के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ हो क्षति हानि को वापिस किया जाता है। किसी क्षति हानि को केवल उस सीमा तक वापिस किया जाता है कि परिसंपत्तियों की वहन राशि ऐसी वहन राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसे मूल्यह्रास या परिशोधन के निवल पर किसी क्षति हानि को मान्यता न दिए जाने को दर्ज किया जाता।

20.0 आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान तथा विलंबित कर शामिल होते हैं। कर को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है सिवाय उस सीमा के जहां तक यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्रदान की गई मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में कर को भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

क) वर्तमान कर

1) वर्तमान कर रिपोर्टिंग तिथि को लागू होने वाले कर नियमों के आधार पर वर्ष हेतु कर योग्य आय पर देय प्रत्याशित कर तथा पिछले वर्षों में देय कर को करों के प्रति अन्य कोई समायोजन है। कर योग्य लाभ, एवं हानि के विवरण में यथासूचित लाभ से भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें आय या व्यय की वे मदें शामिल नहीं होती अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य है और आगे इसमें वे मदें भी शामिल नहीं होती जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं है (स्थायी अंतर)।

2) लाभांश के वितरण से उत्पन्न अतिरिक्त आयकर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब संबंधित लाभांश के भुगतान के दायित्व को माना जाता है।

ख) विलंबित कर

1) विलंबित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहन राशि के मध्य अस्थायी अंतर के रूप में मान्यता दी जाती है और कर योग्य लाभ की गणना में तदनुरूपी कर आधार का प्रयोग किया जाता है और तुलन-पत्र पद्धति का उपयोग करके लेखांकित किया जाता है। विलंबित कर देयताओं को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों, के रूप में मान्यता दी जाती है और विलंबित कर परिसंपत्तियों को सामान्यतः सभी कटौती-योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिट हेतु इस सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है कि यह संभव है कि भविष्य के कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य और अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों के प्रति उपलब्ध होंगे और अप्रयुक्त कर ऋणों का उपयोग किया जाएगा। ऐसी परिसंपत्तियों तथा देयताओं को तब मान्यता नहीं दी जाती है यदि किसी संव्यवहार में किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता (किसी व्यापार संयोजन के अतिरिक्त) से अस्थायी अंतर उत्पन्न होते हों जो संव्यवहार के समय न तो कर योग्य लाभ एवं हानि और न ही लेखांकन लाभ या हानि को प्रभावित करते हो।

2) विलंबित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक तुल-पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है और उसे इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नही है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके प्रति अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।

3) विलंबित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को ऐसी कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू किए जाने की प्रत्याशा हो जिसमें देयता का निपटान या परिसंपत्ति की वसूली की जाएगी, यह तुलन-पत्र तिथि द्वारा अधिनिगमित या व्यापक रूप से बनाई गई कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होगा। विलंबित कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों का मापन ऐसे कर परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी की प्रत्याशा वाले तरीके से रिपोर्टिंग तिथि को इसकी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहन राशि की वसूली या निपटान करेंगे।

4) विलंबित कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है सिवाय उस सीमा के जहां यह अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में इसे अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

5) विलंबित आयकर परिसंपत्तियों तथा देयताओं का निपटान वहां किया जाता है जहां वर्तमान कर परिसंपत्तियों का वर्तमान कर देयताओं से निपटान का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब विलंबित आयकर परिसपंत्तियां तथा देयताएं समान कराधान प्राधिकरण द्वारा या तो किसी एक करयोग्य निकाय अथवा विभिन्न करयोग्य निकायों पर लगाए गए आयकर से संबंधित हो तथा जहां निवल आधार पर शेषों के निपटान की मंशा हो।

6) समायोजन लेखे से विलंबित कर वसूली को वर्तमान अवधि हेतु विलंबित कर की सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाएगा जो आगे की अवधियों में वर्तमान कर का हिस्सा होता हो तथा टैरिफ के एक घटक इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) की गणना को प्रभावित करता हो।

21.0 तृतीय पक्षों से मुआवजा

मदों की क्षति या हानि, बीमा कंपिनियों सहित तृतीय पक्षों से मुआवजे के भुगतान हेतु संबंधित दावे और परिसंपत्तियों/माल-सूची की बाद की कोई खरीद या निर्माण पृथक आर्थिक घटनाएं हैं और इन्हें पृथक रूप से लेखांकित किया जाता है।

बीमा कंपनियों सहित तृतीय पक्षों से संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मदों और क्षतिग्रस्त, गुम या छोड़ी गई अन्य मदों हेतु मुआवजे को मुआवजा प्राप्य होने पर लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। लाभ की हानि हेतु बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

22.0 खंड रिपोर्टिंग

क) भारतीय लेखांकन मानक 108-प्रचालन खंड के अनुसार खंड सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए गए प्रचालन खंडों की पहचान कंपनी के प्रबंधन द्वारा आंतरिक रिपोर्टों के उपयोग के आधार पर खंडों को संसाधन के आवंटन तथा उनके निष्पादन हेतु चिन्हित करने के लिए की जाती है। निदेशक मंडल सामुहिक रूप से भारतीय लेखांकन मानक 108 के अर्थ के भीतर कंपनी का "मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता " अथवा "सीओडीएम" है।

ख) विद्युत उत्पादन कंपनी का प्रधान व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन यथा संविदाएं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य भारतीय लेखांकन मानक-108 "प्रचालन खंडों" के अनुसार सूचना योग्य खंड नहीं होते हैं।

ग) कंपनी का एक एकल भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर अवस्थित हैं।

23.0 पट्टे

क) कंपनी पट्टाधारक के रू प में :

1. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (मुख्यतः एकमुश्त प्रारंभिक भुगतान के माध्यम से अधिगृहीत की गई भूमि) के पट्टे जहां कंपनी पट्टाधारक है, तथा जिसमें स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा परितोषिक को व्यापक रूप से कवर किया गया है, उन्हें वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे वित्त पट्टे सामान्यतः पट्टे की संपत्ति के उचित मूल्य पर पट्टे के प्रारंभ में पूंजीकृत किए जाते हैं जो संव्यवहार मूल्य अर्थात एकमुश्त भुगतान के समान होता है।
2. पट्टे जिसमें जोखिम तथा पारितोषिक के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पट्टाधारक के रूप में कंपनी को अंतरित नहीं किया जाता वह प्रचालन पट्टा है। प्रचालन पट्टों के अंतर्गत किए गए भुगतान को पट्टे की अवधि में लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया जाता है।

ख) कंपनी पट्टादाता के रू प में

किसी एकल लाभग्राही के साथ निहित पट्टे की प्रकृति वाले विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) जहां न्यूनतम पट्टा अवधि संयंत्र के आर्थिक जीवनकाल के एक प्रमुख हिस्से हेतु होती है और न्यूनतम पट्टा भुगतान राशियां संयंत्र के समूचे उचित मूल्य को व्यापक ढंग से कवर करती हैं, उन्हें वित्त पट्टा माना जाता है। अन्य निहित पट्टों को प्रचालन पट्टे माना जाता है।

1. वित्त पट्टे की प्रकृति वाले निहित पट्टों हेतु संयंत्र में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। न्यूनतम पट्टा भुगतान की पहचान शेष संविदा राशियों से निहित पट्टा भुगतानों को अलग करके की जाती है जिसमें सीईआरसी टैरिफ विनियमों 2004-09 के अनुसार मान्यता प्रदान किए गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी) सहित शेष संविदा राशियां शामिल है और इन्हें विलंबित आय माना गया है। प्रत्येक पट्टा प्राप्ति को प्राप्य तथा वित्तीय पट्टे के मध्य आवंटित किया जाता है ताकि बकाया प्राप्य पट्टे पर एक स्थिर दर को प्राप्त किया जा सके।
2. प्रचालन पट्टों या निहित प्रचालन पट्टों के मामले में प्रचालन पट्टे से पट्टा आय को राजस्व में पट्टा अवधि पर पट्टे वाली परिसंपत्ति से प्राप्त उपयोग लाभ के पैटर्न को दर्शाने के लिए मान्यता प्रदान की गई है। संबंधित पट्टे वाली परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन-पत्र में शामिल किया जाता है तथा उनके आर्थिक जीवनकाल पर इनका मूल्यह्रास किया जाता है।

24.0 नकदी प्रवाह का विवरण

क) नकदी और नकदी-तुल्य

नकदी प्रवाहों के विवरण में प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन हेतु नकदी तथा नकदी-तुल्यों में हस्तगत नकदी, वित्तीय संस्थानों के साथ आमंत्रण पर धारित जमा, अन्य अल्पावधि अत्यधिक नकदी निवेश जिनकी मूल परिपक्वता 3 माह या उससे कम की हैं जो नकदी की ज्ञात राशियों में तत्काल परिवर्तनशील हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के कम महत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं तथा बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल है। तथापि, तुलन-पत्र प्रस्तुतीकरण हेतु बैंक ओवरड्राफ्ट को वर्तमान देयताओं के अंतर्गत ऋण में दर्शाया गया है।

ख) नकदी प्रवाह के विवरण को भारतीय लेखांकन मानक 7 "नकदी प्रवाहों के विवरण" में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है।

25.0 वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों तथा देयताओं को वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है।

क) कोई परिसंपत्ति तब वर्तमान है जब यह -

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्त किए जाने या बिक्री अथवा उपभोग किए जाने की मंशा प्रत्याशित है
- मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन हेतु धारित है
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा है, अथवा
- नकदी या नकदी तुल्य जब तक कि विनिमय किए जाने से प्रतिबंधित न हो अथवा रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह पश्चात किसी दायित्व के निपटान के लिए इन्हें लिया गया हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ख) **किसी देयता को तब वर्तमान माना जाता है जब वह**

- सामान्य प्रचालन चक्र में निपटान हेतु प्रत्याशित है
- इसे मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन हेतु धारित किया गया है
- यह रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर निपटाए जाने हेतु देय है, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह हेतु देयता के निपटान को विलंबित करने का एक बिना शर्त अधिकार है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ग) **विलंबित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को गैर वर्तमान परिसंपत्तियों तथा देयताओं के रू प में वर्गीकृत किया जाता है।**

26.0 विविध

क) समान मदों की प्रत्येक भौतिक श्रेणी को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति या कार्यवाही मदों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गैर-भौतिक न हो।

ख) मार्गस्थ वस्तुओं/निष्पादित पूंजीगत कार्यों किन्तु प्रमाणित नहीं के लिए देयताओं का प्रावधान कंपनी द्वारा निरीक्षण तथा स्वीकृति लम्बित होने पर नहीं किया जाता है।

(IV) हाल की लेखांकन घोषणाएं

(क) मानक जारी किंतु अभी प्रभावी नहीं

मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियमावली, 2017 जारी करके भारतीय लेखांकन मानक 7 "नकदी प्रवाह का विवरण" में संशोधनों को अधिसूचित किया था। ये संशोधन अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 "नकदी प्रवाह के विवरण" में किए गए हाल के संशोधनों के अनुरूप हैं । ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से कंपनी पर लागू होते हैं।

(ख) इंड एएस 7 में संशोधन :

इंड एएस 7 में संशोधन एक अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू करता है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्त-पोषण क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाली देयताओं में परिवर्तन के मूल्यांकन को समर्थ बनाएगा, जिसमें नकदी प्रवाह तथा गैर-नकदी परिवर्तन दोनों से उत्पन्न परिवर्तन शामिल हैं, और यह प्रकटीकरण आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्त-पोषण क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाली देयताओं हेतु तुलन-पत्र में प्रारंभिक तथा अंतिम शेष के मध्य एक मिलान शामिल किए जाने को सुझाता है।

कंपनी इस संशोधन की आवश्यकताओं और वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता	**महेश कुमार मित्तल**	**के.एम. सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 02889021	डीआईएन : 02223301

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी	**कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045	फर्म पंजीकरण सं. 001728एन	फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(एस. के. खट्टर)	**(वासु गुप्ता)**	**(बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 084993	सदस्यता सं. 537545	सदस्यता सं. 51028

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2017

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(करोड़ रूपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2016 को	संवर्द्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2017 को	01.04.2016 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2017 को	31.03.2017 को	31.03.2016 को
भूमि-फ्रीहोल्ड	288.54	21.32	-	(1.82)	308.04	-	-	-	-	308.04	288.54
भूमि-लीजहोल्ड	318.24	8.92	-	-	327.16	11.57	11.80	-	23.37	303.79	306.67
सड़कें और पुल	203.45	9.99	-	(0.15)	213.29	7.23	10.36	(0.20)	17.39	195.90	196.22
भवन	1,945.70	43.02	1.02	1.30	1,989.00	85.13	90.68	(2.73)	173.08	1,815.92	1,860.57
रेलवे साइडिंग्स	15.95	0.62	-	-	16.57	2.45	2.48	-	4.93	11.64	13.50
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	12,581.24	102.16	0.72	(11.12)	12,671.56	815.84	818.08	(2.68)	1,631.24	11,040.32	11,765.40
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	6,167.96	682.24	7.23	19.91	6,862.88	411.00	427.11	(1.02)	837.09	6,025.79	5,756.96
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	41.59	4.85	0.02	2.76	49.18	3.16	3.08	(0.07)	6.17	43.01	38.43
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	40.86	22.37	0.01	2.00	65.22	3.60	4.24	(0.01)	7.83	57.39	37.26
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	31.52	1.06	0.01	(0.37)	32.20	2.69	2.94	0.04	5.67	26.53	28.83
निर्माण उपकरण	41.19	7.38	0.34	-	48.23	5.25	5.24	(0.03)	10.46	37.77	35.94
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	36.72	5.79	0.01	(0.01)	42.49	2.07	2.55	(0.07)	4.55	37.94	34.65
विद्युतीय संस्थापनाएं	2.14	0.10	0.01	-	2.23	0.12	0.19	-	0.31	1.92	2.02
वाहन	14.67	6.87	0.31	(0.10)	21.13	1.35	2.40	(0.19)	3.56	17.57	13.32
विमान/नौकाएं	0.66	0.12	-	-	0.78	0.06	0.11	(0.01)	0.16	0.62	0.60
फर्नीचर और फिक्सचर	25.84	5.16	0.24	(0.02)	30.74	2.07	2.78	(0.06)	4.79	25.95	23.77
कम्प्यूटर	21.24	6.64	0.44	(0.02)	27.42	5.07	6.55	(0.12)	11.50	15.92	16.17
संचार उपकरण	9.19	1.43	0.44	(0.02)	10.16	0.87	1.20	(0.15)	1.92	8.24	8.32
कार्यालय उपकरण	25.79	6.36	0.35	0.17	31.97	2.50	2.94	(0.29)	5.15	26.82	23.29
अनुसंधान और विकास	0.72	-	-	-	0.72	0.08	0.08	-	0.16	0.56	0.64
अन्य परिसंपत्तिया	34.30	9.75	0.39	0.02	43.68	2.95	4.01	(0.20)	6.76	36.92	31.35
गौण मूल्य की अचल परिसंपत्तिया >750 और <5000 रूपये।	0.71	1.66	0.03	(0.01)	2.33	0.69	1.66	(0.04)	2.31	0.02	0.02
कुल	**21,848.22**	**947.81**	**11.57**	**12.52**	**22,796.98**	**1,365.75**	**1,400.48**	**(7.83)**	**2,758.40**	**20,038.58**	**20,482.47**
गत वर्ष 31.03.2016	**20,242.95**	**1,622.88**	**33.33**	**15.72**	**21,848.22**	**-**	**1,373.48**	**(7.73)**	**1,365.75**	**20,482.47**	**20,242.95**

टिप्पणी : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास इस टिप्पणी के अनुबंध- I में मुहैया करवाए गए अनुसार है। अन्य विवरणात्मक टिप्पणियों हेतु इन्हें टिप्पणी 2.1 के अनुबंध- I में बताया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध- I संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(करोड़ रूपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2016 को	संवर्द्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2017 को	01.04.2016 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2017 को	31.03.2017 को	31.03.2016 को
भूमि-फ्रीहोल्ड	288.54	21.32	-	(1.82)	308.04	-	-	-	-	308.04	288.54
भूमि-लीजहोल्ड	361.59	8.92	-	-	370.51	54.92	11.80	-	66.72	303.79	306.67
सड़कें और पुल	300.64	9.99	-	(0.15)	310.48	104.42	10.36	(0.20)	114.58	195.90	196.22
भवन	2,688.97	43.02	1.26	1.30	2,732.03	828.40	90.68	(2.97)	916.11	1,815.92	1,860.57
रेलवे साइडिंग्स	35.50	0.62	-	-	36.12	22.00	2.48	-	24.48	11.64	13.50
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	18,391.64	102.16	0.88	(11.12)	18,481.80	6,626.24	818.08	(2.84)	7,441.48	11,040.32	11,765.40
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	9,156.27	682.24	9.56	19.91	9,848.86	3,399.31	427.11	(3.35)	3,823.07	6,025.79	5,756.96
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	93.41	4.85	0.14	2.76	100.88	54.98	3.08	(0.19)	57.87	43.01	38.43
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	68.29	22.37	0.04	2.00	92.62	31.03	4.24	(0.04)	35.23	57.39	37.26
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	48.57	1.06	0.07	(0.37)	49.19	19.74	2.94	(0.02)	22.66	26.53	28.83
निर्माण उपकरण	106.41	7.38	3.40	-	110.39	70.47	5.24	(3.09)	72.62	37.77	35.94
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	46.69	5.79	0.01	(0.01)	52.46	12.04	2.55	(0.07)	14.52	37.94	34.65
विद्युतीय संस्थापनाएं	3.46	0.10	0.01	-	3.55	1.44	0.19	-	1.63	1.92	2.02
वाहन	29.09	6.87	1.39	(0.10)	34.47	15.77	2.40	(1.27)	16.90	17.57	13.32
विमान/नौकाएं	0.94	0.12	0.02	-	1.04	0.34	0.11	(0.03)	0.42	0.62	0.60
फर्नीचर और फिक्सचर	51.79	5.16	0.61	(0.02)	56.32	28.02	2.78	(0.43)	30.37	25.95	23.77
कम्प्यूटर	65.89	6.64	6.78	(0.02)	65.73	49.72	6.55	(6.46)	49.81	15.92	16.17
संचार उपकरण	16.34	1.43	0.85	(0.02)	16.90	8.02	1.20	(0.56)	8.66	8.24	8.32
कार्यालय उपकरण	47.01	6.36	0.91	0.17	52.63	23.72	2.94	(0.85)	25.81	26.82	23.29
अनुसंधान और विकास	1.35	-	-	-	1.35	0.71	0.08	-	0.79	0.56	0.64
अन्य परिसंपत्तिया	59.10	9.75	0.82	0.02	68.05	27.75	4.01	(0.63)	31.13	36.92	31.35
गौण मूल्य की अचल परिसंपत्तिया >750 और <5000 रूपये।	17.07	1.66	0.72	(0.01)	18.00	17.05	1.66	(0.73)	17.98	0.02	0.02
कुल	**31,878.56**	**947.81**	**27.47**	**12.52**	**32,811.42**	**11,396.09**	**1,400.48**	**(23.73)**	**12,772.84**	**20,038.58**	**20,482.47**
गत वर्ष 31.03.2016	**30,291.22**	**1,622.88**	**51.26**	**15.72**	**31,878.56**	**10,048.27**	**1,373.48**	**(25.66)**	**11,396.09**	**20,482.47**	**20,242.95**

विवरणात्मक टिप्पणी: -

1) 9.96 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 13.37 करोड़ रूपए) मूल्य की 158.31 हैक्टेयर फ्रीहोल्ड भूमि (पिछले वर्ष 155.69 हैक्टेयर) और 310.14 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 297.34 करोड़ रुपये) मूल्य की 627.25 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 766.20 हेक्टेयर) लीजहोल्ड भूमि के संदर्भ में विलेख/अधिकार पत्र अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।

2) भूमि - लीजहोल्ड भूमि के अंतर्गत सुबानसिरी अपर परियोजना के लिए 1 रुपये प्रति वर्ष के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई 7.83 हैक्टेयर भूमि शामिल है।

3) फ्रीहोल्ड भूमि में लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एचडीएचसीएल) (एनएचपीसी और मणिपुर सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) द्वारा 100 रूपए प्रतिवर्ष के किराए पर उपयोग की जा रही आठ हैक्टेयर भूमि शामिल है जिसके लिए एनएचपीसी तथा एचडीएचसीएल के मध्य एक पट्टा समझौता किया गया है।

4) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 6299.38 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6293.18 करोड़ रुपये) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अतर्गत दर्शाया गया है।

5) सकल ब्लाक में समायोजन में विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभारित तथा पूंजीकृत मूल्यह्रास शामिल है।

6) सेवा- II, चमेरा- III, तीस्ता लो डैम- III, उड़ी और पार्बती- III पावर स्टेशन के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन पावर स्टेशनों पर वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।

7) संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34 का पैरा 9 देखें।

8) परिसंपत्तियों के समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन निम्नानुसार है :-

परिसंपत्तियों की श्रेणी	**31.03.2017 के अनुसार (करोड़ रुपये में)**	**31.03.2016 के अनुसार (करोड़ रुपये में)**
सड़के और पुल	(0.16)	0.15
भवन	(1.50)	1.77
जल वैज्ञानिक कार्य	(11.12)	16.61
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	(2.79)	3.77
संयंत्र एवं मशीनरी सबस्टेशन	(0.02)	0.02
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी एवं सीवर प्रणाली	(0.01)	0.01
कुल	**(15.60)**	**22.23**

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(करोड़ रूपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2015 को	संवर्द्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2016 को	01.04.2015 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2016 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
भूमि-फ्रीहोल्ड	268.97	35.50	14.95	(0.98)	288.54	-	-	-	-	288.54	268.97
भूमि-लीजहोल्ड	317.48	0.77	0.01	-	318.24	-	11.53	0.04	11.57	306.67	317.48
सड़कें और पुल	197.85	6.29	-	(0.69)	203.45	-	8.02	(0.79)	7.23	196.22	197.85
भवन	1,754.28	193.73	0.22	(2.09)	1,945.70	-	89.88	(4.75)	85.13	1,860.57	1,754.28
रेलवे साइडिंग्स	17.45	-	1.50	-	15.95	-	2.45	-	2.45	13.50	17.45
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	11,596.89	970.94	3.01	16.42	12,581.24	-	815.40	0.44	815.84	11,765.40	11,596.89
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	5,795.73	374.93	8.64	5.94	6,167.96	-	410.77	0.23	411.00	5,756.96	5,795.73
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	40.16	1.67	0.25	0.01	41.59	-	3.16	-	3.16	38.43	40.16
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	40.44	0.67	0.04	(0.21)	40.86	-	3.82	(0.22)	3.60	37.26	40.44
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	29.88	1.86	0.08	(0.14)	31.52	-	2.81	(0.12)	2.69	28.83	29.88
निर्माण उपकरण	35.81	6.02	0.78	0.14	41.19	-	5.11	0.14	5.25	35.94	35.81
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	33.44	3.47	0.04	(0.15)	36.72	-	2.31	(0.24)	2.07	34.65	33.44
विद्युतीय संस्थापनाएं	2.25	0.01	0.05	(0.07)	2.14	-	0.18	(0.06)	0.12	2.02	2.25
वाहन	11.91	3.28	0.32	(0.20)	14.67	-	1.54	(0.19)	1.35	13.32	11.91
विमान/नौकाएं	0.59	0.07	-	-	0.66	-	0.06	-	0.06	0.60	0.59
फर्नीचर और फिक्सचर	23.51	3.36	0.56	(0.47)	25.84	-	2.52	(0.45)	2.07	23.77	23.51
कम्प्यूटर	14.23	8.01	0.28	(0.72)	21.24	-	5.74	(0.67)	5.07	16.17	14.23
संचार उपकरण	7.83	1.78	0.42	-	9.19	-	0.88	(0.01)	0.87	8.32	7.83
कार्यालय उपकरण	23.15	3.39	0.49	(0.26)	25.79	-	2.77	(0.27)	2.50	23.29	23.15
अनुसंधान और विकास	0.72	-	-	-	0.72	-	0.08	-	0.08	0.64	0.72
अन्य परिसंपत्तियां	30.37	6.01	1.63	(0.45)	34.30	-	3.41	(0.46)	2.95	31.35	30.37
गौण मूल्य की अचल परिसंपत्तियां >750 और <5000 रूपये।	0.01	1.12	0.06	(0.36)	0.71	-	1.04	(0.35)	0.69	0.02	0.01
कुल	**20,242.95**	**1,622.88**	**33.33**	**15.72**	**21,848.22**	**-**	**1,373.48**	**(7.73)**	**1,365.75**	**20,482.47**	**20,242.95**

टिप्पणी: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास इस टिप्पणी के अनुबंध-। में मुहैया करवाए गए अनुसार है। अन्य विवरणात्मक टिप्पणियों हेतु इन्हें टिप्पणी 2.1 के अनुबंध-। में बताया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध- I संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(करोड़ रूपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2015 को	संवर्द्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2016 को	01.04.2015 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2016 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
भूमि-फ्रीहोल्ड	268.97	35.50	14.95	(0.98)	288.54	-	-	-	-	288.54	268.97
भूमि-लीजहोल्ड	360.83	0.77	0.01	-	361.59	43.35	11.53	0.04	54.92	306.67	317.48
सड़कें और पुल	295.04	6.29	-	(0.69)	300.64	97.19	8.02	(0.79)	104.42	196.22	197.85
भवन	2,497.91	193.73	0.58	(2.09)	2,688.97	743.63	89.88	(5.11)	828.40	1,860.57	1,754.28
रेलवे साइडिंग्स	38.96	-	3.46	-	35.50	21.51	2.45	(1.96)	22.00	13.50	17.45
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	17,407.45	970.94	3.17	16.42	18,391.64	5,810.56	815.40	0.28	6,626.24	11,765.40	11,596.89
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	8,789.79	374.93	14.39	5.94	9,156.27	2,994.06	410.77	(5.52)	3,399.31	5,756.96	5,795.73
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	92.16	1.67	0.43	0.01	93.41	52.00	3.16	(0.18)	54.98	38.43	40.16
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	67.87	0.67	0.04	(0.21)	68.29	27.43	3.82	(0.22)	31.03	37.26	40.44
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	47.02	1.86	0.17	(0.14)	48.57	17.14	2.81	(0.21)	19.74	28.83	29.88
निर्माण उपकरण	103.74	6.02	3.49	0.14	106.41	67.93	5.11	(2.57)	70.47	35.94	35.81
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	43.43	3.47	0.06	(0.15)	46.69	9.99	2.31	(0.26)	12.04	34.65	33.44
विद्युतीय संस्थापनाएं	3.58	0.01	0.06	(0.07)	3.46	1.33	0.18	(0.07)	1.44	2.02	2.25
वाहन	27.96	3.28	1.95	(0.20)	29.09	16.05	1.54	(1.82)	15.77	13.32	11.91
विमान/नौकाएं	0.87	0.07	-	-	0.94	0.28	0.06	-	0.34	0.60	0.59
फर्नीचर और फिक्सचर	49.81	3.36	0.91	(0.47)	51.79	26.30	2.52	(0.80)	28.02	23.77	23.51
कम्प्यूटर	61.79	8.01	3.19	(0.72)	65.89	47.56	5.74	(3.58)	49.72	16.17	14.23
संचार उपकरण	15.23	1.78	0.67	-	16.34	7.40	0.88	(0.26)	8.02	8.32	7.83
कार्यालय उपकरण	45.01	3.39	1.13	(0.26)	47.01	21.86	2.77	(0.91)	23.72	23.29	23.15
अनुसंधान और विकास	1.35	-	-	-	1.35	0.63	0.08	-	0.71	0.64	0.72
अन्य परिसंपत्तियां	55.70	6.01	2.16	(0.45)	59.10	25.33	3.41	(0.99)	27.75	31.35	30.37
गौण मूल्य की अचल परिसंपत्तियां >750 और <5000 रूपये।	16.75	1.12	0.44	(0.36)	17.07	16.74	1.04	(0.73)	17.05	0.02	0.01
कुल	**30,291.22**	**1,622.88**	**51.26**	**15.72**	**31,878.56**	**10,048.27**	**1,373.48**	**(25.66)**	**11,396.09**	**20,482.47**	**20,242.95**

विवरणात्मक टिप्पणी : -

1) 13.37 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1.19 करोड़ रूपए) मूल्य की 155.69 हैक्टेयर फ्रीहोल्ड भूमि (पिछले वर्ष 103.04 हैक्टेयर) और 297.34 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 296.60 करोड़ रूपये) मूल्य की 766.20 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 851.78 हेक्टेयर) लीजहोल्ड भूमि के संदर्भ में विलेख/अधिकार पत्र अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।

2) भूमि - लीजहोल्ड भूमि के अंतर्गत सुबानसिरी अपर परियोजना के लिए 1 रूपये प्रति वर्ष के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई 7.83 हैक्टेयर भूमि शामिल है।

3) फ्रीहोल्ड भूमि में लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एचडीएचसीएल) (एनएचपीसी और मणिपुर सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) द्वारा 100 रूपए प्रतिवर्ष के किराए पर उपयोग की जा रही आठ हैक्टेयर भूमि शामिल है जिसके लिए एनएचपीसी तथा एचडीएचसीएल के मध्य एक पट्टा समझौता किया गया है।

4) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 6293.18 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 6240.79 करोड़ रूपये) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

5) सकल ब्लाक में समायोजन में विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभारित तथा पूंजीकृत मूल्यह्रास शामिल है।

6) सेवा- II, चमेरा- III, तीस्ता लो डैम- III, उड़ी और पार्बती- III पावर स्टेशन के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन पावर स्टेशनों पर वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।

7) संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34 का पैरा 9 देखें।

8) परिसंपत्तियों के समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन निम्नानुसार है:-

परिसंपत्तियों की श्रेणी	**31.03.2016 के अनुसार (करोड़ रुपये में)**	**31.03.2015 के अनुसार (करोड़ रुपये में)**
सड़के और पुल	0.15	(1.57)
भवन	1.77	(16.21)
जल वैज्ञानिक कार्य	16.61	(154.90)
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	3.77	(42.88)
संयंत्र एवं मशीनरी सबस्टेशन	0.02	(0.25)
संयंत्र एवं मशीनरी ट्रांसमिशन लाइनें	-	(0.05)
संयंत्र एवं मशीनरी - अन्य	-	(0.03)
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी एवं सीवर प्रणाली	0.01	(0.05)
कुल	**22.33**	**(215.94)**

टिप्पणी सं. 2.2 : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

(करोड़ रूपए में)

	01.04.2016 के अनुसार	संवर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2017 के अनुसार
सड़कें और पुल	89.18	15.43	-	11.69	92.92
भवन	1,048.30	92.60	(0.46)	41.27	1,099.17
रेलवे साइडिंग	-	0.62	-	0.62	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	5,959.86	677.58	2.72	92.23	6,547.93
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,391.20	190.29	129.49	648.23	3,062.75
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	12.55	1.80	-	2.54	11.81
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	2.12	1.66	-	0.48	3.30
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	0.74	0.39	(0.01)	0.38	0.74
निर्माण उपकरण	-	0.47	-	0.47	-
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	1.36	7.85	-	5.35	3.86
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही अन्य परिसंपत्तियां	2.25	49.15	(0.02)	49.54	1.84
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	266.38	14.89	(1.34)	-	279.93
प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	4.53	0.61	(3.69)	1.45	-
निर्माण के दौरान खर्च *	6,168.66	714.35	(129.33)	39.74	6,713.94
घटाएं : प्रावधान किए गए	537.92	41.34	-	-	579.26
उप जोड़ (क)	**16,409.21**	**1,726.35**	**(2.64)**	**893.99**	**17,238.93**

* अवधि के दौरान संवर्धन के लिए टिप्पणी संख्या 32 देखें

	01.04.2016 के अनुसार		समायोजन		31.03.2017 के अनुसार
निर्माण भंडार	170.75		(58.27)		112.48
घटाएं : निर्माण भंडकार के लिए प्रावधान	**1.25**		**0.03**		**1.28**
उप जोड़ (ख)	**169.50**	**-**	**(58.30)**		**111.20**
समग्र जोड़	**16,578.71**	**1,726.35**	**(60.94)**	**893.99**	**17,350.13**
पिछले वर्ष	**16054.72**	**2013.90**	**22.69**	**1512.60**	**16578.71**

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

1) निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) के अंतर्गत पूंजी की ऋण लागत के रूप में 377.54 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 461.70 करोड़ रूपये) शामिल हैं।

2) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 1178.32 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 1069.48 करोड़ रूपये) का संचित व्यय शामिल है। इसमें से 43.52 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रूपये) की राशि सुबानसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी डेवलपर को सौंपने का निर्णय लिया गया है, तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए एक व्यय की वसूली लम्बित होने तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर बहियों में यह राशि पहले ही मुहैया करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 1134.80 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 1025.96 करोड़ रूपये) के शेष में से 535.74 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 490.40 करोड़ रूपये) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त सावधानी के रूप में मुहैया करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 599.15 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 531.56 करोड़ रूपये) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रेनित किया गया है।

3) सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को हिसाब में लिया गया है। सियांग लोवर और सियोम जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासक को सौंपी जा चुकी हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबद्ध निजी विकासक से वसूल की जाएगी।

4) अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 4923.90 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 4205.33 करोड़ रूपये) के व्यय वाले भूमिगत कार्यों को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

5) संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34 का पैरा 9 देखें।

6) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते है क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती है और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते अवधि के दौरान वहन किए गए व्यय को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्यों में अग्रेनीत किया जाता है।

टिप्पणी सं. 2.2 : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

(करोड़ रूपए में)

	01.04.2015 के अनुसार	संवर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2016 के अनुसार
सड़कें और पुल	86.89	15.75	(4.81)	8.65	89.18
भवन	1,030.77	118.29	30.10	130.86	1,048.30
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	5,915.26	622.97	(14.30)	564.07	5,959.86
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,925.91	674.38	(5.80)	203.29	3,391.20
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	14.09	6.31	(7.68)	0.17	12.55
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	0.37	2.28	(0.09)	0.44	2.12
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	0.48	1.53	(0.31)	0.96	0.74
निर्माण उपकरण	-	1.97	-	1.97	-
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	0.69	3.47	(0.05)	2.75	1.36
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही अन्य परिसंपत्तियां	4.52	45.81	(0.67)	47.41	2.25
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	262.65	10.20	(0.06)	6.41	266.38
प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	4.33	2.45	(1.61)	0.64	4.53
निर्माण के दौरान खर्च *	5,841.67	868.14	3.83	544.98	6,168.66
घटाएं : प्रावधानों किए गए	**209.55**	**359.65**	**(31.28)**	**-**	**537.92**
उप जोड़ (क)	**15,878.08**	**2,013.90**	**29.83**	**1,512.60**	**16,409.21**

* अवधि के दौरान संवर्धन के लिए टिप्पणी संख्या 32 देखें

	01.04.2015 के अनुसार		समायोजन		31.03.2016 के अनुसार
निर्माण भंडार	178.12		(7.37)		170.75
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	**1.48**	**-**	**(0.23)**	**-**	**1.25**
उप जोड़ (ख)	**176.64**	**-**	**(7.14)**		**169.50**
समग्र जोड़	**16,054.72**	**2,013.90**	**22.69**	**1,512.60**	**16,578.71**

व्याख्यात्मक टिप्पणी: -

1) निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) के अंतर्गत पूंजी की ऋण लागत के रूप में 461.70 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष का तदनुरूपी 330.43 करोड़ रूपये) शामिल हैं।

2) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 1069.48 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 943.78 करोड़ रूपये) का संचित व्यय शामिल है। इसमें से 43.52 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रूपये) की राशि सुबानसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी डेवलपर को सौंपने का निर्णय लिया गया है, तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए एक व्यय की वसूली लम्बित होने तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर बहियों में यह राशि पहले ही मुहैया करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 1025.96 करोड़ रूपये के शेष में से 494.40 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 134.75 करोड़ रूपये) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त सावधानी के रूप में मुहैया करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 531.56 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 765.49 करोड़ रूपये) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रेनित किया गया है।

3) सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को हिसाब में लिया गया है। सियांग लोवर और सियोम जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासक को सौंपी जा चुकीं हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबद्ध निजी विकासक से वसूल की जाएगी।

4) अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 4205.33 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 3995.69 करोड़ रूपये) के व्यय वाले भूमिगत कार्यों को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

5) संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34 का पैरा 9 देखें।

6) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते है क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती है और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते अवधि के दौरान वहन किए गए व्यय को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्यों (सीडब्ल्यूआईपी) में अग्रेनीत किया जाता है।

टिप्पणी सं. 2.3 निवेश संपत्ति

(करोड़ रूपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2016 को	संवर्द्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2017 को	01.04.2016 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2017 को	31.03.2017 को	31.03.2016 को
भूमि - फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	4.49
कुल	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**4.49**
गत वर्ष 31.03.2016	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**4.49**

1) **निवेश संपत्ति हेतु लाभ या हानि में मान्यता प्रदान की गई राशि**

(करोड़ रूपए में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
किराया आय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य

(करोड़ रूपए में)

		31.03.2017 को	31.03.2016 को
2)	**निवेश संपत्ति का उचित मूल्य**	53.58	49.66
3)	निवेश संपत्ति में फ्री-होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे कंपनी द्वारा सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण कंपनी संपत्ति के भविष्य के उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इंड एएस 40, निवेश संपत्ति उदाहरण के द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में गैर-निर्धारित भविष्य उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अत: इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तदनुसार, ऐसी भूमि को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।		
4)	**मूल्यांकन प्रक्रिया** उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। तथापि, निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को संपत्ति स्थित होने वाले स्थान में विद्यमान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सर्किल रेट के आधार पर निकाला गया है।		

टिप्पणी सं. 2.3 निवेश संपत्ति

(करोड़ रूपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2015 को	संवर्द्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2016 को	01.04.2015 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2016 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
भूमि - फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	4.49
कुल	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**4.49**

i) **निवेश संपत्ति हेतु लाभ या हानि में मान्यता प्रदान की गई राशि**

(करोड़ रूपए में)

	31.03.2016 को	31.03.2015 को
किराया आय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य

(करोड़ रूपए में)

		31.03.2016 को	31.03.2015 को
(ii)	**निवेश संपत्ति का उचित मूल्य**	49.66	36.59
(iii)	निवेश संपत्ति में फ्री-होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे कंपनी द्वारा सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण कंपनी संपत्ति के भविष्य के उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इंड एएस 40, निवेश संपत्ति उदाहरण के द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में गैर-निर्धारित भविष्य उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तदनुसार, ऐसी भूमि को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।		
(iv)	**मूल्यांकन प्रक्रिया** उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। तथापि, निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को संपत्ति स्थित होने वाले स्थान में विद्यमान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सर्किल रेट के आधार पर निकाला गया है।		

टिप्पणी सं. 2.4 अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2016 को	संवर्द्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2017 को	01.04.2016 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2017 को	31.03.2017 को	31.03.2016 को
भूमि - उपयोग का अधिकार	817.14	125.04	0.04	-	942.14	4.34	6.15	(0.01)	10.48	931.66	812.80
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	6.74	1.35	-	(0.03)	8.06	2.60	3.00	(0.02)	5.58	2.48	4.14
कुल	**823.88**	**126.39**	**0.04**	**(0.03)**	**950.20**	**6.94**	**9.15**	**(0.03)**	**16.06**	**934.14**	**816.94**
गत वर्ष 31.03.2016	**783.52**	43.67	0.01	**(3.30)**	**823.88**	**-**	**7.36**	**(0.42)**	**6.94**	**816.94**	**783.52**

विवरणात्मक टिप्पणी: -

टिप्पणी : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास इस टिप्पणी के अनुबंध-I में मुहैया करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी सं. 2.4 का अनुबंध - I अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2016 को	संवर्द्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2017 को	01.04.2016 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2017 को	31.03.2017 को	31.03.2016 को
भूमि - उपयोग का अधिकार	847.05	125.04	0.12	-	971.97	34.25	6.15	(0.09)	40.31	931.66	812.80
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	44.94	1.35	-	(0.03)	46.26	40.80	3.00	(0.02)	43.78	2.48	4.14
कुल	**891.99**	**126.39**	**0.12**	**(0.03)**	**1,018.23**	**75.05**	**9.15**	**(0.11)**	**84.09**	**934.14**	**816.94**
गत वर्ष 31.03.2016	**851.90**	**43.67**	**0.28**	**(3.30)**	**891.99**	**68.38**	**7.36**	**(0.69)**	**75.05**	**816.94**	**783.52**

टिप्पणी सं. 2.4 अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2015 को	संवर्द्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2016 को	01.04.2015 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2016 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
भूमि - उपयोग का अधिकार	781.81	38.60	-	(3.27)	817.14	-	4.71	(0.37)	4.34	812.80	781.81
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	1.71	5.07	0.01	(0.03)	6.74	-	2.65	(0.05)	2.60	4.14	1.71
कुल	**783.52**	**43.67**	**0.01**	**(3.30)**	**823.88**	**-**	**7.36**	**(0.42)**	**6.94**	**816.94**	**783.52**

विवरणात्मक टिप्पणी: -

टिप्पणी : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास इस टिप्पणी के अनुबंध-। में मुहैया करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी सं. 2.4 का अनुबंध - । अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2015 को	संवर्द्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2016 को	01.04.2015 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2016 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
भूमि - उपयोग का अधिकार	811.72	38.60	-	(3.27)	847.05	29.91	4.71	(0.37)	34.25	812.80	781.81
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	40.18	5.07	0.28	(0.03)	44.94	38.47	2.65	(0.32)	40.80	4.14	1.71
कुल	**851.90**	**43.67**	**0.28**	**(3.30)**	**891.99**	**68.38**	**7.36**	**(0.69)**	**75.05**	**816.94**	**783.52**

टिप्पणी सं. 3.1 : गैर वर्तमान निवेश

	विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		01 अप्रैल, 2015 को	
		शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
क.	**उद्धृत इक्विटी निवेश - अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर**						
	इंडियन ओवरसीज बैंक (पूर्णतः प्रदत्त)	360800	0.96	360800	1.09	360800	1.53
	(10 रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)						
	पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्णतः प्रदत्त)	12000000	111.48	12000000	76.56	12000000	96.90
	(10 रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)						
कुल (क)			**112.44**		**77.65**		**98.43**
ख.	**अनुद्धृत इक्विटी लिखन - लागत पर**						
(क)	**इक्विटी लिखत में निवेश**						
	(1) अनुषंगी कम्पनियां (पूर्ण प्रदत्त)						
	एनएचडीसी लिमिटेड	10024200	1,002.42	10024200	1,002.42	10024200	1,002.42
	(1000/- रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)						
	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	87092309	87.09	87092309	87.09	87092309	87.09
	(10 रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)						
	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	999999	1.00	999999	1.00	999999	1.00
	(10 रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)						
	(2) संयुक्त उद्यम कम्पनियां (पूर्ण प्रदत्त)						
	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	460000000	460.00	100000000	100.00	100000000	100.00
	(10 रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)						
	नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	30400000	30.40	23900000	23.90	23900000	23.90
	(10 रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)						
कुल (ख)			**1,580.91**		**1,214.41**		**1,214.41**
ग.	**उद्धृत ऋण निवेश - अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर**						
(क)	**सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश**						
	8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट्स इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	150000	159.20	150000	153.93	150000	153.14
	(10000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						
	8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	12380	13.01	12380	12.56	12380	12.54
	(10000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						
	8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2027	57000	61.25	57000	59.03	57000	59.14
	(10000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						
	8.26 प्रतिशत भारत सरकार 2027	17940	19.20	17940	18.54	17940	18.49
	(10000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		01 अप्रैल, 2015 को	
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2032	35000	37.18	35000	36.09	35000	36.54
(10000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						
8.32 प्रतिशत भारत सरकार 2032	34000	36.88	34000	35.19	34000	35.58
(10000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						
उप जोड़ (क)		**326.72**		**315.34**		**315.43**
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कोरपोरेट्स बांड्स में निवेश						
8.95 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन बांड्स 2025	-	-	-	-	688	72.65
(10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						
8.65 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन बांड्स 2025	-	-	-	-	30	3.00
(10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						
8.83 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन बांड्स 2035	-	-	-	-	120	12.82
(10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						
8.80 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन बांड्स 2030	-	-	-	-	150	15.95
(10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2021	-	-	-	-	80	10.28
(12,50,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2022	-	-	-	-	80	10.00
(12,50,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2023	-	-	-	-	80	10.00
(12,50,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025	-	-	-	-	40	5.00
(12,50,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2024	-	-	-	-	156	20.26
(12,50,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025	-	-	-	-	364	43.46
(12,50,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						
8.95 प्रतिशत पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन बांड्स 2025	-	-	-	-	51	5.10
(10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						
8.80 प्रतिशत पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन बांड्स 2025	-	-	-	-	467	48.03

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		01 अप्रैल, 2015 को	
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
(10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						
8.70 प्रतिशत पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन बांड्स 2025	-	-	-	-	477	48.55
(10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						
8.80 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन बांड्स 2020	-	-	-	-	600	61.00
(10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						
9.75 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन बांड्स 2021	-	-	-	-	230	24.71
(10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						
7.41 प्रतिशत आईआईएफसीएल कर मुक्त बाण्ड 15.11.2032	120	13.45	120	12.48	120	12.58
(10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						
8.12 प्रतिशत आरईसी कर मुक्त बाण्ड 27.03.2027	100000	11.30	100000	10.68	100000	11.19
(1000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						
8.48 एनएचएआई कर मुक्त	473	55.50	473	52.45	473	51.60
(10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)						
उप-जोड़ (ख)		**80.25**		**75.61**		**466.18**
कुल (ग) (क + ख)		**406.97**		**390.95**		**781.61**
कुल (क + ख + ग)		**2,100.32**		**1,683.01**		**2,094.45**

(क) उद्धृत निवेश			
(i) समग्र लागत	381.95	381.95	763.34
(ii) समग्र बाजार मूल्य	519.41	468.60	880.05
(ख) अनुद्धृत निवेश			
(i) समग्र लागत	1,580.91	1,214.41	1,214.41
(ग) निवेश के मूल्य में क्षति की संचित राशि	-	-	-

टिप्पणी सं. 3.2 गैर वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
क)	**कर्मचारी ऋण (परिशोधित लागत पर)**			
	प्रतिभूत (अच्छे माने गए)	123.85	109.48	93.67
	अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	12.11	8.12	6.32
	उप जोड	**135.96**	**117.60**	**99.99**
ख)	**उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार**			
	अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-	-	12.68
	उप जोड	**-**	**-**	**12.68**
ग)	**अरूणाचल प्रदेश सरकार**			
	प्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-	-	-
	अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	225.00	225.00	225.00
	अप्रतिभूत (संदिग्ध माने गए)	-	-	-
	उप जोड	**225.00**	**225.00**	**225.00**
	कुल	**360.96**	**342.60**	**337.67**
	विवरणात्मक टिप्पणी: -			
	1) अन्य ऋण (कर्मचारी) में अवधि के अंत में कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय ऋण शामिल है	0.03	0.05	शून्य
	2) फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिनमें कंपनी का कोई भी निदेशक, निदेशक या सदस्य है	शून्य	शून्य	शून्य
	3) ऋण गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जो कंपनी हेतु एक स्थिर तथा परिवर्तनशील ब्याज आय उत्पन्न करता है। वहन राशि दूसरे पक्ष के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण प्रभावित हो सकती है।			

टिप्पणी सं. 3.3 : गैर वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
क.	**12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा**	0.35	-	-
ख.	**प्राप्य पट्टा किराया***	1,566.60	1,655.72	1,686.49
ग.	**पट्टे पर प्राप्य ब्याज**	-	-	-
घ.	**निम्नलिखित पर प्रोदभूत ब्याज**			
	अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	296.84	253.75	214.23
	12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक देय	0.04	-	-
	कुल	**1,863.83**	**1,909.47**	**1,900.72**

* प्रतिभूति के रूप में प्राप्य गिरवी/रेहन हेतु टिप्पणी संख्या 34 - लेखे के अन्य विवरणात्मक टिप्पणी का पैरा 9 देखें।

टिप्पणी सं. 4 : अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
क.	**12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा**			
	पूंजी अग्रिम			
	प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	1.97	3.25	9.37
	अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)			
	बैंक गारंटी के बदले	357.69	488.77	523.91
	अन्य	159.47	141.08	138.93
	घटाएं : उपयोग प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षा वाले व्यय हेतु प्रावधान	4.11	1.99	10.26
	अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	4.49	0.11	0.11
	घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान *1	4.49	0.11	0.11
	उप जोड़	**515.02**	**631.11**	**661.95**
ख.	**पूंजीगत जमा के अतिरिक्त अन्य अग्रिम**			
1)	**जमा राशियां**			
	अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	28.01	27.04	64.31
	घटाएं : सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के प्रति प्रावधान	15.55	15.29	15.29
	अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0.04	-	-
	घटाएं : संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान *2	0.04	-	-
		12.46	**11.75**	**49.02**
2)	**अन्य अग्रिम**			
	अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0.14	0.24	0.09
		0.14	**0.24**	**0.09**
ग.	**अन्य**			
1)	**विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव**			
	विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां	415.04	491.81	369.71
	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव पर विलंबित व्यय	144.42	133.28	152.85
		559.46	**625.09**	**522.56**
2)	**दिए गए कर्मचारी ऋणों पर विलंबित लागत**			
	प्रतिभूत	36.77	59.15	52.29
	कर्मचारी ऋण - अप्रतिभूत - अच्छे माने गए	1.89	0.11	2.64
		38.66	**59.26**	**54.93**
	कुल	**1,125.74**	**1,327.45**	**1,288.55**
	संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान *1			
	प्रारंभिक शेष	0.11	0.11	0.11
	वर्ष के दौरान वर्धन	4.38	-	-
	अंतिम शेष	**4.49**	**0.11**	**0.11**
	संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान *2			
	वर्ष के दौरान वर्धन	0.04	-	-
	अंतिम शेष	**0.04**	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 5 : मालसूची

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 1(3)(10) के अनुसार मूल्यांकित			
भंडार तथा कलपुर्जे	96.44	100.62	100.80
परिवहन/निरीक्षण में लंबित होने भंडार	1.14	2.44	2.99
खुले औजार	2.21	1.94	1.97
रद्दी मालसूची	1.83	1.47	0.91
संविदाकारों/फैब्रिकेटर्स को जारी सामग्री	-	0.01	0.04
घटाएं : अप्रचलित तथा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान *1	9.98	22.48	23.98
कुल	**91.64**	**84.00**	**82.73**
***1 अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान**			
प्रारंभिक शेष	22.48	23.98	23.98
वर्ष के दौरान वर्धन	0.52	0.69	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	11.27	1.89	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित #	1.75	0.30	-
अंतिम शेष	**9.98**	**22.48**	**23.98**

पहले किए गए आधिक्य प्रावधान को वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित किया गया है जो माल-सूची के पश्च लिखित मूल्य में प्रत्यावर्तन में परिणत हुआ है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी:

i) वर्ष के दौरान निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) को पश्च लेखित माल-सूची और लाभ या हानि में व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। 0.52 0.69 -

ii) ब्यौरे हेतु टिप्पणी संख्या 34-अन्य विवरणात्मक टिप्पणी का पैरा 9 देखें जिसमें संबंधित ऋणों के लिए प्रतिभूति के तौर पर बैंकों के साथ रेहन/गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों की जानकारी दी गई है।

टिप्पणी सं. 6 : वर्तमान निवेश

विवरण	31 मार्च 2017 को			31 मार्च 2016 को			01 अप्रैल, 2015 को		
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति का अंकित मूल्य (करोड़ रुपये में)	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति का अंकित मूल्य (करोड़ रुपये में)	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति का अंकित मूल्य (करोड़ रुपये में)	राशि (करोड़ रुपये में)
अनुद्धृत									
(क) इक्विटी लिखत में निवेश									
संयुक्त उद्यम कंपनी (पूर्णतः प्रदत्त)									
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (परिसमाप्त) #	-	-	-	2188325	10	2.19	2188325	10	2.19
(मूल्य में कमी हेतु प्रावधान)						(1.06)			(1.06)
(ख) बॉण्ड में निवेश (दीर्घावधि निवेश की वर्तमान परिपक्वता)									
8.50 प्रतिशत कर-मुक्त राज्य सरकार के विशेष बॉण्ड जो निम्नलिखित सरकार के हैं-	-	-	-						
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	972	1000	0.10
बिहार	-	-	-	-	-	-	19070	1000	1.91
हरियाणा	-	-	-	-	-	-	565000	1000	56.50
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	17868	1000	1.79
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	770696	1000	77.07
झारखण्ड	-	-	-	-	-	-	14310	1000	1.43
मेघालय	-	-	-	-	-	-	532	1000	0.05
मिजोरम	-	-	-	-	-	-	3210	1000	0.32
नागालैंड	-	-	-	-	-	-	6920	1000	0.69
पंजाब	-	-	-	-	-	-	222810	1000	22.28
राजस्थान	-	-	-	-	-	-	56982	1000	5.70
सिक्किम	-	-	-	-	-	-	2336	1000	0.23
त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	2668	1000	0.27
उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-	786890	1000	78.69
उत्तरांचल	-	-	-	-	-	-	87430	1000	8.74
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	6722	1000	0.67
कुल	**-**	**-**	**-**			**1.13**			**257.57**

 # नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2016-17 में परिसमाप्त किया गया है।

टिप्पणी सं. 7 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - प्राप्य व्यापार

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
अप्रतिभूत - अच्छे माने गए	1,492.90	1,554.44	2,064.16
अप्रतिभूत - संदिग्ध माने गए	54.40	34.83	34.77
घटाए - संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान *1	54.40	34.83	34.77
कुल	**1,492.90**	**1,554.44**	**2,064.16**
***1 संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान**			
प्रारंभिक शेष	34.83	34.77	34.77
वर्ष के दौरान वर्धन	19.57	0.53	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	0.26	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	0.21	-
अंतिम शेष	**54.40**	**34.83**	**34.77**
व्याख्यात्मक टिप्पणी: -			
1 कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा अथवा उनमें से किसी एक द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय ऋण अथवा फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण जिसमें क्रमशः कंपनी का कोई निदेशक भागीदार अथवा निदेशक या कोई सदस्य है।	शून्य	शून्य	शून्य
2 अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों तथा कंपनी के अन्य संबंधित पक्षों द्वारा उपर्युक्त बिन्दु (1) पर देय कोई ऋण	शून्य	शून्य	शून्य
3 वर्तमान प्राप्तियों की अल्पावधि प्रकृति के कारण उनकी वहन राशि को उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी सं. 8 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - नकदी और नकदी तुल्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
क. बैंकों के साथ शेष			
अनुसूचित बैंकों के साथ			
i) चालू खाते में	47.89	612.21	74.65
ii) जमा खाते में			
(3 माह से कम की मूल परिपक्वता वाले जमा)	11.89	71.00	96.00
अन्य बैंकों के साथ			
चालू खाते में			
बैंक ऑफ भूटान	-	-	0.02
ख. हस्तगत चैक ड्राफ्ट	-	511.06	14.87
ग. हस्तगत नकदी			
हस्तगत नकदी	0.11	0.12	0.15
कुल	**59.89**	**1,194.39**	**185.69**
व्याख्यात्मक टिप्पणी : -			
1 हस्तगत नकदी - (इसमें हस्तगत स्टाम्प शामिल हैं)	0.01	0.01	0.01
2 ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य हेतु धारित नकदी और बैंक शेष जिन्हें कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किया जा रहा है और जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं उसे उक्त राशि में शामिल किया गया है।	7.74	32.48	62.07

टिप्पणी सं. 9 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - नकदी और नकदी तुल्य के अतिरिक्त अन्य शेष

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
क.	**बैंकों के साथ शेष**	1,372.03	4,585.54	5,143.82
ख.	**जमा खाता - अदा न किया गया लाभांश/ब्याज**	101.22	96.82	92.60
	कुल	**1,473.25**	**4,682.36**	**5,236.42**
	व्याख्यात्मक टिप्पणी : -			
	ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य हेतु धारित नकदी और बैंक शेष जिन्हें कंपनी द्वारा अन्य एजेसियों की ओर से निष्पादित किया जा रहा है और जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं उसे उक्त राशि में शामिल किया गया है।	242.48	219.04	205.98

टिप्पणी सं. 10 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - ऋण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
कर्मचारी ऋण			
प्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-	15.78	24.83
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	26.88	29.87	30.64
अप्रतिभूत (संदिग्ध माने गए)	0.03	0.03	0.09
घटाए - संदिग्ध कर्मचारी ऋणों तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान *1	0.03	0.03	0.09
	26.88	**45.65**	**55.47**
ग्राहकों से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण			
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-	12.68	25.36
	-	**12.68**	**25.36**
कुल	**26.88**	**58.33**	**80.83**
***1 संदिग्ध कर्मचारी ऋणों तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान**			
प्रारंभिक शेष	0.03	0.09	0.09
वर्ष के दौरान वर्धन	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	0.06	-
अंतिम शेष	**0.03**	**0.03**	**0.09**
व्याख्यात्मक टिप्पणी: -			
कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा अवधि के अंत में देय ऋण तथा अग्रिम	0.01	0.06	0.01
फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या कोई सदस्य है	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी सं. 11 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल 2015 को
क)	प्राप्य दावे	569.45	600.64	594.22
	घटाएं - संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान *1	209.03	200.70	261.85
	उप जोड़	**360.42**	**399.94**	**332.37**
ख)	बैंक जमा पर प्रोदभूत ब्याज आय	46.45	189.53	201.97
ग)	अनुषंगी कंपनियां/संयुक्त उद्यमियों से प्राप्य	200.08	283.59	282.02
घ)	लाभार्थियों से वसूली योग्य ब्याज	20.50	36.78	4.37
ङ)	प्राप्य पट्टा किराया	57.89	56.09	72.01
च)	पट्टे पर प्राप्य ब्याज	0.45	13.16	23.50
छ)	बॉण्ड पर प्रोदभूत ब्याज	2.52	7.97	32.93
ज)	बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य	1,169.94	1,163.26	1,035.41
झ)	ग्राहकों से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण पर प्रोदभूद ब्याज	-	-	32.97
	कुल	**1,858.25**	**2,150.32**	**2,017.55**
	***1 संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान**			
	प्रारंभिक शेष	200.70	261.85	261.85
	वर्ष के दौरान वर्धन	22.46	8.37	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	8.52	69.43	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	5.61	0.09	-
	अंतिम शेष	**209.03**	**200.70**	**261.85**

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

(करोड़ रूपए में)

1)	**बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य में निम्नलिखित शामिल है**			
	इक्विटी पर प्रतिफल को सकल रूप देना	25.15	42.69	13.26
	जम्मू एवं कश्मीर जल उपकर	226.22	269.11	216.37
	मार्च माह हेतु बिल न की गई बिक्री	396.97	522.43	432.94
	टैरिफ आदेश के संशोधन के कारण बिक्री - चुटक विद्युत स्टेशन	64.73	-	-
	उत्तरांचल हरित और जल कर	-	14.35	-
	टैरिफ आदेश के संशोधन के कारण बिक्री - पार्बती-III और टनकपुर पावर स्टेशन	-	(61.68)	-
	टैरिफ आदेश के संशोधन के कारण बिक्री - चमेरा-III पावर स्टेशन	2.83	2.83	82.92
	टैरिफ आदेश के संशोधन के कारण बिक्री - धौलीगंगा पावर स्टेशन	-	24.82	-
	टैरिफ आदेश की प्रतीक्षारत बिक्री को मान्यता (अनुमानित) - निम्मो बाजगो पावर स्टेशन	-	-	16.96
	कर समायोजन	109.79	108.04	63.04
	विदेश मंत्रालय बिक्री	7.24	12.56	4.71
	पार्बती-III (चौथी यूनिट) अनुमानित बिक्री	244.86	149.37	-
	टैरिफ आदेश की प्रतीक्षारत बिक्री को मान्यता (अनुमानित) - उड़ी-II पावर स्टेशन	-	3.41	116.80
	एफईआरवी	79.80	64.65	76.41
	अन्य	12.35	10.68	12.00
	कुल	**1,169.94**	**1,163.26**	**1,035.41**

2) अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम से प्राप्य में पकलडुल, कीरू और कवार जल विद्युत परियोजनाओं पर किया गया व्यय शामिल है जिन्हें मैसर्स सीवीपीपीपीएल (एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी और पीटीसी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) को अंतरित किया गया है।

टिप्पणी सं. 12.1 : गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
गैर-वर्तमान			
अग्रिम आयकर और स्रोत पर कटौती किया गया कर	1,378.49	742.61	702.84
घटाएं - कराधान हेतु प्रावधान	1,304.81	676.83	629.02
कुल	**73.68**	**65.78**	**73.82**

टिप्पणी सं. 12.2 : वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
वर्तमान कर परिसंपत्तियां			
वर्तमान कर (देखें टिप्पणी सं.-23)	55.93	-	-
कुल	**55.93**	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 13 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

	विवरण		31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
क.	**पूंजीगत अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम**				
क)	**जमा**				
	अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		134.35	88.74	70.37
	घटाए : सरकारी विभागों द्वारा प्रस्तुत मांग के प्रति प्रावधान		11.59	18.37	20.04
	अप्रतिभूत (संदिग्ध माने गए)		-	-	0.01
	घटाए : संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान *1		-	-	0.01
		उप जोड़	**122.76**	**70.37**	**50.33**
ख)	**संविदाकार/आपूर्तिकार को अग्रिम**				
	प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		0.64	0.86	0.03
	अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)				
	बैंक गारंटी के प्रति		112.51	1.89	4.11
	अन्य		33.08	25.74	14.63
	घटाएं : उपयोग प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा वाले व्यय हेतु प्रावधान		0.43	0.20	0.20
	अप्रतिभूत (संदिग्ध माने गए)		45.52	45.52	45.78
	घटाएं : संदिग्ध अग्रिम हेतु प्रावधान *2		45.52	45.52	45.78
		उप जोड़	**145.80**	**28.29**	**18.57**
ग)	**अन्य अग्रिम - कर्मचारी**				
	अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		0.57	1.21	1.45
	अप्रतिभूत (संदिग्ध माने गए)		-	-	-
		उप जोड़	**0.57**	**1.21**	**1.45**
घ)	**निम्न पर प्रोदभूत ब्याज:**				
	अन्य				
	अच्छे समझे गए		65.31	39.82	18.87
	संदिग्ध माने गए		84.32	67.08	63.59
	घटाएं : संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान *3		84.32	67.08	63.59
		उप जोड़	**65.31**	**39.82**	**18.87**

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
ख.	**अन्य**			
क)	समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	37.06	37.06	37.06
	घटाएं : पश्चलेखन की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाले परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान *4	37.06	37.06	37.06
	उप जोड़	-	-	-
ख)	पश्च लेखन स्वीकृति/जांच लंबित हेतु प्रतीक्षित हानियां	40.02	37.78	34.40
	घटाएं : लंबित जांच/पश्चलेखन की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियों हेतु प्रावधान *5	40.02	37.78	34.40
	उप जोड़	-	-	-
ग)	**पूर्वप्रदत्त व्यय**	49.78	52.05	34.59
घ)	**विलंबित कर्मचारी लागत**		-	-
	प्रतिभूत - अच्छे समझे गए	20.74	2.53	2.49
	अप्रतिभूत	1.79	(0.02)	(0.04)
ङ)	**विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव**			
	विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां	78.72	78.72	51.58
	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव पर विलंबित व्यय	4.46	4.46	7.45
च)	**अधिशेष/अप्रचलित परिसंपत्तियां**	1.92	1.89	1.78
छ)	**अन्य**	0.32	0.23	0.45
	कुल	**492.17**	**279.55**	**187.52**
***1**	**संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान**			
	प्रारंभिक शेष	-	0.01	0.01
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	0.01	-
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**0.01**
***2**	**संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान (संविदाकार और आपूर्तिकार)**			
	प्रारंभिक शेष	45.52	45.78	45.78
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	0.26	-
	अंतिम शेष	**45.52**	**45.52**	**45.78**
***3**	**संदिग्ध प्रोदभूत ब्याज हेतु प्रावधान**			
	प्रारंभिक शेष	67.08	63.59	63.59
	वर्ष के दौरान वर्धन	19.79	20.27	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	16.78	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	2.55	-	-
	अंतिम शेष	**84.32**	**67.08**	**63.59**
***4**	**पश्चलेखन स्वीकृति हेतु प्रतीक्षित परियोजना व्यय हेतु प्रावधान**			
	प्रारंभिक शेष	37.06	37.06	37.06
	अंतिम शेष	**37.06**	**37.06**	**37.06**
***5**	**जांच लंबित/पश्चलेखन स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियों हेतु प्रावधान**			
	प्रारंभिक शेष	37.78	34.40	34.40
	वर्ष के दौरान वर्धन	2.77	6.37	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.43	2.97	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.10	0.02	-
	अंतिम शेष	**40.02**	**37.78**	**34.40**

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
	व्याख्यात्मक टिप्पणी:-			
1	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा वर्ष/अवधि के अंत में देय ऋण तथा अग्रिम	शून्य	शून्य	शून्य
2	फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या कोई सदस्य है, से देय अग्रिम	शून्य	शून्य	शून्य
3	निपटान हेतु धारित अधिशेष परिसंपत्तियों/अप्रचलित परिसंपत्तियों को बही मूल्य तथा निवल वसूलीयोग्य मूल्य से कम पर दर्शाया गया है			

टिप्पणी सं. 14 : नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
	प्रारंभिक शेष	2,181.28	1,630.38	1,630.38
	जोड़ें : नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन			
क)	कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	292.52	106.24	-
ख)	उत्पादन और अन्य व्यय	78.68	66.26	-
ग)	मूल्यह्रास	6.96	7.64	-
घ)	वित्त लागत	365.32	396.22	-
ङ)	अन्य आय	(26.99)	(25.46)	-
च)	मौद्रिक मदों पर विनियम अंतर	(2.50)	-	-
छ)	निर्धारित लाभ योजना का पुनः मापन	9.05	-	-
	अंतिम शेष (क)	**2,904.32**	**2,181.28**	**1,630.38**
	नियामक विलंबित लेखा शेष पर विलंबित कर परिसंपत्तियां	72.27	-	-
	विलंबित कर परिसंपत्तियों के प्रति विलंबित कर समायोजना	(72.27)	-	-
	उप जोड़ (ख)	**-**	**-**	**-**
	नियामक विलंबित लेखा शेष विलंबित कर का निवल (क-ख)	**2,904.32**	**2,181.28**	**1,630.38**
	1) विवरण हेतु टिप्पणी सं.34 - लेखे पर अन्य विवरणात्मक टिप्पणियां का पैरा 25 देखें			

टिप्पणी संख्या 15.1 : इक्विटी शेयर पूंजी

	विवरण	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		01 अप्रैल, 2015 को	
		संख्या	राशि (करोड़ रू पए में)	संख्या	राशि (करोड़ रू पए में)	संख्या	राशि (करोड़ रू पए में)
(क)	प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रूपए)	15,000,000,000	15,000.00	15,000,000,000	15,000.00	15,000,000,000	15,000.00
(ख)	जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रूपए)	10,259,320,519	10,259.32	11,070,668,496	11,070.67	11,070,668,496	11,070.67
(ग)	**इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का मिलान**						
	बकाया शेयरों की प्रारंभिक संख्या	11,070,668,496	11,070.67	11,070,668,496	11,070.67	11,070,668,496	11,070.67
	जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी/ सब्सिक्राइब्ड शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी	-	-	-	-	-	-
	घटाएं : शेयरों की पुनः खरीद के कारण शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी में कमी	811,347,977	811.35	-	-	-	-
	बकाया शेयरों की अंतिम संख्या	10,259,320,519	10,259.32	11,070,668,496	11,070.67	11,070,668,496	11,070.67

(घ) कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश लेने के भी हकदार हैं।

(ङ) कंपनी की धारक कंपनी अथवा उसकी अंतिम धारक कंपनी द्वारा धारित कंपनी में प्रत्येक श्रेणी के संबंधित शेयर जिसमें धारक कंपनी या अंतिम धारक कंपनी द्वारा अनुषंगी कंपनियों या एसोसिएट में धारित शेयर शामिल हैं - शून्य।

(च) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक की धारिता वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या निर्दिष्ट करते हुए शेयर :

	31 मार्च, 2017 के अनुसार		31 मार्च, 2016 के अनुसार		01 अप्रैल, 2015 के अनुसार	
	Nos	In (%)	Nos	In (%)	Nos	In (%)
भारत के राष्ट्रपति	7643406901	74.50%	9,516,209,722	85.96%	9,516,209,722	85.96%
भारतीय जीवन बीमा निगम	906183502	8.83%	344,634,628	3.11%	331,009,248	2.99%

(छ) शेयर/विनिवेश की बिक्री हेतु विकल्प तथा संविदाओं/प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत जारी किए जाने हेतु आरक्षित शेयर, शर्तों तथा राशियों सहित - शून्य

(ज) 31.3.2017 से तत्काल पूर्व 5 वित्तीय वर्षों में कंपनी ने नकदी में किसी भुगतान की प्राप्ति के बिना संविदा के अनुपालन में पूर्णत- प्रदत्त के रूप में कोई इक्विटी शेयर आंवटित नहीं किया है/किसी इक्विटी शेयर को बोनस शेयर के माध्यम से पूर्णत- प्रदत्त के रूप में आवंटित नहीं किया है।

(झ) इक्विटी शेयरों में परिवर्तित की जाने वाली किसी प्रतिभूति की अवधि, ऐसी सुदूरवर्ती तिथि से प्रारंभ करते हुए घटते हुए क्रम में परिवर्तन की नवीनतम तिथि के साथ - शून्य

(ञ) अदा न किए गए आमंत्रण (निदेशकों को तथा अधिकारियों द्वारा अदा न किए गए आमंत्रणों का संचित मूल्य दर्शाते हुए) - शून्य

(ट) जब्त किए गए शेयर (मूलत- अदा की गई राशि) - शून्य

(ठ) कंपनी के निदेशक मंडल ने 7 फरवरी, 2017 को हुई अपनी बैठक में इसके इक्विटी शेयरों की पुन- खरीद हेतु एक प्रस्ताव का अनुमोदित किया था। उक्त अनुमोदन के बाद, कंपनी ने 27 मार्च, 2017 को 10 रूपये प्रत्येक के 81,13,47,977 शेयरों (जो 31 मार्च, 2016 हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल प्रदत्त इक्विटी पूंजी तथा मुक्त आरक्षित के 9.99 प्रतिशत को दर्शाता है) की पुन- खरीद को शेयरधारकों से एक अनुपातिक आधार पर 32.25 रूपये प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य पर निविदा प्रस्ताव के माध्यम से 2616.60 करोड़ रूपये की कुल राशि पर कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी विनियमनों के प्रावधानों के अनुसार पूरा किया है।

टिप्पणी सं. 15.2 : अन्य इक्विटी

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
(i)	**पूंजी मोचन आरक्षित**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1,230.07	1,230.07	1,230.07
	जोड़ें : प्रतिभूति प्रीमियम खाते से अंतरित	811.35	-	-
	तुलन-पत्र की तारीख पर	**2,041.42**	**1,230.07**	**1,230.07**
(ii)	**प्रतिभूति प्रीमियम खाता**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	2,868.74	2,868.74	2,868.74
	घटाएं : शेयरों की पुनः खरीद हेतु उपयोग और संबंधित व्यय	1,814.58	-	-
	घटाएं : पूंजी मोचन आरक्षित को अंतरित	811.35	-	-
	तुलन-पत्र की तारीख पर	**242.81**	**2,868.74**	**2,868.74**
(iii)	**बांड शोधन आरक्षित**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1,324.20	1,247.89	1,247.89
	जोड़ें : अधिशेष/प्रतिधारित आय से अंतरित	394.49	185.74	-
	घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	109.42	109.43	-
	तुलन-पत्र की तारीख पर	**1,609.27**	**1,324.20**	**1,247.89**
(iv)	**स्व बीमा निधि**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	835.94	835.94
	जोड़ें : सामान्य आरक्षित को अंतरित	-	835.94	-
	तुलन-पत्र की तारीख पर	**-**	**-**	**835.94**
(v)	**कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	13.33	13.33
	घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	-	13.33	-
	तुलन-पत्र की तारीख पर	**-**	**-**	**13.33**
(vi)	**अनुसंधान एवं विकास निधि**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	31.70	21.79	21.79
	जोड़ें : अधिशेष/प्रतिधारित आय से अंतरित	12.20	9.91	-
	तुलन-पत्र की तारीख पर	**43.90**	**31.70**	**21.79**
(vii)	**सामान्य आरक्षित**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	10,088.11	9,252.17	9,252.17
	जोड़ें : स्व बीमा निधि से अंतरण	-	835.94	-
	तुलन-पत्र की तारीख पर	**10,088.11**	**10,088.11**	**9,252.17**
(viii)	**प्रतिधारित आय/अधिशेष**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	3,061.65	2,415.29	2,415.29
	जोड़ें - वर्ष के दौरान लाभ	2,795.59	2,429.89	-
	जोड़ें - ओसीआई से अंतरित	(41.08)	24.10	-
	जोड़ें - बॉण्ड मोचन आरक्षित से पश्च लेखित राशि	109.42	109.43	-
	जोड़ें - कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से पश्च लेखित राशि	-	13.33	-
	जोड़ें - लाभांश पर कर - पश्च लेखित	-	24.08	-
	घटाएं - लाभांश तथा कारपोरेट लाभांश कर (सीडीटी)	2,996.35	1,758.82	-
	घटाएं - बॉण्ड मोचन आरक्षित को अंतरण	394.49	185.74	-
	घटाएं - अनुसंधान और विकास निधि को अंतरण	12.20	9.91	-
	तुलन-पत्र तिथि के अनुसार	**2,522.54**	**3,061.65**	**2,415.29**

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
(ix)	**अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) - इक्विटी लिखत**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	65.29	86.07	86.07
	जोड़ें - एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन	34.79	(20.78)	-
	तुलन-पत्र तिथि के अनुसार	**100.08**	**65.29**	**86.07**
(x)	**अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) - ऋण लिखत**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	20.72	30.20	30.20
	जोड़ें - एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन	15.78	(0.09)	-
	घटाएं - उचित मूल्य में परिवर्तन पर विलंबित कर	1.82	(0.01)	-
	घटाएं - लाभ एवं हानि को पुन- वर्गीकरण	-	9.40	-
	तुलन-पत्र तिथि के अनुसार	**34.68**	**20.72**	**30.20**
	कुल	**16,682.81**	**18,690.48**	**18,001.49**

आरक्षित की प्रकृति तथा प्रयोजन

1 **पूंजी मोचन आरक्षित -** कंपनी को वितरण योग्य लाभ से एक पूंजी मोचन आरक्षित बनाना अपेक्षित होता है, यदि शेयरों की पुन- खरीद को मुक्त आरक्षित से किया जाए, तो इस प्रकार खरीद किए गए शेयरों के नामितिक मूल्य को पूंजी मोचन आरक्षित को अंतरित किया जाना अपेक्षित होता है।

2 **प्रतिभूति प्रीमियम खाता -** प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित का उपयोग शेयरों को जारी किए जाने पर प्रीमियम को दर्ज करने के लिए किया जाता है। आरक्षित का उपयोग कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

3 **बॉण्ड मोचन आरक्षित -** कंपनी को लाभ में से एक बॉण्ड मोचन आरक्षित बनाना अपेक्षित होता है जो बॉण्डों की चुकौती के प्रयोजन हेतु उपलब्ध होता है।

4 **अनुसंधान और विकास आरक्षित -** लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मिनिरत्न सीपीएसई को दीर्घावधि व्यापार आवश्यकताओं हेतु कर पश्चात लाभ के 0.5 प्रतिशत का आर एण्ड डी बजट बनाना होता है। आर एण्ड डी बजट का वित्त पोषण व्ययगत नहीं होगा और इसे आर एण्ड डी आरक्षित के रूप में संचित किया जाता है।

5 **एफवीटीओसीआई-इक्विटी लिखत -** कंपनी ने इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता देने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर एफवीटीओसीआई इक्विटी निवेश आरक्षित में ही संचित किए जाते हैं। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को तब प्रतिधारित आय में अंतरित करती है जब इक्विटी प्रतिभूतियों को संगत विमान्य किया जाता है।

6 **एफवीटीओसीआई-ऋण लिखत -** कंपनी ने ऋण प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता देने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर एफवीटीओसीआई ऋण निवेश आरक्षित में ही संचित किए जाते हैं। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को लाभ एवं हानि के माध्यम से तब प्रतिधारित आय में अंतरित करती है जब संगत ऋण प्रतिभूतियों को विमान्य किया जाता है।

टिप्पणी सं. 16.1 : वित्तीय देयताएं - गैर वर्तमान - लेनदारी

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
बाण्ड			
प्रतिभूत	8,493.28	7,410.97	6,373.74
सावधि ऋण			
बैंकों से			
प्रतिभूत	2,259.36	3,289.02	3,698.77
अप्रतिभूत	1,241.26	1,465.61	1,474.91
अन्य पक्षों से			
प्रतिभूत	2,219.45	3,185.88	3,889.82
अप्रतिभूत	3,032.29	2,829.60	2,733.80
कुल	**17,245.64**	**18,181.08**	**18,171.04**

चुकौती/पुनर्भुगतान की शर्तें आदि

i) ऋण प्रसंविदाएं - टिप्पणी संख्या 33 की बिंदु संख्या 3 (पूंजी प्रबंधन) देखें।

ii) चुकौती तथा पुनर्भुगतान का विवरण - टिप्पणी 16.1 का अनुबंध देखें।

टिप्पणी सं. 16.1 का अनुबंध

(करोड़ रूपए में)

चुकौती और पुनर्भुगतान का विवरण (कुल देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नवत है)	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
(क) बॉण्ड (गैर-परिवर्तनीय और गैर-संचयी) - प्रतिभूत			
(i) **कर मुक्त बॉण्ड - 3ए सीरीज़ * 4 और 8** (1000/- रूपए प्रत्येक के 8.67 प्रतिशत प्रतिवर्ष के 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)	336.07	336.07	336.07
(ii) **कर मुक्त बॉण्ड - 3बी सीरीज़ * 4 और 8** (1000/- रूपए प्रत्येक के 8.92 प्रतिशत प्रतिवर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)	253.62	253.62	253.62
(iii) **बॉण्ड - यू सीरीज़ * 2 और 10** (1000000/- रूपए प्रत्येक के 8.24 प्रतिशत प्रति वर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 27.06.2031)	540.00	-	-
(iv) **बॉण्ड - यू1 सीरीज़ * 2 और 10** (1000000/- रूपए प्रत्येक के 8.17 प्रतिशत प्रति वर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 27.06.2031)	360.00	-	-
(v) **कर मुक्त बॉण्ड - 2ए सीरीज़ * 4 और 8** (1000/- रूपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)	213.12	213.12	213.12
(vi) **कर मुक्त बॉण्ड - 2बी सीरीज़ * 4 और 8** (1000/- रूपए प्रत्येक के 8.79 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)	85.61	85.61	85.61
(vii) **कर मुक्त बॉण्ड - 1ए सीरीज़ * 4 और 8** (1000/- रूपए प्रत्येक के 8.18 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)	50.81	50.81	50.81
(viii) **कर मुक्त बॉण्ड - 1बी सीरीज़ * 4 और 8** (1000/- रूपए प्रत्येक के 8.43 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)	60.77	60.77	60.77
(ix) **बॉण्ड - टी- सीरीज़ * 1, 2 और 10** (12,00,000/- रूपए प्रत्येक के 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (14.07.2019 से 14.07.2030 के बीच 122.91 करोड़ रूपये के 12 वार्षिक विमोचन)	1,474.92	1,474.92	-
(x) **बॉण्ड - आर-3 सीरीज़ * 4** (10,00,000/- रूपए प्रत्येक के 8.78 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (11.02.2019 से 11.02.2028 के बीच 89.20 करोड़ रूपये के 10 वार्षिक विमोचन)	892.00	892.00	892.00

(करोड़ रूपए में)

चुकौती और पुनर्भुगतान का विवरण (कुल देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नवत है)	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
(xi) बॉण्ड - एस-2 सीरीज़ * 10	660.00	660.00	660.00
(12,00,000/- रूपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (26.11.2018 से 26.11.2029 के बीच 55 करोड़ रूपये के 12 वार्षिक विमोचन)			
(xii) बॉण्ड - वी सीरीज़ * 13	775.00	-	-
(5,00,000/- रूपए प्रत्येक के 6.84 प्रतिशत प्रति वर्ष 5 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें 5 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/5 है) (24.01.2018 से 24.01.2022 के बीच 155.00 करोड़ रूपये के 5 वार्षिक विमोचन)			
(xiii) बॉण्ड - क्यू सीरीज़ * 5 और 11	1,055.00	1,160.50	1,266.00
(12,00,000/- रूपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) 1266.00 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 12.3.2016 से प्रारंभ होगी। 31.03.2017 के अनुसार 105.50 करोड़ रूपए की 10 वार्षिक किस्ते बकाया है।			
(xiv) बॉण्ड - आर-2 सीरीज़ * 4	318.40	350.24	382.08
(12,00,000/- रूपए प्रत्येक के 8.85 प्रतिशत प्रति वर्ष 14 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) 382.08 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.02.2016 से प्रारंभ होगी। 31.03.2017 के अनुसार 31.84 करोड़ रूपए की 10 वार्षिक किस्ते बकाया है।			
(xv) बॉण्ड - पी सीरीज़ * 4, 6 और 8	1,600.00	1,800.00	2,000.00
(10,00,000/- रूपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 10 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना चाहिए।) 2000 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 01.2.2016 से प्रारंभ होगी। 31.03.2017 के अनुसार 200 करोड़ रूपए की 8 वार्षिक किस्ते बकाया है।			
(xvi) बॉण्ड -एस1 सीरीज़ * 10	292.00	328.50	365.00
(8.49 प्रतिशत 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 1000000/- रूपये है और जो 10 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/10वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)। 365 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 26.11.2015 से प्रारंभ होगी। 31.03.2017 के अनुसार 36.50 करोड़ रूपए की 8 वार्षिक किस्ते बकाया है।			

(करोड़ रूपए में)

चुकौती और पुनर्भुगतान का विवरण (कुल देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नवत है)	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
(xvii) बॉण्ड -आर1 सीरीज़ * 4 (8.70 प्रतिशत 13 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 12,00,000/- रूपये है और जो 12 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/12वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)। 82.20 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.2.2015 से प्रारंभ होगी। 31.03.2017 के अनुसार 6.85 करोड़ रूपए की 9 वार्षिक किस्ते बकाया है।	61.65	68.50	75.35
(xviii) बॉण्ड - ओ सीरीज़ * 2 (10,00,00,000/- रुपए प्रत्येक के 7.70 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) 570 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 31.3.2009 से प्रारंभ होगी। 31.03.2017 के अनुसार 57 करोड़ रूपए की 1 वार्षिक किस्त बकाया है।	57.00	114.00	171.00
कुल बॉण्ड	**9,085.97**	**7,848.66**	**6,811.43**
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	**592.69**	**437.69**	**437.69**
वर्तमान परिपक्वता के निवल बॉण्ड (क)	**8,493.28**	**7,410.97**	**6,373.74**
(ख) सावधि ऋण - प्रतिभूत (बैंक)			
i) स्टेट बैंक आफ पटियाला *1 (09.01.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)	-	4.00	8.00
ii) केनरा बैंक *2 (09.11.2016 को पूर्णतः चुकता किया गया)	-	20.00	40.00
iii) सिंडिकेट बैंक *2 (23.02.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)	-	18.30	36.60
iv) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2 (31.03.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)	-	20.00	40.00
v) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2 (31.03.2017 को 7.207 प्रतिशत प्रति वर्ष की ऊपरी सीमा के साथ 7.20 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर से 10 करोड़ रुपये प्रत्येक की 4 समान वार्षिक किस्तों में 27.12.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य जिसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है)	40.00	50.00	60.00
vi) यूको बैंक *7 (24.01.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)	-	708.33	791.67
vii) कारपोरेशन बैंक *9 (31.03.2017 को 9.65 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 10.42 करोड़ रुपये प्रत्येक की 39 तिमाही किस्तों में 05.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	406.25	447.92	489.58
viii) केनरा बैंक *9 (31.03.2017 को 9.65 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.16 करोड़ रुपये प्रत्येक की 38 तिमाही किस्तों में 16.07.2026 तक जमा 16.10.2026 को 4.48 करोड़ रूपए की अंतिम किश्त के साथ पुनर्भुगतान योग्य)	162.56	179.20	195.84
ix) इंडियन ओवरसीज बैंक *9 (31.03.2016 को 9.70 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 39 तिमाही किस्तों में 16.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	162.50	179.17	195.83

(करोड़ रूपए में)

चुकौती और पुनर्भुगतान का विवरण (कुल देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नवत है)	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
x) पंजाब एंड सिन्ध बैंक *9 (24.01.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)	-	179.17	195.83
xi) सिंडिकेट बैंक *9 (31.03.2017 को 9.60 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 6.25 करोड़ रूपये प्रत्येक की 39 तिमाही किस्तों में 02.11.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	243.75	268.75	293.75
xii) यूनियन बैंक आफ इंडिया *9 (31.03.2017 को 9.30 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 3.125 करोड़ रूपये प्रत्येक की 39 तिमाही किस्तों में 03.11.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	121.88	134.37	146.89
xiii) स्टेट बैंक आफ इंडिया * 3 और 5 (31.03.2017 को 9.15 प्रतिशत की अस्थिर (वार्षिक रीसेट के साथ एमसीएलआर) ब्याज दर पर 20.83 करोड़ रूपये प्रत्येक की 44 तिमाही किस्तों में 27.03.2028 तक पुनर्भुगतान योग्य)	916.67	1,000.00	1,000.00
xiv) स्टेट बैंक आफ हैदराबाद * 1 और 5 (13.01.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)	-	489.58	500.00
xv) स्टेट बैंक आफ इंडिया * 8 (31.03.2017 को 8.00 प्रतिशत की अस्थिर (वार्षिक रीसेट के साथ एमसीएलआर) ब्याज दर पर 12.11 करोड़ रूपये प्रत्येक की 37 तिमाही किस्तों में 30.04.2026 तक जमा 31.07.2026 को 11.93 करोड़ रूपए की अंतिम किश्त के साथ पुनर्भुगतान योग्य)	460.00	-	-
कुल सावधि ऋण - बैंक (प्रतिभूत)	**2,513.61**	**3,698.79**	**3,993.99**
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	**254.25**	**409.77**	**295.22**
कुल सावधि ऋण - बैंक (प्रतिभूत) - वर्तमान परिपक्वता के निवल (ख)	**2,259.36**	**3,289.02**	**3,698.77**
(ग) सावधि ऋण - अप्रतिभूत (बैंक) - विदेशी मुद्रा			
i) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ट्रांचे-I*12 (31.03.2017 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 7.23 करोड़ रूपये प्रत्येक की 19 छमाही किस्तों में 20.01.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	128.26	144.65	140.41
ii) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ट्रांचे-II*12 (31.03.2017 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 23.73 करोड़ रूपये प्रत्येक की 22 छमाही किस्तों में 20.12.2027 तक पुनर्भुगतान योग्य)	514.28	569.44	544.38
iii) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ट्रांचे-III*12 (31.03.2017 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 23.73 करोड़ रूपये प्रत्येक की 34 छमाही किस्तों में 20.03.2034 तक पुनर्भुगतान योग्य)	587.08	630.92	587.70
iv) डश बैंक और अन्य *12 (अस्थिर ब्याज दर छमाही जेपीवाई एलआईबीओआर + 0.57 प्रतिशत मार्जिन पर 54.39 करोड़ रूपये प्रत्येक की 4 छमाही किस्तों में 18.10.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य)	214.36	326.35	383.99
कुल सावधि ऋण -बैंक (अप्रतिभूत)	**1,443.98**	**1,671.36**	**1,656.48**
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	**202.72**	**205.75**	**181.57**
कुल सावधि ऋण - बैंक (अप्रतिभूत) - वर्तमान परिपक्वता का निवल (ग)	**1,241.26**	**1,465.61**	**1,474.91**
(घ) सावधि ऋण - अन्य पार्टियों से (प्रतिभूत)			
i) भारतीय जीवन बीमा निगम *4 तथा 6 (31.03.2017 के अनुसार 41.67 करोड़ रूपये पर 9.25 प्रतिशत और 1000 करोड़ रूपये पर 8 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 104.17 करोड़ रूपये प्रत्येक की 8 छमाही किस्तों में 15.10.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य)।	833.33	1,041.67	1,250.00

(करोड़ रूपए में)

चुकौती और पुनर्भुगतान का विवरण (कुल देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नवत है)	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
ii) **भारतीय जीवन बीमा निगम *5 तथा 11** (31.03.2017 को 9.118 प्रतिशत भारित औसत ब्याज दर 6.5 प्रतिशत की फ्लोर दर पर स्थिर ब्याज दर के साथ 79 करोड़ रूपये प्रत्येक की 14 समान छमाही किस्तों में 31.10.2023 पुनर्भुगतान योग्य।)	1,106.00	1,264.00	1,422.00
iii) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *7** (ऋण को 16.07.2016 को पूर्णतः चुका दिया गया है)	-	412.50	487.50
iv) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *7** (31.03.2017 को वर्तमान में 10.17 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 4.65 करोड़ रूपये प्रत्येक की 6 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	27.90	46.50	65.10
v) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *7** (31.03.2017 को 10.17 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 1.75 करोड़ रूपये प्रत्येक की 18 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	31.50	38.50	45.50
vi) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *2&3** (31.03.2017 को 10.54 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 36.425 करोड़ रूपये प्रत्येक की 17 समान तिमाही किस्तों में 15.04.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	619.23	764.92	910.62
vii) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1** (31.03.2017 को 10.54 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 10.325 करोड़ रूपये प्रत्येक की 9 समान तिमाही किस्तों में 15.04.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	92.92	134.22	175.53
viii) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1** (31.03.2017 को 10.54 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 12.50 करोड़ रूपये प्रत्येक की 11 समान तिमाही किस्तों में 15.10.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	137.50	187.50	237.50
कुल सावधि ऋण-अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)	**2,848.38**	**3,889.81**	**4,593.75**
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	**628.93**	**703.93**	**703.93**
कुल सावधि ऋण - अन्य पक्षों से (प्रतिभूत) - वर्तमान परिपक्वता का निवल (घ)	**2,219.45**	**3,185.88**	**3,889.82**
(ङ) सावधि ऋण अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)			
विदेशी मुद्रा			
i) **एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा *12** (15.03.2016 को 6.01 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 23.45 करोड़ रूपये प्रत्येक की शून्य समान छमाही किस्तों में 15.03.2016 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	-	-	46.90
भारत सरकार से ऋण			
ii) **निम्मो - बाज़गो पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण** (4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष अर्थात 10.10.2025 से 27.26 करोड़ की 18 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)	394.76	270.00	270.00
iii) **चूटक पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण** (2.5 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 6ठें वर्ष अर्थात 01.02.2019 से 22.07 करोड़ रूपए की 24 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)	452.13	373.68	364.00

(करोड़ रूपए में)

चुकौती और पुनर्भुगतान का विवरण (कुल देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नवत है)	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
iv) **किशनगंगा जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से गौण ऋण** (1 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से 10 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा)	2,185.40	2,185.92	2,099.80
कुल सावधि ऋण - अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)	**3,032.29**	**2,829.60**	**2,780.70**
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	**-**	**-**	**46.90**
कुल सावधि ऋण - अन्य पक्षों से (प्रतिभूत) - वर्तमान परिपक्वता का निवल (ङ)	**3,032.29**	**2,829.60**	**2,733.80**
समग्र योग (क + ख + ग + घ +ङ)	**17,245.64**	**18,181.08**	**18,171.04**

*** प्रतिभूति का विवरण**

1. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-I की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
2. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के उड़ी-I पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-II की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
4. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्बती जल विद्युत परियोजना-II की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
5. पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित कम्पनी की तीस्ता लो डैम- I।। जल विद्युत परियोजना की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
6. उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी की धौली गंगा पावर स्टेशन की सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
7. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के दुलहस्ती पावर स्टेशन में निगम की वर्तमान तथा भविष्य की चल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित।
8. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा पावर स्टेशन-III की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
9. जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के सलाल पॉवर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित सेवा-II पॉवर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित कम्पनी के चूटक पावर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी के निम्मो-बाज़गो पावर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी के उड़ी-II पावर स्टेशन और पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित टीएलडीपी-IV पावर स्टेशन में कम्पनी की सभी अचल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
10. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के पार्बती-III पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक तथा रेहन के माध्यम से समरूप प्रभाग द्वारा प्रत्याभूत।
11. सिक्किम राज्य में अवस्थित कम्पनी की तीस्ता-v पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभाग द्वारा प्रत्याभूत।
12. उपरोक्त क्रमांक ग(i), ग(ii), ग(iii), ग(iv) और ङ(i) पर वर्णित ऋण भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत हैं।
13. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के पार्बती- I। जलविद्युत परियोजना की अचल/चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभाग द्वारा प्रत्याभूत।

टिप्पणी सं. 16.2 वित्तीय देयताएं - गैर वर्तमान - अन्य वित्तीय देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
जमा/प्रतिधारण राशि	25.63	37.62	73.93
कुल	**25.63**	**37.62**	**73.93**

टिप्पणी सं. 17 प्रावधान - गैर वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
क)	**कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान**			
	(बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)			
1)	**अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	365.17	354.20	354.20
	वर्ष के दौरान वर्धन	82.15	10.97	-
	अंतिम शेष	**447.32**	**365.17**	**354.20**
2)	**आरईएचएस हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	496.79	496.79
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	496.79	-
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**496.79**
3)	**टीटीए (सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता) हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	4.28	4.38	4.38
	वर्ष के दौरान वर्धन	0.06	(0.10)	-
	अंतिम शेष	**4.34**	**4.28**	**4.38**
4)	**स्मृति-चिन्ह हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	2.24	2.43	2.43
	वर्ष के दौरान वर्धन	(0.10)	(0.19)	-
	अंतिम शेष	**2.14**	**2.24**	**2.43**
ख.	**अन्य**			
1)	**प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	20.42	19.06	19.06
	वर्ष के दौरान वर्धन	3.55	3.04	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	10.16	3.05	-
	छूट की समाप्ति	1.34	1.37	-
	अंतिम शेष	**15.15**	**20.42**	**19.06**
2)	**आजीविका सहायता हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	16.09	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	1.56	16.00	-
	छूट की समाप्ति	0.33	0.09	-
	अंतिम शेष	17.98	16.09	-
	कुल	**486.93**	**408.20**	**876.86**

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

प्रावधानों के संबंध में जानकारी टिप्पणी 34 - लेखे की अन्य विवरणात्मक टिप्पणी के पैरा 24 में दी गई है।

टिप्पणी सं. 18 विलंबित कर देयताएं (निवल) - गैर वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
	विलंबित कर देयता			
क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	3,430.66	3,052.99	2,920.28
ख)	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	6.03	27.89	3.48
ग)	अन्य मदें	647.18	512.28	449.59
	घटाएं - 2009 तक टैरिफ अवधि हेतु प्राप्य	1,929.53	2,055.65	2,154.93
	घटाएं - विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन	796.71	359.73	102.62
	निवल विलंबित कर देयता	**1,357.63**	**1,177.78**	**1,115.80**
	घटांए - समायोजन प्रावधानों के अनुपालन में समायोजित विलंबित कर परिसपंत्तियां			
क)	संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान, माल-सूची तथा अन्य	92.42	73.60	143.54
ख)	कर्मचारी लाभ योजनाओं हेतु प्रावधान	172.15	27.79	130.90
ग)	अन्य मदें	154.57	214.46	21.48
	निवल विलंबित कर परिसंपत्तियां	**419.14**	**315.85**	**295.92**
	कुल	**938.49**	**861.93**	**819.88**

व्याख्यात्मक टिप्पणी: -

1) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित "आय पर करों हेतु लेखांकन" संबंधी भारतीय लेखांकन मानक 12 के अनुपालन में विलंबित कर देयताओ/ परिसंपत्तियों का सृजन विलंबित कर देयता/परिसंपत्ति के रूप् में किया गया है।

2) विलंबित कर देयता/परिसंपत्तियों में संचलन टिप्पणी संख्या 18 के अनुबंध में दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 18 का अनुबंध

विलंबित कर देयता में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मदें	2009 तक टैरिफ अवधि हेतु प्राप्य	विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन	कुल
01 अप्रैल, 2015 को	2920.28	3.48	449.59	2154.93	102.62	1115.80
(प्रभारित)/ क्रेडिट किया गया						
लाभ या हानि को	132.71	24.42	62.69	(99.28)	257.11	61.99
ओसीआई को	-	(0.01)	-	-	-	(0.01)
31 मार्च 2016 को	3052.99	27.89	512.28	2055.65	359.73	1177.78
(प्रभारित)/ क्रेडिट किया गया						
लाभ या हानि को	377.67	(23.68)	134.90	(126.12)	436.98	178.03
ओसीआई को	-	1.82	-	-	-	1.82
31 मार्च 2017 को	3430.66	6.03	647.18	1929.53	796.71	1357.63

विलंबित कर देयता में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान, माल-सूची तथा अन्य	कर्मचारी लाभ योजनाओं हेतु प्रावधान	अन्य मदें	कुल
01 अप्रैल, 2015 को	143.54	130.90	21.48	295.92
(प्रभारित)/ क्रेडिट किया गया लाभ या हानि को	(69.94)	(90.36)	192.98	32.68
ओसीआई को	-	(12.75)	-	(12.75)
31 मार्च 2016 को	73.60	27.79	214.46	315.85
(प्रभारित)/ क्रेडिट किया गया लाभ या हानि को	18.82	129.65	(59.89)	88.58
ओसीआई को	-	14.71	-	14.71
31 मार्च 2017 को	92.42	172.15	154.57	419.14

टिप्पणी सं. 19 अन्य गैर वर्तमान देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम)		1,038.18	1,098.86	1,159.54
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव लेखे से विलंबित आय		60.89	78.69	66.01
सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय		373.40	206.58	-
	कुल	**1,472.47**	**1,384.13**	**1,225.55**
सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय				
वर्ष के प्रारंभ में		206.88	-	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त		176.70	206.93	-
घटाएं : लाभ एवं हानि विवरण को निर्मुक्त		4.60	0.05	-
वर्ष के अंत में शेष		**378.98**	**206.88**	**-**
सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय (वर्तमान)		**5.58**	**0.30**	**-**
सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय (गैर-वर्तमान)		**373.40**	**206.58**	**-**

टिप्पणी सं. 20.1 ऋण - वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण		31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
	ऋण - अन्य ऋण - प्रतिभूत				
	बैंकों से		302.50	-	-
		कुल	**302.50**	**-**	**-**

चुकौती तथा पुनर्भुगतान का ब्यौरा

	बैंक का नाम प्रतिभूति की प्रकृति ब्याज दर	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
1	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - सावधि जमा रसीद (एफडीआर) 7.25 प्रतिशत	225.00	-	-
2	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स - सावधि जमा रसीद (एफडीआर) 7.01 प्रतिशत	47.50	-	-
3	यूको बैंक - सावधि जमा रसीद (एफडीआर) 7.37 प्रतिशत	30.00	-	-
	सकल जोड़	**302.50**	**-**	**-**

पुनर्भुगतान अवधि - ऋण राशि का पुनर्भुगतान किसी भी समय और आंशिक रूप से भी किया जा सकता है।
पुनर्भुगतान में चूक (यदि कोई हो) - कोई नहीं

टिप्पणी सं. 20.2 देय व्यापार - वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय	4.28	1.23	0.06
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय	142.80	120.91	152.85
कुल	**147.08**	**122.14**	**152.91**

व्याख्यात्मक टिप्पणी: -

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकता को टिप्पणी सं. 34- लेखे पर अन्य विवरणात्मक टिप्पणियों के पैरा 22 में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 20.3 अन्य वित्तीय देयताएं - वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता *			
बॉण्ड	592.69	437.69	437.69
सावधि ऋण - बैंक - प्रतिभूत	254.25	409.77	295.22
सावधि ऋण - बैंक - अप्रतिभूत	202.72	205.75	181.57
अन्य पक्ष - प्रतिभूत	628.93	703.93	703.93
अन्य पक्ष - अप्रतिभूत	-	-	46.90
पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता	279.62	346.37	334.26
पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता - एमएसएमई	1.51	0.88	0.10
ऋणों पर प्रोदभूत किन्तु देय न होने वाला ब्याज	428.56	377.24	308.39
जमा /प्रतिधारण राशि	98.18	106.65	93.52
अनुषंगी कंपनियों को देय	-	1.53	-
अदा न किया गया लाभांश	14.26	10.06	5.85
अदा न किया गया ब्याज	0.27	0.06	0.03
कुल	**2,500.99**	**2,599.93**	**2,407.46**

* मोचन, ब्याज की दर, चुकौती की अवधि तथा प्रतिभूति के ब्यौरे टिप्पणी संख्या 16.1 के अनुबंध में प्रकट किए गए हैं।

टिप्पणी सं. 21 अन्य वर्तमान देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम)	60.68	60.68	50.17
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव लेखे से विलंबित आय	6.17	6.17	8.41
जमा/एजेंसी आधार कार्य की व्यय न की गई राशि	-	-	0.04
भुगतान योग्य सांविधिक देय	352.55	333.18	260.58
जमा कार्यों के प्रति अग्रिम	244.12	232.92	232.92
जमा कार्यों पर व्यय की गई राशि	(238.87)	(232.90)	(229.44)
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य की लागत के प्रति अग्रिम	4,547.35	4,477.08	4,462.39
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों के संबंध में व्यय की गई राशि	(4,283.37)	(4,288.02)	(4,285.93)
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों के संबंध में वसूली योग्य राशि के प्रति प्रावधान	2.28	2.28	2.28
अन्य देयताएं	58.80	79.15	123.52
सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय	5.58	0.30	-
कुल	**755.29**	**670.84**	**624.94**

टिप्पणी सं. 22 प्रावधान - वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
क)	**कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान**			
	(बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)			
i)	**अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	55.35	50.58	50.58
	वर्ष के दौरान वर्धन	78.86	19.23	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	68.07	14.46	-
	अंतिम शेष	**66.14**	**55.35**	**50.58**
ii)	**आरईएचएस हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	18.93	18.93
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	1.58	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	20.51	-
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**18.93**
iii)	**टीटीए (सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता) हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0.61	0.57	0.57
	वर्ष के दौरान वर्धन	0.34	0.08	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.34	0.04	-
	अंतिम शेष	**0.61**	**0.61**	**0.57**
iv)	**स्मृति-चिन्ह हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0.32	0.32	0.32
	वर्ष के दौरान वर्धन	0.26	0.04	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.28	0.04	-
	अंतिम शेष	**0.30**	**0.32**	**0.32**
v)	**उपदान हेतु प्रावधान**			
	वर्ष के दौरान वर्धन	186.36	-	-
	अंतिम शेष	**186.36**	**-**	**-**
vi)	**मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	7.19	33.78	33.78
	वर्ष के दौरान वर्धन	2.91	4.55	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	31.03	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	0.11	-
	अंतिम शेष	**10.10**	**7.19**	**33.78**
	घटाएं : अदा किया गया अग्रिम	10.10	7.19	33.78
	अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	**-**	**-**	**-**
vii)	**उत्पादकता सहयोजित वेतन/ प्रोत्साहन हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	100.70	98.76	98.76
	वर्ष के दौरान वर्धन	118.34	100.99	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	100.71	91.67	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	7.38	-
	अंतिम शेष	**118.33**	**100.70**	**98.76**
viii)	**अधिवर्षिता/पेंशन निधि के लिए प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	42.23	33.84	33.84
	वर्ष के दौरान वर्धन	5.94	42.23	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	42.21	33.84	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.02	-	-
	अंतिम शेष	**5.94**	**42.23**	**33.84**

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
ix)	**मजूदरी संशोधन हेतु प्रावधान तीसरी वेतन संशोधन समिति**			
	वर्ष के दौरान वर्धन	103.33	-	-
	अंतिम शेष	**103.33**	**-**	**-**
ख.	**अन्य**			
i)	**टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	263.29	155.63	155.63
	वर्ष के दौरान वर्धन	94.83	109.78	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	252.36	2.12	-
	अंतिम शेष	**105.76**	**263.29**	**155.63**
ii)	**प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	69.77	49.34	49.34
	वर्ष के दौरान वर्धन	125.06	24.43	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	6.82	4.06	-
	छूट की समाप्ति	0.20	0.06	-
	अंतिम शेष	**188.21**	**69.77**	**49.34**
iii)	**बीमित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्यय हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	49.31	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	43.43	66.37	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	45.23	17.06	-
	अंतिम शेष	**47.51**	**49.31**	**-**
iv)	**आजीविका सहायता हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	7.25	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	6.53	7.24	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.02	-	-
	छूट की समाप्ति	0.27	0.01	-
	उचित मूल्य समायोजन के पश्चात अंतिम शेष	**14.03**	**7.25**	**-**
v)	**प्रावधान - अन्य**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	674.21	628.28	628.28
	वर्ष के दौरान वर्धन	144.84	225.56	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	143.70	126.56	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	21.92	53.07	-
	अंतिम शेष	**653.43**	**674.21**	**628.28**
	कुल	**1,489.95**	**1,263.04**	**1,036.25**

व्याख्यात्मक टिप्पणी: -

1) बोर्ड ने विद्युत मंत्रालय के दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 के पत्र संख्या 11/17/2009-एनएचपीसी/खंड-2 के माध्यम से बोर्ड स्तर के कार्यपालकों से नीचे के संबंध में वेतनमान संबंधी सक्षम प्राधिकारी के इस अनुमोदन को सम्प्रेषित करने वाले कि 1.1.97 से निर्धारित वेतनमान में कमियों का सुधार करने के पश्चात वेतनमान 1.1.2007 से निर्धारित किए जाएं और 1.1.97 से निर्धारित विपथनकारी वेतनमानों को नियमित नहीं किया जाए के निदेशों को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया है। विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 25 फरवरी, 2016 के पत्र संख्या 11/17/22009-एनएचपीसी-खंड-3 के माध्यम से यह पुष्टि की है कि 1.2.2014 से वैयक्तिक वेतन समायोजन की वसूली सक्षम प्राधिकारी के उक्त निदेश के अनुरूप है। तदनुसार, वेतन संशोधन हेतु प्रावधान के शेष के प्रति शून्य और 31.03 करोड़ रूपए के व्यक्तिगत वेतन अग्रिम को क्रमशः 31 मार्च, 2017 तथा 31 मार्च, 2016 को समायोजित कर लिया गया है। तथापि, एनएचपीसी अधिकारी एसोसिएशन ने व्यक्तिगत वेतन समायोजन (फिटमेंट लाभ) को रोके जाने की क्रियान्वयन के विरूद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया है। माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के मद्देनजर कर्मचारियों को वेतन के साथ व्यक्तिगत वेतन समायोजन का भुगतान जारी है। इस प्रकार "वेतन संशोधन हेतु प्रावधान " शीर्ष के अंतर्गत 1.2.2014 से 31.3.2017 तक व्यक्तिगत वेतन समायोजन के प्रति मुहैया करवाई गई संचित राशि 10.10 करोड़ रूपये है (वर्तमान वर्ष 2.91 करोड़ रूपये के प्रावधान सहित) जिसमें तदनुरूपी राशि को "अदा किए गए अग्रिम" के रूप में दर्शाया गया है।

2) प्रावधानों के संबंध में जानकारी तुलन-पत्र की टिप्पणी 34 के पैरा 24 में दी गई है।

टिप्पणी सं. 23 वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
आयकर			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	744.97	583.50	251.62
वर्ष के दौरान वर्धन	706.56	744.97	583.50
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	(744.97)	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	583.50	251.62
अंतिम शेष	**706.56**	**744.97**	**583.50**
घटाएं : वर्तमान अग्रिम कर	762.49	638.31	522.40
निवल वर्तमान कर देयताएं (निवल)	(55.93)	106.66	61.10
घटाएं : वर्तमान कर परिसंपत्तियां (टिप्पणी सं. 12.2 में दर्शाए गए अनुसार)	**55.93**	**-**	**-**
संपत्ति कर	-	-	1.66
कुल	**-**	**106.66**	**62.76**

टिप्पणी सं. 24 : प्रचालनों से राजस्व

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
1.	**प्रचालन राजस्व**		
क.	**बिक्री**		
	विद्युत की बिक्री	6,537.67	6,953.07
	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम - वर्ष के दौरान पश्च लेखित	60.68	50.17
	घटाएं :		
	विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन के कारण बिक्री समायोजन	51.81	64.65
	टैरिफ समायोजन	94.83	109.78
	विनियमित विद्युत समायोजन	27.71	111.18
	बिजली के उत्पादन से आय - चालू किए जाने से पूर्व (निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित)	0.56	0.51
	उपभोक्ताओं को छूट	12.92	12.55
	उप जोड़ (क)	**6,410.52**	**6,704.57**
ख	**वित्त- पट्टे से आय**	206.35	213.20
ग	**प्रचालन पट्टे से आय**	522.59	347.94
घ	**संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व**		
	संविदा आय	-	3.76
	परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	52.07	30.46
	उप जोड़ (घ)	**52.07**	**34.22**
	उप जोड़ - 1 (क+ख+ग+घ)	**7,191.53**	**7,299.93**
2.	**अन्य प्रचालन राजस्व**		
	लाभग्राही राज्यों से ब्याज (टैरिफ का संशोधन)	79.64	53.07
	उप जोड़-2	**79.64**	**53.07**
	कुल (1+2)	**7,271.17**	**7,353.00**
	व्याख्यात्मक टिप्पणी: -		
	1) टैरिफ को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न पूर्व के वर्ष की बिक्री की राशि जिसे वर्तमान अवधि की बिक्री में शामिल किया गया है।	105.87	140.01

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
2)	'सीईआरसी' द्वारा अनुमेय किए गए अनुसार 'मानद उत्पादन' को बिक्री में शामिल किया गया है।	115.98	77.14
3)	कुछ लाभार्थियों द्वारा शुल्क अदा न किए जाने के कारण, उन्हें आवंटित विद्युत के अंश के संदर्भ में सीईआरसी विनियम संख्या एल-1/42/2010-सीईआरसी दिनांक 28 सितम्बर, 2010 की शर्तों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान विद्युत विनियमित की गई और तदनुरूप बिक्री में विनियमित विद्युत के संदर्भ में राशि शामिल है, जो पावर एक्सचेंज के जरिए नीलामी के माध्यम से बेची गई। उक्त विनियम में यह प्रावधान भी है कि इस तरह विनियमित बिजली बेचे जाने और तत्संबंधी बिक्री पर हुए खर्च को समायोजित करने के बाद जो लाभ अर्जित हो उसे उन लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए जिनकी विद्युत विनियमित की गई हो।	61.19	195.02
4)	विनियमित विद्युत के कारण विद्युत की बिक्री की राशि को उन लाभार्थियों के प्रति बकाया देयों में समायोजित किया गया है।	15.76	72.01
5)	अभी बिल न की गई बिक्री की राशि को बिक्री में शामिल किया गया है।	1,005.66	753.72
6)	दिनांक 21.02.2004 की अधिसूचना के तहत सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ का निर्धारण चालू टैरिफ अवधि के अंत में उसकी पूंजीगत लागत की सत्यता पर निर्भर करेगा, जिससे टैरिफ घट या बढ़ सकता है। तदनुरूप, प्रचुर सावधानी के तौर पर वर्ष के दौरान बहियों में उक्त राशि का प्रावधान किया गया है।	94.83	109.78
7)	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की अधिसूचना संख्या एल-1/144/2013-सीईआरसी दिनांक 21.02.2014 के तहत जारी टैरिफ विनियम के विनियम संख्या 49 के संदर्भ में 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए देय स्थगित कर देयता, चाहे वह कभी भी संभव हो, सीधे लाभार्थियों से वसूल की जाती है और इसका लेखांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है। तदनुरूप, उक्त राशि को संगत वर्ष की विद्युत की बिक्री में शामिल किया गया है।	192.87	191.11

टिप्पणी सं. 25 अन्य आय

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)	**लाभांश आय**		
	- अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	204.49	118.29
	- लाभांश - अन्य	3.00	2.64
ख)	**ब्याज आय**		
	एफवीटीओसीआई पर वहन किए गए निवेशों से ब्याज	31.19	39.64
	ब्याज - सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी 8.5 प्रतिशत कर मुक्त बॉण्ड)	-	16.35
	प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन - सहायता अनुदान	4.60	0.05
	निवेश पर प्रभावी ब्याज - ऋण लिखत	0.25	0.23
	निम्नलिखित पर ब्याज		
	ग्राहकों से देयों के निपटान पर राज्य सरकार को ऋण	0.54	2.69
	अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	43.09	39.53
	जमा खाता	388.38	487.50
	कर्मचारी ऋण और अग्रिम	12.01	11.55
	कर्मचारी ऋण और अग्रिम - प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	2.35	2.34
		40.84	53.55

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
ग)	**अन्य गैर-प्रचालन आय**		
	विलंब भुगतान अधिभार	526.75	24.07
	व्यापार बाधा के कारण हानि की वसूली	111.80	89.99
	एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश की बिक्री पर निवल लाभ/(हानि)	-	9.02
	एफवीटीपीएल पर किए गए निवेश की बिक्री पर निवल लाभ/(हानि)	6.54	4.15
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.46	0.51
	बीमा दावे से आय	7.20	41.24
	पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/प्रावधान #	48.51	45.42
	अन्य	42.76	82.98
	विनिमय दर अंतर	4.52	2.21
	उप जोड़	**1,479.28**	**1,073.95**
	घटाएं - निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित आय	13.23	64.78
	घटाएं - अग्रिम को अंतरित आय/ग्राहक/संविदादाता से जमा तथा जमा कार्यों के प्रति	7.38	17.10
	लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल	**1,458.67**	**992.07**
	व्याख्यात्मक टिप्पणी: -		
1	**# पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताओं/ प्रावधानों का ब्यौरा**		
	क) खराब और संदिग्ध पूंजीगत अग्रिम (* 1 टिप्पणी सं. 4 के अंतर्गत)	-	-
	ख) खराब और संदिग्ध जमा (* 2 टिप्पणी सं. 4 के अंतर्गत)	-	-
	ग) भंडार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी (* 1 टिप्पणी सं. 5 के अंतर्गत)	1.75	0.30
	घ) खराब और संदिग्ध ऋण (* 1 टिप्पणी सं. 7 के अंतर्गत)	-	0.21
	ङ) खराब और संदिग्ध कर्मचारी ऋण - वर्तमान (* 1 टिप्पणी सं. 10 के अंतर्गत)	-	0.06
	च) संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान (* 1 टिप्पणी सं. 11 के अंतर्गत)	5.61	0.09
	छ) संदिग्ध प्रोदभूत ब्याज हेतु प्रावधान (* 3 टिप्पणी सं. 13 के अंतर्गत)	2.55	-
	ज) संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान (* 1 टिप्पणी सं. 13 के अंतर्गत)	-	0.01
	झ) संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान (संविदाकार और आपूर्तिकार) (* 2 टिप्पणी सं. 13 के अंतर्गत)	-	-
	ञ) पश्च लेखन स्वीकृति की प्रतीक्षा वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान (* 4 टिप्पणी सं. 13 के अंतर्गत)	-	-
	ट) जांच लंबित/पश्चलेखन स्वीकृति प्रतीक्षित हानियों हेतु प्रावधान (* 5 टिप्पणी सं. 13 के अंतर्गत)	0.10	0.02
	ठ) वेतन संशोधन हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 22 की क्रम संख्या क(6))	-	0.11
	ड) पीआरपी/प्रोत्साहन/उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 22 की क्रम संख्या क(7))	-	7.38
	ढ) अधिवर्षिता/पेंशन निधि हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 22 की क्रम संख्या क(8))	0.02	-
	ण) सेवानिवृत्ति लाभों हेतु प्रावधान (उपदान, अवकाश नकदीकरण, आरईएचएस, स्मृति चिन्ह आदि) (टिप्पणी सं. 17 की क्रम सं. क(1,2,3,4) और टिप्पणी सं. 22 की क्रम संख्या क (1,2,3,4))	-	-
	त) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 22 की क्रम संख्या ख(1))	-	-
	थ) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 17 की क्रम सं. ख(1) और टिप्पणी सं. 22 की क्रम संख्या ख(2))	-	-
	द) आजीविका सहायता हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 17 की क्रम सं. ख(2) और टिप्पणी सं. 22 की क्रम संख्या ख(4))	-	-

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
ध)	बीमित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्ययों हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 22 की क्रम संख्या ख(3))	-	-
ण)	प्रावधान किए गए परियोजना व्ययों का पश्चलेखन	-	31.28
प)	अन्य	38.48	5.96
	कुल	**48.51**	**45.42**

2. लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल में टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 25(क) में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 26.99 करोड़ रूपये (गत वर्ष 25.76 करोड़ रूपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 26.99 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को इंड एएस 114-"नियामक विलंबित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 26 : उत्पादन एवं अन्य व्यय

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क.	**उत्पादन व्यय**		
(i)	जल उपयोग प्रभार	748.40	771.11
(ii)	भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	25.27	19.76
ख.	**संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय**	**-**	0.05
ग.	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**		
	भवन	80.64	60.94
	मशीनरी	63.69	57.56
	अन्य	149.65	140.77
घ.	**प्रशासनिक व्यय**		
	किराया और हायर प्रभार	44.98	42.39
	दरें और कर	2.66	15.10
	बीमा	132.79	123.87
	सुरक्षा व्यय	217.11	183.16
	विद्युत प्रभार	49.30	52.27
	यात्रा एवं वाहन	26.09	23.79
	वाहनों पर खर्च	8.93	8.38
	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	18.94	15.04
	विज्ञापन एवं प्रचार	13.03	13.72
	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	0.29	0.32
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	5.84	5.40
	परामर्शी प्रभार -स्वदेशी	13.20	10.80
	लेखा परीक्षा खर्च (नीचे विवरणात्मक टिप्पणी-3 देखें)	2.40	1.93
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सुधार पर खर्च	4.98	10.51
	कंपनी के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर किया गया व्यय	6.19	3.81
	परिसंम्पत्तियों पर हानि	2.16	2.20
	बीमा दावे से हानियां (आधिक्य खंड तक)	1.90	14.25
	बीमा दावे से हानियां (आधिक्य खंड से परे)	6.98	41.24
	पुस्तकें व पत्रिकाएं	0.29	0.25
	चंदा	5.00	-

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
	सीएसआर/धारणीय विकास	75.82	72.65
	सामुदायिक विकास व्यय	0.01	0.06
	निदेशकों के खर्च	0.17	0.13
	अनुसंधान और विकास व्यय	-	0.72
	माध्यस्थम/अदालती मामलों पर ब्याज	30.19	13.94
	लाभग्राही राज्यों को ब्याज	52.22	27.58
	विनियमित बिजली पर व्यय	4.39	13.75
	घटाएं : विनियमित बिजली पर वसूली योग्य व्यय	(4.39)	(13.75)
	विनियम दर अंतर	0.47	4.92
	अन्य सामान्य व्यय	106.17	87.23
	कुल (क+ख+ग+घ)	**1,895.76**	**1,825.85**
	घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित राशि	72.28	88.41
	घटाएं : जमा कार्यों हेतु वसूली योग्य	1.14	2.44
	घटाएं : उत्पादन और अन्य व्ययों का अंतरण - आईपीओ/पुनः खरीद	9.33	-
		1,813.01	**1,735.00**
ङ.	**प्रावधान**		
	खराब तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	19.57	0.53
	खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	4.38	-
	खराब तथा संदिग्ध दावे हेतु प्रावधान	22.46	8.37
	संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान	19.79	20.27
	भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी	0.52	0.69
	प्रावधान किए गए परियोजना व्यय	41.34	359.65
	अचल परिसंपत्तियों/भंडार हेतु मुहैया करवाया गया प्रावधान	2.77	6.37
	लाभग्राहियों को ब्याज हेतु प्रावधान	14.08	-
	अन्य	-	0.09
	उप जोड़	**124.91**	**395.97**
	घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित राशि	5.23	5.03
		119.68	**390.94**
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**1,932.69**	**2,125.94**

स्पष्टीकरण टिप्पणी: -

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीज्गिि व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को किराये के रूप मे दर्शाया गया है।

2) कंपनी द्वारा सीईआरसी की दिनांक 19.01.2009 की अधिसूचना के अंतर्गत संतुलन के लिए दायर आवेदन के संबंध में सीईआरसी द्वारा संशोधन आदेश के लंबित होने के चलते, संबंधित राशि का बहियों में लाभग्राही राज्यों के प्रति ब्याज के लिए प्रावधान किया गया है जिसे उक्त संशोधन आदेश के परिणामस्वरूप टैरिफ में कमी के मामले में अदा किया जाना पड़ सकता है। 14.08 -

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
3)	लेखा परीक्षा व्यय का ब्योरा नीचे दिया गया है :-		
	i) **सांविधिक लेखा-परीक्षक**		
	लेखा-परीक्षक के रूप में		
	लेखा-परीक्षा शुल्क	0.64	0.53
	कर लेखा-परीक्षा शुल्क	0.19	0.17
	अन्य क्षमता में		
	कराधान मामले	0.01	0.02
	अन्य मामले/ सेवाएं	0.49	0.37
	खर्चों की अदायगी	0.92	0.68
	ii) **लागत लेखा परीक्षक**		
	लेखा-परीक्षा शुल्क	0.15	0.13
	खर्चों की अदायगी	0.00	0.03
	कुल लेखापरीक्षा व्यय	**2.40**	**1.93**

4) लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल में टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 25(क) में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 101.98 करोड़ रूपये (गत वर्ष 116.61 करोड़ रूपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 78.68 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को भारतीय लेखांकन मानक 114-"नियामक विलंबित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 27 : कर्मचारी लाभ व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	1,408.45	1,172.51
उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	327.20	220.01
कर्मचारी कल्याण व्यय	79.36	115.16
अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	0.09	0.01
विलंबित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय	5.51	5.78
उप जोड़	**1,820.61**	**1,513.47**
घटाएं : ईएसी को अंतरित राशि	244.35	353.52
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	1.34	1.59
लाभ एवं हानि विवरण को ले जाया गया कुल	**1,574.92**	**1,158.36**

स्पष्टीकरण टिप्पणी: -

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के संबंध में पट्टा भुगतान को वेतन, मजदूरी, भत्तों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

	2) उपदान, भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान में निम्नलिखित अंशदान शामिल है	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
	(i) कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति	74.38	72.79
	(ii) कर्मचारी निर्धारित योगदान अधिवर्षिता योजना	86.48	122.84

3) लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल में टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 25(क) में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 92.74 करोड़ रूपये (गत वर्ष 107.49 करोड़ रूपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 92.74 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को भारतीय लेखांकन मानक 114-"नियामक विलंबित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 28 : वित्त लागत

(करोड़ रूपए में)

	विवरण		31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क.	**निम्नलिखित पर ब्याज -**			
	भारत सरकार ऋण		30.37	19.97
	बॉण्ड		749.33	688.65
	विदेशी ऋण		26.27	28.92
	सावधि ऋण		607.24	767.32
	प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन - सहायता अनुदान		12.38	2.74
		उप जोड़	**1,425.59**	**1,507.60**
ख.	**विनिमय अंतर जिन्हें ऋण लागत पर समायोजन माना गया है**			
	विनिमय अंतर जिन्हें ब्याज लागत पर समायोजन माना गया है		2.28	179.93
	घटाए : विदेशी मुद्रा विनिमय दर में अतर के कारण ब्याज समायोजन		(2.28)	(179.93)
		उप जोड़	**-**	**-**
ग.	**अन्य ऋण लागत**			
	बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय		0.37	0.34
	प्रतिबद्धता शुल्क		-	0.05
	विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क		22.96	20.44
	अन्य वित्त प्रभार		5.86	4.23
	प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन		3.34	3.41
	प्रावधान - समय मूल्य हेतु समायोजन		1.90	1.77
		उप जोड़	**34.43**	**30.24**
		(क+ख+ग)	**1,460.02**	**1,537.84**
	घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय को अंतरित वित्त लागत		386.80	465.74
	कुल लाभ एवं हानि लेखा को अग्रेनीत		**1,073.22**	**1,072.10**

विवरणात्मक टिप्पणी:-

1 लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल में टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 25(क) में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 365.32 करोड़ रूपये (गत वर्ष 396.22 करोड़ रूपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 365.32 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को भारतीय लेखांकन मानक 114-"नियामक विलंबित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. : 29 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय		1,409.63	1,380.84
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यह्रास समायोजन		(1.71)	(0.96)
	उप जोड़	**1,407.92**	**1,379.88**
घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय		19.48	20.73
घटाएं : जमा कार्यों से प्राप्य		0.04	0.08
कुल लाभ एवं हानि लेखा को अग्रेनीत		**1,388.40**	**1,359.07**

विवरणात्मक टिप्पणी :-

लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल में टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 25(क) में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 6.96 करोड़ रूपये (गत वर्ष 7.64 करोड़ रूपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 6.96 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को भारतीय लेखांकन मानक 114-"नियामक विलंबित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. : 30 कर व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वर्तमान कर		
आय कर प्रावधान	706.56	744.97
आय कर हेतु समायोजन *	(116.99)	(23.67)
कुल वर्तमान कर व्यय	**589.57**	**721.30**
विलंबित कर *		
विलंबित कर परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	(88.59)	19.93
विलंबित कर देयताओं में कमी (वृद्धि)		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	488.89	167.23
कुल विलंबित कर व्यय (लाभ)	**400.30**	**187.16**
घटाएं : वर्ष 2009 तक टैरिफ अवधि हेतु प्राप्य	(126.12)	(99.27)
घटाएं : विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन	436.98	257.12
निवल विलंबित कर	**89.44**	**29.31**
कुल लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत	**679.01**	**750.61**

* वर्तमान कर व्यय में समायोजन वर्तमान वर्ष में आय कर प्राधिकारियों से प्राप्त पहले की अवधियों के कर प्रतिदाय के संबंध में है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

i) **कर व्यय और भारत की घरेलू दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ का मिलान**	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय कर व्ययों से चालू प्रचालनों से लाभ	3,474.60	3,180.50
आय कर व्ययों से अवरूद्ध प्रचालनों से लाभ		-
कुल	**3,474.60**	**3,180.50**
लागू कर दर (प्रतिशत)	34.608	34.608
गणना किए गए कर व्यय	1,202.49	1,100.71
कर योग्य आय की गणना करते समय विचारित वर्धन/कमी का कर प्रभाव		
सीएसआर/धारणीय व्यय/सामुदायिक विकास व्यय	26.24	25.15
विलंबित कर का वसूलीयोग्य भाग	126.12	99.27
मुक्त एवं कर छूट प्राप्त आय	(72.00)	(48.44)
कर प्रोत्साहन	(442.73)	(491.15)
पूर्व की अवधि के वर्तमान कर हेतु समायोजन	(116.99)	(23.67)
मैट क्रेडिट उपलब्ध/(उपयोग)	(43.00)	(107.05)
विलंबित कर परिसंपत्तियों का प्रत्यावर्तन	-	195.79
अन्य मदे	(1.12)	-
आय कर व्यय	**679.01**	**750.61**
ii) **इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त राशियां**		
रिपोर्टिंग अवधि में उत्पन्न होने वाले समेकित वर्तमान तथा विलंबित कर जिन्हें निवल लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय में मान्यता नहीं दी गई है परंतु सीधे इक्विटी को डेबिट/(क्रेडिट) किया गया है :		
वर्तमान कर	शून्य	शून्य
विलंबित कर	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**
iii) **कर हानियां**		
अप्रयुक्त कर हानियां जिनके लिए किसी विलंबित कर परिसंपत्ति को मान्यता प्रदान नहीं की गई है	शून्य	शून्य
संभावित कर लाभ 30 प्रतिशत की दर से	शून्य	शून्य

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
iv)	**मान्यता न प्रदान किए गए अस्थायी अंतर**		
	अनुषंगी कंपनियों में निवेश से संबंधित अस्थायी अंतर जिनके लिए विलंबित कर देयताओं को मान्यता नहीं प्रदान की गई है		
	अवितरित आय	शून्य	शून्य
	उक्त अस्थायी अंतरों से संबंधित मान्यता न दी गई विलंबित कर देयताएं	शून्य	शून्य

टिप्पणी सं.: 31 विनियामक विलंबित लेखा शेषों में संचलन

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
	निम्नलिखित के कारण संचलन		
क)	कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	292.52	106.24
ख)	उत्पादन और अन्य व्यय	78.68	66.26
ग)	मूल्यह्रास	6.96	7.64
घ)	वित्त लागत	365.32	396.22
ङ)	अन्य आय	(26.99)	(25.46)
च)	मौद्रिक मदों पर विनियम अंतर	(2.50)	-
	कुल	**713.99**	**550.90**

टिप्पणी सं. : 32 विनियामक विलंबित लेखा शेषों में संचलन

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क.	**कर्मचारी पारिश्रमिक व्यय**		
	वेतन, मजदूरी, भत्ते	122.12	139.94
	उपदान और भविष्य निधि के लिए अंशदान	27.67	22.71
	स्टाफ कल्याण व्यय	7.85	9.92
	अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	-	0.01
	उप जोड़	**157.64**	**172.58**
ख.	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**		
	भवन	3.77	4.66
	मशीनरी	0.01	0.04
	अन्य	2.24	4.35
	उप जोड़	**6.02**	**9.05**
ग	**प्रशासन तथा अन्य व्यय**		
	किराया	9.75	9.56
	दरें और कर	0.69	0.15
	बीमा	0.16	0.15
	सुरक्षा व्यय	15.86	16.60
	विद्युत प्रभार	3.34	3.56
	यात्रा एवं वाहन	2.73	2.92
	वाहनों पर व्यय	0.98	1.60
	टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	2.51	2.66
	विज्ञापन एवं प्रचार	0.32	0.50

(करोड़ रूपए में)

	विवरण		31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
	मुद्रण एवं स्टेशनरी		0.79	0.79
	डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार			
	- स्वदेशी		1.34	2.01
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ जल ग्रहण क्षेत्र/ पर्यावरण सुधार पर खर्च		3.63	9.85
	कंपनी के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर किया गया व्यय		5.92	2.60
	पश्चलेखित परिसंपत्तियां/दावे		0.07	-
	भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास व्यय		2.69	-
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		0.01	-
	अन्य सामान्य व्यय		7.81	8.33
	विनिमय दर अन्तर (डेबिट)		-	2.47
		उप जोड़	**58.60**	**63.75**
घ.	**वित्त लागत**			
	निम्नलिखित पर ब्याज :			
	बॉण्ड		240.33	230.53
	सावधि ऋण		137.21	231.17
	बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय		0.18	0.25
	अन्य वित्त प्रभार		0.79	0.57
	केन्द्र सरकार से ऋण पर ब्याज - प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन		7.21	2.68
	सुरक्षा जमा/ प्रतिधारण राशि पर ब्याज - प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन		0.59	0.53
		उप जोड़	**386.31**	**465.73**
ङ.	**प्रावधान**		**5.23**	**5.00**
		उप जोड़	**5.23**	**5.00**
च.	**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय**		**17.58**	**16.28**
		उप जोड़	**17.58**	**16.28**
छ.	**कारपोरेट कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय व्यय**			
	अन्य आय		(2.59)	(6.92)
	उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय		7.66	15.61
	कर्मचारी लाभ व्यय		86.71	180.94
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		1.90	4.45
	वित्त लागत		0.49	0.01
	प्रावधान		-	0.03
		उप जोड़	**94.17**	**194.12**
ज.	**घटाएं : प्राप्तियां और वसूलियां**			
	विद्युत उत्पादन से आय - चालू किए जाने से पूर्व		0.56	0.51
	ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज		(1.70)	32.29
	विनिमय दर अन्तर (क्रेडिट)		-	0.90
	पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/ प्रावधान		3.59	3.89
	संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार		0.95	0.36
	विविध प्राप्तियां		7.80	20.42
		उप जोड़	**11.20**	**58.37**
	कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज)		**714.35**	**868.14**

टिप्पणी सं. 33 वित्तीय लिखत और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटीकरण

1. उचित मूल्य मापन

क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय लिखत

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		01 अप्रैल, 2015 को	
		एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत
गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां							
(1) गैर-वर्तमान निवेश							
क) इक्विटी निवेश में (उद्धृत)	3.1	112.44	-	77.65	-	98.43	-
ख) ऋण लिखत में (सरकारी/पीएसयू) - उद्धृत	3.1	406.97	-	390.95	-	781.61	-
उप जोड़		**519.41**	**-**	**468.60**	**-**	**880.04**	**-**
(2) ऋण							
क) कर्मचारी	3.2		135.96		117.60		99.99
ख) अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.2 &3.3		521.84		478.75		439.23
ग) अन्य			-		-		12.68
(3) अन्य							
- 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.3		0.39		-		-
कुल गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां		**519.41**	**658.19**	**468.60**	**596.35**	**880.04**	**551.90**
वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां							
(1) वर्तमान निवेश	6		-		1.13		257.57
(2) प्राप्य व्यापार	7		1,492.90		1,554.44		2,064.16
(3) नकदी और नकदी तुल्य	8		59.89		1,194.39		185.69
(4) बैंक शेष	9		1,473.25		4,682.36		5,236.42
(5) ऋण	10		26.88		58.33		80.83
(6) अन्य (प्राप्य पट्टे को छोड़ कर)	11		1,799.91		2,081.07		1,922.04
कुल वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां		**-**	**4,852.83**	**-**	**9,571.72**	**-**	**9,746.71**
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**519.41**	**5,511.02**	**468.60**	**10,168.07**	**880.04**	**10,298.61**
वित्तीय देयताएं							
(1) दीर्घावधि ऋण	16.1		17,245.64		18,181.08		18,171.04
(2) अन्य वित्तीय देयताएं	16.2		25.63		37.62		73.93
(3) ऋण - अल्पावधि	20.1		302.50		-		-
(4) एमएसएमई सहित देय व्यापार	20.2		147.08		122.14		152.91
(5) अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं							
क) दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं	20.3		1,678.59		1,757.14		1,665.31
ख) ऋण पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	20.3		428.56		377.24		308.39
ग) अन्य वर्तमान देयताएं	20.3		393.84		465.55		433.76
कुल वित्तीय देयताएं		**-**	**20,221.84**	**-**	**20,940.77**	**-**	**20,805.34**

ख) उचित मूल्य मापन

1) उचित मूल्य स्तर

यह खंड (क) उचित मूल्य पर मान्यता दिए जाने तथा मापे जाने वाले और (ख) परिशोधित लागत पर मापे गए और जिसके उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, वित्तीय लिखतों के उचित मूल्यों के निर्धारण में अपनाए गए निर्णयों तथा अनुमानों को स्पष्ट करता है। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले आदानों की विश्वसनीयता के संबंध में एक संकेत मुहैया करवाने हेतु कंपनी ने अपनी वित्तीय लिखतों को भारतीय लेखांकन मानक-113 "उचित मूल्य मापन" के अंतर्गत विहित निम्नलिखित 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है :

स्तर-1 : स्तर -1 क्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे जाने वाले वित्तीय लिखत शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी लिखत और व्यापार किए जाने वाले वे बॉण्ड शामिल हैं जिनका उद्धृत मूल्य है । बॉण्ड सहित सभी इक्विटी लिखत जिनका मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज तथा धन बाजारों में व्यापार किया जाता है, उनका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि को अंतिम मूल्यों का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर-2 : सक्रिय बाजार में व्यापार न की जाने वाली वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो देखे जा सकने वाले बाजार डाटा के उपयोग को अधिकतम करता है और निकाय विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम निर्भर करता है। यदि किसी लिखत के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकने योग्य हैं तो लिखित स्तर-2 में शामिल किया जाता है।

स्तर-3 : यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकने वाले बाजार डाटा पर आधारित नहीं हैं तो लिखत को स्तर-3 में शामिल किया जाता है। इसमें सुरक्षा जमा /प्रतिधारण राशि और ब्याज की बाजार दर से कम वाले ऋण शामिल हैं ।

(क) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां - आवृत्ति उचित मूल्य मापन

(करोड़ रूपए में)

	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2017 को स्तर 1	31 मार्च 2016 को स्तर 1	01 अप्रैल, 2015 को स्तर 1
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) **निवेश -**				
- इक्विटी लिखत में (उद्धृत)	3.1	112.44	77.65	98.43
- ऋण लिखत में (सरकारी/पीएसयू) - उद्धृत	3.1	406.97	390.95	781.61
कुल		**519.41**	**468.60**	**880.04**

टिप्पणी :

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को तुलन-पत्र की परिशोधित लागत पर मापा गया है और उन्हें गैर-आवृत्ति उचित व्यय मापन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने उचित मूल्य स्तरों के भीतर कोई अंतरण नहीं किया है।

(ख) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं जिनके उचित मूल्य को प्रकट किया गया है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2017 को			31 मार्च 2016 को			01 अप्रैल, 2015 को		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियां										
(1) **ऋण**	3.2									
क) कर्मचारी			138.38			136.97			99.99	

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2017 को			31 मार्च 2016 को			01 अप्रैल, 2015 को		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
ख) अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)			521.84			478.75			439.23	
ग) अन्य			-			-			12.68	
(2) अन्य	3.3									
-12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोदभूत ब्याज सहित)		0.38			-			-		
वित्तीय देयताएं										
(i) दीर्घावधि ऋण, वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोदभूत ब्याज सहित	16.1 & 20.3		16,802.15	1,425.34		17,755.41	1,250.95		17,406.24	1,130.19
(ii) अन्य दीर्घावधि सावधि वित्तीय देयताएं	16.2			26.76			39.31			73.93

(ग) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		01 अप्रैल, 2015 को	
		वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां							
(1) ऋण	3.2						
क) कर्मचारी		135.96	138.38	117.60	136.97	99.99	99.99
ख) अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)		521.84	521.84	478.75	478.75	439.23	439.23
ग) अन्य		-	-	-		12.68	12.68
(2) अन्य	3.3						
-12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोदभूत ब्याज सहित)		0.39	0.38	-	-	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		658.19	660.61	596.35	615.72	551.90	551.90
वित्तीय देयताएं							
(1) दीर्घावधि ऋण, वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोदभूत ब्याज सहित	16.1	19,352.79	18,227.49	20,315.46	19,006.36	20,144.74	18,536.43
(2) अन्य दीर्घावधि सावधि वित्तीय देयताएं	16.2	25.63	26.76	37.62	39.31	73.93	73.93
कुल वित्तीय देयताएं		**19,378.42**	**18,254.25**	**20,353.08**	**19,045.67**	**20,218.67**	**18,610.36**

टिप्पणी :-

1. वर्तमान निवेश, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नकदी तथा नकदी तुल्य, अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम, अल्पावधि उधार, देय ब्यापार और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं की वहन राशि को उनके उचित मूल्य के समान माना गया है और ऐसा उनकी अल्पावधि प्रकृति के चलते है।

2. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं हेतु वहन राशि उनके उचित मूल्य के समान है।

(घ) मूल्यांकन तकनीक और उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया

1 कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन उपलब्ध श्रेष्ठ तथा सर्वाधिक संगत डाटा का उपयोग करते हुए करती है। वित्तीय लिखत के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल है -

- उद्धृत बाजार मूल्य अथवा समान लिखत हेतु डीलर उद्धरण का उपयोग ।
- शेष वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का निर्धारण छूट दिए गए नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है।

2 स्तर - 3 पर वर्गीकृत वित्तीय लिखत के उचित मूल्य के लिए प्रयुक्त छूट दर कंपनी के बकाया ऋणों की धारित औसत दर पर आधारित है । सिवाय अधीनस्थ ऋण तथा विदेशी मुद्रा ऋण के।

3 भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा परिवहन लागत पर मान्यता प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके दी जाती है। चूंकि दीर्घावधि ऋण पर व्यय की गई कारोबार लागत भौतिक नहीं होती है, अतः कंपनी ने ऐसी देयताओं की प्रारंभिक मान्यता हेतु प्रभावी ब्याज पद्धति को लागू नहीं किया है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(क) वित्तीय जोखिम कारक

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला प्रभाव	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी तथा नकदी तुल्य, अन्य बैंक शेष, व्यापार प्राप्य और परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, पट्टा प्राप्य	आयु विश्लेषण, क्रेडिट रेटिंग	बैंक जमा का विविधीकरण, चुनिंदा ग्राहकों हेतु लेटर ऑफ क्रेडिट
नकदी जोखिम	ऋण तथा अन्य सुविधाएं	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान और बजट	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों तथा ऋण सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम - ब्याज दर	परिवर्तनशील दरों पर दीर्घावधि ऋण	संवेदनशीलता विश्लेषण	1. स्थिर दर तथा परिवर्तनशील दरों का विविधीकरण 2. पुनः वित्त-पोषण 3. वास्तविक ब्याज की वसूली सीईआरसी विनियमन के अनुसार टैरिफ के माध्यम से की जाती है
बाजार जोखिम - प्रतिभूति मूल्य	इक्विटी तथा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण
बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा	भारतीय राष्ट्रीय रूपये में दर्शायी न गई मान्य वित्तीय देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	विदेशी मुद्रा दर अंतर को सीईआरसी विनियमन के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है।

1. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है कि कोई प्रतिपक्ष किसी वित्तीय लिखत या उपभोक्ता संविदा के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा नहीं करेगा जो वित्तीय हानि में परिणत होगा। कंपनी को अपने प्रचालन क्रियाकलापों(मुख्यतः व्यापार प्राप्य/पटटेवाली परिसंपत्तियों) और वित्त-पोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के साथ जमा शामिल है, से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

2. नकदी जोखिम

नकदी जोखिम वह जोखिम है कि कंपनी अपनी वर्तमान तथा भविष्य की नकदी एवं सहायक बाध्यताओं को अस्वीकार्य हानियों को वहन किए बिना पूरा करने में असमर्थ होगी।

3. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय लिखित के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव आएगा। बाजार मूल्यों में 3 प्रकार के जोखिम शामिल हैं - मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे कि इक्विटी मूल्य जोखिम तथा वस्तु जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय लिखत में ऋण तथा उधार, जमा तथा निवेश शामिल हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम यह जोखिम है कि किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय लिखित के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा।

कंपनी एक विनियमित परिवेश में प्रचालन करती है। कंपनी के टैरिफ को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक स्थिर प्रभारों (एएफसी) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित 5 घटक होते हैं - 1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), 2. मूल्यह्रास, 3. ऋणों पर ब्याज, 4. प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय और 5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज। उक्त विदेशी मुद्रा विनिमय परिवर्तनों के अतिरिक्त, टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों से कर भी वसूले जाने होते हैं। अतः ब्याज दर में परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर अंतर और अन्य मूल्य जोखिम अंतरों को टैरिफ से वसूला जाना होता है और ये कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करते।

(ख) ऋण जोखिम

कंपनी अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य) और अपने वित्त-पोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों के साथ जमा तथा अन्य वित्तीय लिखत शामिल है, से ऋण जोखिम के संपर्क में आती है।

(1) व्यापार प्राप्य तथा पट्टा प्राप्य

कंपनी व्यापार के सामान्य चालन में ग्राहकों को ऋण का विस्तार करती है। कंपनी ग्राहकों के भुगतान ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। बकाया उपभोक्ता प्राप्यों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। कंपनी प्राप्य व्यापारों के संबंध में जोखिम संकेन्द्रण का मूल्यांकन अत्यधिक निम्न के रूप में करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्यतः राज्य सरकार के प्राधिकरण हैं और यह एक अधिकांशतः स्वतंत्र बाजार में प्रचालन करती है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2014-19 कंपनी को लाभार्थियों पर विलंब भुगतान प्रभार के संबंध में बिल जारी करने की अनुमति देता है जो कंपनी को भुगतान में विलंब के कारण उत्पन्न धन के समय मूल्य हेतु पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति कर देता है। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि लाभार्थी मुख्यतः राज्य सरकारें/सरकारी वितरण कंपनियां हैं और व्यापार प्राप्यों हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए कंपनी लाभार्थियों से प्राप्यों के मूल्य में क्षति अथवा व्यापार प्राप्यों की वसूली में विलंब के कारण धन के समय मूल्य में हानि की परिकल्पना नहीं करती है। तथापि, कंपनी बकाया व्यापार देयों का आकलन सतत आधार पर प्रचालन परिणामों में परिवर्तन और भुगतान व्यवहार को देखते हुए करती है और मामला-दर-मामला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार कंपनी व्यापार प्राप्यों की गैर-वसूली पर किसी चूक जोखिम की परिपकल्पना नहीं करती है। तदनुसार, कंपनी ने एक प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए प्राप्य व्यापारों पर प्रत्याशित ऋण हानि की गणना के व्यवहारिक साधन का उपयोग नहीं किया है।

कंपनी द्वारा प्राप्य पट्टे विद्युत खरीद समझौतों के संबंध में है जिन्हें टिप्पणी संख्या 34-लेखे पर अन्य विवरणात्मक टिप्पणी में संदर्भित किए अनुसार दो विद्युत स्टेशनों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 17 "पट्टों " के परिशिष्ट ग के अनुसार निहित वित्त पटटे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विद्युत खरीद समझौते किसी एकल लाभार्थी को विद्युत की बिक्री के लिए है और ब्याज आय तथा पट्टे वाली परिसंपत्तियों पर मूलधन की वसूली अर्थात विद्युत स्टेशनों की पीपीई का आकलन उसी आधार पर किया जाता है जिन्हें व्यापार प्राप्यों हेतु लगाया जाता है।

व्यापार प्राप्यों हेतु प्रत्याशित ऋण हानि :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
सकल वहन राशि	1547.30	1589.27	2098.93
घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि (हानि भत्ते हेतु प्रावधान)	54.40	34.83	34.77
व्यापार प्राप्यों की वहन राशि	1492.90	1554.44	2064.16

पट्टा प्राप्यों हेतु प्रत्याशित ऋण हानि :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
सकल वहन राशि	1624.49	1711.81	1758.50
घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि (हानि भत्ते हेतु प्रावधान)	-	-	-
पट्टा प्राप्यों की वहन राशि	1624.49	1711.81	1758.50

हानि अनुमेय प्रावधानों का मिलान:

विवरण	(करोड़ रूपए में)
1 अप्रैल, 2015 को हानि भत्ता	34.77
हानि भत्तों में परिवर्तन	0.06
31 मार्च, 2016 को हानि भत्ता	34.83
हानि भत्तों में परिवर्तन	19.57
31 मार्च, 2017 को हानि भत्ता	54.40

2. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

कर्मचारी ऋण : कपंनी ने कर्मचारियों को कंपनी की नीति के अनुसार रियायती दरों पर ऋण दिए हैं जिनका मापन तुलन-पत्र तिथि को परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण की वसूली स्थिर किश्त आधार पर कर्मचारियों के मासिक वेतन में से की जाती है। ये ऋण उन परिसंपत्तियों के रेहन/गिरवी रखे जाने के माध्यम से सुरक्षित हैं जिनके लिए ऐसे ऋण दिए गए हैं। प्रबंधन ने पूर्व के डाटा का आकलन किया है और इन ऋणों के संबंध में चूक की किसी भी संभाव्यता की परिकल्पना नहीं करती है।

अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण : कंपनी ने अरूणाचल प्रदेश सरकार को 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु कंपनी तथा अरूणाचल प्रदेश सरकार के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ऋण दिया है। ऋण का मापन परिशोधित लागत

पर किया गया है। ऋण राज्य में चालू की जाने वाली पहली जल विद्युत परियोजना से राज्य सरकार के निशुल्क विद्युत के अंश से वसूला जाना है। प्रबंधन को ऋण संबंधी चूक की कोई संभाव्यता नहीं दिखती।

iii. वित्तीय लिखत और नकदी जमा

कंपनी बैंकों के साथ शेष तथा जमा को रखने के लिए बैंकों का चयन करने हेतु ट्रैक रिकार्ड, बैंक के आकार, बाजार ख्याति और सेवा मानकों जैसे कारकों पर विचार करती है। सामान्यतः शेष को उन बैंकों के साथ रखा जाता है जिनसे कंपनी ने ऋण भी लिया है। कंपनी अधिशेष नकदी का निवेश अनुसूचित बैंकों के साथ अल्पावधि जमा में करती है। कंपनी के शेष तथा जमा ऐसे बैंकों के साथ हैं जो भलीभांति निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विविधाकृत हैं और किसी एक बैंक के साथ इसका सीमित संपर्क है।

(ग) नकदी जोखिम

विवेकसम्मत नकदी जोखिम प्रबंधन का अर्थ पर्याप्त नकदी तथा बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देयताओं के देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्त-पोषण की उपलब्धता है।

i. कंपनी का उद्देश्य नकदी तथा प्रतिभूति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर समय नकदी के ईष्टतम स्तरों को बनाए रखना है। कंपनी निधियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण तथा अत्यधिक प्रचालनशील नकदी प्रवाहों के एक मिश्रण पर निर्भर करती है। ऋण तथा आंतरिक प्रोदभूत की वर्तमान प्रतिबद्ध लाइनें इसकी अल्प तथा मध्यम अवधि विस्तार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। कंपनी अपनी नकदी आवश्यकताओं के चल अनुमानों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि उसके पास पूंजीगत व्यय तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी हो जबकि उसके पास हर समय आहरित न की गई प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं हेतु पर्याप्त गुंजाइश हो ताकि इसकी किसी ऋण सुविधा पर ऋण सीमाओं या प्रसंविदाओं (जहां लागू हो) का उल्लंघन न हो।

कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई ऋण सुविधाओं पर पहुंच थी :

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
परिवर्तनशील दरों पर	25.00	25.00	25.00
कुल	**25.00**	**25.00**	**25.00**

ii. वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

नीचे तालिका में दर्शाई गई राशियां संविदात्मक छूट न दिए गए नकदी प्रवाह हैं। एक वर्ष के भीतर देय शेष उनके वहन शेषों के समान है क्योंकि छूट का प्रभाव अत्यधिक नहीं है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2017 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
1. ऋण	16.1 & 20.3	19,292.74	1,678.59	3,520.07	3,056.27	11,037.81
2. अन्य वित्तीय देयताएं	16.2 & 20.3	860.40	823.71	12.07	0.44	24.19
3. देय व्यापार	20.2	147.08	147.08	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		**20,300.22**	**2,649.38**	**3,532.14**	**3,056.71**	**11,061.99**

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2016 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
1. ऋण	16.1 & 20.3	20,142.43	1,757.15	3,483.57	3,452.32	11,449.38
2. अन्य वित्तीय देयताएं	16.2 & 20.3	895.83	844.05	24.98	4.24	22.56
3. देय व्यापार	20.2	122.14	122.14	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		**21,160.39**	**2,723.34**	**3,508.55**	**3,456.56**	**11,471.95**

1 अप्रैल, 2015 के अनुसार

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	01.04.2015 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
1. ऋण	16.1 & 20.3	19,836.34	1,665.31	3,403.63	3,330.69	11,436.71
2. अन्य वित्तीय देयताएं	16.2 & 20.3	838.83	742.16	73.46	4.88	18.34
3. देय व्यापार	20.2	152.91	152.91	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		**20,828.08**	**2,560.38**	**3,477.09**	**3,335.57**	**11,455.05**

(घ) बाजार जोखिम

संवेदनशीलता विश्लेषण में रोजगार-पश्च लाभ बाध्यता प्रावधानों के वहन मूल्य और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं पर बाजार परिवर्तनशील कारकों के संचलन का प्रभाव शामिल नहीं होता है। लाभ एवं हानि के विवरण के संगत मत की संवेदनशीलता संबंधित बाजार जोखिम में माने गए परिवर्तन का प्रभाव है। कंपनी के क्रियाकलाप इसे कई प्रकार के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में ला देते हैं जिसमें ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव शामिल है।

(i) ब्याज बाजार जोखिम और संवेदनशीलता

बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम से कंपनी का संपर्क मुख्यतः परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ कंपनी की दीर्घावधि ऋण बाध्यताओं से संबंधित है। कंपनी की नीति अपने अधिकांश ऋणों को स्थिर दर पर बनाए रखने की है। कंपनी के स्थिर दरों पर ऋण को परिशोधित लागत पर लिया जाता है और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अनुकूल शर्तें उपलब्ध होने पर इन ऋणों का पुनर्वित्त-पोषण करती हैं। कंपनी को परिवर्तनशील दर में परिवर्तनों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजनों की वसूली के माध्यम से भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण कंपनी का जोखिम निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार भारित औसत ब्याज दर	31 मार्च, 2017 के अनुसार (करोड़ रू पए में)	31 मार्च, 2016 के अनुसार भारित औसत ब्याज दर	31 मार्च, 2016 के अनुसार (करोड़ रू पए में)	01 अप्रैल, 2015 के अनुसार भारित औसत ब्याज दर	01 अप्रैल, 2015 के अनुसार (करोड़ रू पए में)
परिवर्तनशील दर ऋण (भारतीय रूपए)	9.13%	2,473.60	9.59%	3,586.49	10.22%	3,809.38
परिवर्तनशील दर ऋण (विदेशी मुद्रा)	0.58%	214.36	0.70%	326.35	0.73%	383.99
स्थिर दर ऋण (भारतीय रूपए)	7.02%	15,006.64	7.43%	14,680.37	7.60%	14,323.58
स्थिर दर ऋण (विदेशी मुद्रा)	1.82%	1,229.63	1.83%	1,345.01	1.99%	1,319.39
कुल		**18,924.23**		**19,938.22**		**19,836.34**

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

लाभ अथवा हानि ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उच्चतर/निम्न ब्याज व्यय के प्रति संवेदनशील है। अन्य सभी परिवर्तनशील कारकों को स्थिर रखे जाने पर निम्नलिखित तालिका ऋणों तथा उधार के परिवर्तनशील दर हिस्से पर ऋण लागत के प्रभाव को दर्शाती है।

(करोड़ रूपए में)

विवरण	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
भारतीय राष्ट्रीय रूपए में ऋण - ब्याज दरें - 5 आधार बिंदुओं की कमी (वर्ष 2015-16 के दौरान 70 आधार बिंदुओं की कमी)*	0.79	16.69
विदेशी मुद्रा में ऋण - ब्याज दरें - 55 आधार बिंदुओं की वृद्धि	(0.17)	(0.16)
विदेशी मुद्रा में ऋण - ब्याज दरें - 110 आधार बिंदुओं की कमी	0.33	0.32

तथापि, ब्याज दरों में कमी तथा वृद्धि का लाभ या हानि पर कोई प्रभाव नही होता है क्योंकि उक्त को टैरिफ के माध्यम से लाभार्थियों से वसूला जाता है।

ii. मूल्य जोखिम :

(क) संपर्क

मूल्य जोखिम से कंपनी का संपर्क वित्तीय विवरणों में ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी शेयरों तथा ऋण लिखतों में निवेश से उत्पन्न होता है। इक्विटी शेयरों में कंपनी का निवेश मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होता है और उस पर सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। ऋण लिखतों में कंपनी के निवेश में उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बॉण्ड शामिल होते हैं और उनका बाजार में सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। निवेश को तुलन-पत्र में गैर-वर्तमान निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(ख) मूल्य जोखिम संवेदनशीलता

इक्विटी लिखतों में निवेश हेतु (आईओबी तथा पीटीसी के इक्विटी शेयरों में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु कंपनी की इक्विटी पर इक्विटी लिखतों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है :

विवरण	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016	
निम्नलिखित के इक्विटी शेयरों में निवेश :	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रू पए में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रू पए में)
पीटीसी इंडिया लिमिटेड	17.08%	19.14	21.74%	16.69
इंडियन ओवरसीस बैंक	15.50%	0.15	19.30%	0.21

संवेदनशीलता को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में उद्धृत शेयर मूल्यों में छमाही उतार-चढ़ाव के पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर निकाला गया है।

ऋण लिखत में निवेश हेतु (सरकारी तथा पीएसयू बॉण्ड में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु कंपनी की इक्विटी पर ऋण लिखतों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है :

विवरण	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016	
	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रू पए में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रू पए में)
सरकारी प्रतिभूति	3.49	11.81	0.60	1.90
पीएसयू कर मुक्त बाण्ड	5.77	4.91	0.34	0.26

iii. विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी को सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजन के द्वारा वसूली के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तनशीलता हेतु प्रतिपूर्ति की जाती है।

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम संपर्क

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति कंपनी के संपर्क को भारतीय राष्ट्रीय रूपये में निम्नानुसार व्यक्त किया गया है :

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
वित्तीय देयताएं			
विदेशी मुद्रा ऋण (करोड़ रूपए में)	1,443.98	1,671.36	1,703.38
अन्य वित्तीय देयताएं (करोड़ रूपए में)	54.04	49.76	42.62
विदेशी मुद्रा जोखिम से निवल संपर्क (देयताएं)	1,498.02	1,721.12	1,746.00

(ख) संवेदनशीलता विश्लेषण

विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है।

(3) पूंजी प्रबंधन

(क) पूंजी जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन हेतु 70:30 के ऋण : इक्विटी अनुपात को विहित करते है। तदनुसार, कंपनी अपने पूंजी ढांचे का प्रबंधन सीईआरसी द्वारा विहित मानदण्ड संबंधी पूंजी ढांचे को बनाए रखने के लिए करती है।

कंपनी ऋण : इक्विटी अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करती है, जो कुल पूंजी द्वारा विभाजित निवल ऋण है। ऋण : इक्विटी अनुपात निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

ऋण : इक्विटी अनुपात का विवरण

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
(क) कुल ऋण	18,924.23	19,938.22	19,836.35
(ख) कुल पूंजी	26,942.13	29,761.15	29,072.16
ऋण : इक्विटी अनुपात (क/ख)	0.70	0.67	0.68

टिप्पणी : कंपनी के पूंजीगत प्रबंधन हेतु, पूंजी में निर्गत पूंजी और आरक्षित शामिल है। निवल ऋण में ब्याजधारी ऋण तथा उधार शामिल होते है।

(ख) ऋण प्रसंविदाएं :

प्रमुख ऋण सुविधाओं की शर्तों के अंतर्गत कंपनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय प्रसंविदाओं का अनुपालन अपेक्षित है :-

1. कंपनी क्रेडिट रेटिंग एएए को बनाए रखेगी और यदि रेटिंग नीचे आती है तो ब्याज की दर लागू दर के अनुसार एएए रेटिंग से नीचे वाले प्रत्येक स्तर हेतु 25 आधार बिंदु से बढ़ जाएगी।
2. निवल मूल्य की तुलना में ऋण 2:1 से अधिक नहीं होगी।
3. मूर्त निवल मूल्य की तुलना में कुल देयताओ का अनुपात 3:1 से अधिक नहीं होगा।
4. ब्याज व्यय से ईबीआईटीडीए का अनुपात ऋण की अवधि के दौरान कभी भी 1.75 से कम नहीं होगा।
5. कंपनी में सरकारी धारिता कभी भी 51 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

वर्ष के दौरान कंपनी ने उक्त ऋण प्रसंविदाओं का अनुपालन किया है।

(ग) लाभांश

(करोड रूपए में)

	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
(i) इक्विटी अंश		
सितम्बर 2016 में अनुमोदित और अक्तूबर 2016 में अदा किया गया वर्ष 2015-16 हेतु 0.58 भारतीय राष्ट्रीय रूपए प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर का अंतिम लाभांश (31 मार्च, 2016 - वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु 0.40 भारतीय राष्ट्रीय रूपए पूर्णतः प्रदत्त शेयर)	642.11	442.83
अंतिम लाभांश पर डीडीटी	89.08	90.15
31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु 1.70 रूपए प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर का अंतरिम लाभांश (31 मार्च, 2016 - 0.92 भारतीय राष्ट्रीय रूपए)	1,882.02	1,018.50
अंतरिम लाभांश पर डीडीटी	383.14	207.34
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्यता न दिया गया लाभांश		
उक्त लाभांशों के अतिरिक्त, वर्ष के अंत से निदेशकों ने 0.10 भारतीय राष्ट्रीय रूपए (31 मार्च, 2016 - 0.58 भारतीय राष्ट्रीय रूपए) प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर का अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।	102.59	642.11
प्रस्तावित लाभांश पर डीडीटी	20.89	89.08

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 02889021

के.एम. सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02223301

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045
(एस. के. खट्टर)
भागीदार
सदस्यता सं. 084993

कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 001728एन
(वासु गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 537545

कृते रे एण्ड रे
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(बरून कुमार घोष)
भागीदार
सदस्यता सं. 51028

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30 मई, 2017

टिप्पणी संख्या - 34 : अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटीकरण :-

(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण स्वीकार नहीं किया गया है :

(1) पूंजीगत कार्य

संविदाकारों ने दर तथा मात्रा विपथन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने/स्थल आदि सौंपे जाने में विलंब के कारण खाली रहने के चलते कंपनी के प्रति कुल **9612.16 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **9180.71 करोड़** रूपये और 01.04.2015 को **9014.70 करोड़** रूपए) के दावे दर्ज किए हैं इन दावों का कंपनी द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार देय नहीं हैं अथवा अधिनिर्णय अधिकरण/अन्य मंचों/कंपनी में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें तत्संबंधी ब्याज सहित कंपनी के विरूद्ध अधिनिर्णय पंचाटों के प्रति **2858.26 करोड** रूपये (पिछले वर्ष **2172.15 करोड** रूपये और 01.04.2015 को **1491.31 करोड़** रूपये) शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है/चुनौती देने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंधन ने उक्त दावों का आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभाव्यता के आधार पर **452.88 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **537.66 करोड़** रूपए और 01.04.2015 को **429.61 करोड़** रूपये) के प्रावधान को मान्यता दी है और **7848.60 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **8459.20 करोड़** रूपए और 01.04.2015 को **8207.65 करोड़** रूपये) की राशि का अनुमान आकस्मिक देयता हेतु लगाया है अर्थात वह राशि जिसके लिए कंपनी को आकस्मिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे अनुमानित आकस्मिक दावों के संबंध में या तो आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बाह्य प्रवाह की संभावना नहीं है अथवा बाध्यता के निपटान हेतु अपेक्षित राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(2) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के संबंध में कुछ भू-वंचितों ने विभिन्न प्राधिकारियों/न्यायालयों के समक्ष उच्चतर मुआवजे हेतु **36.09 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **54.99 करोड** रूपए और 01.04.2015 को **47.53 करोड़** रूपये) की राशि हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर **16.73 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **26.81 करोड़** रूपए और 01.04.2015 को **35.16 करोड़** रूपये) की राशि मुहैया करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **19.36 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **28.18 करोड़** रूपए और 01.04.2015 **12.37 करोड़** रूपये) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(3) विवादित कर मांग

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित विवादित आयकर/बिक्री कर/सेवा कर/अन्य कर/शुल्क मामलों की राशि **395.48 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **326.63 करोड** रूपए और 01.04.2015 को **307.95 करोड़** रूपये) है। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर **21.95 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **25.42 करोड़** रूपए और 01.04.2015 को **25.40 करोड़** रूपये) की राशि मुहैया करवाई है और शेष दावों अर्थात **373.53 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष 301.21 करोड़ रूपए और 01.04.2015 को **282.26 करोड़** रूपये) को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(4) अन्य

अन्य विविध मामलों के संबंध में दावे **622.81 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **573.59 करोड** रूपए और 01.04.2015 को **655.15 करोड़** रूपये) के है। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर **36.52 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **34.62 करोड़** रूपए और 01.04.2015 को **28.94 करोड़** रूपये) की राशि मुहैया करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **584.41 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **537.08 करोड़** रूपए और 01.04.2015 को **624.43 करोड़** रूपये) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

31.03.2017 को उक्त का सार निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2017 को दावे	दावों के प्रति प्रावधान	31.03.2017 को आकस्मिक देयता	31.03.2016 को आकस्मिक देयता	वर्ष हेतु आकस्मिक देयता का वर्धन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)
1.	पूंजीगत कार्य	9,612.16	452.88	7,848.60	8,459.20	(610.60)
2.	भूमि मुआवजा	36.09	16.73	19.36	28.18	(8.82)
3.	विवादित कर मामले	395.48	21.95	373.53	301.21	72.32
4.	अन्य	622.81	36.52	584.41	537.08	47.33
	कुल	**10,666.54**	**528.08**	**8,825.90**	**9,325.67**	**(499.77)**

31.03.2016 को उक्त का सार निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को दावे	दावों के प्रति प्रावधान	31.03.2016 को आकस्मिक देयता	01.04.2015 को आकस्मिक देयता	वर्ष हेतु आकस्मिक देयता का वर्धन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)
1.	पूंजीगत कार्य	9,180.71	537.66	8,459.20	8,207.65	251.55
2.	भूमि मुआवजा	54.99	26.81	28.18	12.37	15.81
3.	विवादित कर मामले	326.63	25.42	301.21	282.26	18.95
4.	अन्य	573.59	34.62	537.08	624.43	(87.35)
	कुल	**10,135.92**	**624.51**	**9,325.67**	**9126.71**	**198.96**

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में कंपनी को **221.02 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **183.51 करोड** रूपए और 01.04.2015 को **240.85 करोड़** रूपये) की भरपायी होने की संभावना है।

ङ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में **49.29 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **63.24 करोड** रूपए और 01.04.2015 को **53.19 करोड़** रूपये) मामलों के प्रतिवाद के लिए अदा किए गए है, जिन्हें चालू आस्तियों में दिखाया गया है।

च) कम्पनी का प्रबंधन तर्कसंगत रूप से यह प्रत्याशित नहीं करता कि उक्त दावे/बाध्यताएं (जो मुकदमेबाजी के अधीन है), अन्त में जब समाप्त होंगी तथा उन पर निर्णय लिया जाएगा, उनका कम्पनी के प्रचालनो के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा।

(छ) 31.03.2017 को आकस्मिक देयता के एजेंसी-वार ब्यौरों की श्रेणी निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	एजेंसी की श्रेणी	31.03.2017 को दावे	वर्ष के दौरान दावों के प्रति प्रावधान/ अदा किए गए	31.03.2017 को आकस्मिक देयता	31.03.2016 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वर्धन (+)/ कटौती (-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)
1.	केन्द्र सरकार के विभाग	51.08	3.03	48.05	66.44	(18.39)
2.	राज्य सरकार के विभाग या स्थानीय निकाय	383.60	54.69	328.91	269.17	59.74
3.	सीपीएसई	134.20	1.07	131.25	188.64	(57.39)
4.	अन्य	10,097.66	469.29	8,317.69	8,801.42	(483.73)
	कुल	**10,666.54**	**528.08**	**8,825.90**	**9325.67**	**(499.77)**

2. आकस्मिक परिसंपत्तियां - समूह के संबंध में आकस्मिक परिसंपत्तियां निम्नलिखित के कारण हैं :

क) समूह द्वारा अन्य निकायों पर दर्ज किए गए प्रति दावे

समूह ने अन्य निकायों के दावों के प्रति **399.74 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **395.06 करोड़** रूपये और 1.4.2015 को **389.61 करोड़** रूपये) के कुल प्रति दावों को दर्ज किया है। इन दावों को संविदात्मक प्रावधानों के आधार पर दर्ज किया गया है और इनका माध्यस्थम अधिकरण/अन्य मंचों पर प्रतिवाद किया जा रहा है/ये प्रतिपक्ष के साथ जांच के अधीन हैं। इसमें माध्यस्थम निर्णयों के प्रति उस पर तदनुरूपी अद्यतन ब्याज सहित **317.90 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **317.90 करोड़** रूपये और 1.4.2015 को **317.12 करोड़** रूपये) शामिल है।

प्रबंधन आंकलन के आधार पर **317.90 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **317.90 करोड़** रूपये और 1.4.2015 को **317.12 करोड़** रूपये) के आर्थिक लाभों का अंतरवाह संभाव्य है और शेष दावों हेतु किसी अंतरवाह की संभाव्यता काफी कम है।

ख) विलंब भुगतान अधिभार

सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियमन, 2014-19 में बिल के प्रस्तुतिकरण की तिथि से 60 दिवस पश्चात लाभग्राहियों द्वारा भुगतान में विलंब के मामले में उत्पादक समूह द्वारा विलंब भुगतान प्रभार लगाए जाने का प्रावधान है। तथापि, प्रबंधन द्वारा समाधान किए गए अनुसार लाभग्राहियों से अंतिम एकत्रीकरण में व्यापक अनिश्चितताओं के मद्देनजर 31.3.2017 को **435.20 करोड़** रूपये (गत वर्ष **762.39 करोड़** रूपये और 1.4.2015 को **477.99 करोड़** रूपये) को मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

ग) विद्युत स्टेशनों के संबंध में मान्यता न दी गई सीमा तक राजस्व

सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियमन, टैरिफ अवधि 2014-19 हेतु टैरिफ अवधि के प्रारंभ में समूह द्वारा की गई घोषणा और सीईआरसी द्वारा उचित विचार-विमर्श के पश्चात टैरिफ की गणना हेतु पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त पूंजीकरण को अनुमेय बनाते हैं। ऐसे मामलों में जहां अतिरिक्त पूंजीकरण नई मदों सहित समूह द्वारा घोषित राशि से अधिक हो गया है उन्हें सीईआरसी का अनुमोदन लंबित होने तक राजस्व में शामिल नहीं किया जाता है। प्रबंधन ने इन व्ययों का आकलन किया है और मानता है कि टैरिफ के द्वारा 31.3.2017 को **688.76 करोड़** रूपये (गत वर्ष **389.16 करोड़** रूपये और 1.4.2015 को **220.12 करोड़** रूपये) का अंतरवाह संभाव्य है।

घ) अन्य मामले

प्रबंधन ने दावों का आकलन किया है और यह अनुमान लगाया है कि **4.00 करोड़** रूपये (गत वर्ष **3.26 करोड़** रूपये और 1.4.2015 को **2.59 करोड़** रूपये) के आर्थिक लाभों का अंतरवाह संभाव्य है, जो उड़ी-II पावर स्टेशन के **166.27 करोड़** रूपये (गत वर्ष **242.28 करोड़** रूपये और 1.4.2015 को **शून्य रूपए**); चुटक पावर स्टेशन **18.07 करोड़** रूपये (गत वर्ष **19.87 करोड़** रूपये और 1.4.2015 को **शून्य रूपए**); धौलीगंगा पावर स्टेशन **161.61 करोड़** रूपये (गत वर्ष **154.71 करोड़** रूपये और 1.4.2015 को **191.57 करोड़** रूपये) की व्यापार वादा हानि के अतिरिक्त है जिस पर इस नोट के क्रमशः पैरा 26 (1),(2) तथा (3) में चर्चा की गई है। इस श्रेणी के अंतर्गत आकस्मिक परिसंपत्तियों की कुल राशि **349.95 करोड़** रूपये (गत वर्ष **420.12 करोड़** रूपये और 1.4.2015 को **194.16 करोड़** रूपये) होती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों का सार नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1.	कंपनी द्वारा दर्ज किए गए प्रति दावे	317.90	317.90	317.12
2.	विलंब भुगतान अधिभार	435.20	762.39	477.99
3.	विद्युत स्टेशनों के संबंध में मान्यता प्रदान गई सीमा तक राजस्व	688.76	389.16	220.12
4.	अन्य मामले	349.95	420.12	194.16
	कुल	**1791.81**	**1889.57**	**1209.39**

3. पूंजी लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (सीडब्ल्यूआईपी सहित)	3,025.15	2,786.72	3,559.64
2.	निवेश संपत्ति	-	-	-
3.	अमूर्त परिसंपत्तियां	1.37	0.74	0.74
	कुल	**3,026.52**	**2,787.46**	**3,560.38**

4. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान/प्रावधान किए गए हैं, जिनकी कुल राशि **10.05 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **74.95 करोड** रूपए और 01.04.2015 को **42.71 करोड़** रूपये) है, जिसे चालू पूंजीगत कार्य/संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल किया गया है।

5. निर्माण संविदाओं के संबंध में इंड एए 11 के अंतर्गत अन्य प्रकटीकरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1.	रिपोर्टिंग तिथि तक चालू संविदाओं पर व्यय की गई लागत और मान्यता प्रदान किए गए लाभों (घटाए मान्यता दी गई हानि) की संचित राशि	364.88	226.95	409.32
2.	प्राप्त अग्रिमों की राशि	345.06	200.56	411.55
3.	प्रतिधारण की राशि	-	-	-
4.	परिसंपत्ति के रूप में संविदा कार्यों हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	-	-	-
5.	देयता के रूप में संविदा कार्यों हेतु ग्राहकों को देय सकल राशि	-	-	-

6. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (एफईआरवी को रूप में)	0.83	1.14
(ii)	मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (ऋण लागत को रूप में) *	2.15	179.92
(iii)	निर्माण के दौरान व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी को रूप में)	-	1.57
(iv)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी को रूप में)	-	-
(v)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि को जोड़ कर समायोजित राशि	(7.58)	22.33
(vi)	नियामक विलंबित लेखा शेष को प्रभारित राशि	1.10	-

* तथापि, कंपनी की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नही हुआ है क्योंकि विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभग्राहियों से विद्यमान सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम के अनुरूप वसूल किया जाना है। वर्ष हेतु विनिमय दर परिवर्तन को आईजीएएपी में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार वर्ष हेतु विनिमय दर अंतर को विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियों (लाभग्राहियों से वसूली योग्य) में अंतरित किया जाता है जो भारतीय लेखांकन मानक 101 - इंड एएस को पहली बार अपनाया जाना में दी गई छूट के अनुसार 31.3.2016 तक मान्य की गई दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों में जारी रखे जाने हेतु अनुमेय हैं।

7. प्रचालन खंड :

क) विद्युत उत्पादन (निहित वित्त/प्रचालन पट्टों से आय सहित) समूह का मुख्य व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन अर्थात संविदाएं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य "प्रचालन खंड" के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक-108 के अनुसार सूचना योग्य खंड नहीं बनते हैं।

ख) समूह का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

ग) प्रमुख उपभोक्ताओं के संबंध में सूचना निम्नलिखित उपभोक्ताओं से **4094.88 करोड़** रूपये (2015-16 हेतु **4080.24 करोड़** रूपये) का राजस्व नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निकाला जाता है :

क्रम सं.	उपभोक्ता का नाम	उपभोक्ताओं से राजस्व (करोड़ रू पए में)		कुल राजस्व के प्रतिशत के रू प में उपभोक्ताओं को राजस्व	
		31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु
1.	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	1349.29	1393.46	19.17%	19.58%
2.	विद्युत विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	1230.90	1268.18	17.49%	17.82%
3.	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	806.14	880.44	11.45%	12.37%
4.	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	708.55	538.16	10.07%	7.56%
	कुल	**4,094.88**	**4,080.24**	**58.18%**	**57.33%**

घ) बाहरी उपभोक्ताओं से राजस्व : कंपनी भारत में अधिवासित है। बाहरी ग्राहकों से इसके राजस्व की राशि को ग्राहकों की अवस्थिति के अनुसार निम्नवत विभाजित किया गया है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	बाहरी उपभोक्ता से राजस्व	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु
1.	इथोपिया	-	2.62
2.	भूटान	21.55	16.40
3.	तजाकिस्तान	2.52	-
	कुल	**24.07**	**19.02**

8. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण नीचे दिए गए है :

(क) अनुषंगी कंपनियों में हित

कंपनी का नाम	प्रचालन का प्रधान स्थान	प्रमुख क्रियाकलाप	निम्न को स्वामित्व हित का अनुपात		
			31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	विद्युत उत्पादन	51.08%	51.08%	51.08%
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	भारत	विद्युत उत्पादन	74.00%	74.00%	74.00%
बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड	भारत	विद्युत उत्पादन	99.99%	99.99%	99.99%

(ख) संयुक्त उद्यमों में हित

कंपनी का नाम	प्रचालन का प्रधान स्थान	निम्न को स्वामित्व हित का अनुपात		
		31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्राइवेट) लिमिटेड	भारत	20.00%	21.64%	21.64%
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टर प्राइवेट लिमिटेड	भारत	49.78%	49.98%	49.98%

(ग) **अन्य संबंधित पक्षों की सूची**

कंपनी का नाम	प्रचालन का प्रधान स्थान	संबंध की प्रकृति
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	भारत	एनएचपीसी की रोजगार-पश्च लाभ योजना
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि	भारत	एनएचपीसी की रोजगार-पश्च लाभ योजना
एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना ट्रस्ट	भारत	एनएचपीसी की रोजगार-पश्च लाभ योजना

(घ) **प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**

क्रम संख्या	नाम	धारित पद
1	श्री कृष्ण मोहन सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2	श्री राधे श्याम मीना	निदेशक (कार्मिक) 31/01/2017 को सेवानिवृत्त
3	श्री जयन्त कुमार	निदेशक (वित्त) 28/02/2017 को सेवानिवृत्त
4	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)
5	श्री बलराज जोशी	निदेशक (तकनीकी)
6	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक) 07/02/2017 से
7	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त) 01/03/2017 से
8	प्रो. कनिका टी. भाल	स्वतंत्र निदेशक
9	प्रो. अस्ग कुमार	स्वतंत्र निदेशक
10	श्री सत्य प्रकाश मंगल	स्वतंत्र निदेशक
11	श्री फारूख खान	स्वतंत्र निदेशक (17/08/2016 को सेवानिवृत्त)
12	श्रीमती कृष्णा त्यागी	सरकारी नामिति निदेशक
13	सुश्री अचर्ना अग्रवाल	सरकारी नामिति निदेशक
14	श्री विजय गुप्ता	कम्पनी सचिव।

(ङ) **नाम और सरकार के साथ संबंध की प्रकृति**

क्रम सं.	सरकार का नाम	एनएचपीसी के साथ संबंध की प्रकृति
1	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण होने वाले शेयरधारक
2	बीएचईएल, आईओसीएल, सेल, पीजीसीआईएल, बीएसएनएल, ईईएसएल, आईडीडीसीएल, एमटीएनएल, एनएलसीएल, वीएसएनएल, सीआईएसएफ, पोस्को, पीटीसी, एनसीसीबीएम, जीएसआई, बीपीसीएल, सीपीआरआई और एनआईआईएल	एनएचपीसी पर नियंत्रण होने वाली समान सरकार (केन्द्र सरकार) द्वारा नियंत्रित निकाय

(च) **प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) पारिश्रमिक :**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु
1) अल्पावधि कर्मचारी लाभ	3.73	1.86
2) रोजगार पश्च लाभ	0.37	0.28
3) अन्य दीर्घावधि लाभ	0.28	0.23

(करोड़ रूपए में)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ अन्य संव्यवहार	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु
गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क तथा अन्य प्रतिपूर्ति	0.03	0.02
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	0.02	0.01

(छ) **संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार - संबंधित पक्षों के साथ निम्नलिखित संव्यवहार किए गए :**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान
(1)	(ii)	(iii)
i) **कंपनी (एनएचपीसी) पर नियंत्रण होने वाली सरकार के साथ संव्यवहार - केन्द्र सरकार**		
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं	99.24	74.56
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	3.05	0.08
वस्तु/माल-सूची की बिक्री	31.43	20.89
ii) **कंपनी (एनएचपीसी) पर नियंत्रण होने वाली समान सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ संव्यवहार**		
संपत्ति/अन्य परिसंपत्तियों की खरीद	73.22	80.89
वस्तु/माल-सूची की बिक्री	32.49	25.50
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं	58.29	45.74
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	26.31	36.17
iii) **अनुषंगी कंपनियों (एनएचडीसी, एलडीएचसीएल और बीएसयूएल) के साथ संव्यवहार**		
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	2.42	1.63
कंपनी द्वारा कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	4.10	1.22
कंपनी में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	0.03	-
कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	204.49	118.29
iv) **संयुक्त उद्यमों (सीवीपीपीएल और एनएचपीटीएल) के साथ संव्यवहार**		
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	7.40	3.14
कंपनी द्वारा कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	5.41	1.39
ऋण तथा इक्विटी अंशदान सहित वित्त	386.50	-
v) **एनएचपीसी की रोजगार पश्च लाभ योजनाओं के लिए बनाए गए ट्रस्टों के साथ संव्यवहार**		
1. **ईपीएफ ट्रस्ट**		
ट्रस्ट को अंशदान	279.82	272.93
2. **उपदान ट्रस्ट**		
ट्रस्ट को अंशदान	(5.46)	(17.15)
ट्रस्ट से प्रतिदाय (भुगतान)	63.06	64.64
3. **आरईएचएस ट्रस्ट**		
ट्रस्ट को अंशदान	74.05	39.55
ट्रस्ट से प्रतिदाय (भुगतान)	19.58	10.27
4. **सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट**		
ट्रस्ट को अंशदान	8.43	8.92
5. **ईडीसीएसएस ट्रस्ट**		
ट्रस्ट को अंशदान	76.16	111.74
उक्त ट्रस्टों के साथ कुल संव्यवहार		
ट्रस्ट को अंशदान	433.00	415.99
ट्रस्ट से प्रतिदाय	82.64	74.91
कुल	**350.36**	**341.08**

(ज) **संबंधित पक्षों के साथ बकाया शेष :**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
(1)	(ii)	(iii)	(iv)
i) **कंपनी (एनएचपीसी) पर नियंत्रण होने वाली सरकार के साथ शेष - केन्द्र सरकार**			
कंपनी द्वारा देय	17.72	14.28	14.70
कंपनी द्वारा प्राप्य	26.26	7.09	20.18
सरकार से ऋण (अधीनस्थ ऋण)	3400.80	3033.80	2733.80
ii) **कंपनी (एनएचपीसी) पर नियंत्रण होने वाली समान सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ शेष**			
कंपनी द्वारा देय	46.77	55.25	72.67
कंपनी द्वारा प्राप्य	24.96	28.78	22.86
iii) **अनुषंगी कंपनियों (एनएचडीसी, एलडीएचसीएल और बीएसयूएल) के साथ शेष**			
कंपनी द्वारा प्राप्य	9.72	3.64	1.26
iv) **संयुक्त उद्यमों (सीवीपीपीएल और एनएचपीटीएल) के साथ शेष**			
कंपनी द्वारा प्राप्य	193.97	282.00	282.37
v) **केएमपी के साथ शेष**			
कंपनी द्वारा प्राप्य	0.05	0.10	0.13
vi) **एनएचपीसी की रोजगार पश्च लाभ योजनाओं के लिए बनाए गए ट्रस्टों के साथ शेष**			
कंपनी द्वारा प्राप्य			
1. उपदान ट्रस्ट	38.24	41.54	21.59
कंपनी द्वारा देय			
1. ईपीएफ ट्रस्ट	25.06	24.07	23.21
2. आरईएचएस ट्रस्ट	38.92	12.17	-
3. सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	0.67	0.73	0.76
4. ईडीसीएसएस ट्रस्ट	5.89	5.97	5.26

कंपनी के राज्य सरकारों और भारत सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ व्यापार कारोबार है। इन निकायों के साथ व्यापार कारोबार परस्पर सहमत आधार पर बाजार शर्तों के अनुरूप खुली निविदाओं के प्रति एक पारदर्शी मूल्य खोज प्रक्रिया के माध्यम से किये जाते हैं, स्वामित्व वाली मदों हेतु मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) से कलपुर्जे/सेवाओं की खरीद/अथवा आकस्मिकता के कारण एकल निविदा आधार अनुरूपता अथवा अन्य कारणों जैसे कुछ मामलों के सिवाय। ऐसी एकल निविदा खरीद भी समान मदों के उपलब्ध मूल्य डाटा के प्रति बेंचमार्क किए गए मूल्यों के साथ विचार-विमर्श की एक प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। अतः ऐसे कारोबार के पक्ष-वार ब्यौरे नहीं दिए गए हैं क्योंकि ऐसे कारोबार को व्यापार के सामान्य चालन के दौरान सामान्य वाणिज्यिक शर्तों पर किया जाता है और उन्हें पृथक या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं माना गया है।

9. सुरक्षा का विवरण : ऋणों हेतु सुरक्षा के रूप में रेहन/गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों की वहन राशि निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
	प्रथम प्रभार			
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	14,484.71	14,543.38	15,365.64
2	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	6,127.83	5,911.56	5,276.62
3	वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य	567.77	582.31	609.62
	कुल	**21,180.31**	**21,037.25**	**21,251.88**

10. 'कर्मचारी लाभों' के संबंध में प्रकटीकरण :

(क) निर्धारित अंशदान योजनाए

(i) **सामाजिक सुरक्षा योजना :**अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर कंपनी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। कंपनी भी प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान करती है और यह अंशदान 8 वर्ष तक किया जाता है ताकि योजना के लागू होने की तिथि अर्थात 01.06.2007 से एक निधि को बनाया जा सके, इसे 2 और वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। कारपोरेशन के कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में संकटग्रस्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरूआत की गई है। वर्ष के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय **4.23 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **4.46 करोड़** रूपए) है।

(ii) **कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस) :** कंपनी में कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत की दर से अंशदान देता है। कंपनी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से निकाली गई राशि में से भविष्य निधि, उपदान न्यास तथा आरईएचएस को अंशदान के प्रति नियोक्ता के अंशदान को घटाने के पश्चात उपलब्ध होने वाले शेष का अंशदान देती है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। वर्ष के दौरान कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय **76.18 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **111.54 करोड़** रूपए) है।

(ख) निर्धारित लाभ योजनाएं - कंपनी की निम्नलिखित निर्धारित रोजगार-पश्च बाध्यताएं है :

(क) योजनाओं का विवरण

(i) **भविष्य निधि :** कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से भविष्य निधि में नियत अंशदान एक पृथक न्यास में जमा कराती है, जो धन का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। निधि में अंशदान को सम्बद्ध अवधि के लिए व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते/निर्माण को आरोप्य व्यय में प्रभारित किया जाता है। कपंनी का यह दायित्व है वह इस निधि मे अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।

(ii) **उपदान :** कम्पनी की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। उपदान की सीमा को उपदान अधिनियम, 1972 के तहत निर्धारित किया गया है तथापि पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.10 करोड़ रूपये है। तथापि, सीपीएसयू हेतु वेतन संशोधन के लिए तीसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के अनुसार उपदान की अधिकतम सीमा 1.1.2017 से संशोधित करके 0.20 करोड़ रूपये किए जाने का प्रस्ताव है जिसे वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु उपदान के संबंध में बाध्यता की गणना करते हुए लिया गया है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और समूह की बाध्यता बीमांकित मूल्य के आधार पर न्यास में अंशदान देना है।

(iii) **सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) :** कंपनी की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवन-साथी (पति/पत्नी) को कपंनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है। योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और कंपनी की बाध्यता बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर न्यास में अंशदान देने की है।

(iv) **सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता :** कपंनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है, मृतक कर्मचारी का परिवार भी यह सुविधा प्राप्त कर सकता है। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है।

(v) **अधिवर्षिता की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए स्मृतिचिन्ह :** कंपनी की नीति है कि वह सेवानिवृत्ति की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए 5000/- रूपये मूल्य तक का स्मृतिचिन्ह भेंट करती है। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है।

(ख) तुलन पत्र राशियों और योजनाओं के संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटीकरण

(i) **भविष्य निधि :** 31.03.2016 तथा 31.03.2017 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान निवल निर्धारित लाभ बाध्यता में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2015-16	
01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	**2,102.59**	**2139.78**	**(37.19)**
वर्तमान सेवा लागत	73.86	-	73.86
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	168.21	171.18	(2.97)
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	**242.07**	**171.18**	**70.89**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	31.36	14.45	16.91
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	**31.36**	**14.45**	**16.91**
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	73.86	(73.86)
- योजना प्रतिभागी	208.56	208.56	-
लाभ भुगतान	(383.13)	(383.13)	-
31.03.2016 को अंतिम शेष	**2201.45**	**2224.70**	**(23.25)**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2016-17	
01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	**2201.45**	**2224.70**	**(23.25)**
वर्तमान सेवा लागत	78.09	-	78.09
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	176.12	177.98	(1.86)
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	**254.21**	**177.98**	**76.23**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.10	-	0.10
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	11.24	13.04	(1.8)
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	**11.34**	**13.04**	**(1.70)**
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	78.09	(78.09)
- योजना प्रतिभागी	214.14	214.14	-
लाभ भुगतान	(353.71)	(353.71)	-
31.03.2017 को अंतिम शेष	**2327.43**	**2354.24**	**(26.81)**

वित्त-पोषित और गैर-वित्तपोषित के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
वित्त-पोषित बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	2,327.43	2,201.45	2,102.59
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(2,354.24)	(2,224.70)	(2139.78)
वित्त-पोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	**(26.81)**	**(23.25)**	**(37.19)**
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	**(26.81)**	**(23.25)**	**(37.19)**

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ बाध्यताओं की संवेदनशीलता निम्नवत है -

विवरण	मान्यताओं में परिवर्तन			मान्यताओं में वृद्धि			मान्यताओं में कमी	
प्रारंभिक शेष	31.03.2017	31.03.2016		31.03.2017	31.03.2016		31.03.2017	31.03.2016
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	0.005%	0.004%	इससे वृध्दी	0.005%	0.005%

(ii) **उपदान :** 31.03.2016 तथा 31.03.2017 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान निवल निर्धारित लाभ बाध्यता में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2015-16	
01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	**615.70**	**644.27**	**(28.57)**
वर्तमान सेवा लागत	24.77	-	24.77
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	49.25	51.54	(2.29)
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	**74.02**	**51.54**	**22.48**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	2.45	(2.45)
जनसांख्यकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(37.18)	-	(37.18)
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	**(37.18)**	**2.45**	**(39.63)**
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	6.09	(6.09)
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(64.39)	(67.92)	3.53
31.03.2016 को अंतिम शेष	**588.15**	**636.43**	**(48.28)**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2016-17	
01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	**588.15**	**636.43**	**(48.28)**
वर्तमान सेवा लागत	32.98	-	32.98
विगत सेवा लागत	140.14	-	140.14
ब्याज व्यय/(आय)	47.05	50.91	(3.86)
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	**220.17**	**50.91**	**169.26**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	0.93	(0.93)
जनसांख्यकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	12.36	-	12.36
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	0.22	-	0.22
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	**12.58**	**0.93**	**11.65**
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	15.23	(15.23)
लाभ भुगतान	(62.83)	(87.06)	24.23
31.03.2017 को अंतिम शेष	**758.07**	**616.44**	**141.63**

वित्त-पोषित और गैर-वित्तपोषित के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
वित्त-पोषित बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	758.08	588.15	615.70
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	616.45	636.43	644.27
वित्त-पोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	**141.63**	**(48.28)**	**(28.57)**
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	**141.63**	**(48.28)**	**(28.57)**

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ बाध्यताओं की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण प्रारंभिक शेष	मान्यताओं में परिवर्तन			मान्यताओं में वृद्धि			मान्यताओं में कमी	
	31.03.2017	31.03.2016		31.03.2017	31.03.2016		31.03.2017	31.03.2016
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	2.70%	3.14%	इससे वृद्धि	2.86%	3.34%
वेतन वृद्धि दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	1.13%	3.38%	इससे कमी	1.29%	3.20%

(iii) **सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) :** 31.03.2016 तथा 31.03.2017 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान निवल निर्धारित लाभ बाध्यता में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2015-16	
01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	**515.72**	**-**	**515.72**
वर्तमान सेवा लागत	12.03	-	12.03
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	41.26	-	41.26
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	**53.29**	**-**	**53.29**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	33.62	(33.62)
जनसांख्यकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	37.15	-	37.15
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	**37.15**	**33.62**	**3.53**
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	555.66	(555.66)
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(13.77)	(5.56)	(8.21)
31.03.2016 को अंतिम शेष	**592.39**	**583.72**	**8.67**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2016-17	
01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	**592.39**	**583.72**	**8.67**
वर्तमान सेवा लागत	13.95	-	13.95
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	47.39	46.70	0.69
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	**61.34**	**46.70**	**14.64**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	5.27	(5.27)
जनसांख्यकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	41.66	-	41.66
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	23.02	-	23.02
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	**64.68**	**5.27**	**59.41**
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	47.40	(47.40)
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(19.23)	(19.68)	0.45
31.03.2017 को अंतिम शेष	**699.18**	**663.41**	**35.77**

वित्त-पोषित और गैर-वित्तपोषित के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
वित्त-पोषित बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	699.18	592.39	-
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	663.40	583.72	-
वित्त-पोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	**35.78**	**8.67**	**-**
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-	515.72
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	**35.78**	**8.67**	**515.72**

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ बाध्यताओं की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	मान्यताओं में परिवर्तन			मान्यताओं में वृद्धि			मान्यताओं में कमी	
प्रारंभिक शेष	31.03.2017	31.03.2016		31.03.2017	31.03.2016		31.03.2017	31.03.2016
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	6.05%	7.21%	इससे वृद्धि	6.40%	7.98%

(4) **सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता :** 31.03.2016 तथा 31.03.2017 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान निवल निर्धारित लाभ बाध्यता में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2015-16	
01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	**4.95**	**-**	**4.95**
वर्तमान सेवा लागत	0.19	-	0.19
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	0.40	-	0.40
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	**0.59**	**-**	**0.59**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(0.54)	-	(0.54)
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	(0.54)	-	(0.54)
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.11)	-	(0.11)
31.03.2016 को अंतिम शेष	**4.89**	**-**	**4.89**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2016-17	
01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	4.89	-	4.89
वर्तमान सेवा लागत	0.20	-	0.20
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	0.39	-	0.39
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	**0.59**	**-**	**0.59**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.14	-	0.14
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(0.33)	-	(0.33)
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	**(0.19)**	**-**	**(0.19)**
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.35)	-	(0.35)
31.03.2017 को अंतिम शेष	**4.94**	**-**	**4.94**

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ बाध्यताओं की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण प्रारंभिक शेष	मान्यताओं में परिवर्तन			मान्यताओं में वृद्धि			मान्यताओं में कमी	
	31.03.2017	31.03.2016		31.03.2017	31.03.2016		31.03.2017	31.03.2016
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	2.84%	2.89%	इससे वृद्धि	3.00%	3.06%

(5) **अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को स्मृति-चिन्ह :** 31.03.2016 तथा 31.03.2017 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान निवल निर्धारित लाभ बाध्यता में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2015-16	
01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	**2.75**	**-**	**2.75**
वर्तमान सेवा लागत	0.10	-	0.10
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	0.22	-	0.22
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	**0.32**	**-**	**0.32**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2015-16		
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(0.21)	-	(0.21)
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	**(0.21)**	**-**	**(0.21)**
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.30)	-	(0.30)
31.03.2016 को अंतिम शेष	**2.56**	**-**	**2.56**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2016-17		
01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	**2.56**	**-**	**2.56**
वर्तमान सेवा लागत	0.10	-	0.10
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	0.20	-	0.20
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	**0.30**	**-**	**0.30**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.07	-	0.07
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(0.21)	-	(0.21)
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	**(0.14)**	**-**	**0.14)**
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.28)	-	(0.28)
31.03.2017 को अंतिम शेष	**2.44**	**-**	**2.44**

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ बाध्यताओं की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण प्रारंभिक शेष	मान्यताओं में परिवर्तन			मान्यताओं में वृद्धि			मान्यताओं में कमी	
	31.03.2017	31.03.2016		31.03.2017	31.03.2016		31.03.2017	31.03.2016
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	5.93%	2.89%	इससे वृद्धि	6.11%	3.06%

(ग) निर्धारित लाभ योजनाएं : महत्वपूर्ण अनुमान : बीमांकित मान्यताएं :

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
छूट दर	7.50%	8.00%	8.00%
वेतन वृद्धि दर	6.00%	6.00%	6.00%

(घ) योजनागत परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार है :

भविष्य निधि

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड	1263.90	-	1263.90	55.25
कारपोरेट बॉण्ड	985.53	-	985.53	43.08
निवेश निधियां				
म्युचुअल फंड	30.33	-	30.33	1.33
एलआईसी	-	-	-	-
नकदी और नकदी तुल्य		**7.79**	**7.79**	**0.34**
कुल	**2279.76**	**7.79**	**2287.55**	**100.00**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड	1157.12	-	1157.12	53.57
कारपोरेट बॉण्ड	987.65	-	987.65	45.73
निवेश निधियां				
म्युचुअल फंड	12.84	-	12.84	0.59
एलआईसी	-	-	-	-
नकदी और नकदी तुल्य	**-**	**2.30**	**2.30**	**0.11**
कुल	**2157.61**	**2.30**	**2159.91**	**100.00**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	01 अप्रैल 2015			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड	1058.20	-	1058.20	50.92
कारपोरेट बॉण्ड	1017.70	-	1017.70	48.97
नकदी और नकदी तुल्य	-	2.13	2.13	0.10
कुल	**2075.90**	**2.13**	**2078.03**	**100.00**

उपदान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना *	-	616.45	616.45	99.98
नकदी और नकदी तुल्य	-	0.11	0.11	0.02
कुल	**-**	**616.56**	**616.56**	**100.00**

विवरण	31 मार्च 2016			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना *	-	636.32	636.32	99.98
नकदी और नकदी तुल्य	-	0.10	0.10	0.02
कुल	**-**	**636.43**	**636.43**	**100.00**

विवरण	01 अप्रैल 2015			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना *	-	644.18	644.18	99.99
नकदी और नकदी तुल्य	-	0.09	0.09	0.01
कुल	**-**	**644.27**	**644.27**	**100.00**

*** उपदान प्रकटीकरण हेतु टिप्पणी :**

एनएचपीसी लिमिटेड उपदान निधि न्यास ने ट्रस्ट की निधियों को आईआरडीए द्वारा इस प्रयोजन हेतु विधिवत अनुमोदित बीमा की एक योजना के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की नॉन-यूनिट लिंक्ड परम्परागत निधि में समूह उपदान योजना में निवेश किया है।

सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड	-	-	-	-
कारपोरेट बॉण्ड	637.75	-	637.75	98.45
नकदी और नकदी तुल्य	-	10.06	10.06	1.55
कुल	**637.75**	**10.06**	**647.81**	**100.00**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड	-	-	-	-
कारपोरेट बॉण्ड	559.10	-	559.10	98.17
नकदी और नकदी तुल्य	-	10.43	10.43	1.83
कुल	**559.10**	**10.43**	**569.53**	**100.00**

ङ) **जोखिम प्रभाव :** अपनी निर्धारित लाभ योजनाओं के माध्यम से कंपनी कई जोखिमों के प्रभाव में आती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण का ब्यौरा नीचे दिया गया है-

जोखिम प्रभाव का विवरण :

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित जो परिवर्तनशील प्रकृति के हैं और समय के साथ भिन्न होती हैं। अतः कंपनी नीचे दिए गए विभिन्न जोखिमों के संपर्क में आती है -

क) वेतन वृद्धि - वास्तविक वेतन वृद्धि योजना के दायित्व में वृद्धि करेगी। वेतन वृद्धि दर मान्यता में वृद्धि भविष्य के मूल्यांकनों में देयता में भी वृद्धि करेगी।

ख) निवेश जोखिम - यदि योजना को वित्त पोषित किया जाता है तो परिसंपत्ति देयताएं असंतुलन और अंतिम तिथि को मानी गई छूट दर से निम्न होने वाला परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल दायित्व को प्रभावित कर सकता है।

ग) छूट दर - बाद के मूल्यांकनों में छूट दर में कमी योजना के दायित्व में वृद्धि कर सकती है।

घ) मृत्यु तथा निशक्तता - मूल्याकन में माने गए से कम या अधिक होने पर वास्तविक मृत्यु तथा निशक्तता के मामले देयताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

ङ) निकासी - वास्तविक निकासी मानी गई निकासी से अधिक या कम होने और बाद के मूल्यांकनों में निकासी दरों मे परिवर्तन योजना के दायित्व को प्रभावित कर सकता है।

च) **निर्धारित लाभ देयता और नियोक्ता अंशदान :** वित्तपोषण स्तरों की निगरानी वार्षिक आधार पर की जाती है और वर्तमान अंशदान दर मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 30 प्रतिशत है। कंपनी यह मानती है कि पिछली मूल्यांकन तिथि को निर्धारित अंशदान दरें सहमत अवधि पर कमी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है और नियमित अंशदान, जो सेवा लागतों पर आधारित हैं, उनमें अत्यधिक वृद्धि नहीं होगी।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु निर्धारित लाभ योजनाओं से प्रत्याशित अंशदान 137.86 करोड़ रूपये है।

निर्धारित लाभ बाध्यताओं की औसत अवधि 9.62 वर्ष है (2016 - 9.58 वर्ष, 2015 - 9.48 वर्ष)।

छूट न दी गई निर्धारित लाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है :

भविष्य निधि (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि) का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	0-1 वर्ष के मध्य	1 - 5 वर्ष के मध्य	5 - 10 वर्ष के मध्य	10 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2017	332.55	826.73	516.92	651.24	2327.44
31.03.2016	313.48	746.83	546.24	594.90	2201.45

उपदान (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि), रोजगार पश्च चिकित्सा लाभ (एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना न्यास), सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और स्मृतिचिन्ह का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष के मध्य	2 - 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2017					
उपदान	109.31	68.97	180.38	399.41	758.07
रोजगार पश्च चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	27.30	29.12	98.51	544.25	699.18
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	0.61	0.57	1.49	2.27	4.94
अधिवर्षिता की आयु पुरी होने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.30	0.28	0.74	1.12	2.44
कुल	**137.52**	**98.94**	**281.11**	**947.05**	**1,464.62**
31.03.2016	-	-	-	-	-
उपदान	69.94	22.25	171.55	324.41	588.15
रोजगार पश्च चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	23.13	24.97	86.12	458.16	592.38
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	0.61	0.19	1.52	2.56	4.88
अधिवर्षिता की आयु पुरी होने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.32	0.10	0.80	1.34	2.56
कुल	**94.01**	**47.51**	**260.00**	**786.47**	**1,187.99**

(ग) **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (अवकाश लाभ) :** कम्पनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार विनियमित की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकित मूल्य के आधार पर किया जाता है।

11. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-iii के अनुसार अन्य प्रकटीकरण

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य :		
	i) पूंजीगत वस्तुएं	26.43	4.33
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ब्याज	26.27	28.92
	ii) अन्य विविध मामले	76.05	140.76
ग)*	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कलपुर्जो तथा घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	-	0.63
	ii) देशीय	19.44	37.35
घ)*	विदेशी मुद्रा में अर्जन		
	i) ब्याज	-	2.62

* प्रोदभवन आधार।

12. प्रति शेयर अर्जन :-

क) प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) निम्नानुसार हैं :

	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
नियामक आय से पूर्व प्रति शेयर अर्जन (रूपए) - आधारभूत और कम किया गया	1.88	1.70
नियामक आय के पश्चात प्रति शेयर अर्जन (रूपए) - आधारभूत और कम किया गया	2.53	2.19
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपये)	10	10

ख) प्रति शेयर अर्जन की गणना में प्रयुक्त आय का मिलान :

	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात किंतु नियामक आय से पूर्व निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	2,081.60	1,878.99
अंश के रूप में प्रयुक्त कर तथा नियामक आय के पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	2,795.59	2,429.89

ग) भाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या का मिलान :

	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
हर के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या	1106,17,77,011	1107,06,68,496

13. शेषों की पुष्टि संबंधी प्रकटीकरण निम्नवत है :

क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाए गए शेष, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गईं या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।

ख) बाहरी पक्षों से व्यापार प्राप्य, देय व्यापार, जमा, संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल है और संविदाकारों को जारी सामग्री हेतु 0.05 करोड़ रूपये अथवा उससे अधिक के बकाया शेष हेतु पुष्टि प्रत्येक पक्ष के संबंध में प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को मांगी जाती है। 31 दिसम्बर, 2016 के अनुसार शेष की पुष्टि और साथ ही साथ 31.3.2017 को बकाया निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.12.2016 को बकाया राशि	पुष्टि की गई राशि	31.12.2017 को बकाया राशि
प्राप्य व्यापार	2404.47	1934.04	1992.33
पूंजीगत व्यय और संविदाकारों को जारी सामग्री सहित जमा, संविदाकारों/आपूर्तिकारों/ सेवा प्रदाताओं/ अन्यों को अग्रिम जिसमें	1127.81	484.56	1066.86
व्यापार/अन्य देय	266.44	106.50	350.29
सुरक्षा जमा/देय प्रतिधारण राशि	105.79	56.32	103.00

ग) प्रबंधन के मतानुसार, अपुष्ट शेषों का कोई भौतिक प्रभाव नहीं होगा।

14. इंड एएस में परिवर्तन से पूर्व सुविधाओं के सृजन हेतु पूंजीगत व्यय जिन पर कंपनी का नियंत्रण नहीं था परन्तु जो परियोजना के निर्माण के लिए मूलतः आवश्यक थी, उसे परियोजना की प्रमुख परिसंपत्तियों के सृजन की ऐसी लागतों की आरोप्यता के आधार पर प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के एक भाग के रूप में "निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी)" पर प्रभारित किया जाता था। इंड एएस को लागू किए जाने से यह लेखांकन उपचार विशिष्ट रूप से इंड एएस-16 "संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण" के पैरा 9 के अंतर्गत कवर होता है जिसमें मापन की इकाई पद्धति विहित की गई है जिसमें किसी निकाय का प्रबंधन अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर मान्यता मानदण्ड पर अपना निर्णय लागू करने में सक्षम है।

15. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटीकरण

(i) किए गए व्यय के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत सीएसआर व्यय का ब्यौरा निम्नवत है :-

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	सीएसआर व्यय शामिल होने वाले व्ययों के शीर्ष	2016-17	2015-16
1	स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता	15.31	5.07
2	शिक्षा और कौशल विकास	50.36	4.69
3	महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक	0.18	0.02
4	पर्यावरण	0.60	0.57
5	कला और संस्कृति	0.64	0.25
6	भूतपूर्व सैनिक	0.05	-
7	खेलकूद	0.33	0.07
8	राष्ट्रीय कल्याण निधि	0.02	-
9	प्रौद्योगिकी और अनुसंधान	-	-
10	ग्रामीण विकास	5.52	2.53
11	क्षमता निर्माण	0.27	0.03
12	स्वच्छ विद्यालय अभियान	0.75	59.45
13	स्वच्छ भारत अभियान	1.79	-
	कुल राशि	**75.82**	**72.68**

(2) अन्य प्रकटीकरण :-

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 135 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु सीएसआर कार्यों के प्रति व्यय किए जाने हेतु अपेक्षित राशि **44.23 करोड़** रूपये है। निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु **109.43 करोड़** रूपये के कुल बजट को आवंटित किया था (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 135 के अनुसार पिछले 3 वित्तीय वर्षो के औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत से अधिक)।

(ख) 31.03.2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 'नकदी में किए गए' और 'अभी नकदी में अदा किए जाने वाले' व्यय के ब्यौरे तथा साथ में व्यय की प्रकृति (पूंजी अथवा राजस्व प्रकृति) निम्नानुसार है :-

(करोड़ रूपए में)

		नकद में (क)	अभी भुगतान किया जाना है (ख)	कुल (क+ख)
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/खरीद	17.78	0.81	18.59
(ii)	उक्त (i) के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु	56.05	1.18	57.23
	कुल	**73.83**	**1.99**	**75.82**

(ग) ऊपर बताए गए अनुसार **1.99 करोड़** रूपये के कुल व्यय में से **75.82 करोड़** रूपये की राशि का भुगतान अभी संबंधित पक्षों को किया जाना है जिसे देयताओं से संबधित लेखे के संगत शीर्ष में शामिल किया गया है।

16. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 जिसे दिनांक 04.09.2015 की कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत यथापेक्षित प्रकटीकरण निम्नवत है (देखें तुलन पत्र की टिप्पणी संख्या 20.2 तथा 20.3) :

(रूपये करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
(i)	तुलन-पत्र तिथि को किसी आपूर्तिकर्ता को शेष रहने वाली मूल राशि तथा उस पर तत्संबंधी शेष ब्याज :		
	क) देय व्यापार :		
	- मूलधन राशि	4.28	1.23
	- ब्याज	-	0.20
	ख) अन्य :		
	- मूलधन राशि	1.51	0.88
	- ब्याज	-	-
(ii)	क्रेता द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुरूप अदा किए गए ब्याज की राशि और साथ में वर्ष के दौरान निर्धारित दिवस से परे आपूर्तिकार को किए गए भुगतान की राशि।	-	-
(iii)	भुगतान करने में विलंब के वर्ष हेतु देय तथा अदा की जाने वाली ब्याज की राशि (जिसका वर्ष के दौरान निर्धारित दिवस के पश्चात भुगतान किया गया है) परन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतगत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
(iv)	तुलन-पत्र तिथि को प्रोदभूत तथा भुगतान हेतु शेष ब्याज की राशि	-	0.20
(v)	आगे के वर्षो में भी देय तथा चुकौती योग्य शेष ब्याज की राशि, जब तक कि उक्त ब्याज देयों का भुगतान वास्तव में किसी छोटे उद्यम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत किसी कटौती योग्य व्यय को अनुमेय न करने के प्रयोजन हेतु वास्तव में नहीं कर दिया जाता।	-	-

17. 09.11.2016 से 30.12.2016 की अवधि के दौरान धारित और कारोबार किए गए निर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) के ब्यौरे का प्रकटीकरण निम्नवत है :

(करोड़ रूपए में)

	एसबीएन*	अन्य मूल्यवर्ग के नोट	कुल
08 नवम्बर, 2016 को अंतिम हस्तगत नकदी	0.14	0.02	0.16
(+) अनुमेय प्राप्तियां	0.02	1.56	1.58
(-) अनुमेय भुगतान	-	1.22	1.22
(-) बैंकों में जमा राशि	0.16	0.26	0.42
30 दिसम्बर, 2016 को अंतिम हस्तगत नकदी	-	0.10	0.10

* निर्दिष्ट बैंक नोट दिनांक 08 नवम्बर, 2016 की आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. एस.ओ.3407(अ) में यथा परिभाषित किए अनुसार है।

18. भारतीय लेखांकन मानक - 17 ''पट्टे के अनुसार पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण''

क) वित्त पट्टा - कंपनी पट्टादाता के रू प में

कंपनी ने 2 पावर स्टेशनों नामतः निम्मो बाजगो पावर स्टेशन और चुटक पावर स्टेशन से उत्पादित समूची विद्युत की बिक्री हेतु एकल लाभार्थी पीडीडी जम्मू एवं कश्मीर और दो पावर स्टेशनों नामतः इन्दिरा सागर और ओंकारेश्वर पावर स्टेशनों से उत्पादित समूची विद्युत की बिक्री हेतु मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के साथ 35 वर्षों के लिए एक समझौता किया है जो इन पावर स्टेशनों के प्रत्याशित जीवनकाल के समान है। समझौतों के अंतर्गत उपभोक्ता केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उत्पादन को खरीदने के लिए बाध्य है। कंपनी ने इन पावर स्टेशनों को भारतीय लेखांकन मानक 17-पट्टे के परिशिष्ट-ग के अनुसार निहित वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान) में प्राप्य पट्टे शामिल हैं जो कंपनी द्वारा की गई निहित पट्टा व्यवस्थाओं पर प्राप्य भविष्य के पट्टा किराए के वर्तमान मूल्य को दर्शाते हैं।

पट्टे में सकल निवेश और वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार है :

(क) पट्टों में सकल निवेश :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
एक वर्ष के भीतर	257.71	293.66	259.90
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	972.62	995.28	1048.40
पांच वर्ष से अधिक	4270.70	4503.43	4741.44
कुल	**5501.03**	**5792.37**	**6049.74**

(ख) प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
एक वर्ष के भीतर	57.89	87.31	46.70
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	248.68	240.69	264.71
पांच वर्ष से अधिक	1317.92	1383.80	1447.09
कुल	**1624.49**	**1711.80**	**1758.50**

(ग) पट्टे में सकल निवेश और वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य के मध्य मिलान निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
पट्टे में सकल निवेश	5501.03	5792.37	6049.74
समायोजन :			
घटाएं : अर्जित न की गई वित्त आय	3688.24	3894.59	4107.79
घटाएं : गैर-गारंटीबद्ध अवशिष्ट मूल्य	188.30	185.98	183.45
न्यूनतम पट्टा भुगतान (एमएलपी) का वर्तमान मूल्य	**1624.49**	**1711.80**	**1758.50**

(ख) प्रचालन पट्टा - कंपनी पट्टादाता के रू प में

कंपनी ने टीएलडीपी-iii तथा टीएलडीपी-iv विद्युत स्टेशनों से विद्युत की बिक्री हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड और पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर से विद्युत की बिक्री हेतु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ 3 वर्ष की अवधि हेतु एक समझौता किया है। टीएलडीपी-iii तथा टीएलडीपी-iv के संबंध में समझौतो के अंतर्गत ग्राहक केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उत्पादन की खरीद के लिए बाध्य है। तदनुसार, कंपनी ने इन विद्युत स्टेशनों को भारतीय लेखांकन मानक 17-पटटे के परिशिष्ट-ग के अनुसार प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया है।

गैर-निरस्तीकरण योग्य प्रचालन पट्टों के अंतर्गत प्राप्य भविष्य का न्यूनतम किराया निम्नानुसार है :-

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
एक वर्ष के भीतर	568.86	521.32	342.41
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	607.87	1176.73	1698.05
कुल	**1176.73**	**1698.05**	**2040.46**

19. प्रबंधन का यह मत है कि 31 मार्च, 2017 के अनुसार ''परिसंपत्तियों की क्षति'' पर भारतीय लेखांकन मानक 36 के प्रावधानों के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

20. प्रमाणित उत्सर्जन कमी (वीईआर) शून्य है, अतः कोई प्रकटीकरण नहीं।

21. जल विद्युत नीति 2008 के अनुसार किसी परियोजना के चालू होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि हेतु संबंधित वितरण लाइसेंसी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) को 100 यूनिट विद्युत की तदनुरूपी ऊर्जा मुहैया करवाई जानी है। पीएएफ के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अभी अधिसूचना जारी की जानी है। चूंकि किसी पावर स्टेशन से कुल बिक्री योग्य ऊर्जा को डिजाइन ऊर्जा में से ऐसे निःशुल्क विद्युत की कटौती करके निकाला जाना है, कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

22. वर्ष 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ का अनुमोदन लम्बित होने के चलते केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) की दिनांक 21 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या एल-1/144/2013/सीईआरसी के अनुसार बिक्री को सेवा-ii, चमेरा-iii, टीएलडीपी-iii और पार्बती-iii पावर स्टेशनों के संबंध में 2009-14 की अवधि हेतु सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार अनंतिम रूप से मान्यता दी गई है। वर्ष 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ के लिए सीईआरसी विनियमनों में संबंधित वित्तीय वर्ष की प्रभावी कर दर के साथ इक्विटी पर प्रतिफल को सकल बनाकर लाभग्राहियों से आयकर की वसूली का प्रावधान है अर्थात उत्पादक आय पर वर्ष के दौरान अदा किया गया वास्तविक कर।

23. कंपनी के निदेशक मंडल ने 7 फरवरी, 2017 को हुई अपनी बैठक में इसके इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद हेतु एक प्रस्ताव का अनुमोदित किया था। उक्त अनुमोदन के आगे, कंपनी ने 27 मार्च, 2017 को 10 रूपये प्रत्येक के 81,13,47,977 शेयरों (जो 31 मार्च, 2016 हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 7.33 प्रतिशत को दर्शाता है) की पुनः खरीद को शेयरधारकों से एक अनुपातिक आधार पर 32.25 रूपये प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य पर निविदा प्रस्ताव के माध्यम से 2616.60 करोड़ रूपये की कुल राशि पर कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी विनियमनों के प्रावधानों के अनुसार पूरा किया है।

24. प्रावधानों की प्रकृति और ब्यौरा (तुलन-पत्र की टिप्पणी संख्या 17 तथा 22 का संदर्भ लें)

(i) सामान्य

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी की वर्तमान बाध्यता (विधिक अथवा रचनात्मक) किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप हो और यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ शामिल होने वाले संशोधनों के अंतरवाह की आवश्यकता बाध्यता के निपटान हेतु अपेक्षित हो और बाध्यता की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। जब कंपनी यह प्रत्याशा करता है कि कुछ अथवा सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जैसे कि किसी बीमा संविदा के अंतर्गत, तो प्रतिपूर्ति को एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है परन्तु केवल तब जब प्रतिपूर्ति स्पष्टतः निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि के विवरण में किसी पूर्ति के निवल पर प्रस्तुत किया जाता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधानों में एक वर्तमान कर-पूर्व-दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता से विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करते हैं। जहां छूट का उपयोग किया जाता है, समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

(ii) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान

क) कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान :

लेखे में वर्ष (गत वर्ष 2015-16) हेतु कर्मचारियों के निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के प्रति अल्पावधि प्रावधान को प्रबंधन अनुमानों पर इस संबंध में कंपनी नियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

ख) तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) के अनुसार वेतन संशोधन हेतु प्रावधान:

कंपनी के कर्मचारियों के वेतन संशोधन हेतु अल्पावधि प्रावधान को भारत सरकार द्वारा गठित तीसरे पीआरसी की सिफारिशों के अनुसार 1.1.2017 से 31.3.2017 की अवधि हेतु लेखे में मान्यता दी गई है।

(iii) अन्य प्रावधान:

क) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान :

टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान को अनुमानित आधार पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ के अनुमोदन/समायोजन के लंबित होने पर बिल किए गए टैरिफ के पुन: आकलन पर लाभग्राहियों को संभावित धन वापसी के प्रति किया गया है।

ख) आजीविका व्यय हेतु प्रावधान :

पार्बती-ii तथा पार्बती-iii में परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) को आजीविका सहायता हेतु राज्य सरकार के परामर्श से और एनएचपीसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार अंतिम रूप दिए गए विशेष वित्तीय पैकेज के प्रति लेखे में औसत मुद्रास्फीति हेतु छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है। पैकेज के अनुसार, भुगतान की औपचारिकताएं लम्बित होने तक प्रत्येक पीएएफ को निम्नलिखित अवधियों हेतु मासिक किश्त आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्र सरकार, जो भी अधिक हो, के अनुसार अकुशल श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य आजीविका सहायता मुहैया करवाई जाएगी -

i रोजगार हेतु पात्र पीएएफ की अधिवर्षिता की तिथि तक।

ii ऐसे पीएफ जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं बची है परन्तु जिन्हें रोजगार हेतु शामिल नहीं किया गया है, 2000 दिवस हेतु।

iii शेष सभी पीएएफ को 1000 दिवस हेतु।

ग) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान :

पर्यावरण, प्रतिपूरक वनीकरण, स्थानीय क्षेत्र विकास आदि के प्रति किए जाने वाले पूंजीगत व्यय हेतु छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है जो परियोजना के निर्माण हेतु अनुमोदन प्राप्त करते समय एक पूर्व शर्त है और जिसके प्रति व्यय परियोजना के चालू किए जाने तक पूरा नहीं किया गया है। ऐसे प्रावधानो को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग के अनुसार वास्तविक व्यय के किए जाने पर समायोजित किया जाता है।

घ) बीमांकित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्ययों हेतु प्रावधान :

मेगा तथा सीपीएम पॉलिसी के अतर्गत बीमित क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार हेतु प्रबंधन अनुमानों के आधार पर लेखे में प्रावधान को मान्यता दी गई है। प्रावधान का उपयोग परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार के प्रति वास्तविक व्यय को वहन किए जाने के प्रति किया जाना है।

ङ) प्रावधान - अन्य :

इसमें मुख्यत: कंपनी के प्रति दावों की ओर लेखे में मान्यता दिए गए प्रावधान शामिल होते हैं। इन प्रावधानों को आर्थिक लाभ निहित होने वाले संसाधनों के बाहिरप्रवाह की संभावना को देखते हुए प्रबंधन अनुमानों के आधार पर तैयार किया गया है। प्रावधान का उपयोग /बाहिरप्रभाव मामले के निर्णय के आधार पर किया जाना है।

इस श्रेणी के अंतर्गत अन्य प्रावधानों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संशोधन की ओर प्रावधान शामिल है जिनकी सेवाओं का उपयोग कंपनी द्वारा किया जाता है।

25. भारतीय लेखांकन मानक 114 के अनुसार नियामक विलंबित लेखा शेष के सृजन संबंधी प्रकटीकरण

कंपनी जल प्रधानत: विद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन में रत है। कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु प्रभारित किए जाने वाले मूल्य (टैरिफ) का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा लागू सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमों के अंतर्गत किया जाता है। उक्त मूल्य (टैरिफ) ब्याज लागत, मूल्यह्रास, प्रचालन और अनुरक्षण जिसमें निर्धारित रिटर्न शामिल है जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होता है। दर विनियमन के इस रूप को सेवा की लागत विनियमों के रूप में जाना जाता है। ऐसे विनियमों का मुख्य उद्देश्य निकाय को वस्तु या सेवा मुहैया करवाने की उसकी लागत तथा एक उचित प्रतिफल को वसूल करने का अवसर प्रदान करना है।

इस प्रयोजन हेतु कंपनी को लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित अथवा सीईआरसी द्वारा पहले ही स्वीकार किए गए किए जा चुके व्यय अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक किए जाने हेतु प्रक्षेपित और लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त पूंजी व्यय या टैरिफ वर्ष के दौरान व्यय किए जाने हेतु प्रक्षेपित व्यय के आधार पर सीईआरसी को एक आवेदन देना अपेक्षित होता है। सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ को उन उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) से वसूला जाता है जिन पर वह बाध्यकारी हो।

उक्त दर विनियम लेखांकन ढांचे में यथा परिकल्पित किसी अधिकार (परिसंपत्ति) अथवा किसी बाध्यता (देयता) के सृजन में परिणत होते हैं जो अन्य उद्योगों के मामले में नहीं होता। आईसीएआई ने दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी एक परामर्शी नोट जारी किया है जो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं

को मुहैया करवाने वाले निकायों पर लागू होता है जिनके मूल्य सेवा की लागत विनियमों के अधीन होते हैं और नियामक द्वारा निर्धारित टैरिफ उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) पर बाध्यकारी होता है। परामर्शी नोट के अनुसार किसी नियामक परिसंपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब इसकी संभावना हो (एक तर्कसंगत आश्वासन) कि इससे संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ संबंधित निकाय को लागू नियामक ढांचे के अंतर्गत नियामक के वास्तविक या प्रत्याशित कृत्यों के परिणामस्वरूप प्राप्त हों और राशि का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सके।

ऊपर बताए गए अनुसार, कंपनी के सभी प्रचालन क्रियाकलाप लागत की सेवा विनियमों के अधीन है क्योंकि ये परामर्शी नोट में निर्धारित मानदण्ड को पूरा करते हैं अतः कंपनी पर लागू है।

परामर्शी नोट में कुछ मामलों में यह भी प्रावधान है कि कोई नियामक किसी निकाय को दर आधार में उसके द्वारा स्व-निर्मित (मूर्त) स्थिर परिसंपत्तियों या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तिया को शामिल करने की अनुमति दे, ऐसी राशियां जिन्हें अन्यथा लेखांकन मानकों के अनुरूप लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता।

1.4.2016 से ऐसी दर नियंत्रित मदों का लेखांकन भारतीय लेखांकन मानक 114 (नियामक विलंबित लेखे" के अनुसार किया जाना है। भारतीय लेखांकन मानक-114 में किसी निकाय को नियामक विलंबित लेखा शेष की मान्यता, मापन,क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस प्रयोजन हेतु "दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पण पूर्ववर्ती जीएएपी को माना जाएगा।

(क) सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष:

सुबानसिरी लोअर परियोजना के स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप 16.12.2011 से बांध विरोधी कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण बाधित हैं, तथापि, तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य जारी है। प्रबंधन स्थल पर कार्य को पुनः प्रारम्भ करने के सभी प्रयास कर रहा है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामशब समिति (ईएसी) के मतानुरूप **1943.89 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष की **1578.57 करोड़** रूपये की राशि तक) की ऋण लागत और **754.10 करोड़** रूपये (**602.71 करोड़** रूपये की पिछले वर्ष की राशि तक) की प्रशासन तथा अन्य लागत को वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया गया है।

तथापि, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट के अनुसार लेखांकन को अपनाया था जो "नियामक परिसंपत्ति" और तदनुरूपी "नियामक आय" की मान्यता को अनुमति देता है जिसमें ऐसे व्यय को वसूल करने का अधिकार है जिसे लेखांकन मानकों के अनुसार संगत स्थिर परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं है, परन्तु फिर भी नियामक केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभग्राहियों से वसूल किए जाने की योजना है। इस लेखाकन नीति का कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 तक पालन किया गया है।

चूंकि भारतीय लेखांकन मानक-114 में किसी निकाय को नियामक विलंबित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है और यह पूर्ववर्ती जीएएपी को "दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पण के रूप में मान्यता देता है, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु अपनी पहले इंड एएस वित्तीय विवरणों में नियामक विलंबित लेखा शेष हेतु लेखांकन नीति को जारी रखा है।

तदनुसार, कंपनी ने नियामक परिसंपत्तियों का सृजन किया है और निम्नानुसार तदनुरूपी नियामक आय को मान्यता प्रदान की है :

(करोड़ रूपए में)

निम्नलिखित के संबंध में सृजित विनियामक परिसंपत्तियां	31 मार्च, 2016 तक	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान	31 मार्च, 2017 तक
ऋण लागत	1578.57	365.32	1,943.89
कर्मचारी लाभ व्यय	394.90	92.74	487.64
प्रशासनिक और अन्य व्यय	207.81	58.65	266.46
कुल	**2181.28**	**516.71**	**2,697.99**

परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के पश्चात सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में नियामक विलंबित लेखाओं में पड़ी शेष राशि को मूल्यह्रास के अनुपात में परियोजना के जीवनकाल अर्थात 35 वर्षों पर सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों का पालन करते हुए परिशोधित/परिसमाप्त किया जाएगा।

कुछ जोखिम तथा अनिश्चितताएं सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में सृजित नियामक विलंबित डेबिट शेष की भविष्य की वसूली को प्रभावित कर सकते हैं। ये हैं :

क) **मांग जोखिम :** नियामक विलंबित लेखा शेष की वसूली टैरिफ के माध्यम से मूल्यह्रास द्वारा की जाएगी। तदनुसार, यह सामान्य जोखिमों तथा अनिश्चितताओं से प्रभावित है जो भारत में विद्युत की बिक्री को प्रभावित करती हैं जैसे दीर्घावधि पीपीए पर हस्ताक्षर किए जाने में कठिनाई, आदि ।

ख) नियामक जोखिम :

1) टैरिफ विनियमन, 2014-19 में परिणामी लागतों की अनुमति है जो लागत वृद्धि में परिणत होता है और संविदा मूल्यों, निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) और प्राकृतिक आपदा वाली स्थितियों में निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (आईईडीसी) को प्रभावित करता है जैसा कि एक का सामना वर्तमान में परियोजना द्वारा किया जा रहा है। प्राकृतिक आपदा वाली स्थितियों में लागत की स्वीकार्यता के संबंध में वर्तमान अवधि से परे टैरिफ विनियमनों में कोई परिवर्तन इन नियामक विलंबित अंतरों के सृजन तथा वसूली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।

2) टैरिफ विनियमों में आगे यह प्रावधान है कि यदि विलंब उत्पादक कंपनी को आरोप्य नहीं है बल्कि अनियंत्रणीय कारकों के कारण है, आईईडीसी को उचित विवेकसम्मत जांच के पश्चात अनुमेय किया जा सकता है। विवेकसम्मत जांच के पश्चात व्यय को अनुमेय न करने से सृजित किए जा रहे नियामक विलंबित खाता शेष की वसूली प्रभावित हो सकती है।

(ख) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर के संबंध में नियामक विलंबित लेखा :

भारतीय लेखांकन मानक 23 - "ऋण लागतें" के पैरा 6(ङ) के अनुसार विदेशी मुद्रा ऋणों पर ऋण लागत ब्याज लागतों के समायोजन के रूप में ली गई सीमा तक, इसके निर्माण अवधि के दौरान पूंजीकरण किए जाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखांकन मानक - 21 "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव " का पैरा 28 यह प्रावधान करता है कि संबंधित अवधि अथवा पिछले वित्तीय विवरणों के दौरान प्रारंभिक मान्यता पर परिवर्तित से भिन्न दरों पर मौद्रिक मदों के निपटान या परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि में लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी जिसमें वे उत्पन्न हुए हों।

भारतीय लेखांकन मानक 101 - "भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना" का पैरा डी13एए यह प्रावधान करता है कि पहली बार अपनाने वाले को पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार प्रथम इंड एएस वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ से तत्काल पूर्व समाप्त अवधि हेतु वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों हेतु अपनाई गई नीति को जारी रख सकता है। तदनुसार, 1.4.2016 अथवा उसके पश्चात प्रारंभ होने वाली अवधि हेतु निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत के समायोजन के रूप में उपचारित सीमा तक ऋणों के विनिमय अंतर के अतिरिक्त मौद्रिक मदों के परिवर्तन/निपटान से उत्पन्न होने वाले सभी विनिमय अंतरों को लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया जाना होता है। कंपनी की बहियों में सभी विदेशी मुद्रा ऋण 1.4.2016 से लिए गए थे।

सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार, विनिमय दर अंतर के कारण होने वाला कोई भी लाभ अथवा आनि किसी परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) को टैरिफ की गणना हेतु पूंजीगत लागत के भाग के रूप में तथा ओ एंड एम अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान के रूप में वसूली योग्य होगी। इसके अतिरिक्त, सीईआरसी ने पूर्व के टैरिफ आदेशों में निर्माण अवधि के दौरान व्यय किए गए विनिमय अंतरों को पूंजी लागत के भाग के रूप में अनुमेय किया है।

मान्यता के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 114- "नियामक विलंबित लेखा" के प्रावधानों और वसूली, लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन/निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर और आगे की अवधियों में सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के संबंध में लाभग्राहियों से प्राप्य तथा देय होने वालों के संबंध में सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2014-19 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इन्हें 1.4.2016 से "नियामक विलंबित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जा रही है। इन शेषों को उस वर्ष में समायोजित किया जाता है जिनमें ये परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) के पश्चात से लाभग्राहियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय होते हैं।

भविष्य की अवधियों में लाभग्राहियों से वसूली जाने वाली अथवा उन्हें अदा की जाने वाली बहियों में मान्यता प्रदान की गई नियामक परिसंपत्तियां (+)/देयताएं (-) निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	नियामक विलंबित लेखा शेष
क	01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	-
ख	वर्ष के दौरान वर्धन (परिसंपत्तियां (+)/देयता (-))	(2.50)
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित(-)/वापिस (+) की गई राशि	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई नियामक आय/ (व्यय) (ख-ग)	(2.50)
ङ	31.03.2017 को अंतिम शेष (क+घ)	(2.50)

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में सृजित किए जा रहे नियामक विलंबित लेखा शेष की भविष्य की वसूली को कुछ जोखिम तथा अनिश्चितताएं प्रभावित कर सकते हैं। ये हैं :

क) मांग जोखिम : नियामक विलंबित डेबिट/क्रेडिट शेष की वसूली/भुगतान लाभार्थियों को बिलिंग के माध्यम से किए जाएंगे। तदनुसार, यह भारत में विद्युत की बिक्री को प्रभावित करने वाले सामान्य जोखिमों तथा अनिश्चितताओं जैसे कि दीर्घावधि पीपीए पर हस्ताक्षर करने में कठिनाई आदि से प्रभावित होगा।

ख) नियामक जोखिम : टैरिफ विनियम, 2014-19 निर्माण की अवधि के दौरान पूंजीगत लागत के भाग के रूप में और ओ एण्ड एम अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान आधार पर टैरिफ के माध्यम से विनिमय जोखिम अंतर की वसूली को अनुमेय करते हैं। टैरिफ में ऐसी लागतों को अनुमेय करने के संबंध में वर्तमान अवधि से परे टैरिफ विनियमों में कोई परिवर्तन इन नियामक विलंबित लेखा शेष के सृजन तथा वसूली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।

ग) **सीपीएसयू के वेतन संशोधन हेतु तीसरे पीआरसी की सिफारिशों के कारण मान्यता दिए गए व्यय के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष :**

सीपीएसयू के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 जनवरी, 2017 से देय है। भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार 1.1.2017 से मूल वेतन, मंहगाई भत्ता और भत्तों में वृद्धि करने के अतिरिक्त उपदान की अधिकतम सीमा को 1.1.2017 से विद्यमान 0.10 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 0.20 करोड़ रूपये किए जाने का प्रस्ताव है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु वेतन के प्रस्तावित संशोधन के प्रभाव में 1.1.2017 से 31.3.2017 तक की अवधि के लिए वेतन तथा भत्तों में वृद्धि हेतु प्रावधान के प्रति लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किया गया व्यय और कारपोरेट कार्यालय तथा संबंधित यूनिटों को आवंटित क्षेत्रीय कार्यालयों के व्यय सहित प्रचालनशील विद्युत स्टेशनों के संबंध में उपदान की अधिकतम सीमा में वृद्धि के कारण बीमांकित मूल्यांकन के संबंध में लाभ एवं हानि/अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्रदान किया गया व्यय शामिल है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014-19 , सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 के कारणों के कथन के साथ पढ़े जाने पर यह प्रावधान करते हैं कि प्रचालनात्मक पावर स्टेशनों के वेतन संशोधन के कारण कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि का प्रभाव टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभार्थियों से वसूली योग्य है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ अवधि 2004-09 के दौरान सीईआरसी ने 31.12.2006 के अनुसार याचिकाकर्ता समूह के कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी (मूल वेतनउमंहगाई भत्ता) की 50 प्रतिशत तक वेतन संशोधन (1.1.2007 से) के कारण कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि की लाभार्थियों से वसूली को 12 समान मासिक किस्तों में अनुमेय किया था।

भारतीय लेखांकन मानक-114-"नियामक विलंबित लेखा" के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मान्यता तथा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014-19 के संबंध में वेतन संशोधन के कारण कर्मचारी लाभ संबंधी वसूली, अतिरिक्त व्यय को लाभ एवं हानि विवरण अथवा अन्य व्यापक आय पर प्रभारित किए जाने की सीमा तक और टैरिफ विनियमों तथा सीईआरसी के पहले के अनुमोदन के अनुसार आगे की अवधि में लाभार्थियों से आगे वसूले जाने के चलते "नियामक विलंबित लेखा शेष" के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इन शेषों को उस वर्ष में से समायोजित किया जाना है जिनमें ये सीईआरसी के अनुमोदन के अनुसार लाभार्थियों से वसूली योग्य बनेंगे।

बहियों में मान्यता प्रदान किए गए नियामक विलंबित लेखा शेष (परिसंपत्तियों) को भविष्य की अवधियों में लाभार्थियों से निम्नानुसार वसूला जाना है :

लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई मदों के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	नियामक विलंबित लेखा शेष
क	01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	-
ख	वर्ष के दौरान वर्धन (+)	199.78
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई नियामक आय (ख+ग)	199.78
ङ	31.03.2017 को अंतिम शेष (क+घ)	199.78

अन्य व्यापक आय में मान्यता प्रदान की गई मदों के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	नियामक विलंबित लेखा शेष
क	01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	-
ख	वर्ष के दौरान वर्धन (+)	9.05
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई नियामक आय (ख+ग)	9.05
ङ	31.03.2017 को अंतिम शेष (क+घ)	9.05

कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय के संबंध में सृजित की जा रही नियामक विलंबित लेखा शेषों की भविष्य में वसूली कुछ जोखिमों तथा अनिश्चितताओं से प्रभावित हो सकती है। ये हैं :

क) **मांग जोखिम :** नियामक विलंबित डेबिट/क्रेडिट शेष की वसूली/भुगतान लाभार्थियों को बिलिंग के माध्यम से किए जाएंगे। तदनुसार, यह भारत में विद्युत की बिक्री को प्रभावित करने वाले सामान्य जोखिमों तथा अनिश्चितताओं जैसे कि दीर्घावधि पीपीए पर हस्ताक्षर करने में कठिनाई आदि से प्रभावित होगा।

ख) **नियामक जोखिम :** टैरिफ विनियम, 2014-19 टैरिफ के माध्यम से वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त कर्मचारी लागत की वसूली को अनुमेय करते हैं। टैरिफ में ऐसी लागतों को अनुमेय करने के संबंध में वर्तमान अवधि से परे टैरिफ विनियमों में कोई परिवर्तन इन नियामक विलंबित लेखा शेष के सृजन तथा वसूली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।

26 (i) उड़ी-।। पावर स्टेशन जहां दुर्घटनावश 20.11.2014 को आग लग गई थी, जो उत्पादन के बंद होने में परिणत हुआ था, उससे जून, जुलाई, तथा अगस्त, 2015 माह के दौरान बहाल कर लिया गया है। विद्युत स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर है। 31.3.2017 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

दावे का विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि	प्राप्य शेष		
				31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार	1 अप्रैल, 2015 के अनुसार
भौतिक क्षति के प्रति	63.20	46.00	3.16	14.04	33.23	66.74
व्यापार बाधा हानि	276.27	110.00	-	166.27*	242.28*	शून्य
कुल	**339.47**	**156.00**	**3.16**	**180.31**	**275.51**	**66.74**

* टिप्पणी 34 के पैरा 2 में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

26 (ii) चुटक पावर स्टेशन जो पावर हाऊस में अचानक पानी के बढ़कर टरबाइन तल तथा आंशिक रूप से उत्पादन तल तक पहुंच जाने के कारण 28.6.2015 से बन्द था, इसे अगस्त तथा सितम्बर, 2015 माह के दौरान बहाल कर लिया गया है। विद्युत स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि को मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर किया गया है। 31.3.2017 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नवत है :

(करोड़ रूपए में)

दावे का विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि	प्राप्य शेष		
				31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार	1 अप्रैल, 2015 के अनुसार
भौतिक क्षति के प्रति	7.93	-	2.00	5.93	5.93	शून्य
व्यापार बाधा हानि	19.87	1.80	-	18.07*	19.87*	शून्य
कुल	**27.80**	**1.80**	**2.00**	**24.00**	**25.80**	**शून्य**

* टिप्पणी 34 के पैरा 2 में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

26 (iii) धौलीगंगा विद्युत स्टेशन जो बादल फटने तथा अत्यधिक बाढ़ के कारण 17.6.2013 से बन्द था, उसे मई/जून, 2014 माह के दौरान बहाल कर दिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर हैं। 31.3.2017 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नवत है :

(करोड़ रूपए में)

दावे का विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि	प्राप्य शेष		
				31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार	1 अप्रैल, 2015 के अनुसार
भौतिक क्षति के प्रति	189.50	105.00	2.00	82.50	135.91	121.48
सीपीएम क्षति	0.31	0.30	0.01	-	0.43	शून्य
व्यापार बाधा हानि						
- उत्पादन हानि के कारण	348.36	190.00	-	158.36*	154.71*	191.57*
- कार्यकरण की वृद्धित लागत के कारण	3.25	-	-	3.25*	शून्य	शून्य
कुल	**541.42**	**295.30**	**2.01**	**244.11**	**291.05**	**313.05**

* टिप्पणी 34 के पैरा 2 में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

27. निदेशक मंडल ने 20.3.2014 को हुई अपनी बैठक में चर्चा की कि बरसर जल विद्युत परियोजना की अर्थक्षमता भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार

से वित्तीय सहायता पर निर्भर करती है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने बरसर परियोजना को अर्थक्षम बनाने के लिए सर्वेक्षण तथा जांच हेतु वित्तपोषण मुहैया करवाने के लिए पहल की थी। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार निधियों को मुहैया करवाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय से संपर्क किया गया था। दिनांक 27.4.2015 को जल संसाधन मंत्रालय के साथ हुई बैठक में उनके प्रतिनिधियों ने यह सूचित किया था कि डीपीआर को तैयार करने हेतु निधियां जारी करने का एनएचपीसी का अनुरोध भारत सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। परियोजना पर अन्वेषण कार्य जारी है और **225.25 करोड़** रूपये के व्यय को किया जा चुका है और इसे प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य में अग्रेणित किया गया है। तथापि, पर्याप्त सावधानी के तौर पर इस राशि का प्रावधान लेखाबहियों में किया गया है।

28 कोटलीभेल-1ए परियोजना उत्तराखंड राज्य में अवस्थित उन 24 जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.8.2013 के आदेश के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इन परियोजनाओं को अगले आदेश तक पर्यावरणीय/वन स्वीकृति प्रदान न किए जाने के और अलकनंदा तथा भागीरथी नदी बेसिन की जैव विविधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव की जांच करने के निदेश दिए गए हैं। परियोजना के भविष्य पर निर्णय लंबित होने तक 31.3.2017 तक **305.52 करोड़** रूपये की राशि के किए गए व्यय को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के अंतर्गत रखा गया है। तथापि, पर्याप्त सावधानी के तौर पर इस राशि हेतु लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।

29 दिनांक 5.2.2013 को हुई निदेशक मंडल की 356वीं बैठक में बोर्ड प्रस्ताव संख्या 6(2) के अनुसार 31.3.2017 तक राज्य वन विभाग को तवांग-1 तथा 2 परियोजनाओं और बेसिन में अन्य परियोजनाओं हेतु बेसिन अध्ययन के प्रति राज्य वन विभाग को **2.49 करोड़** रूपये की राशि अदा की जा चुकी है, जिनके प्रति अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा यथानुपात आधार पर प्रतिपूर्ति की जानी है। तथापि, प्रबंधन के अनुसार ऐसी वसूली की संभावना लगभग नहीं है और अतः ऐसे व्यय को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य को डेबिड किया गया है।

30 पर्यावरणवन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने दिनांक 15.4.2015 के पत्र संख्या फा.सं.8-85/2011-एफसी के माध्यम से दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (2880 मेगावाट) के निर्माण हेतु वन भूमि के अपवर्तन के लिए ''सिद्धांतत:'' अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 19.5.2015 के पत्र के माध्यम से परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त के मद्देनजर परियोजना पर व्यय की गई **213.84 करोड़** रूपये की राशि को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणित किया गया है।

31 27 मई, 2017 को हुई कंपनी की एसीबी की बैठक के अनुपालन में दिनांक 29 मई, 2017 के पत्र संख्या एनएच/सीएस/433 के माध्यम से कारपोरेट कार्य मंत्रालय को एक अभ्यावेदन भेजकर कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 29.06.2016 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 639(ई) के लागू होने के संबंध में स्पष्टीकरण/छूट की जानकारी देने का अनुरोध किया गया है। प्रबंधन का यह मत है कि वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं के प्रावधान हेतु संविदा के निष्पादन के लिए सुरक्षा जमा को प्रतिधारण राशि के रूप में रखा जाता है और तदनुसार इसे कंपनी (जमा की स्वीकृति) संशोधन नियामवली, 2016 के संशोधित नियम 2(1)(ग)(12) के अनुसार मानद जमा न माना जाए। कारपोरेट कार्य मंत्रालय का मत उक्त के विपरीत होने पर वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु छूट मांगी गई है और तत्पश्चात अनुपालन का आश्वासन दिया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता	**महेश कुमार मित्तल**	**के.एम. सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 02889021	डीआईएन : 02223301

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी	**कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	**(सनदी लेखाकार)**	**(सनदी लेखाकार)**
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045	**फर्म पंजीकरण सं. 001728एन**	**फर्म पंजीकरण सं. 301072ई**
(एस. के. खट्टर)	**(वासु गुप्ता)**	**(बरून कुमार घोष)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 084993	सदस्यता सं. 537545	सदस्यता सं. 51028

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30 मई, 2017

टिप्पणी संख्या -35 भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना

भारतीय जीएएपी से भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु ये वित्तीय विवरण कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप तैयार किए गए पहले वित्तीय विवरण है। 31 मार्च, 2016 तक तथा उसे शामिल करते हुए अवधि हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों को जीएएपी के अनुसार तैयार किया था, जिसमें कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक शामिल हैं।

टिप्पणी संख्या 1 में निर्धारित लेखांकन नीतियों को 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों को तैयार करने, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु इन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत तुलनात्मक सूचना और 1 अप्रैल 2015 (परिवर्तन की तिथि) के अनुसार प्रारंभिक भारतीय लेखांकन मानक तुलन-पत्र को तैयार करने में लागू किया गया है। प्रारंभिक भारतीय लेखांकन मानक तुलन-पत्र को तैयार करने में कंपनी ने कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 (यथा संशोधित) और अधिनियम के अन्य संगत प्रावधानों (पूर्ववर्ती जीएएपी अथवा भारतीय जीएएपी) के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार वित्तीय विवरणों में पहले सूचित राशियों को समायोजित किया है। पूर्ववर्ती जीएएपी से भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन में किस प्रकार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाहों को प्रभावित किया है, का स्पष्टीकरण निम्नलिखित तालिकाओं तथा टिप्पणियों में दिया गया है।

क. ली गई छूट तथा अपवाद : पूर्ववर्ती जीएएपी से भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन में लागू इंड एएस 101 वैकल्पिक छूट तथा बाध्यकारी अपवादों को नीचे दिया गया है।

1) वैकल्पिक छूट:

क) **संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, निवेश संपत्ति और अमूर्त परिसंपत्तियों हेतु मानद लागत -** चूंकि क्रियाशील मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कंपनी ने इंड एएस 101 के परिशिष्ट-ग के पैराग्राफ डी7एए के अंतर्गत छूट प्राप्त की है जिसमें किसी पहली बार अपनाए जाने वाले को अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के वहन मूल्य को इंड एएस में परिवर्तन की तिथि पर उनके पूर्ववर्ती जीएएपी वहन मूल्य के मापन पर जारी रखने की अनुमति दी जाती है।

ख) **दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें -** इंड एएस 101 के परिशिष्ट ग का पैराग्राफ डी13एए पहली बार अपनाने वाले को पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार प्रथम इंड एएस वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ से तत्काल पूर्व समाप्त अवधि हेतु वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों हेतु अपनाई जाने वाली नीति को जारी रखने की अनुमति देता है। कंपनी ने पैराग्राफ डी13एए के अंतर्गत छूट को प्राप्त किया है और 31.3.2016 तक मान्यता दी गई दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को पुनः बताए जाने से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों के लेखाकन हेतु पहले अपनाई गई लेखांकन नीति को लागू करना जारी रखा है।

ग) **पहले मान्यता प्रदान की गई वित्तीय लिखतों का निर्धारण -** इंड एएस 101 का पैराग्राफ डी19 किसी निकाय को इक्विटी लिखतों में निवेश के निर्धारण को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर (एफवीटीओसीआई) इंड एएस में परिवर्तन की तिथि को विद्यमान तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित करने की अनुमति देता है। तदनुसार, कंपनी ने इस छूट को प्राप्त करने का विकल्प चुना है और इक्विटी लिखतों में अपने निवेश को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर निर्धारित किया है।

घ) **अनुषंगी कंपनी और संयुक्त उद्यमों में निवेश -** भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैराग्राफ डी15 में किसी निकाय को भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि को पूर्ववर्ती जीएएपी वहन राशि पर अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा एसोसिएट में निवेश को मापने की अनुमति है। कंपनी ने अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम में निवेश को मापने के संबंध में इस छूट को प्राप्त किया है जो परिवर्तन की तिथि को मानद लागत पर है जोकि उक्त तिथि को पूर्ववर्ती जीएएपी वहन राशि है।

ङ) **पट्टे -** भारतीय लेखांकन मानक 17 का परिशिष्ट-ग- पटटों में किसी निकाय द्वारा यह आकलन अपेक्षित होता है कि क्या किसी संविदा अथवा व्यवस्था में कोई पट्टा शामिल है। इंड एएस 17 के अनुसार आकलन संविदा या व्यवस्था के प्रारंभ में किया जाना चाहिए। भारतीय लेखांकन मानक 101 का पैराग्राफ डी9 इस आकलन को इंड एस में परिवर्तन की तिथि को विद्यमान तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर करने का विकल्प मुहैया करवाता है, सिवाय जहां प्रभाव का भौतिक होना प्रत्याशित न हो। कंपनी ने परिवर्तन की तिथि को मौजूद स्थितियों के आधार पर ऐसी व्यवस्थाओं/संविदाओं हेतु इस छूट को लागू करने का विकल्प चुना है।

2) बाध्यकारी अपवाद :

क) **अनुमान -** भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार किसी निकाय के अनुमान पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार समान तिथि हेतु लगाए गए अनुमानों से संगत होने चाहिए (लेखांकन नीतियों में किसी अंतर को दर्शाने हेतु समायोजन के पश्चात), जब तक कि इसका निष्पक्ष साक्ष्य न हो कि वे अनुमान गलत थे।

1 अप्रैल, 2015 के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक अनुमान पूर्ववती जीएएपी के अनुरूप समान तिथि को बनाए गए अनुमानों से संगत है। कंपनी ने परिवर्तन की तिथि को इंड एएस के अनुसार निम्नलिखित मदों हेतु अनुमान तैयार किए हैं क्योंकि पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत इनकी आवश्यकता नहीं थी :

- सभी परिसंपत्तियों तथा देयताओं को वित्तीय परिसंपत्ति/देयताओं और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों/देयाताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इक्विटी लिखतों में निवेश को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर किया गया है।
- ऋण लिखतों में निवेश एफवीटीओसीआई पर किया गया है।
- कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम, कार अग्रिम, कम्प्यूटर अग्रिम और स्कूटर अग्रिम जैसे ऋणों का उचित मूल्यांकन छूट दी गई नकदी प्रवाह पद्धति का उपयोग करके किया गया है। एसबीआई की तुलनात्मक विद्यमान ब्याज दर का उपयोग उक्त अग्रिमों के उचित मूल्य को निकालने हेतु छूट दर के रूप में किया गया है।
- गैर-वर्तमान ब्याज मुक्त वित्तीय देयताएं जैसे कि प्रतिधारण राशि/सुरक्षा जमा का उचित मूल्यांकन छूट वाली नकदी प्रवाह पद्धति का उपयोग करके किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु कंपनी के ऋण की भारित औसत लागत का उपयोग छूट दर के रूप में किया गया है।

ख) **वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और मापन -** भारतीय लेखांकन मानक 101 में किसी निकाय द्वारा भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि को विद्यमान तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर वित्तीय परिसपंत्तियों के वर्गीकरण तथा मापन का आकलन अपेक्षित है।

ग) **सरकारी ऋण -** भारतीय लेखांकन मानक 101 में यह अपेक्षित है कि प्रथम बार अपनाने वाला भारतीय लेखांकन मानक 109 वित्तीय लिखत और भारतीय लेखांकन मानक 20 सरकारी अनुदानों हेतु लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण, की आवश्यकताओं को लागू करते हुए इंड एएस में परिवर्तन की तिथि को विद्यमान सरकारी ऋणों को संदर्शी रूप से लागू करें। परिणामस्वरूप यदि कोई पहली बार अपनाने वाला अपने पिछले जीएएपी के अंतर्गत किसी सरकारी ऋण को ब्याज की बाजार दर से कम पर मान्यता देता है तथा मापता है, तो उसे इंड एएस में परिवर्तन की तिथि को अपने ऋण की पूर्ववर्ती जीएएपी की वहन राशि का उपयोग प्रारंभिक इंड एएस तुलन-पत्र में ऋण की वहन राशि के रूप में करना चाहिए। कोई निकाय इंड एएस 109 का उपयोग इंड एएस में परिवर्तन की तिथि के पश्चात आहरण किए गए ऐसे ऋणों के मापन हेतु करेगा। परिणामस्वरूप कंपनी ने इंड एएस में परिवर्तन की तिथि को ऋण की अपने पूर्ववर्ती जीएएपी में वहन राशि का उपयोग प्रारंभिक इंड एएस तुलन-पत्र में ऋण की वहन राशि के रूप में किया है।

ख) पूर्ववर्ती जीएएपी तथा भारतीय लेखांकन मानक के मध्य मिलान:

भारतीय लेखांकन मानक 101 में किसी निकाय से पूर्व की अवधियों हेतु इक्विटी, कुल व्यापक आय और नकदी प्रवाहों का मिलान अपेक्षित है। निम्नलिखित तालिका पूर्ववर्ती जीएएपी से भारतीय लेखांकन मानक में मिलान को प्रदर्शित करती है।

(i) 31 मार्च, 2016 तथा 01 अप्रैल, 2015 को कुल इक्विटी का मिलान

(करोड़ रूपए में)

	पहली बार अपनाए जाने पर मिलान की टिप्पणियां	31 मार्च, 2016	01 अप्रैल, 2015
पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार कुल इक्विटी (शेयरधारकों की निधि)		**28,751.95**	**28,286.39**
समायोजन :			
पट्टा शामिल होने वाली व्यवस्थाओं/संविदाओं का प्रभाव	1	128.12	117.81
निवेश का उचित मूल्यांकन	2	86.01	116.27
निवेश के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का उचित मूल्यांकन	3	13.46	18.58
उपभोक्ताओं को छूट (एकमुश्त प्रावधान)	4	(0.62)	(0.56)
प्रावधानों को छूट	5	7.94	9.71
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	6	772.81	532.98
निवेश - प्रीमियम/खरीद पर छूट का समायोजन	7	0.66	0.43
रोजगार पश्च लाभ बाध्यताओं का पुनर्मापन	9	(12.75)	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की पहचान हेतु नीति में परिवर्तन	8	17.08	-
इंड एएस में परिवर्तन पर किए गए समायोजनों का कर प्रभाव	10	(3.51)	(9.45)
कुल समायोजन		**1009.20**	**785.77**
इंड एएस के अनुसार कुल इक्विटी		**29,761.15**	**29,072.16**

(ii) **31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय का मिलान**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	पहली बार अपनाए जाने पर मिलान की टिप्पणियां	31 मार्च, 2016
पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार कर पश्चात लाभ		2,440.14
समायोजन :		
पट्टा शामिल होने वाली व्यवस्थाओं/संविदाओं का प्रभाव	1	10.31
निवेश के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का उचित मूल्यांकन	3	(5.12)
उपभोक्ताओं को छूट (एकमुश्त प्रावधान)	4	(0.06)
प्रावधानों को छूट	5	(1.77)
निवेश - प्रीमियम/खरीद पर छूट का समायोजन	7	0.23
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की पहचान हेतु नीति में परिवर्तन	8	17.08
रोजगार पश्च लाभ बाध्यताओं का पुनर्मापन	9	(36.85)
इंड एएस में परिवर्तन पर किए गए समायोजनों का कर प्रभाव	10	5.94
कुल समायोजन		**(10.24)**
भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कुल लाभ (क)		**2429.90**
अन्य व्यापक आय		
- रोजगार पश्च लाभ बाध्यताओं का पुनर्मापन	9	24.09
- इक्विटी निवेश का उचित मूल्यांकन	2	(20.78)
- ऋण लिखतों में निवेश का उचित मूल्यांकन	2	(0.08)
अन्य व्यापक आय (ख)	**11**	**3.23**
कुल व्यापक आय (क+ख)		**2433.13**

(iii) **31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह पर भारतीय लेखांकन मानक को अपनाए जाने का प्रभाव**

(करोड़ रूपए में)

	पहली बार अपनाए जाने पर मिलान की टिप्पणियां	पूर्ववर्ती जीएएपी	समायोजन	इंड एएस
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह	12	4397.70	502.32	4900.02
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		(851.08)	51.73	(799.35)
वित्त-पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		(3091.97)	-	(3091.97)
नकदी और नकदी तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)		**454.65**	**554.05**	**1008.70**
1 अप्रैल, 2015 के अनुसार नकदी और नकदी तुल्य		5422.11	(5236.42)	185.69
31 मार्च, 2016 के अनुसार नकदी और नकदी तुल्य		**5876.76**	**(4682.37)**	**1194.39**

प्रथम बार अपनाए जाने पर मिलान संबंधी टिप्पणियां :

टिप्पणी 1 : पट्टा शामिल होने वाली व्यवस्थाओं/संविदाओं का प्रभाव

पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत् विद्युत उत्पादक स्टेशनों ने निवेश को कंपनी की बहियों में अचल परिसंपत्तियों के रूप में लेखांकित किया गया था। इन परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर लिया गया और मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया गया था। इन पावर स्टेशनों से राजस्व को लाभग्राहियों को बिक्री की गई विद्युत के आधार पर लेखांकित किया गया था। कंपनी ने कुछ विद्युत स्टेशनों को भारतीय लेखांकन मानक 17-पट्टे के परिशिष्ट-ग के अनुसार वित्तीय पट्टा व्यवस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया है। तदनुसार, संयंत्र में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता दी गई है और संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई) को लेखा बहियों से विमान्य कर दिया गया है। प्रत्येक पट्टा प्राप्ति को वित्त पट्टे से मूलधन चुकौती तथा आय के मध्य

आवंटित किया जाता है। उक्त के परिणामस्वरूप कुल इक्विटी 31 मार्च, 2016 को **128.12 करोड़** रूपये (1 अप्रैल, 2015 को **117.81 करोड़** रूपये) बढ़ गई है तथा प्राप्य पट्टों के प्रति वसूली के आधिक्य में लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित मूल्यह्रास को वापिस किए जाने के चलते 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय **10.31 करोड़** रूपये से बढ़ गई है।

टिप्पणी 2 : निवेशों का उचित मूल्यांकन

पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत इक्विटी लिखत तथा ऋण लिखत में निवेश को वांछित धारण अवधि और वसूली की योग्यता के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। दीर्घावधि निवेशों को लागत घटा ऐसे निवेशों के मूल्य में अस्थायी कमी के अतिरिक्त अन्य प्रावधान पर किया गया था। वर्तमान निवेशों को लागत तथा उचित मूल्य से कम पर किया गया था। इंड एएस के अंतर्गत इन निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाना अपेक्षित होता है। ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) के रूप में निर्धारित इक्विटी लिखत तथा ऋण लिखत के संबंध में उचित मूल्य परिवर्तनों को एफवीटीओसीआई - इक्विटी निवेश आरक्षित और एफवीटीओसीआई - ऋण निवेश आरक्षित के रूप में मान्यता दी गई है और ऐसा परिवर्तन की तिथि और बाद में 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय में किया गया है। उक्त के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 को कुल इक्विटी में **86.01 करोड़** रूपये (1 अप्रैल, 2015 को **116.27 करोड़** रूपये) की वृद्धि हुई है और 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय **20.86 करोड़** रूपये से कम हुई है।

टिप्पणी 3 : प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का उचित मूल्यांकन

पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत दीर्घावधि कर्मचारी ऋण (जैसे कि गृह निर्माण अग्रिम, कार अग्रिम, कम्प्यूटर अग्रिम तथा स्कूटर अग्रिम) और दीर्घावधि प्रतिधारण राशि/सुरक्षा जमा (जो संविदात्मक अवधि की पूर्णता पर नकदी में चुकौती योग्य है) को उनके लेन-देन मूल्य पर दर्ज किया जाता है। इंड एएस के अंतर्गत सभी वित्तीय लिखतों को प्रारंभ में उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी जानी अपेक्षित होती है। तदनुसार, कंपनी ने इंड एएस के अंतर्गत इन वित्तीय लिखतों का उचित मूल्यांकन किया है। इसके परिणामस्वरूप परिवर्तित कुल इक्विटी 31 मार्च, 2016 को **13.46 करोड़** रूपये से बढ़ गई है (1 अप्रैल, 2015 को **18.58 करोड़** रूपये)। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय विलंबित कर्मचारी लागत के ब्याज को समाप्त करने तथा परिशोधन के कारण **5.12 करोड़** रूपये से कम हुई है, जिसे आंशिक रूप से कर्मचारी ऋणों पर मान्य नामितिक ब्याज आय से समायोजित किया गया है।

टिप्पणी 4 : उपभोक्ताओं को छूट (एकमुश्त प्रावधान)

पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत उपभोक्ताओं को छूट को वास्तविक आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई थी। राजस्व को उपभोक्ताओं को दी गई छूट सहित सकल आधार पर मान्यता दी जा रही थी। इंड एएस के अंतर्गत किसी कारोबार पर उत्पन्न होने वाले राजस्व को प्राप्त या प्राप्य राशि के उचित मूल्य पर कंपनी द्वारा अनुमेय व्यापार छूट की राशि को लेते हुए मापा जाना होता है। तदनुसार, विद्युत की बिक्री को उपभोक्ताओं को छूट के निवल पर प्रदर्शित किया गया है। उपभोक्ताओं को छूट को अब अनुमानन के द्वारा प्रोदभवन आधार पर लेखांकित किया जाना अपेक्षित है।

परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 को कुल इक्विटी में **0.62 करोड़** रूपये की कमी आई है (1 अप्रैल, 2015 को **0.56 करोड़** रूपये) 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय में उपभोक्ताओं को अनुमेय छूट के एकमुश्त प्रावधान के कारण **0.06 करोड़** रूपये की कमी आई है।

टिप्पणी 5 : प्रावधानों की छूट

पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत प्रावधानों की छूट अनुमेय नहीं थी। इंड एएस के अंतर्गत प्रावधानों को छूट दी गई राशियों पर मापा जाता है, यदि समय मूल्य का प्रभाव वास्तविक न हो तो। तदनुसार, गैर-वर्तमान प्रावधानों को छूट देकर उनके वर्तमान मूल्यों पर लाया गया है। परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 को कुल इक्विटी में **7.94 करोड़** रूपये की वृद्धि हुई है (1 अप्रैल, 2015 को **9.71 करोड़** रूपये)। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय में ब्याज की समाप्ति के कारण **1.77 करोड़** रूपये की कमी आई है।

टिप्पणी 6 : प्रस्तावित लाभांश

पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश को तुलन-पत्र की तिथि के पश्चात किन्तु वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पूर्व समायोजन कार्यक्रम के रूप में माना जाता था। तदनुसार, प्रस्तावित लाभांश हेतु प्रावधान को एक देयता के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इंड एएस के अंतर्गत ऐसे लाभांशों को तब मान्यता दी जाती है जब इन्हें आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाए। तदनुसार, प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किए गए 31 मार्च, 2016 को प्रस्तावित लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) हेतु **772.81 करोड़** रूपये (1 अप्रैल, 2015 को **532.98 करोड़** रूपये) की देयता को प्रतिधारित आय में तदनुरूपी समायोजन के साथ वापिस किया गया है। परिणामस्वरूप, कुल इक्विटी में समान राशि से वृद्धि हुई है।

टिप्पणी 7 : निवेश-प्रीमियम का समायोजन/खरीद पर छूट

पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत ब्याज को ऋण लिखतों की खरीद पर प्रीमियम/छूट पर विचार किए बिना लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई थी। इंड एएस के अंतर्गत ऋण लिखतों में निवेश के ऐसे प्रीमियम/प्रीमियम पर छूट/खरीद पर छूट को प्रारंभिक मान्यता में निवेश की वहन राशि से कटौती किया जाना अपेक्षित होता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को प्रीमियम/छूट पर विचार करने के पश्चात प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है। परिणामस्वरूप, कुल इक्विटी में 31 मार्च, 2016 को **0.66 करोड़** रूपये की वृद्धि हुई (1 अप्रैल, 2015 को **0.43 करोड़** रूपये)। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय प्रीमियम के समायोजन/खरीद पर छूट के कारण **0.23 करोड़** रूपये की वृद्धि हुई थी।

टिप्पणी 8 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) को मान्य/विमान्य किए जाने हेतु लेखांकन नीति में परिवर्तन

पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत संयंत्र तथा मशीनरी के साथ अथवा बाद में खरीदे के मशीनरी कलपुर्जे तथा जिनका उपयोग अनियमित होने की प्रत्याशा है उन्हें या तो अलग से (जब ऐसे कलपुर्जों की लागत ज्ञात हो) अथवा मूल संयंत्र के साथ पूंजीकृत किया जाता है। बाद में खरीदे गए मशीनरी कलपुर्जों के पश्चलेखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) को उस वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया जा रहा था जिनमें उन्हें निकाले गए पुर्जों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था, बशर्ते इस प्रकार निकाले गए कलपुर्जों का कोई उपयोगी जीवनकाल नहीं था। इंड एएस के अंतर्गत पीपीई के मान्यता मानदण्ड को पूरा करने वाले कलपुर्जों (संयंत्र तथा मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गए) को पूंजीकृत किया जाता है। प्रतिस्थापित किए जाने वाले कलपुर्जों की वहन राशि को तब विमान्य किया जाता है जब उनके उपयोग या निपटान से भविष्य के कोई आर्थिक प्रत्याशित न हों। परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 को कुल इक्विटी में **17.08 करोड़** रूपये की वृद्धि हुई है (1 अप्रैल, 2015 को शून्य रूपये)। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय में पीपीई हेतु लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण **17.08 करोड़** रूपये की वृद्धि हुई है।

टिप्पणी 9 : रोजगार पश्च लाभ बाध्यताओं का पुनः मापन

भारतीय लेखांकन मानक 19 - कर्मचारी लाभ के अंतर्गत निवल निर्धारित लाभ देयता पर निवल ब्याज व्यय में शामिल राशियों के अतिरिक्त पुनःमापन अर्थात बीमांकित लाभ तथा हानियां और योजनागत परसंपत्तियों पर प्रतिफल को ओसीआई में मान्यता दी जाती है बजाए लाभ एवं हानि विवरण के। पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत ये पुनःमापन वर्ष हेतु लाभ या हानि को हिस्सा थे। परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय में **24.09 करोड़** रूपये (कर का निवल) की वृद्धि हुई है जबकि वर्ष हेतु लाभ में **36.85 करोड़** रूपये की कमी आई है। तदनुसार, 31 मार्च, 2016 को कुल इक्विटी में **12.75 करोड़** रूपये की कमी आई है (1 अप्रैल, 2015 को शून्य रूपये) जो ओसीआई के रूप में वर्गीकृत राशि पर कर प्रभाव के कारण है।

टिप्पणी 10 : इंड एएस में परिवर्तन पर किए गए समायोजनों का कर प्रभाव

इंड एएस में परिवर्तन पर किए गए सभी समायोजनों को विलंबित कर में मान्यता प्रदान की गई है। तदनुसार, 31 मार्च, 2016 को कुल इक्विटी में **3.51 करोड़** रूपये की कमी आई है (1 अप्रैल, 2015 को **9.45 करोड़** रूपये की कमी)। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय में ऐसे समायोजनों के कारण **5.94 करोड़** रूपये की वृद्धि हुई है।

टिप्पणी 11 : अन्य व्यापक आय

भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत आय तथा व्यय की किसी अवधि में मान्यता प्राप्त की गई सभी मदों को उस अवधि हेतु लाभ एवं हानि में शामिल किया जाना चाहिए, जब तक कि किसी मानक में अन्यथा अपेक्षित या अनुमेय हो। लाभ अथवा हानि में मान्यता प्रदान की गई आय तथा व्यय की मदें जिन्हें लाभ एवं हानि विवरण में "अन्य व्यापक आय" के रूप में दर्शाया गया है, में निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनः मापन, एफवीटीओसीआई इक्विटी लिखतों पर उचित मूल्य लाभ अथवा (हानियां) और कर का निवल एफवीटीआईसीआई ऋण लिखतों पर उचित मूल्य लाभ अथवा (हानियां) शामिल है। पूर्ववर्ती जीएएपी में अन्य व्यापक आय की अवधारणा विद्यमान नहीं थी। ऐसे समायोजन के चलते 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय में **3.23 करोड़** रूपये की वृद्धि हुई है।

टिप्पणी 12 : 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह पर भारतीय लेखांकन मानक को अपनाए जाने का प्रभाव

पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत सभी बैंक शेष नकदी तथा नकदी तुल्य का भाग थे। तथापि, इंड एएस के अनुसार केवल 3 माह से कम की मूल परिपक्वता वाले अल्पावधि बैंक जमा नकदी तथा नकदी तुल्य का भाग होते हैं। तदनुसार, **4682.37 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **5236.42 करोड़** रूपये) की राशि के बैंक जमा जिन्हें भारतीय जीएएपी में "नकदी तथा नकदी तुल्य" के रूप में वर्गीकृत किया गया था, उन्हें इंड एएस के अंतर्गत क्रमशः "वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां - नकदी तथा नकदी तुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। **554.05 करोड़** रूपये के नकदी तथा नकदी तुल्य के रूप में वर्गीकृत न किए गए बैंक जमा में परिवर्तन नकदी प्रवाह विवरण में प्रचालन क्रियाकलापों का भाग होते हैं।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता कंपनी सचिव	**महेश कुमार मित्तल** निदेशक (वित्त) डीआईएन : 02889021	**के.एम. सिंह** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन : 02223301

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी (सनदी लेखाकार) फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045	**कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस** **(सनदी लेखाकार)** **फर्म पंजीकरण सं. 001728एन**	**कृते रे एण्ड रे** **(सनदी लेखाकार)** **फर्म पंजीकरण सं. 301072ई**
(एस. के. खट्टर) साझेदार सदस्यता सं. 084993	**(वासु गुप्ता)** साझेदार सदस्यता सं. 537545	**(बरून कुमार घोष)** साझेदार सदस्यता सं. 51028

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30 मई, 2017

एकल वित्तीय विवरणों हेतु
फार्म एओसी-1

(धारा 129 की उप धारा(3) के परंतुक के अनुपालन में जिसे कंपनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ा जाता है)

अनुषंगी कपनियों/एसोसिएटस कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं समाहित करने वाला विवरण

भाग "क" - अनुषंगी कंपनियां

1	क्रम सं.	1	2	3
2	अनुषंगी कंपनी का नाम	एनएचडीसी लिमिटेड	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
3	संबंधित अनुषंगी कंपनी हेतु रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	31 मार्च	31 मार्च	31 मार्च
4	विदेशी अनुषंगी कंपनी के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विनिमय दर	भारतीय राष्ट्रीय रूपया	भारतीय राष्ट्रीय रूपया	भारतीय राष्ट्रीय रूपया
5	शेयर पूंजी	19,625,800,000	1,176,923,090	10,000,000
6	आरक्षित तथा अधिशेष	49,195,396,801	187,521,124	(3,968,319)
7	कुल परिसंपत्तियां	88,085,964,615	1,421,327,534	132,519,596
8	कुल देयताएं	19,264,767,814	56,883,320	126,487,915
9	निवेश	शून्य	शून्य	शून्य
10	टर्न-ओवर	13,069,243,994	शून्य	शून्य
11	कराधान से पूर्व लाभ *	12,603,552,213	16,321,264	431,709
12	कराधान हेतु प्रावधान **	3,290,722,141	5,216,423	3,662,118
13	कराधान पश्चात लाभ	9,312,830,072	11,104,841	(3,230,409)
14	प्रस्तावित निवेश	शून्य	शून्य	शून्य
15	शेयरधारिता का प्रतिशत	51.08%	74.00%	99.99%

* नियामक विलंबित लेखा शेष पर आय सहित।

** कराधान हेतु प्रावधान में कर व्यय और नियामक विलंबित लेखा शेष पर कर शामिल है।

1.	अनुषंगी कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी प्रचालन प्रारंभ करना है	1. लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड और 2. बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
2.	अनुषंगी कंपनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त अथवा बेचा गया	कोई नहीं

भाग "ख " - एसोसिएट और संयुक्त उद्यम

एसोसिएट कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुपालन में विवरण

	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम का नाम	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (प्राइवेट) लिमिटेड
1	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र तिथि	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2017
2	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित एसोसिएट/संयुक्त उद्यम के शेयर		
	संख्या	460,000,000	30,400,000
	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम मे निवेश की राशि	4,600,000,000	304,000,000
	धारिता प्रतिशत का विस्तार	49.78%	20%
3	महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
4	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम को समेकित न किए जाने के कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
5	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारिता को आरोप्य निवल मूल्य	4,706,002,638	299,658,000
6	वर्ष हेतु लाभ/हानि		
	(1) समेकन में ली गई	27,380,877	शून्य
	(2) समेकन में न ली गई	27,622,893	शून्य

1.	एसोसिएट अथवा संयुक्त उद्यम के नाम जिन्होंने अभी प्रचालन प्रारंभ करना है	1. चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड 2. नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (प्राइवेट) लिमिटेड
2.	एसोसिएट अथवा संयुक्त उद्यम के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन अथवा बिक्री की गई है	नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड का वर्ष के दौरान समापन किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता कंपनी सचिव	**महेश कुमार मित्तल** निदेशक (वित्त) डीआईएन : 02889021	**के.एम. सिंह** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन : 02223301

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी (सनदी लेखाकार) फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045	**कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस** **(सनदी लेखाकार)** **फर्म पंजीकरण सं. 001728एन**	**कृते रे एण्ड रे** **(सनदी लेखाकार)** **फर्म पंजीकरण सं. 301072ई**
(एस. के. खट्टर) साझेदार सदस्यता सं. 084993	**(वासु गुप्ता)** साझेदार सदस्यता सं. 537545	**(बरून कुमार घोष)** साझेदार सदस्यता सं. 51028

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30 मई, 2017

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अनुबंध - XI

सेवा में सदस्यगण एनएचपीसी लिमिटेड

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने **एनएचपीसी लिमिटेड** (जिसे एतदपश्चात "धारक कंपनी" कहा गया है) और इसकी अनुषंगियों (धारक कंपनी तथा इसकी अनुषंगियों को मिलाकर "समूह" कहा गया है) तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2017 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सार तथा अन्य विवरणात्मक जानकारी शामिल है (जिन्हें एतद्पश्चात ''समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण'' कहा गया है), की लेखापरीक्षा की है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम" की आवश्यकताओं के अनुरूप इन भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक शामिल है, के अनुरूप समूह तथा इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन, जिसमें अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाहों का एक सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हों। समूह में शामिल कंपनियों तथा इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के संबंधित निदेशक मंडल इन सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं - समूह की परिसंपत्तियों की रक्षा करने और धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने; उचित लेखांकन नीति के चयन तथा उपयोग; तर्कसंगत और विवेकसम्मत होने वाले निर्णयों तथा अनुमानों को लेने; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता तथा पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे, सही तथा उचित चित्र देने तथा धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त होने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करेन तथा प्रस्तुत करने से संगत हों, जिनका उपयोग उपर्युक्त वर्णित किए अनुसार धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनों हेतु किया गया हो।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है। लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन तथा लेखापरीक्षा मानकों और ऐसे मामलों पर ध्यान दिया है जिन्हें अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित हो।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिकतापूर्ण आवश्यकताओ का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा का निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरण किसी भौतिक गलत बयानी से मुक्त है अथवा नहीं ।

लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल होता है। चयन की गई प्रक्रियाविधि लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन शामिल होता है, चाहे धोखाधड़ीवश हुआ हो या त्रुटिवश। उन जोखिम आंकलनों को करने में लेखापरीक्षक, परिस्थितियों में उचित होने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों को बनाने के लिए धारक कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके उचित प्रस्तुतिकरण के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है, परंतु वह धारक कम्पनी में वित्तीय सूचना पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रणों पर प्रभावोत्पादकता के लागू होने की विद्यमानता के प्रयोजन हेतु ऐसा नहीं करता। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों की उपयुक्तता और धारक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन, तथा साथ ही साथ भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और नीचे अन्य मामले पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (क) तथा (ख) में संदर्भित उनकी रिपोर्ट में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु एक आधार मुहैया करवाने के लिए समुचित है।

मत

हमारे मतानुसार और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वर्णित भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से देते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समूह तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के मामलों की समेकित स्थिति, और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु उनके समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन) तथा उनके समेकित नकदी प्रवाहों तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु समेकित इक्विटी में परिवर्तन का एक सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं।

मामले का बल दिया जाने वाला क्षेत्र

हम भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

क्रम सं.	मामला	प्रबंधन का उत्तर
(क)	समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 2.2 का पैरा 2 जो परियोजनाओं पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के लिए किए गए व्यय के संबंध में है, उसके लिए या तो परिणाम के संबंध में अनिश्चितता अथवा विभिन्न प्राधिकारियों के साथ स्वीकृति लम्बित होने के चलते अग्रेनीत किए जाने के कारण प्रावधान किया गया है।	(क) प्रबंधन के मतानुसार जिन परियोजनाओं पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण व्यय किया जा रहा है वे अभी सक्रिय हैं और तदनुसार, उन पर किए गए व्यय को अग्रेनीत किया जा रहा है तथापि, जहां-कहीं आवश्यक समझा गया हो बहियों में प्रावधान किया गया है।
(ख)	समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 22 का पैरा 1 जो बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों से व्यक्तिगत वेतन समायोजन (फिटमेंट लाभ) को रोकने के क्रियान्वयन के विरूध्द माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थगन का वर्णन करता है।	(ख) एनएचपीसी अधिकारी एसोसिएशन ने वैयक्तिक वेतन समायोजन वसूली को रोकने के क्रियान्वयन के विरूध्द माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया है। माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के मद्देनजर कर्मचारियों को वेतन के साथ पीए का भुगतान जारी है।
(ग)	समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34 पैरा 3, जो कंपनी द्वारा/इसके विरूध्द संविदाकारों तथा अन्य के प्रति/के द्वारा दायर दावों/अधिनिर्णय कार्यवाहियों तथा कानूनी मुकदमों के परिणाम के संबंध में अनिश्चितता का वर्णन करती है। कुछ मामलों में अधिनिर्णय का निर्णय कंपनी के विपरीत हुआ है/निचली अदालतों में कंपनी हार गई है और मामले को उच्चतर अदालतों में उठा रही है। प्रबंधन कंपनी के विरूध्द निर्णयों के संबंध में किसी संभावित बाह्य प्रवाह की परिकल्पना नही करता है सिवाए लेखा बहियों में पहले प्रावधान किए गए के।	(ग) उक्त पैरा में इस प्रकटीकरण को भारतीय लेखांकन मानक-37 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां) के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया है।
(घ)	समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 का पैरा 18 विभिन्न शेष के संबंध में है जो मिलान/पुष्टि तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है।	(घ) टिप्पणी के माध्यम से प्रकटीकरण तथ्यों का एक विवरण है।
(ङ)	समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 का पैरा 33 कोटलीभेल-1ए परियोजना के संबंध में है जिसका भविष्य भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अधिनिर्णय हेतु लम्बित है।	(ङ) टिप्पणी के माध्यम से प्रकटीकरण तथ्यों का एक विवरण है।

अन्य मामले

क) हमने निम्नलिखित अनुषंगियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की जांच नही की है जिनके भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2017 के अनुसार कुल परिसंपत्तियों, कुल राजस्व और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु निवल नकदी प्रवाहों को उस सीमा तक दर्शाते हैं जिस तक उन्हें समेकित विवरणों में प्रतिबिंबित किया गया है :

(करोड़ रूपए में)

कंपनी का नाम	कुल परिसंपत्तियां	कुल राजस्व	निवल नकदी प्रवाह
अनुषंगी कंपनी:			
एनएचडीसी लिमिटेड	7802.31	1395.14	(212.47)
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचससीएल लिमिटेड)	47.93	1.88	(0.005)
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	9.62	0.04	0.04
संयुक्त उद्यम कम्पनियां			
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल)	10.60	(0.03)	-
कुल	**7870.46**	**1397.03**	

इन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना को अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, जहां तक इन अनुषंगियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के संबंध में राशियों तथा प्रकटीकरणों से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धाराओं (3) तथा (11) के संबंध में जहां तक वे उक्त अनुषंगियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों से संबंधित हैं, पूर्णतः अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित हैं।

ख) हमने संयुक्त उद्यम नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसके भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2017 को कुल परिसंपत्तियों, कुल राजस्व और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु निवल नकदी प्रवाहों को उक्त तिथि को समाप्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में लिया गया है।

(करोड़ रूपए में)

कंपनी का नाम	कुल परिसंपत्तियां	कुल राजस्व	निवल नकदी प्रवाह
संयुक्त उद्यम :			
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	(0.43)	0.03	-
कुल	**(0.43)**	**0.03**	**-**

ये इंड वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना गैर-लेखापरीक्षित है और इन्हें हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, जहां तक इस संयुक्त उद्यम के संबंध में शामिल राशि तथा प्रकटीकरणों के संबंध में है, और अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) के अनुरूप हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उक्त वर्णित संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, पूर्णतः ऐसे गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी पर आधारित है। हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना समूह के लिए भौतिक नहीं है।

भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत और नीचे अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट उक्त मामलों के संबंध में किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता और प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों तथा भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना के संबंध में संशोधित नहीं हैं।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं की सूचना

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षानुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और पृथक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करते हुए, हम लागू सीमा तक सूचित करते है कि :
   - क. हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किये, जो हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार उक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे;
   - ख. हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी ने उक्त वर्णित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है;
   - ग. इस रिपोर्ट से संबधित समेकित भारतीय लेखांकन मानक तुलन-पत्र, समेकित भारतीय लेखांकन मानक लाभ एवं हानि खाता, समेकित भारतीय लेखांकन मानक नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तनों से संबंधित समेकित विवरण, समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन हेतु रखी गई लेखा की संगत बहियों के अनुरूप है;
   - घ. हमारे मतानुसार, उक्त वर्णित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट और उसके अंतर्गत जारी किए गए संगत नियमों के साथ पढ़े जाने वाले भारतीय लेखांकन मानकों का पालन करते हैं;
   - ङ. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार निदेशकों की अपात्रता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों पर लागू नहीं होते हैं।
   - च. समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में "अनुबंध-क" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें; और
   - छ. कपंनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मतानुसार और हमें तथा दी गई श्रेष्ठ जानकारी तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा पृथक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा साथ ही साथ संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों की वित्तीय सूचना पर विचार किए जाने के आधार पर, जिसे 'अन्य मामले' पैराग्राफ में नोट किया गया है :
     1) समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों की समेकित वित्तीय स्थिति पर लम्बित याचिकाओं के प्रभाव को समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है - देखें समेकित वित्तीय विवरणों की **टिप्पणी 34, पैरा 3;**
     2) समूह, इसके एसोसिएट तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर किसी भौतिक पूर्वानुमान वाली हानियों को नहीं देखते हैं।
     3) धारक कंपनी और इसकी भारत में अधिनिगमित अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और बचाव निधि को अंतरित किए जाने हेतु अपेक्षित राशियां के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।
     4) समूह और इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों ने अपने समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में टिप्पणी 34 के पैरा 22 में 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के दौरान निर्दिष्ट बैंक नोट की धारिता तथा साथ ही साथ व्यवहार हेतु अपेक्षित प्रकटीकरण मुहैया करवाई है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया और प्रबंधन के प्रस्तुतिकरण के आधार पर हम सूचित करते हैं कि प्रकटीकरण समूह द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों के अनुरूप है।

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी	**कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	**(सनदी लेखाकार)**	**(सनदी लेखाकार)**
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045	फर्म पंजीकरण सं. 001728एन	फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(एस. के. खट्टर)	**(वासु गुप्ता)**	**(बरून कुमार घोष)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 084993	सदस्यता सं. 537545	सदस्यता सं. 051028

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30 मई, 2017

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के शीर्ष "अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं" के अंतर्गत पैराग्राफ 1(च) में संदर्भित अनुबंध-क :-
कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड-1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ हमने एनएचपीसी लिमिटेड (जिसे एतदपश्चात "धारक कंपनी" कहा गया है) और इसकी अनुषंगी कंपनियों तथा इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों, जो तदनुरूपी तिथि को भारत में अधिनिगमित कंपनियां हैं, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी, अनुषंगी कंपनियां और इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय, जो भारत में अधिनिगमित कंपनियां हैं, के संबंधित निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है जो इसके व्यापार के व्यवस्थित तथा दक्ष चालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीति के साथ अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी तथा चूक को रोकना तथा पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता तथा पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से प्रस्तुत करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों पर एक मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट ("परामर्शी नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार की है और इसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित माना गया है, जो दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों तथा परामर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिकतापूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन को प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया तथा बनाए रखा गया था और क्या ऐसा नियंत्रण सभी भौतिक संबंध में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहा था।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाविधियां निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की एक समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई भौतिक कमजोरी विद्यमान है, और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना शामिल है। चयन की गई प्रक्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी से हुई हो अथवा त्रुटि से, के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और नीचे दिए गए अन्य मामले पैराग्राफ में उल्लिखित उनकी रिपोर्टों के अनुसार अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु एक आधार मुहैया करवाने के लिए पर्याप्त तथा उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) सहित सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में एक तर्कसंगत आश्वासन मुहैया करवाने के लिए बनाया गया है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां तथा प्रक्रियाविधियां शामिल होती हैं जो कि (1) ऐसे रिकार्ड के अनुरक्षण से संबंधित होती हैं जिनमें तर्कसंगत रूप से ब्यौरे के साथ, सटीकता तथा उचित रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहार तथा स्थिति को दर्शाया गया हो; (2) इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन देती हो कि दर्ज किए गए संव्यवहार सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक हैं और कंपनी की प्राप्तियां तथा व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप ही किए गए हैं; और (3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव होने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत खरीद, उपयोग अथवा निपटान का समय से पता लगाने तथा रोकने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन मुहैया कराती हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाओं में, नियंत्रणों से ऊपर सांठ-गांठ या अनुचित प्रबधन की संभाव्यता, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानी हो सकना तथा जिसका पता नही भी चल सकता, शामिल है। साथ ही भविष्य की अवधियों हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थितियों में बदलाव, के चलते अपर्याप्त हो सकती है, अथवा नीतियों या प्रक्रियाविधियों के साथ अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

मत

हमारे मतानुसार धारक कंपनी, अनुषंगी कंपनियां और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय, जो भारत में अधिनिगमित कंपनियां हैं, के पास सभी भौतिक पहलुओं के संबंध में एक पर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और यह वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च, 2017 को प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी, जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदण्ड पर आधारित है।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत हमारी उक्त रिपोर्टों का जहाँ तक 3 अनुषंगी कंपनियों और 2 संयुक्त रूप से निकायों से संबंध है, जो कि भारत में अधिनिगमित कंपनियां हैं, यह भारत में अधिनिगमित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की तदनुरूपी रिपोर्टों पर आधारित है।

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी	**कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	**(सनदी लेखाकार)**	**(सनदी लेखाकार)**
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045	फर्म पंजीकरण सं. 001728एन	फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(एस. के. खट्टर)	**(वासु गुप्ता)**	**(बरून कुमार घोष)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 084993	सदस्यता सं. 537545	सदस्यता सं. 051028

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30 मई, 2017

31 मार्च, 2017 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(करोड़ रूपए में)

		विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
		परिसंपत्तियां				
(1)		**गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां**				
	क)	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	2.1	20,238.44	20,700.20	20,478.29
	ख)	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	2.2	17,587.59	16,741.60	16,147.15
	ग)	निवेश संपत्ति	2.3	4.49	4.49	4.49
	घ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	2.4	1,984.20	1,909.33	1,915.93
	ङ)	इक्विटी पद्धति के उपयोग हेतु लेखांकित निवेश	2.5.1	500.57	131.34	122.24
	च)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**				
		i) निवेश	3.1	519.41	468.60	880.04
		ii) प्राप्य व्यापार	3.2	275.82	64.56	335.93
		iii) ऋण	3.3	381.87	362.83	357.31
		iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	3.4	6,186.62	6,148.32	6,460.36
	छ)	गैर वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	12.1	115.49	79.90	87.99
	ज)	अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	4	1,143.58	1,350.64	1,312.68
(2)		**वर्तमान परिसंपत्तियां**				
	क)	माल-सूची	5	100.80	92.80	90.48
	ख)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**				
		i) निवेश	6	-	1.13	257.57
		ii) प्राप्य व्यापार	7	1,854.01	1,904.51	2,472.24
		iii) नकदी और नकदी तुल्य	8	73.57	1,420.52	196.35
		iv) नकदी तथा नकदी तुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	9	3,398.89	5,863.01	6,418.72
		v) ऋण	10	31.43	62.63	85.10
		vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	2,238.17	2,930.56	2,812.02
	ग)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	12.2	78.30	28.18	-
	घ)	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	553.46	353.69	248.87
		कुल परिसंपत्तियां		**57,266.71**	**60,618.84**	**60,683.76**
(3)		नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	14	2910.42	2181.28	1630.38
		कुल परिसंपत्तियां और नियामक लेखा डेबिट शेष		**60,177.13**	**62,800.12**	**62,314.14**
		इक्विटी तथा देयताएं				
(1)		**इक्विटी**				
	क)	इक्विटी शेयर पूंजी	15.1	10,259.32	11,070.67	11,070.67
	ख)	अन्य इक्विटी	15.2	18,755.50	20,572.04	19,727.50
(2)		**गैर-नियंत्रणकारी हित**	15.3	3,382.24	3,168.10	2,990.36
(3)		**देयताएं**				
		गैर-वर्तमान देयताएं				
	क)	**वित्तीय देयताएं**				
		i) ऋण	16.1	17,245.64	18,181.08	18,698.67
		ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.2	25.84	40.13	75.55

31 मार्च, 2017 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र (क्रमश:)

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
	ख) प्रावधान	17	505.58	424.55	889.81
	ग) विलंबित कर देयताएं (निवल)	18	1,665.29	1,513.63	1,394.40
	घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	19	2,767.96	2,740.37	2,639.42
(4)	**वर्तमान देयताएं**				
	क) **वित्तीय देयताएं**				
	i) ऋण	20.1	302.50	-	-
	ii) देय व्यापार	20.2			
	सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय		6.32	1.89	0.42
	सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय		151.27	128.54	163.46
	iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20.3	2,521.12	2,622.42	2,625.65
	ख) अन्य वर्तमान देयताएं	21	856.17	768.43	714.79
	ग) प्रावधान	22	1,732.38	1,461.61	1,258.79
	घ) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23	-	106.66	64.65
	कुल इक्विटी तथा देयताएं		**60,177.13**	**62,800.12**	**62,314.14**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1			
	वर्ष के दौरान निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) जो प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का हिस्सा हो	32			
	वित्तीय लिखत तथा जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटीकरण	33			
	लेखे की अन्य विवरणात्मक टिप्पणियां	34			
	इंड एएस को पहली बार अपनाए जाने संबंधी प्रकटीकरण	35			
	टिप्पण 1 से 35 लेखे का अभिन्न भाग है				

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता	**महेश कुमार मित्तल**	**के.एम. सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 02889021	डीआईएन : 02223301

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी	**कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045	फर्म पंजीकरण सं. 001728एन	फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(एस. के. खट्टर)	**(वासु गुप्ता)**	**(बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 084993	सदस्यता सं. 537545	सदस्यता सं. 51028

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30 मई, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा विवरण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
आय			
i) सतत प्रचालनों से राजस्व	24	8,623.13	8,354.02
ii) अन्य आय	25	1,503.78	1,092.41
कुल आय		**10,126.91**	**9,446.43**
व्यय			
i) उत्पादन तथा अन्य व्यय	26	2,101.65	2,290.14
ii) कर्मचारी लाभ व्यय	27	1,678.16	1,242.12
iii) वित्त लागत	28	1,073.44	1,118.18
iv) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	29	1,461.75	1,431.95
कुल व्यय		**6,315.00**	**6,082.39**
असाधारण मदों और दर नियंत्रित क्रियाकलापों से पूर्व लाभ		**3,811.91**	**3,364.04**
इक्विटी पद्धति तथा कर का उपयोग करते हुए लेखांकित निवेशों के निवल लाभ का अंश			
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ का अंश	2.5.2	2.74	1.23
असाधारण मदों, दर नियंत्रित क्रियाकलापों और कर से पूर्व लाभ		**3,814.65**	**3,365.27**
असाधारण मदें		-	-
कर पूर्व लाभ		**3,814.65**	**3,365.27**
कर व्यय	30		
i) वर्तमान कर		1,005.30	916.75
ii) आय कर हेतु समायोजन		(116.75)	(22.98)
iii) विलंबित कर		164.56	106.49
कुल कर व्यय		**1,053.11**	**1,000.26**
वर्ष हेतु नियामक विलंबित लेखा शीर्ष में निवल संचलन से पूर्व लाभ		**2,761.54**	**2,365.01**
नियामक विलंब लेखा शेष में संचलन	31	720.09	550.90
नियामक विलंबित लेखे पर कर का प्रभाव		1.30	-
नियामक विलंब लेखा शेष में संचलन (कर का निवल)		718.79	550.90
वर्ष हेतु लाभ और नियामक विलंब लेखा शेष में निवल संचलन		**3,480.33**	**2,915.91**
सतत प्रचालनों से वर्ष हेतु लाभ (क)	27	**3,480.33**	**2,915.91**
(ख) अन्य व्यापक आय			
(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि को पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
(क) निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनः मापन		(66.93)	36.69
घटाएं - निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर आय कर		(23.16)	12.70
घटाएं - नियामक विलंबित लेखे पर विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन		8.46	0.05
नियामक विलंबित लेखे में संचलन शेष - निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनः मापन		9.05	-
घटाएं - नियामक विलंबित लेखे पर कर का प्रभाव		-	-
उप जोड़ (क)		**(43.18)**	**23.94**
(ख) इक्विटी लिखत में निवेश		34.79	(20.78)
घटाएं - इक्विटी लिखत में निवेश पर आय कर		-	-
उप जोड़ (ख)		**34.79**	**(20.78)**
कुल (i) = (क)+(ख)		**(8.39)**	**3.16**
(ii) मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि को पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
ऋण लिखत पर निवेश		15.78	(0.09)
घटाएं - ऋण लिखत में निवेश पर आय कर		1.82	(0.01)
कुल (ii)		**13.96**	**(0.08)**
अन्य व्यापक आय (ख) = (i+ii)		**5.57**	**3.08**
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय (क+ख)		**3,485.90**	**2,918.99**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा विवरण (क्रमश:)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
निम्न को आरोप्य लाभ :			
स्वामी		3,029.42	2,601.73
गैर-नियंत्रक हित		450.91	314.18
		3,480.33	**2,915.91**
निम्न को आरोप्य अन्य व्यापक आय :			
स्वामी		6.59	3.16
गैर-नियंत्रक हित		(1.02)	(0.08)
		5.57	**3.08**
निम्न को आरोप्य कुल व्यापक आय :			
स्वामी		3,036.01	2,604.89
गैर-नियंत्रक हित		449.89	314.10
		3,485.90	**2,918.99**
Total comprehensive income attributable to owners arises from:			
चालू प्रचालन		3,036.01	2,604.89
स्थगित प्रचालन		-	-
		3,036.01	**2,604.89**
नियामक विलंबित लेखा शीर्ष में संचलन से पूर्व प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, 10 रूपये प्रत्येक का अंकित मूल्य)			
मूल तथा तनुकृत		2.09	1.85
नियामक विलंबित लेखा शीर्ष में संचलन के पश्चात प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, 10 रूपये प्रत्येक का अंकित मूल्य)			
मूल तथा तनुकृत		2.74	2.35
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**1**		
वर्ष के दौरान निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) जो प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का हिस्सा हो	**32**		
वित्तीय लिखत तथा जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटीकरण	**33**		
लेखे की अन्य विवरणात्मक टिप्पणियां	**34**		
इंड एएस को पहली बार अपनाए जाने संबंधी प्रकटीकरण	**35**		
टिप्पण 1 से 35 लेखे का अभिन्न भाग है			

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता	**महेश कुमार मित्तल**	**के.एम. सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 02889021	डीआईएन : 02223301

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी	**कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045	फर्म पंजीकरण सं. 001728एन	फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(एस. के. खट्टर)	**(वासु गुप्ता)**	**(बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 084993	सदस्यता सं. 537545	सदस्यता सं. 51028

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30 मई, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रूपए में)

		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	
क.	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन सहित वर्ष हेतु कर पूर्व लाभ		4,533.44		3,916.17
	घटाएं : नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन		718.79		550.90
	शेष		**3,814.65**		**3,365.27**
	कर पूर्व लाभ जोड़े :				
	मूल्यह्रास	1,461.75		1,431.95	
	वित्त लागत (ईएसी का निवल)	1,073.44		1,118.18	
	प्रावधान (निवल हानि)	122.49		412.49	
	नियामक विलंबित लेखा शेष के प्रति व्यय (वित्त तथा मूल्यह्रास का निवल)	346.50		147.04	
	कर समायोजन (हानि)	134.17		110.48	
	एफईआरई के कारण बिक्री समायोजन	51.81		64.65	
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/पश्च लेखित दावे	2.29		2.21	
			3,192.45		3,287.00
			7,007.10		**6,652.27**
	घटाएं :				
	पश्च लेखित मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	60.68		50.17	
	प्रावधान (निवल लाभ)	66.82		42.21	
	निवेश की बिक्री पर निवल लाभ/हानि	6.54		13.17	
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि की वसूली	0.47		0.51	
	लाभांश आय	3.00		2.64	
	ब्याज आय	663.74		745.90	
	विनिमय दर अंतर	4.05		(1.14)	
	अन्य समायोजन	73.92		68.49	
	संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ का अंश (इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित)	2.74		1.23	
			881.96		923.18
	प्रचालनशील परिसंपत्तियों तथा देयताओं के समायोजन से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों का नकदी प्रवाह		**6,125.14**		**5,729.09**
	प्रचालनशील परिसपंत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन				
	माल-सूची	(8.41)		(2.41)	
	प्राप्य व्यापार	(167.45)		711.26	
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	3,224.11		720.17	
	अन्य वित्तीय देयताएं एवं प्रावधान	539.09		(315.58)	
			3,587.34		1,113.44
	कर पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		**9,712.48**		**6,842.53**
	घटाएं : कर		1,080.82		871.82
	प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**8,631.66**		**5,970.71**
ख.	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (वर्ष हेतु प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का भाग होने वाले निर्माण पर आरोप्य व्यय सहित) - निवल		(1,586.99)		(2,146.95)
	नियामक विलंबित लेखा शेष में परिवर्तन		(347.81)		(147.04)
	निवेश/बॉण्ड हेतु वसूली/ (भुगतान)		(632.08)		781.10
	लाभांश आय		3.00		2.64
	ब्याज आय		699.40		764.03
	निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(1,864.48)**		**(746.22)**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण (क्रमश:)

(करोड़ रूपए में)

		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
ग.	**वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**		
	इक्विटी शेयरों की पुन: खरीद (प्रीमियम भुगतान सहित)	(2,625.93)	-
	लाभांश और अदा किए गए लाभांश पर कर (गैर-नियंत्रक हितों सहित)	(3,273.73)	(1,895.18)
	मध्य प्रदेश सरकार से सहायता अनुदान	13.08	15.28
	ऋण	2,502.00	1,774.92
	ऋण की चुकौती	(3,338.37)	(2,393.36)
	ब्याज तथा वित्त प्रभार	(1,391.18)	(1,501.98)
	वित्त-पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	**(8,114.13)**	**(4,000.32)**
घ.	**नकदी तथा नकदी तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)**	**(1,346.95)**	**1,224.17**
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी तुल्य	1,420.52	196.35
	वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य	73.57	1,420.52

नकदी प्रवाह के विवरण की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. नकदी तथा नकदी तुल्य में हस्तगत नकदी, हस्तगत चेक/ड्राफ्ट तथा बैंक शेष शामिल है जिसमें तीन माह से कम के मूल परिपक्वता वाले अल्पावधि जमा को भी शामिल किया गया है। तुलन पत्र की टिप्पणी 8 के अनुसार नकदी तथा नकदी तुल्य का ब्यौरा निम्नवत है :

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
नकदी तथा नकदी-तुल्य	73.57	1,420.52

नकदी तथा नकदी तुल्य में निम्नलिखित शामिल है :-

क) 7.74 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 32.48 करोड़ रूपये) शामिल है जो अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों हेतु धारित हैं।

ख) माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार बैंकों में रखे गए 10.36 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 9.89 करोड़ रूपए)।

ग) ओमकारेश्वर परियोजना के संबंध में भू-वंचितों से जमा के रूप में प्राप्त 2.68 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 2.80 करोड़ रूपए)।

2. वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह में ब्याज तथा वित्त प्रभार में अवधि के दौरान निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) के कारण अवधि के दौरान पूंजीकृत 386.80 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 465.74 करोड़ रूपये) की ऋण लागत और अवधि के दौरान सृजित नियामक विलंब लेखे हेतु 365.32 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 396.22 करोड़ रूपये) की राशि शामिल है।

3. 31.3.2017 को लिए न गए ऋण की राशि - 66.28 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 433.28 करोड़ रूपये) का अधीनस्थ ऋण।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता	**महेश कुमार मित्तल**	**के.एम. सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 02889021	डीआईएन : 02223301

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी	**कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045	फर्म पंजीकरण सं. 001728एन	फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(एस. के. खट्टर)	**(वासु गुप्ता)**	**(बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 084993	सदस्यता सं. 537545	सदस्यता सं. 51028

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30 मई, 2017

31 मार्च, 2017 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ रुपए में)
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार	15.1	11,070.67
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	15.1	(811.35)
31 मार्च, 2017 के अनुसार	15.1	10,259.32

ख. अन्य इक्विटी

(करोड़ रुपए में)

इक्विटी धारकों को आरोप्य	आरक्षित और अधिशेष							अन्य व्यापक आय					
	पूंजी मोचन आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉण्ड मोचन आरक्षित	स्व- बीमा निधि	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि	अनुसंधान एवं विकास निधि	सामान्य आरक्षित	अधिशेष/ प्रतिधारित अर्जन	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी लिखत	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखत	कुल	गैर- नियंत्रक हित (एनसी आई)	एनसी आई के पश्चात कुल
1 अप्रैल, 2016 को शेष	1,230.07	2,868.74	1,324.20	-	17.26	45.52	10,224.43	4,775.81	65.29	20.72	20,572.04	3,168.10	23,740.14
वर्ष हेतु लाभ	-	-	-	-	-	-	-	3,029.42	-	-	3,029.42	450.91	3,480.33
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	(42.15)	34.79	13.96	6.60	(1.02)	5.58
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,987.27**	**34.79**	**13.96**	**3,036.02**	**449.89**	**3,485.91**
प्रतिभूति प्रीमियम से अंतरित	811.35	(811.35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शेयरों की पुनः खरीद के संबंध में उपयोग	-	(1,805.25)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,805.25)	-	(1,805.25)
पुनः खरीद के संबंध में उपयोग	-	(9.33)	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.33)	-	(9.33)
प्रतिधारित आय को अंतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बॉण्ड मोचन आरक्षित से पश्च लेखित राशि	-	-	(109.42)	-	-	-	-	109.42	-	-	-	-	-
प्रतिधारित अर्जन को अंतरण	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(2,524.13)	-	-	(2,524.13)	(195.87)	(2,720.00)
लाभांश पर कर	-	-	-	-	-	-	-	(513.85)	-	-	(513.85)	(39.88)	(553.73)
बॉण्ड मोचन आरक्षित को अंतरण	-	-	394.49	-	-	-	-	(394.49)	-	-	-	-	-
कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि को अंतरित	-	-	-	-	7.05	-	-	(7.05)	-	-	-	-	-
अनुसंधान और विकास निधि को अंतरण	-	-	-	-	-	15.35	-	(15.35)	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2017 को कुल	**2,041.42**	**242.81**	**1,609.27**	**-**	**24.31**	**60.87**	**10,224.43**	**4,417.63**	**100.08**	**34.68**	**18,755.50**	**3,382.24**	**22,137.74**

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 02889021

के.एम. सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02223301

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045

(एस. के. खट्टर)
भागीदार
सदस्यता सं. 084993

कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 001728एन

(वासु गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 537545

कृते रे एण्ड रे
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 301072ई

(बरुन कुमार घोष)
भागीदार
सदस्यता सं. 51028

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30 मई, 2017

31 मार्च, 2016 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ रुपए में)
1 अप्रैल, 2015 के अनुसार	15.1	11,070.67
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
31 मार्च, 2016 के अनुसार	15.1	11,070.67

ख. अन्य इक्विटी

(करोड़ रुपए में)

इक्विटी धारकों को आरोप्य	आरक्षित और अधिशेष							अन्य व्यापक आय					
	पूंजी मोचन आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉण्ड मोचन आरक्षित	स्व- बीमा निधि	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि	अनुसंधान एवं विकास निधि	सामान्य आरक्षित	अधिशेष/ प्रतिधारित अर्जन	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी लिखत	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखत	कुल	गैर- नियंत्रक हित (एनसी आई)	एनसी आई के पश्चात कुल
1 अप्रैल, 2015 को शेष	1,230.07	2,868.74	1,247.89	917.93	36.67	31.81	9,306.50	3,971.62	86.07	30.20	19,727.50	2,990.36	22,717.86
वर्ष हेतु लाभ	-	-	-	-	-	-	-	2,601.73	-	-	2,601.73	314.18	2,915.91
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	24.02	(20.78)	(0.08)	3.16	(0.08)	3.08
कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	2,625.75	(20.78)	(0.08)	2,604.89	314.10	2,918.99
ओसीआई के माध्यम से इक्विटी लिखत पर प्राप्त लाभ का पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.40)	(9.40)	-	(9.40)
प्रतिधारित आय को अंतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
बॉण्ड मोचन आरक्षित से पश्च लेखित राशि	-	-	(109.43)	-	-	-	-	109.43	-	-	-	-	-
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से पश्चलेखित राशि	-	-	-	-	(19.41)	-	-	19.41	-	-	-	-	-
लाभांश पर कर - पश्चलेखित	-	-	-	-	-	-	-	24.08	-	-	24.08	-	24.08
स्व-बीमा निधि से प्रयुक्त राशि	**-**	**-**	**-**	**(917.93)**	**-**	**-**	**917.93**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Others	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.87**	**-**	**-**	**7.87**	**-**	**7.87**
प्रतिधारित अर्जन से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
लाभांश (वित्तीय वर्ष 2014-15)	-	-	-	-	-	-	-	(442.83)	-	-	(442.83)	(113.30)	(556.13)
लाभांश पर कर (वित्तीय वर्ष 2014-15)	-	-	-	-	-	-	-	(114.23)	-	-	(114.23)	(23.06)	(137.29)
लाभांश (अंतरिम 2015-16)	-	-	-	-	-	-	-	(1,018.50)	-	-	(1,018.50)	-	(1,018.50)
लाभांश पर कर (अंतरिम 2015-16)	-	-	-	-	-	-	-	(207.34)	-	-	(207.34)	-	(207.34)
बॉण्ड मोचन आरक्षित को अंतरण	**-**	**-**	**185.74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(185.74)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
अनुसंधान और विकास निधि को अंतरण	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.71**	**-**	**(13.71)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31 मार्च, 2016 को कुल	**1,230.07**	**2,868.74**	**1,324.20**	**-**	**17.26**	**45.52**	**10,224.43**	**4,775.81**	**65.29**	**20.72**	**20,572.04**	**3,168.10**	**23,740.14**

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

महेश कुमार मित्तल निदेशक (वित्त) डीआईएन : 02889021	**के.एम. सिंह** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन : 02223301	**विजय गुप्ता** कंपनी सचिव

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस (सनदी लेखाकार) फर्म पंजीकरण सं. 001728एन **(वासु गुप्ता)** भागीदार सदस्यता सं. 537545	**कृते रे एण्ड रे** (सनदी लेखाकार) फर्म पंजीकरण सं. 301072ई **(बरुन कुमार घोष)** भागीदार सदस्यता सं. 51028	**कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी** (सनदी लेखाकार) फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045 **(एस. के. खट्टर)** भागीदार सदस्यता सं. 084993

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30 मई, 2017

टिप्पणी संख्या - 1 : समूह सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(1) रिपोर्टिंग निकाय

एनएचपीसी लिमिटेड (''कंपनी'') भारत में अधिवासित तथा शेयरों द्वारा सीमित एक कंपनी है। कंपनी के शेयर नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया तथा बीएसई लिमिटेड में सार्वजनिक रूप से खरीदे-बेचे जाते हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा - 121003 है। कंपनी मुख्तः विद्युत उत्पादन और विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं को बल्क विद्युत की बिक्री में रत है। अन्य व्यापार में परामर्श मुहैया करवाना तथा परियोजना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण शामिल है।

एनएचपीसी लिमिटेड को इसकी अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के साथ एतद्पश्चात ''समूह'' कहा गया है। समूह के समेकित वित्तीय विवरणों को कंपनी की निदेशक मंडल द्वारा जारी किए जाने के लिए 30 मई, 2017 को अनुमोदित किया गया है।

(2) तैयार करने के आधार

(क) अनुपालन का कथन

इन वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133, (कंपनी) (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016) और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों, तथा लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विहित किए गए अनुसार भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुरूप लेखांकन के प्रोदभवन आधार पर तैयार किया गया है। ये समूह के पहले इंड एएस वित्तीय विवरण है और इंड एएस 101 ''भारतीय लेखांकन मानकों में पहली बार अपनाया जाना'' को लागू किया गया है।

31 मार्च, 2016 तक तथा इसके सहित सभी अवधियों हेतु समूह ने अपने वित्तीय विवरणों को भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी), कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत विहित लेखांकन मानकों, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित तथा लागू होने की सीमा तक) कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया है।

टिप्पणी 35 यह स्पष्ट करती है कि पूववर्ती जीएएपी से इंड एएस में परिवर्तन ने किस प्रकार समूह की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाहों को प्रभावित किया है।

(ख) मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परिपार्टी के अंतर्गत लेखांकन के प्रोदभवन आधार पर तैयार किया गया है सिवाय निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं हेतु जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है :

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं को उचित मूल्य पर मापा गया है।
- निर्धारत कर्मचारी लाभ योजनाओं की योजनागत परिसंपत्तियां।

उचित मूल्यों के मापन हेतु प्रयुक्त पद्धतियों पर टिप्पणी 33 में चर्चा की गई है।

(ग) कार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपये (आईएनआर)में प्रस्तुत किया गया है जो समूह की कार्यात्मक मुद्रा है। समूची वित्तीय सूचना को भारतीय राष्ट्रीय रूपये में प्रस्तुत किया है और निकटतम करोड़ रूपये (2 दशमलव तक) तक इसे पूर्णांकित किया गया है।

(घ) समेकन के आधार

क) अनुषंगी कंपनियां

i) अनुषंगी कंपनी एक ऐसा निकाय होता है जिस पर समूह का नियंत्रण होता है। समूह किसी निकाय को तब नियंत्रित करता है जब समूह के निकाय के साथ शामिल होने से इसके प्रतिफल परिवर्तनशील होते हों या उन पर इसका अधिकार हो तथा उसके पास निकाय के संगत क्रियाकलापों को निर्देषित करने की शक्ति के माध्यम से उन प्रतिफलों को प्रभावित करने की क्षमता हो। अनुषंगी कंपनियां, समूह को नियंत्रण अंतरित किए जाने की तिथि से पूर्णतः समेकित की जाती हैं।

ii) समूह मूल कंपनी तथा इसकी अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों को लाइन-दर-लाइन आधार पर एकीकृत करता है जिसमें परिसंपत्ति, देयताओं, इक्विटी, आय तथा व्यय की समान मदों को एक साथ जोड़ा जाता है। अंतर-कंपनी संव्यवहार, शेष तथा समूह कंपनियों के मध्य संव्यवहार पर वसूल न किए गए लाभों को समाप्त किया जाता है। वसूल न की गई हानियों को भी समाप्त किया जाता है जब तक कि संव्यवहार में अंतरित परिसंपत्ति के क्षति का साक्ष्य मौजूद न हो। अनुषंगी कंपनियों की लेखांकन नीतियां समूह द्वारा अपनाई गई नीतयों के अनुरूप होती हैं।

iii) परिणामों में गैर-नियंत्रित हित और अनुषंगी कंपनियों की इक्विटी को समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण में अलग से दर्शाया जाता है।

iv) नियंत्रण की समाप्ति के बिना किसी अनुषंगी कंपनियों में स्वामित्व हित में परिवर्तन को एक इक्विटी संव्यवहार के रूप में लेखांकित किया जाता है।

v) यदि समूह किसी अनुषंगी कंपनी पर नियंत्रण खो देता है, तो यह परिसंपत्तियों, देयताओं, किसी गैर-नियंत्रित हितों की वहन राशि और इक्विटी में दर्ज संचित परिवर्तन अंतरों को विमान्य कर देता है।

ख) संयुक्त उद्यम

i) संयुक्त उद्यम एक ऐसी संयुक्त व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण होने वाले पक्षों के पास व्यवस्था की निवल परिसंपत्तियों के अधिकार होते हैं। संयुक्त उद्यमों में हितों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता प्रदान की जाती है और तत्पश्चात उन्हें इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित किया जाता है।

ii) लेखांकन की इक्विटी पद्धति के अंतर्गत निवेश को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है और तत्पश्चात अधिग्रहण-पश्च लाभों या हानियों तथा निवेश किए गए निकाय की अन्य व्यापक आय में समूह के अंश को समूह के लाभ एवं हानि विवरण तथा अन्य व्यापक आय में मान्यता प्रदान की जाती है। संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्य लाभांशों को निवेश की वहन राशि में कमी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

iii) जब संयुक्त उद्यम में हानियों का समूह का अंश निकाय में इसके निवेश के समान या उससे अधिक हो जाता है, किसी अन्य अप्रतिभूत दीर्घावधि प्राप्य सहित, तो समूह आगे हानियों को तब तक मान्यता नहीं देता जब तक कि इसने संयुक्त उद्यम की ओर से बाध्यताएं वहन की हो या भुगतान किए हों।

iv) समूह तथा इसके संयुक्त उद्यमों के मध्य संव्यवहार पर प्राप्त न किए गए लाभों का इन निकायों में समूह के हित की सीमा तक समाप्त किया जाता है। प्राप्त न की गई हानियों को भी समाप्त किया जाता है जब तक कि संव्यवहार में अंतरित परिसंपत्ति की क्षति का कोई साक्ष्य मौजूद हो। जहां संयुक्त उद्यम की लेखांकन नीतियां समूह से भिन्न हैं, समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ अनुरूपता को सुनिश्चित करने के लिए समान परिस्थितियों में समान संव्यवहारों तथा घटनाओं हेतु उचित समायोजन किए जाते हैं।

v) संयुक्त उद्यम ने कम किए गए हित पर उत्पन्न होने वाली किसी कमी के संबंध में किसी लाभ अथवा हानि, परन्तु संयुक्त नियंत्रण अभी भी बना हुआ है, को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

vi) जब निवेश संयुक्त उद्यम नहीं रहता है और प्रतिधारित हित एक वित्तीय परिसंपत्ति है, तो समूह प्रतिधारित हित का मापन एक उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई वहन राशि में परिवर्तन के साथ करता है। प्रतिधारित हित का उचित मूल्य एक संबद्ध अथवा किसी वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में प्रतिधारित हित हेतु लेखांकन के प्रयोजन हेतु प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। उस संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले मान्यता दी गई किसी राशि को लाभ एवं हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

(ङ) अनुमानों तथा प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन द्वारा ऐसे निर्णय, अनुमान तथा मान्यताओं को लेना अपेक्षित होता है जो लेखांकन नीति के अनुप्रयोग और तुलन-पत्र तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्यय तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं सहित संबंधित प्रकटीकरणों के सूचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हों। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में तर्कसंगत तथा विवेकसम्मत माने गए अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान तथा आधारभूत मान्यताओं की समीक्षा एक चालू आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिनमें अनुमानों को सशोधित किया जाए।

वित्तीय विवरणों की समझ में वृद्धि करने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमानों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता तथा महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में जानकारी जिसका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, उसे निम्नलिखित टिप्पणियों में शामिल किया गया है :

महत्वपूर्ण निर्णय तथा अनुमान

क) यह निर्धारित करना कि क्या किसी व्यवस्था में कोई पट्टा शामिल है

परिशिष्ट-ग, इंड एएस 17 ''यह निर्धारित करना कि क्या किसी व्यवस्था में कोई पट्टा शामिल है'' में इसका एक आकलन अपेक्षित होता है कि :

- व्यवस्था की पूर्ति किसी विशिष्ट परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के उपयोग पर निर्भर है; और
- व्यवस्था में परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, किसी व्यवस्था में परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार संप्रेषित होता है और यदि तथ्य तथा परिस्थितियां यह इंगित करें कि इसका अंदेशा है कि खरीददार के अतिरिक्त कोई एक या अधिक पक्ष उत्पादन अथवा व्यवस्था की अवधि के दौरान परिसंपत्ति द्वारा उत्पादित या उत्पन्न किसी अन्य उपयोगिता की एक नगण्य मात्रा से अधिक ले जाएंगे, और खरीददार द्वारा उत्पादन हेतु भुगतान किया जाने वाला मूल्य न तो उत्पादन के प्रति यूनिट पर संविदात्मक रूप से निर्धारित है और न ही उत्पादन की डिलीवरी के समय उत्पादन के प्रति यूनिट वर्तमान बाजार मूल्य के समान है।

समूह लाभग्राहियों के साथ विद्युत क्रय समझौते करता है। विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) किसी एकल लाभग्राही के साथ सन्निहित पट्टे की प्रकृति के होते हैं जहां न्यूनतम पट्टा अवधि संयंत्र के आर्थिक जीवनकाल के एक प्रमुख हिस्से हेतु होती है तथा न्यूनतम पट्टा भुगतान राशि संयंत्र के समूचे उचित मूल्य को व्यापक रूप से कवर करने के लिए वित्त पट्टे के रूप में मानी जाती है। अन्य सन्निहित पट्टों को प्रचालन पट्टे माना जाता है।

वित्त पट्टे की प्रकृति वाले सन्निहित पट्टे में संयंत्र में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता दी जाती है। न्यूनतम पट्टा भुगतान की पहचान शेष संविदा राशियों में से निहित पट्टा भुगतान को पृथक करके की जाती है। प्रत्येक पट्टा रसीद को प्राप्य तथा वित्त पट्टा आय के मध्य आवंटित किया जाता है ताकि प्राप्य बकाया पट्टे पर प्रतिफल की एक स्थिर दर प्राप्त की जा सके।

प्रचालन पट्टों अथवा निहित प्रचालन पट्टों के मामले में प्रचालन पट्टे से पट्टा आय को पट्टा अवधि पर एक सीधी रेखा आधार पर राजस्व में मान्यता दी जाती है। संबंधित पट्टा परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन-पत्र में शामिल किया जाता है।

ख) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण का उपयोगी जीवनकाल

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण का उपयोगी जीवनकाल कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अप्रचलन के प्रभाव, मांग, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य आर्थिक कारक (जैसे कि उद्योग की स्थिरता तथा ज्ञात प्रौद्योगिकीय खोंजें) और परिसंपत्ति से प्रत्याशित भविष्य के नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित रख-रखाव व्यय के स्तर शामिल होते हैं।

विद्युत के उत्पादन हेतु प्रयुक्त परंसपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-2 के भाग-ख में यथा उल्लिखित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है सिवाय निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी और कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरणों हेतु जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II के अनुरूप हैं।

ग) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य की प्राप्ति योग्य राशि

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य की प्राप्ति योग्य राशि अनुमानों तथा मान्यताओं पर आधारित होती है, विशेष रूप से विद्युत संयंत्रों से संबद्ध प्रत्याशित बाजार परिदृश्य तथा भविष्य के नकदी प्रवाहों के मामले में। इन मान्यताओं में किसी परिवर्तन का प्राप्ति योग्य राशि के मापन में भौतिक प्रभाव होगा जो क्षति में परिणत होगा।

घ) सेवानिवृत्ति पश्च लाभ योजनाएं

कर्मचारी लाभ बाध्यताओं को बीमांकित मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु तथा छोड़ देने की दर और साथ ही साथ छूट दरों में भविष्य के घटनाक्रम, वेतन वृद्धि की दर, मुद्रा स्फीति दर और योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित दर संबंधी मान्यताएं शामिल हैं। समूह यह मानता है कि इसकी बाध्यताओं के मापन हेतु प्रयुक्त मान्यताएं उचित तथा प्रलेखित हैं। तथापि, इन मान्यताओं में किसी परिवर्तन का परिणामी गणनाओं पर प्रभाव हो सकता है।

ङ) **राजस्व**

समूह विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को इंड एएस 18 के सिद्धांतों के अनुसार सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर दर्ज करता है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां टैरिफ दरों को अभी अनुमोदित किया जाना है, लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों पर विचार करते हुए अनंतिम दरो को अपनाया जाता है।

च) **प्रावधान तथा आकस्मिकताएं**

प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं की मान्यता में किए गए आकलनों को भारतीय लेखांकन मानक 37 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों'' के अनुसार किया गया है। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन आर्थिक संसाधनों के संभाव्य प्रवाह के संबंध में प्रबंधन द्वारा लिए गए श्रेष्ठ निर्णय के आधार पर किया गया है। ऐसे अनुमानन अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बदल सकते हैं।

छ) **दर विनियमित परिसंपत्तियों की प्राप्ति योग्य राशि**

समूह के प्रचालन क्रियाकलाप सेवा की लागत विनियमों के अधीन है जिसके द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु प्रभारित टैरिफ ब्याज लागत, मूल्यह्रास, एक निर्धारित प्रतिफल सहित प्रचालन तथा अनुरक्षण जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होते हैं। आईसीएआई द्वारा जारी दर नियंत्रित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट (पिछला जीएएपी) और भारतीय लेखांकन मानक 114 ''विनियामक विलंबित लेखे'' किसी निकाय को दर आधार में, स्व-निर्मित (मूर्त) अचल परिसंपत्तियों या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में, ऐसी राशियां शामिल करने की अनुमति देते हैं जिन्हें अन्यता इंड एएस के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती। समूह अनुमान लगाता है कि वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई विनियामक विलंबित लेखे की मदें वर्तमान सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2014-19 के अनुसार हैं। तथापि, वर्तमान टैरिफ अवधि से परे सीईआरसी टैरिफ विनियमों में परिवर्तन ऐसे शेष की वसूल किए जाने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।

ज) **प्राप्य व्यापार की क्षति**

प्राप्य व्यापार हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए समूह लाभग्राहियों से प्राप्य मूल्य में क्षति अथवा प्राप्य व्यापारों की वसूली में विलंब के चलते राशि के समय मूल्य में हानि की परिकल्पना नहीं करता है, सिवाय पहले से प्रावधान किए गए की सीमा तक।

झ) **संयुक्त उद्यमों में निवेश**

निवेश लागत पर किया गया है और समूह के आकलन के अनुसार ऐसे निवेशों में क्षति का कोई संकेत नहीं है। मान्यता में किसी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि के मापन पर भौतिक प्रभाव हो सकता है।

ञ) **प्राप्य बीमा दावा**

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को क्षति के संबंध में बीमा दावे की प्राप्य राशि बीमा पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अनुमानों तथा मान्यताओं पर आधारित है।

(3) **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां -** समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार नीचे दिए गए अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सतत तरीके से लागू किया गया है।

1.0 संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई)

क) 31 मार्च, 2015 तक संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को तुलन-पत्र में भारतीय जीएएपी के अनुसार लिया गया है। समूह ने इंड एएस में परिवर्तन की तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015 को) को मानद लागत के रूप में इन राशियों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 101 ''भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना'' द्वारा प्रदान की गई छूट को लेने का विकल्प चुना है।

ख) पीपीई की किसी मद को तब एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है यदि यह संभावना हो कि मद के साथ संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकेगा।

ग) पीपीई को प्रारंभ में जहां-कहीं अपेक्षित हो समाप्त किए जाने की लागत अथवा बाहरी लागत सहित अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर लिया जाता है। लागत में वह राशि शामिल होती है जो सीधे परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण पर आरोप्य हो। ऐसे मामलों में जहां संविदाकार के साथ बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, परन्तु परिसंपत्ति पूर्ण है तथा उपयोग हेतु उपलब्ध है, पूंजीकरण अनुमानित आधार पर आवश्यक समायोजनों के अधीन किया जाता है, जिसमें माध्यस्थम/अदालती मामलों के निपटान से उत्पन्न होने वाले भी शामिल हैं।

घ) विद्युत स्टेशन के मूल रूप से अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की पूर्णता पर पीपीई के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण पर किए गए व्यय जो विद्यमान परिसंपत्ति के वृद्धित जीवन और/अथवा दक्षता में परिणत होते हों, उन्हें संबंधित परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा जाता है। विद्यमान परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के रूप में अधिगृहीत पीपीई को पूंजीकृत किया जाता है और सक्रिय उपयोग से हटाई गई इसकी तदनुरूपी प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों को विमान्य किया जाता है।

ङ) प्रारंभिक मान्यता के पश्चात संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को संचित मूल्यह्रास/परिशोधन तथा संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, घटा लागत पर वहन किया जाता है।

च) कब्जे में होने वाली भूमि से संबंधित मुआवजे (निर्णय की तिथि तक अदालत द्वारा दिए गए वृद्धित मुआवजे पर ब्याज सहित), पुनर्वास और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं संबंधी व्यय सहित अन्य व्ययों के प्रति अनंतिम रूप से किए गए भुगतान/सृजित देयताओं को भूमि की लागत माना जाता है।

छ) समूह का नियंत्रण होने वाली परिसंपत्तियां, भले ही समूह का स्वामित्व न होने वाली भूमि पर सृजित की गई हों, संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अंतर्गत शामिल की जाती हैं।

ज) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के मान्यता मानदंड को पूरा करने वाले अतिरिक्त उपकरण तथा सेवा उपकरण को पूंजीकृत किया जाता है।

झ) मान्यता मानदण्ड को पूरा करने वाले कलपुर्जे (संयंत्र तथा मशीनरी के साथ अथवा बाद में खरीदे गए) को पूंजीकृत किया जाता है। उन कलपुर्जों की वहन राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया है, को विमान्य किया जाता है जब उनके उपयोग अथवा निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हों। माल-सूची का भाग होने वाले अन्य कलपुर्जों को ''भंडार तथा कलपुर्जे'' माना जाता है।

ञ) यदि प्रतिस्थापित पुर्जे की लागत या पहले का निरीक्षण उपलब्ध नहीं है तो समान नए पुर्जे की अनुमानित लागत/निरीक्षण को विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण घटक की लागत के एक संकेत के रूप में लिया जाता है, जब मद को अधिगृहीत किया गया हो या उसका निरीक्षण किया गया हो।

ट) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद को निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान से भविष्य का कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर विमान्य किया जाता है। परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाली किसी लाभ या हानि (जिसकी गणना परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्तियों तथा वहन राशि के मध्य अंतर के रूप में की जाती है) को परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

2.0 प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

क) 31 मार्च, 2015 तक प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य को तुलन-पत्र में भारतीय जीएएपी के अनुसार लिया गया था। समूह ने इंड एएस में परिवर्तन की तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015 को) को मानद लागत के रूप में इन राशियों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 101 ''भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना'' द्वारा प्रदान की गई छूट को लेने का विकल्प चुना है।

ख) निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (परियोजना सहित) पर किए गए व्यय को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत लागत पर किया जाता है। ऐसी लागत में आयात शुल्क तथा अप्रतिदेय करों सहित परिसंपत्तियों का खरीद मूल्य (व्यापार छूट तथा अन्य छूट की कटौती के पश्चात), परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच क्रियाकलापों के संबंध में व्यय, स्थल तैयार किए जाने की लागत, प्रारंभिक डिलीवरी तथा हैण्डलिंग प्रभार, स्थापन तथा असेम्बली लागतें आदि शामिल होती हैं।

ग) लागतों में कर्मचारी लाभ, पेशेवर शुल्क, आम जन सुविधाओं के रख-रखाव तथा उन्नयन पर किया गया व्यय, परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, निर्माण के दौरान ब्याज तथा परिसंपत्ति को स्थल पर लाने तथा प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से प्रचालन करने हेतु समर्थ बनाने के लिए सीधे आरोप्य अन्य लागतों को ''निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी)'' के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा बाद में परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।

घ) सुविधाओं के सृजन पर किया गया पूंजीगत व्यय, जिन पर समूह का नियंत्रण नहीं है, परन्तु जिनका सृजन परियोजना के निर्माण हेतु सिद्धांततः आवश्यक है, उन्हें ''निर्माण को आरोप्य व्यय'' के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा ''प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य'' के अंतर्गत वहन किया जाता है और बाद में इंड एएस 16-''संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण'' में ''आरोप्यता'' और ''मापन की इकाई'' को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है। परियोजना की पूर्णता के पश्चात किया गया ऐसी प्रकृति का व्यय लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया जाता है।

3.0 निवेश संपत्ति

31 मार्च, 2015 तक निवेश संपत्ति को तुलन-पत्र में भारतीय जीएएपी के अनुसार लिया गया था। समूह ने भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015 को) को मानद लागत के रूप में इन राशियों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 101 ''भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना'' द्वारा प्रदान की गई छूट को लेने का विकल्प चुना है।

निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में संव्यवहार लागत सहित लागत तक मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, निवेश संपत्तियों को लागत पर घटा संचित मूल्यह्रास तथा संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, पर वहन किया जाता है।

निवेश संपत्तियों को निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान अथवा उपयोग से स्थायी रूप से हटा लिए जाने तथा उनके निपटान पर भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर विमान्य किया जाता है। परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्तियों तथा वहन राशि के मध्य अंतर को विमान्य किए जाने की अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

निवेश संपत्ति से अथवा उसे अंतरण केवल तब ही किया जाता है जब उपयोग में कोई परिवर्तन हो।

4.0 अमूर्त परिसंपत्तियां

क) 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसंपत्तियों को तुलन-पत्र में भारतीय जीएएपी के अनुसार लिया गया था। समूह ने इंड एएस में परिवर्तन की तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015 को) को मानद लागत के रूप में इन राशियों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 101 ''भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना'' द्वारा प्रदान की गई छूट को लेने का विकल्प चुना है।

ख) अलग से अधिगृहीत की गई अमूर्तपरिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात अमूर्त परंसपत्तियों को किसी संचित परिशोधन तथा संचित हानियों से घटाई गई लागत पर वहन किया जाता है।

ग) राज्य सरकार से उपयोग हेतु ली गई भूमि (स्वामित्व के अंतरण के बिना) और राहत तथा पुनर्वास संबंधी व्यय तथा भू-वंचितों हेतु वैकल्पिक सुविधाओं के अथवा जलमग्न होने वाली विद्यमान सुविधाओं के एवज में सृजन तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के प्रयोजन हेतु भूमि के अधिग्रहण के लिए एक विशिष्ट पूर्व शर्त है, उन्हें उपयोग हेतु भूमि अधिकार के रूप में लेखांकित किया जाता है।

घ) आंतरिक उपयोग हेतु खरीदा गया सॉफ्टवेयर (संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग न होने वाला) अधिग्रहण की लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षति हानि, यदि कोई हो, पर बताया जाता है।

ङ) निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान से भविष्य में आर्थिक लाभ की प्रत्याशा न होने वाली अमूर्त परिसंपत्ति की किसी मद को विमान्य किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानियों को निवल निपटान प्राप्तियों तथा परिसंपत्ति की वहन राशि के मध्य अंतर के रूप में मापा जाता है और उसे परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

5.0 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

क) विदेशी मुद्रा में संव्यवहारक प्रारंभ में मान्यता हेतु पहले अर्हक होने वाली संव्यवहार की तिथि पर वित्तीय मुद्रा स्पॉट दर पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों को उस तिथि को विद्यमान क्रियात्मक मुद्रा विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

ख) 1 अप्रैल, 2004 से पूर्व किए गए संव्यवहार से उत्पन्न होने वाली अचल परिसंपत्तियों/प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के संबंध में विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य की वहन लागत पर समायोजित किया जाता है।

ग) 31 मार्च, 2016 से पूर्व विदेशी मुद्रा ऋण के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर जो सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार आगे की अवधियों में लाभार्थियों से प्राप्य अथवा उन्हें देय हैं, उन्हें ''विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव प्राप्य/देय लेखा'' के रूप में मान्यता दी जाती है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिससे इन्हें वसूल/अदा किया जाना है।

घ) 1.4.2016 को अथवा उसके पश्चात की गई विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों के निपटान/परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली विनिमय अंतरों को लाभार्थियों से प्राप्य अथवा उन्हें देय होने की सीमा तक निर्माण अवधि के दौरान ''विनियामक विलंबित लेखा शेष'' के रूप में मान्यता दी जाती है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष में इन्हें लाभार्थियों से वसूल अथवा उन्हें अदा किया जाना है।

ङ) किसी विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के रूप में मापी गई गैर-मौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

6.0 विनियामक विलंबित लेखे

क) जहां परियोजना के निर्माण की अवधि के दौरान व्यय किए गए खर्चे की किसी मद को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अर्थात इंड एएस के अनुसार संगत पीपीई के लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं होती, परन्तु फिर भी इसे सीईआरसी द्वारा भविष्य में टैरिफ के माध्यम से लाभार्थियों से वसूल किए जाने की अनुमति होती है, उक्त की वसूली के अधिकार को ''विनियामक विलंबित लेखा शेष'' के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख) सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार आगे की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय होने की सीमा तक लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किए गए व्यय/आय को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार ''विनियामक विलंबित लेखा शीर्ष'' के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग) इन विनियामक विलंबित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिसमें ये लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय हैं।

घ) विनियामक विलंबित लेखा शेषों का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि निहित क्रियाकलाप मान्यता मानदण्ड को पूरा करते हों और यह संभावना हो कि ऐसे शेषों से संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ निकाय को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदण्ड पूरे नही होते हैं तो विनियामक विलंबित लेखा शेषों को विमान्य किया जाता है।

ङ) विनियामक विलंबित लेखा शेषों की प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर क्षति हेतु जांच की जाती है।

7.0 उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी मापन तिथि को बाजार प्रतिभागियों के मध्य एक व्यवस्थित लेन-देन में किसी परिसंपत्ति की बिक्री करने पर मिलेगा या किसी देयता के अंतरण पर अदा किया जाएगा। सामान्यतः प्रारंभिक मान्यता पर लेन-देन मूल्य उचित मूल्य का श्रेष्ठ उदाहरण होता है।

तथापि, जब समूह यह निर्धारित करता है कि लेन-देन मूल्य उचित मूल्य को प्रदर्शित नहीं करता, यह अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो परिस्थितियों में समुचित हों तथा जिसके लिए उचित मूल्य के मापन हेतु पर्याप्त डाटा उपलब्ध हो, जो संगत मापन योग्य आदानों के उपयोग को अधिकतम कर सके तथा मापन योग्य न होने वाले आदानों के उपयोग को न्यूनतम कर सके।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं जिसके लिए उचित मूल्य का मापन अथवा प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में किया गया है, उन्हें उचित मूल्य तंत्र के भीतर श्रेणीबद्ध किया गया है। यह श्रेणीकरण आदान के उस निम्नतम स्तर पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है-

- स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर-समायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तर आदान वह है जो उचित मूल्य मापन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखे जाने पर महत्वपूर्ण है।
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तर आदान जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है, मापा नही जा सकता।

वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं जिन्हें आवृत्ति आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की जाती है, उनके लिए समूह यह निर्धारित करता है कि क्या अंतरण प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण के पुनः आकलन द्वारा क्रम में स्तरों के मध्य उत्पन्न हुए हैं अथवा नहीं।

8.0 संयुक्त उद्यमों में निवेश

संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों में निवेश को लागत पर वहन किया जाता है।

9.0 संयुक्त उद्यमों में निवेश के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ-साथ नकदी, किसी अन्य निकाय की इक्विटी लिखत अथवा नकदी या अन्य कोई वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने की संविदात्मक बाध्यता अथवा वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता का आदान-प्रदान ऐसी स्थितियों के अंतर्गत् किया जाना शामिल होता है जो संभाव्य रूप से समूह के पक्ष में होती है। वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब ही मान्यता दी जाती है जब समूह लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाता है।

समूह की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकदी तथा नकदी तुल्य, बैंक शेष, कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों में निवेश, प्राप्य व्यापार, कर्मचारियों/संविदाकारों को अग्रिम, सुरक्षा जमा, प्राप्य दावे आदि शामिल होते हैं।

क) वर्गीकरण

समूह अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करता है -

- परिशोधित लागत पर,
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर, और

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है :

क) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु निकाय का व्यापार मॉडल और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताएं।

उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों हेतु लाभ तथा हानियां या तो लाभ एवं हानि के विवरण अथवा अन्य व्यापक आय में दर्ज की जाएंगी। ऋण लिखत में निवेश हेतु यह उस व्यापार मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश धारित है। इक्विटी लिखत में निवेश हेतु यह इस पर निर्भर करेगा कि क्या समूह ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश हेतु लेखे को प्रारंभिक मान्यता के समय कोई वापिस न लिया जा सकने वाला चयन किया है।

ख) प्रारंभिक मान्यता और मापन

प्राप्य व्यापार के सिवाय सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की जाती है, साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज न किए जाने के मामले में वित्तीय परिसंपत्ति की खरीद पर आरोप्य होने वाली लेन-देन लागत पर मान्यता दी जाती है।

समूह अपने लेन-देन मूल्य पर प्राप्य व्यापारों को मापता है, यदि प्राप्य व्यापारों ने कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं हो तो।

ग) **बाद का मापन**

परिशोधित लागत पर ऋण लिखत

किसी ''ऋण लिखत'' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों स्थितियां पूरी होती हों :

(i) परिसंपत्ति एक ऐसे व्यापार मॉडल के मध्य धारित है जिसका उददेश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के एकत्रीकरण हेतु परिसंपत्तियों को धारित करना है, और

(ii) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं जो केवल बकाया मूलधन पर मूलधन तथा ब्याज का भुगतान (एसपीपीआई) हो।

प्रारंभिक मापन के पश्चात, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता हो। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआरईआर परिशोधन को लाभ तथा हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षति से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर ऋण लिखत

किसी ''ऋण लिखत'' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित में से दोनों मानदण्ड पूरे होते हों :

(i) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के एकत्रीकरण तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों से प्राप्त होता हो, और

(ii) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई को प्रदर्शित करता हो।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत का मापन उनकी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्रदान की जाती है। तथापि, समूह ब्याज आय, क्षति हानियों, वापिसी और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता देता है। परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर ओसीआई में पहले मान्यता प्रदान किए गए संचित लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ तथा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को एफआईआर पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया जाता है।

इक्विटी निवेश

अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के अतिरिक्त निकायों में सभी इक्विटी निवेश को उचित मूल्य पर मापा जाता है। व्यापार हेतु धारित इक्विटी लिखत, यदि कोई हो, को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य भी इक्विटी लिखत हेतु, समूह उक्त को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत करता है। समूह लिखत-दर-लिखत आधार पर ऐसा चयन करता है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और इसे वापिस नहीं लिया जा सकता है।

इक्विटी लिखत में एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। लाभ एवं हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ तथा हानियों में आगे कोई पुनःवर्गीकरण नहीं होता है। तथापि, समूह इक्विटी के भीतर संचित लाभ या हानि को अंतरित कर सकता है। ऐसे निवेश से लाभांश को लाभ एवं हानि विवरण में अन्य आय के रूप में तब मान्यता प्रदान की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का समूह का अधिकार स्थापित हो जाता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी लिखत, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किए गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा गया हो।

घ) **विमान्य किया जाना**

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब विमान्य किया जाता है जब :

(i) समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के अपने अधिकार को अंतरित कर दिया है, अथवा

(ii) वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकारों को बनाए रखता है, परन्तु एक अथवा अधिक प्राप्तिकर्ताओं को नकदी प्रवाह के भुगतान की संविदात्मक बाध्यता ले लेता है।

जहां निकाय ने किसी परिंसपत्ति को अंतरित किया है, समूह यह मूल्यांकन करता है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अतरित कर दिया है या नहीं। ऐसे मामलों में वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है। जहां समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अंतरित नहीं किया है, वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य नहीं किया जाता है।

जहां समूह ने किसी वित्तीय परिंसपत्ति को न तो अंतरित किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अतरित किया है, समूह द्वारा वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण न रखे जाने पर उस वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है। जहां समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण रखा है, परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में सतत भागीदारी की सीमा तक मान्यता प्रदान किया जाना जारी रहता है।

ङ) **वित्तीय परिसंपत्तियो की क्षति**

इंड एएस 109 के अनुसार, समूह निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हानि के मापन तथा मान्यता हेतु प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करता है -

(i) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण लिखत हैं, और जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण लिखत हैं, और जिन्हें एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

(iii) भारतीय लेखांकन मानक 11, निर्माण संविदाएं के अंतर्गत संविदा परिसंपत्तियां

(iv) भारतीय लेखांकन मानक 17, पट्टे के अंतर्गत प्राप्य पट्टे

(v) भारतीय लेखांकन मानक 18, राजस्व के अंतर्गत प्राप्य व्यापार

समूह भारतीय लेखांकन मानक 11, भारतीय लेखांकन मानक 17 और भारतीय लेखांकन मानक 18 के स्कोप के भीतर होने वाले संव्यवहारों से परिणत होने वाली संविदा परिसंपत्तियों, प्राप्य पट्टों तथा प्राप्य व्यापारों के संबंध में क्षति हानि अनुमेय की मान्यता हेतु भारतीय लेखांकन मानक 109 ''वित्तीय लिखत'' के अंतर्गत अनुमेय ''सरलीकृत पद्धति'' का पालन करता है, जिसमें प्रत्याशित जीवनकाल हानियों को प्राप्य की प्रारंभिक मान्यता से माना जाना अपेक्षित है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबध में क्षति हानि की मान्यता हेतु समूह यह आकलन करता है कि क्या प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। यदि ऋण जोखिम में अधिक वृद्धि नहीं हुई है, तो 12 माह के ईसीएल का उपयोग क्षति हानि मुहैया करवाने के लिए किया जाता है। तथापि, यदि ऋण जोखिम में अत्यधिक वृद्धि हुई है तो जीवन पर्यन्त ईसीएल का उपयोग किया जाता है। ऋण जोखिम तथा क्षति हानि में वृद्धि के आकलन हेतु समूह लिखत-दर-लिखत आधार पर ऋण जोखिम विशेषताओं का आकलन करता है। बाद की अवधि में यदि लिखत की ऋण गुणवत्ता में ऐसा सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता दिए जाने से ऋण जोखिम में कोई अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है, तो निकाय 12 माह के ईसीएल के आधार पर क्षति हानि अनुमेय किए जाने को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु निकाय वापिस कार्रवाई करता है। अवधि हेतु प्रत्याशित ऋण हानि (या वापिसी) की राशि को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय/आय के रूप मे मान्यता प्रदान की जाती है।

10.0 माल-सूची

माल-सूची में मुख्यतः संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के रख-रखाव हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले भण्डार तथा कलपुर्जे शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत पर अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी), जो भी कम हो, किया जाता है। लागत का निर्धारण धारित लागत सूत्र का उपयोग करके किया जाता है और एनआरवी व्यापार के सामान्य चालन के दौरान अनुमानित बिक्री मूल्य, घटा बिक्री हेतु आवश्यक अनुमानित लागते है।

निवल वसूली योग्य मूल्य पर मालसूची को कम लिखे जाने और माल-सूची की सभी हानियों की राशि को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें ऐसा कम लिखा जाना या हानि उत्पन्न हुई हो। निवल वसूली योग्य मूल्य में वृद्धि से उत्पन्न होने वाली माल-सूची के कम लिखे गए मूल्य की वापिसी से उत्पन्न होने वाली किसी राशि को माल-सूची की राशि में से कमी के रूप में मान्यता देते हुए ऐसी वापिसी होने वाली अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

11.0 लाभांश

शेयरधारकों को अदा किए गए लाभांश तथा अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जब उन्हें क्रमशः समूह शेयरधारकों तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाए।

12.0 वित्तीय देयताएं

समूह की वित्तीय देयताएं किसी अन्य निकाय को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति देने अथवा समूह के लिए संभाव्य रूप से प्रतिकूल होने वाली शर्तों के अंतर्गत किसी अन्य निकाय के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के आदान-प्रदान की संविदात्मक बाध्यता है।

समूह की वित्तीय देयताओं में ऋण तथा उधार,व्यापार तथा अन्य देय शामिल हैं ।

क) वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता तथा मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा तथा लेन-देन लागतों पर ओं को उचित मूल्य घटा ऐसी संव्यवहार लागतों पर मान्यता दी जाती है जो सीधे आरोप्य हों तथा जिन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता हो। वित्तीय देयताओं को वर्गीकृत किया जाता है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। प्राप्तियों (संव्यवहार लागतों का निवल) और प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के मध्य किसी अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में अथवा किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में मान्यता प्रदान की जाती है यदि ऐसा अन्य कोई मानक इस प्रकार से ब्याज की प्रभावी दर का उपयोग करते हुए ऋणों की अवधि पर समावेशन की अनुमति देता हो।

ऋणों को वर्तमान देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि समूह के पास रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह हेतु दायित्व के निपटान को निलंबित करने का कोई बिना शर्त अधिकार न हो।

ख) बाद का मापन

प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, वित्तीय देयताओं को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ तथा हानियों को किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में लाभ तथा हानि क विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है, यदि कोई अन्य मानक ऐसे समावेशन की अनुमति देता हो, जब देयताओं को विमान्य किया जाता है और साथ ही साथ ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया चलाई जाती है।

परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआरईआर परिशोधन को लाभ तथा हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ग) विमान्य करना

किसी वित्तीय देयता को तब विमान्य किया जाता है जब देयता के अंतर्गत बाध्यता का निर्वाहन अथवा निरस्तीरण या समाप्ति होती है। जब किसी विद्यमान वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से व्यापक भिन्न शर्तों पर किसी अन्य से प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा विद्यमान देयता की शर्तें व्यापक रूप से संशोधित की जाती हैं, ऐसे किसी विनिमय या संशोधन को मूल देयता का विमान्यकरण तथा नई देयता को मान्यता प्रदान किया जाना माना जाता है। संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

घ) वित्तीय लिखत का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का समायोजन किया जाता है और निवल राशि को तुलन-पत्र में सूचित किया जाता है यदि मान्यता प्रदान की गई राशियों के निपटान हेतु वर्तमान में लागू किया जा सकने वाला कोई विधिक अधिकार हो तथा निवल आधार पर निपटान की कोई मंशा परिसपंत्तियों को वसूल करने तथा साथ ही साथ देयताओं के निपटान की हो।

13.0 सरकारी अनुदान

क) ब्याज की बाजार दर से कम पर प्राप्त होने वाले सरकारी ऋण के लाभों को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है। ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है तथा मापा जाता है तथा सरकारी अनुदान को ऋण की प्रारंभिक मान्यता प्राप्त राशि तथा प्राप्त की गई प्राप्तियों के मध्य अंतर के रूप में मापा जाता है। बाद में ऋण को वित्तीय देयताओं पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है और सरकारी अनुदान को प्रारंभ में विलंबित आय तथा बाद में परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर एक व्यवस्थित आधार पर लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) विद्युत स्टेशनों की परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सरकार से प्राप्त मौद्रिक अनुदानों को विलंबित आय के रूप में मान्यता दी जाती है और इन्हें संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाता है।

14.0 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह की किसी विगत गतिविधि के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान विधिक या रचनात्मक बाध्यता हो और यह संभाव्य हो कि आर्थिक लाभ निहित होने वाले संसाधनों का बाहिर प्रवाह बाध्यताओं के निपटान हेतु अपेक्षित होगा और बाध्यता की राशि से एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है। ऐसे प्रावधानों का निर्धारण तुलन-पत्र तिथि को बाध्यता के निपटान हेतु अपेक्षित राशि के प्रबंधन के अनुमान

के आधार पर किया जाता है। जब किसी तृतीय पक्ष से प्रावधान के निपटान हेतु अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभ वसूल किया जाना प्रत्याशित हो, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है यदि यह पूर्णतः निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति को प्राप्त किया जाएगा और प्राप्ति की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके। किसी प्रतिपूर्ति के निवल होने वाले प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में अथवा किसी अन्य मानक द्वारा ऐसे समावेशन की अनुमति होने पर परिसंपत्ति के वहन मूल्य में प्रस्तुत किया जाएगा।

ख) यदि राशि का समय मूल्य प्रभाव पूर्ण है, तो प्रावधानों का निर्धारण एक वर्तमान कर-पूर्व दर का उपयोग करते हुए प्रत्याशित भविष्य के नकदी प्रवाहों पर छूट देकर किया जाता है जो देयता के प्रति विशिष्ट होने वाले जोखिमों को प्रदर्शित करता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है तो समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

ग) आकस्मिक देयताएं ऐसी संभावित बाध्यताएं हैं जो पूर्व के किसी क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न होती हो और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नही है। जहां यह संभावना न हो कि आर्थिक लाभ का बाहिर प्रवाह अपेक्षित होगा, अथवा राशि का विश्वसनीयतापूर्ण ढंग से अनुमान न लगाया जा सके, बाध्यता को एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बाहिर प्रवाह की संभावना सुदूर हो। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

घ) आकस्मिक परिसंपत्तियां ऐसी संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पूर्व के किसी क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न होती हो और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नही है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में तब प्रकट किया जाता है जब आवधिक लाभों का अंतरवाह प्रबंधन के निर्णय के अनुसार संभाव्य है। उनका सतत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए आकलन किया जाता है कि इन घटना क्रमों को वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रदर्शित किया जाए।

15.0 राजस्व मान्यता और अन्य आय

क) राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिमों तथा पारितोषिक को क्रेता को अंतरित कर दिया गया हो, मूल्य की वसूली संभाव्य है, संबद्ध लागतों का विश्वसनीपूर्ण ढंग से अनुमान लगाया जा सकता है, कोई सतत प्रबंधन भागीदारी नहीं है और राजस्व की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है। विद्युत की बिक्री से राजस्व को प्राप्त या प्राप्य मूल्य के उचित माप पर मापा जाता है।

ख) विद्युत की बिक्री से राजस्व (सिवाय इन विद्युत स्टेशनों के जिन्हें वित्त/प्रचालन पट्टा माना गया है) को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार लेखांकित किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशनों के मामले में जहा टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को समूह द्वारा उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए पैरामीटरो तथ पद्धति के आधार पर निकाली गई अनंतिम दरों पर मान्यता दी जाती है। उपभोक्ताओं को आवधिक तथा नियमित आधार पर बिल दिया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को विद्युत की बिक्री से राजस्व में उपभोक्ताओं को डिलीवर की गई किन्तु अभी बिल न भेजी गई बिक्री (बिल न किया गया राजस्व) हेतु एक प्रोदभवन शामिल होता है। लाभग्राहियों को जल्द भुगतान किए जाने के प्रोत्साहन के रूप में दी गई छूट की राजस्व की मात्रा में से कटौती की जाती है। विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा अंतर से धन वापिसी/प्रतिदाय और आयकर के प्रति प्राप्ति को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

ग) 31 मार्च, 2009 तक मान्यता प्रदान की गई विलंबित कर मदों के प्रति वसूली को वसूल किए जाने पर मूर्तरूप दिया जाता है।

घ) प्रोत्साहन/वि-प्रोत्साहन को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमन के अनुसार मान्यता प्रदान की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशनों के मामले में जहां टैरिफ अधिसूचित नहीं किए गए हैं, प्रोत्साहन/वि-प्रोत्साहन को उक्त की स्वीकृति की संभावना के आकलन पर अनंतिम रूप से मान्यता प्रदान की जाती है।

ङ) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न होने वाले समायोजन, यद्यपि भौतिक न हो, उन्हें संबंधित अंतिम रूप दिए जाने के वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

च) 31 मार्च, 2009 तक विलंबित आय के रूप में माने गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी) को बिक्री में सीधी रेखा आधार पर परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 12 वर्ष की अवधि के पश्चात समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च, के बाद शेष उपयोगी जीवनकाल पर शामिल किया गया है, इसमें परियोजना के उपयोगी जीवनकाल को 35 वर्ष माना गया है।

छ) परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्य के संबंध में राजस्व को पूर्णता पद्धति के प्रतिशत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। पूर्णता के प्रतिशत का निर्धारण ''रिपोर्टिंग तिथि तक वहन की गई लागत'' के ''संबंधित परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं तथा परामर्शी कार्य को पूरा करने के लिए अनुमानित लागत'' के साथ अनुपात के रूप में निर्धारित की जाती है।

ज) लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब उक्त को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।

झ) उपभोक्ताओं से प्राप्य ब्याज/अधिभार तथा संविदाकारों को अग्रिम पर परिसमाप्त क्षतियां/ब्याज को तब मान्यता दी जाती है जब मापन तथा एकत्रीकरण के संबंध में कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद न हो।

ञ) परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए सभी ऋण लिखत हेतु ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो अनुमानित भविष्य के नकदी भुगतान या प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवनकाल के प्रति वित्तीय परिसंपत्ति के सकल वहन मूल्य को सटीक रूप से छूट देता है। प्रभावी ब्याज दर की गणना किए जाने के समय, समूह वित्तीय लिखत की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए पूर्व भुगतान, विस्तार, आमंत्रण तथा ऐसे अन्य विकल्प) पर विचार करते हुए प्रत्याशित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाता है पर प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को नहीं लेता । ब्याज आय को लाभ एवं हानि विवरण में अन्य आय में शामिल किया जाता है।

16.0 कर्मचारी लाभ

i) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ बाध्यताओं का मापन एक छूट रहित आधार पर किया जाता है और इनका व्यय या किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में तब शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक ऐसे समावेशन को अनुमेय करे क्योंकि संबंधित सेवा मुहैया करवाई जाती है।

अल्पावधि निष्पादन से संबंधित नकदी बोनस के अंतर्गत अदा किए जाने हेतु प्रत्याशित राशि के दायित्व को तब माना जाता है यदि समूह की कर्मचारी द्वारा पूर्व में प्रदान की गई सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने की वर्तमान में कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता हो और बाध्यता का अनुमान विश्वसनीय ढंग से लगाया जा सके।

ii) **निर्धारित अंशदान योजनाएं**

कोई निर्धारित अंशदान योजना एक ऐसी रोजगार पश्च लाभ योजना है जिसके अंतर्गत कोई निकाय पृथक न्यासों में निर्धारित अंशदान का भुगतान करता है और उसकी आगे राशियों के भुगतान हेतु कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता नहीं होती। निर्धारित अशंदान योजनाओं को अंशदानों हेतु देयताओं को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति के वहन मूल्य में शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान ऐसे समावेशन को अनुमेय करता हो तो। किसी निर्धारित अशंदान योजना को अंशदान जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के अंत के पश्चात 12 माह से अधिक के लिए देय हैं, उन्हें छूट देकर उनके वर्तमान मूल्य पर लाया जाता है।

पेंशन लाभ तथा सामाजिक सुरक्षा योजना को अंशदान मुहैया करवाने के लिए कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस) को निर्धारित अंशदान योजना के रूप में लेखांकित किया जाता है।

iii) **निर्धारित लाभ योजनाएं**

निर्धारित लाभ योजना किसी निर्धारित अंशदान योजना के अतिरिक्त कोई रोजगार पश्च लाभ योजना है। समूह की उपदान योजना, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस), भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और कर्मचारियों की अधिवर्षिता पर स्मृति चिन्ह निर्धारित लाभ योजनाओं की प्रकृति के हैं।

उपदान, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना और भविष्य निधि योजना के संबंध में तुलन-पत्र में मान्यता प्रदान की गई देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य घटा योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य है।

निर्धारित लाभ बाध्यता की गणना वार्षिक रूप से बीमांकक द्वारा प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है।

निर्धारित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संबंधित बाध्यता के संबंध में निकट आ रही अवधियों के लिए लगभग समान अवधि वाले सरकारी बॉण्ड के बाजार मूल्यों के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बाहिर प्रवाहों को छूट देकर किया जाता है।

निवल ब्याज लागत की गणना निर्धारित लाभ बाध्यता के निवल शेष और योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लगाकर की जाती है। इस लागत को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल किया जाता है अथवा किसी अन्य मानक के ऐसे समावेशन को अनुमेय करने पर किसी परिसंपत्ति के वहन मूल्य में शामिल किया जाता है।

अनुभव समायोजन तथा बीमांकित मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापन लाभ तथा हानियों को उनके घटित होने वाली अवधि में सीधे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में तथा तुलन-पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है।

iv) **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ**

समूह अवकाश नकदीकरण योजना के अंतर्गत लाभमें अन्य दीर्घावधिक कर्मचारी लाभ शामिल होते हैं।

दीर्घावधिक कर्मचारी लाभों के संबंध में समूह की निवल बाध्यता भविष्य के लाभों की वह राशि है जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान तथा पूर्व की अवधि में अपनी सेवा के एवज में अर्जित किया है। लाभ को इसका वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और किसी संबंधित परिसंपत्ति के उचित मूल्य की कटौती की जाती है। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों के विद्यमान बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है जिनकी परिपक्वता तिथि समूह की बाध्यता की अवधि के निकट होती हैं। गणना प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है। योजना और बीमांकित लाभों या हानियों में अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक उनके उत्पन्न होने की अवधि में ऐसे समावेश को अनुमेय करते हों।

v) **सेवांत लाभ**

अनुग्रह राशि भुगतान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं में नोटिस वेतन के रूप में सीमांत लाभों पर किए गए व्यय को ऐसे व्यय को किए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया जाता है।

17.0 ऋण लागतें

अर्हक मूर्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन पर सीधे आरोप्य होने वाली ऋण लागतें जो आवश्यक रूप से अपने वांचित उपयोग या बिक्री हेतु एक महत्वपूर्ण समयावधि में तैयार होती हैं, उन्हें परिसंपत्ति की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी ऋण लागतों का व्यय उनके उत्पन्न होने की अवधि में किया जाता है। ऋण लागत में ब्याज तथा अन्य लागतें शामिल होती हैं जिन्हें कोई निकाय निधियों के ऋण के संबंध में व्यय करता है। ऋण लागत में ऋण लागतों के समायोजन के तौर पर मानी गई सीमा तक विनिमय अंतर शामिल होते हैं।

ऋण लागतों का पूंजीकरण तब समाप्त हो जाता है जब अर्हक मूर्त परिसंपत्तियों को उनके वांछित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए आवश्यक होने वाले सभी क्रियाकलाप व्यापक रूप से पूरे हो जाते हैं।

18.0 मूल्यह्रास तथा परिशोधन

क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई) से वर्ष के दौरान वर्धन/कटौतियों पर मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर उस तिथि से/तक के लिए प्रभारित किया जाता है जिसको परिसंपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध थी।

ख) समूह की प्रचालन यूनिटों की संपत्ति/संयंत्र तथा उपकरण पर मूल्यह्रास सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु अधिसूचित दरों तथा पद्धति का पालन करते हुए सीधी रेखा पद्धति पर लाभ तथा हानि के विवरण को प्रभारित किया जाता है सिवाय निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी और कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरणों हेतु।

ग) (i) समूह की प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (सिवाय पुराने तथा प्रयुक्त के) पर मूल्यह्रास लागत के 90 प्रतिशत की सीमा से सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु अधिसूचित दरो को अपनाते हुए प्रभारित किया जाता है सिवाय निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी और कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरणों हेतु।

(ii) प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त, पीपीई के पुरानी तथा प्रयुक्त वस्तुओं पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक सीधी रेखा पद्धति पर परिसंपत्ति के तकनीकी आकलन के आधार पर निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर किया जाता है।

घ) पीपीई की निम्नलिखित मदों के संबंध में मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-2 में दिए गए जीवन तथा अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है :

(i) निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी

(ii) कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरण

ङ) अस्थायी संस्थापन को एक रूपया डब्ल्यूडीवी के रूप में रखते हुए खरीद/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित (100 प्रतिशत) किया जाता है।

च) 5,000/- रूपये या उससे कम परन्तु 750/- रूपये से अधिक की होने वाली मूर्त परिसंपत्तियों को 1/- रूपये डब्ल्यूडीवी के साथ उपयोग हेतु उपलब्ध कराए गए वर्ष के दौरान पूर्णतःमूल्यह्रासित किया जाता है।

छ) निम्न मूल्य वाली मदें जो परिसंपत्ति की प्रकृति की होती हैं (अचल परिसंपत्तियों के अतिरिक्त) और जिनका मूल्य 750/-रूपये तक होता है, उन्हें पूंजीकृत नहीं किया जाता और उपयोग के वर्ष में राजस्व को प्रभारित किया जाता है।

ज) प्रचालन यूनिटों के मामले में पट्टाधारी भूमि को पट्टे की अवधि अथवा 35 वर्ष, जो भी कम हो, में सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के माध्यम से अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों को अपनाते हुए परिशोधित किया जाता है।

झ) प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त अन्य यूनिटों के मामले में पट्टाधारी भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

ञ) पट्टाधारी भूमि पर सृजित मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास उपयोग हेतु ऐसी परिसंपत्ति के उपलब्ध रहने की तिथि से संबंधित भूमि की शेष उपलब्ध पट्टा अवधि की मूल लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक अथवा ऐसा ऐसी परिसंपत्तियों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमनों द्वारा अधिसूचित लागू मूल्यह्रास दरों तथा पद्धति, जो भी अधिक हो, पर किया जाता है।

ट) भूमि - उपयोग के अधिकार का परिशोधन टैरिफ निर्धारण हेतु अधिसूचित सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 30 वर्ष की अवधि पर किया जाता है।

ठ) ''अमूर्त परिसंपत्तियों'' के रूप में मान्यता प्रदान की गई सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति पर उपयोग के विधिक अधिकार की अवधि या 3 वित्तीय वर्ष, जो भी पहले हो, पर इसके अधिग्रहण के वर्ष से प्रारंभ करके किया जाता है।

ड) जहां विनिमय बदलाव, मूल्य समायोजन, माध्यस्थम/अदालती मामलों के निपटान, शुल्कों में परिवर्तन या समान कारकों से वर्ष के दौरान दीर्घावधि देयताओं में वृद्धि/कमी के कारण मूल्यह्रास वाली परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई परिवर्तन हुआ है, वहां ऐसी परिसपंतियों के अपरिशोधित शेष का मूल्यह्रास संदर्शी तौर पर ऐसी परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल में सीईआरसी टैरिफ विनियमनों द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दर तथा पद्धतियों पर किया जाएगा।

ढ) जहां किसी परिसंपत्ति का जीवनकाल/दक्षता में नवीकरण या आधुनिकीकरण के कारण वृद्धि होती है, उस पर किए गए व्यय को इसकी अपरिशोधित मूल्यह्रासित राशि के साथ संदर्शी रूप से तकनीकी आकलन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवनकाल पर प्रभारित किया जाता है।

ण) संयंत्र तथा मशीनरी के साथ या बाद में खरीद किए गए कलपुर्जे जिन्हें पूंजीकृत किया जाता है तथा ऐसी मद की वहन राशि में जोड़ा जाता है, उनका मूल्यह्रास संबंधित संयंत्र तथा मशीनरी के शेष उपयोगी जीवनकाल में सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों पर किया जाता है।

19.0 माल-सूची के अतिरिक्त गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

क. समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसका आलकन करता है कि क्या इसका कोई संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है, अथवा जब किसी परिसंपत्ति हेतु वार्षिक क्षति परीक्षण अपेक्षित होता है, समूह परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पादन यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य घटा निपटान की लागतें तथा उपयोग में इसके मूल्य से अधिक होगी। वसूली योग्य राशि का निर्धारण एक पृथक परिसंपत्त हेतु किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति से ऐसे नकदी प्रवाह न उत्पन्न हों जो मुख्यतः समूह की अन्य परिसंपत्तियों से व्यापक रूप से स्वतंत्र है। जब किसी परिसंत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उससे उसकी वसूली योग्य राशि तक पश्चलेखित किया जाता है। परिणामी क्षति हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख. उपयोग में मूल्य के आकलन हेतु अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाहों को छूट देकर एक कर पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य तक लाया जाता है जो राशि के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलनों और परिसंपत्ति के विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करता है। निपटान की लागत घटा उचित मूल्य के निर्धारण में हाल के बाजार संव्यवहारों पर ध्यान दिया जाता है। यदि ऐसे किसी संव्यवहार की पहचान न की जा सके, तो एक उचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से व्यापार किए जाने वाली कंपनियों के उद्धृत शेयर मूल्य अथवा अन्य उपलब्ध उचित मूल्य सूचकांकों से पुष्ट किया जाता है।

ग. परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच पर व्यय के मामले में यदि ऐसी किसी परियोजना को सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के अंतर्गत परित्याग करने का निर्णय लिया जाता है ता उस पर किए गए व्यय को निर्णय लिए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया जाता है।

घ. सर्वेक्षण तथा जांच के अंतर्गत होने वाली कोई परियोजना समुचित प्राधिकारी के आदेश/अदालती आदेश की निषेधाज्ञा के चलते स्थगित रहे पर ऐसी परियोजनाओं पर आदेश/अदालत की निषेधाज्ञा की तिथि से किए गए किसी भी व्यय को ऐसे आदेश की तिथि से ऐसे आदेश/निषेधाज्ञा द्वारा परियोजना को स्थगित रखे जाने की अवधि तक लेखाबहियों में मुहैया करवाया जाएगा। तथापि, इस प्रकार किए गए प्रावधान को उक्त आदेश/निषेधाज्ञा के वापिस लिए जाने तक प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

ङ. पूर्व की अवधियों में मान्यता दी गई क्षति हानियों का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ऐसे किसी संकेत हेतु किया जाएगा कि हानि कम हो गई है अथवा अब मौजूद नहीं है। यदि वसूली योग्य राशि के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ हो क्षति हानि को वापिस किया जाता है। किसी क्षति हानि को केवल उस सीमा तक वापिस किया जाता है कि परिसंपत्तियों की वहन राशि ऐसी वहन राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसे मूल्यह्रास या परिशोधन के निवल पर किसी क्षति हानि को मान्यता न दिए जाने को दर्ज किया जाता।

20.0 आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान तथा विलंबित कर शामिल होते हैं। कर को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है सिवाय उस सीमा के जहां तक यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्रदान की गई मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में कर को भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

क) वर्तमान कर

1) वर्तमान कर रिपोर्टिंग तिथि को लागू होने वाले कर नियमों के आधार पर वर्ष हेतु कर योग्य आय पर देय प्रत्याशित कर तथा पिछले वर्षों में देय कर को करों के प्रति अन्य कोई समायोजन है। कर योग्य लाभ, एवं हानि के विवरण में यथासूचित लाभ से भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें आय या व्यय की वे मदें शामिल नहीं होती अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य है और आगे इसमें वे मदें भी शामिल नहीं होती जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं है (स्थायी अंतर)।

2) लाभांश के वितरण से उत्पन्न अतिरिक्त आयकर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब संबंधित लाभांश के भुगतान के दायित्व को माना जाता है।

ख) विलंबित कर

i) विलंबित कर को समूह के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहन राशि के मध्य अस्थायी अंतर के रूप में मान्यता दी जाती है और कर योग्य लाभ की गणना में तदनुरूपी कर आधार का प्रयोग किया जाता है और तुलन-पत्र पद्धति का उपयोग करके लेखांकित किया जाता है। विलंबित

कर देयताओं को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों, के रूप में मान्यता दी जाती है और विलंबित कर परिसंपत्तियों को सामान्यत: सभी कटौती-योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिट हेतु इस सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है कि यह संभव है कि भविष्य के कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य और अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों के प्रति उपलब्ध होंगे और अप्रयुक्त कर ऋणों का उपयोग किया जाएगा। ऐसी परिसंपत्तियों तथा देयताओं को तब मान्यता नहीं दी जाती है यदि किसी संव्यवहार में किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता (किसी व्यापार संयोजन के अतिरिक्त) से अस्थायी अंतर उत्पन्न होते हों जो संव्यवहार के समय न तो कर योग्य लाभ एवं हानि और न ही लेखांकन लाभ या हानि को प्रभावित करते हो।

ii) विलंबित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक तुल-पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है और उसे इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नही है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके प्रति अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।

iii) विलंबित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को ऐसी कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू किए जाने की प्रत्याशा हो जिसमें देयता का निपटान या परिसंपत्ति की वसूली की जाएगी, यह तुलन-पत्र तिथि द्वारा अधिनिगमित या व्यापक रूप से बनाई गई कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होगा। विलंबित कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों का मापन ऐसे कर परिणामों को दर्शाता है जो समूह की प्रत्याशा वाले तरीके से रिपोर्टिंग तिथि को इसकी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहन राशि की वसूली या निपटान करेंगे।

iv) विलंबित कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है सिवाय उस सीमा के जहां यह अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में इसे अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

v) विलंबित आयकर परिसंपत्तियों तथा देयताओं का निपटान वहां किया जाता है जहां वर्तमान कर परिसंपत्तियों का वर्तमान कर देयताओं से निपटान का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब विलंबित आयकर परिसपत्तियां तथा देयताएं समान कराधान प्राधिकरण द्वारा या तो किसी एक करयोग्य निकाय अथवा विभिन्न करयोग्य निकायों पर लगाए गए आयकर से संबंधित हो तथा जहां निवल आधार पर शेषों के निपटान की मंशा हो।

vi) समायोजन लेखे से विलंबित कर वसूली को वर्तमान अवधि हेतु विलंबित कर की सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाएगा जो आगे की अवधियों में वर्तमान कर का हिस्सा होता हो तथा टैरिफ के एक घटक इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) की गणना को प्रभावित करता हो।

21.0 तृतीय पक्षों से मुआवजा

मदों की क्षति या हानि, बीमा कंपनियों सहित तृतीय पक्षों से मुआवजे के भुगतान हेतु संबंधित दावे और परिसंपत्तियों/माल-सूची की बाद की कोई खरीद या निर्माण पृथक आर्थिक घटनाएं हैं और इन्हें पृथक रूप से लेखांकित किया जाता है।

बीमा कंपनियों सहित तृतीय पक्षों से संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मदों और क्षतिग्रस्त, गुम या छोड़ी गई अन्य मदों हेतु मुआवजे को मुआवजा प्राप्य होने पर लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। लाभ की हानि हेतु बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

22.0 खंड रिपोर्टिंग

क) भारतीय लेखांकन मानक 108-प्रचालन खंड के अनुसार खंड सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए गए प्रचालन खंडों की पहचान समूह के प्रबंधन द्वारा आंतरिक रिपोर्टों के उपयोग के आधार पर खंडों को संसाधन के आवंटन तथा उनके निष्पादन हेतु चिन्हित करने के लिए की जाती है। निदेशक मंडल सामुहिक रूप से भारतीय लेखांकन मानक 108 के अर्थ के भीतर समूह का ''मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता'' अथवा ''सीआडीएम'' है।

ख) विद्युत उत्पादन समूह का प्रधान व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन यथा संविदाएं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य इंड एएस-108 ''प्रचालन खंडों'' के अनुसार सूचना योग्य खंड नहीं होते हैं।

ग) समूह का एक एकल भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी विद्युत स्टेशन देश के भीतर अवस्थित हैं।

23.0 पट्टे

क) समूह पट्टाधारक के रूप में :

i. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (मुख्यत: एकमुश्त प्रारंभिक भुगतान के माध्यम से अधिगृहीत की गई भूमि) के पट्टे जहां समूह पट्टाधारक है, तथा जिसमें स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा परितोषिक को व्यापक रूप से कवर किया गया है, उन्हें वित्त पट्टों के रूप में जाना जाता है। ऐसे वित्त पट्टे सामान्यत: पट्टे की संपत्ति के उचित मूल्य पर पट्टे के प्रारंभ में पूंजीकृत किए जाते हैं जो संव्यवहार मूल्य अर्थात एकमुश्त भुगतान के समान होता है।

ii. पट्टे जिसमें जोखिम तथा पारितोषिक के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पट्टाधारक के रूप में समूह को अंतरित नहीं किया जाता वह प्रचालन पट्टा है। प्रचालन पट्टों के अंतर्गत किए गए भुगतान को पट्टे की अवधि में लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया जाता है।

ख) समूह पट्टादाता के रूप में

किसी एकल लाभग्राही के साथ निहित पट्टे की प्रकृति वाले विद्युत आपूर्ति समझौते (पीपीए) जहां न्यूनतम पट्टा अवधि संयंत्र के आर्थिक जीवनकाल के एक प्रमुख हिस्से हेतु होती है और न्यूनतम पट्टा भुगतान राशियां संयंत्र के समूचे उचित मूल्य को व्यापक ढंग से कवर करती हैं, उन्हें वित्त पट्टा माना जाता है। अन्य निहित पट्टों को प्रचालन पट्टे माना जाता है।

i. वित्त पट्टे की प्रकृति वाले निहित पट्टों हेतु संयंत्र में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। न्यूनतम पट्टा भुगतान की पहचान शेष संविदा राशियों से निहित पट्टा भुगतानों को अलग करके की जाती है जिसमें सीईआरसी टैरिफ विनियमों 2004-09 के अनुसार मान्यता प्रदान किए गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी) सहित शेष संविदा राशियां शामिल है और इन्हें विलंबित आय माना गया है। प्रत्येक पट्टा प्राप्ति को प्राप्य तथा वित्तीय पट्टे के मध्य आवंटित किया जाता है ताकि बकाया प्राप्य पट्टे पर एक स्थिर दर को प्राप्त किया जा सके।

ii. प्रचालन पट्टों या निहित प्रचालन पट्टों के मामले में प्रचालन पट्टे से पट्टा आय को राजस्व में पट्टा अवधि पर पट्टे वाली परिसंपत्ति से प्राप्त उपयोग लाभ के पैटर्न को दर्शाने के लिए मान्यता प्रदान की गई है। संबंधित पट्टे वाली परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन-पत्र में शामिल किया जाता है तथा उनके आर्थिक जीवनकाल पर इनका मूल्यह्रास किया जाता है।

24.0 नकदी प्रवाह का विवरण

क) नकदी और नकदी-तुल्य

नकदी प्रवाहों के विवरण में प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन हेतु नकदी तथा नकदी-तुल्यों में हस्तगत नकदी, वित्तीय संस्थानों के साथ आमंत्रण पर धारित जमा, अन्य अल्पावधि अत्यधिक नकदी निवेश जिनकी मूल परिपक्वता 3 माह या उससे कम की हैं जो नकदी की ज्ञात राशियों में तत्काल परिवर्तनशील हैं

तथा जो मूल्य में परिवर्तन के कम महत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं तथा बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल है। तथापि, तुलन-पत्र प्रस्तुतीकरण हेतु बैंक ओवरड्राफ्ट को वर्तमान देयताओं के अंतर्गत ऋण में दर्शाया गया है।

ख) नकदी प्रवाह के विवरण को इंड एएस 7 ''नकदी प्रवाहों के विवरण'' में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है।

25.0 वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

समूह तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों तथा देयताओं को वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करता है।

क) कोई परिसंपत्ति तब वर्तमान है जब यह :

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्त किए जाने या बिक्री अथवा उपभोग किए जाने की मंशा प्रत्याशित है
- मुख्यत: व्यापार के प्रयोजन हेतु धारित है
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा है, अथवा
- नकदी या नकदी तुल्य जब तक कि विनिमय किए जाने से प्रतिबंधित न हो अथवा रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह पश्चात किसी दायित्व के निपटान के लिए इन्हें लिया गया हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ख) किसी देयता को तब वर्तमान माना जाता है जब वह :

- सामान्य प्रचालन चक्र में निपटान हेतु प्रत्याशित है
- इसे मुख्यत: व्यापार के प्रयोजन हेतु धारित किया गया है
- यह रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर निपटाए जाने हेतु देय है, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह हेतु देयता के निपटान को विलंबित करने का एक बिना शर्त अधिकार है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ग) विलंबित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को गैर वर्तमान परिसंपत्तियों तथा देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

26.0 विविध

क) समान मदों की प्रत्येक भौतिक श्रेणी को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति या कार्यवाही मदों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गैर-भौतिक न हो।

ख) मार्गस्थ वस्तुओं/निष्पादित पूंजीगत कार्यों किन्तु प्रमाणित नहीं के लिए देयताओं का प्रावधान समूह द्वारा निरीक्षण तथा स्वीकृति लम्बित होने पर नहीं किया जाता है।

(IV) हाल की लेखांकन घोषणाएं

(क) मानक जारी किंतु अभी प्रभावी नहीं

मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, 2017 जारी करके भारतीय लेखांकन मानक 7 ''नकदी प्रवाह का विवरण'' में संशोधनों को अधिसूचित किया था। ये संशोधन अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 ''नकदी प्रवाह के विवरण'' में किए गए हाल के संशोधनों के अनुरूप हैं । ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से समूह पर लागू होते हैं।

(ख) इंड एएस 7 में संशोधन :

भारतीय लेखांकन मानक 7 में संशोधन एक अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू करता है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्त-पोषण क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाली देयताओं में परिवर्तन के मूल्यांकन को समर्थ बनाएगा, जिसमें नकदी प्रवाह तथा गैर-नकदी परिवर्तन दोनों से उत्पन्न परिवर्तन शामिल हैं, और यह प्रकटीकरण आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्त-पोषण क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाली देयताओं हेतु तुलन-पत्र में प्रारंभिक तथा अंतिम शेष के मध्य एक मिलान शामिल किए जाने को सुझाता है।

समूह इस संशोधन की आवश्यकताओं और वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव का मूल्यांकन कर रहा है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता	**महेश कुमार मित्तल**	**के.एम. सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 02889021	डीआईएन : 02223301

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी	**कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045	फर्म पंजीकरण सं. 001728एन	फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(एस. के. खट्टर)	**(वासु गुप्ता)**	**(बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 084993	सदस्यता सं. 537545	सदस्यता सं. 51028

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30 मई, 2017

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(करोड़ रूपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2016 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2017 को	01.04.2016 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2017 को	31.03.2017 को	31.03.2016 को
भूमि-फ्रीहोल्ड	288.54	21.31	-	(1.81)	308.04	-	-	-	-	308.04	288.54
भूमि-लीजहोल्ड	318.25	8.93	-	-	327.18	11.58	11.80	-	23.38	303.80	306.67
सड़कें और पुल	203.82	9.98	-	(0.15)	213.65	7.26	10.38	(0.20)	17.44	196.21	196.56
भवन	1,946.10	43.02	1.02	1.30	1,989.40	85.29	90.69	(2.73)	173.25	1,816.15	1,860.81
रेलवे साइडिंग्स	15.95	0.63	-	-	16.58	2.44	2.48	-	4.92	11.66	13.51
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	12,815.93	102.22	0.72	(11.13)	12,906.30	833.84	836.09	(2.69)	1,667.24	11,239.06	11,982.09
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	6,167.95	682.24	7.23	19.90	6,862.86	410.99	427.11	(1.01)	837.09	6,025.77	5,756.96
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	41.59	4.85	0.02	2.76	49.18	3.16	3.08	(0.06)	6.18	43.00	38.43
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	40.85	22.37	0.01	2.00	65.21	3.59	4.24	-	7.83	57.38	37.26
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	31.53	1.06	0.01	(0.36)	32.22	2.70	2.94	0.03	5.67	26.55	28.83
निर्माण उपकरण	41.23	7.38	0.34	-	48.27	5.25	5.24	(0.04)	10.45	37.82	35.98
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	36.72	5.79	0.01	(0.01)	42.49	2.07	2.54	(0.06)	4.55	37.94	34.65
विद्युतीय संस्थापनाएं	2.14	0.10	0.01	-	2.23	0.12	0.18	(0.01)	0.29	1.94	2.02
वाहन	14.71	6.87	0.31	(0.10)	21.17	1.35	2.40	(0.19)	3.56	17.61	13.36
विमान / नौकाएं	0.66	0.13	-	-	0.79	0.06	0.11	(0.01)	0.16	0.63	0.60
फर्नीचर और फिक्सचर	25.91	5.22	0.24	(0.02)	30.87	2.07	2.79	(0.05)	4.81	26.06	23.84
कम्प्यूटर	21.31	6.66	0.44	(0.02)	27.51	5.10	6.56	(0.11)	11.55	15.96	16.21
संचार उपकरण	9.19	1.43	0.44	(0.02)	10.16	0.87	1.20	(0.15)	1.92	8.24	8.32
कार्यालय उपकरण	25.83	6.38	0.35	0.17	32.03	2.50	2.95	(0.30)	5.15	26.88	23.33
अनुसंधान और विकास	0.77	-	0.04	-	0.73	0.09	0.08	-	0.17	0.56	0.68
अन्य आस्तियां	34.49	9.83	0.39	0.02	43.95	2.95	4.03	(0.20)	6.78	37.17	31.54
गौण मूल्य की अचल आस्तियां **>750** और **<5000** रूपये।	0.72	1.66	0.03	(0.01)	2.34	0.71	1.66	(0.04)	2.33	0.01	0.01
कुल	**22,084.19**	**948.06**	**11.61**	**12.52**	**23,033.16**	**1,383.99**	**1,418.55**	**(7.82)**	**2,794.72**	**20,238.44**	**20,700.20**
गत वर्ष 31.03.2016	**20,478.29**	**1,623.51**	**33.35**	**15.74**	**22,084.19**	**-**	**1,391.72**	**(7.73)**	**1,383.99**	**20,700.20**	**20,478.29**

टिप्पणी : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध- I में मुहैया करवाए गए अनुसार है। अन्य विवरणात्मक टिप्पणियों हेतु इन्हें टिप्पणी 2.1 के अनुबंध- I में बताया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध-I संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(करोड़ रूपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2016 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2017 को	01.04.2016 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2017 को	31.03.2017 को	31.03.2016 को
भूमि-फ्रीहोल्ड	288.54	21.31	-	(1.81)	308.04	-	-	-	-	308.04	288.54
भूमि-लीजहोल्ड	361.59	8.93	-	-	370.52	54.92	11.80	-	66.72	303.80	306.67
सड़कें और पुल	301.12	9.98	-	(0.15)	310.95	104.56	10.38	(0.20)	114.74	196.21	196.56
भवन	2,689.77	43.02	1.26	1.30	2,732.83	828.96	90.69	(2.97)	916.68	1,816.15	1,860.81
रेलवे साइडिंग्स	35.50	0.63	-	-	36.13	21.99	2.48	-	24.47	11.66	13.51
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	18,766.97	102.22	0.88	(11.13)	18,857.18	6,784.88	836.09	(2.85)	7,618.12	11,239.06	11,982.09
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	9,156.27	682.24	9.56	19.90	9,848.85	3,399.31	427.11	(3.34)	3,823.08	6,025.77	5,756.96
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	93.41	4.85	0.14	2.76	100.88	54.98	3.08	(0.18)	57.88	43.00	38.43
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	68.29	22.37	0.04	2.00	92.62	31.03	4.24	(0.03)	35.24	57.38	37.26
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	48.58	1.06	0.07	(0.36)	49.21	19.75	2.94	(0.03)	22.66	26.55	28.83
निर्माण उपकरण	107.16	7.38	3.40	-	111.14	71.18	5.24	(3.10)	73.32	37.82	35.98
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	46.69	5.79	0.01	(0.01)	52.46	12.04	2.54	(0.06)	14.52	37.94	34.65
विद्युतीय संस्थापनाएं	3.46	0.10	0.01	-	3.55	1.44	0.18	(0.01)	1.61	1.94	2.02
वाहन	29.51	6.87	1.39	(0.10)	34.89	16.15	2.40	(1.27)	17.28	17.61	13.36
विमान / नौकाएं	0.94	0.13	0.02	-	1.05	0.34	0.11	(0.03)	0.42	0.63	0.60
फर्नीचर और फिक्सचर	51.96	5.22	0.61	(0.02)	56.55	28.12	2.79	(0.42)	30.49	26.06	23.84
कम्प्यूटर	66.15	6.66	6.78	(0.02)	66.01	49.94	6.56	(6.45)	50.05	15.96	16.21
संचार उपकरण	16.35	1.43	0.85	(0.02)	16.91	8.03	1.20	(0.56)	8.67	8.24	8.32
कार्यालय उपकरण	47.12	6.38	0.91	0.17	52.76	23.79	2.95	(0.86)	25.88	26.88	23.33
अनुसंधान और विकास	1.41	-	0.06	-	1.35	0.73	0.08	(0.02)	0.79	0.56	0.68
अन्य आस्तियां	59.41	9.83	0.82	0.02	68.44	27.87	4.03	(0.63)	31.27	37.17	31.54
गौण मूल्य की अचल आस्तियां **>750** और **<5000** रूपये।	17.27	1.66	0.72	(0.01)	18.20	17.26	1.66	(0.73)	18.19	0.01	0.01
कुल	**32,257.47**	**948.06**	**27.53**	**12.52**	**33,190.52**	**11,557.27**	**1,418.55**	**(23.74)**	**12,952.08**	**20,238.44**	**20,700.20**
गत वर्ष	**30,669.50**	**1,623.51**	**51.28**	**15.74**	**32,257.47**	**10,191.21**	**1,391.72**	**(25.66)**	**11,557.27**	**20,700.20**	**20,478.29**

विवरणात्मक टिप्पणी :-

1) 9.96 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 13.37 करोड़ रूपए) मूल्य की 158.31 हैक्टेयर फ्रीहोल्ड भूमि (पिछले वर्ष 155.69 हैक्टेयर) और 310.14 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 297.34 करोड़ रुपये) मूल्य की 627.25 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 766.20 हेक्टेयर) लीजहोल्ड भूमि के संदर्भ में विलेख/अधिकार पत्र अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।

2) भूमि - लीजहोल्ड भूमि के अतर्गत सुबानसिरी अपर परियोजना के लिए 1 रुपये प्रति वर्ष के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई 7.83 हैक्टेयर भूमि शामिल है।

3) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 6299.38 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6293.18 करोड़ रुपये) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अतर्गत दर्शाया गया है।

4) सकल ब्लाक में समायोजन में विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभारित तथा पूंजीकृत मूल्यहास शामिल है।

5) सेवा-।।, चमेरा- ।।।, तीस्ता लो डैम- ।।।, उरी और पार्बती- ।।। विद्युत स्टेशन के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन पावर स्टेशनों पर वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।

6) संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34 का पैरा 12 देखें।

7) परिसंपत्तियों के समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन निम्नानुसार है :-

परिसंपत्तियों की श्रेणी	**31.03.2017 के अनुसार (करोड़ रुपये में)**	**31.03.2016 के अनुसार (करोड़ रुपये में)**
सड़के और पुल	(0.16)	0.15
भवन	(1.50)	1.77
हाइड्रोलिक कार्य	(11.12)	16.61
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	(2.79)	3.77
संयंत्र एवं मशीनरी सबस्टेशन	(0.02)	0.02
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी एवं सीवर प्रणाली	(0.01)	0.01
कुल	**(15.60)**	**22.33**

8) थंगाल गांव में 3835 वर्ग फुट माप वाली भूमि का एक टुकड़ा थंगाल गांव के प्राधिकारियों द्वारा एनएचपीसी लिमिटेड को दान में दिया गया था। उक्त भूमि को उस पर निर्मित अस्थायी शेड के साथ अधिनिगमन के समय लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी) को अंतरित किया गया था। भूमि समूह के कब्जे में है परंतु इसे कोई मूल्य प्रदान नहीं किया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(करोड़ रूपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2015 को	संवर्द्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2016 को	01.04.2015 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2016 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
भूमि-फ्रीहोल्ड	268.97	35.50	14.95	(0.98)	288.54	-	-	-	-	288.54	268.97
भूमि-लीजहोल्ड	317.48	0.78	0.01	-	318.25	-	11.53	0.05	11.58	306.67	317.48
सड़कें और पुल	198.22	6.29	-	(0.69)	203.82	-	8.03	(0.77)	7.26	196.56	198.22
भवन	1,754.54	193.88	0.22	(2.10)	1,946.10	-	90.04	(4.75)	85.29	1,860.81	1,754.54
रेलवे साइडिंग्स	17.45	-	1.50	-	15.95	-	2.45	(0.01)	2.44	13.51	17.45
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	11,831.14	971.38	3.01	16.42	12,815.93	-	833.38	0.46	833.84	11,982.09	11,831.14
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	5,795.72	374.93	8.64	5.94	6,167.95	-	410.77	0.22	410.99	5,756.96	5,795.72
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	40.16	1.67	0.26	0.02	41.59	-	3.17	(0.01)	3.16	38.43	40.16
संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	40.43	0.67	0.04	(0.21)	40.85	-	3.82	(0.23)	3.59	37.26	40.43
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	29.89	1.86	0.08	(0.14)	31.53	-	2.81	(0.11)	2.70	28.83	29.89
निर्माण उपकरण	35.84	6.02	0.78	0.15	41.23	-	5.11	0.14	5.25	35.98	35.84
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	33.45	3.47	0.04	(0.16)	36.72	-	2.31	(0.24)	2.07	34.65	33.45
विद्युतीय संस्थापनाएं	2.25	0.01	0.05	(0.07)	2.14	-	0.18	(0.06)	0.12	2.02	2.25
वाहन	11.95	3.27	0.32	(0.19)	14.71	-	1.55	(0.20)	1.35	13.36	11.95
विमान/नौकाएं	0.59	0.07	-	-	0.66	-	0.06	-	0.06	0.60	0.59
फर्नीचर और फिक्सचर	23.58	3.37	0.57	(0.47)	25.91	-	2.52	(0.45)	2.07	23.84	23.58
कम्प्यूटर	14.27	8.03	0.28	(0.71)	21.31	-	5.78	(0.68)	5.10	16.21	14.27
संचार उपकरण	7.84	1.77	0.42	-	9.19	-	0.88	(0.01)	0.87	8.32	7.84
कार्यालय उपकरण	23.18	3.39	0.49	(0.25)	25.83	-	2.77	(0.27)	2.50	23.33	23.18
अनुसंधान और विकास	0.77	-	-	-	0.77	-	0.09	-	0.09	0.68	0.77
अन्य आस्तियां	30.56	6.02	1.63	(0.46)	34.49	-	3.41	(0.46)	2.95	31.54	30.56
गौण मूल्य की अचल आस्तियां **>750** और **<5000** रूपये।	0.01	1.13	0.06	(0.36)	0.72	-	1.06	(0.35)	0.71	0.01	0.01
कुल	**20,478.29**	**1,623.51**	**33.35**	**15.74**	**22,084.19**	**-**	**1,391.72**	**(7.73)**	**1,383.99**	**20,700.20**	**20,478.29**
गत वर्ष 31.03.2016											

टिप्पणी : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध- I में मुहैया करवाए गए अनुसार है। अन्य विवरणात्मक टिप्पणियों हेतु इन्हें टिप्पणी 2.1 के अनुबंध- I में बताया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध-I संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(करोड़ रूपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2015 को	संवर्द्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2016 को	01.04.2015 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2016 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
भूमि-फ्रीहोल्ड	268.97	35.50	14.95	(0.98)	288.54	-	-	-	-	288.54	268.97
भूमि-लीजहोल्ड	360.82	0.78	0.01	-	361.59	43.34	11.53	0.05	54.92	306.67	317.48
सड़कें और पुल	295.52	6.29	-	(0.69)	301.12	97.30	8.03	(0.77)	104.56	196.56	198.22
भवन	2,498.57	193.88	0.58	(2.10)	2,689.77	744.03	90.04	(5.11)	828.96	1,860.81	1,754.54
रेलवे साइडिंग्स	38.96	-	3.46	-	35.50	21.51	2.45	(1.97)	21.99	13.51	17.45
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	17,782.34	971.38	3.17	16.42	18,766.97	5,951.20	833.38	0.30	6,784.88	11,982.09	11,831.14
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	8,789.79	374.93	14.39	5.94	9,156.27	2,994.07	410.77	(5.53)	3,399.31	5,756.96	5,795.72
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	92.16	1.67	0.44	0.02	93.41	52.00	3.17	(0.19)	54.98	38.43	40.16
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	67.87	0.67	0.04	(0.21)	68.29	27.44	3.82	(0.23)	31.03	37.26	40.43
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	47.03	1.86	0.17	(0.14)	48.58	17.14	2.81	(0.20)	19.75	28.83	29.89
निर्माण उपकरण	104.48	6.02	3.49	0.15	107.16	68.64	5.11	(2.57)	71.18	35.98	35.84
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	43.44	3.47	0.06	(0.16)	46.69	9.99	2.31	(0.26)	12.04	34.65	33.45
विद्युतीय संस्थापनाएं	3.58	0.01	0.06	(0.07)	3.46	1.33	0.18	(0.07)	1.44	2.02	2.25
वाहन	28.38	3.27	1.95	(0.19)	29.51	16.43	1.55	(1.83)	16.15	13.36	11.95
विमान / नौकाएं	0.87	0.07	-	-	0.94	0.28	0.06	-	0.34	0.60	0.59
फर्नीचर और फिक्सचर	49.98	3.37	0.92	(0.47)	51.96	26.40	2.52	(0.80)	28.12	23.84	23.58
कम्प्यूटर	62.02	8.03	3.19	(0.71)	66.15	47.75	5.78	(3.59)	49.94	16.21	14.27
संचार उपकरण	15.25	1.77	0.67	-	16.35	7.41	0.88	(0.26)	8.03	8.32	7.84
कार्यालय उपकरण	45.11	3.39	1.13	(0.25)	47.12	21.93	2.77	(0.91)	23.79	23.33	23.18
अनुसंधान और विकास	1.41	-	-	-	1.41	0.64	0.09	-	0.73	0.68	0.77
अन्य आस्तियां	56.01	6.02	2.16	(0.46)	59.41	25.45	3.41	(0.99)	27.87	31.54	30.56
गौण मूल्य की अचल आस्तियां **>750** और **<5000** रूपये।	16.94	1.13	0.44	(0.36)	17.27	16.93	1.06	(0.73)	17.26	0.01	0.01
कुल	**30,669.50**	**1,623.51**	**51.28**	**15.74**	**32,257.47**	**10,191.21**	**1,391.72**	**(25.66)**	**11,557.27**	**20,700.20**	**20,478.29**
गत वर्ष 31.03.2016											

विवरणात्मक टिप्पणी :-

1) 13.37 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1.19 करोड़ रूपए) मूल्य की 155.69 हैक्टेयर फ्रीहोल्ड भूमि (पिछले वर्ष 103.04 हैक्टेयर) और 297.34 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 296.60 करोड़ रूपये) मूल्य की 766.20 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 851.78 हेक्टेयर) लीजहोल्ड भूमि के संदर्भ में विलेख/अधिकार पत्र अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।

2) भूमि - लीजहोल्ड भूमि के अतर्गत सुबानसिरी अपर परियोजना के लिए 1 रूपये प्रति वर्ष के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई 7.83 हैक्टेयर भूमि शामिल है।

3) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 6293.18 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 6240.79 करोड़ रूपये) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अतर्गत दर्शाया गया है।

4) सकल ब्लाक में समायोजन में विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभारित तथा पूंजीकृत मूल्यह्रास शामिल है।

5) सेवा- II, चमेरा- III, तीस्ता लो डैम- III, उरी और पार्बती- III। विद्युत स्टेशन के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन विद्युत स्टेशनों पर वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।

6) संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34 का पैरा 12 देखें।

7) परिसंपत्तियों के समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा दर परिर्वतन निम्नानुसार है :-

परिसंपत्तियों की श्रेणी	**31.03.2017 के अनुसार (करोड़ रुपये में)**	**31.03.2016 के अनुसार (करोड़ रुपये में)**
सड़के और पुल	0.15	(1.57)
भवन	1.77	(16.21)
हाइड्रोलिक कार्य	16.61	(154.90)
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	3.77	(42.88)
संयंत्र एवं मशीनरी सबस्टेशन	0.02	(0.25)
संयंत्र एवं मशीनरी ट्रांसमिशन लाइनें	-	(0.05)
संयंत्र एवं मशीनरी - अन्य	-	(0.03)
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी एवं सीवर प्रणाली	0.01	(0.05)
कुल	**22.33**	**(215.94)**

8) थंगाल गांव में 3835 वर्ग फुट माप वाली भूमि का एक टुकड़ा थंगाल गांव के प्राधिकारियों द्वारा एनएचपीसी लिमिटेड को दान में दिया गया था। उक्त भूमि को उस पर निर्मित अस्थायी शेड के साथ अधिनिगमन के समय लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी) को अंतरित किया गया था। भूमि समूह के कब्जे में है परंतु इसे कोई मूल्य प्रदान नहीं किया गया है।

टिप्पणी सं. 2.2 : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	01.04.2016 के अनुसार	संवर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2017 के अनुसार
सड़कें और पुल	89.18	15.43	-	11.69	92.92
भवन	1,052.34	93.80	(0.46)	41.97	1,103.71
रेलवे साइडिंग	-	0.62	-	0.62	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	6,020.58	740.87	2.72	92.33	6,671.84
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,391.19	190.30	129.48	648.23	3,062.74
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	12.55	1.81	-	2.54	11.82
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	2.13	1.66	-	0.48	3.31
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	0.74	0.39	(0.01)	0.38	0.74
निर्माण उपकरण	-	0.47	-	0.47	-
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	1.36	7.91	-	5.35	3.92
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही अन्य आस्तियां	2.50	49.21	(0.02)	49.54	2.15
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	-	-	-	-	
सीडब्ल्यूआईपी - भारत सरकार की 5 किलोमीटर योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियां	280.75	16.08	(1.34)	0.06	295.43
प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	20.48	0.61	(3.70)	1.45	15.94
निर्माण के दौरान खर्च *	6,236.21	726.77	(129.29)	39.74	6,793.95
घटाएं : प्रावधानों किए गए	537.92	41.34	2.82	-	582.08
उप जोड़ (क)	**16,572.09**	**1,804.59**	**(5.44)**	**894.85**	**17,476.39**

* अवधि के दौरान संवर्धन के लिए टिप्पणी संख्या 32 देखें

	01.04.2016 के अनुसार		समायोजन		31.03.2017 के अनुसार
निर्माण भंडार	170.76		(58.28)		112.48
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	**1.25**		**0.03**		**1.28**
उप जोड़ (ख)	**169.51**	**-**	**(58.31)**	**-**	**111.20**
समग्र जोड़	**16,741.60**	**1,804.59**	**(63.75)**	**894.85**	**17,587.59**
पिछले वर्ष	**16,147.15**	**2,091.61**	**20.91**	**1,518.07**	**16,741.60**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) के अंतर्गत पूंजी की ऋण लागत के रूप में 377.54 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 461.70 करोड़ रूपये) शामिल हैं।

2) सीडब्ल्यूआईपी में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 1181.14 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 1069.48 करोड़ रूपये) का संचित व्यय शामिल है। इसमें से 43.52 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रूपये) की राशि सुबानसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी डेवलपर को सौंपने का निर्णय लिया गया है, तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए एक व्यय की वसूली लम्बित होने तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर बहियों में यह राशि पहले ही मुहैया करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 1134.80 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 1025.96 करोड़ रूपये) के शेष में से 538.56 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 494.40 करोड़ रूपये) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त सावधानी के रूप में मुहैया करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 599.15 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 531.56 करोड़ रूपये) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रेनित किया गया है।

3) सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहुत उद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को हिसाब में लिया गया है। सियांग लोवर और सियोम जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासक को सौंपी जा चुकी हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबद्ध निजी विकासक से वसूल की जाएगी।

4) अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 4923.90 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 4205.33 करोड़ रूपये) के व्यय वाले भूमिगत कार्यों को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

5) संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34 का पैरा 12 देखें।

6) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते है क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती है और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते अवधि के दौरान वहन किए गए व्यय को चालू पूंजीगत कार्यों में अग्रेनीत किया जाता है।

टिप्पणी सं. 2.2 : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	01.04.2015 के अनुसार	संवर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2016 के अनुसार
सड़कें और पुल	87.03	15.80	(4.81)	8.84	89.18
भवन	1,032.62	122.58	30.10	132.96	1,052.34
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	5,915.68	684.63	(14.38)	565.35	6,020.58
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,926.54	674.52	(5.80)	204.07	3,391.19
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	14.09	6.31	(7.68)	0.17	12.55
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	0.37	2.28	(0.08)	0.44	2.13
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	0.48	1.54	(0.32)	0.96	0.74
निर्माण उपकरण	-	1.97	-	1.97	-
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	0.69	3.47	(0.05)	2.75	1.36
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही अन्य आस्तियां	4.53	47.16	(0.66)	48.53	2.50
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	-	-	-	-	
सीडब्ल्यूआईपी - भारत सरकार की 5 किलोमीटर योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियां	277.77	11.19	(1.80)	6.41	280.75
प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	20.29	2.44	(1.61)	0.64	20.48
निर्माण के दौरान खर्च *	5,899.96	877.37	3.86	544.98	6,236.21
घटाएं : प्रावधानों किए गए	209.55	359.65	(31.28)	-	537.92
उप जोड़ (क)	**15,970.50**	**2,091.61**	**28.05**	**1,518.07**	**16,572.09**
* अवधि के दौरान संवर्धन के लिए टिप्पणी संख्या 32 देखें					
	As at 01.04.2015		**Adjustment**		**As at 31.03.2016**
निर्माण भंडार	178.13		(7.37)		170.76
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	**1.48**		**(0.23)**		**1.25**
उप जोड़ (ख)	**176.65**	**-**	**(7.14)**	**-**	**169.51**
समग्र जोड़	**16,147.15**	**2,091.61**	**20.91**	**1,518.07**	**16,741.60**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) के अंतर्गत पूंजी की ऋण लागत के रूप में 461.70 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष का तदनुरूपी 330.43 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

2) सीडब्ल्यूआईपी में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 1069.48 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 943.76 करोड़ रूपये) का संचित व्यय शामिल है। इसमें से 43.52 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रूपये) की राशि सुबानसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी डेवलपर को सौंपने का निर्णय लिया गया है, तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए एक व्यय की वसूली लम्बित होने तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर बहियों में यह राशि पहले ही मुहैया करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 1025.96 करोड़ रूपये के शेष में से 494.40 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 134.75 करोड़ रूपये) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त सावधानी के रूप में मुहैया करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 531.56 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 765.49 करोड़ रूपये) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रेनित किया गया है।

3) सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहुत उद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को हिसाब में लिया गया है। सियांग लोवर और सियोम जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासक को सौंपी जा चुकीं हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबद्ध निजी विकासक से वसूल की जाएगी।

4) अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 4205.33 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 3995.69 करोड़ रूपये) के व्यय वाले भूमिगत कार्यों को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

5) संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34 का पैरा 12 देखें।

6) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते है क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती है और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते अवधि के दौरान वहन किए गए व्यय को चालू पूंजीगत कार्यों (सीडब्ल्यूआईपी) में अग्रेनीत किया जाता है।

टिप्पणी सं. 2.3 निवेश संपत्ति

(करोड़ रूपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यहास				निवल ब्लाक	
	01.04.2016 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2017 को	01.04.2016 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2017 को	31.03.2017 को	31.03.2016 को
भूमि - फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	4.49
कुल	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**4.49**
गत वर्ष 31.03.2016	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**4.49**

i) **निवेश संपत्ति हेतु लाभ या हानि में मान्यता प्रदान की गई राशि**

(करोड़ रूपए में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
किराया आय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य

		31.03.2017 को	31-03-2016 को
(ii)	**निवेश संपत्ति का उचित मूल्य**	**53.58**	**49.66**

(iii) निवेश संपत्ति में फ्री-होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे कंपनी द्वारा सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण कंपनी संपत्ति के भविष्य के उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। भारतीय लेखांकन मानक 40, निवेश संपत्ति उदाहरण के द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में गैर-निर्धारित भविष्य उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तदनुसार, ऐसी भूमि को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(iv) **मूल्यांकन प्रक्रिया**

उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। तथापि, निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को संपत्ति स्थित होने वाले स्थान में विद्यमान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सर्किल रेट के आधार पर निकाला गया है।

टिप्पणी सं. 2.3 निवेश संपत्ति

(करोड़ रूपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यहास				निवल ब्लाक	
	01.04.2015 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2016 को	01.04.2015 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2016 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
भूमि - फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	4.49
कुल	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**4.49**

i) **निवेश संपत्ति हेतु लाभ या हानि में मान्यता प्रदान की गई राशि**

(करोड़ रूपए में)

	31.03.2016 को	31.03.2015 को
किराया आय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य

		31.03.2016 को	31.03.2015 को
(ii)	**निवेश संपत्ति का उचित मूल्य**	**49.66**	**36.59**

(iii) निवेश संपत्ति में फ्री-होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे कंपनी द्वारा सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण कंपनी संपत्ति के भविष्य के उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। भारतीय लेखांकन मानक 40, निवेश संपत्ति उदाहरण के द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में गैर-निर्धारित भविष्य उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तदनुसार, ऐसी भूमि को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(iv) **मूल्यांकन प्रक्रिया**

उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। तथापि, निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को संपत्ति स्थित होने वाले स्थान में विद्यमान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सर्किल रेट के आधार पर निकाला गया है।

टिप्पणी सं. 2.4 अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2016 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2017 को	01.04.2016 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2017 को	31.03.2017 को	31.03.2016 को
भूमि - उपयोग का अधिकार	1,964.38	138.06	0.04	0.01	2,102.41	59.20	61.50	(0.01)	120.69	1,981.72	1,905.18
अमूर्त परिसंपत्तियां - कम्प्यूटर साफ्टवेयर	6.76	1.35	-	(0.02)	8.09	2.61	3.01	(0.01)	5.61	2.48	4.15
कुल	**1,971.14**	**139.41**	**0.04**	**(0.01)**	**2,110.50**	**61.81**	**64.51**	**(0.02)**	**126.30**	**1,984.20**	**1,909.33**
गत वर्ष 31.03.2016	**1,915.93**	**58.52**	**0.01**	**(3.30)**	**1,971.14**	**-**	**62.24**	**(0.43)**	**61.81**	**1,909.33**	**1,915.93**

विवरणात्मक टिप्पणी :-

टिप्पणी : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास इस टिप्पणी के अनुबंध-I में मुहैया करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी सं. 2.4 का अनुबंध - I अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2016 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2017 को	01.04.2016 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2017 को	31.03.2017 को	31.03.2016 को
भूमि - उपयोग का अधिकार	2,317.87	138.06	0.12	0.01	2,455.82	412.69	61.50	(0.09)	474.10	1,981.72	1,905.18
अमूर्त परिसंपत्तियां - कम्प्यूटर साफ्टवेयर	44.96	1.35	-	(0.02)	46.29	40.81	3.01	(0.01)	43.81	2.48	4.15
कुल	**2,362.83**	**139.41**	**0.12**	**(0.01)**	**2,502.11**	**453.50**	**64.51**	**(0.10)**	**517.91**	**1,984.20**	**1,909.33**
गत वर्ष	**2,307.89**	**58.52**	**0.28**	**(3.30)**	**2,362.83**	**391.96**	**62.24**	**(0.70)**	**453.50**	**1,909.33**	**1,915.93**

टिप्पणी सं. 2.4 अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यहास				निवल ब्लाक	
	01.04.2015 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2016 को	01.04.2015 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2016 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
भूमि - उपयोग का अधिकार	1,914.21	53.44	-	(3.27)	1,964.38	-	59.58	(0.38)	59.20	1,905.18	1,914.21
अमूर्त परिसंपत्तियां - कम्प्यूटर साफ्टवेयर	1.72	5.08	0.01	(0.03)	6.76	-	2.66	(0.05)	2.61	4.15	1.72
कुल	**1,915.93**	**58.52**	**0.01**	**(3.30)**	**1,971.14**	**-**	**62.24**	**(0.43)**	**61.81**	**1,909.33**	**1,915.93**

विवरणात्मक टिप्पणी :-

टिप्पणी : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध-I में मुहैया करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी सं. 2.4 का अनुबंध - I अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ in Crore)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यहास				निवल ब्लाक	
	01.04.2015 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2016 को	01.04.2015 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2016 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
भूमि - उपयोग का अधिकार	2,267.70	53.44	-	(3.27)	2,317.87	353.49	59.58	(0.38)	412.69	1,905.18	1,914.21
अमूर्त परिसंपत्तियां - कम्प्यूटर साफ्टवेयर	40.19	5.08	0.28	(0.03)	44.96	38.47	2.66	(0.32)	40.81	4.15	1.72
कुल	**2,307.89**	**58.52**	**0.28**	**(3.30)**	**2,362.83**	**391.96**	**62.24**	**(0.70)**	**453.50**	**1,909.33**	**1,915.93**

टिप्पणी सं. 2.5.1 : इक्विटी प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त निवेश लेखा

संयुक्त उद्यमों के हित में

निम्नलिखित निकायों का हिस्सा निवेश मूलत: इक्विटी शेयर के रूप में है, जोकि सीधे ही समूह द्वारा धारित है। इनकोरपोरेशन या पंजिकरण का देश ही मूल व्यापार स्थल है तथा स्वामित्व और वोटिंग के अधिकार का अनुपात समान है ।

(₹ करोड़ में)

विवरण	व्यापार स्थल	लेखा प्रक्रिया	स्वामित्व हित का %			भारित राशि		
			31-मार्च-17	31-मार्च-16	1-अप्रैल-15	31-मार्च-17	31-मार्च-16	1-अप्रैल-15
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैब प्रा. लि. (एनएचपीटीएल) संयुक्त उद्यम	भारत	इक्विटी प्रक्रिया	20.00%	21.64%	21.64%	29.97	23.44	23.44
चैनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (पी) लि. (सीवीपीपीएल) संयुक्त उद्यम	भारत	इक्विटी प्रक्रिया	49.78%	49.98%	49.98%	470.60	107.90	98.80
कुल इक्विटी लेखा निवेश						**500.57**	**131.34**	**122.24**

टिप्पणी सं. 2.5.2 : इक्विटी प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ का हिस्सा

(₹ करोड़ में)

इकाई का नाम	31-मार्च-17	31-मार्च-16
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैब प्रा. लि. (एनएचपीटीएल) संयुक्त उद्यम	-	-
चैनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (पी) लि. (सीवीपीपीएल) संयुक्त उद्यम	2.74	1.23
योग	**2.74**	**1.23**

व्याख्यात्मक नोट: -

संयुक्त उद्यमों के लिए संक्षेप्ति वित्तीय सूचना

निम्नलिखित तालिका समूह के संयुक्त उद्यम का संक्षेपित वित्तीय सूचना देती है। दी गई सूचना संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण में दर्शाई गई राशि परिलक्षित करती है। उन्हें इक्विटी प्रक्रिया के दौरान निकाय द्वारा किए गए समायोजनों को दर्शाने के लिए किया गया है। जिसमें लेखा नीति में अतरों के लिए किए गए निष्पक्ष मूल्य समायोजन जोकि अधिग्रहण और आशोधन के समय किए गए थे।

1. **संक्षेपित तुलन पत्र**

(₹ करोड़ में)

	एनएचपीटीएल			सीवीपीपीएल		
	31-मार्च-17	31-मार्च-16	1-अप्रैल-15	31-मार्च-17	31-मार्च-16	1-अप्रैल-15
वर्तमान परिसंपत्तियां						
नकद व नकद समतुल्य	0.57	9.22	-	141.81	22.12	85.46
अन्य परिसंपत्तियां	43.27	2.76	24.11	2.63	2.68	10.89
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां	**43.84**	**11.98**	**24.11**	**144.44**	**24.80**	**96.35**
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	**327.59**	**258.80**	**210.31**	**1,012.98**	**490.52**	**399.78**
कुल परिसंपत्तियां (क)	**371.43**	**270.78**	**234.42**	**1,157.42**	**515.32**	**496.13**
वर्तमान देनदारियां						
वित्तीय देनदारियां (व्यापार देनदारी छोडकर)	-	-	-	3.60	5.22	2.48
अन्य देनदारियां	48.16	16.58	6.29	207.02	292.79	295.13
कुल वर्तमान देनदारियां	**48.16**	**16.58**	**6.29**	**210.62**	**298.01**	**297.61**
गैर-वर्तमान देनदारियां						
वित्तीय देनदारियां (व्यापार देनदारी छोडकर)	173.31	145.82	119.82	0.71	0.49	0.38

(₹ करोड़ में)

	एनएचपीटीएल			सीवीपीपीएल		
	31-मार्च-17	31-मार्च-16	1-अप्रैल-15	31-मार्च-17	31-मार्च-16	1-अप्रैल-15
अन्य देनदारियां	0.13	0.07	-	0.72	0.93	0.46
कुल गैर-वर्तमान देनदारियां	**173.43**	**145.89**	**119.82**	**1.43**	**1.42**	**0.84**
कुल देनदारियां (ख)	**221.59**	**162.47**	**126.11**	**212.05**	**299.43**	**298.45**
निवल परिसंपत्तियां (क-ख)	**149.84**	**108.31**	**108.31**	**945.37**	**215.89**	**197.68**

2. अग्रसारित राशि का मिलान

(₹ करोड़ में)

	एनएचपीटीएल		सीवीपीपीएल	
	31-मार्च-17	31-मार्च-16	31-मार्च-17	31-मार्च-16
प्रारंभिक निवल परिसंपत्तियां	108.31	108.31	215.89	197.68
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	5.50	2.47
अन्य बहुग्राही आय	-	-	-	-
इक्विटी अंशदान	41.53	-	723.98	-
समायोजन का पुनर्वगीकरण	-	-	-	15.74
अंतशेष निवल परिसंपत्तियां	**149.84**	**108.31**	**945.37**	**215.89**
समूह का हिस्सा प्रतिशत में	20.00%	21.64%	49.78%	49.98%
भारतीय रूपए में समूह का हिस्सा	29.97	23.44	470.60	107.90
अग्रसारित राशि	**29.97**	**23.44**	**470.60**	**107.90**

3. लाभ व हानि का संक्षेपित विवरण

(₹ करोड़ में)

	एनएचपीटीएल		सीवीपीपीएल	
	31-मार्च-17	31-मार्च-16	31-मार्च-17	31-मार्च-16
ब्याज से आय	-	-	10.88	3.96
अन्य व्यय	-	-	1.73	0.18
आयकर पर खर्च	-	-	3.65	1.31
चालू प्रचालन से लाभ	-	-	5.50	2.47
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	5.50	2.47
अन्य बहुग्राही आय	-	-	-	-
कुल बहुग्राही आय	**-**	**-**	**5.50**	**2.47**

टिप्पणी सं. 3.1 : गैर वर्तमान निवेश

	विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		01 अप्रैल, 2015 को	
		शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
क.	**उद्धृत इक्विटी निवेश - अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर**						
	इंडियन ओवरसीसी बैंक (पूर्णतः प्रदत्त) (10 रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	360800	0.96	360800	1.09	360800	1.53
	पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्णतः प्रदत्त) (10 रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	12000000	111.48	12000000	76.56	12000000	96.90
	कुल (क)		**112.44**		**77.65**		**98.43**
ख.	**उद्धृत ऋण निवेश - अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर**						
	(क) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश						
	8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट्स इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024 (10000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	150000	159.20	150000	153.93	150000	153.14
	8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024 (10000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	12380	13.01	12380	12.56	12380	12.54
	8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2027 (10000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	57000	61.25	57000	59.03	57000	59.14
	8.26 प्रतिशत भारत सरकार 2027 (10000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	17940	19.20	17940	18.54	17940	18.49
	8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2032 (10000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	35000	37.18	35000	36.09	35000	36.54
	8.32 प्रतिशत भारत सरकार 2032 (10000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	34000	36.88	34000	35.19	34000	35.58
	उप जोड़ (क)		**326.72**		**315.34**		**315.43**
	(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कोरपोरेट्स बांड्स में निवेश						
	8.95 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025 (10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	-	-	-	-	688	72.65
	8.65 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025 (10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	-	-	-	-	30	3.00
	8.83 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2035 (10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	-	-	-	-	120	12.82
	8.80 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2030 (10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	-	-	-	-	150	15.95
	8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2021 (12,50,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	-	-	-	-	80	10.28

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		01 अप्रैल, 2015 को	
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2022 (12,50,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	-	-	-	-	80	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2023 (12,50,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	-	-	-	-	80	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025 (12,50,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	-	-	-	-	40	5.00
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2024 (12,50,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	-	-	-	-	156	20.26
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025 (12,50,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	-	-	-	-	364	43.46
8.95 प्रतिशत पावर फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025 (10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	-	-	-	-	51	5.10
8.80 प्रतिशत पावर फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025 (10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	-	-	-	-	467	48.03
8.70 प्रतिशत पावर फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025 (10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	-	-	-	-	477	48.55
8.80 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोरपोरेशन बांड्स 2020 (10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	-	-	-	-	600	61.00
9.75 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोरपोरेशन बांड्स 2021 (10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	-	-	-	-	230	24.71
7.41 प्रतिशत आईआईएफसीएल कर मुक्त बाण्ड 15.11.2032 (10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	120	13.45	120	12.48	120	12.58
8.12 प्रतिशत आरईसी कर मुक्त बाण्ड 27.03.2027 (1000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	100000	11.30	100000	10.68	100000	11.19
8.48 एनएचएआई कर मुक्त (10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	473	55.50	473	52.45	473	51.60
उप-जोड़ (ख)		80.25		75.61		466.18
कुल (ख) (क + ख)		406.97		390.95		781.61
कुल (क + ख)		519.41		468.60		880.04
(क) उद्धृत निवेश						
(i) समग्र लागत		381.95		381.95		763.34
(ii) समग्र बाजार मूल्य		519.41		468.60		880.04
(ख) निवेश के मूल्य में क्षति की संचित राशि		-		-		-

टिप्पणी सं. 3.2 : गैर वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - प्राप्य व्यापार

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
क)	लाभग्राहियों से प्राप्य - अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	275.82	64.56	335.93
	कुल	**275.82**	**64.56**	**335.93**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :

उक्त समझौते के अनुसार लागू ब्याज के साथ समान मासिक किश्तों में प्राप्य विलंबन हेतु सहमत देयों को दर्शाता है।

टिप्पणी सं. 3.3 : गैर वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
क)	**कर्मचारी ऋण (परिशोधित लागत पर)**			
	प्रतिभूत (अच्छे माने गए)	144.33	129.35	112.58
	अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	12.54	8.48	7.05
	अप्रतिभूत (संदिग्ध माने गए)	-	-	-
	घटाएं : संदिग्ध कर्मचारी ऋणों हेतु प्रावधान *1	-	-	-
	उप जोड़	**156.87**	**137.83**	**119.63**
ख)	**उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार**			
	प्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-	-	-
	अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-	-	12.68
	अप्रतिभूत (संदिग्ध माने गए)	-	-	-
	घटाएं : राज्य सरकार को दिए गए संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान *3	-	-	-
	उप जोड़	**-**	**-**	**12.68**
ग)	**अरूणाचल प्रदेश सरकार**			
	प्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-	-	-
	अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	225.00	225.00	225.00
	अप्रतिभूत (संदिग्ध माने गए)	-	-	-
	उप जोड़	**225.00**	**225.00**	**225.00**
	कुल	**381.87**	**362.83**	**357.31**
	विवरणात्मक टिप्पणी :-			
	i) अन्य ऋण (कर्मचारी) ने अवधि के अंत में कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय ऋण शामिल है	0.14	0.19	0.16
	ii) फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिनमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है	शून्य	शून्य	शून्य
	iii) ऋण गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां है जो कंपनी हेतु एक स्थिर तथा परिवर्तनशील ब्याज आय उत्पन्न करता है। वहन राशि दूसरे पक्ष के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण प्रभावित हो सकती है।			

टिप्पणी सं. 3.4 : गैर वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
क.	**12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा**	413.77	147.06	277.15
ख.	**प्राप्य पट्टा किराया***	5,470.30	5,745.45	5,966.34
ग.	**पट्टे पर प्राप्य ब्याज**	-	-	-
घ.	**निम्नलिखित पर प्रोदभूत ब्याज**	-	-	-
	- अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	296.84	253.75	214.22
	- 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक देय	5.71	2.06	2.65
	कुल	**6,186.62**	**6,148.32**	**6,460.36**

* प्रतिभूति के रूप में प्राप्य गिरवी/रेहन हेतु टिप्पणी संख्या 34 - लेखे के अन्य विवरणात्मक टिप्पणी का पैरा 12 देखें।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :

1) 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार बैंकों के पास लियन पड़ी हुई शून्य रूपए (31.03.2016 को 3.24 करोड़ रूपए) की राशि शामिल है, जो 31.03.2017 को मुक्त रूप से उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी सं. 4 : अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
क.	**पूंजी अग्रिम**			
	प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	1.97	3.25	9.37
	अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-
	बैंक गारंटी के बदले	358.19	493.33	527.10
	अन्य	162.39	142.56	139.52
	घटाएं : उपयोग प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षा वाले व्यय हेतु प्रावधान	4.21	1.99	10.26
	अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	4.50	0.13	0.12
	घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान *1	4.50	0.13	0.12
	Sub-total	**518.34**	**637.15**	**665.73**
ख.	**पूंजीगत जमा के अतिरिक्त अन्य अग्रिम**			
i)	**जमा राशियां**			
	अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	30.25	29.88	70.00
	घटाएं : सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के प्रति प्रावधान	15.55	15.29	15.29
	अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0.04	0.50	0.50
	घटाएं : संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान *2	0.04	0.50	0.50
		14.70	**14.59**	**54.71**
ii)	**अन्य अग्रिम**			
	अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0.14	0.24	0.09
	अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-	-
		0.14	**0.24**	**0.09**
ग.	**अन्य**			
i)	**विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव**			
	विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां	415.04	491.81	369.71
	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव पर विलंबित व्यय	144.42	133.28	152.85
		559.46	**625.09**	**522.56**
ii)	**दिए गए कर्मचारी ऋणों पर विलंबित लागत**			
	प्रतिभूत	48.88	73.31	66.45
	अप्रतिभूत - अच्छे माने गए	2.06	0.26	3.14
		50.94	**73.57**	**69.59**
	कुल	**1,143.58**	**1,350.64**	**1,312.68**
	संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान *1			
	प्रारंभिक शेष	0.13	0.12	0.12
	वर्ष के दौरान वर्धन	4.37	0.01	-
	अंतिम शेष	**4.50**	**0.13**	**0.12**
	संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान *2			
	प्रारंभिक शेष	**0.50**	**0.50**	**0.50**
	वर्ष के दौरान वर्धन	**0.04**	**-**	**-**
	वर्ष के दौरान वर्धन	0.50	-	-
	अंतिम शेष	**0.04**	**0.50**	**0.50**

टिप्पणी सं. 5 : मालसूची

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या (10) के अनुसार मूल्यांकित			
भंडार तथा कलपुर्जे	99.85	104.03	104.16
परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	1.88	2.68	3.55
खुले औजार	2.21	1.94	1.97
रद्दी मालसूची	2.01	1.64	1.18
साइट पर उपलब्ध सामग्री	4.83	4.98	3.55
संविदाकारों/फैब्रिकेटर्स को जारी सामग्री	-	0.01	0.05
घटाएं : अप्रचलित तथा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान *1	9.98	22.48	23.98
कुल	**100.80**	**92.80**	**90.48**
***1 अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान**			
प्रारंभिक शेष	22.48	23.98	23.98
वर्ष के दौरान वर्धन	0.52	0.69	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	11.27	1.89	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित #	1.75	0.30	-
अंतिम शेष	**9.98**	**22.48**	**23.98**
व्याख्यात्मक टिप्पणी :			
i) वर्ष के दौरान निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) को पश्च लेखित माल-सूची और लाभ या हानि में व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की गई।	**0.52**	**0.69**	**-**
ii) ब्यौरे हेतु टिप्पणी संख्या 34-अन्य विवरणात्मक टिप्पणी का पैरा 12 देखें जिसमें संबंधित ऋणों के लिए प्रतिभूति के तौर पर बैंकों के साथ रेहन/गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों की जानकारी दी गई है।			

\# पहले किए गए आधिक्य प्रावधान को वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित किया गया है जो माल-सूची के पश्च लिखित मूल्य में प्रत्यावर्तन में परिणत हुआ है।

टिप्पणी सं. 6 : वर्तमान निवेश

विवरण	31 मार्च 2017 को			31 मार्च 2016 को			01 अप्रैल, 2015 को		
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति का अंकित मूल्य (करोड़ रुपये में)	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति का अंकित मूल्य (करोड़ रुपये में)	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति का अंकित मूल्य (करोड़ रुपये में)	राशि (करोड़ रुपये में)
अनुद्धृत									
(क) इक्विटी लिखत में निवेश									
संयुक्त उद्यम कंपनी (पूर्णतः प्रदत्त)									
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (परिसमाप्त) #	-	-	-	2188325	10	2.19	2188325	10	2.19
(मूल्य में कमी हेतु प्रावधान)						(1.06)			(1.06)
(ख) बॉण्ड में निवेश (दीर्घावधि निवेश की वर्तमान परिपक्वता)									
8.50 प्रतिशत कर-मुक्त राज्य सरकार के विशेष बॉण्ड जो निम्नलिखित सरकार के हैं-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	972	1000	0.10
बिहार	-	-	-	-	-	-	19070	1000	1.91
हरियाणा	-	-	-	-	-	-	565000	1000	56.50
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	17868	1000	1.79
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	770696	1000	77.07
झारखण्ड	-	-	-	-	-	-	14310	1000	1.43
मेघालय	-	-	-	-	-	-	532	1000	0.05
मिजोरम	-	-	-	-	-	-	3210	1000	0.32
नागालैंड	-	-	-	-	-	-	6920	1000	0.69
पंजाब	-	-	-	-	-	-	222810	1000	22.28
राजस्थान	-	-	-	-	-	-	56982	1000	5.70
सिक्किम	-	-	-	-	-	-	2336	1000	0.23
त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	2668	1000	0.27
उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-	786890	1000	78.69
उत्तरांचल	-	-	-	-	-	-	87430	1000	8.74
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	6722	1000	0.67
कुल	**-**	**-**	**-**			**1.13**			**257.57**

 # नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2016-17 में परिसमाप्त किया गया है।

टिप्पणी सं. 7 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - प्राप्य व्यापार

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
- अप्रतिभूत - अच्छे माने गए	1,854.01	1,904.51	2,472.24
- अप्रतिभूत - संदिग्ध माने गए	54.40	56.37	34.77
घटाए - संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान *1	54.40	56.37	34.77
कुल	**1,854.01**	**1,904.51**	**2,472.24**
***1 संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान**			
प्रारंभिक शेष	56.37	34.77	34.77
वर्ष के दौरान वर्धन	19.57	22.07	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	0.26	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	21.54	0.21	-
अंतिम शेष	**54.40**	**56.37**	**34.77**
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-			
i) व्यापार प्राप्य अप्रतिभूत - अच्छे माने गए में उक्त समझौते के अनुसार लागू ब्याज के साथ समान मासिक किश्तों में प्राप्य विलंबन हेतु सहमत देय शामिल है।	203.97	269.05	306.17
ii) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा अथवा उनमें से किसी एक द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय ऋण अथवा फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण जिसमें क्रमशः कंपनी का कोई निदेशक भागीदार अथवा निदेशक या कोई सदस्य है।	-	-	-

टिप्पणी सं. 8 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - नकदी और नकदी तुल्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
क. बैंकों के साथ शेष			
अनुसूचित बैंकों के साथ			
i) चालू खाते में	49.35	614.04	80.58
ii) जमा खाते में			
(3 माह से कम की मूल परिपक्वता वाले जमा)	24.09	295.25	100.69
अन्य बैंकों के साथ			
चालू खाते में			
बैंक ऑफ भूटान	-	-	0.02
ख. हस्तगत चैक ड्राफ्ट	-	511.07	14.87
ग. हस्तगत नकदी			
हस्तगत नकदी	0.13	0.16	0.19
घ. अन्य	-	-	-
कुल	**73.57**	**1,420.52**	**196.35**
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-			
1) हस्तगत नकदी - (इसमें हस्तगत स्टाम्प शामिल हैं)	0.01	0.01	0.01
2) ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य हेतु धारित नकदी और बैंक शेष जिन्हें कंपनी द्वारा अन्य एजेसियों की ओर से निष्पादित किया जा रहा है और जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं उसे उक्त राशि में शामिल किया गया है।	7.74	32.48	62.07

टिप्पणी सं. 9 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - नकदी और नकदी तुल्य के अतिरिक्त अन्य शेष

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
क.	**बैंकों के साथ शेष**	3,297.67	5,766.19	6,326.12
ख.	**जमा खाता - अदा न किया गया लाभांश/ब्याज**	101.22	96.82	92.60
	कुल	**3,398.89**	**5,863.01**	**6,418.72**
	व्याख्यात्मक टिप्पणी :-			
	(i) ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य हेतु धारित नकदी और बैंक शेष जिन्हें कंपनी द्वारा अन्य एजेसियों की ओर से निष्पादित किया जा रहा है और जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं उसे उक्त राशि में शामिल किया गया है।	242.48	219.04	205.98
	(ii) नकदी और बैंक शेष में 10.36 करोड़ रूपए (31.03.2016 को 6.65 करोड़ रूपए) की राशि शामिल है जो माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार बैंकों में रखी लियन पर रखी गई है और 31.03.2017 को उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।			
	(iii) नकदी और बैंक शेष में 2.68 करोड़ रूपए (31.03.2016 को 2.80 करोड़ रूपए) की राशि शामिल है जो ओमकारेश्वर परियोजना के संबंध में भू-वंचितों से जमा के रूप में प्राप्त राशि को दर्शाती है और 31.03.2017 को उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।			

टिप्पणी सं. 10 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - ऋण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
कर्मचारी ऋण			
- प्रतिभूत (अच्छे माने गए)	2.91	18.43	27.28
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	28.52	31.52	32.46
- अप्रतिभूत (संदिग्ध माने गए)	0.03	0.03	0.09
घटाएं - संदिग्ध कर्मचारी ऋणों तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान *1	0.03	0.03	0.09
उप जोड़	**31.43**	**49.95**	**59.74**
ग्राहकों से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण			
- प्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-	-	-
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-	12.68	25.36
- अप्रतिभूत (संदिग्ध माने गए)	-	-	-
घटाएं - संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान	-	-	-
उप जोड़	-	12.68	25.36
कुल	**31.43**	**62.63**	**85.10**
***1 संदिग्ध कर्मचारी ऋणों तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान**			
प्रारंभिक शेष	0.03	0.09	0.09
वर्ष के दौरान वर्धन	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	0.06	-
अंतिम शेष	**0.03**	**0.03**	**0.09**
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-			
कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा अवधि के अंत में देय ऋण तथा अग्रिम	0.11	0.05	0.06
फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या कोई सदस्य है	-	-	-

टिप्पणी सं. 11 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
क)	प्राप्य दावे	674.57	910.51	968.70
	घटाएं - संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान *1	209.26	200.96	262.11
	उप जोड़	**465.31**	**709.55**	**706.59**
ख)	बैंक जमा पर प्रोदभूत ब्याज आय	117.41	249.19	248.99
ग)	अनुषंगी कंपनियां/संयुक्त उद्यमियों से प्राप्य	193.23	279.51	281.48
घ)	लाभार्थियों से वसूली योग्य ब्याज	22.21	37.49	6.79
ङ)	प्राप्य पट्टा किराया	267.10	263.77	276.92
च)	पट्टे पर प्राप्य ब्याज	0.45	13.16	23.50
छ)	बॉण्ड पर प्रोदभूत ब्याज	2.52	7.97	32.93
ज)	बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य	1,169.94	1,369.92	1,201.85
झ)	ग्राहकों से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण पर प्रोदभूद ब्याज	-	-	32.97
	कुल	**2,238.17**	**2,930.56**	**2,812.02**
	***1 संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान**			
	प्रारंभिक शेष	200.96	262.11	262.11
	वर्ष के दौरान वर्धन	22.46	8.37	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	8.55	69.43	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	5.61	0.09	-
	अंतिम शेष	**209.26**	**200.96**	**262.11**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

(करोड़ रूपए में)

1)	**बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य में निम्नलिखित शामिल है**			
	इक्विटी पर प्रतिफल को सकल रूप देना	25.15	42.69	13.26
	जम्मू एवं कश्मीर जल उपकर	226.22	269.11	216.37
	मार्च माह हेतु बिल न की गई बिक्री	396.97	522.43	432.94
	टैरिफ आदेश के संशोधन के कारण बिक्री - चुटक विद्युत स्टेशन	64.73	-	-
	उत्तरांचल हरित और जल कर	-	14.35	-
	टैरिफ आदेश के संशोधन के कारण बिक्री - पार्बती-3 और टनकपुर विद्युत स्टेशन	-	(61.68)	-
	टैरिफ आदेश के संशोधन के कारण बिक्री - चमेरा-3 विद्युत स्टेशन	2.83	2.83	82.92
	टैरिफ आदेश के संशोधन के कारण बिक्री - धौलीगंगा विद्युत स्टेशन	-	24.82	-
	टैरिफ आदेश की प्रतीक्षारत बिक्री को मान्यता (अनुमानित) - निम्मो बाजगो विद्युत स्टेशन	-	-	16.96
	कर समायोजन	109.79	108.04	63.04
	विदेश मंत्रालय बिक्री	7.24	12.56	4.71
	पार्बती-3 (चौथी यूनिट) अनुमानित बिक्री	244.86	149.37	-
	टैरिफ आदेश की प्रतीक्षारत बिक्री को मान्यता (अनुमानित) - उड़ी-2 विद्युत स्टेशन	-	3.41	116.80
	एफईआरवी	79.80	64.65	76.41
	टैरिफ आदेश के संशोधन के कारण बिक्री - एनएचडीसी लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी)	-	206.66	166.44
	अन्य	12.35	10.68	12.00
	कुल	**1,169.94**	**1,369.92**	**1,201.85**

2) उक्त (क) पर प्राप्य दावों में मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्य 103.66 करोड़ रूपए (31.03.2016 को 28.59 करोड़ रूपए) की राशि शामिल है जिसका ब्यौरा लेखे की अन्य विवरणात्मक टिप्पणियों (टिप्पणी सं. 34 में क्रम सं.8) और इंदिरा सागर परियोजना में ऊर्जा प्रसार व्यवस्था (ईडीए) की मरम्मत हेतु वसूली योग्य बीमा दावे के प्रति शून्य रूपए (31.03.2016 को 21.66 करोड़ रूपए) की राशि शामिल है। इसके अतिरिक्त, इसमें प्राप्य टीडीएस के प्रति 0.08 करोड़ रूपए (31.03.2016 को 0.08 करोड़ रूपए) और भू-वंचितों से दोहरे भुगतान के प्रति प्राप्य 0.12 करोड़ रूपए (31.03.2016 को 0.12 करोड़ रूपए) की राशि शामिल है जिसके लिए पहले से प्रावधान किया गया है।

3) अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम से प्राप्य में पकलडुल, कीरू और कवार जल विद्युत परियोजनाओं पर किया गया व्यय शामिल है जिन्हें मैसर्स सीवीपीपीपीएल (एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी और पीटीसी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) को अंतरित किया गया है।

टिप्पणी सं. 12.1 : गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
गैर वर्तमान			
अग्रिम आयकर और स्रोत पर कटौती किया गया कर	1,592.95	1,247.82	1,150.10
घटाएं - कराधान हेतु प्रावधान	1,477.46	1,167.92	1,062.11
कुल	**115.49**	**79.90**	**87.99**

टिप्पणी सं. 12.2 : वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
वर्तमान कर परिसंपत्तियां			
वर्तमान कर (देखें टिप्पणी सं.-23)	78.30	28.18	-
कुल	**78.30**	**28.18**	**-**

टिप्पणी सं. 13 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

	विवरण		31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
क.	**पूंजीगत अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम**				
क)	**जमा**				
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		138.92	93.27	75.10
	घटाएं : सरकारी विभागों द्वारा प्रस्तुत मांग के प्रति प्रावधान		11.59	18.37	20.04
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध माने गए)		-	-	0.01
	घटाएं : संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान *1		-	-	0.01
		उप जोड़	**127.33**	**74.90**	**55.06**
ख)	**संविदाकार/आपूर्तिकार को अग्रिम**				
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		0.64	0.86	0.03
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		-	-	-
	- बैंक गारंटी के प्रति		112.51	1.90	4.11
	- अन्य		34.80	26.72	14.81
	घटाएं : उपयोग प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा वाले व्यय हेतु प्रावधान		0.43	0.20	0.20
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध माने गए)		45.52	45.52	45.78
	घटाएं : संदिग्ध अग्रिम हेतु प्रावधान *2		45.52	45.52	45.78
		उप जोड़	**147.52**	**29.28**	**18.75**
ग)	**अन्य अग्रिम - कर्मचारी**				
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		0.62	1.22	1.47
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध माने गए)		-	-	-
		उप जोड़	**0.62**	**1.22**	**1.47**
घ)	**निम्न पर प्रोदभूत ब्याज :**				
	अन्य		-	-	-
	- अच्छे समझे गए		65.31	39.82	18.88
	- संदिग्ध माने गए		84.32	67.08	63.59
	घटाएं : संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान *3		84.32	67.08	63.59
		उप जोड़	**65.31**	**39.82**	**18.88**
ख.	**अन्य**				
क)	समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय		37.06	37.06	37.06
	घटाएं : पश्चलेखन की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाले परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान *4		37.06	37.06	37.06
		उप जोड़	**-**	**-**	**-**

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
ख)	पश्च लेखन स्वीकृति / जांच लंबित हेतु प्रतीक्षित हानियां	40.03	37.90	34.56
	घटाए : लंबित जांच / पश्चलेखन की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियों हेतु प्रावधान *5	40.03	37.90	34.56
	उप जोड़	-	-	-
ग)	**पूर्वप्रदत्त व्यय**	56.44	59.46	42.34
घ)	**विलंबित कर्मचारी लागत**		-	-
	प्रतिभूत - अच्छे समझे गए	23.48	3.22	3.14
	अप्रतिभूत	1.92	-	(0.01)
ङ)	**विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव**			
	विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां	78.72	78.72	51.58
	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव पर विलंबित व्यय	4.46	4.46	7.45
च)	**अधिशेष/अप्रचलित परिसंपत्तियां**	1.99	1.98	1.81
छ)	**अन्य**	45.67	60.63	48.40
	कुल	**553.46**	**353.69**	**248.87**
*1	**संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान**			
	प्रारंभिक शेष	-	-	0.01
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-	-
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**0.01**
*2	**संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान (संविदाकार और आपूर्तिकार)**			
	वर्ष के दौरान वर्धन	45.52	45.78	45.78
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	0.26	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-	-
	अंतिम शेष	**45.52**	**45.52**	**45.78**
*3	**संदिग्ध प्रोदभूत ब्याज हेतु प्रावधान**			
	प्रारंभिक शेष	67.08	63.59	63.59
	वर्ष के दौरान वर्धन	19.79	20.27	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	16.78	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	2.55	-	-
	अंतिम शेष	**84.32**	**67.08**	**63.59**
*4	**पश्चलेखन स्वीकृति हेतु प्रतीक्षित परियोजना व्यय हेतु प्रावधान**			
	प्रारंभिक शेष	37.06	37.06	37.06
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-	-
	अंतिम शेष	**37.06**	**37.06**	**37.06**
*5	**जांच लंबित/पश्चलेखन स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियों हेतु प्रावधान**			
	प्रारंभिक शेष	37.90	34.56	34.56
	वर्ष के दौरान वर्धन	2.77	6.37	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.43	3.01	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.21	0.02	-
	अंतिम शेष	**40.03**	**37.90**	**34.56**
	व्याख्यात्मक टिप्पणी :			
1	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा वर्ष/अवधि के अंत में देय ऋण तथा अग्रिम	-	-	-
2	फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या कोई सदस्य है, से देय अग्रिम	-	-	-
3	(छ) में अन्य में एनएचडीसी लिमिटेड के विलंबित कर को मूर्त रूप देना शामिल है।	45.35	60.4	47.66
4	निपटान हेतु धारित अधिशेष परिसंपत्तियों/अप्रचलित परिसंपत्तियों को बही मूल्य तथा निवल वसूलीयोग्य मूल्य से कम पर दर्शाया गया है।			

टिप्पणी सं. 14 : नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
	प्रारंभिक शेष	2,181.28	1,630.38	1,630.38
	जोड़े : नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन	-	-	-
क)	कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	298.62	106.24	-
ख)	उत्पादन और अन्य व्यय	78.68	66.26	-
ग)	प्रावधान	-	-	-
घ)	मूल्यहास	6.96	7.64	-
ङ)	वित्त लागत	365.32	396.22	-
च)	अन्य आय	(26.99)	(25.46)	-
छ)	मौद्रिक मदों पर विनियम अंतर	(2.50)	-	-
ज)	निर्धारित लाभ योजना का पुनः मापन	9.05	-	-
	जोड़े : वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-
	घटाए : वर्ष के दौरान परिशोधन / क्षति	-	-	-
	अंतिम शेष (क)	**2,910.42**	**2,181.28**	**1,630.38**
	नियामक विलंबित लेखा शेष पर विलंबित कर परिसंपत्तियां	72.27	-	-
	घटाए : विलंबित कर परिसंपत्तियों के प्रति विलंबित कर समायोजना	(72.27)	-	-
	उप जोड़ (ख)	**-**	**-**	**-**
	नियामक विलंबित लेखा शेष विलंबित कर का निवल (क-ख)	**2,910.42**	**2,181.28**	**1,630.38**
	1) विवरण हेतु टिप्पणी सं.34 - लेखे पर अन्य विवरणात्मक टिप्पणियां का पैरा 30 देखें			

टिप्पणी संख्या 15.1 : इक्विटी शेयर पूंजी

	विवरण	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		01 अप्रैल, 2015 को	
		संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)
(क)	प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रूपए)	15,000,000,000	15,000.00	15,000,000,000	15,000.00	15,000,000,000	15,000.00
(ख)	जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रूपए)	10,259,320,519	10,259.32	11,070,668,496	11,070.67	11,070,668,496	11,070.67
(ग)	इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का मिलान						
	बकाया शेयरों की प्रारंभिक संख्या	**11,070,668,496**	**11,070.67**	**11,070,668,496**	**11,070.67**	**11,070,668,496**	**11,070.67**
	जोड़े : वर्ष के दौरान जारी/ सब्सिक्राइब्ड शेयरों की संख्या / शेयर पूंजी	-	-	-	-	-	-
	घटाएं : शेयरों की पुनः खरीद के कारण शेयरों की संख्या / शेयर पूंजी में कमी	811,347,977	811.35	-	-	-	-
	बकाया शेयरों की अंतिम संख्या	10,259,320,519	10,259.32	11,070,668,496	11,070.67	11,070,668,496	11,070.67

(घ) कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश लेने के भी हकदार हैं।

(ङ) कंपनी की धारक कंपनी अथवा उसकी अंतिम धारक कंपनी द्वारा धारित कंपनी में प्रत्येक श्रेणी के संबंधित शेयर जिसमें धारक कंपनी या अंतिम धारक कंपनी द्वारा अनुषंगी कंपनियों या एसोसिएट में धारित शेयर शामिल हैं - शून्य।

(च) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक की धारिता वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या निर्दिष्ट करते हुए शेयर :

	विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार		31 मार्च, 2016 के अनुसार		01 अप्रैल, 2015 के अनुसार	
		संख्या	प्रतिशत में	संख्या	प्रतिशत में	संख्या	प्रतिशत में
	- भारत के राष्ट्रपति	7643406901	74.50%	9,516,209,722	85.96%	9,516,209,722	85.96%
	- भारतीय जीवन बीमा निगम	906183502	8.83%	344,634,628	3.11%	331,009,248	2.99%

(छ) शेयर/विनिवेश की बिक्री हेतु विकल्प तथा संविदाओं/प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत जारी किए जाने हेतु आरक्षित शेयर, शर्तों तथा राशियों सहित - शून्य

ज) 31.3.2017 से तत्काल पूर्व 5 वित्तीय वर्षों में कंपनी ने नकदी में किसी भुगतान की प्राप्ति के बिना संविदा के अनुपालन में पूर्णत- प्रदत्त के रूप में कोई इक्विटी शेयर आंवटित नहीं किया है/किसी इक्विटी शेयर को बोनस शेयर के माध्यम से पूर्णत- प्रदत्त के रूप में आवंटित नहीं किया है।

झ) इक्विटी शेयरों में परिवर्तित की जाने वाली किसी प्रतिभूति की अवधि, ऐसी सुदूरवर्ती तिथि से प्रारंभ करते हुए घटते हुए क्रम में परिवर्तन की नवीनतम तिथि के साथ - शून्य

ञ) अदा न किए गए आमंत्रण (निदेशकों को तथा अधिकारियों द्वारा अदा न किए गए आमंत्रणों का संचित मूल्य दर्शाते हुए) - शून्य

ट) जब्त किए गए शेयर (मूलत- अदा की गई राशि) - शून्य

ठ) कंपनी के निदेशक मंडल ने 7 फरवरी, 2017 को हुई अपनी बैठक में इसके इक्विटी शेयरों की पुन- खरीद हेतु एक प्रस्ताव का अनुमोदित किया था। उक्त अनुमोदन के आगे, कंपनी ने 27 मार्च, 2017 को 10 रूपये प्रत्येक के 81,13,47,977 शेयरों (जो 31 मार्च, 2016 हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल प्रदत्त इक्विटी पूंजी तथा मुक्त आरक्षित के 9.99 प्रतिशत को दर्शाता है) की पुन- खरीद को शेयरधारकों से एक अनुपातिक आधार पर 32.25 रूपये प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य पर निविदा प्रस्ताव के माध्यम से 2616.60 करोड़ रूपये की कुल राशि पर कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी विनियमनों के प्रावधानों के अनुसार पूरा किया है।

टिप्पणी सं. 15.2 : अन्य इक्विटी

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
(i)	**पूंजी मोचन आरक्षित**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1,230.07	1,230.07	1,230.07
	जोड़े : प्रतिभूति प्रीमियम खाते से अंतरित	811.35	-	-
		-	-	-
	तुलन-पत्र की तारीख पर	**2,041.42**	**1,230.07**	**1,230.07**
(ii)	**प्रतिभूति प्रीमियम खाता**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	2,868.74	2,868.74	2,868.74
	घटाएं : शेयरों की पुनः खरीद हेतु उपयोग और संबंधित व्यय	1,814.58	-	-
	घटाएं : पूंजी मोचन आरक्षित को अंतरित	811.35	-	-
	घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	-	-	-
	तुलन-पत्र की तारीख पर	**242.81**	**2,868.74**	**2,868.74**
(iii)	**बांड शोधन आरक्षित**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1,324.20	1,247.89	1,247.89
	जोड़े : अधिशेष / प्रतिधारित आय से अंतरित	394.49	185.74	-
	घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	109.42	109.43	-
	तुलन-पत्र की तारीख पर	**1,609.27**	**1,324.20**	**1,247.89**
(iv)	**स्व बीमा निधि**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	917.93	917.93
	जोड़े : अधिशेष / प्रतिधारित आय से अंतरित	-	-	-
	जोड़े : सामान्य आरक्षित को अंतरित	-	917.93	-
	घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग	-	-	-
	तुलन-पत्र की तारीख पर	**-**	**-**	**917.93**
(v)	**कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	17.26	36.67	36.67
	जोड़े : अधिशेष से अंतरित	7.05	-	-
	घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	-	19.41	-
	समायोजन	-	-	-
	तुलन-पत्र की तारीख पर	**24.31**	**17.26**	**36.67**
(vi)	**अनुसंधान एवं विकास निधि**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	45.52	31.81	31.81
	जोड़े : अधिशेष / प्रतिधारित आय से अंतरित	15.35	13.71	-
	घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	-	-	-
	तुलन-पत्र की तारीख पर	**60.87**	**45.52**	**31.81**
(vii)	**सामान्य आरक्षित**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	10,224.43	9,306.50	9,306.50
	जोड़े : अधिशेष / प्रतिधारित आय से अंतरित	-	-	-
	घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	-	-	-
	जोड़े : स्व बीमा निधि से अंतरण	-	917.93	-
	घटाएं : पूंजी मोचन आरक्षित को अंतरित	-	-	-
	तुलन-पत्र की तारीख पर	**10,224.43**	**10,224.43**	**9,306.50**
(viii)	**प्रतिधारित आय/अधिशेष**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	4,775.81	3,971.62	3,971.62
	जोड़ें - पुनर्वगीकरण समायोजन	-	7.87	-
	जोड़ें - वर्ष के दौरान लाभ	3,029.42	2,601.73	-
	जोड़ें - ओसीआई से अंतरित	(42.15)	24.02	-

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
	जोड़ें - बॉण्ड मोचन आरक्षित से पश्च लेखित राशि	109.42	109.43	-
	जोड़ें - कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से पश्च लेखित राशि	-	19.41	-
	जोड़ें - लाभांश पर कर - पश्च लेखित	-	24.08	-
	घटाएं - लाभांश तथा कारपोरेट लाभांश कर (सीडीटी)	3,037.98	1,782.90	-
	घटाएं - बॉण्ड मोचन आरक्षित को अंतरण	394.49	185.74	-
	घटाएं - अनुसंधान और विकास निधि को अंतरण	15.35	13.71	-
	घटाएं - कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि को अंतरण	7.05	-	-
	तुलन-पत्र तिथि के अनुसार	**4,417.63**	**4,775.81**	**3,971.62**
(ix)	**अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) - इक्विटी लिखत**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	65.29	86.07	86.07
	जोड़ें - एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन	34.79	(20.78)	-
	तुलन-पत्र तिथि के अनुसार	**100.08**	**65.29**	**86.07**
(x)	**अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) - ऋण लिखत**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	20.72	30.20	30.20
	जोड़ें - एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन	15.78	(0.09)	-
	घटाएं - उचित मूल्य में परिवर्तन पर विलंबित कर	1.82	(0.01)	-
	घटाएं - लाभ एवं हानि को पुन- वर्गीकरण	-	9.40	-
	तुलन-पत्र तिथि के अनुसार	**34.68**	**20.72**	**30.20**
	कुल	**18,755.50**	**20,572.04**	**19,727.50**

आरक्षित की प्रकृति तथा प्रयोजन

1. **पूंजी मोचन आरक्षित -** कंपनी को वितरण योग्य लाभ से एक पूंजी मोचन आरक्षित बनाना अपेक्षित होता है, यदि शेयरों की पुन- खरीद को मुक्त आरक्षित से किया जाए, तो इस प्रकार खरीद किए गए शेयरों के नामितिक मूल्य को पूंजी मोचन आरक्षित को अंतरित किया जाना अपेक्षित होता है।

2- **प्रतिभूति प्रीमियम खाता -** प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित का उपयोग शेयरों को जारी किए जाने पर प्रीमियम को दर्ज करने के लिए किया जाता है। आरक्षित का उपयोग कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

3- **बॉण्ड मोचन आरक्षित -** कंपनी को लाभ में से एक बॉण्ड मोचन आरक्षित बनाना अपेक्षित होता है जो बॉण्डों की चुकौती के प्रयोजन हेतु उपलब्ध होता है।

4- **अनुसंधान और विकास आरक्षित -** लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मिनिरत्न सीपीएसई को दीर्घावधि व्यापार आवश्यकताओं हेतु कर पश्चात लाभ के 0.5 प्रतिशत का आर एण्ड डी बजट बनाना होता है। आर एण्ड डी बजट का वित्त पोषण व्यपगत नहीं होगा और इसे आर एण्ड डी आरक्षित के रूप में संचित किया जाता है।

5- **एफवीटीओसीआई-इक्विटी लिखत -** कंपनी ने इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता देने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर एफवीटीओसीआई इक्विटी निवेश आरक्षित में ही संचित किए जाते हैं। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को तब प्रतिधारित आय में अंतरित करती है जब इक्विटी प्रतिभूतियों को संगत विमान्य किया जाता है।

6- **एफवीटीओसीआई-ऋण लिखत -** कंपनी ने ऋण प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता देने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर एफवीटीओसीआई ऋण निवेश आरक्षित में ही संचित किए जाते हैं। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को लाभ एवं हानि के माध्यम से तब प्रतिधारित आय में अंतरित करती है जब संगत ऋण प्रतिभूतियों को विमान्य किया जाता है।

टिप्पणी सं. 15.3 : गैर-नियंत्रक हित (एनसीआई)

(करोड़ रूपए में)

अनुषंगी कंपनी का नाम	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
एनएचडीसी लिमिटेड	3346.76	3132.91	2955.68
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसी लि.)	35.48	35.19	34.68
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	-	-	-
कुल	**3382.24**	**3168.10**	**2990.36**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :

क) अन्य उपक्रमों में धारित हित

31 मार्च, 2017 के अनुसार समूह की अनुषंगी कंपनियां नीचे दिए अनुसार है। जब तक कि अन्यथा न बताया गया हो, उनकी शेयर पूंजी में केवल इक्विटी शेयर शामिल है जो सीधे समूह द्वारा धारित है, और स्वामित्व हितों का अनुपात समूह द्वारा धारित मत अधिकारों के समान है। अधिनिगमन या पंजीकरण का देश ही उनके व्यापार का प्रधान स्थान है।

(करोड़ रूपए में)

निकाय का नाम	व्यापार का स्थान/ अधिनिगमन का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व हित			गैर-नियंत्रक हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित			प्रधान क्रियाकलाप
		31 मार्च, 2017 को %	31 मार्च, 2016 को %	01 अप्रैल, 2015 को %	31 मार्च, 2017 को %	31 मार्च, 2016 को %	01 अप्रैल, 2015 को %	
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	51.08	51.08	51.08	48.92	48.92	48.92	विद्युत उत्पादन
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल.)	भारत	74.00	74.00	74.00	26.00	26.00	26.00	विद्युत उत्पादन
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	भारत	100.00	100.00	100.00	-	-	-	विद्युत उत्पादन

ख) सारबद्ध तुलन-पत्र

नीचे प्रत्येक अनुषंगी कंपनी हेतु सारबद्ध वित्तीय सूचना दी गई है जिसके समूह में गैर-नियंत्रक हित है। प्रत्येक अनुषंगी कंपनी हेतु प्रकट की गई राशियां अंतर-कंपनी समाप्ति से पूर्व की है।

(करोड़ रूपए में)

विवरण	एनएचडीसी लिमिटेड			लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल.)			बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)		
	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
वर्तमान परिसंपत्तियां	2749.37	2613.06	2427.74	26.14	34.61	42.08	11.37	11.36	1.00
वर्तमान देयताएं	364.80	319.91	543.49	5.69	2.12	1.69	12.65	11.45	0.20
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां	**2384.57**	**2293.15**	**1884.25**	**20.45**	**32.49**	**40.39**	**(1.28)**	**(0.09)**	**0.80**
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	6059.22	5734.43	6324.82	115.99	102.84	93.00	1.88	1.02	0.14
गैर-वर्तमान देयताएं	1561.68	1592.78	2134.26	-	-	-	-	-	-
निवल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	**4497.54**	**4141.65**	**4190.56**	**115.99**	**102.84**	**93.00**	**1.88**	**1.02**	**0.14**
निवल परिसंपत्तियां	**6882.11**	**6434.80**	**6074.81**	**136.44**	**135.33**	**133.39**	**0.60**	**0.93**	**0.94**
निर्दिष्ट आरक्षित	**41.29**	**31.09**	**33.36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
संचित एनसीआई	**3346.76**	**3132.91**	**2955.68**	**35.48**	**35.19**	**34.68**	**-**	**-**	**-**

ग) **सारबद्ध लाभ एवं हानि विवरण**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	एनएचडीसी लिमिटेड		लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल.)		बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	
	31 मार्च, 2017 को	**31 मार्च, 2016 को**	**31 मार्च, 2017 को**	**31 मार्च, 2016 को**	**31 मार्च, 2017 को**	**31 मार्च, 2016 को**
राजस्व	1,599.64	1,216.76	2.01	2.96	0.04	-
वर्ष हेतु लाभ	931.28	638.87	1.11	1.94	(0.32)	(0.01)
अन्य व्यापक आय	(2.09)	(0.15)	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	**929.19**	**638.72**	**1.11**	**1.94**	**(0.32)**	**(0.01)**
एनसीआई को आवंटित लाभ	450.62	313.67	0.29	0.50	(0.00)	-
एनसीआई को अदा किया गया लाभ (सीडीटी सहित)	235.75	136.36	-	-	-	-

घ) **सारबद्ध नकदी प्रवाह**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	एनएचडीसी लिमिटेड		लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल.)		बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	
	31 मार्च, 2017 को	**31 मार्च, 2016 को**	**31 मार्च, 2017 को**	**31 मार्च, 2016 को**	**31 मार्च, 2017 को**	**31 मार्च, 2016 को**
प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	915.25	1,138.69	4.39	(0.45)	0.30	10.75
निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	(658.84)	93.09	(4.39)	0.45	(0.26)	(0.44)
वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	(468.88)	(1,026.64)	-	-	-	-
नकदी तथा नकदी तुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी)	**(212.47)**	**205.14**	**-**	**-**	**0.04**	**10.31**

टिप्पणी सं. 16.1 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	**31 मार्च 2017 को**	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
बाण्ड			
प्रतिभूत	8,493.28	7,410.97	6,373.74
सावधि ऋण			
बैंकों से			
प्रतिभूत	2,259.36	3,289.02	3,888.90
अप्रतिभूत	1,241.26	1,465.61	1,474.91
अन्य पक्षों से			
प्रतिभूत	2,219.45	3,185.88	4,227.32
अप्रतिभूत	3,032.29	2,829.60	2,733.80
कुल	**17,245.64**	**18,181.08**	**18,698.67**

चुकौती/पुनर्भुगतान की शर्तें आदि

i) ऋण प्रसंविदाएं - टिप्पणी संख्या 33 की बिंदु संख्या 3 (पूंजी प्रबंधन) देखें।

ii) चुकौती तथा पुनर्भुगतान का विवरण - टिप्पणी 16.1 का अनुबंध देखें।

टिप्पणी सं. 16.1 का अनुबंध

(करोड़ रूपए में)

चुकौती और पुनर्भुगतान का विवरण (कुल देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नवत है)	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
(क) बॉण्ड (गैर-परिवर्तनीय और गैर-संचयी) - प्रतिभूत			
i) **कर मुक्त बॉण्ड - 3ए सीरीज़ * 4 और 8** (1000/- रूपए प्रत्येक के 8.67 प्रतिशत प्रतिवर्ष के 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)	336.07	336.07	336.07
ii) **कर मुक्त बॉण्ड - 3बी सीरीज़ * 4 और 8** (1000/- रूपए प्रत्येक के 8.92 प्रतिशत प्रतिवर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)	253.62	253.62	253.62
iii) **बॉण्ड - यू सीरीज़ * 2 और 10** (1000000/- रूपए प्रत्येक के 8.24 प्रतिशत प्रति वर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 27.06.2031)	540.00	-	-
iv) **बॉण्ड - यू1 सीरीज़ * 2 और 10** (1000000/- रूपए प्रत्येक के 8.17 प्रतिशत प्रति वर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 27.06.2031)	360.00	-	-
v) **कर मुक्त बॉण्ड - 2ए सीरीज़ * 4 और 8** (1000/- रूपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)	213.12	213.12	213.12
vi) **कर मुक्त बॉण्ड - 2बी सीरीज़ * 4 और 8** (1000/- रूपए प्रत्येक के 8.79 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)	85.61	85.61	85.61
vii) **कर मुक्त बॉण्ड - 1ए सीरीज़ * 4 और 8** (1000/- रूपए प्रत्येक के 8.18 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)	50.81	50.81	50.81
viii) **कर मुक्त बॉण्ड - 1बी सीरीज़ * 4 और 8** (1000/- रूपए प्रत्येक के 8.43 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)	60.77	60.77	60.77
ix) **बॉण्ड - टी- सीरीज़ * 1, 2 और 10** (12,00,000/- रूपए प्रत्येक के 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (14.07.2019 से 14.07.2030 के बीच 122.91 करोड़ रूपये के 12 वार्षिक विमोचन)	1,474.92	1,474.92	-
x) **बॉण्ड - आर-3 सीरीज़ * 4** (10,00,000/- रूपए प्रत्येक के 8.78 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (11.02.2019 से 11.02.2028 के बीच 89.20 करोड़ रूपए के 10 वार्षिक विमोचन)	892.00	892.00	892.00

(करोड़ रूपए में)

चुकौती और पुनर्भुगतान का विवरण (कुल देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नवत है)	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
xi) **बॉण्ड - एस-2 सीरीज़ * 10** (12,00,000/- रूपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (26.11.2018 से 26.11.2029 के बीच 55 करोड़ रूपये के 12 वार्षिक विमोचन)	660.00	660.00	660.00
xii) **बॉण्ड - वी सीरीज़ * 13** (5,00,000/- रूपए प्रत्येक के 6.84 प्रतिशत प्रति वर्ष 5 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें 5 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/5 है) (24.01.2018 से 24.01.2022 के बीच 155.00 करोड़ रूपये के 5 वार्षिक विमोचन)	775.00	-	-
xiii) **बॉण्ड - क्यू सीरीज़ * 5 और 11** (12,00,000/- रूपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूललधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) 1266.00 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 12.3.2016 से प्रारंभ होगी। 31.03.2017 के अनुसार 105.50 करोड़ रूपए की 10 वार्षिक किस्ते बकाया है।	1,055.00	1,160.50	1,266.00
xiv) **बॉण्ड - आर-2 सीरीज़ * 4** (12,00,000/- रूपए प्रत्येक के 8.85 प्रतिशत प्रति वर्ष 14 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) 382.08 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.02.2016 से प्रारंभ होगी। 31.03.2017 के अनुसार 31.84 करोड़ रूपए की 10 वार्षिक किस्ते बकाया है।	318.40	350.24	382.08
xv) **बॉण्ड - पी सीरीज़ * 4, 6 और 8** (10,00,000/- रूपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिशत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 10 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना चाहिए।) 2000 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 01.2.2016 से प्रारंभ होगी। 31.03.2017 के अनुसार 200 करोड़ रूपए की 8 वार्षिक किस्ते बकाया है।	1,600.00	1,800.00	2,000.00
xvi) **बॉण्ड -एस1 सीरीज़ * 10** (8.49 प्रतिशत 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 1000000/- रूपये है और जो 10 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/10वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)। 365 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 26.11.2015 से प्रारंभ होगी। 31.03.2017 के अनुसार 36.50 करोड़ रूपए की 8 वार्षिक किस्ते बकाया है।	292.00	328.50	365.00
xvii) **बॉण्ड -आर1 सीरीज़ * 4** (8.70 प्रतिशत 13 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 12,00,000/- रूपये है और जो 12 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/12वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)।	61.65	68.50	75.35

(करोड़ रूपए में)

चुकौती और पुनर्भुगतान का विवरण (कुल देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नवत है)	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
82.20 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.2.2015 से प्रारंभ होगी। 31.03.2017 के अनुसार 6.85 करोड़ रूपए की 9 वार्षिक किस्ते बकाया है।			
xviii) **बॉण्ड - ओ सीरीज़ * 2**	57.00	114.00	171.00
(10,00,00,000/- रूपए प्रत्येक के 7.70 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है)			
570 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 31.3.2009 से प्रारंभ होगी। 31.03.2017 के अनुसार 57 करोड़ रूपए की 1 वार्षिक किस्त बकाया है।			
कुल बॉण्ड	**9,085.97**	**7,848.66**	**6,811.43**
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	**592.69**	**437.69**	**437.69**
वर्तमान परिपक्वता के निवल बॉण्ड (क)	**8,493.28**	**7,410.97**	**6,373.74**
(ख) सावधि ऋण - प्रतिभूत (बैंक)			
i) **स्टेट बैंक आफ पटियाला *1**	-	4.00	8.00
(09.01.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)			
ii) **केनरा बैंक *2**	-	20.00	40.00
(09.11.2016 को पूर्णतः चुकता किया गया)			
iii) **सिंडिकेट बैंक *2**	-	18.30	36.60
(23.02.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)			
iv) **ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2**	-	20.00	40.00
(31.03.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)			
v) **ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2**	40.00	50.00	60.00
(31.03.2017 को 7.207 प्रतिशत प्रति वर्ष की ऊपरी सीमा के साथ 7.20 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर से 10 करोड़ रूपये प्रत्येक की 4 समान वार्षिक किस्तों में 27.12.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य जिसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है)			
vi) **यूको बैंक *7**	-	708.33	791.67
(24.01.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)			
vii **कारपोरेशन बैंक *9**	406.25	447.92	489.58
(31.03.2017 को 9.65 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 10.42 करोड़ रूपये प्रत्येक की 39 तिमाही किस्तों में 05.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)			
viii) **केनरा बैंक *9**	162.56	179.20	195.84
(31.03.2017 को 9.65 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.16 करोड़ रूपये प्रत्येक की 38 तिमाही किस्तों में 16.07.2026 तक जमा 16.10.2026 को 4.48 करोड़ रूपए की अंतिम किश्त के साथ पुनर्भुगतान योग्य)			
ix) **इंडियन ओवरसीज बैंक *9**	162.50	179.17	195.83
(31.03.2016 को 9.70 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.17 करोड़ रूपये प्रत्येक की 39 तिमाही किस्तों में 16.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)			
x) **पंजाब एंड सिन्ध बैंक *9**	-	179.17	195.83
(24.01.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)			
xi) **सिंडिकेट बैंक *9**	243.75	268.75	293.75
(31.03.2017 को 9.60 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 6.25 करोड़ रूपये प्रत्येक की 39 तिमाही किस्तों में 02.11.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)			

(करोड़ रूपए में)

चुकौती और पुनर्भुगतान का विवरण (कुल देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नवत है)	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
xii) **यूनियन बैंक आफ इंडिया *9** (31.03.2017 को 9.30 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 3.125 करोड़ रूपये प्रत्येक की 39 तिमाही किस्तों में 03.11.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	121.88	134.37	146.89
xiii) **स्टेट बैंक आफ इंडिया * 3 और 5** (31.03.2017 को 9.15 प्रतिशत की अस्थिर (वार्षिक रीसेट के साथ एमसीएलआर) ब्याज दर पर 20.83 करोड़ रूपये प्रत्येक की 44 तिमाही किस्तों में 27.03.2028 तक पुनर्भुगतान योग्य)	916.67	1,000.00	1,000.00
xiv) **स्टेट बैंक आफ हैदराबाद * 1 और 5** (13.01.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)	-	489.58	500.00
xv) **स्टेट बैंक आफ इंडिया * 8** (31.03.2017 को 8.00 प्रतिशत की अस्थिर (वार्षिक रीसेट के साथ एमसीएलआर) ब्याज दर पर 12.11 करोड़ रूपये प्रत्येक की 37 तिमाही किस्तों में 30.04.2026 तक जमा 31.07.2026 को 11.93 करोड़ रूपए की अंतिम किश्त के साथ पुनर्भुगतान योग्य)	460.00	-	-
xvi) **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (ऋण- I) * 14** (01.04.2015 के अनुसार 31.03.2019 तक 12.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की अस्थिर ब्याज दर पर 18,62,75,000/- रूपये प्रत्येक की 20 छमाही किस्तों में, तब से चुकता कर दिया गया है)	-	-	149.02
xvii) **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (ऋण- II) * 14** (01.04.2015 के अनुसार 30.09.2019 तक 11.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की अस्थिर ब्याज दर पर 11,19,51,754/- रूपये प्रत्येक की 20 छमाही किस्तों में, तब से चुकता कर दिया गया है)	-	-	100.76
कुल सावधि ऋण - बैंक (प्रतिभूत)	**2,513.61**	**3,698.79**	**4,243.77**
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	**254.25**	**409.77**	**354.86**
कुल सावधि ऋण - बैंक (प्रतिभूत) - वर्तमान परिपक्वता के निवल	**2,259.36**	**3,289.02**	**3,888.90**
(ग) सावधि ऋण - अप्रतिभूत (बैंक) - विदेशी मुद्रा			
i) **जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ट्रांचे-I*12** (31.03.2017 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 7.13 करोड़ रूपये प्रत्येक की 18 समान छमाही किस्तों में 20.01.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	128.26	144.65	140.41
ii) **जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ट्रांचे-II*12** (31.03.2017 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 23.38 करोड़ रूपये प्रत्येक की 22 छमाही किस्तों में 20.12.2027 तक पुनर्भुगतान योग्य)	514.28	569.44	544.38
iii) **जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ट्रांचे-III*12** (31.03.2017 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 17.27 करोड़ रूपये प्रत्येक की 34 छमाही किस्तों में 20.03.2034 तक पुनर्भुगतान योग्य)	587.08	630.92	587.70
iv) **डश बैंक और अन्य *12** (अस्थिर ब्याज दर छमाही जेपीवाई एलआईबीओआर + 0.57 प्रतिशत मार्जिन पर 53.39 करोड़ रूपये प्रत्येक की 4 समान छमाही किस्तों में 18.10.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य)	214.36	326.35	383.99
कुल सावधि ऋण -बैंक (अप्रतिभूत)	**1,443.98**	**1,671.36**	**1,656.48**
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	**202.72**	**205.75**	**181.57**
कुल सावधि ऋण - बैंक (अप्रतिभूत) - वर्तमान परिपक्वता का निवल	**1,241.26**	**1,465.61**	**1,474.91**
(घ) सावधि ऋण - अन्य पार्टियों से (प्रतिभूत)			
i) **भारतीय जीवन बीमा निगम *4 तथा 6** (31.03.2017 के अनुसार 33.33 करोड़ रूपये पर 9.25 प्रतिशत और 800 करोड़ रूपये पर 8 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 104.17 करोड़ रूपये प्रत्येक की 8 छमाही किस्तों में 15.10.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य)।	833.33	1,041.67	1,250.00

(करोड़ रूपए में)

चुकौती और पुनर्भुगतान का विवरण (कुल देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नवत है)	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
ii) **भारतीय जीवन बीमा निगम *5 तथा 11** (31.03.2017 को 9.118 प्रतिशत भारित औसत ब्याज दर 6.5 प्रतिशत की फ्लोर दर पर स्थिर ब्याज दर के साथ 79 करोड़ रूपये प्रत्येक की 14 समान छमाही किस्तों में 31.10.2023 पुनर्भुगतान योग्य।)	1,106.00	1,264.00	1,422.00
iii) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *7** (ऋण को 16.07.2016 को पूर्णतः चुका दिया गया है)	-	412.50	487.50
iv) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *7** (31.03.2017 को वर्तमान में 10.17 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 4.65 करोड़ रूपये प्रत्येक की 6 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	27.90	46.50	65.10
v) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *7** (31.03.2017 को 10.17 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 1.75 करोड़ रूपये प्रत्येक की 18 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	31.50	38.50	45.50
vi) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *2&3** (31.03.2017 को 7.93 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 36.425 करोड़ रूपये प्रत्येक की 17 समान तिमाही किस्तों में 15.04.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	619.23	764.92	910.62
vii) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1** (31.03.2017 को 10.54 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 10.325 करोड़ रूपये प्रत्येक की 9 समान तिमाही किस्तों में 15.04.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	92.92	134.22	175.53
viii) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1** (31.03.2017 को 7.93 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 12.50 करोड़ रूपये प्रत्येक की 11 समान तिमाही किस्तों में 15.10.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य और इसमें 3 वर्ष का रीसेट खंड है।)	137.50	187.50	237.50
ix) **पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *15** (01.04.2015 को 10.29 प्रतिशत प्रति वर्ष की परिवर्तनशील ब्याज दर पर 67,50,00,000/- रूपए की 20 समान छमाही किस्तों में 15.07.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य, जिसे समय से पूर्व चुका दिया गया है।)	-	-	472.50
कुल सावधि ऋण-अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)	**2,848.38**	**3,889.81**	**5,066.25**
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	**628.93**	**703.93**	**838.93**
कुल सावधि ऋण - अन्य पक्षों से (प्रतिभूत) - वर्तमान परिपक्वता का निवल (घ)	**2,219.45**	**3,185.88**	**4,227.32**
(E). सावधि ऋण - अन्य पार्टियों से (अप्रतिभूत)			
विदेशी मुद्रा			
i) **एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा *12** (15.03.2016 को 6.01 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 23.45 करोड़ रूपये प्रत्येक की शून्य समान छमाही किस्तों में 15.03.2016 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	-	-	46.90
भारत सरकार से ऋण			
ii) **निम्मो - बाज़गो जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण** (4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष अर्थात 10.10.2025 से 27.26 करोड़ की 18 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)	394.76	270.00	270.00

(करोड़ रूपए में)

चुकौती और पुनर्भुगतान का विवरण (कुल देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नवत है)	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
iii) **चूटक जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण** (2.5 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 6ठें वर्ष अर्थात 01.02.2019 से 22.07 करोड़ रूपए की 24 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)	452.13	373.68	364.00
iv) **किशनगंगा जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण** (1 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से 10 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा)	2,185.40	2,185.92	2,099.80
कुल सावधि ऋण - अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)	**3,032.29**	**2,829.60**	**2,780.70**
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	**-**	**-**	**46.90**
कुल सावधि ऋण - अन्य पक्षों से (प्रतिभूत) - वर्तमान परिपक्वता का निवल (ङ)	**3,032.29**	**2,829.60**	**2,733.80**
समग्र योग (क + ख + ग + घ +ङ)	**17,245.64**	**18,181.08**	**18,698.67**

*** प्रतिभूति का विवरण**

1. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-I की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
2. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के उड़ी-1 पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-II की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
4. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्बती जल विद्युत परियोजना-II की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
5. पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित कम्पनी की तीस्ता लो डैम- I।। जल विद्युत परियोजना की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
6. उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी की धौली गंगा जल विद्युत परियोजना की सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
7. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के दुलहस्ती विद्युत स्टेशन में निगम की वर्तमान तथा भविष्य की चल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित।
8. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा जल विद्युत परियोजना-III की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
9. जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के सलाल पॉवर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित सेवा-II पॉवर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित कम्पनी के चूटक विद्युत स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी के निम्मो-बाज़गो विद्युत स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी के उड़ी विद्युत स्टेशन और पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित टीएलडीपी-IV जल विद्युत परियोजना में कम्पनी की सभी अचल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
10. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के पार्बती-III विद्युत स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक तथा रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत।
11. सिक्किम राज्य में अवस्थित कम्पनी की तीस्ता-V परियोजना की अचल/चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत।
12. उपरोक्त क्रमांक ग(i), ग(ii), ग(iii), ग(iv) और ङ(i) पर वर्णित ऋण भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत हैं।
13. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के पार्बती- I। विद्युत स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत।
14. एनएचडीसी की इंदिरा सागर परियोजना की अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख जमा करके और उसकी वर्तमान तथा भविष्य की सभी चल, स्थिर तथा वर्तमान परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार से भी ऋणदाता के पक्ष में समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत।
15. एनएचडीसी की ओमकारेश्वर परियोजना की अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख जमा करके और उसकी वर्तमान तथा भविष्य की सभी चल, स्थिर तथा वर्तमान परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार से भी ऋणदाता के पक्ष में समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत।

टिप्पणी सं. 16.2 वित्तीय देयताएं - गैर वर्तमान - अन्य वित्तीय देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
जमा/प्रतिधारण राशि	25.84	40.13	75.55
कुल	**25.84**	**40.13**	**75.55**

टिप्पणी सं. 17 प्रावधान - गैर वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
क)	**कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान**			
	(बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)			
i)	**अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	377.22	363.90	363.90
	वर्ष के दौरान वर्धन	88.09	13.32	-
	अंतिम शेष	**465.31**	**377.22**	**363.90**
ii)	**आरईएचएव हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	3.79	499.66	499.66
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	0.92	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	3.79	496.79	-
	अंतिम शेष	**0.00**	**3.79**	**499.66**
iii)	**टीटीए (सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता) हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	4.76	4.74	4.74
	वर्ष के दौरान वर्धन	0.19	0.02	-
	अंतिम शेष	**4.95**	**4.76**	**4.74**
iv)	**स्मृति-चिन्ह हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	2.26	2.45	2.45
	वर्ष के दौरान वर्धन	(0.09)	(0.19)	-
	अंतिम शेष	**2.17**	**2.26**	**2.45**
ख.	**अन्य**			
i)	**प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	20.43	19.06	20.26
	वर्ष के दौरान वर्धन	3.55	3.05	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	10.16	3.05	1.20
	छूट की समाप्ति	1.34	1.37	-
	अंतिम शेष	**15.16**	**20.43**	**19.06**
ii)	**आजीविका सहायता हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	16.09	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	1.57	16.00	-
	छूट की समाप्ति	0.33	0.09	-
	अंतिम शेष	17.99	16.09	-
	कुल	**505.58**	**424.55**	**889.81**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

प्रावधानों के संबंध में जानकारी टिप्पणी 34 - लेखे की अन्य विवरणात्मक टिप्पणी के पैरा 29 में दी गई है।

टिप्पणी सं. 18 विलंबित कर देयताएं (निवल) - गैर वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
	विलंबित कर देयता			
क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अर्मूत परिसंपत्तियां	4,080.95	3,702.28	3,568.60
ख)	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	5.25	27.84	3.48
ग)	अन्य मदें	647.21	512.46	449.64
	Undistributed Earnings	479.47	434.02	396.35
	घटाएं - 2009 तक टैरिफ अवधि हेतु प्राप्य	2,324.21	2,479.98	2,618.75
	घटाएं - विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन	796.40	361.78	104.96
	निवल विलंबित कर देयता	**2,092.27**	**1,834.84**	**1,694.36**
	घटांए - समायोजन प्रावधानों के अनुपालन में समायोजित विलंबित कर परिसपंत्तियां			
क)	संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान, माल-सूची तथा अन्य	92.42	73.59	143.54
ख)	कर्मचारी लाभ योजनाओं हेतु प्रावधान	179.30	33.00	134.92
ग)	अन्य मदें	155.26	214.62	21.50
	निवल विलंबित कर परिसंपत्तियां	**426.98**	**321.21**	**299.96**
	कुल	**1,665.29**	**1,513.63**	**1,394.40**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित ठआय पर करों हेतु लेखांकनड संबंधी भारतीय लेखांकन मानक 12 के अनुपालन मे विलंबित कर देयताओ/परिसंपत्तियों का सृजन विलंबित कर देयता/परिसंपत्ति के रूप् में किया गया है।

2) विलंबित कर देयता/परिसंपत्तियों में संचलन टिप्पणी संख्या 18 के अनुबंध में दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 18 का अनुबंध

विलंबित कर देयता में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति तथा अर्मूत परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मदें	अवितरित अर्जन	2009 तक टैरिफ अवधि हेतु प्राप्य	विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन	कुल
01 अप्रैल, 2015 को	**3568.60**	**3.48**	**449.64**	**396.35**	**2618.75**	**104.96**	**1694.36**
(प्रभारित)/ क्रेडिट किया गया							
लाभ या हानि को	133.68	24.40	62.82	37.67	(138.77)	256.87	140.47
ओसीआई को	-	(0.04)	-	-	-	(0.05)	0.01
31 मार्च 2016 को	**3702.28**	**27.84**	**512.46**	**434.02**	**2479.98**	**361.78**	**1834.84**
(प्रभारित)/ क्रेडिट किया गया							
लाभ या हानि को	378.67	(23.69)	134.75	45.45	(155.77)	435.34	255.61
ओसीआई को	-	1.10	-	-	-	-0.72	1.82
31 मार्च 2017 को	**4080.95**	**5.25**	**647.21**	**479.47**	**2324.21**	**796.40**	**2092.27**

विलंबित कर देयता में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान, माल-सूची तथा अन्य	कर्मचारी लाभ योजनाओं हेतु प्रावधान	अन्य मदें	कुल
01 अप्रैल, 2015 को	**143.54**	**134.92**	**21.50**	**299.96**
(प्रभारित)/ क्रेडिट किया गया लाभ या हानि को	(69.95)	(89.19)	193.12	33.98
ओसीआई को	-	(12.73)	-	(12.73)
31 मार्च 2016 को	**73.59**	**33.00**	**214.62**	**321.21**
(प्रभारित)/ क्रेडिट किया गया लाभ या हानि को	18.83	131.60	(59.36)	91.07
ओसीआई को	-	14.70	-	14.70
31 मार्च 2017 को	**92.42**	**179.30**	**155.26**	**426.98**

टिप्पणी सं. 19 अन्य गैर वर्तमान देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम)	1,158.22	1,218.90	1,279.58
विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव लेखे देयताएं	-	-	-
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव लेखे से विलंबित आय	60.89	78.69	66.01
सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय	1,548.85	1,442.78	1,293.83
कुल	**2,767.96**	**2,740.37**	**2,639.42**
सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय			
वर्ष के प्रारंभ में	1,515.95	1,366.66	1,366.66
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त	189.77	222.21	-
घटाएं : लाभ एवं हानि विवरण को निर्मुक्त	77.95	72.92	-
वर्ष के अंत में शेष #	1,627.77	1,515.95	1,366.66
सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय (वर्तमान)	78.92	73.17	72.83
सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय (गैर-वर्तमान)	**1,548.85**	**1,442.78**	**1,293.83**

अनुदान में एनएचडीसी लिमिटेड से संबंधित 1248.80 करोड़ रूपए (गत वर्ष 1309.07 करोड़ रूपए) की राशि शामिल है (देखें टिप्पणी सं. 34 का पैरा 8)

टिप्पणी सं. 20.1 ऋण - वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
	ऋण - अन्य ऋण - प्रतिभूत			
	बैंकों से	302.50	-	-
	कुल	**302.50**	**-**	**-**
	चुकौती तथा पुनर्भुगतान का ब्यौरा			
	बैंक का नाम प्रतिभूति की प्रकृति ब्याज दर	**31 मार्च 2017 को**	**31 मार्च 2016 को**	**01 अप्रैल, 2015 को**
1	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - सावधि जमा रसीद (एफडीआर) 7.25 प्रतिशत	225.00	-	-
2	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स - सावधि जमा रसीद (एफडीआर) 7.01 प्रतिशत	47.50	-	-
3	यूको बैंक - सावधि जमा रसीद (एफडीआर) 7.37 प्रतिशत	30.00	-	-
	सकल जोड़	**302.50**	**-**	**-**
	पुनर्भुगतान अवधि - ऋण राशि का पुनर्भुगतान किसी भी समय और आंशिक रूप से भी किया जा सकता है।			
	पुनर्भुगतान में चूक (यदि कोई हो) - कोई नहीं			

टिप्पणी सं. 20.2 देय व्यापार - वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय	6.32	1.89	0.42
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय	151.27	128.54	163.46
कुल	**157.59**	**130.43**	**163.88**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकता को टिप्पणी सं. 34-लेखे पर अन्य विवरणात्मक टिप्पणियों में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 20.3 अन्य वित्तीय देयताएं - वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता *			
- बॉण्ड	592.69	437.69	437.69
- सावधि ऋण - बैंक - प्रतिभूत	254.25	409.77	354.86
- सावधि ऋण - बैंक - अप्रतिभूत	202.72	205.75	181.57
- अन्य पक्ष - प्रतिभूत	628.93	703.93	838.93
- अन्य पक्ष - अप्रतिभूत	-	-	46.90
पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता	292.45	363.52	345.14
पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता - एमएसएमई	2.15	1.42	0.12
ऋणों पर प्रोदभूत किन्तु देय न होने वाला ब्याज	428.56	377.23	313.41
जमा /प्रतिधारण राशि	104.85	112.99	101.14
अदा न किया गया लाभांश	14.26	10.06	5.85
अदा न किया गया ब्याज	0.26	0.06	0.04
कुल	**2,521.12**	**2,622.42**	**2,625.65**

* मोचन, ब्याज की दर, चुकौती की अवधि तथा प्रतिभूति के ब्यौरे टिप्पणी संख्या 16.1 के अनुबंध में प्रकट किए गए हैं।

टिप्पणी सं. 21 अन्य वर्तमान देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम)	60.68	60.68	50.17
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव लेखे से विलंबित आय	6.17	6.17	8.41
जमा/एजेंसी आधार कार्य की व्यय न की गई राशि	-	-	0.04
भुगतान योग्य सांविधिक देय	364.08	341.24	269.93
जमा कार्यों के प्रति अग्रिम	244.12	232.92	232.92
जमा कार्यों पर व्यय की गई राशि	(238.87)	(232.90)	(229.44)
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य की लागत के प्रति अग्रिम	4,547.45	4,487.08	4,462.39
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों के संबंध में व्यय की गई राशि	(4,283.37)	(4,288.02)	(4,285.93)
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों के संबंध में वसूली योग्य राशि के प्रति प्रावधान	2.28	2.28	2.28
अन्य देयताएं	64.71	85.81	131.19
सहायता अनुदान - उपयोग लंबित होने वाला	10.00	-	-
सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय	78.92	73.17	72.83
कुल	**856.17**	**768.43**	**714.79**

टिप्पणी सं. 22 प्रावधान - वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
क)	**कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान**			
	(बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)			
i)	**अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	55.90	51.25	51.25
	वर्ष के दौरान वर्धन	79.85	19.90	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	68.80	15.25	-
	अंतिम शेष	**66.95**	**55.90**	**51.25**
ii)	**आरईएचएव हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0.03	18.95	18.95
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	1.60	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.03	20.52	-
	अंतिम शेष	**0.00**	**0.03**	**18.95**
iii)	**टीटीए (सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता) हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0.61	0.57	0.57
	वर्ष के दौरान वर्धन	0.36	0.08	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.36	0.04	-
	अंतिम शेष	**0.61**	**0.61**	**0.57**
iv)	**स्मृति-चिन्ह हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0.32	0.32	0.32
	वर्ष के दौरान वर्धन	0.26	0.04	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.28	0.04	-
	अंतिम शेष	**0.30**	**0.32**	**0.32**
v)	**उपदान हेतु प्रावधान**			
	वर्ष के दौरान वर्धन	186.36	-	-
	अंतिम शेष	186.36	-	-
vi)	**मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	8.77	35.16	35.16
	वर्ष के दौरान वर्धन	3.78	4.94	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	1.10	31.22	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	0.11	-
	अंतिम शेष	**11.45**	**8.77**	**35.16**
	घटाएं : अदा किया गया अग्रिम	10.62	8.63	35.16
	अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	0.83	0.14	-
vii)	**उत्पादकता सहयोजित वेतन / प्रोत्साहन हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	108.48	103.86	103.39
	वर्ष के दौरान वर्धन	133.62	105.87	0.94
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	110.33	93.72	0.30
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.15	7.53	0.17
	अंतिम शेष	**131.62**	**108.48**	**103.86**
viii)	**अधिवर्षिता/पेंशन निधि के लिए प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	42.40	33.98	33.98
	वर्ष के दौरान वर्धन	5.95	42.40	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	42.38	33.98	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.02	-	-
	अंतिम शेष	**5.95**	**42.40**	**33.98**
ix)	**मजूदरी संशोधन हेतु प्रावधान तीसरी वेतन संशोधन समिति**			
	वर्ष के दौरान वर्धन	108.15	-	-
	अंतिम शेष	**108.15**	**-**	**-**

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
ख.	**अन्य**			
i)	**टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	263.99	155.63	155.63
	वर्ष के दौरान वर्धन	138.98	110.48	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	253.06	2.12	-
	अंतिम शेष	**149.91**	**263.99**	**155.63**
ii)	**प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	171.55	161.76	161.76
	वर्ष के दौरान वर्धन	125.06	24.43	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	22.74	14.70	-
	छूट की समाप्ति	0.20	0.06	-
	अंतिम शेष	**274.07**	**171.55**	**161.76**
iii)	**बीमित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्यय हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	49.35	24.81	24.81
	वर्ष के दौरान वर्धन	43.43	66.37	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	45.27	28.09	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	13.74	-
	अंतिम शेष	**47.51**	**49.35**	**24.81**
iv)	**आजीविका सहायता हेतु प्रावधान**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	7.25	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	6.53	7.24	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.01	-	-
	छूट की समाप्ति	0.27	0.01	-
	अंतिम शेष	**14.04**	**7.25**	**-**
v)	**प्रावधान - सीएसआर, एसडी और आरडी**			
	वर्ष के दौरान वर्धन	0.07	-	-
	अंतिम शेष	**0.07**	**-**	**-**
vi)	**प्रावधान - अन्य**			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	761.59	707.66	707.66
	वर्ष के दौरान वर्धन	152.85	237.99	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	146.20	130.97	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	22.23	53.09	-
	अंतिम शेष	**746.01**	**761.59**	**707.66**
	कुल	**1,732.38**	**1,461.61**	**1,258.79**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) बोर्ड ने विद्युत मंत्रालय के दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 के पत्र संख्या 11/17/2009-एनएचपीसी/खंड-2 के माध्यम से बोर्ड स्तर के कार्यपालकों से नीचे के संबंध में वेतनमान संबंधी सक्षम प्राधिकारी के इस अनुमोदन को सम्प्रेषित करने वाले कि 1.1.97 से निर्धारित वेतनमान में कमियों का सुधार करने के पश्चात वेतनमान 1.1.2007 से निर्धारित किए जाएं और 1.1.97 से निर्धारित विपथनकारी वेतनमानों को नियमित नहीं किया जाए के निदेशों को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया है। विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 25 फरवरी, 2016 के पत्र संख्या 11/17/2009-एनएचपीसी-खंड-3 के माध्यम से यह पुष्टि की है कि 1.2.2014 से वैयक्तिक वेतन समायोजन की वसूली सक्षम प्राधिकारी के उक्त निदेश के अनुरूप है। तदनुसार, वेतन संशोधन हेतु प्रावधान के शेष के प्रति शून्य और 31.22 करोड़ रूपए के व्यक्तिगत वेतन अग्रिम को क्रमशः 31 मार्च, 2017 तथा 31 मार्च, 2016 को समायोजित कर लिया गया है। तथापि, एनएचपीसी अधिकारी एसोसिएशन ने व्यक्तिगत वेतन समायोजन (फिटमेंट लाभ) को रोके जाने की क्रियान्वयन के विरूद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया है। माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के मद्देनजर कर्मचारियों को वेतन के साथ व्यक्तिगत वेतन समायोजन का भुगतान जारी है। इस प्रकार ''वेतन संशोधन हेतु प्रावधान'' शीर्ष के अंतर्गत 1.2.2014 से 31.3.2017 तक व्यक्तिगत वेतन समायोजन के प्रति मुहैया करवाई गई संचित राशि 11.45 करोड़ रूपये है (वर्तमान वर्ष 3.78 करोड़ रूपये के प्रावधान सहित) जिसमें तदनुरूपी राशि को ''अदा किए गए अग्रिम'' के रूप में दर्शाया गया है।

2) प्रावधानों के संबंध में जानकारी तुलन-पत्र की टिप्पणी 34 के पैरा 29 में दी गई है।

टिप्पणी सं. 23 वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
आयकर			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	915.79	790.35	247.94
वर्ष के दौरान वर्धन	1,005.89	915.79	790.35
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	(915.79)	(206.85)	3.68
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	583.50	251.62
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-	-
अंतिम शेष	1,005.89	915.79	790.35
घटाएं : वर्तमान अग्रिम कर	1,084.19	837.17	727.40
निवल वर्तमान कर देयताएं (निवल)	(78.30)	78.62	62.95
घटाएं : वर्तमान कर परिसंपत्तियां (टिप्पणी सं. 12.2 में दर्शाए गए अनुसार)	78.30	28.04	-
संपत्ति कर	-	-	1.70
कुल	**-**	**106.66**	**64.65**

टिप्पणी सं. 24 : प्रचालनों से राजस्व

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
I	**प्रचालन राजस्व**		
क.	**बिक्री**		
	विद्युत की बिक्री	7,214.00	7,287.55
	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम - वर्ष के दौरान पश्च लेखित	60.68	50.17
	घटाएं :		
	विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन के कारण बिक्री समायोजन	51.81	64.65
	टैरिफ समायोजन	134.17	110.48
	विद्युत के उत्पादन से आय - चालू	27.71	111.18
	किए जाने से पूर्व (निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित)	0.56	0.51
	उपभोक्ताओं को छूट	25.04	22.50
	उप जोड़ (क)	**7,035.39**	**7,028.40**
ख	**वित्त- पट्टे से आय**	806.55	840.26
ग	**प्रचालन पट्टे से आय**	522.59	347.94
घ	**संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व**		
	संविदा आय	-	3.76
	परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	51.94	30.38
	उप जोड़ (घ)	**51.94**	**34.14**
	उप जोड़ - I (क+ख+ग+घ)	**8,416.47**	**8,250.74**
II	**अन्य प्रचालन राजस्व**		
	लाभग्राही राज्यों से ब्याज (टैरिफ का संशोधन)	206.66	103.28
	उप जोड़-II	**206.66**	**103.28**
	कुल (I+II)	**8,623.13**	**8,354.02**

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
	व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
	1) टैरिफ को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न पूर्व के वर्ष की बिक्री की राशि जिसे वर्तमान अवधि की बिक्री में शामिल किया गया है।	197.90	140.01
	2) 'सीईआरसी' द्वारा अनुमेय किए गए अनुसार 'मानद उत्पादन' को बिक्री में शामिल किया गया है।	115.98	77.14
	3) कुछ लाभार्थियों द्वारा शुल्क अदा न किए जाने के कारण, उन्हें आवंटित विद्युत के अंश के संदर्भ में सीईआरसी विनियम संख्या एल-1/42/2010-सीईआरसी दिनांक 28 सितम्बर, 2010 की शर्तों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान विद्युत विनियमित की गई और तदनुरूप बिक्री में विनियमित विद्युत के संदर्भ में राशि शामिल है, जो पावर एक्सचेंज के जरिए नीलामी के माध्यम से बेची गई। उक्त विनियम में यह प्रावधान भी है कि इस तरह विनियमित बिजली बेचे जाने और तत्संबंधी बिक्री पर हुए खर्च को समायोजित करने के बाद जो लाभ अर्जित हो उसे उन लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए जिनकी विद्युत विनियमित की गई हो।	61.19	195.02
	4) विनियमित विद्युत के कारण विद्युत की बिक्री की राशि को उन लाभार्थियों के प्रति बकाया देयों में समायोजित किया गया है।	15.76	72.01
	5) अभी बिल न की गई बिक्री की राशि को बिक्री में शामिल किया गया है।	1,005.66	753.72
	6) दिनांक 21.02.2004 की अधिसूचना के तहत सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ का निर्धारण चालू टैरिफ अवधि के अंत में उसकी पूंजीगत लागत की सत्यता पर निर्भर करेगा, जिससे टैरिफ घट या बढ़ सकता है। तदनुरूप, प्रचुर सावधानी के तौर पर वर्ष के दौरान बहियों में उक्त राशि का प्रावधान किया गया है।	134.18	110.48
	7) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) की अधिसूचना संख्या एल-1/144/2013-सीईआरसी दिनांक 21.02.2014 के तहत जारी टैरिफ विनियम के विनियम संख्या 49 के संदर्भ में 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए देय स्थगित कर देयता, चाहे वह कभी भी संभव हो, सीधे लाभार्थियों से वसूल की जाती है और इसका लेखांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है। तदनुरूप, उक्त राशि को संगत वर्ष की विद्युत की बिक्री में शामिल किया गया है।	238.22	251.51

टिप्पणी सं. 25 अन्य आय

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)	**लाभांश आय**		
	लाभांश - अन्य	3.00	2.64
ख)	**ब्याज आय**		
	- एफवीटीओसीआई पर वहन किए गए निवेशों से ब्याज	31.19	39.64
	- ब्याज - सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी 8.5 प्रतिशत कर मुक्त बॉण्ड)	-	16.35
	प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन - सहायता अनुदान		
	- सहायक अनुदान	4.60	0.05
	निवेश पर प्रभावी ब्याज - ऋण लिखत	0.25	0.23
	निम्नलिखित पर ब्याज		
	- ग्राहकों से देयों के निपटान पर राज्य सरकार को ऋण	0.54	2.69
	- अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	43.09	39.53
	- जमा खाता	536.65	626.10
	- कर्मचारी ऋण और अग्रिम	14.50	14.20

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
	- कर्मचारी ऋण और अग्रिम - प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	2.21	2.08
	- अन्य	41.10	54.44
ग)	**अन्य गैर-प्रचालन आय**		
	विलंब भुगतान अधिभार	526.75	24.07
	व्यापार बाधा के कारण हानि की वसूली	111.80	89.99
	एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश की बिक्री पर निवल लाभ/(हानि)	-	9.02
	एफवीटीपीएल पर किए गए निवेश की बिक्री पर निवल लाभ/(हानि)	6.54	4.15
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.47	0.51
	बीमा दावे से आय	7.20	41.24
	पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/प्रावधान #	70.44	46.17
	अन्य	46.79	86.64
	विनिमय दर अंतर	4.52	2.21
	विलंबित आय का परिशोधन - सहायता अनुदान	73.35	72.87
	उप जोड़	**1,524.99**	**1,174.82**
	घटाएं - निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित आय	13.83	65.31
	घटाएं - अग्रिम को अंतरित आय/ग्राहक/संविदादाता से जमा तथा जमा कार्यों के प्रति	7.38	17.10
	लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल	**1,503.78**	**1,092.41**
	व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
1	**पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताओं/ प्रावधानों का ब्यौरा #**		
	क) भंडार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी (* 1 टिप्पणी सं. 5 के अंतर्गत)	1.75	0.30
	ख) खराब और संदिग्ध ऋण (* 1 टिप्पणी सं. 7 के अंतर्गत)	21.54	0.21
	ग) खराब और संदिग्ध कर्मचारी ऋण - वर्तमान (* 1 टिप्पणी सं. 10 के अंतर्गत)	-	0.06
	घ) संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान (* 1 टिप्पणी सं. 11 के अंतर्गत)	5.61	0.09
	ङ) संदिग्ध प्रोदभूत ब्याज हेतु प्रावधान (* 3 टिप्पणी सं. 13 के अंतर्गत)	2.55	-
	च) संदिग्ध जमाओं हेतु प्रावधान (* 1 टिप्पणी सं. 13 के अंतर्गत)	-	0.01
	छ) जांच लंबित/पश्चलेखन स्वीकृति प्रतीक्षित हानियों हेतु प्रावधान (* 5 टिप्पणी सं. 13 के अंतर्गत)	0.21	0.02
	ज) वेतन संशोधन हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 22 की क्रम संख्या क(6))	-	1.31
	झ) पीआरपी/प्रोत्साहन/उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 22 की क्रम संख्या क(7))	0.15	4.92
	ञ) अधिवर्षिता/पेंशन निधि हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 22 की क्रम संख्या क(8))	0.02	-
	त) अन्य	38.61	39.24
	कुल	**70.44**	**46.17**

2 लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल में टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 25(क) में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 26.99 करोड़ रूपये (गत वर्ष 25.76 करोड़ रूपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 26.99 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को भारतीय लेखांकन मानक 114-"नियामक विलंबित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 26 : उत्पादन एवं अन्य व्यय

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क.	**उत्पादन व्यय**		
(i)	जल उपयोग प्रभार	748.40	771.11
(ii)	भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	26.75	21.36
ख.	**संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय**	**-**	**0.05**
ग.	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**		
	- भवन	84.56	64.58
	- मशीनरी	64.65	58.57
	- अन्य	168.00	156.51
घ.	**प्रशासनिक व्यय**		
	किराया और हायर प्रभार	49.23	46.79
	दरें और कर	74.64	59.72
	बीमा	146.86	138.96
	सुरक्षा व्यय	230.56	194.92
	विद्युत प्रभार	58.16	61.18
	यात्रा एवं वाहन	28.01	25.59
	वाहनों पर खर्च	9.18	8.65
	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	19.63	15.71
	विज्ञापन एवं प्रचार	13.87	14.41
	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	0.48	0.48
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	6.49	6.21
	परामर्शी प्रभार -स्वदेशी	16.21	13.26
	लेखा परीक्षा खर्च (नीचे विवरणात्मक टिप्पणी-3 देखें)	2.55	2.06
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सुधार पर खर्च	4.98	10.51
	कंपनी के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर किया गया व्यय	6.19	3.81
	परिसंम्पत्तियों पर हानि	2.29	2.21
	बीमा दावे से हानियां (आधिक्य खंड तक)	1.90	14.25
	बीमा दावे से हानियां (आधिक्य खंड से परे)	6.97	41.24
	पुस्तकें व पत्रिकाएं	0.32	0.28
	चंदा	5.00	-
	सीएसआर/धारणीय विकास	89.73	99.03
	सामुदायिक विकास व्यय	0.11	0.14
	निदेशकों के खर्च	0.19	0.13
	अनुसंधान और विकास व्यय	-	0.74
	माध्यस्थम/अदालती मामलों पर ब्याज	30.20	14.01
	लाभग्राही राज्यों को ब्याज	57.02	27.58
	विनियमित बिजली पर व्यय	4.39	13.75
	घटाएं : विनियमित बिजली पर वसूली योग्य व्यय	(4.39)	(13.75)
	विनियम दर अंतर	0.47	4.92
	अन्य सामान्य व्यय	112.41	92.11
	कुल (क+ख+ग+घ)	**2,066.01**	**1,971.08**
	घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित राशि	76.38	90.99
	घटाएं : जमा कार्यों हेतु वसूली योग्य	1.14	2.44
	घटाएं : उत्पादन और अन्य व्ययों का अंतरण - आईपीओ/पुनः खरीद	9.33	-
		1,979.16	**1,877.65**

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
ङ.	**प्रावधान**		
	खराब तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	19.57	22.07
	खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	4.38	-
	खराब तथा संदिग्ध दावे हेतु प्रावधान	22.46	8.37
	संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान	19.79	20.28
	भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी	0.52	0.69
	प्रावधान किए गए परियोजना व्यय	44.16	359.65
	अचल परिसंपत्तियों/भंडार हेतु मुहैया करवाया गया प्रावधान	2.77	6.37
	लाभग्राहियों को ब्याज हेतु प्रावधान	14.08	-
	अन्य	-	0.09
	उप जोड़	**127.73**	**417.52**
	घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित राशि	5.24	5.03
		122.49	**412.49**
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**2,101.65**	**2,290.14**

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

1 कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीज्गि व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को किराये के रूप मे दर्शाया गया है।

2 कंपनी द्वारा सीईआरसी की दिनांक 19.01.2009 की अधिसूचना के अंतर्गत संतुलन के लिए दायर आवेदन के संबंध में सीईआरसी द्वारा संशोधन आदेश के लंबित होने के चलते, संबंधित राशि का बहियों में लाभग्राही राज्यों के प्रति ब्याज के लिए प्रावधान किया गया है जिसे उक्त संशोधन आदेश के परिणामस्वरूप टैरिफ में कमी के मामले में अदा किया जाना पड़ सकता है। 14.08 -

3 **लेखा परीक्षा व्यय का ब्योरा नीचे दिया गया है :-**

i) सांविधिक लेखा-परीक्षक		
लेखा-परीक्षक के रूप में		
लेखा-परीक्षा शुल्क	0.71	0.60
कर लेखा-परीक्षा शुल्क	0.21	0.19
अन्य क्षमता में		
कराधान मामले	0.01	0.02
कंपनी विधि मामले	-	-
प्रबंधन सेवाएं	-	-
अन्य मामले/ सेवाएं	0.53	0.40
खर्चों की अदायगी	0.93	0.68
ii) लागत लेखा परीक्षक		
लेखा-परीक्षा शुल्क	0.15	0.14
खर्चों की अदायगी	0.01	0.03
कुल लेखापरीक्षा व्यय	**2.55**	**2.06**

4 लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल में टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 30(क) में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 101.98 करोड़ रूपये (गत वर्ष 116.61 करोड़ रूपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 78.67 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को आईसीएआई द्वारा जारी 114-"नियामक विलंबित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 27 : कर्मचारी लाभ व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	1,497.01	1,242.69
उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	344.17	233.03
कर्मचारी कल्याण व्यय	84.97	121.72
अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	0.09	0.01
विलंबित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय	6.46	6.73
उप जोड़	**1,932.70**	**1,604.18**
घटाएं : ईएसी को अंतरित राशि	253.20	360.47
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	1.34	1.59
लाभ एवं हानि विवरण को ले जाया गया कुल	**1,678.16**	**1,242.12**

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

1 कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के संदर्भ में है। ये लीज़िंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के संबंध में पट्टा भुगतान को वेतन, मजदूरी, भत्तों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(करोड़ रूपए में)

2 उपदान, भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान में निम्नलिखित अंशदान शामिल है :	**31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु**
i) कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति	78.83	76.93
ii) कर्मचारी निर्धारित योगदान अधिवर्षिता योजना	92.22	129.29

3 लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल में टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 30(क) में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 92.23 करोड़ रूपये (गत वर्ष 107.49 करोड़ रूपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 92.74 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को आईसीएआई द्वारा जारी-"नियामक विलंबित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 28 : वित्त लागत

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क.	**ब्याज -**		
	भारत सरकार ऋण	30.37	19.97
	बॉण्ड	749.33	688.65
	विदेशी ऋण	26.27	28.92
	सावधि ऋण	607.30	807.73
	प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन - सहायता अनुदान	12.38	2.74
	उप जोड़	**1,425.65**	**1,548.01**
ख.	**विनिमय अंतर जिन्हें ऋण लागत पर समायोजन माना गया है**		
	विनिमय अंतर जिन्हें ब्याज लागत पर समायोजन माना गया है	2.28	179.93
	घटाएं : विदेशी मुद्रा विनिमय दर में अंतर के कारण ब्याज समायोजन	(2.28)	(179.93)
	उप जोड़	**-**	**-**

(करोड़ रूपए में)

	विवरण		31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
ग.	**अन्य ऋण लागत**			
	बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय		0.37	0.34
	प्रतिबद्धता शुल्क		-	0.05
	विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क		22.96	20.44
	अन्य वित्त प्रभार		5.90	9.72
	प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन		3.47	3.58
	प्रावधान - समय मूल्य हेतु समायोजन		1.90	1.77
		उप जोड़	**34.60**	**35.90**
		(क+ख+ग)	**1,460.25**	**1,583.91**
	घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय को अंतरित वित्त लागत		386.81	465.73
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल		1,073.44	1,118.18

विवरणात्मक टिप्पणी :-

लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल में टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 30(क) में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 365.32 करोड़ रूपये (गत वर्ष 396.22 करोड़ रूपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 365.32 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियमित परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियमित कार्यकलापों हेतु लेखांकन संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता दी गई है।

टिप्पणी सं. : 29 मूल्यहास और परिशोधन व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल्यहास तथा परिशोधन व्यय		1,483.06	1,453.96
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यहास समायोजन		(1.71)	(0.96)
	उप जोड़	**1,481.35**	**1,453.00**
घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित मूल्यहास तथा परिशोधन व्यय		19.56	20.97
घटाएं : जमा कार्यों से प्राप्य		0.04	0.08
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल		**1,461.75**	**1,431.95**

विवरणात्मक टिप्पणी :-

लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल में टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 30(क) में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 6.96 करोड़ रूपये (गत वर्ष 7.64 करोड़ रूपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 6.96 करोड़ रूपये की एक समतुल्य राशि हेतु दर विनियमित परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियमित कार्यकलापों हेतु लेखांकन संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुपालन में मान्यता दी गई है।

टिप्पणी सं. : 30 कर व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वर्तमान कर		
आय कर प्रावधान	1,005.30	916.75
आय कर हेतु समायोजन *	(116.75)	(22.98)
कुल वर्तमान कर व्यय	**888.55**	**893.77**
विलंबित कर *		
विलंबित कर परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)		
- अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	(91.07)	18.59
- कर दर में परिवर्तन से संबंधित	-	-
- मैट क्रेडिट समायोजन सहित विलंबित कर के संबंध में समायोजन	0.01	0.01
विलंबित कर देयताओं में कमी (वृद्धि)		
- अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	489.74	168.31
- कर दर में परिवर्तन से संबंधित	-	-
- विलंबित कर के संबंध में समायोजन	-	-
- अवितरित अर्जन से संबंधित #	45.45	37.67
कुल विलंबित कर व्यय (लाभ)	**444.13**	**224.58**
घटाएं : वर्ष 2009 तक टैरिफ अवधि हेतु प्राप्य	(155.78)	(138.77)
घटाएं : विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन	435.35	256.86
निवल विलंबित कर	**164.56**	**106.49**
लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल	**1,053.11**	**1,000.26**

* वर्तमान कर व्यय में समायोजन वर्तमान वर्ष में आय कर प्राधिकारियों से प्राप्त पहले की अवधियों के कर प्रतिदाय के संबंध में है।

\# 31 मार्च, 2017 के अनुसार करों हेतु 45.45 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 37.67 करोड़ रूपए) की राशि की विलंबित कर देयता को मान्यता दी गई है जो समूह की अनुषंगी कंपनियों के अवितरित लाभों पर देय होगी। विलंबित कर देयता निकट भविष्य में लाभों के वितरण और उक्त के कर प्रभाव के समूह के अनुमान पर आधारित है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

i) **कर व्यय और भारत की घरेलू दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ का मिलान**

	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय कर व्ययों से चालू प्रचालनों से लाभ	4,534.74	3,916.17
आय कर व्ययों से अवरूद्ध प्रचालनों से लाभ	-	-
कुल	**4,534.74**	**3,916.17**
लागू कर दर (प्रतिशत)	34.608	34.608
गणना किए गए कर व्यय	1,569.38	1,355.31
कर योग्य आय की गणना करते कटौती योग्य (कर योग्य) राशियों का कर प्रभाव		
सीएसआर/धारणीय व्यय/सामुदायिक विकास व्यय	31.04	34.28
विलंबित कर परिसंपत्तियों का प्रत्यावर्तन	-	195.79
मुक्त एवं कर छूट प्राप्त आय	(1.99)	(7.95)
कर प्रोत्साहन (80- Iए कटौती)	(841.92)	(751.97)
विलंबित कर का वसूलीयोग्य भाग	155.78	138.76
पूर्व की अवधि के वर्तमान कर हेतु समायोजन	(116.83)	(23.67)
कर क्रेडिट	(43.00)	22.04
कर क्रेडिट जिसमें किसी विलंबित कर को मान्यता नहीं दी गई है	253.04	-
अवितरित लाभ	45.45	37.67
अन्य मदे	2.16	-
आय कर व्यय	**1,053.11**	**1,000.26**

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
ii)	**इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त राशियां**		
	रिपोर्टिंग अवधि में उत्पन्न होने वाले समेकित वर्तमान तथा विलंबित कर जिन्हें निवल लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय में मान्यता नहीं दी गई है परंतु सीधे इक्विटी को डेबिट/(क्रेडिट) किया गया है :		
	वर्तमान कर	-	-
	विलंबित कर		
	कुल	-	-
iii)	**कर हानियां**		
	अप्रयुक्त कर हानियां जिनके लिए किसी विलंबित कर परिसंपत्ति को मान्यता प्रदान नहीं की गई है	-	-
	संभावित कर लाभ 30 प्रतिशत की दर से	-	-
iv)	**मान्यता न प्रदान किए गए अस्थायी अंतर**		
	अनुषंगी कंपनियों में निवेश से संबंधित अस्थायी अंतर जिनके लिए विलंबित कर देयताओं को मान्यता नहीं प्रदान की गई है		
	अवितरित आय	-	-
	उक्त अस्थायी अंतरों से संबंधित मान्यता न दी गई विलंबित कर देयताएं	-	-

टिप्पणी सं. : 31 विनियामक विलंबित लेखा शेषों में संचलन

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
	निम्नलिखित के कारण संचलन		
क)	कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	298.62	106.24
ख)	उत्पादन और अन्य व्यय	78.68	66.26
ग)	प्रावधान	-	-
घ)	मूल्यह्रास	6.96	7.64
ङ)	वित्त लागत	365.32	396.22
च)	अन्य आय	(26.99)	(25.46)
छ)	मौद्रिक मदों पर विनियम अंतर	(2.50)	-
	कुल	**720.09**	**550.90**

टिप्पणी सं. : 32 निर्माण के लिए मान्य व्यय जोकि प्रगति पर पूंजीगत कार्य का हिस्सा है

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क.	**कर्मचारी पारिश्रमिक व्यय**		
	वेतन, मजदूरी, भत्ते	129.70	145.57
	उपदान और भविष्य निधि के लिए अंशदान	28.50	23.68
	स्टाफ कल्याण व्यय	8.29	10.27
	उप जोड़	**166.49**	**179.52**
ख.	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**		
	भवन	4.64	5.04
	मशीनरी	0.01	0.04
	अन्य	2.46	4.51
	उप जोड़	**7.11**	**9.59**

(करोड़ रूपए में)

	विवरण		31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
ग	**प्रशासन तथा अन्य व्यय**			
	किराया		9.98	9.76
	दरें और कर		0.69	0.15
	बीमा		0.17	0.16
	सुरक्षा व्यय		15.86	16.60
	विद्युत प्रभार		3.34	3.56
	यात्रा एवं वाहन		3.12	3.33
	वाहनों पर व्यय		1.04	1.68
	टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक		2.54	2.69
	विज्ञापन एवं प्रचार		0.39	0.50
	मुद्रण एवं स्टेशनरी		0.87	0.90
	डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार			
	- स्वदेशी		2.89	2.85
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ जल ग्रहण क्षेत्र/ पर्यावरण सुधार पर खर्च		3.63	9.85
	कंपनी के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर किया गया व्यय		5.92	2.60
	पश्चलेखित परिसंपत्तियां/दावे		0.07	-
	भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास व्यय		2.69	-
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		0.01	-
	अन्य सामान्य व्यय		8.40	8.68
	लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक		-	0.01
	विनिमय दर अन्तर (डेबिट)		-	2.47
		उप जोड़	**61.61**	**65.79**
घ.	**वित्त लागत**			
	निम्नलिखित पर ब्याज :			
	बॉण्ड		240.33	230.53
	सावधि ऋण		137.21	231.17
	बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय		0.18	0.25
	अन्य वित्त प्रभार		0.79	0.57
	केन्द्र सरकार से ऋण पर ब्याज - प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन		7.21	2.68
	सुरक्षा जमा/ प्रतिधारण राशि पर ब्याज - प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन		0.59	0.53
		उप जोड़	**386.31**	**465.73**
ङ.	**प्रावधान**		**5.23**	**5.00**
		उप जोड़	**5.23**	**5.00**
च.	**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय**		**17.66**	**16.53**
		उप जोड़	**17.66**	**16.53**
छ.	**कारपोरेट कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय व्यय**			
	अन्य आय		(2.59)	(6.92)
	उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय		7.66	15.61
	कर्मचारी लाभ व्यय		86.71	180.94
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		1.90	4.45
	वित्त लागत		0.49	0.01
	प्रावधान		-	0.03
		उप जोड़	**94.17**	**194.12**
ज.	**घटाएं : प्राप्तियां और वसूलियां**			
	विद्युत उत्पादन से आय - चालू किए जाने से पूर्व		0.56	0.51
	ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज		(1.70)	32.29
	विनिमय दर अन्तर (क्रेडिट)		-	0.90
	पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/ प्रावधान		3.62	3.96
	संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार		0.95	0.36
	विविध प्राप्तियां		8.38	20.89
		उप जोड़	**11.81**	**58.91**
		कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज)	**726.77**	**877.37**

टिप्पणी सं. 33 वित्तीय लिखत और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटीकरण

1. उचित मूल्य मापन

क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय लिखत

(करोड रूपए में)

वित्तीय परिसंपत्तियां	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		01 अप्रैल, 2015 को	
		एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत
गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) गैर-वर्तमान निवेश							
क) इक्विटी निवेश में (उद्धृत)	3.1	112.44	-	77.65	-	98.43	-
ख) ऋण लिखत में (सरकारी/पीएसयू) - उद्धृत	3.1	406.97	-	390.95	-	781.61	-
उप जोड़		**519.41**	**-**	**468.60**	**-**	**880.04**	**-**
(ii) प्राप्य व्यापार	3.2		275.82		64.56		335.93
(iii) ऋण							
क) कर्मचारी	3.3		156.87		137.83		119.63
ख) अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.3 &3.4		521.84		478.75		439.22
ग) अन्य			-		-		12.68
iv) अन्य							
12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.3		419.48		149.12		279.80
कुल गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां		**519.41**	**1,374.01**	**468.60**	**830.26**	**880.04**	**1,187.26**
वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) वर्तमान निवेश	6		-		1.13		257.57
(ii) प्राप्य व्यापार	7		1,854.01		1,904.51		2,472.24
(iii) नकदी और नकदी तुल्य	8		73.57		1,420.52		196.35
(iv) बैंक शेष	9		3,398.89		5,863.01		6,418.72
(v) ऋण	10		31.43		62.63		85.10
(vi) अन्य (प्राप्य पट्टे को छोड़ कर)	11		1,970.62		2,653.63		2,511.60
कुल वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां		**-**	**7,328.52**	**-**	**11,905.43**	**-**	**11,941.58**
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**519.41**	**8,702.53**	**468.60**	**12,735.69**	**880.04**	**13,128.84**
वित्तीय देयताएं							
(i) दीर्घावधि ऋण	16.1		17,245.64		18,181.08		18,698.67
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.2		25.84		40.13		75.55
(iii) ऋण - अल्पावधि	20.1		302.50		-		-
(iv) एमएसएमई सहित देय व्यापार	20.2		157.59		130.43		163.88
(v) अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं							
a) दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं	20.3		1,678.59		1,757.14		1,859.95
b) ऋण पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	20.3		428.56		377.23		313.41
c) अन्य वर्तमान देयताएं	20.3		413.97		488.05		452.29
कुल वित्तीय देयताएं		**-**	**20,252.69**	**-**	**20,974.06**	**-**	**21,563.75**

ख) उचित मूल्य मापन

(i) उचित मूल्य स्तर

यह खंड (क) उचित मूल्य पर मान्यता दिए जाने तथा मापे जाने वाले और (ख) परिशोधित लागत पर मापे गए और जिसके उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, वित्तीय लिखतों के उचित मूल्यों के निर्धारण में अपनाए गए निर्णयों तथा अनुमानों को स्पष्ट करता है। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले आदानों की विश्वसनीयता के संबंध में एक संकेत मुहैया करवाने हेतु कंपनी ने अपनी वित्तीय लिखतों को भारतीय लेखांकन मानक-113 "उचित मूल्य मापन" के अंतर्गत विहित निम्नलिखित 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है :

स्तर-1 : स्तर -1 क्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे जाने वाले वित्तीय लिखत शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी लिखत और व्यापार किए जाने वाले वे बॉण्ड शामिल हैं जिनका उद्धृत मूल्य है । बॉण्ड सहित सभी इक्विटी लिखत जिनका मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज तथा धन बाजारों में व्यापार किया जाता है, उनका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि को अंतिम मूल्यों का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर-2 : सक्रिय बाजार में व्यापार न की जाने वाली वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो देखे जा सकने वाले बाजार डाटा के उपयोग को अधिकतम करता है और निकाय विशिश्ट अनुमानों पर यथा संभव कम निर्भर करता है। यदि किसी लिखत के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकने योग्य हैं तो लिखित स्तर-2 में शामिल किया जाता है।

स्तर-3 : यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकने वाले बाजार डाटा पर आधारित नहीं हैं तो लिखत को स्तर-3 में शामिल किया जाता है। इसमें सुरक्षा जमा /प्रतिधारण राशि और ब्याज की बाजार दर से कम वाले ऋण शामिल हैं।

(क) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां - आवृत्ति उचित मूल्य मापन

(करोड़ रूपए में)

	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
		स्तर 1	स्तर 1	स्तर 1
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश -				
- इक्विटी लिखत में (उद्धृत)	3.1	112.44	77.65	98.43
- ऋण लिखत में (सरकारी/पीएसयू) - उद्धृत	3.1	406.97	390.95	781.61
कुल		**519.41**	**468.60**	**880.04**

टिप्पणी :

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को तुलन-पत्र की परिशोधित लागत पर मापा गया है और उन्हें गैर-आवृत्ति उचित व्यय मापन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने उचित मूल्य स्तरों के भीतर कोई अंतरण नहीं किया है।

(ख) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसपंत्तियां/देयताएं जिनके उचित मूल्य को प्रकट नहीं किया गया है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2017 को			31 मार्च 2016 को			01 अप्रैल, 2015 को		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियां										
(i) प्राप्य व्यापार	**3.2**		275.82			64.56			335.93	
(ii) ऋण										
क) कर्मचारी	3.3		159.49			157.19			119.63	
ख) अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.3 & 3.4		521.84			478.75			439.22	

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2017 को			31 मार्च 2016 को			01 अप्रैल, 2015 को		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
ग) अन्य	3.3		-			-			12.68	
(iii) अन्य										
- 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.4	421.14			149.97			279.80		
वित्तीय देयताएं										
(i) दीर्घावधि ऋण, वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोदभूत ब्याज सहित	16.1 & 20.3		16,802.15	1,425.34		17,755.41	1,250.95		17,933.87	1,130.19
(ii) अन्य दीर्घावधि सावधि वित्तीय देयताएं	16.2			26.99			41.94			75.55

(ग) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		01 अप्रैल, 2015 को	
		वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) प्राप्य व्यापार	3.2	275.82	275.82	64.56	64.56	335.93	335.93
(ii) ऋण							
क) कर्मचारी	3.3	156.87	159.49	137.83	157.19	119.63	119.63
ख) अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.3 & 3.4	521.84	521.84	478.75	478.75	439.22	439.22
ग) अन्य	3.3	-	-	-	-	12.68	12.68
(iii) अन्य							
- 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.4	419.48	421.14	149.12	149.97	279.80	279.80
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**1374.01**	**1378.29**	**830.26**	**850.47**	**1187.26**	**1187.26**
वित्तीय देयताएं							
(i) दीर्घावधि ऋण, वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोदभूत ब्याज सहित	16.1 & 20.3	19,352.79	18,227.49	20,315.45	19,006.36	20,872.03	19,064.06
(ii) अन्य दीर्घावधि सावधि वित्तीय देयताएं	16.2	25.84	26.99	40.13	41.94	75.55	75.55
कुल वित्तीय देयताएं		**19,378.63**	**18,254.48**	**20,355.58**	**19,048.30**	**20,947.58**	**19,139.61**

टिप्पणी :-

1. वर्तमान निवेश, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नकदी तथा नकदी तुल्य, अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम, अल्पावधि उधार, देय व्यापार और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं की वहन राशि को उनके उचित मूल्य के समान माना गया है और ऐसा उनकी अल्पावधि प्रकृति के चलते है।

2. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं हेतु वहन राशि उनके उचित मूल्य के समान है।

(घ) मूल्यांकन तकनीक और उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया

(1) कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन उपलब्ध श्रेष्ठ तथा सर्वाधिक संगत डाटा का उपयोग करते हुए करती है। वित्तीय लिखत के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल है -

- उद्धृत बाजार मूल्य अथवा समान लिखत हेतु डीलर उद्धरण का उपयोग ।
- शेष वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का निर्धारण छूट दिए गए नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है।

(2) स्तर - 3 पर वर्गीकृत वित्तीय लिखत के उचित मूल्य के लिए प्रयुक्त छूट दर कंपनी के बकाया ऋणों की धारित औसत दर पर आधारित है । सिवाय अधीनस्थ ऋण तथा विदेशी मुद्रा ऋण के।

(3) भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा परिवहन लागत पर मान्यता प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके दी जाती है। चूंकि दीर्घावधि ऋण पर व्यय की गई कारोबार लागत भौतिक नहीं होती है, अतः कंपनी ने ऐसी देयताओं की प्रारंभिक मान्यता हेतु प्रभावी ब्याज पद्धति को लागू नहीं किया है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(क) वित्तीय जोखिम कारक

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला प्रभावन	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी तथा नकदी तुल्य, अन्य बैंक शेष, व्यापार प्राप्य और परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, पट्टा प्राप्य	आयु विश्लेषण, क्रेडिट रेटिंग	बैंक जमा का विविधीकरण, चुनिंदा ग्राहकों हेतु लेटर ऑफ क्रेडिट
नकदी जोखिम	ऋण तथा अन्य सुविधाएं	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान और बजट	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों तथा ऋण सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम - ब्याज दर	परिवर्तनशील दरों पर दीर्घावधि ऋण	संवेदनशीलता विश्लेषण	1. स्थिर दर तथा परिवर्तनशील दरों का विविधीकरण 2. पुनः वित्त-पोषण 3. वास्तविक ब्याज की वसूली सीईआरसी विनियमन के अनुसार टैरिफ के माध्यम से की जाती है
बाजार जोखिम - प्रतिभूति मूल्य	इक्विटी तथा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण
बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा	भारतीय राष्ट्रीय रूपये में दर्शायी न गई मान्य वित्तीय देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	विदेशी मुद्रा दर अंतर को सीईआरसी विनियमन के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है।

i) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है कि कोई प्रतिपक्ष किसी वित्तीय लिखत या उपभोक्ता संविदा के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा नहीं करेगा जो वित्तीय हानि में परिणत होगा। कंपनी को अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य/पटटेवाली परिसंपत्तियों) और वित्त-पोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के साथ जमा शामिल है, से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

ii) नकदी जोखिम

नकदी जोखिम वह जोखिम है कि कंपनी अपनी वर्तमान तथा भविष्य की नकदी एवं सहायक बाध्यताओं को अस्वीकार्य हानियों को वहन किए बिना पूरा करने में असमर्थ होगी।

iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय लिखित के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव आएगा। बाजार मूल्यों में 3 प्रकार के जोखिम शामिल हैं - मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे कि इक्विटी मूल्य जोखिम तथा वस्तु जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय लिखत में ऋण तथा उधार, जमा तथा निवेश शामिल हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम यह जोखिम है कि किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय लिखित के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा।

कंपनी एक विनियमित परिवेश में प्रचालन करती है। कंपनी के टैरिफ को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक स्थिर प्रभारों (एएफसी) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित 5 घटक होते हैं - 1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), 2. मूल्यह्रास, 3. ऋणों पर ब्याज, 4. प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय और 5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज। उक्त विदेशी मुद्रा विनिमय परिवर्तनों के अतिरिक्त, टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों से कर भी वसूले जाने होते हैं। अतः ब्याज दर में परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर अंतर और अन्य मूल्य जोखिम अंतरों को टैरिफ से वसूला जाना होता है और ये कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करते।

(ख) ऋण जोखिम

कंपनी अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य) और अपने वित्त-पोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों के साथ जमा तथा अन्य वित्तीय लिखत शामिल है, से ऋण जोखिम के संपर्क में आती है।

i) व्यापार प्राप्य तथा पट्टा प्राप्य

कंपनी व्यापार के सामान्य चालन में ग्राहकों को ऋण का विस्तार करती है। कंपनी ग्राहकों के भुगतान ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। बकाया उपभोक्ता प्राप्यों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। कंपनी प्राप्य व्यापारों के संबंध में जोखिम संकेन्द्रण का मूल्यांकन अत्यधिक निम्न के रूप में करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्यतः राज्य सरकार के प्राधिकरण हैं और यह एक अधिकांशतः स्वतंत्र बाजार में प्रचालन करती है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2014-19 कंपनी को लाभार्थियों पर विलंब भुगतान प्रभार के संबंध में बिल जारी करने की अनुमति देता है जो कंपनी को भुगतान में विलंब के कारण उत्पन्न धन के समय मूल्य हेतु पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति कर देता है। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि लाभार्थी मुख्यतः राज्य सरकारें/सरकारी वितरण कंपनियां हैं और व्यापार प्राप्यों हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए कंपनी लाभार्थियों से प्राप्यों के मूल्य में क्षति अथवा व्यापार प्राप्यों की वसूली में विलंब के कारण धन के समय मूल्य में हानि की परिकल्पना नहीं करती है। तथापि, कंपनी बकाया व्यापार देयों का आकलन सतत आधार पर प्रचालन परिणामों में परिवर्तन और भुगतान व्यवहार को देखते हुए करती है और मामला-दर-मामला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार कंपनी व्यापार प्राप्यों की गैर-वसूली पर किसी चूक जोखिम की परिपकल्पना नहीं करती है। तदनुसार, कंपनी ने एक प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए प्राप्य व्यापारों पर प्रत्याशित ऋण हानि की गणना के व्यवहारिक साधन का उपयोग नहीं किया है।

कंपनी द्वारा प्राप्य पट्टे विद्युत खरीद समझौतों के संबंध में है जिन्हें टिप्पणी संख्या 34-लेखे पर अन्य विवरणात्मक टिप्पणी में संदर्भित किए अनुसार दो पावर स्टेशनों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 17 "पट्टों " के परिशिष्ट ग के अनुसार निहित वित्त पटटे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विद्युत क्रय समझौते किसी एकल लाभार्थी को विद्युत की बिक्री के लिए है और ब्याज आय तथा पट्टे वाली परिसंपत्तियों पर मूलधन की वसूली अर्थात पावर स्टेशनों की पीपीई का आकलन उसी आधार पर किया जाता है जिन्हें व्यापार प्राप्यों हेतु लगाया जाता है।

व्यापार प्राप्यों हेतु प्रत्याशित ऋण हानि :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
सकल वहन राशि	2184.23	2025.44	2842.94
घटाए : प्रत्याशित क्रेडिट हानि (हानि भत्ते हेतु प्रावधान)	54.40	56.37	34.77
व्यापार प्राप्यों की वहन राशि	2129.83	1969.07	2808.17

पट्टा प्राप्यों हेतु प्रत्याशित ऋण हानि :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
सकल वहन राशि	5,737.40	6,009.22	6,243.26
घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि (हानि भत्ते हेतु प्रावधान)	-	-	-
पट्टा प्राप्यों की वहन राशि	5,737.40	6,009.22	6,243.26

हानि अनुमेय प्रावधानों का मिलान

विवरण	(करोड़ रूपए में)
	34.77
1 अप्रैल, 2015 को हानि भत्ता	21.60
हानि भत्ते में परिवर्तन	56.37
31 मार्च, 2016 को हानि भत्ता	(1.97)
हानि भत्ते में परिवर्तन	54.40
31 मार्च, 2017 को हानि भत्ता	

ii) **परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां**

कर्मचारी ऋण : कपंनी ने कर्मचारियों को कंपनी की नीति के अनुसार रियायती दरों पर ऋण दिए हैं जिनका मापन तुलन-पत्र तिथि को परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण की वसूली स्थिर किश्त आधार पर कर्मचारियों के मासिक वेतन में से की जाती है। ये ऋण उन परिसंपत्तियों के रेहन/गिरवी रखे जाने के माध्यम से सुरक्षित हैं जिनके लिए ऐसे ऋण दिए गए हैं। प्रबंधन ने पूर्व के डाटा का आकलन किया है और इन ऋणों के संबंध में चूक की किसी किसी संभाव्यता की परिकल्पना नहीं करती है।

अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण : कंपनी ने अरूणाचल प्रदेश सरकार को 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु कंपनी तथा अरूणाचल प्रदेश सरकार के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ऋण दिया है। ऋण का मापन परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण राज्य में चालू की जाने वाली पहली जल विद्युत परियोजना से राज्य सरकार के निशुल्क विद्युत के अंश से वसूला जाना है। प्रबंधन को ऋण संबधी चूक की कोई संभाव्यता नहीं दिखती।

iii) वित्तीय लिखत और नकदी जमा

कंपनी बैंकों के साथ शेष तथा जमा को रखने के लिए बैंक का चयन करने हेतु ट्रैक रिकार्ड, बैंक के आकार, बाजार ख्याति और सेवा मानकों जैसे कारकों पर विचार करती है। सामान्यतः शेष को उन बैंकों के साथ रखा जाता है जिनसे कंपनी ने ऋण भी लिया है। कंपनी अधिशेष नकदी का निवेश अनुसूचित बैंकों के साथ अल्पावधि जमा में करती है। कंपनी के शेष तथा जमा ऐसे बैंकों के साथ हैं जो भलीभांति निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विविधाकृत हैं और किसी एक बैंक के साथ इसका सीमित संपर्क है।

(ग) नकदी जोखिम

विवेकसम्मत नकदी जोखिम प्रबंधन का अर्थ पर्याप्त नकदी तथा बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देयताओं के देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्त-पोषण की उपलब्धता है।

i) कंपनी का उद्देश्य नकदी तथा प्रतिभूति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर समय नकदी के ईष्टतम स्तरों को बनाए रखना है। कंपनी निधियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण तथा अत्यधिक प्रचालनशील नकदी प्रवाहों के एक मिश्रण पर निर्भर करती है। ऋण तथा आंतरिक प्रोदभवनों की वर्तमान प्रतिबद्ध लाइनें इसकी अल्प तथा मध्यम अवधि विस्तार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। कंपनी अपनी नकदी आवश्यकताओं के चल अनुमानों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि उसके पास पूंजीगत व्यय तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी हो जबकि उसके पास हर समय आहरित न की गई प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं हेतु पर्याप्त गुंजाइश हो ताकि इसकी किसी ऋण सुविधा पर ऋण सीमाओं या प्रसंविदाओं (जहां लागू हो) का उल्लंघन न हो।

कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई ऋण सुविधाओं पर पहुंच थी :

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
परिवर्तनशील दरों पर	25.00	25.00	25.00
कुल	**25.00**	**25.00**	**25.00**

ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

नीचे तालिका में दर्शाई गई राशियां संविदात्मक छूट न दिए गए नकदी प्रवाह हैं। एक वर्ष के भीतर देय शेष उनके वहन शेषों के समान है क्योंकि छूट का प्रभाव अत्यधिक नहीं है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2017 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
1. ऋण	16.1 ,20.1 & 20.3	19,292.74	1,678.59	3,520.07	3,056.27	11,037.81
2. अन्य वित्तीय देयताएं	16.2 & 20.3	879.47	842.53	12.26	0.50	24.19
3. देय व्यापार	20.2	157.59	157.59	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		**20,329.80**	**2,678.71**	**3,532.33**	**3,056.77**	**11,061.99**

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2016 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
1. ऋण	16.1 ,20.1 & 20.2	20,142.43	1,757.15	3,483.57	3,452.32	11,449.38
2. अन्य वित्तीय देयताएं	16.2 & 20.3	920.01	865.28	27.93	4.24	22.56
3. देय व्यापार	20.2	130.43	130.43	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		**21,192.87**	**2,752.86**	**3,511.50**	**3,456.56**	**11,471.95**

1 अप्रैल, 2015 के अनुसार

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2015 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
1. ऋण	16.1 ,20.1 & 20.2	20,558.62	1,859.96	3,792.92	3,469.03	11,436.71
2. अन्य वित्तीय देयताएं	16.2 & 20.3	864.15	765.70	75.15	4.88	18.42
3. देय व्यापार	20.2	163.88	163.88	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		**21,586.65**	**2,789.54**	**3,868.07**	**3,473.91**	**11,455.13**

(घ) बाजार जोखिम

संवेदनशीलता विश्लेषण में रोजगार-पश्च लाभ बाध्यता प्रावधानों के वहन मूल्य और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं पर बाजार परिवर्तनशील कारकों के संचलन का प्रभाव शामिल नहीं होता है। लाभ एवं हानि के विवरण के संगत मत की संवेदनशीलता संबंधित बाजार जोखिम में माने गए परिवर्तन का प्रभाव है। कंपनी के क्रियाकलाप इसे कई प्रकार के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में ला देते हैं जिसमें ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव शामिल है।

(i) ब्याज दर जोखिम और संवेदनशीलता

बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम से कंपनी का संपर्क मुख्यत: परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ कंपनी की दीर्घावधि ऋण बाध्यताओं से संबंधित है। कंपनी की नीति अपने अधिकांश ऋणों को स्थिर दर पर बनाए रखने की है। कंपनी के स्थिर दरों पर ऋण को परिशोधित लागत पर लिया जाता है और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अनुकूल शर्तें उपलब्ध होने पर इन ऋणों का पुनर्वित्त-पोषण करती हैं। कंपनी को परिवर्तनशील दर में परिवर्तनों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजनों की वसूली के माध्यम से भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण कंपनी का जोखिम निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2017 के अनुसार भारित औसत ब्याज दर	31 मार्च, 2017 के अनुसार (करोड़ रूपए में)	31 मार्च, 2016 के अनुसार भारित औसत ब्याज दर	31 मार्च, 2016 के अनुसार (करोड़ रूपए में)	01 अप्रैल, 2015 के अनुसार भारित औसत ब्याज दर	01 अप्रैल, 2015 के अनुसार (करोड़ रूपए में)
परिवर्तनशील दर ऋण (भारतीय रूपए)	9.13%	2,473.60	9.59%	3,586.49	10.36%	4,531.66
परिवर्तनशील दर ऋण (विदेशी मुद्रा)	0.58%	214.36	0.70%	326.35	0.73%	383.99
स्थिर दर ऋण (भारतीय रूपए)	7.02%	15,006.64	7.43%	14,680.37	7.60%	14,323.58
स्थिर दर ऋण (विदेशी मुद्रा)	1.82%	1,229.63	1.83%	1,345.01	1.99%	1,319.39
कुल		**18,924.23**		**19,938.22**		**20,558.62**

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

लाभ अथवा हानि ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उच्चतर/निम्न ब्याज व्यय के प्रति संवेदनशील है। अन्य सभी परिवर्तनशील कारकों को स्थिर रखे जाने पर निम्नलिखित तालिका ऋणों तथा उधार के परिवर्तनशील दर हिस्से पर ऋण लागत के प्रभाव को दर्शाती है।

(करोड़ रूपए में)

विवरण	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
भारतीय राष्ट्रीय रूपए में ऋण - ब्याज दरे - 5 आधार बिंदुओं की कमी (वर्ष 2015-16 के दौरान 70 आधार बिंदुओं की कमी)*	0.79	16.69
विदेशी मुद्रा में ऋण - ब्याज दरें - 55 आधार बिंदुओं की वृद्धि	(0.17)	(0.16)
विदेशी मुद्रा में ऋण - ब्याज दरें - 110 आधार बिंदुओं की कमी	0.33	0.32

तथापि, ब्याज दरों में कमी तथा वृद्धि का लाभ या हानि पर कोई प्रभाव नही होता है क्योंकि उक्त को टैरिफ के माध्यम से लाभार्थियों से वसूला जाता है।

(ii) **मूल्य जोखिम :**

(क) **संपर्क**

मूल्य जोखिम से कंपनी का संपर्क वित्तीय विवरणों में ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी शेयरों तथा ऋण लिखतों में निवेश से उत्पन्न होता है। इक्विटी शेयरों में कंपनी का निवेश मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होता है और उस पर सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। ऋण लिखतों में कंपनी के निवेश में उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बॉण्ड शामिल होते हैं और उनका बाजार में सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। निवेश को तुलन-पत्र में गैर-वर्तमान निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(ख) **मूल्य जोखिम संवेदनशीलता**

इक्विटी लिखतों में निवेश हेतु (आईओबी तथा पीटीसी के इक्विटी शेयरों में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु कंपनी की इक्विटी पर इक्विटी लिखतों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है :

विवरण	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016	
निम्नलिखित के इक्विटी शेयरों में निवेश :	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)
पीटीसी इंडिया लिमिटेड	17.08%	19.14	21.74%	16.69
इंडियन ओवरसीस बैंक	15.50%	0.15	19.30%	0.21

संवेदनशीलता को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में उद्धृत शेयर मूल्यों में छमाही उतार-चढ़ाव के पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर निकाला गया है।

ऋण लिखत में निवेश हेतु (सरकारी तथा पीएसयू बॉण्ड में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु कंपनी की इक्विटी पर ऋण लिखतों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है :

विवरण	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016	
	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)
सरकारी प्रतिभूति	3.49	11.81	0.60	1.90
पीएसयू कर मुक्त बाण्ड	5.77	4.91	0.34	0.26

(iii) **विदेशी मुद्रा जोखिम**

कंपनी को सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजन के द्वारा वसूली के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तनशीलता हेतु प्रतिपूर्ति की जाती है।

(क) **विदेशी मुद्रा जोखिम संपर्क**

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति कंपनी के संपर्क को भारतीय राष्ट्रीय रूपये में निम्नानुसार व्यक्त किया गया है :

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
वित्तीय देयताएं			
विदेशी मुद्रा ऋण (करोड़ रूपए में)	1,443.98	1,671.36	1,703.38
अन्य वित्तीय देयताएं (करोड़ रूपए में)	55.09	50.91	43.65
विदेशी मुद्रा जोखिम से निवल संपर्क (देयताएं)	1,499.07	1,722.27	1,747.03

(ख) **संवेदनशीलता विश्लेषण**

विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार नियामक विलंबित लेखा शेष के माध्यम से वसूला जाता है।

(3) **पूंजी प्रबंधन**

(क) **पूंजी जोखिम प्रबंधन**

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन हेतु 70:30 के ऋण : इक्विटी अनुपात को विहित करते है। तदनुसार, कंपनी अपने पूंजी ढांचे का प्रबंधन सीईआरसी द्वारा विहित मानदण्ड संबंधी पूंजी ढांचे को बनाए रखने के लिए करती है।

कंपनी पूंजी की मॉनिटरिंग ऋण के माध्यम से करती है : इक्विटी अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करती है, जो कुल पूंजी द्वारा विभाजित निवल ऋण है। ऋण : इक्विटी अनुपात निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

ऋण : इक्विटी अनुपात का विवरण			
विवरण	**31 मार्च 2017 को**	**31 मार्च 2016 को**	**01 अप्रैल, 2015 को**
(क) कुल ऋण	18,924.23	19,938.22	20,558.62
(ख) कुल पूंजी	29,014.82	31,642.71	30,798.17
ऋण : इक्विटी अनुपात (क/ख)	0.65	0.63	0.67

टिप्पणी : कंपनी के पूंजीगत प्रबंधन हेतु, पूंजी में निर्गत पूंजी और आरक्षित शामिल है। निवल ऋण में ब्याजधारी ऋण तथा उधार शामिल होते है।

(ख) ऋण प्रसंविदाएं :

प्रमुख ऋण सुविधाओं की शर्तों के अंतर्गत कंपनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय प्रसंविदाओं का अनुपालन अपेक्षित है :-

1. कंपनी क्रेडिट रेटिंग एएए को बनाए रखेगी और यदि रेटिंग नीचे आती है तो ब्याज की दर लागू दर के अनुसार एएए रेटिंग से नीचे वाले प्रत्येक स्तर हेतु 25 आधार बिंदु से बढ़ जाएगी।
2. निवल मूल्य की तुलना में ऋण 2:1 से अधिक नहीं होगी।
3. मूर्त निवल मूल्य की तुलना में कुल देयताओ का अनुपात 3:1 से अधिक नहीं होगा।
4. ब्याज व्यय से ईबीआईटीडीए का अनुपात ऋण की अवधि के दौरान कभी भी 1.75 से कम नहीं होगा।
5. कंपनी में सरकारी धारिता कभी भी 51 प्रतिशत से कम नहीं होगा। वर्ष के दौरान कंपनी ने उक्त ऋण प्रसंविदाओं का अनुपालन किया है।

(ग) लाभांश :

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च 2017 को	**31 मार्च 2016 को**
(i) इक्विटी अंश		
वर्ष 2015-16 हेतु सितम्बर 2016 में अनुमोदित और अक्तूबर 2016 में अदा किया गया वर्ष 2015-16 हेतु 0.58 भारतीय राष्ट्रीय रूपए प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर का अंतिम लाभांश (31 मार्च, 2016 - वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु 0.40 भारतीय राष्ट्रीय रूपए पूर्णतः प्रदत्त शेयर)	642.11	442.83
अंतिम लाभांश पर डीडीटी	89.08	90.15
31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु 1.70 रूपए प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर का अंतरिम लाभांश (31 मार्च, 2016 - 0.92 भारतीय राष्ट्रीय रूपए)	1,882.02	1,018.50
अंतरिम लाभांश पर डीडीटी	383.14	207.34
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्यता न दिया गया लाभांश		
उक्त लाभांशों के अतिरिक्त, वर्ष के अंत से निदेशकों ने 0.10 भारतीय राष्ट्रीय रूपए (31 मार्च, 2016 - 0.58 भारतीय राष्ट्रीय रूपए) प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर का अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।	102.59	642.11
प्रस्तावित लाभांश पर डीडीटी	20.89	89.08

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता	**महेश कुमार मित्तल**	**के.एम. सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 02889021	डीआईएन : 02223301

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी	**कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045	फर्म पंजीकरण सं. 001728एन	फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(एस. के. खट्टर)	**(वासु गुप्ता)**	**(बरून कुमार घोष)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 084993	सदस्यता सं. 537545	सदस्यता सं. 51028

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30 मई, 2017

टिप्पणी संख्या - 34 : अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई अनुषंगी कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम कंपनियां निम्नानुसार है :

कंपनी का नाम	अधिनिगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात (प्रतिशत)		
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015
क. अनुषंगी कंपनियां				
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	51.08%	51.08%	51.08%
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसी लि.)	भारत	74.00%	74.00%	74.00%
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	भारत	99.99%	99.99%	99.99%
ख. संयुक्त उद्यम कंपनियां				
चेनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीएल)	भारत	49.78%	49.98%	49.98%
नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड (एनएचपीटीएल) *	भारत	20.00%	21.63%	21.63%

*वित्तीय विवरण गैर-लेखापरीक्षित हैं। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में आने वाले आंकड़े लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर बदल भी सकते हैं।

2. नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएक्स), जो कंपनी का एक संयुक्त उद्यम हुआ करता था उसका विचाराधीन वर्ष के दौरान समापन कर दिया गया है।

3. **आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटीकरण :-**

(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण स्वीकर नहीं किया गया है :

(i) पूंजीगत कार्य

संविदाकारों ने दर तथा मात्रा विपथन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने/स्थल आदि सौंपे जाने में विलंब के कारण खाली रहने के प्रषरों के चलते कंपनी के प्रति कुल **9813.75 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **9456.15 करोड़** रूपये और 01.04.2015 को **9293.29 करोड़** रूपए) के दावे दर्ज किए हैं इन दावों का कंपनी द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार देय नहप हैं अथवा अधिनिर्णय अधिकरण/अन्य मंचों/कंपनी में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें तत्संबंधी ब्याज सहित कंपनी के विरूद्ध अधिनिर्णय पंचाटों के प्रति **3038.37 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **2343.21 करोड़** रूपये और 01.04.2015 को **1626.57 करोड़** रूपये) शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है/चुनौती देने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंधन ने उक्त दावों का आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभाव्यता के आधार पर **453.49 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष 537.66 करोड़ रूपए और 01.04.2015 को **429.61 करोड़** रूपये) के प्रावधान को मान्यता दी है और **8049.58 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **8734.64 करोड़** रूपए और 01.04.2015 को **8486.24 करोड़** रूपये) की राशि का अनुमान आकस्मिक देयता हेतु लगाया है अर्थात वह राशि जिसके लिए कंपनी को आकस्मिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे अनुमानि आकस्मिक दावों के संबंध में या तो आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बाह्य प्रवाह की संभावना नहीं है अथवा बाध्यता के निपटान हेतु अपेक्षित राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(ii) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के संबंध में कुछ भू-वंचितों ने विभिन्न प्राधिकारियों/न्यायालयों के समक्ष उच्चतर मुआवजे हेतु **345.72 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **313.80 करोड़** रूपए और 01.04.2015 को **1230.63 करोड़** रूपये) की राशि हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर **42.17 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **47.44 करोड़** रूपए और 01.04.2015 को **44.32 करोड़** रूपये) की राशि मुहैया करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **303.55 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **266.36 करोड़** रूपए और 01.04.2015 **1186.31 करोड़** रूपये) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iii) विवादित कर मांग

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित विवादित आयकर/बिक्री कर/सेवा कर/अन्य कर/शुल्क मामलों की राशि **395.53 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **327.76 करोड़** रूपए और 01.04.2015 को **308.00 करोड़** रूपये) है। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर **21.95 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **25.42 करोड़** रूपए और 01.04.2015 को **25.40 करोड़** रूपये) की राशि मुहैया करवाई है और शेष दावों अर्थात **373.58 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **302.34 करोड़** रूपए और 01.04.2015 को **282.31 करोड़** रूपये) को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iv) **अन्य**

अन्य विविध मामलों के संबंध में दावे **691.44 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **587.18 करोड़** रूपए और 01.04.2015 को **658.82 करोड़** रूपये) के है। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर **36.52 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **34.62 करोड़** रूपए और 01.04.2015 को **28.94 करोड़** रूपये) की राशि मुहैया करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **653.04 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **550.67 करोड़** रूपए और 01.04.2015 को **628.10 करोड़** रूपये) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

31.03.2017 को उक्त का सार निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2017 को दावे	दावों के प्रति प्रावधान	31.03.2017 को आकस्मिक देयता	31.03.2016 को आकस्मिक देयता	वर्ष हेतु आकस्मिक देयता का वर्धन
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)
1.	पूंजीगत कार्य	9,813.75	453.49	8,049.58	8734.64	(685.06)
2.	भूमि मुआवजा	345.72	42.17	303.55	266.36	37.19
3.	विवादित कर मामले	395.53	21.95	373.58	302.34	71.24
4.	अन्य	691.44	36.52	653.04	550.67	102.37
	कुल	**11,246.44**	**554.13**	**9,379.75**	**9,854.01**	**(474.26)**

31.03.2016 को उक्त का सार निम्नानुसार है :

(₹ in Crore)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016 को दावे	दावों के प्रति प्रावधान	31.03.2016 को आकस्मिक देयता	01.04.2015 को आकस्मिक देयता	वर्ष हेतु आकस्मिक देयता का वर्धन
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)
1.	पूंजीगत कार्य	9,456.15	537.66	8734.64	8,486.24	248.40
2.	भूमि मुआवजा	313.80	47.44	266.36	1186.31	(919.95)
3.	विवादित कर मामले	327.76	25.42	302.34	282.31	20.03
4.	अन्य	587.18	34.62	550.67	628.10	(77.43)
	कुल	**10,684.89**	**645.14**	**9,854.01**	**10,582.96**	**(728.95)**

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में कंपनी को **221.02 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **183.51 करोड़** रूपए और 01.04.2015 को **240.85 करोड़** रूपये) की भरपायी होने की संभावना है।

ङ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में **50.46 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **64.19 करोड़** रूपए और 01.04.2015 को **53.66 करोड़** रूपये) मामलों के प्रतिवाद के लिए अदा किए गए है, जिन्हें चालू आस्तियों में दिखाया गया है।

च) कम्पनी का प्रबंधन तर्कसंगत रूप से यह प्रत्याशित नहीं करता कि उक्त दावे/बाध्यताएं (जो मुकदमेबाजी के अधीन है), अन्त में जब समाप्त होंगी तथा उन पर निर्णय लिया जाएगा, उनका कम्पनी के प्रचालनो के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा।

(छ) 31.03.2017 को आकस्मिक देयता के एजेंसी-वार ब्यौरों की श्रेणी निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	एजेंसी की श्रेणी	31.03.2017 को दावे	वर्ष के दौरान दावों के प्रति प्रावधान/ अदा किए गए	31.03.2017 को आकस्मिक देयता	31.03.2016 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वर्धन (+)/ कटौती (-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)
1	केन्द्र सरकार के विभाग	51.08	3.03	48.05	66.54	(18.49)
2	राज्य सरकार के विभाग या स्थानीय निकाय	451.28	54.69	396.59	282.56	114.03
3	सीपीएसई	134.20	1.07	131.25	188.64	(57.39)
4	अन्य	10,609.88	495.34	8,803.86	9,316.27	(512.41)
	कुल	**11,246.44**	**554.13**	**9,379.75**	**9,854.01**	**(474.26)**

4. आकस्मिक परिसंपत्तियां - समूह के संबंध में आकस्मिक परिसंपत्तियां निम्नलिखित के कारण हैं :

क) समूह द्वारा अन्य निकायों पर दर्ज किए गए प्रति दावे

समूह ने अन्य निकायों के दावों के प्रति **413.12 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **406.40 करोड़** रूपये और 1.4.2015 को **399.22 करोड़** रूपये) के कुल प्रति दावों को दर्ज किया है। इन दावों को संविदात्मक प्रावधानों के आधार पर दर्ज किया गया है और इनका माध्यस्थम अधिकरण/अन्य मंचों पर प्रतिवाद किया जा रहा है/ये प्रतिपक्ष के साथ जांच के अधीन हैं। इसमें माध्यस्थम निर्णयों के प्रति उस पर तदनुरूपी अद्यतन ब्याज सहित **317.90 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **317.90 करोड़** रूपये और 1.4.2015 को **317.12 करोड़** रूपये) शामिल है।

प्रबंधन आंकलन के आधार पर **317.90 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **317.90 करोड़** रूपये और 1.4.2015 को **317.12 करोड़** रूपये) के आर्थिक लाभों का अंतरवाह संभाव्य है और शेष दावों हेतु किसी अंतरवाह की संभाव्यता काफी कम है।

ख) विलंब भुगतान अधिभार

सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियमन, 2014-19 में बिल के प्रस्तुतिकरण की तिथि से 60 दिवस पश्चात लभग्राहियों द्वारा भुगतान में विलंब के मामले में उत्पादक समूह द्वारा विलंब भुगतान प्रभार लगाए जाने का प्रावधान है। तथापि, प्रबंधन द्वारा समाधान किए गए अनुसार लाभग्राहियों से अंतिम एकत्रीकरण में व्यापक अनिश्चितताओं के मद्देनजर 31.3.2017 को **435.20 करोड़** रूपये (गत वर्ष **762.39 करोड़** रूपये और 1.4.2015 को **477.99 करोड़** रूपये) को मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

ग) पावर स्टेशनों के संबंध में मान्यता न दी गई सीमा तक राजस्व

सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियमन, टैरिफ अवधि 2014-19 हेतु टैरिफ अवधि के प्रारंभ में समूह द्वारा की गई घोषणा और सीईआरसी द्वारा उचित विचार-विमर्श के पश्चात टैरिफ की गणना हेतु पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त पूंजीकरण को अनुमेय बनाते हैं। ऐसे मामलों में जहां अतिरिक्त पूंजीकरण नई मदों सहित समूह द्वारा घोषित राशि से अधिक हो गया है उन्हें सीईआरसी का अनुमोदन लंबित होने तक राजस्व में शामिल नहीं किया जाता है। प्रबंधन ने इन व्ययों का आकलन किया है और मानता है कि टैरिफ के द्वारा 31.3.2017 को **688.76 करोड़** रूपये (गत वर्ष **389.16 करोड़** रूपये और 1.4.2015 को **220.12 करोड़** रूपये) का अंतरवाह संभाव्य है।

घ) अन्य मामले

प्रबंधन ने दावों का आकलन किया है और यह अनुमान लगाया है कि **4.00 करोड़** रूपये (गत वर्ष **3.26 करोड़** रूपये और 1.4.2015 को **2.59 करोड़** रूपये) के आर्थिक लाभों का अंतरवाह संभाव्य है, जो उड़ी-II पावर स्टेशन के **166.27 करोड़** रूपये (गत वर्ष **242.28 करोड़** रूपये और 1.4.2015 को शून्य रूपए); चुटक विद्युत स्टेशन **18.07 करोड़** रूपये (गत वर्ष **19.87 करोड़** रूपये और 1.4.2015 को शून्य रूपए); धौलीगंगा विद्युत स्टेशन **161.61 करोड़** रूपये (गत वर्ष **154.71 करोड़** रूपये और 1.4.2015 को **191.57 करोड़** रूपये) की व्यापार वादा हानि के अतिरिक्त है जिस पर इस नोट के क्रमशः पैरा 26 (1),(2) तथा (3) में चर्चा की गई है। इस श्रेणी के अंतर्गत आकस्मिक परिसंपत्तियों की कुल राशि **349.95 करोड़** रूपये (गत वर्ष **420.12 करोड़** रूपये और 1.4.2015 को **194.16 करोड़** रूपये) होती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों का सार नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
1.	कंपनी द्वारा दर्ज किए गए प्रति दावे	317.90	317.90	317.12
2.	विलंब भुगतान अधिभार	435.20	762.39	477.99
3.	पावर स्टेशनों के संबंध में मान्यता प्रदान गई सीमा तक राजस्व	688.76	389.16	220.12
4.	अन्य मामले	349.95	420.12	194.16
	कुल	**1791.81**	**1889.57**	**1209.39**

5. पूंजी लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (सीडब्ल्यूआईपी सहित)	3,109.74	2,936.43	3,764.31
2.	अमूर्त परिसंपत्तियां	22.68	22.30	34.48
	कुल	**3,132.42**	**2,958.73**	**3,798.79**

6. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान/प्रावधान किए गए हैं, जिनकी कुल राशि **10.66 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **74.95 करोड़** रूपए और 01.04.2015 को **42.71 करोड़** रूपये) है, जिसे चालू पूंजीगत कार्य/संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल किया गया है।

7. निर्माण संविदाओं के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 11 के अंतर्गत अन्य प्रकटीकरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
1.	रिपोर्टिंग तिथि तक चालू संविदाओं पर व्यय की गई लागत और मान्यता प्रदान किए गए लाभों (घटाएं मान्यता दी गई हानि) की संचित राशि	364.88	226.95	409.32
2.	प्राप्त अग्रिमों की राशि	345.06	200.56	411.55
3.	प्रतिधारण की राशि	-	-	-
4.	परिसंपत्ति के रूप में संविदा कार्यों हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	-	-	-
5.	देयता के रूप में संविदा कार्यों हेतु ग्राहकों को देय सकल राशि	-	-	-

8. मध्य प्रदेश सरकार ने एक संयुक्त उद्यम भागीदार होने के चलते सीसीईए अनुमोदन के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के माध्यम से विभिन्न लेखे में योगदान दिया है जिसका ब्यौरा निम्नवत है (तुलन-पत्र की टिप्पणी संख्या 19 देखें)

इंदिरा सागर परियोजना :-

(करोड़ रूपए में)

(क) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	31.03.2016 तक संचित	वित्तीय वर्ष 2016 - 17 के दौरान	31.03.2017 तक संचित
i. एनवीडीए द्वारा किया गया व्यय	1322.17	24.96	1,347.13
ii. प्राप्त नकदी	615.21	54.50	669.71
iii. ओएसपी लेखे से अंतरित राशि	8.56	-	8.56
(क) का कुल	**1,945.94**	**79.46**	**2,025.40**
(ख) निम्नलिखित के कारण देय/समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	660.00	-	660.00
ii. सिंचाई घटक	402.31	3.66	405.97
iii. एसएसपी घटक	514.08	4.67	518.75
iv. अधिक आर एवं आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	407.35	4.42	411.77
v. विद्युत प्रभार और जलापूर्ति रखरखाव प्रभार	5.04	-	5.04
vi. सिंचाई के प्रति अग्रिम/ओएसपी पर इक्विटी	33.08	-	33.08
(ख) का कुल	**2,021.86**	**12.75**	**2,034.61**
(ग) एनवीडीए से प्राप्य राशि अर्थात (ख-क)	**75.92**	**(66.71)**	**9.21**

ओमकारेश्वर परियोजना :-

(करोड़ रूपए में)

(घ) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	31.03.2016 तक संचित	वित्तीय वर्ष 2016 - 17 के दौरान	31.03.2017 तक संचित
i. एनवीडीए द्वारा किया गया व्यय	93.35	15.91	109.26
ii. प्राप्त नकदी	494.66	100.00	594.66
iii. आईएसपी लेखे से अंतरित राशि	33.08	-	33.08
(घ) का कुल	**621.09**	**115.91**	**737.00**
(ङ) निम्नलिखित के कारण देय/समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	300.16	-	300.16
ii. सिंचाई घटक	239.25	0.06	239.31
iii. अधिक आर एवं आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	75.65	0.27	75.92
iv. आईएसपी लेखे को अंतरित राशि	8.56	-	8.56
v. अतिरिक्त विशेष आर एवं आर पैकेज	207.50	-	207.50
(ङ) का कुल	**831.12**	**0.33**	**831.45**
(च) एनवीडीए से प्राप्य राशि अर्थात (ङ-घ)	**210.03**	**(115.58)**	**94.45**
(छ) कुल प्राप्य राशि (ग+च)	**285.95**	**(182.29)**	**103.66**

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अनुदान आरक्षित का संचलन निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2016	वर्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2017
1.	सहायता अनुदान के रूप में आईएसपीएस में सिंचाई घटक के प्रति मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुपातिक योगदान	265.43	3.66	15.59	-	253.50
2.	आईएसपीएस हेतु एनवीडीए लेखे से सरदार सरोवर परियोजना के प्रति अनुपातिक आर्थिक सहायता	339.21	4.67	19.92	-	323.96
3.	आईएसपीएस के आर एवं आर के प्रति मध्य प्रदेश सरकार का योगदान	304.10	4.42	15.89	-	292.63
4.	ओएसपीएस हेतु एनवीडीए लेखे से सरदार सरोवर परियोजना के प्रति अनुपातिक आर्थिक सहायता	160.32	0.06	10.74	-	149.64
5.	सहायता अनुदान के रूप में ओएसपीएस में सिंचाई घटक के प्रति मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुपातिक योगदान	240.01	0.27	11.21	-	229.07
	कुल	**1,309.07**	**13.08**	**73.35**	**-**	**1,248.80**

9. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (एफईआरवी को रूप में)	0.83	1.14
(ii)	मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (ऋण लागत को रूप में) *	2.15	179.93
(iii)	निर्माण के दौरान व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी को रूप में)	-	1.57
(iv)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी को रूप में)	-	-
(v)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि को जोड़ कर समायोजित राशि	(7.66)	22.44
(vi)	नियामक विलंबित लेखा शेष को प्रभारित राशि	1.10	-

* तथापि, समूह की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभग्राहियों से विद्यमान सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्ते) विनियम के अनुरूप वसूल किया जाना है। वर्ष हेतु विनिमय दर परिवर्तन को आईजीएएपी में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार वर्ष हेतु विनिमय दर अंतर को विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियों (लाभग्राहियों से वसूली योग्य) में अंतरित किया जाता है जो भारतीय लेखांकन मानक 101 - इंड एएस को पहली बार अपनाया जाना में दी गई छूट के अनुसार 31.3.2016 तक मान्य की गई दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों में जारी रखे जाने हेतु अनुमेय हैं।

10. प्रचालन खंड :

क) विद्युत उत्पादन (निहित वित्त/प्रचालन पट्टों से आय सहित) समूह का मुख्य व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन अर्थात संविदाएं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य "प्रचालन खंड" के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक-108 के अनुसार सूचना योग्य खंड नहीं बनते हैं।

ख) समूह का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

ग) प्रमुख उपभोक्ताओं के संबंध में सूचना निम्नलिखित उपभोक्ताओं से **4693.26 करोड़** रूपये (2015-16 हेतु **4492.98 करोड़** रूपये) का राजस्व नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निकाला जाता है :

क्रम सं.	उपभोक्ता का नाम	उपभोक्ताओं से राजस्व (करोड़ रूपए में)		कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में उपभोक्ताओं को राजस्व	
		31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु
1	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	1349.29	1393.46	15.65%	16.68%
2	एमपी पावर मैनेजमेंट को. लिमिटेड	1306.93	950.90	15.16%	11.38%
3	विद्युत विकास विभाग, जम्मू व कश्मीर	1230.90	1268.18	14.27%	15.18%
4	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	806.14	880.44	9.35%	10.54%
	कुल	**4,693.26**	**4,492.98**	**54.43%**	**53.78%**

घ) बाहरी उपभोक्ताओं से राजस्व : समूह भारत में अधिवासित है। बाहरी ग्राहकों से इसके राजस्व की राशि को ग्राहकों की अवस्थिति के अनुसार निम्नवत विभाजित किया गया है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	बाहरी उपभोक्ता से राजस्व	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु
1	इथोपिया	-	2.62
2	भूटान	21.55	16.40
3	तजाकिस्तान	2.52	-
	कुल	**24.07**	**19.02**

11. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण नीचे दिए गए है :

(क) अनुषंगी कंपनियों में हित:

कंपनी का नाम
एनएचडीसी लिमिटेड
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड
बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड

(ख) संयुक्त उद्यमों में हित

कंपनी का नाम
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्राइवेट) लिमिटेड
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टर प्राइवेट लिमिटेड

(ग) अन्य संबंधित पक्षों की सूची

कंपनी का नाम	संबंध की प्रकृति
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	एनएचपीसी की रोजगार-पश्च लाभ योजना
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि	एनएचपीसी की रोजगार-पश्च लाभ योजना
एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना ट्रस्ट	एनएचपीसी की रोजगार-पश्च लाभ योजना

(घ) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

क्रम संख्या	नाम	धारित पद
1	श्री कृष्ण मोहन सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2	श्री राधे श्याम मीना	निदेशक (कार्मिक) 31/01/2017 को सेवानिवृत्त
3	श्री जयन्त कुमार	निदेशक (वित्त) 28/02/2017 को सेवानिवृत्त
4	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)
5	श्री बलराज जोशी	निदेशक (तकनीकी)
6	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक) 07/02/2017 से
7	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त) 01/03/2017 से
8	प्रो. कनिका टी. भाल	स्वतंत्र निदेशक
9	प्रो. अरूण कुमार	स्वतंत्र निदेशक
10	श्री सत्य प्रकाश मंगल	स्वतंत्र निदेशक
11	श्री फारूख खान	स्वतंत्र निदेशक (17/08/2016 को सेवानिवृत्त)
12	श्रीमती कृष्णा त्यागी	सरकारी नामिति निदेशक
13	सुश्री अर्चना अग्रवाल	सरकारी नामिति निदेशक
14	श्री विजय गुप्ता	कम्पनी सचिव

(ङ) नाम और सरकार तथा सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ संबंध की प्रकृति

क्रम सं.	सरकार का नाम	एनएचपीसी के साथ संबंध की प्रकृति
1.	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण होने वाले शेयरधारक
2.	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मणिपुर राज्य सरकार	एनएचपीसी की अनुषंगी कंपनियों में शेयरधारक (एनसीआई)
3.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार	संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय में सह-उद्यमी
4.	बीएचईएल, आईओसीएल, सेल, पीजीसीआईएल, बीएसएनएल, ईईएसएल, आईडीडीसीएल, एमटीएनएल, एनएलसीएल, वीएसएनएल, सीआईएसएफ, पोस्को, पीटीसी, एनसीसीबीएम, जीएसआई, बीपीसीएल, सीपीआरआई और एनआईआईएल	ऊपर उल्लिखित केन्द्र तथा राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन होने वाले निकाय

(च) **प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) पारिश्रमिक :**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु
i) अल्पावधि कर्मचारी लाभ	3.73	1.86
ii) रोजगार पश्च लाभ	0.37	0.28
iii) अन्य दीर्घावधि लाभ	0.28	0.23

(₹ in Crore)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ अन्य संव्यवहार	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु
गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क तथा अन्य प्रतिपूर्ति	0.03	0.02
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	0.02	0.01

(छ) **संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार - संबंधित पक्षों के साथ निम्नलिखित संव्यवहार किए गए :**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान
i) **समूह पर नियंत्रण होने वाली सरकार के साथ संव्यवहार - केन्द्र सरकार/राज्य सरकार**		
समूह द्वारा प्रदान की गई सेवाएं (जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार से संबंधित 383 करोड़ रूपए शामिल है)	501.70	494.51
समूह के कर्मचारियों को सेवाएं	3.94	3.09
समूह द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं	74.82	44.50
वस्तु/माल-सूची की बिक्री (उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित 1229.23 और जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार से संबंधित 1135.65 रूपए शामिल है)	2,453.35	2785.60
वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को अदा किया गया लाभांश	195.87	113.30
ii) **समूह पर नियंत्रण होने वाली समान सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ संव्यवहार**		
संपत्ति/अन्य परिसंपत्तियों की खरीद	73.22	80.89
वस्तु/माल-सूची की बिक्री	32.74	25.59
वस्तु/माल-सूची की बिक्री (मध्य प्रदेश विद्युत प्रबंधन कंपनी)	1306.93	950.90
समूह द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं	72.21	60.76
समूह द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	26.31	36.17
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (**एमपीपीएमसीएल से प्रतिभूत ऋण पर ब्याज**)	45.16	50.21
वर्ष के दौरान अदा किया गया/अदा किया जाने वाला ब्याज	4.80	-
अन्य	182.29	51.14
iii) **संयुक्त उद्यमों (सीवीपीपीएल और एनएचपीटीएल) के साथ संव्यवहार**		
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	7.40	3.14
कंपनी द्वारा कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	5.41	1.39
ऋण तथा इक्विटी अंशदान सहित वित्त	386.50	-

(करोड़ रूपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान
iv) **एनएचपीसी की रोजगार पश्च लाभ योजनाओं के लिए बनाए गए ट्रस्टों के साथ संव्यवहार**		
1. **ईपीएफ ट्रस्ट**		
ट्रस्ट को अंशदान	303.45	286.89
2. **उपदान ट्रस्ट**		
ट्रस्ट को अंशदान	(5.46)	(17.15)
ट्रस्ट से प्रतिदाय (भुगतान)	63.06	64.64
3. **आरईएचएस ट्रस्ट**		
ट्रस्ट को अंशदान	74.05	39.55
ट्रस्ट से प्रतिदाय (भुगतान)	19.58	10.27
4. **सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट**		
ट्रस्ट को अंशदान	8.43	8.92
5. **ईडीसीएसएस ट्रस्ट**		
ट्रस्ट को अंशदान	76.16	111.74
उक्त ट्रस्टों के साथ कुल संव्यवहार		
ट्रस्ट को अंशदान	456.63	429.95
ट्रस्ट से प्रतिदाय	82.64	74.91
सकल जोड़	**373.99**	**355.05**

(ज) **संबंधित पक्षों के साथ बकाया शेष :**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
i) **समूह पर नियंत्रण होने वाली सरकार के साथ शेष - केन्द्र सरकार/राज्य सरकार**			
समूह द्वारा देय	114.38	116.68	113.77
समूह द्वारा प्राप्य	1479.66	1563.17	2002.29
सरकार से ऋण (अधीनस्थ ऋण)	3400.80	3033.80	2733.80
ii) **समूह (एनएचपीसी) पर नियंत्रण होने वाली समान सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ शेष**			
कंपनी द्वारा देय	47.04	55.25	72.67
कंपनी द्वारा प्राप्य	776.29	966.61	1285.18
iii) **संयुक्त उद्यमों (सीवीपीपीएल और एनएचपीटीएल) के साथ शेष**			
कंपनी द्वारा प्राप्य	193.97	282.00	282.37
iv) **केएमपी के साथ शेष**			
कंपनी द्वारा प्राप्य	0.05	0.10	0.13
v) **समूह की रोजगार पश्च लाभ योजनाओं के लिए बनाए गए ट्रस्टों के साथ शेष**			
समूह द्वारा प्राप्य			

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
1.	उपदान ट्रस्ट	38.24	41.54	21.59
	समूह द्वारा देय			
1.	ईपीएफ ट्रस्ट	31.43	26.34	25.59
2.	आरईएचएस ट्रस्ट	38.92	12.17	-
3.	सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	0.67	0.73	0.76
4.	ईडीसीएसएस ट्रस्ट	5.89	5.97	5.26

समूह के राज्य सरकारों और भारत सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ व्यापार कारोबार है। इन निकायों के साथ व्यापार कारोबार परस्पर सहमत आधार पर बाजार शर्तों के अनुरूप खुली निविदाओं के प्रति एक पारदर्शी मूल्य खोज प्रक्रिया के माध्यम से किये जाते हैं, स्वामित्व वाली मदों हेतु मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) से कलपुर्जे/सेवाओं की खरीद/अथवा आकस्मिकता के कारण एकल निविदा आधार अनुरूपता अथवा अन्य कारणों जैसे कुछ मामलों के सिवाय। ऐसी एकल निविदा खरीद भी समान मदों के उपलब्ध मूल्य डाटा के प्रति बेंचमार्क किए गए मूल्यों के साथ विचार-विमर्श की एक प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। अत: ऐसे कारोबार के पक्ष-वार ब्यौरे नहीं दिए गए हैं क्योंकि ऐसे कारोबार को व्यापार के सामान्य चालन के दौरान सामान्य वाणिज्यिक शर्तों पर किया जाता है और उन्हें पृथक या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं माना गया है।

12. सुरक्षा का विवरण : ऋणों हेतु सुरक्षा के रूप में रेहन/गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों की वहन राशि निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
	प्रथम प्रभार			
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	14,484.71	14,543.38	15,599.93
2	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	6,127.83	5,911.56	5,281.86
3	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	-	-	1132.40
4	प्राप्य व्यापार	-	-	335.93
5	मालसूची	-	-	7.75
6	नकदी और नकदी तुल्य/बैंक शेष	-	-	1153.77
7	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	-	-	5883.17
8	वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य	567.77	582.31	609.62
	कुल	**21,180.31**	**21,037.25**	**30,004.43**

13. 'कर्मचारी लाभों' के संबंध में प्रकटीकरण :

(क) निर्धारित अंशदान योजनाएं

(i) **सामाजिक सुरक्षा योजना :** अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर समूह की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। समूह भी प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान करती है और यह अंशदान 8 वर्ष तक किया जाता है ताकि योजना के लागू होने की तिथि अर्थात 01.06.2007 से एक निधि को बनाया जा सके, इसे 2 और वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। कारपोरेशन के कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में संकटग्रस्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरूआत की गई है। वर्ष के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय **4.48 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **4.70 करोड़** रूपए) है।

(ii) **कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस) :** समूह में कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत की दर से अंशदान देता है। समूह मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से निकाली गई राशि में से भविष्य निधि, उपदान न्यास तथा आरईएचएस को अंशदान के प्रति नियोक्ता के अंशदान को घटाने के पश्चात उपलब्ध होने वाले शेष का अंशदान देती है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। वर्ष के दौरान कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय **79.55 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **115.65 करोड़** रूपए) है।

(ख) निर्धारित लाभ योजनाएं - समूह की निम्नलिखित निर्धारित रोजगार-पश्च बाध्यताएं है :

(क) योजनाओं का विवरण

(i) **भविष्य निधि :** समूह पूर्व-निर्धारित दरों से भविष्य निधि में नियत अंशदान एक पृथक न्यास में जमा कराती है, जो धन का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। निधि में अंशदान को सम्बद्ध अवधि के लिए व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते/निर्माण को आरोप्य व्यय में प्रभारित किया जाता है। कपंनी का यह दायित्व है वह इस निधि मे अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।

(ii) **उपदान :** समूह की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा **0.10 करोड़** रूपये है। तथापि, सीपीएसयू हेतु वेतन संशोधन के लिए तीसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के अनुसार उपदान की अधिकतम सीमा 1.1.2017 से संशोधित करके **0.20 करोड़** रूपये किए जाने का प्रस्ताव है जिसे वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु उपदान के संबंध में बाध्यता की गणना करते हुए लिया गया है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और समूह की बाध्यता बीमांकित मूल्य के आधार पर न्यास में अंशदान देना है।

(iii) **सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) :** समूह की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवन-साथी (पति/पत्नी) को कपंनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे समूह द्वारा निर्धारित सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है। योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और समूह की बाध्यता बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर न्यास में अंशदान देने की है।

(iv) **सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता :** कपंनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है, मृतक कर्मचारी का परिवार भी यह सुविधा प्राप्त कर सकता है। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है।

(v) **अधिवर्षिता की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए स्मृतिचिन्ह :** समूह की नीति है कि वह सेवानिवृत्ति की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए 5000/- रूपये मूल्य तक का स्मृतिचिन्ह भेंट करती है। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है।

(ख) तुलन पत्र राशियों और योजनाओं के संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटीकरण

(i) **भविष्य निधि :** 31.03.2016 तथा 31.03.2017 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान निवल निर्धारित लाभ बाध्यता में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2015-16	
01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	2,147.89	2,185.06	(37.17)
वर्तमान सेवा लागत	75.82	-	75.82
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	171.83	174.80	(2.97)
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	247.65	174.80	72.85
पुनर्मापन	-	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	0.58	(0.58)
जनसांख्यकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	31.88	14.45	17.43
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	31.88	15.03	16.85
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	75.82	(75.82)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2015-16	
- योजना प्रतिभागी	211.25	211.25	-
लाभ भुगतान	(383.13)	(383.13)	-
31.03.2016 को अंतिम शेष	2,255.54	2,278.83	(23.29)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2016-17	
01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	2,255.54	2,278.83	(23.29)
वर्तमान सेवा लागत	81.15	-	81.15
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	180.45	182.31	(1.86)
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	261.60	182.31	79.29
पुनर्मापन	-	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	0.62	(0.62)
जनसांख्यकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.11	-	0.11
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	11.83	13.04	(1.21)
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	11.94	13.66	(1.72)
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	81.15	(81.15)
- योजना प्रतिभागी	218.36	218.36	-
लाभ भुगतान	(354.86)	(354.86)	-
31.03.2017 को अंतिम शेष	2,392.58	2,419.45	(26.87)

वित्त-पोषित और गैर-वित्तपोषित के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
वित्त-पोषित बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	2,392.58	2,255.54	2,147.89
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2,419.45	2,278.83	2,185.06
वित्त-पोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	(26.87)	(23.29)	(37.17)
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	(26.87)	(23.29)	(37.17)

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ बाध्यताओं की संवेदनशीलता निम्नवत है -

विवरण	मान्यताओं में परिवर्तन			मान्यताओं में वृद्धि			मान्यताओं में कमी	
प्रारंभिक शेष	31st March 2017	31st March 2016		31st March 2017	31st March 2016		31st March 2017	31st March 2016
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	0.005%	0.004%	इससे वृद्धि	0.005%	0.005%

(ii) **उपदान :** 31.03.2016 तथा 31.03.2017 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान निवल निर्धारित लाभ बाध्यता में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2015-16	
01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	625.98	654.12	(28.14)
वर्तमान सेवा लागत	25.89	-	25.89
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	50.07	52.33	(2.26)
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	75.96	52.33	23.63
पुनर्मापन	-	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	2.58	(2.58)
जनसांख्यकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.34)	-	(0.34)
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(36.95)	-	(36.95)
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	(37.29)	2.58	(39.87)
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	7.04	(7.04)
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(64.43)	(67.92)	3.49
31.03.2016 को अंतिम शेष	600.22	648.15	(47.93)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2016-17	
01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	600.22	648.15	(47.93)
वर्तमान सेवा लागत	34.48	-	34.48
विगत सेवा लागत	141.85	-	141.85
ब्याज व्यय/(आय)	48.02	51.85	(3.83)
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	224.35	51.85	172.50
पुनर्मापन	-	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	1.06	(1.06)
जनसांख्यकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.01)	-	(0.01)
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	13.46	-	13.46
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	0.61	-	0.61
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	14.06	1.06	13.00
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	0.78	(0.78)
- योजना प्रतिभागी	-	15.23	(15.23)
लाभ भुगतान	(63.10)	(87.06)	23.96
31.03.2017 को अंतिम शेष	775.53	630.01	145.52

वित्त-पोषित और गैर-वित्तपोषित के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
वित्त-पोषित बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	775.53	600.22	625.98
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	630.01	648.15	654.12
वित्त-पोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	145.52	(47.93)	(28.14)
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	145.52	(47.93)	(28.14)

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ बाध्यताओं की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	मान्यताओं में परिवर्तन			मान्यताओं में वृद्धि			मान्यताओं में कमी	
	31.03.2017	31.03.2016		31.03.2017	31.03.2016		31.03.2017	31.03.2016
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	2.78%	3.21%	इससे वृद्धि	2.95%	3.42%
वेतन वृद्धि दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	1.26%	3.45%	इससे कमी	1.41%	3.27%

(iii) **सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) :** 31.03.2016 तथा 31.03.2017 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान निवल निर्धारित लाभ बाध्यता में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2015-16	
01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	518.61	-	518.61
वर्तमान सेवा लागत	12.38	-	12.38
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	41.49	-	41.49
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	53.87	-	53.87
पुनर्मापन	-	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	33.62	(33.62)
जनसांख्यकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.28	-	0.28
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	37.22	-	37.22
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	37.50	33.62	3.88
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	555.66	(555.66)
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(13.78)	(5.56)	(8.22)
31.03.2016 को अंतिम शेष	596.20	583.72	12.48

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2016-17	
01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	596.20	583.72	12.48
वर्तमान सेवा लागत	14.39	-	14.39
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	47.69	46.87	0.82
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	62.08	46.87	15.21
पुनर्मापन	-	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	5.27	(5.27)
जनसांख्यकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	42.25	-	42.25
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	23.12	-	23.12
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	65.37	5.27	60.10
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	51.67	(51.67)
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(19.24)	(19.68)	0.44
31.03.2017 को अंतिम शेष	704.41	667.85	36.56

वित्त-पोषित और गैर-वित्तपोषित के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
वित्त-पोषित बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	704.41	596.20	-
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	667.85	583.72	-
वित्त-पोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	36.56	12.48	-
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-	518.61
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	36.57	12.48	(518.61)

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ बाध्यताओं की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	मान्यताओं में परिवर्तन			मान्यताओं में वृद्धि			मान्यताओं में कमी	
	31.03.2017	31.03.2016		31.03.2017	31.03.2016		31.03.2017	31.03.2016
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	6.09%	7.21%	इससे वृद्धि	6.45%	7.97%

(iv) **सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता :** 31.03.2016 तथा 31.03.2017 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान निवल निर्धारित लाभ बाध्यता में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2015-16	
01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	5.32	-	5.32
वर्तमान सेवा लागत	0.24	-	0.24
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	0.43	-	0.43
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	0.67	-	0.67
पुनर्मापन	-	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.04	-	0.04
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(0.54)	-	(0.54)
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	(0.50)	-	(0.50)
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.11)	-	(0.11)
31.03.2016 को अंतिम शेष	5.38	-	5.38

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2016-17	
01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	5.38	-	5.38
वर्तमान सेवा लागत	0.25	-	0.25
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	0.43	-	0.43
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	0.68	-	0.68
पुनर्मापन	-	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.18	-	0.18
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(0.32)	-	(0.32)
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	(0.14)	-	(0.14)
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.36)	-	(0.36)
31.03.2017 को अंतिम शेष	5.56	-	5.56

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ बाध्यताओं की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	मान्यताओं में परिवर्तन			मान्यताओं में वृद्धि			मान्यताओं में कमी	
	31.03.2017	31.03.2016		31.03.2017	31.03.2016		31.03.2017	31.03.2016
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	3.33%	3.08%	इससे वृद्धि	3.54%	3.25%

(v) **अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को स्मृति-चिन्ह :** 31.03.2016 तथा 31.03.2017 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान निवल निर्धारित लाभ बाध्यता में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2015-16	
01.04.2015 को प्रारंभिक शेष	2.77	-	2.77
वर्तमान सेवा लागत	0.10	-	0.10
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	0.22	-	0.22
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	0.32	-	0.32
पुनर्मापन	-	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(0.21)	-	(0.21)
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	(0.21)	-	(0.21)
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.30)	-	(0.30)
31.03.2016 को अंतिम शेष	2.58	-	2.58

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2016-17	
01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	2.58	-	2.58
वर्तमान सेवा लागत	0.10	-	0.10
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	0.20	-	0.20
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	0.30	-	0.30
पुनर्मापन	-	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2016-17	
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.07	-	0.07
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(0.21)	-	(0.21)
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	(0.14)	-	(0.14)
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.28)	-	(0.28)
31.03.2017 को अंतिम शेष	2.46	-	2.46

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ बाध्यताओं की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	मान्यताओं में परिवर्तन			मान्यताओं में वृद्धि			मान्यताओं में कमी	
	31.03.2017	31.03.2016		31.03.2017	31.03.2016		31.03.2017	31.03.2016
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	5.94%	2.90%	इससे वृद्धि	6.12%	3.08%

(ग) **निर्धारित लाभ योजनाएं : महत्वपूर्ण अनुमान : बीमांकित मान्यताएं :**

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
छूट दर	7.50%	8.00%	8.00%
वेतन वृद्धि दर	6.00%	6.00%	6.00%

(घ) **योजनागत परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार है :**

भविष्य निधि:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड	1,298.70	-	1,298.70	55.27
कारपोरेट बॉण्ड	1,011.75	-	1,011.75	43.05
निवेश निधियां	-	-	-	-
म्युचुअल फंड	31.71	-	31.71	1.35
एलआईसी	-	-	-	-
नकदी और नकदी तुल्य	-	7.79	7.79	0.33
कुल	**2,342.16**	**7.79**	**2,349.95**	**100.00**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड	1,184.39	-	1,184.39	53.54
कारपोरेट बॉण्ड	1,012.00	-	1,012.00	45.75
निवेश निधियां	-	-	-	-
म्युचुअल फंड	13.33	-	13.33	0.60
एलआईसी	-	-	-	-
नकदी और नकदी तुल्य	-	2.30	2.30	0.10
एफडीआर	-	0.06	0.06	-
कुल	**2,209.72**	**2.36**	**2,212.08**	**100.00**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	01 अप्रैल 2015			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड	1,081.93	-	1,081.93	50.99
कारपोरेट बॉण्ड	1,037.95	-	1,037.95	48.91
नकदी और नकदी तुल्य	-	2.13	2.13	0.10
कुल	**2,119.88**	**2.13**	**2,122.01**	**100.00**

उपदान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2017			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना *	-	630.02	630.02	99.98
नकदी और नकदी तुल्य	-	0.11	0.11	0.02
कुल	**-**	**630.13**	**630.13**	**100.00**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना *	-	648.04	648.04	99.98
नकदी और नकदी तुल्य	-	0.10	0.10	0.02
कुल	**-**	**648.14**	**648.14**	**100.00**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	01 अप्रैल 2015			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना *	-	654.03	654.03	99.99
नकदी और नकदी तुल्य	-	0.09	0.09	0.01
कुल	**-**	**654.12**	**654.12**	**100.00**

*** उपदान प्रकटीकरण हेतु टिप्पणी :**

एनएचपीसी लिमिटेड उपदान निधि न्यास ने ट्रस्ट की निधियों को आईआरडीए द्वारा इस प्रयोजन हेतु विधिवत अनुमोदित बीमा की एक योजना के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की नॉन-यूनिट लिंक्ड परम्परागत निधि में समूह उपदान योजना में निवेश किया है।

सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड	-	-	-	-
कारपोरेट बॉण्ड	637.75	-	637.75	97.80
नकदी और नकदी तुल्य	-	10.06	10.06	1.54
एफडीआर	-	4.27	4.27	0.65
कुल	**637.75**	**14.33**	**652.08**	**100.00**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड	-	-	-	-
कारपोरेट बॉण्ड	559.10	-	559.10	98.17
नकदी और नकदी तुल्य	-	10.43	10.43	1.83
कुल	**559.10**	**10.43**	**569.53**	**100.00**

ङ) **जोखिम प्रभाव :** अपनी निर्धारित लाभ योजनाओं के माध्यम से समूह कई जोखिमों के प्रभाव में आता है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण का ब्यौरा नीचे दिया गया है -

जोखिम प्रभाव का विवरण :

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित जो परिवर्तनशील प्रकृति के हैं और समय के साथ भिन्न होती हैं। अतः समूह नीचे दिए गए विभिन्न जोखिमों के संपर्क में आता है -

क) वेतन वृद्धि - वास्तविक वेतन वृद्धि योजना के दायित्व में वृद्धि करेगी। वेतन वृद्धि दर मान्यता में वृद्धि भविष्य के मूल्यांकनों में देयता में भी वृद्धि करेगी।

ख) निवेश जोखिम - यदि योजना को वित्त पोषित किया जाता है तो परिसंपत्ति देयताएं असंतुलन और अंतिम तिथि को मानी गई छूट दर से निम्न होने वाला परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल दायित्व को प्रभावित कर सकता है।

ग) छूट दर - बाद के मूल्यांकनों में छूट दर मे कमी योजना के दायित्व में वृद्धि कर सकती है।

घ) मृत्यु तथा निशक्तता - मूल्याकन में माने गए से कम या अधिक होने पर वास्तविक मृत्यु तथा निशक्तता के मामले देयताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

ङ) निकासी - वास्तविक निकासी मानी गई निकासी से अधिक या कम होने और बाद के मूल्यांकनों में निकासी दरों मे परिवर्तन योजना के दायित्व को प्रभावित कर सकता है।

च) **निर्धारित लाभ देयता और नियोक्ता अंशदान :** वित्तपोषण स्तरों की निगरानी वार्षिक आधार पर की जाती है और वर्तमान अंशदान दर मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 30 प्रतिशत है। कंपनी यह मानती है कि पिछली मूल्यांकन तिथि को निर्धारित अंशदान दरें सहमत अवधि पर कमी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है और नियमित अंशदान , जो सेवा लागतों पर आधारित हैं, उनमें अत्यधिक वृद्धि नहीं होगी।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु निर्धारित लाभ योजनाओं से प्रत्याशित अंशदान **144.86 करोड़** रूपये है।

निर्धारित लाभ बाध्यमाओं की औसत अवधि 9.62 वर्ष है (2016 - 9.58 वर्ष, 2015 - 9.48 वर्ष)।

छूट न दी गई निर्धारित लाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है :

भविष्य निधि (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि) का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	0-1 वर्ष के मध्य	1 - 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2017	333.34	829.01	1,230.24	2,392.59
31.03.2016	314.08	749.24	1,192.22	2,255.54

उपदान (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि), रोजगार पश्च चिकित्सा लाभ (एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना न्यास), सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और स्मृतिचिन्ह का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष के मध्य	2 - 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2017					
उपदान	109.77	69.17	181.75	414.84	775.53
रोजगार पश्च चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	27.34	29.17	98.95	548.95	704.41
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	0.61	0.57	1.51	2.87	5.56
अधिवर्षिता की आयु पुरी होने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.30	0.28	0.74	1.14	2.46
कुल	**138.02**	**99.19**	**282.95**	**967.80**	**1,487.96**
31.03.2016					
उपदान	70.24	22.37	172.48	335.13	600.22
रोजगार पश्च चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	23.16	25.00	86.41	461.62	596.19
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	0.61	0.20	1.54	3.02	5.37
अधिवर्षिता की आयु पुरी होने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.32	0.10	0.80	1.36	2.58
कुल	**94.33**	**47.67**	**261.23**	**801.13**	**1,204.36**

(ग) **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (अवकाश लाभ) :** समूह अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करता है, जो वर्ष में क्रमश: 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार विनियमित की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकित मूल्य के आधार पर किया जाता है।

14. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-3 के अनुसार अन्य प्रकटीकरण

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य :		
	i) पूंजीगत वस्तुएं	26.43	4.33
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ब्याज	26.27	28.92
	ii) अन्य विविध मामले	76.05	140.76
ग)*	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कलपुर्जो तथा घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	-	0.63
	ii) देशीय	20.92	38.96
घ)*	विदेशी मुद्रा में अर्जन		
	i) ब्याज	-	2.62

* प्रोदभवन आधार।

15. प्रति शेयर अर्जन :-

क) प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) निम्नानुसार हैं :

	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
नियामक आय से पूर्व प्रति शेयर अर्जन (रूपए) - आधारभूत और कम किया गया	2.09	1.85
नियामक आय के पश्चात प्रति शेयर अर्जन (रूपए) - आधारभूत और कम किया गया	2.74	2.35
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रूपये)	10	10

ख) प्रति शेयर अर्जन की गणना में प्रयुक्त आय का मिलान :

	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात किंतु नियामक आय से पूर्व निवल लाभ (करोड़ रूपए में)	2310.64	2050.81
अंश के रूप में प्रयुक्त कर तथा नियामक आय के पश्चात निवल लाभ (करोड़ रूपए में)	3029.43	2601.71

ग) हर के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या का मिलान :

	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
हर के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या	11,06,17,77,011	11,07,06,68,496

16. संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं

(करोड़ रूपए में)

		31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
क	आकस्मिक देयताएं	1.66	1.50	0.67
ख	पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	13.98	16.64	28.53

17. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- ।।। के अनुसार प्रकटीकरण

(करोड़ रूपए में)

समूह में निकायों के नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात कुल परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ या हानि में अंश		अन्य व्यापक आय में अंश		कुल व्यापक आय में अंश	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मूल कंपनी								
एनएचपीसी लिमिटेड								
31.03.2017	78.29	25361.23	74.45	2590.97	137.52	7.66	74.55	2598.63
31.03.2016	82.00	28546.73	79.28	2311.53	105.20	3.24	79.30	2314.77
अनुषंगी कंपनी								
एनएचडीसी लिमिटेड								
31.03.2017	9.43	3055.88	12.50	435.21	(19.21)	(1.07)	12.45	434.14
31.03.2016	8.24	2867.86	9.86	287.54	(2.60)	(0.08)	9.85	287.46
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसी लिमिटेड)								
31.03.2017	0.30	96.54	0.02	0.82	-	-	0.02	0.82
31.03.2016	0.28	95.85	0.05	1.44	-	-	0.05	1.44
बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)								
31.03.2017	-	0.60	(0.01)	(0.32)	-	-	(0.01)	(0.32)
31.03.2016	-	0.93	-	(0.01)	-	-	-	(0.01)
सभी अनुषंगी कंपनियों में गैर-नियंत्रक हित								
31.03.2017	10.44	3382.24	12.96	450.91	(18.31)	(1.02)	12.91	449.89
31.03.2016	9.10	3168.10	10.77	314.18	(2.60)	(0.08)	10.76	314.10
संयुक्त उद्यम (निवेश इक्विटी पद्धति के अनुसार)								
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)								
31.03.2017	0.09	29.97	-	-	-	-	-	-
31.03.2016	0.07	23.44	-	-	-	-	-	-
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (पी) लिमिटेड (सीवीपीपीएल)								
31.03.2017	1.45	470.60	0.08	2.74	-	-	0.08	2.74
31.03.2016	0.31	107.90	0.04	1.23	-	-	0.04	1.23
कुल								
31.03.2017	**100.00**	**32397.06**	**100.00**	**3480.33**	**100.00**	**5.57**	**100.00**	**3485.90**
31.03.2016	**100.00**	**34810.81**	**100.00**	**2915.91**	**100.00**	**3.08**	**100.00**	**2918.99**

18. शेषों की पुष्टि संबंधी प्रकटीकरण निम्नवत है :

क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाए गए शेष, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गईं या सौंपने का निर्णय की गईं परियोजनाएं भी शामिल हैं।

ख) बाहरी पक्षों से व्यापार प्राप्य, देय व्यापार, जमा, संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल है और संविदाकारों को जारी सामग्री हेतु **0.05 करोड़** रूपये अथवा उससे अधिक के बकाया शेष हेतु पुष्टि प्रत्येक पक्ष के संबंध में प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को मांगी जाती है। 31 दिसम्बर, 2016 के अनुसार शेष की पुष्टि और साथ ही साथ 31.3.2017 को बकाया निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.12.2016 को बकाया राशि	पुष्टि की गई राशि	31.12.2017 को बकाया राशि
प्राप्य व्यापार	3,108.98	2,546.78	2,631.60
पूंजीगत व्यय और संविदाकारों को जारी सामग्री सहित जमा, संविदाकारों/आपूर्तिकारों/ सेवा प्रदाताओं/ अन्यों को अग्रिम जिसमें	1,141.86	488.13	1078.64
व्यापार/अन्य देय	287.15	110.80	374.43
सुरक्षा जमा/देय प्रतिधारण राशि	113.07	57.76	109.77

ग) प्रबंधन के मतानुसार, अपुष्ट शेषों का कोई भौतिक प्रभाव नहीं होगा।

19. इंड एएस में परिवर्तन से पूर्व सुविधाओं के सृजन हेतु पूंजीगत व्यय जिन पर समूह का नियंत्रण नहीं था परन्तु जो परियोजना के निर्माण के लिए मूलतः आवश्यक थी, उसे परियोजना की प्रमुख परिसंपत्तियों के सृजन की ऐसी लागतों की आरोप्यता के आधार पर प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के एक भाग के रूप में "निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी)" पर प्रभारित किया जाता था। इंड एएस को लागू किए जाने से यह लेखांकन उपचार विशिष्ट रूप से भारतीय लेखांकन मानक-16 "संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण" के पैरा 9 के अंतर्गत कवर होता है जिसमें मापन की इकाई पद्धति विहित की गई है जिसमें किसी निकाय का प्रबंधन अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर मान्यता मानदण्ड पर अपना निर्णय लागू करने में सक्षम है।

20. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटीकरण

(i) किए गए व्यय के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत सीएसआर व्यय का ब्यौरा निम्नवत है :-

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	सीएसआर व्यय शामिल होने वाले व्ययों के शीर्ष	2016-17	2015-16
1	स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता	15.47	5.19
2	शिक्षा और कौशल विकास	52.16	5.83
3	महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक	0.19	0.01
4	पर्यावरण	0.69	0.57
5	कला और संस्कृति	0.64	0.25
6	भूतपूर्व सैनिक	0.05	-
7	खेलकूद	0.33	0.07
8	राष्ट्रीय कल्याण निधि	0.02	-
9	प्रौद्योगिकी और अनुसंधान	-	-
10	ग्रामीण विकास	9.83	4.80
11	क्षमता निर्माण	0.93	0.03
12	स्वच्छ विद्यालय अभियान	0.75	82.30
13	स्वच्छ भारत अभियान	8.66	-
	कुल राशि	**89.72**	**99.05**

(ii) अन्य प्रकटीकरण :-

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 135 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु सीएसआर कार्यों के प्रति व्यय किए जाने हेतु अपेक्षित राशि **65.04 करोड़** रूपये है। निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु **132.93 करोड़** रूपये के कुल बजट को आवंटित किया था (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 135 के अनुसार पिछले 3 वित्तीय वर्षो के औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत से अधिक)। वित्तीय वर्ष 2015-16 तक **17.26 करोड़** रूपए की व्यय न की गई राशि को सीएसआर आरक्षित में रखा गया है (एनएचडीसी)।

ख) 31.03.2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 'नकदी में किए गए' और 'अभी नकदी में अदा किए जाने वाले' व्यय के ब्यौरे तथा साथ में व्यय की प्रकृति (पूंजी अथवा राजस्व प्रकृति) निम्नानुसार है :-

(करोड़ रूपए में)

		नकद में (क)	अभी भुगतान किया जाना है (ख)	कुल (क+ख)
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण / खरीद	19.08	1.82	20.90
(ii)	उक्त (1) के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु	67.00	1.81	68.81
	कुल	**86.09**	**3.63**	**89.72**

(ग) ऊपर बताए गए अनुसार **3.63 करोड़** रूपये के कुल व्यय में से **89.72 करोड़** रूपये की राशि का भुगतान अभी संबंधित पक्षों को किया जाना है जिसे देयताओं से संबधित लेखे के संगत शीर्ष में शामिल किया गया है।

21. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 जिसे दिनांक 04.09.2015 की कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत यथापेक्षित प्रकटीकरण निम्नवत है (देखें तुलन पत्र की टिप्पणी संख्या 20.2 तथा 20.3) :

(रूपये करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
(i)	तुलन-पत्र तिथि को किसी आपूर्तिकर्ता को शेष रहने वाली मूल राशि तथा उस पर तत्संबंधी शेष ब्याज :		
	क) देय व्यापार :		
	- मूलधन राशि	6.32	1.89
	- ब्याज	-	0.20
	क) अन्य :		
	- मूलधन राशि	2.15	1.42
	- ब्याज	-	-
(ii)	क्रेता द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुरूप अदा किए गए ब्याज की राशि और साथ में वर्ष के दौरान निर्धारित दिवस से परे आपूर्तिकार को किए गए भुगतान की राशि।	-	-
(iii)	भुगतान करने में विलंब के वर्ष हेतु देय तथा अदा की जाने वाली ब्याज की राशि (जिसका वर्ष के दौरान निर्धारित दिवस के पश्चात भुगतान किया गया है) परन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतगत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
(iv)	तुलन-पत्र तिथि को प्रोदभूत तथा भुगतान हेतु शेष ब्याज की राशि	-	0.20
(v)	आगे के वर्षों में भी देय तथा चुकौती योग्य शेष ब्याज की राशि, जब तक कि उक्त ब्याज देयों का भुगतान वास्तव में किसी छोटे उद्यम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत किसी कटौती योग्य व्यय को अनुमेय न करने के प्रयोजन हेतु वास्तव में नहीं कर दिया जाता।	-	-

22. 09.11.2016 से 30.12.2016 की अवधि के दौरान धारित और कारोबार किए गए निर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) के ब्यौरे का प्रकटीकरण निम्नवत है :

(करोड़ रूपए में)

	एसबीएन*	अन्य मूल्यवर्ग के नोट	कुल
08 नवम्बर, 2016 को अंतिम हस्तगत नकदी	0.16	0.03	0.19
(+) अनुमेय प्राप्तियां	0.02	1.63	1.65
(-) अनुमेय भुगतान	-	1.28	1.28
(-) बैंकों में जमा राशि	0.18	0.26	0.44
30 दिसम्बर, 2016 को अंतिम हस्तगत नकदी	-	0.12	0.12

* निर्दिष्ट बैंक नोट दिनांक 08 नवम्बर, 2016 की आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. एस.ओ.3407(अ) में यथा परिभाषित किए अनुसार है।

23. भारतीय लेखांकन मानक - 17 "पट्टे के अनुसार पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण

क) वित्त पट्टा - समूह पट्टादाता के रूप में

समूह ने 2 पावर स्टेशनों नामतः निम्मो बाजगो पावर स्टेशन और चुटक पावर स्टेशन से उत्पादित समूची विद्युत की बिक्री हेतु एकल लाभार्थी पीडीडी जम्मू एवं कश्मीर और दो पावर स्टेशनों नामतः इन्दिरा सागर और ओंकारेश्वर पावर स्टेशनों से उत्पादित समूची विद्युत की बिक्री हेतु मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के साथ 35 वर्षों के लिए एक समझौता किया है जो इन विद्युत स्टेशनों के प्रत्याशित जीवनकाल के समान है। समझौतों के अंतर्गत उपभोक्ता केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उत्पादन को खरीदने के लिए बाध्य है। समूह ने इन पावर स्टेशनों को भारतीय लेखांकन मानक 17-पट्टे के परिशिष्ट-ग के अनुसार निहित वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान) में प्राप्य पट्टे शामिल हैं जो समूह द्वारा की गई निहित पट्टा व्यवस्थाओं पर प्राप्य भविष्य के पट्टा किराए के वर्तमान मूल्य को दर्शाते हैं।

पट्टे में सकल निवेश और वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार है :

(क) पट्टों में सकल निवेश :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
एक वर्ष के भीतर	1040.85	1078.38	1074.30
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	3489.74	3721.60	3974.07
पांच वर्ष से अधिक	15325.42	16129.77	16951.39
कुल	**19856.01**	**20929.75**	**21999.76**

(ख) प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
एक वर्ष के भीतर	267.10	294.99	251.61
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	668.86	800.41	961.05
पांच वर्ष से अधिक	4801.44	4913.82	5030.60
कुल	**5737.40**	**6009.22**	**6243.26**

(ग) पट्टे में सकल निवेश और वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य के मध्य मिलान निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
पट्टे में सकल निवेश	19,856.01	20,929.75	21,999.76
समायोजन :	-	-	-
घटाए : अर्जित न की गई वित्त आय	13,350.60	14,157.14	14,997.41
घटाए : गैर-गारंटीबद्ध अवशिष्ट मूल्य	768.01	763.39	759.09
न्यूनतम पट्टा भुगतान (एमएलपी) का वर्तमान मूल्य	**5,737.40**	**6,009.22**	**6,243.26**

(ख) प्रचालन पट्टा - समूह पट्टादाता के रूप में

समूह ने टीएलडीपी-3 तथा टीएलडीपी-4 विद्युत स्टेशनों से विद्युत की बिक्री हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड और पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर से विद्युत की बिक्री हेतु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ 3 वर्ष की अवधि हेतु एक समझौता किया है। टीएलडीपी-3 तथा टीएलडीपी-4 के संबंध में समझौतो के अंतर्गत ग्राहक केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उत्पादन की खरीद के लिए बाध्य है। तदनुसार, समूह ने इन विद्युत स्टेशनों को इंड एएस 17-पटटे के परिशिष्ट-ग के अनुसार प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया है।

गैर-निरस्तीकरण योग्य प्रचालन पट्टों के अंतर्गत प्राप्य भविष्य का न्यूनतम किराया निम्नानुसार है :-

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
एक वर्ष के भीतर	568.86	521.32	342.41
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	607.87	1176.73	1698.05
कुल	**1176.73**	**1698.05**	**2040.46**

24. प्रबंधन का यह मत है कि 31 मार्च, 2017 के अनुसार ''परिसंपत्तियों की क्षति'' पर भारतीय लेखांकन मानक 36 के प्रावधानों के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

25. प्रमाणित उत्सर्जन कमी (वीईआर) शून्य है, अतः कोई प्रकटीकरण नहीं।

26. जल विद्युत नीति 2008 के अनुसार किसी परियोजना के चालू होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि हेतु संबंधित वितरण लाइसेंसी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) को 100 यूनिट विद्युत की तदनुरूपी ऊर्जा मुहैया करवाई जानी है। पीएएफ के संबंध में संबंधित

राज्य सरकारों द्वारा अभी अधिसूचना जारी की जानी है। चूंकि किसी पावर स्टेशन से कुल बिक्री योग्य ऊर्जा को डिजाइन ऊर्जा में से ऐसे नःशुल्क विद्युत की कटौती करके निकाला जाना है, समूह के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

27. वर्ष 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ का अनुमोदन लम्बित होने के चलते केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) की दिनांक 21 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या एल-1/144/2013/सीईआरसी के अनुसार बिक्री को सेवा-II, चमेरा-III, टीएलडीपी-III और पार्बती-III पावर स्टेशनों के संबंध में 2009-14 की अवधि हेतु सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार अनंतिम रूप से मान्यता दी गई है। वर्ष 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ के लिए सीईआरसी विनियमनों में संबंधित वित्तीय वर्ष की प्रभावी कर दर के साथ इक्विटी पर प्रतिफल को सकल बनाकर लाभग्राहियों से आयकर की वसूली का प्रावधान है अर्थात उत्पादक आय पर वर्ष के दौरान अदा किया गया वास्तविक कर।

28. कंपनी के निदेशक मंडल ने 7 फरवरी, 2017 को हुई अपनी बैठक में इसके इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद हेतु एक प्रस्ताव का अनुमोदित किया था। उक्त अनुमोदन के आगे, कंपनी ने 27 मार्च, 2017 को 10 रूपये प्रत्येक के 81,13,47,977 शेयरों (जो 31 मार्च, 2016 हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 7.33 प्रतिशत को दर्शाता है) की पुनः खरीद को शेयरधारकों से एक अनुपातिक आधार पर 32.25 रूपये प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य पर निविदा प्रस्ताव के माध्यम से 2616.60 करोड़ रूपये की कुल राशि पर कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी विनियमनों के प्रावधानों के अनुसार पूरा किया है।

29. प्रावधानों की प्रकृति और ब्यौरा (तुलन-पत्र की टिप्पणी संख्या 17 तथा 22 का संदर्भ लें)

(i) सामान्य

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह की वर्तमान बाध्यता (विधिक अथवा रचनात्मक) किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप हो और यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ शामिल होने वाले संशोधनों के अंतरवाह की आवश्यकता बाध्यता के निपटान हेतु अपेक्षित हो और बाध्यता की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। जब समूह यह प्रत्याशा करता है कि कुछ अथवा सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जैसे कि किसी बीमा संविदा के अंतर्गत, तो प्रतिपूर्ति को एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है परन्तु केवल तब जब प्रतिपूर्ति स्पष्टतः निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि के विवरण में किसी पूर्ति के निवल पर प्रस्तुत किया जाता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधानों में एक वर्तमान कर-पूर्व-दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता से विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करते हैं। जहां छूट का उपयोग किया जाता है, समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

(ii) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान

क) कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान :

लेखे में वर्ष (गत वर्ष 2015-16) हेतु कर्मचारियों के निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के प्रति अल्पावधि प्रावधान को प्रबंधन अनुमानों पर इस संबंध में समूह नियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

ख) तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) के अनुसार वेतन संशोधन हेतु प्रावधान) :

समूह के कर्मचारियों के वेतन संशोधन हेतु अल्पावधि प्रावधान को भारत सरकार द्वारा गठित तीसरे पीआरसी की सिफारिशों के अनुसार 1.1.2017 से 31.3.2017 की अवधि हेतु लेखे में मान्यता दी गई है।

(iii) अन्य प्रावधान

क) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान :

टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान को अनुमानित आधार पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ के अनुमोदन/समायोजन के लंबित होने पर बिल किए गए टैरिफ के पुनः आकलन पर लाभग्राहियों को संभावित धन वापसी के प्रति किया गया है।

ख) आजीविका व्यय हेतु प्रावधान :

पार्बती-II तथा पार्बती-III में परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) को आजीविका सहायता हेतु राज्य सरकार के परामर्श से और एनएचपीसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार अंतिम रूप दिए गए विशेष वित्तीय पैकेज के प्रति लेखे में औसत मुद्रास्फीति हेतु छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है। पैकेज के अनुसार, भुगतान की औपचारिकताएं लम्बित होने तक प्रत्येक पीएएफ को निम्नलिखित अवधियों हेतु मासिक किश्त आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्र सरकार, जो भी अधिक हो, के अनुसार अकुशल श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य आजीविका सहायता मुहैया करवाई जाएगी -

i) रोजगार हेतु पात्र पीएएफ की अधिवर्षिता की तिथि तक।

ii) ऐसे पीएफ जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं बची है परन्तु जिन्हें रोजगार हेतु शामिल नहीं किया गया है, 2000 दिवस हेतु।

iii) शेष सभी पीएएफ को 1000 दिवस हेतु।

ग) **प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान :**

पर्यावरण, प्रतिपूरक वनीकरण, स्थानीय क्षेत्र विकास आदि के प्रति किए जाने वाले पूंजीगत व्यय हेतु छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है जो परियोजना के निर्माण हेतु अनुमोदन प्राप्त करते समय एक पूर्व शर्त है और जिसके प्रति व्यय परियोजना के चालू किए जाने तक पूरा नहीं किया गया है। ऐसे प्रावधानो को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग के अनुसार वास्तविक व्यय के किए जाने पर समायोजित किया जाता है।

घ) **बीमांकित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्ययों हेतु प्रावधान :**

मेगा तथा सीपीएम पॉलिसी के अतर्गत बीमित क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार हेतु प्रबंधन अनुमानों के आधार पर लेखे में प्रावधान को मान्यता दी गई है। प्रावधान का उपयोग परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार के प्रति वास्तविक व्यय को वहन किए जाने के प्रति किया जाना है।

ङ) **प्रावधान - अन्य :**

इसमें मुख्यतः समूह के प्रति दावों की ओर लेखे में मान्यता दिए गए प्रावधान शामिल होते हैं। इन प्रावधानों को आर्थिक लाभ निहित होने वाले संसाधनों के बाहिरप्रवाह की संभावना को देखते हुए प्रबंधन अनुमानों के आधार पर तैयार किया गया है। प्रावधान का उपयोग /बाहिरप्रभाव मामले के निर्णय के आधार पर किया जाना है।

इस श्रेणी के अंतर्गत अन्य प्रावधानों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संशोधन की ओर प्रावधान शामिल है जिनकी सेवाओं का उपयोग समूह द्वारा किया जाता है।

30. भारतीय लेखांकन मानक 114 के अनुसार नियामक विलंबित लेखा शेष के सृजन संबंधी प्रकटीकरण

समूह जल प्रधानतः विद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन में रत है। समूह द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु प्रभारित किए जाने वाले मूल्य (टैरिफ) का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा लागू सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमों के अंतर्गत किया जाता है। उक्त मूल्य (टैरिफ) ब्याज लागत, मूल्यह्रास, प्रचालन और अनुरक्षण जिसमें निर्धारित रिटर्न शामिल है जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होता है। दर विनियमन के इस रूप को सेवा की लागत विनियमों के रूप में जाना जाता है। ऐसे विनियमों का मुख्य उद्देश्य निकाय को वस्तु या सेवा मुहैया करवाने की उसकी लागत तथा एक उचित प्रतिफल को वसूल करने का अवसर प्रदान करना है।

इस प्रयोजन हेतु समूह को लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित अथवा सीईआरसी द्वारा पहले ही स्वीकार किए गए किए जा चुके व्यय अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक किए जाने हेतु प्रक्षेपित और लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त पूंजी व्यय या टैरिफ वर्ष के दौरान व्यय किए जाने हेतु प्रक्षेपित व्यय के आधार पर सीईआरसी को एक आवेदन देना अपेक्षित होता है। सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ को उन उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) से वसूला जाता है जिन पर वह बाध्यकारी हो।

उक्त दर विनियम लेखांकन ढांचे में यथा परिकल्पित किसी अधिकार (परिसंपत्ति) अथवा किसी बाध्यता (देयता) के सृजन में परिणत होते हैं जो अन्य उद्योगों के मामले में नहीं होता। आईसीएआई ने दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी एक परामर्शी नोट जारी किया है जो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को मुहैया करवाने वाले निकायों पर लागू होता है जिनके मूल्य सेवा की लागत विनियमों के अधीन होते हैं और नियामक द्वारा निर्धारित टैरिफ उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) पर बाध्यकारी होता है। परामर्शी नोट के अनुसार किसी नियामक परिसंपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब इसकी संभावना हो (एक तर्कसंगत आश्वासन) कि इससे संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ संबंधित निकाय को लागू नियामक ढांचे के अंतर्गत नियामक के वास्तविक या प्रत्याशित कृत्यों के परिणामस्वरूप प्राप्त हों और राशि का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सके।

ऊपर बताए गए अनुसार, समूह के सभी प्रचालन क्रियाकलाप लागत की सेवा विनियमों के अधीन है क्योंकि ये परामर्शी नोट में निर्धारित मानदण्ड को पूरा करते हैं अतः समूह पर लागू है।

परामर्शी नोट में कुछ मामलों में यह भी प्रावधान है कि कोई नियामक किसी निकाय को दर आधार में उसके द्वारा स्व-निर्मित (मूर्त) स्थिर परिसंपत्तियों या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तिया को शामिल करने की अनुमति दे, ऐसी राशियां जिन्हें अन्यथा लेखांकन मानकों के अनुरूप लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता।

1.4.2016 से ऐसी दर नियंत्रित मदों का लेखांकन भारतीय लेखांकन मानक 114 (नियामक विलंबित लेखे" के अनुसार किया जाना है। भारतीय लेखांकन मानक-114 में किसी निकाय को नियामक विलंबित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस प्रयोजन हेतु "दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पण पूर्ववर्ती जीएएपी को माना जाएगा।

(क) **सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष**

सुबानसिरी लोअर परियोजना के स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप 16.12.2011 से बांध विरोधी कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण बाधित हैं, तथापि, तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य जारी है। प्रबंधन स्थल पर कार्य को पुनः प्रारम्भ करने के सभी प्रयास कर रहा है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (ईएसी) के मतानुरूप **1943.89 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष की **1578.57 करोड़** रूपये की राशि तक) की ऋण लागत और **754.10 करोड़** रूपये (**602.71 करोड़** रूपये की पिछले वर्ष की राशि तक) की प्रशासन तथा अन्य लागत को वर्ष के दौरान लाभ् एवं हानि विवरण पर प्रषरित किया गया है।

तथापि, समूह ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट के अनुसार लेखांकन को अपनाया था जो "नियामक परिसंपत्ति" और तदनुरूपी "नियामक आय" की मान्यता को अनुमति देता है जिसमें ऐसे व्यय को वसूल करने का अधिकार है जिसे लेखांकन मानकों के अनुसार संगत स्थिर परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं है, परन्तु फिर भी नियामक केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभग्राहियों से वसूल किए जाने की योजना है। इस लेखाकन नीति का समूह द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 तक पालन किया गया है।

चूंकि भारतीय लेखांकन मानक-114 में किसी निकाय को नियामक विलंबित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है और यह पूर्ववर्ती जीएएपी को "दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पण के रूप में मान्यता देता है, समूह ने वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु अपनी पहले इंड एएस वित्तीय विवरणों में नियामक विलंबित लेखा शेष हेतु लेखांकन नीति को जारी रखा है।

तदनुसार, समूह ने नियामक परिसंपत्तियों का सृजन किया है और निम्नानुसार तदनुरूपी नियामक आय को मान्यता प्रदान की है :

(करोड़ रूपए में)

निम्नलिखित के संबंध में सृजित विनियामक परिसंपत्तियां	31 मार्च, 2016 तक	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान	31 मार्च, 2017 तक
ऋण लागत	1578.57	365.32	1,943.89
कर्मचारी लाभ व्यय	394.90	92.74	487.64
प्रशासनिक और अन्य व्यय	207.81	58.65	266.46
कुल	**2181.28**	**516.71**	**2,697.99**

परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के पश्चात सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में नियामक विलंबित लेखाओं में पड़ी शेष राशि को मूल्यह्रास के अनुपात में परियोजना के जीवनकाल अर्थात 35 वर्षों पर सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों का पालन करते हुए परिशोधित/परिसमाप्त किया जाएगा।

कुछ जोखिम तथा अनिश्चितताएं सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में सृजित नियामक विलंबित डेबिट शेष की भविष्य की वसूली को प्रभावित कर सकते हैं। ये हैं :

क) **मांग जोखिम :** नियामक विलंबित लेखा शेष की वसूली टैरिफ के माध्यम से मूल्यह्रास द्वारा की जाएगी। तदनुसार, यह सामान्य जोखिमों तथा अनिश्चितताओं से प्रभावित है जो भारत में विद्युत की बिक्री को प्रभावित करती हैं जैसे दीर्घावधि पीपीए पर हस्ताक्षर किए जाने में कठिनाई, आदि ।

ख) नियामक जोखिम :

1) टैरिफ विनियमन, 2014-19 में परिणामी लागतों की अनुमति है जो लागत वृद्धि में परिणत होता है और संविदा मूल्यों, निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) और प्राकृतिक आपदा वाली स्थितियों में निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (आईईडीसी) को प्रभावित करता है जैसा कि एक का सामना वर्तमान में परियोजना द्वारा किया जा रहा है। प्राकृतिक आपदा वाली स्थितियों में लागत की स्वीकार्यता के संबंध में वर्तमान अवधि से परे टैरिफ विनियमनों में कोई परिवर्तन इन नियामक विलबित अंतरों के सृजन तथा वसूली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।

2) टैरिफ विनियमों में आगे यह प्रावधान है कि यदि विलंब उत्पादक समूह को आरोप्य नहीं है बल्कि अनियंत्रणीय कारकों के कारण है, आईईडीसी को उचित विवेकसम्मत जांच के पश्चात अनुमेय किया जा सकता है। विवेकसम्मत जांच के पश्चात व्यय को अनुमेय न करने से सृजित किए जा रहे नियामक विलंबित खाता शेष की वसूली प्रभावित हो सकती है।

(ख) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर के संबंध में नियामक विलंबित लेखा :

भारतीय लेखांकन मानक 23 - "ऋण लागतें" के पैरा 6(ङ) के अनुसार विदेशी मुद्रा ऋणों पर ऋण लागत ब्याज लागतों के समायोजन के रूप में ली गई सीमा तक, इसके निर्माण अवधि के दौरान पूंजीकरण किए जाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखांकन मानक - 21 "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव " का पैरा 28 यह प्रावधान करता है कि संबंधित अवधि अथवा पिछले वित्तीय विवरणों के दौरान प्रारंभिक मान्यता पर परिवर्तित से भिन्न दरों पर मौद्रिक मदों के निपटान या परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि में लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी जिसमें वे उत्पन्न हुए हों।

भारतीय लेखांकन मानक 101 - "भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना" का पैरा डी13एए यह प्रावधान करता है कि पहली बार अपनाने वाले को पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार प्रथम इंड एएस वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ से तत्काल पूर्व समाप्त अवधि हेतु वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों हेतु अपनाई गई नीति को जारी रख सकता है। तदनुसार, 1.4.2016 अथवा उसके पश्चात प्रारंभ होने वाली अवधि हेतु निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत के समायोजन के रूप में उपचारित सीमा तक ऋणों के विनिमय अंतर के अतिरिक्त मौद्रिक मदों के परिवर्तन/निपटान से उत्पन्न होने वाले सभी विनिमय अंतरों को लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया जाना होता है। समूह की बहियों में सभी विदेशी मुद्रा ऋण 1.4.2004 से लिए गए थे।

सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार, विनिमय दर अंतर के कारण होने वाला कोई भी लाभ अथवा हानि किसी परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) को टैरिफ की गणना हेतु पूंजीगत लागत के भाग के रूप में तथा ओ एंड एम अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान के रूप में वसूली योग्य होगी। इसके अतिरिक्त, सीईआरसी ने पूर्व के टैरिफ आदेशों में निर्माण अवधि के दौरान व्यय किए गए विनिमय अंतरों को पूंजी लागत के भाग के रूप में अनुमेय किया है।

मान्यता के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 114- "नियामक विलंबित लेखा" के प्रावधानों और वसूली, लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन/निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर और आगे की अवधियों में सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के संबंध में लाभग्राहियों से प्राप्य तथा देय होने वालों के संबंध में सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2014-19 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इन्हें 1.4.2016 से "नियामक विलंबित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जा रही है। इन शेषों को उस वर्ष में समायोजित किया जाता है जिनमें ये परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) के पश्चात से लाभग्राहियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय होते हैं।

भविष्य की अवधियों में लाभग्राहियों से वसूली जाने वाली अथवा उन्हें अदा की जाने वाली बहियों में मान्यता प्रदान की गई नियामक परिसंपत्तियां (+)/देयताएं (-) निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	नियामक विलंबित लेखा शेष
क	01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	-
ख	वर्ष के दौरान वर्धन (परिसंपत्तियां (+)/देयता (-))	(2.50)
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित(-)/वापिस (+) की गई राशि	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई नियामक आय/ (व्यय) (ख-ग)	(2.50)
ङ	31.03.2017 को अंतिम शेष (क+घ)	(2.50)

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में सृजित किए जा रहे नियामक विलंबित लेखा शेष की भविष्य की वसूली को कुछ जोखिम तथा अनिश्चितताएं प्रभावित कर सकते हैं। ये हैं :

क) **मांग जोखिम :** नियामक विलंबित डेबिट/क्रेडिट शेष की वसूली/भुगतान लाभार्थियों को बिलिंग के माध्यम से किए जाएंगे। तदनुसार, यह भारत में विद्युत की बिक्री को प्रभावित करने वाले सामान्य जोखिमों तथा अनिश्चितताओं जैसे कि दीर्घावधि पीपीए पर हस्ताक्षर करने में कठिनाई आदि से प्रभावित होगा।

ख) **नियामक जोखिम :** टैरिफ विनियम, 2014-19 निर्माण की अवधि के दौरान पूंजीगत लागत के भाग के रूप में और ओ एण्ड एम अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान आधार पर टैरिफ के माध्यम से विनिमय जोखिम अंतर की वसूली को अनुमेय करते हैं। टैरिफ में ऐसी लागतों को अनुमेय करने के संबंध में वर्तमान अवधि से परे टैरिफ विनियमों में कोई परिवर्तन इन नियामक विलंबित लेखा शेष के सृजन तथा वसूली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।

ग) **सीपीएसयू के वेतन संशोधन हेतु तीसरे पीआरसी की सिफारिशों के कारण मान्यता दिए गए व्यय के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष :**

सीपीएसयू के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 जनवरी, 2017 से देय है। भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार 1.1.2017 से मूल वेतन, मंहगाई भत्ता और भत्तों में वृद्धि करने के अतिरिक्त उपदान की अधिकतम सीमा को 1.1.2017 से विद्यमान **0.10 करोड़** रूपये से बढ़ाकर **0.20 करोड़** रूपये किए जाने का प्रस्ताव है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु वेतन के प्रस्तावित संशोधन के प्रभाव में 1.1.2017 से 31.3.2017 तक की अवधि के लिए वेतन तथा भत्तों में वृद्धि हेतु प्रावधान के प्रति लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किया गया व्यय और कारपोरेट कार्यालय तथा संबंधित यूनिटों को आवंटित क्षेत्रीय कार्यालयों के व्यय सहित प्रचालनशील विद्युत स्टेशनों के संबंध में उपदान की अधिकतम सीमा में वृद्धि के कारण बीमांकित मूल्यांकन के संबंध में लाभ एवं हानि/अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्रदान किया गया व्यय शामिल है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014-19 , सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 के कारणों के कथन के साथ पढ़े जाने पर यह प्रावधान करते हैं कि प्रचालनात्मक विद्युत स्टेशना के वेतन संशोधन के कारण कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि का प्रभाव टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभार्थियों से वसूली योग्य है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ अवधि 2004-09 के दौरान सीईआरसी ने 31.12.2006 के अनुसार याचिकाकर्ता समूह के कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी (मूल वेतनउमंहगाई भत्ता) की 50 प्रतिशत तक वेतन संशोधन (1.1.2007 से) के कारण कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि की लाभार्थियों से वसूली को 12 समान मासिक किस्तों में अनुमेय किया था।

भारतीय लेखांकन मानक-114-"नियामक विलंबित लेखा" के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मान्यता तथा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014-19 के संबंध में वेतन संशोधन के कारण कर्मचारी लाभ संबंधी वसूली, अतिरिक्त व्यय को लाभ एवं हानि विवरण अथवा अन्य व्यापक आय पर प्रभारित किए जाने की सीमा तक और टैरिफ विनियमों तथा सीईआरसी के पहले के अनुमोदन के अनुसार आगे की अवधि में लाभार्थियों से आगे वसूले जाने के चलते "नियामक विलंबित लेखा शेष" के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इन शेषों को उस वर्ष में से समायोजित किया जाना है जिनमें ये सीईआरसी के अनुमोदन के अनुसार लाभार्थियों से वसूली योग्य बनेंगे।

बहियों में मान्यता प्रदान किए गए नियामक विलंबित लेखा शेष (परिसंपत्तियों) को भविष्य की अवधियों में लाभार्थियों से निम्नानुसार वसूला जाना है :

लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई मदों के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	नियामक विलंबित लेखा शेष
क	01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	-
ख	वर्ष के दौरान वर्धन (+)	205.88
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई नियामक आय (ख+ग)	205.88
ङ	31.03.2017 को अंतिम शेष (क+घ)	205.88

अन्य व्यापक आय में मान्यता प्रदान की गई मदों के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	नियामक विलंबित लेखा शेष
क	01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	-
ख	वर्ष के दौरान वर्धन (+)	9.05
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई नियामक आय (ख+ग)	9.05
ङ	31.03.2017 को अंतिम शेष (क+घ)	9.05

कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय के संबंध में सृजित की जा रही नियामक विलंबित लेखा शेषों की भविष्य में वसूली कुछ जोखिमों तथा अनिश्चितताओं से प्रभावित हो सकती है। ये हैं :

क) **मांग जोखिम :** नियामक विलंबित डेबिट/क्रेडिट शेष की वसूली/भुगतान लाभार्थियों को बिलिंग के माध्यम से किए जाएंगे। तदनुसार, यह भारत में विद्युत की बिक्री को प्रभावित करने वाले सामान्य जोखिमों तथा अनिश्चितताओं जैसे कि दीर्घावधि पीपीए पर हस्ताक्षर करने में कठिनाई आदि से प्रभावित होगा।

ख) **नियामक जोखिम :** टैरिफ विनियम, 2014-19 टैरिफ के माध्यम से वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त कर्मचारी लागत की वसूली को अनुमेय करते हैं। टैरिफ में ऐसी लागतों को अनुमेय करने के संबंध में वर्तमान अवधि से परे टैरिफ विनियमों में कोई परिवर्तन इन नियामक विलंबित लेखा शेष के सृजन तथा वसूली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।

31 (i) उड़ी-।। विद्युत स्टेशन जहां दुर्घटनावश 20.11.2014 को आग लग गई थी, जो उत्पादन के बंद होने में परिणत हुआ था, उससे जून, जुलाई, तथा अगस्त, 2015 माह के दौरान बहाल कर लिया गया है। विद्युत स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर है। 31.3.2017 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

दावे का विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि	प्राप्य शेष		
				31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार	1 अप्रैल, 2015 के अनुसार
भौतिक क्षति के प्रति	63.20	46.00	3.16	14.04	33.23	66.74
व्यापार बाधा हानि	276.27	110.00	-	166.27*	242.28*	उपलब्ध नहीं
कुल	**339.47**	**156.00**	**3.16**	**180.31**	**275.51**	**66.74**

* टिप्पणी 34 के पैरा 2 में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

(ii) चुटक पावर स्टेशन जो पावर हाऊस में अचानक पानी के बढ़कर टरबाइन तल तथा आंशिक रूप से उत्पादन तल तक पहुंच जाने के कारण 28.6.2015 से बन्द था, इसे अगस्त तथा सितम्बर, 2015 माह के दौरान बहाल कर लिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि को मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर किया गया है। 31.3.2017 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नवत है :

(करोड़ रूपए में)

दावे का विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि	प्राप्य शेष		
				31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार	1 अप्रैल, 2015 के अनुसार
भौतिक क्षति के प्रति	7.93	-	2.00	5.93	5.93	उपलब्ध नहीं
व्यापार बाधा हानि	19.87	1.80	-	18.07*	19.87*	उपलब्ध नहीं
कुल	**27.80**	**1.80**	**2.00**	**24.00**	**25.80**	**उपलब्ध नहीं**

* टिप्पणी 34 के पैरा 2 में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

(iii) धौलीगंगा पावर स्टेशन जो बादल फटने तथा अत्यधिक बाढ़ के कारण 17.6.2013 से बन्द था, उसे मई/जून, 2014 माह के दौरान बहाल कर दिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर हैं। 31.3.2017 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नवत है :

(करोड़ रूपए में)

दावे का विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि	प्राप्य शेष		
				31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार	1 अप्रैल, 2015 के अनुसार
भौतिक क्षति के प्रति	189.50	105.00	2.00	82.50	135.91	121.48
सीपीएम क्षति	0.31	0.30	0.01	-	0.43	उपलब्ध नहीं
व्यापार बाधा हानि						
- उत्पादन हानि के कारण	348.36	190.00	-	158.36*	154.71*	191.57*
- कार्यकरण की वृद्धित लागत के कारण	3.25	-	-	3.25*	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कुल	**541.42**	**295.30**	**2.01**	**244.11**	**291.05**	**313.05**

* टिप्पणी 34 के पैरा 2 में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

32. निदेशक मंडल ने 20.3.2014 को हुई अपनी बैठक में चर्चा की कि बरसर जल विद्युत परियोजना की अर्थक्षमता भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार से वित्तीय सहायता पर निर्भर करती है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने बरसर परियोजना को अर्थक्षम बनाने के लिए सर्वेक्षण तथा जांच हेतु वित्तपोषण मुहैया करवाने के लिए पहल की थी। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार निधियों को मुहैया करवाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय से संपर्क किया गया था। दिनांक 27.4.2015 को जल संसाधन मंत्रालय के साथ हुई बैठक में उनके प्रतिनिधियों ने यह सूचित किया था कि डीपीआर को तैयार करने हेतु निधियां जारी करने का एनएचपीसी का अनुरोध भारत सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। परियोजना पर अन्वेषण कार्य जारी है और **225.25 करोड़** रूपये के व्यय को किया जा चुका है और इसे प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य में अग्रेणित किया गया है। तथापि, पर्याप्त सावधानी के तौर पर इस राशि का प्रावधान लेखाबहियों में किया गया है।

33. कोटलीभेल-1ए परियोजना उत्तराखंड राज्य में अवस्थित उन 24 जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.8.2013 के आदेश के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इन परियोजनाओं को अगले आदेश तक पर्यावरणीय/वन स्वीकृति प्रदान न किए जाने के और अलकनंदा तथा भागीरथी नदी बेसिन की जैव विविधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव की जांच करने के निदेश दिए गए हैं। परियोजना के भविष्य पर निर्णय लंबित होने तक 31.3.2017 तक **305.52 करोड़** रूपये की राशि के किए गए व्यय को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के अंतर्गत रखा गया है। तथापि, पर्याप्त सावधानी के तौर पर इस राशि हेतु लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।

34. दिनांक 5.2.2013 को हुई निदेशक मंडल की 356वीं बैठक में बोर्ड प्रस्ताव संख्या 6(2) के अनुसार 31.3.2017 तक राज्य वन विभाग को तवांग-I तथा II परियोजनाओं और बेसिन में अन्य परियोजनाओं हेतु बेसिन अध्ययन के प्रति राज्य वन विभाग को **2.49 करोड़** रूपये की राशि अदा की जा चुकी है, जिनके प्रति अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा यथानुपात आधार पर प्रतिपूर्ति की जानी है। तथापि, प्रबंधन के अनुसार ऐसी वसूली की संभावना लगभग नहीं है और अतः ऐसे व्यय को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य को डेबिड किया गया है।

35. पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने दिनांक 15.4.2015 के पत्र संख्या फा.सं.8-85/2011-एफसी के माध्यम से दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (2880 मेगावाट) के निर्माण हेतु वन भूमि के अपवर्तन के लिए "सिद्धांततः" अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 19.5.2015 के पत्र के माध्यम से परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त के मद्देनजर परियोजना पर व्यय की गई **213.84 करोड़** रूपये की राशि को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणित किया गया है।

36. 27 मई, 2017 को हुई कंपनी की एसीबी की बैठक के अनुपालन में दिनांक 29 मई, 2017 के पत्र संख्या एनएच/सीएस/433 के माध्यम से कारपोरेट कार्य मंत्रालय को एक अभ्यावेदन भेजकर कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 29.06.2016 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 639(ई) के लागू होने के संबंध में स्पष्टीकरण/छूट की जानकारी देने का अनुरोध किया गया है। प्रबंधन का यह मत है कि वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं के प्रावधान हेतु संविदा के निष्पादन के लिए सुरक्षा जमा को प्रतिधारण राशि के रूप में रखा जाता है और तदनुसार इसे कंपनी (जमा की स्वीकृति) संशोधन नियामवली, 2016 के संशोधित नियम 2(1)(ग)(xii) के अनुसार मानद जमा न माना जाए। कारपोरेट कार्य मंत्रालय का मत उक्त के विपरीत होने पर वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु छूट मांगी गई है और तत्पश्चात अनुपालन का आश्वासन दिया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता	**महेश कुमार मित्तल**	**के.एम. सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 02889021	डीआईएन : 02223301

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी	**कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045	फर्म पंजीकरण सं. 001728एन	फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(एस. के. खट्टर)	**(वासु गुप्ता)**	**(बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 084993	सदस्यता सं. 537545	सदस्यता सं. 51028

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30 मई, 2017

690 मेगावाट सलाल पावर स्टेशन (जम्मू व कश्मीर) - कंक्रीट बांध

टिप्पणी संख्या -35 भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना

भारतीय जीएएपी से इंड एएस में परिवर्तन

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु ये वित्तीय विवरण समूह के भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप तैयार किए गए पहले वित्तीय विवरण है। 31 मार्च, 2016 तक तथा उसे शामिल करते हुए अवधि हेतु समूह ने अपने वित्तीय विवरणों को जीएएपी के अनुसार तैयार किया था, जिसमें कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक शामिल हैं।

टिप्पणी संख्या 1 में निर्धारित लेखांकन नीतियों को 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों को तैयार करने, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु इन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत तुलनात्मक सूचना और 1 अप्रैल 2015 (परिवर्तन की तिथि) के अनुसार प्रारंभिक इंड एएस तुलन-पत्र को तैयार करने में लागू किया गया है। प्रारंभिक इंड एएस तुलन-पत्र को तैयार करने में समूह ने कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 (यथा संशोधित) और अधिनियम के अन्य संगत प्रावधानों (पूर्ववर्ती जीएएपी अथवा भारतीय जीएएपी) के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार वित्तीय विवरणों में पहले सूचित राशियों को समायोजित किया है। पूर्ववर्ती जीएएपी से इंड एएस में परिवर्तन में किस प्रकार समूह की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाहों को प्रभावित किया है, का स्पष्टीकरण निम्नलिखित तालिकाओं तथा टिप्पणियों में दिया गया है।

क. ली गई छूट तथा अपवाद : पूर्ववर्ती जीएएपी से इंड एएस में परिवर्तन में लागू भारतीय लेखांकन मानक 101 वैकल्पिक छूट तथा बाध्यकारी अपवादों को नीचे दिया गया है।

i) **वैकल्पिक छूट:**

क) **संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, निवेश संपत्ति और अमूर्त परिसंपत्तियों हेतु मानद लागत -** चूंकि क्रियाशील मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, समूह ने भारतीय लेखांकन मानक 101 के परिशिष्ट-ग के पैराग्राफ डी7एए के अंतर्गत छूट प्राप्त की है जिसमें किसी पहली बार अपनाए जाने वाले को अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के वहन मूल्य को इंड एएस में परिवर्तन की तिथि पर उनके पूर्ववर्ती जीएएपी वहन मूल्य के मापन पर जारी रखने की अनुमति दी जाती है।

ख) **दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें -** इंड एएस 101 के परिशिष्ट ग का पैराग्राफ डी13एए पहली बार अपनाने वाले को पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार प्रथम इंड एएस वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ से तत्काल पूर्व समाप्त अवधि हेतु वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों हेतु अपनाई जाने वाली नीति को जारी रखने की अनुमति देता है। समूह ने पैराग्राफ डी13एए के अंतर्गत छूट को प्राप्त किया है और 31.3.2016 तक मान्यता दी गई दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को पुनः बताए जाने से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों के लेखाकन हेतु पहले अपनाई गई लेखांकन नीति को लागू करना जारी रखा है।

ग) **पहले मान्यता प्रदान की गई वित्तीय लिखतों का निर्धारण -** भारतीय लेखांकन मानक101 का पैराग्राफ डी19 किसी निकाय को इक्विटी लिखतों में निवेश के निर्धारण को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर (एफवीटीओसीआई) इंड एएस में परिवर्तन की तिथि को विद्यमान तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित करने की अनुमति देता है। तदनुसार, समूह ने इस छूट को प्राप्त करने का विकल्प चुना है और इक्विटी लिखतों में अपने निवेश को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर निर्धारित किया है।

घ) **पट्टे -** भारतीय लेखांकन मानक 17 का परिशिष्ट-ग- पटटों में किसी निकाय द्वारा यह आकलन अपेक्षित होता है कि क्या किसी संविदा अथवा व्यवस्था में कोई पट्टा शामिल है। भारतीय लेखांकन मानक 17 के अनुसार आकलन संविदा या व्यवस्था के प्रारंभ में किया जाना चाहिए। भारतीय लेखांकन मानक 101 का पैराग्राफ डी9 इस आकलन को इंड एस में परिवर्तन की तिथि को विद्यमान तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर करने का विकल्प मुहैया करवाता है, सिवाय जहां प्रभाव का भौतिक होना प्रत्याशित न हो। समूह ने परिवर्तन की तिथि को मौजूद स्थितियों के आधार पर ऐसी व्यवस्थाओं/संविदाओं हेतु इस छूट को लागू करने का विकल्प चुना है।

ङ) **संयुक्त उद्यम -** भारतीय लेखांकन मानक 101 का पैराग्राफ डी31एए अनुपातिक समेकन से इक्विटी पद्धति में परिवर्तन हेतु छूट मुहैया करवाता है। छूट के अनुसार अनुपातिक समेकन से इक्विटी पद्धति में परिवर्तन के समय निकाय को इंड एएस में परिवर्तन की तिथि को संयुक्त उद्यम में अपने निवेश की पहचान करनी होगी। प्रारंभिक निवेश का मापन ऐसी परिसपंत्तियों तथा देयताओं की वहन राशि के जोड़ पर किया जाएगा जिन्हें निकाय में पहले अनुपातिक रूप से समेकित किया था, जिसमें अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाली कोई साख भी शामिल है। इंड एएस में परिवर्तन की तिथि को संयुक्त उद्यम में निवेश के शेष का निर्धारण उपर्युक्त के अनुसार किए जाने पर उसे प्रारंभिक मान्यता पर निवेश की मानद लागत माना जाता है।

समूह ने अपने संयुक्त उद्यम हेतु इस छूट को लागू करने का विकल्प चुना है।

ii) **बाध्यकारी अपवाद :**

क) **अनुमान -** भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि को इंड एएस के अनुसार किसी निकाय के अनुमान पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार समान तिथि हेतु लगाए गए अनुमानों से संगत होने चाहिए (लेखांकन नीतियों में किसी अंतर को दर्शाने हेतु समायोजन के पश्चात), जब तक कि इसका निष्पक्ष साक्ष्य न हो कि वे अनुमान गलत थे।

1 अप्रैल, 2015 के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक अनुमान पूर्ववती जीएएपी के अनुरूप समान तिथि को बनाए गए अनुमानों से संगत है। समूह ने परिवर्तन की तिथि को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निम्नलिखित मदों हेतु अनुमान तैयार किए हैं क्योंकि पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत इनकी आवश्यकता नहीं थी :

- सभी परिसंपत्तियों तथा देयताओं को वित्तीय परिसंपत्ति/देयताओं और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों/देयाताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इक्विटी लिखतों में निवेश को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर किया गया है।
- ऋण लिखतों में निवेश एफवीटीओसीआई पर किया गया है।
- कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम, कार अग्रिम, कम्प्यूटर अग्रिम और स्कूटर अग्रिम जैसे ऋणों का उचित मूल्यांकन छूट दी गई नकदी प्रवाह पद्धति का उपयोग करके किया गया है। एसबीआई की तुलनात्मक विद्यमान ब्याज दर का उपयोग उक्त अग्रिमों के उचित मूल्य को निकालने हेतु छूट दर के रूप में किया गया है।
- गैर-वर्तमान ब्याज मुक्त वित्तीय देयताएं जैसे कि प्रतिधारण राशि/सुरक्षा जमा का उचित मूल्यांकन छूट वाली नकदी प्रवाह पद्धति का उपयोग करके किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु समूह के ऋण की भारित औसत लागत का उपयोग छूट दर के रूप में किया गया है।

ख) **वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और मापन -** भारतीय लेखांकन मानक101 में किसी निकाय द्वारा इंड एएस में परिवर्तन की तिथि को विद्यमान तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर वित्तीय परिसपंत्तियों के वर्गीकरण तथा मापन का आकलन अपेक्षित है।

ग) **सरकारी ऋण -** भारतीय लेखांकन मानक 101 में यह अपेक्षित है कि प्रथम बार अपनाने वाला भारतीय लेखांकन मानक 109 वित्तीय लिखत और भारतीय लेखांकन मानक 20 सरकारी अनुदानों हेतु लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण, की आवश्यकताओं को लागू करते हुए भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि को विद्यमान सरकारी ऋणों को संदर्शी रूप से लागू करें। परिणामस्वरूप यदि कोई पहली बार अपनाने वाला अपने पिछले जीएएपी के अंतर्गत किसी सरकारी ऋण को ब्याज की बाजार दर से कम पर मान्यता देता है तथा मापता है, तो उसे भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि को अपने ऋण की पूर्ववर्ती जीएएपी की वहन राशि का उपयोग प्रारंभिक भारतीय लेखांकन मानक तुलन-पत्र में ऋण की वहन राशि के रूप में करना चाहिए। कोई निकाय भारतीय लेखांकन मानक 109 का उपयोग भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि के पश्चात आहरण किए गए ऐसे ऋणों के मापन हेतु करेगा। परिणामस्वरूप समूह ने भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि को ऋण की अपने पूर्ववर्ती जीएएपी में वहन राशि का उपयोग प्रारंभिक भारतीय लेखांकन मानक तुलन-पत्र में ऋण की वहन राशि के रूप में किया है।

घ) **गैर-नियंत्रक हित -** भारतीय लेखांकन मानक 110 में अपेक्षित है कि निकाय लाभ अथवा हानि अथवा अन्य व्यापक आय के प्रत्येक घटक को मूल कंपनी के स्वामियों और गैर-नियंत्रक हितों को आरोप्य करें। इस आवश्यकता का पालन तब भी किया जाना होता है जब यदि गैर-नियंत्रक हितों के परिणामों में एक घाटा शेष हो। भारतीय लेखांकन मानक 101 में उक्त आवश्यकता को परिवर्तन की तिथि से संदर्शी रूप में पालन किया जाना अपेक्षित है। परिणामस्वरूप समूह ने उक्त आवश्यकता को संदर्शी रूप से लागू किया है।

ख) पूर्ववर्ती जीएएपी तथा भारतीय लेखांकन मानक के मध्य मिलान

इंड एएस 101 में किसी निकाय से पूर्व की अवधियों हेतु इक्विटी, कुल व्यापक आय और नकदी प्रवाहों का मिलान अपेक्षित है। निम्नलिखित तालिका पूर्ववर्ती जीएएपी से इंड एएस में मिलान को प्रदर्शित करती है।

(i) 31 मार्च, 2016 तथा 01 अप्रैल, 2015 को कुल इक्विटी का मिलान

(करोड़ रूपए में)

	पहली बार अपनाए जाने पर मिलान की टिप्पणियां	31 मार्च, 2016	01 अप्रैल, 2015
पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार कुल इक्विटी (शेयरधारकों की निधि)		34,819.27	34,083.18
समायोजन :			
पट्टा शामिल होने वाली व्यवस्थाओं/संविदाओं का प्रभाव	1	817.56	757.10
निवेश का उचित मूल्यांकन	2	86.01	116.27
निवेश के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का उचित मूल्यांकन	3	12.33	18.74
उपभोक्ताओं को छूट (एकमुश्त प्रावधान)	4	(1.40)	(1.46)
प्रावधानों को छूट	5	7.94	9.71
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	6	854.32	580.12
निवेश - प्रीमियम/खरीद पर छूट का समायोजन	7	0.66	0.43

(करोड़ रूपए में)

	पहली बार अपनाए जाने पर मिलान की टिप्पणियां	31 मार्च, 2016	01 अप्रैल, 2015
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की पहचान हेतु नीति में परिवर्तन	8	17.08	-
रोजगार पश्च लाभ बाध्यताओं का पुनर्मापन	9	(12.75)	-
सहायता अनुदान - विलंबित आय के रूप में वर्गीकृत	10	(1,309.07)	(1,366.65)
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए समेकित संयुक्त उद्यम का निवल प्रभाव	11	(2.98)	(3.11)
अनुषंगी कंपनी के अवितरित अर्जन पर विलंबित कर	12	(434.02)	(396.35)
समायोजनों का कर प्रभाव	13	(44.14)	(9.45)
कुल समायोजन		**(8.46)**	**(294.65)**
भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कुल इक्विटी		**34,810.81**	**33,788.53**

(ii) **31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय का मिलान**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	पहली बार अपनाए जाने पर मिलान की टिप्पणियां	31 मार्च, 2016
पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार कर पश्चात लाभ		2,919.59
समायोजन :		
पट्टा शामिल होने वाली व्यवस्थाओं/संविदाओं का प्रभाव	1	60.46
निवेश के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का उचित मूल्यांकन	3	(6.41)
उपभोक्ताओं को छूट (एकमुश्त प्रावधान)	4	0.06
प्रावधानों को छूट	5	(1.77)
निवेश - प्रीमियम/खरीद पर छूट का समायोजन	7	0.23
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की पहचान हेतु नीति में परिवर्तन	8	17.08
रोजगार पश्च लाभ बाध्यताओं का पुनर्मापन	9	(36.69)
सहायता अनुदान - विलंबित आय के रूप में वर्गीकृत	10	35.66
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए समेकित संयुक्त उद्यम का निवल प्रभाव	11	0.06
अनुषंगी कंपनी के अवितरित अर्जन पर विलंबित कर	12	(37.67)
इंड एएस में परिवर्तन पर किए गए समायोजनों का कर प्रभाव	13	(34.69)
कुल समायोजन		**(3.68)**
इंड एएस के अनुसार कुल लाभ (क)		**2915.91**
अन्य व्यापक आय		
- रोजगार पश्च लाभ बाध्यताओं का पुनर्मापन	9	23.94
- इक्विटी निवेश का उचित मूल्यांकन	2	(20.78)
- ऋण लिखतों में निवेश का उचित मूल्यांकन	2	(0.08)
अन्य व्यापक आय (ख)	**13**	**3.08**
कुल व्यापक आय (क+ख)		**2918.99**

(iii) **31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह पर इंड एएस को अपनाए जाने का प्रभाव**

(करोड़ रूपए में)

	पहली बार अपनाए जाने पर मिलान की टिप्पणियां	पूर्ववर्ती जीएएपी	समायोजन	भारतीय लेखांकन मानक
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह	15	5428.59	542.12	5970.71
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		(884.89)	138.67	(746.22)
वित्त-पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		(4005.33)	5.01	(4000.32)
नकदी और नकदी तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)		**538.37**	**685.80**	**1224.17**
1 अप्रैल, 2015 के अनुसार नकदी और नकदी तुल्य		6892.22	(6695.87)	196.35
31 मार्च, 2016 के अनुसार नकदी और नकदी तुल्य		**7430.59**	**(6010.07)**	**1420.52**

प्रथम बार अपनाए जाने पर मिलान संबंधी टिप्पणियां :

टिप्पणी 1 : पट्टा शामिल होने वाली व्यवस्थाओं/संविदाओं का प्रभाव

पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत् विद्युत उत्पादक स्टेशनों ने निवेश को समूह की बहियों में अचल परिसंपत्तियों के रूप में लेखांकित किया गया था। इन परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर लिया गया और मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया गया था। इन विद्युत स्टेशनों से राजस्व को लाभग्राहियों को बिक्री की गई विद्युत के आधार पर लेखांकित किया गया था। समूह ने कुछ विद्युत स्टेशनों को इंड एएस 17-पट्टे के परिशिष्ट-ग के अनुसार वित्तीय पट्टा व्यवस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया है। तदनुसार, संयंत्र में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता दी गई है और संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई) को लेखा बहियों से विमान्य कर दिया गया है। प्रत्येक पट्टा प्राप्ति को वित्त पट्टे से मूलधन चुकौती तथा आय के मध्य आवंटित किया जाता है। उक्त के परिणामस्वरूप कुल इक्विटी 31 मार्च, 2016 को **817.56 करोड़** रूपये (1 अप्रैल, 2015 को **757.10 करोड़** रूपये) बढ़ गई है तथा प्राप्य पट्टों के प्रति वसूली के आधिक्य में लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित मूल्यह्रास को वापिस किए जाने के चलते 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय **60.46 करोड़** रूपये से बढ़ गई है।

टिप्पणी 2 : निवेशों का उचित मूल्यांकन

पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत इक्विटी लिखत तथा ऋण लिखत में निवेश को वांछित धारण अवधि और वसूली की योग्यता के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। दीर्घावधि निवेशों को लागत घटा ऐसे निवेशों के मूल्य में अस्थायी कमी के अतिरिक्त अन्य प्रावधान पर किया गया था। वर्तमान निवेशों को लागत तथा उचित मूल्य से कम पर किया गया था। इंड एएस के अंतर्गत इन निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाना अपेक्षित होता है। ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) के रूप में निर्धारित इक्विटी लिखत तथा ऋण लिखत के संबंध में उचित मूल्य परिवर्तनों को एफवीटीओसीआई - इक्विटी निवेश आरक्षित और एफवीटीओसीआई - ऋण निवेश आरक्षित के रूप में मान्यता दी गई है और ऐसा परिवर्तन की तिथि और बाद में 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय में किया गया है। उक्त के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 को कुल इक्विटी में **86.01 करोड़** रूपये (1 अप्रैल, 2015 को **116.27 करोड़** रूपये) की वृद्धि हुई है और 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय **20.86 करोड़** रूपये से कम हुई है।

टिप्पणी 3 : प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का उचित मूल्यांकन

पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत दीर्घावधि कर्मचारी ऋण (जैसे कि गृह निर्माण अग्रिम, कार अग्रिम, कम्प्यूटर अग्रिम तथा स्कूटर अग्रिम) और दीर्घावधि प्रतिधारण राशि/सुरक्षा जमा (जो संविदात्मक अवधि की पूर्णता पर नकदी में चुकौती योग्य है) को उनके लेन-देन मूल्य पर दर्ज किया जाता है। इंड एएस के अंतर्गत सभी वित्तीय लिखतों को प्रारंभ में उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी जानी अपेक्षित होती है। तदनुसार, समूह ने इंड एएस के अंतर्गत इन वित्तीय लिखतों का उचित मूल्यांकन किया है। इसके परिणामस्वरूप परिवर्तित कुल इक्विटी 31 मार्च, 2016 को **12.33 करोड़** रूपये से बढ़ गई है (1 अप्रैल, 2015 को **18.74 करोड़** रूपये)। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय विलंबित कर्मचारी लागत के ब्याज को समाप्त करने तथा परिशोधन के कारण **6.41 करोड़** रूपये से कम हुई है, जिसे आंशिक रूप से कर्मचारी ऋणों पर मान्य नामितिक ब्याज आय से समायोजित किया गया है।

टिप्पणी 4 : उपभोक्ताओं को छूट (एकमुश्त प्रावधान)

पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत उपभोक्ताओं को छूट को वास्तविक आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई थी। राजस्व को उपभोक्ताओं को दी गई छूट सहित सकल आधार पर मान्यता दी जा रही थी। इंड एएस के अंतर्गत किसी कारोबार पर उत्पन्न होने वाले राजस्व को प्राप्त या प्राप्य राशि के उचित

मूल्य पर समूह द्वारा अनुमेय व्यापार छूट की राशि को लेते हुए मापा जाना होता है। तदनुसार, विद्युत की बिक्री को उपभोक्ताओं को छूट के निवल पर प्रदर्शित किया गया है। उपभोक्ताओं को छूट को अब अनुमानन के द्वारा प्रोदभवन आधार पर लेखांकित किया जाना अपेक्षित है।

परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 को कुल इक्विटी में **1.46 करोड़** रूपये की कमी आई है (1 अप्रैल, 2015 को **1.46 करोड़** रूपये) 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय में उपभोक्ताओं को अनुमेय छूट के एकमुश्त प्रावधान के कारण **0.06 करोड़** रूपये की कमी आई है।

टिप्पणी 5 : प्रावधानों की छूट

पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत प्रावधानों की छूट अनुमेय नहीं थी। इंड एएस के अंतर्गत प्रावधानों को छूट दी गई राशियों पर मापा जाता है, यदि समय मूल्य का प्रभाव वास्तविक न हो तो। तदनुसार, गैर-वर्तमान प्रावधानों को छूट देकर उनके वर्तमान मूल्यों पर लाया गया है। परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 को कुल इक्विटी में **7.94 करोड़** रूपये की वृद्धि हुई है (1 अप्रैल, 2015 को **9.71 करोड़** रूपये)। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय में ब्याज की समाप्ति के कारण **1.77 करोड़** रूपये की कमी आई है।

टिप्पणी 6 : प्रस्तावित लाभांश

पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश को तुलन-पत्र की तिथि के पश्चात किन्तु वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पूर्व समायोजन कार्यक्रम के रूप में माना जाता था। तदनुसार, प्रस्तावित लाभांश हेतु प्रावधान को एक देयता के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इंड एएस के अंतर्गत ऐसे लाभांशों को तब मान्यता दी जाती है जब इन्हें आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाए। तदनुसार, प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किए गए 31 मार्च, 2016 को प्रस्तावित लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) हेतु **854.32 करोड़** रूपये (1 अप्रैल, 2015 को **580.12 करोड़** रूपये) की देयता को प्रतिधारित आय में तदनुरूपी समायोजन के साथ वापिस किया गया है। परिणामस्वरूप, कुल इक्विटी में समान राशि से वृद्धि हुई है।

टिप्पणी 7 : निवेश-प्रीमियम का समायोजन/खरीद पर छूट

पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत ब्याज को ऋण लिखतों की खरीद पर प्रीमियम/छूट पर विचार किए बिना लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई थी। इंड एएस के अंतर्गत ऋण लिखतों में निवेश के ऐसे प्रीमियम/प्रीमियम पर छूट/खरीद पर छूट को प्रारंभिक मान्यता में निवेश की वहन राशि से कटौती किया जाना अपेक्षित होता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को प्रीमियम/छूट पर विचार करने के पश्चात प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है। परिणामस्वरूप, कुल इक्विटी में 31 मार्च, 2016 को **0.66 करोड़** रूपये की वृद्धि हुई (1 अप्रैल, 2015 को **0.43 करोड़** रूपये)। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय प्रीमियम के समायोजन/खरीद पर छूट के कारण **0.23 करोड़** रूपये की वृद्धि हुई थी।

टिप्पणी 8 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) को मान्य/विमान्य किए जाने हेतु लेखांकन नीति में परिवर्तन

पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत संयंत्र तथा मशीनरी के साथ अथवा बाद में खरीदे के मशीनरी कलपुर्जे तथा जिनका उपयोग अनियमित होने की प्रत्याशा है उन्हें या तो अलग से (जब ऐसे कलपुर्जों की लागत ज्ञात हो) अथवा मूल संयंत्र के साथ पूंजीकृत किया जाता है। बाद में खरीदे गए मशीनरी कलपुर्जों के पश्चलेखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) को उस वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया जा रहा था जिनमें उन्हें निकाले गए पुर्जों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था, बशर्ते इस प्रकार निकाले गए कलपुर्जों का कोई उपयोगी जीवनकाल नहीं था। इंड एएस के अंतर्गत पीपीई के मान्यता मानदण्ड को पूरा करने वाले कलपुर्जों (संयंत्र तथा मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गए) को पूंजीकृत किया जाता है। प्रतिस्थापित किए जाने वाले कलपुर्जों की वहन राशि को तब विमान्य किया जाता है जब उनके उपयोग या निपटान से भविष्य के कोई आर्थिक प्रत्याशित न हों। परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 को कुल इक्विटी में **17.08 करोड़** रूपये की वृद्धि हुई है (1 अप्रैल, 2015 को **शून्य** रूपये)। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय में पीपीई हेतु लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण **17.08 करोड़** रूपये की वृद्धि हुई है।

टिप्पणी 9 : रोजगार पश्च लाभ बाध्यताओं का पुनः मापन

इंड एएस 19 - कर्मचारी लाभ के अंतर्गत निवल निर्धारित लाभ देयता पर निवल ब्याज व्यय में शामिल राशियों के अतिरिक्त पुनःमापन अर्थात बीमांकित लाभ तथा हानियां और योजनागत परसंपत्तियों पर प्रतिफल को ओसीआई में मान्यता दी जाती है बजाए लाभ एवं हानि विवरण के। पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत ये पुनःमापन वर्ष हेतु लाभ या हानि को हिस्सा थे। परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय में **36.69 करोड़** रूपये (कर का निवल) की वृद्धि हुई है जबकि वर्ष हेतु लाभ में **23.94 करोड़** रूपये की कमी आई है। तदनुसार, 31 मार्च, 2016 को कुल इक्विटी में **12.75 करोड़** रूपये की कमी आई है (1 अप्रैल, 2015 को **शून्य** रूपये) जो ओसीआई के रूप में वर्गीकृत राशि पर कर प्रभाव के कारण है।

टिप्पणी 10 : सहायता अनुदान - विलंबित आय के रूप में वर्गीकृत

पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत सहायता अनुदान को आरक्षित तथा अधिशेष के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इंड एएस के अंतर्गत परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान को विलंबित आय के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे संबंधित परिसपंत्तियों के उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया गया है। परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 को कुल इक्विटी में **1309.07 करोड़** रूपये की कमी आई है (1 अप्रैल, 2015 को **1366.65 करोड़** रूपये)। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय में अनुदान के परिशोधन के कारण **35.66 करोड़** रूपये की वृद्धि हुई है।

टिप्पणी 11 : इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए समेकित संयुक्त उद्यम का निवल प्रभाव

पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत संयुक्त उद्यमों को संयुक्त नियंत्रित निकायों के रूप में वर्गीकृत किया और उन्हें अनुपातिक समेकन पद्धति का उपयोग करके लेखांकित किया जाता था। इंड एएस के अंतर्गत इन संयुक्त उद्यमों को परिवर्तन तिथि को शेष पर आधारित इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित किया गया है। 1 अप्रैल, 2015 को एक क्षति आकलन किया गया है और किसी क्षति प्रावधान को आवश्यक नहीं समझा गया है।

(क) कुल इक्विटी पर प्रभाव

(करोड़ रूपए में)

भारतीय जीएएपी के अंतर्गत समेकित समायोजनों का निवल अनुपातिक अंश	**31 मार्च, 2016**	**01 अप्रैल, 2015**
कुल परिसंपत्तियां	54.16	37.94
कुल देयताएं	43.76	36.49
भारतीय जीएएपी के अंतर्गत संयुक्त उद्यम हेतु आरक्षित में निवल वर्धन (अनुपातिक समेकन)	10.40	1.45
इक्विटी पद्धति के अंतर्गत अन्य इक्विटी में निवल वर्धन	7.43	(1.67)
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए समेकित संयुक्त उद्यम का निवल प्रभाव	**(2.98)**	**(3.11)**

(ख) कुल व्यापक आय का प्रभाव

(करोड़ रूपए में)

भारतीय जीएएपी के अंतर्गत समेकित समायोजनों का निवल अनुपातिक अंश	**31 मार्च, 2016**
राजस्व	1.92
व्यय	0.09
कर	0.66
अनुपातिक रूप से समेकित कर पश्चात लाभ	1.17
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ का अंश	1.23
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए समेकित संयुक्त उद्यम का निवल प्रभाव	**0.06**

(ग) 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु संयुक्त उद्यमों के नकदी प्रवाहों का सारबद्ध विवरण जिन्हें इंड एएस के अंतर्गत नकदी प्रवाहों के समेकित विवरण में नहीं लिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च, 2016
प्रारंभिक नकदी और नकदी तुल्य 1 अप्रैल 2015	47.67
प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	5.74
निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	(45.71)
वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	5.60
अंतिम नकदी और नकदी तुल्य 31 मार्च 2016	**13.30**

टिप्पणी 12 : अनुषंगी कंपनियों की अवितरित आय पर विलंबित कर

पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों में कर व्यय की गणना मूल कंपनी तथा अनुषंगी कंपनी के कर व्यय के पंक्ति-दर-पंक्ति जोड़ को निष्पादित करके की जाती थी। समेकन पर कर व्यय में कोई समायोजन नही किया गया था। इंड एएस के अंतर्गत विलंबित करों को भी अनुषंगी कंपनियों के अवितरित लाभों पर मान्यता प्रदान की गई है। परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 को कुल इक्विटी में **434.02 करोड़** रूपये की कमी आई है (1 अप्रैल, 2015 को **396.35 करोड़** रूपये)। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय में कर व्यय में वृद्धि के कारण **37.67 करोड़** रूपये की वृद्धि हुई है।

टिप्पणी 13 : इंड एएस में परिवर्तन पर किए गए समायोजनों का कर प्रभाव

इंड एएस में परिवर्तन पर किए गए सभी समायोजनों को विलंबित कर में मान्यता प्रदान की गई है। तदनुसार, 31 मार्च, 2016 को कुल इक्विटी में **44.14 करोड़** रूपये की कमी आई है (1 अप्रैल, 2015 को **9.45 करोड़** रूपये)। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय में ऐसे समायोजनों के कारण **34.69 करोड़** रूपये की वृद्धि हुई है।

टिप्पणी 14 : अन्य व्यापक आय

इंड एएस के अंतर्गत आय तथा व्यय की किसी अवधि में मान्यता प्राप्त की गई सभी मदों को उस अवधि हेतु लाभ एवं हानि में शामिल किया जाना चाहिए, जब तक कि किसी मानक में अन्यथा अपेक्षित या अनुमेय हो। लाभ अथवा हानि में मान्यता प्रदान की गई आय तथा व्यय की मदें जिन्हें लाभ एवं हानि विवरण में "अन्य व्यापक आय" के रूप में दर्शाया गया है, में निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनः मापन, एफवीटीओसीआई इक्विटी लिखतों पर उचित मूल्य लाभ अथवा (हानियां) और कर का निवल एफवीटीआईसीआई ऋण लिखतों पर उचित मूल्य लाभ अथवा (हानियां) शामिल है। पूर्ववर्ती जीएएपी में अन्य व्यापक आय की अवधारणा विद्यमान नहीं थी। ऐसे समायोजन के चलते 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय में **3.08 करोड़** रूपये की वृद्धि हुई है।

टिप्पणी 15 : 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह पर इंड एएस को अपनाए जाने का प्रभाव

पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत सभी बैंक शेष नकदी तथा नकदी तुल्य का भाग थे। तथापि, इंड एएस के अनुसार केवल 3 माह से कम की मूल परिपक्वता वाले अल्पावधि बैंक जमा नकदी तथा नकदी तुल्य का भाग होते हैं। तदनुसार, **5863.01 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **6418.72 करोड़** रूपये) और **147.06 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **277.15** करोड़ रूपये) की राशि के बैंक जमा जिन्हें भारतीय जीएएपी में "नकदी तथा नकदी तुल्य" के रूप में वर्गीकृत किया गया था, उन्हें इंड एएस के अंतर्गत क्रमशः "वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां - नकदी तथा नकदी तुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष" और "गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। **685.80 करोड़** रूपये के नकदी तथा नकदी तुल्य के रूप में वर्गीकृत न किए गए बैंक जमा में परिवर्तन नकदी प्रवाह विवरण में प्रचालन क्रियाकलापों का भाग होते हैं।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता	**महेश कुमार मित्तल**	**के.एम. सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 02889021	डीआईएन : 02223301

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी	**कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045	फर्म पंजीकरण सं. 001728एन	फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(एस. के. खट्टर)	**(वासु गुप्ता)**	**(बरून कुमार घोष)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 084993	सदस्यता सं. 537545	सदस्यता सं. 51028

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30 मई, 2017

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु
फार्म एओसी-1

(धारा 129 की उप धारा(3) के परंतुक के अनुपालन में जिसे कंपनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ा जाता है)
अनुषंगी कपनियों/एसोसिएटस कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं समाहित करने वाला विवरण

भाग "क" - अनुषंगी कंपनियां

1	क्रम सं.	1	2	3
2	**अनुषंगी कंपनी का नाम**	**एनएचडीसी लिमिटेड**	**लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड**	**बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड**
3	संबंधित अनुषंगी कंपनी हेतु रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	31 मार्च	31 मार्च	31 मार्च
4	विदेशी अनुषंगी कंपनी के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विनिमय दर	भारतीय राष्ट्रीय रूपया	भारतीय राष्ट्रीय रूपया	भारतीय राष्ट्रीय रूपया
5	शेयर पूंजी	19,625,800,000	1,176,923,090	10,000,000
6	आरक्षित तथा अधिशेष	49,195,396,801	187,521,124	(3,968,319)
7	कुल परिसंपत्तियां	88,085,964,615	1,421,327,534	132,519,596
8	कुल देयताएं	19,264,767,814	56,883,320	126,487,915
9	निवेश	शून्य	शून्य	शून्य
10	टर्न-ओवर	13,069,243,994	शून्य	शून्य
11	कराधान से पूर्व लाभ *	12,603,552,213	16,321,264	431,709
12	कराधान हेतु प्रावधान **	3,290,722,141	5,216,423	3,662,118
13	कराधान पश्चात लाभ	9,312,830,072	11,104,841	(3,230,409)
14	प्रस्तावित निवेश	शून्य	शून्य	शून्य
15	शेयरधारिता का प्रतिशत	51.08%	74.00%	99.99%

* नियामक विलंबित लेखा शेष पर आय सहित।

** कराधान हेतु प्रावधान में कर व्यय और नियामक विलंबित लेखा शेष पर कर शामिल है।

1.	अनुषंगी कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी प्रचालन प्रारंभ करना है	1. लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड और 2. बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
2.	अनुषंगी कंपनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त अथवा बेचा गया	कोई नहीं

भाग "ख " - एसोसिएट और संयुक्त उद्यम

एसोसिएट कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुपालन में विवरण

	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम का नाम	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (प्राइवेट) लिमिटेड
1	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र तिथि	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2017
2	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित एसोसिएट/संयुक्त उद्यम के शेयर		
	संख्या	460,000,000	30,400,000
	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम मे निवेश की राशि	4,600,000,000	304,000,000
	धारिता प्रतिशत का विस्तार	49.78%	20%
3	महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
4	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम को समेकित न किए जाने के कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
5	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारिता को आरोप्य निवल मूल्य	4,706,002,638	299,658,000
6	वर्ष हेतु लाभ/हानि		
	i समेकन में ली गई	27,380,877	शून्य
	ii समेकन में न ली गई	27,622,893	शून्य

1.	एसोसिएट अथवा संयुक्त उद्यम के नाम जिन्होंने अभी प्रचालन प्रारंभ करना है	1. चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड 2. नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (प्राइवेट) लिमिटेड
2.	एसोसिएट अथवा संयुक्त उद्यम के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन अथवा बिक्री की गई है	नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड का वर्ष के दौरान समापन किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता	**महेश कुमार मित्तल**	**के.एम. सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 02889021	डीआईएन : 02223301

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी	**कृते गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोसिएटस**	**कृते रे एण्ड रे**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045	फर्म पंजीकरण सं. 001728एन	फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(एस. के. खट्टर)	**(वासु गुप्ता)**	**(बरून कुमार घोष)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 084993	सदस्यता सं. 537545	सदस्यता सं. 51028

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30 मई, 2017

अनुबंध-XII

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसे उनके द्वारा अपनी दिनांक 30 मई, 2017 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षक को स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागजातों पर किसी पहुंच के बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखांकन रिकार्डों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक रिपोर्ट बनती हो।

भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक के लिए व उनकी ओर से

हस्ता./-
(रितिका भाटिया)
प्रधान वाणिज्य लेखापरीक्षा निदेशक एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 जुलाई, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसे उनके द्वारा अपनी दिनांक 30 मई, 2017 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड, के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षक को स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागजातों पर किसी पहुंच के बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखांकन रिकार्डों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक रिपोर्ट बनती हो।

भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक के लिए व उनकी ओर से

हस्ता./-
(रितिका भाटिया)
प्रधान वाणिज्य लेखापरीक्षा निदेशक एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 जुलाई, 2017

तत्कालीन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (परियोजनाएं) श्री रतीश कुमार ''भारत छोड़ो आन्दोलन'' की 75वीं वर्षगांठ के स्मरण उत्सव के अवसर पर 25 अगस्त 2017 को आयोजित एनएचपीसी रक्तदान शिविर के दौरान एनएचपीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिसमें निदेशक (कार्मिक) श्री एन.के. जैन रक्तदान कर रहे हैं।

कलश योजनाः *शुद्ध पेयजल हेतु सुबनसिरी लोअर परियोजना द्वारा असम के धेमाजी, लखीमपुर एवं जोरहाट जिलों में की गई पहल।*

330 मेगावाट किशनगंगा परियोजना (जम्मू व कश्मीर)- बांध का अपस्ट्रीम दृश्य

Follow NHPC at :

https://www.facebook.com/NHPCIndiaLimited https://twitter.com/nhpcltd https://www.instagram.com/nhpclimited

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

NHPC Limited
(A Government of India Enterprise)

CIN: L40101HR1975GOI032564

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर – 33, फरीदाबाद – 121003, हरियाणा (भारत) वेबसाइट : www.nhpcindia.com
NHPC Office Complex, Sector - 33, Faridabad - 121003, Haryana (India) Website : www.nhpcindia.com
EPABX : 0129-2278421 / 422 / 423

www.sapprints.com